में नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 2073, तारीख 4 अगस्त, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "डॉक कर्मचारी की ओर से सदस्य" शीर्षक के सामने मद 2. के सामने की प्रविष्टि के स्थानापन्न "एल० एन० वरयानी" प्रविष्ट रखी जाएगी।

[फा०सं० एल० डी० के०/6/80-एल-III]
वी० शंकरालिंगम, उप सचिव

S.O. 471.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri L. N. Varyani as a member of the Kandla Dock Labour Board vice Shri Ramakant Ramchandra Desai who has ceased to represent the union represented on the Board and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2073 dated the 4th August, 1980, namely :—

In the said notification under the heading "Members representing the dock workers" for the entry against item No. (2), the entry "Shri L. N. Varyani" shall be substituted.

[F. No. LDK/6/80-L-III]
V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1981

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 472.—केन्द्रीय सरकार जोन-डी-5 की मुख्य जगह/क्षेत्रीय विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक करने के प्रकाशित किया जाता है। इस प्रस्तावित संशोधन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संशोधन :

"जोन-डी-5 (डी.आई. जैड-गोल मार्किट क्षेत्र) के लगभग 0.394 हैक्टर (0.974 एकड़) के माप के पंचकुईयां रोड स्थित भूखंड सं-85 ए, जो उत्तर पूर्व में 45.72 मीटर चौड़ी पंचकुईयां रोड से, दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा से तथा उत्तर-पश्चिम में आवासीय क्षेत्र (नई दिल्ली नगर पालिका क्वार्टर्स) से घिरा है, का भूमि उपयोग "आवासीय" से व्यवसायिक में किये जाने का प्रस्ताव है।

उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी सरकारी दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधन का रेखांक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

[सं० एफ. 3(24)/80-एम०पी०]
नाथू राम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 7th February, 1981

PUBLIC NOTICE

S.O. 472.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan for Zone D-5 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of plot No. 85-A, Panchkuin Road measuring about 0.394 hectare (0.974 acre) falling in Zone D-5 (D.I.Z.—Gole Market Area), bounded by 45.72 metres wide Panchkuin Road on the north-east, Dargah Sayad Hasan Rasul Numa on the South-east and South-west and residential area (DJMC Quarters) on North-west, is proposed to be changed from 'residential' to 'commercial'.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturday, within the period referred to above.

[No. F. 3(24)/80-MP]
NATHU RAM, Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1981

का० आ० 473.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, गोविन्द जी० मिश्र, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार के राजस्व तथा वन विभाग की अधिसूचना संख्या ई० बी० सी० 1080-175069 (1) आर०-9, दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 तथा ई० बी० सी०-1080/175069 (2) आर०-9 दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 द्वारा कलक्टर बंदोबस्त आयुक्त और अतिरिक्त, निष्क्रान्त सम्पत्ति, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई के रूप में नियुक्त, श्री के० के० नायडु सलेक्शन ग्रेड उप कलक्टर को उक्त अधिनियम द्वारा या उसकी धारा 23, 24 और 28 के अधीन मुझे, प्रदत्त शक्तियां सौंपता हूं, इसके साथ शर्त यह होगी कि महाराष्ट्र सरकार के उक्त बंदोबस्त आयुक्त महाराष्ट्र राज्य के बाहर स्थित भूकावजा भूमि की सम्पत्तियों के संबंध में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे।

2. इसके पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग), की [illegible] की अधिसूचना संख्या 1 (2)/वि० से०/77-एल० एस०-2 दिनांक 7 नवम्बर, 1980 का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1 (19)/वि० से०/80-एल०एस०-2]
गोविन्द जी मिश्र, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 8th January, 1981

S.O. 473.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, I, G. [illegible] Chief Settlement Commissioner, hereby delegate to Shri K. K. Nayudu, Selection Grade Deputy Collector, appointed by

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 31st January, 1981

S.O. 543.—Whereas central draft scheme to amend the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975, was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1319-1320 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 3rd May, 1980, under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 1252, dated the 18th April, 1980 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 19th May, 1980;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975.

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975,—

(a) for sub-clause (2) of clause 16, the following shall be substituted, namely :—

"(2) Dock workers registered under the Scheme shall be classified into :—

(a) Mukadams;

(b) Tindals;

(c) Loaders;

(d) Fillers;

(e) Stitchers;

(f) Dock Mazdoors.";

(b) in schedule I, for item (2), the following shall be substituted, namely :—

(a) Mukadams;

(b) Tindals;

(c) Loaders;

(d) Fillers;

(e) Stitchers;

(f) Dock Mazdoors.".

[File No. LDB/8/80]

V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1980

का० आ० 544.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का सं० 61) की धारा 3 की उपधारा (2), जिसे धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पढ़ा जाए, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (13) के उल्लंघन हेतु अभियोजन के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित ऐसे मामलों में यथाउल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी किया जाए :—

अनुसूची

क्रम सं०	शक्तियां	शक्तियां प्राप्तकर्ता/प्राधिकृत अधिकारी
1.	धारा 28 के अन्तर्गत प्रवेश की शक्तियां।	उपाध्यक्ष एवं सचिव जिन्हें शक्तियां पहले ही प्राप्त हैं, के अतिरिक्त निदेशक (भूमि प्रबन्ध), कार्यकारी अधिकारी (विकास क्षेत्र), सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सर्वेयर।
2.	धारा 49 के अन्तर्गत पहले से स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां	सचिव, जिन्हें पहले ही शक्तियां प्राप्त हैं के अतिरिक्त निदेशक (भूमि प्रबन्ध), अपर सचिव (प्रवर्तन)।
3.	धारा 12 (3) जिसे धारा 29 (1) के साथ पढ़ा जाए के उल्लंघन हेतु शिकायत फाईल करने तथा उसके लिए काउन्सिल नियुक्त करने की शक्तियां।	सचिव, जिन्हें पहले से शक्तियां प्राप्त हैं के अतिरिक्त निदेशक (भूमि प्रबन्ध), अपर सचिव (प्रवर्तन), कार्यकारी अधिकारी (विकास क्षेत्र) और सहायक अभियन्ता।

[संख्या-एम० 2 (9)/80 एम० सी०]

सतीश चन्द्र, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 11th November, 1980

S. O. 544.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 3 read with Sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby directs that its powers in respect of prosecution for violation of section 12(3) ibid may also be exercised by such officers in such cases as mentioned in the Schedule below :—

SCHEDULE

Sl. No.	Powers	Officers Authorised/delegated
1	2	3
1.	Powers of entry under Section 28	In addition to the Vice-Chairman and the Secretary, who are already empowered, Director (Lands Management), Executive Officer (Development Areas), Asstt. Engineer, Junior Engineer and Surveyor.
2.	Powers to grant previous sanction under Section 49.	In addition to the Secretary already empowered, Director (Lands Management), Additional Secretary (Enforcement).

1	2	3
3.	Powers to file complaint for violation of Section 12(3) read with Section 29(1) and to engage Counsel therefore.	In addition to the Secretary, who is already empowered, the Director (Lands Management), Additional Secretary (Enforcement), Executive Officer (Development Areas) and Asstt. Engineer.

[No. M. 2(9)/80-M.C.]
SATISH CHANDRA, Under Secy.

(सर्वे एण्ड सेटलमेंट यूनिट-1)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1981

का. आ. 545 .—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं. 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे मन्दिर की इमारत बनने हेतु सिन्धी संगत को हस्तान्तरित करने के लिये भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है:—

अनुसूची

लगभग 524.87 वर्ग गज (लगभग 438.79 वर्ग मी.) माप का भूमि खण्ड जो सरोजनी नगर, नई दिल्ली में स्थित है, जिसका प्लाट नं. .....स्थल 20 है और जो अधिसूचना सं. 4719 दिनांक 21-8-1975 का आंशिक भाग है ।

उपर्युक्त भूमि खन्ड की सीमाएं निम्नलिखित है:—

उत्तर में : शिव मन्दिर
दक्षिण में :—आर्य समाज स्कूल तथा मन्दिर
पूर्व में :—काली बाडी मन्दिर तथा नाला
पश्चिम में :—सर्विस रोड

[सं. एस. एण्ड एस. 33(12)/78/ए. एस. ओ (1)/21/23]

नत्थू राम, सचिव

(Survey & Settlement Unit I)

New Delhi, the 30th January, 1981

S.O 545.—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Government of India, New Delhi, for further transfer to the Sindhi Sabha Sangat for construction of Mandir Building.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 524.87 Sq. yds. (about 438.79 Sq. Meter) situated at Sarojini Nagar, New Delhi bearing Plot No.....Site No. 20 party of Notification No. S.O. 4719 dated 21-8-1975.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : Shiv Mandir.

South : Arya Samaj School & Temple.

East : Kali Bari Mandir & Nallah.

West : Service Road.

[No. S&S 33(12)/78/ASO(I)121-23]

NATHURAM, Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1981

का. आ. 546 .—अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जी. एस. साहनी, सदस्य (सीमा-शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, को 20 दिसम्बर, 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वे अपना सदस्य (सीमा शुल्क) का पदत्याग नहीं कर देते, जो भी पहले हो, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है ।

[सं. ए. वी. 24012/1/79-ए. ए.]

गोपाल चतुर्वेदी, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 27th January, 1981

S.O. 546.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Sawhney, Member (Customs), Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance as a part time Member of the International Airports Authority of India with effect from 20th December, 1980 for a period of two years or till he demits office of Member (Customs), whichever is earlier.

[No. AV. 24012/1/79-AA]

GOPAL CHATURVEDI, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1981

का. आ. 547.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किये गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के परंतुक (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कुड्डलूर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-2-1981 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/81-पी. एच. बी.]

आर. सी. कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED NO. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 1981/फाल्गुन 27, 1902
No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 1981/PHALGUNA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 17 मार्च, 1981

का. आ. 191 (अ).—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 5 की उपधारा (2) के (बी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. 18011(28)/67-यू. डी. दिनांक 14-2-1969 द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई, का प्रयोग करते हुए संघ क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल ने श्री एम. एन. बुच भूतपूर्व उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्थान पर श्री वी. एस. एलावादी, उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति का सदस्य सहर्ष नामित कर दिया है ।

[सं. एफ. 5(1)/79 एम. सी.]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATIONS

Delhi, the 17th March, 1981

S.O. 191(E).—In exercise of the powers of the Central Government vested in it under clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957, (No. 61 of 1957) and delegated to him under sub-section (2) of Section 52 of the said Act by that Government vide Notification No. 18011 (28)/67-UD dated 14-2-69, the Administrator/Lt. Governor of the Union Territory of Delhi is pleased to nominate Shri V. S. Ailawadi, Vice-Chairman, Delhi Development Authority, in place of Shri M. N. Buch, the then Vice-Chairman, Delhi Development Authority, on the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. 5(1)/79/M.C.]

का. आ. 192 (अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या सेक्रेटरी/वी. एण्ड सी./26/67 दिनांक 14-2-1978 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की सं. 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के (एफ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. 18011/284/67-यू. डी. दिनांक 14 फरवरी, 1969 के द्वारा प्रदत्त की गयी, का प्रयोग करते हुए संघ क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल ने श्रीमती सुमित्रा चरत राम, श्री हरि कृष्ण पाठक और श्री आर. एल. महदेव के स्थान पर श्रीमती विमल नागी, श्री दलजीत सिंह और डा. एस. सी. वत्स को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया है ।

[संख्या एफ. 5 (1)/79/एम. सी.]

S.O. 192(E).—In partial modification of Notification No. Secy.|V&C|26|67 dated 14-2-1978, of Delhi Development Authority, it is hereby notified that Smt. Vimal Nagi, Sh. Daljit Singh and Dr. S. C. Vats have been nominated to serve as

hereby directs that accumulations out of provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

(i) Government Securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government, except treasury bills.	—Not less than 15%
(ii) Government securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government.	—Not less than 15%
(iii) Any other negotiable securities or bonds the principal whereof and interest whereon in fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Govt.	
(iv) 7-Year National Savings Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposits.	—Not exceeding 40%
(v) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.16(1)/PD/75 dated the 30th June, 1975.	—Not exceeding 30%

2. The above pattern will be in force from the 1st January 1981 until further orders. Reinvestment of Post Office Time Deposits maturing during this period shall be made 50% in Post Office Time Deposits and 50% in Special Deposits. Subject to this, reinvestment of all other maturities of Provident Fund accumulations shall continue to be made in accordance with the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No.SW/MWS(1)/79-MT]

K. LALL, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1981

का. आ. 1104.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त, 1978 की अधिसूचना संख्या के-11011/22/77-डी डी-1 (ए) के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्माण और आवास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एम. श्रीनिवासन को श्री वी. एस. कटारा के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 30 दिसम्बर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-173/57-एल. एस. (जी.) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना की मद संख्या 9 में "श्री वी. एस. कटारा" के इन्दराज के लिए निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"श्री एम. श्रीनिवासन" ।

[सं. के. आई. 11011/22/78-डीडीआईए/2-बी]

हरीराम गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Delhi Division)

New Delhi, the 19th March, 1981

S.O. 1104.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (g) of the sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), and in supersession of the Ministry of Works and Housing Notification No. K-11011/22/78-DDI (A) dated the 17th August 1978, the Central Government hereby appoints Shri M. Srinivasan, Joint Secretary, Ministry of Works and Housing as a Member of the Delhi Development Authority in place of Shri V. S. Katara, and makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 12-173/57-LSG dated the 30th December, 1957, namely :—

In the said Notification, in item 9, for the entry "Shri V. S. Katara" the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri M. Srinivasan"

[No. K. 11011/22/78/DDIA/II-B]

H. R. GOEL, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1981

का. आ. 1105.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में आवासीय भूखंडों के सम्बन्ध में लागू क्षेत्रीय विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दि. वि. प्रा., इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें ।

संशोधन

संशोधन संख्या-जे-13037/122/75-पूडी/दिनांक 27 जनवरी, 1976 के अन्त में निम्नलिखित रेखांकित शब्द जोड़े जाने प्रस्तावित हैं :—

"दो आवासीय ईकाईयों, प्रत्येक तल पर एक-एक के लिये और एक आवासीय ईकाई बरसाती तल के बिना दो मंजिला भवन, के लिये लगभग 33 वर्ग मीटर, (40 वर्ग गज), जिसे विशेष योजनाओं के मामले में आगे 21 वर्ग मीटर (25 वर्ग गज) तक घटाया जा सकता है ।

2. शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[संख्या एफ. 3(35)/77-एम. पी.]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 4th April, 1981

S.O. 1105.—The following modification which the Central Government proposes to make to the zoning regulations applicable to the residential plots in Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in

writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address :

MODIFICATION

The following underlined words are proposed to be added at the end of the modification No. J-13037/122/75-UDI dated 27th January, 1976 : "for two dwelling units, one on each floor, and about 33 sq. metres (40 sq. yds.) for single dwelling unit—two story building without a barsati floor, which can be further reduced to 21 sq. metres (25 sq. yds.) in case of Special Schemes."

2. The proposed modification will be available for inspection in the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays within the period referred to above.

(No. F. 3(35)77-MP)

का. आ. 1106.—केन्द्रीय सरकार मुख्य योजना के व्यवसायिक एवं खुदरा व्यापार के क्षेत्रों पर लागू होने वाले क्षेत्रीय विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है जिन्हें सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । जिस व्यक्ति को इस प्रस्तावित संशोधन के विषय पर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वे कृपया उसे इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन में सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें । आपत्ति/सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम एवं पता भी लिखें ।

संशोधन :

"मास्टर प्लान पुस्तक के पृष्ठ 61 पर शीर्ष 4(सी) के अन्तर्गत "शाहदरा और करोल बाग में जिला केन्द्र एवं प्रस्तावित केन्द्रीय व्यापार जिले" में "25 एकड़ से अधिक जिला केन्द्र" के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

उप-जिला केन्द्र :

अधिकतम एफ. ए. आर. — 125

अधिकतम भू-पटाव — 25%

2. प्रस्तावित संशोधन दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिवसों पर उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

[सं एफ. 16(158)/78-एम. पी.]

S.O. 1106.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Zoning Regulations applicable to Commercial and Retail Business areas of the Master Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION:

"At page 61 of the Master Plan book under head IV (C) "District Centre and proposed Central Business Districts in Shahdara and Karol Bagh" below "District Centre more than 25 acres." the following shall be added :—

Sub-District Centres:

Maximum F.A.R.—125

Maximum ground coverage—25%".

2. The proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturday, within the period referred to above.

[No. F. 16(158)/78-M.P.]

का. आ. 1107.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 10(1), जिसे दिल्ली डेवेलपमेन्ट (मास्टर प्लान एंड जोनल डेवेलपमेंट प्लान) रूल्स, 1959 के नियम 5 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत सूचना :

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

1. (ए) क्षेत्र सी-8 (रोशनारा बाग) के क्षेत्रीय विकास चित्र हेतु प्रारूप तैयार हो चुका है, और

(बी) उक्त प्रारूप की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों में नीचे आगे पैरा 3 में लिखी तिथि तक, 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 3.00 बजे (अपराह्न) के दौरान, शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिवसों पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी :—

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय, दिल्ली विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ;

(2) नई दिल्ली नगर पालिका कार्यालय, टाऊन हाल, नई दिल्ली ;

(3) दिल्ली नगर निगम कार्यालय, टाऊन हाल, दिल्ली-6 ;

(4) कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी-10 ।

2. इस क्षेत्रीय विकास चित्र प्रारूप के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित किए जाते हैं ।

3. आपत्तियां/सुझाव लिखित रूप में दिनांक 3 मई, 1981 तक सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को भेजे जाएं ।

4. आपत्तियां/सुझाव भेजने वाला व्यक्ति अपना नाम एवं पता भी लिखें ।

[सं. एफ. 4(4)71-एम.पी.]

नाथू राम, सचिव

S.O. 1107.—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957)" read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

Notice is hereby given that:—

1(a) a draft of the zonal development plan for Zone C-8 (Roshanara Garden) has been prepared; and

(b) a copy thereof will be available for inspection at the following offices between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days except Saturdays, till the date mentioned in paragraph 3 hereinafter :—

(i) Office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi.

(ii) Office of the New Delhi Municipal Committee, Town Hall, New Delhi.

(iii) Office of the Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi-6.

(iv) Office of the Executive Officer, Delhi Cantt. Board Delhi Cantt-10.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft zonal development plan.

3. Objections or suggestions may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi by the 3rd May, 1981.

4. Any person making an objection or suggestion should also give his name and addres.

[No. F. 4(4)71-MP]

NATHU RAM, Secy.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of Site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Orissa	Kalahandi	Narla	Asurgarh	Ancient site of Asurgarh fort comprised in Survey Plot Nos. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 and 210/511	Survey Plot Nos. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 210/511	41.22 acres	North.—Survey plot Nos. 206, 203, 201 and 276 East.—Survey plot No. 276 South.—Survey plot Nos. 519, 270 and 269 West.—Survey plot Nos. 260, 256, 257, 520 and 205	Survey plot Nos. 207, 212, 213, 229, 233 and 254 are Government owned and remaining plot numbers are under private ownership	—

[No. 2/8/73-M]
(Mrs.) D. MITRA, Director-General
and Ex-Officio Jt. Secy.
Archaeological Survey of India

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1981

सार्वजनिक सूचना

का०आ० 1954—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है एतद्द्वारा जिन्हें सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन प्रस्तावित संशोधनों के संबन्ध में कोई सुझाव या आपत्ति देनी हो तो वे अपने विचार सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

"38 हैक्ट० (94 एकड़) माप के भूखण्ड, जो प्रस्तावित भीतरी रिंग रोड के उत्तर में स्थित है और दिल्ली मुख्य योजना के खंड डी–12 डी–13 एवं डी–14 में पड़ता है और पूर्व में 36.6 मी० (120 फुट) चौड़े सफदरजंग मार्ग, उत्तर में 36.6 मी० (120 फुट) चौड़े क्लब मार्ग (कमाल अतातुर्क मार्ग), पश्चिम में 45.7 मी० (150 फुट) चौड़े रेसकोर्स मार्ग और दक्षिण में प्रस्तावित 45.7 मी० (150 फुट) चौड़े भीतरी रिंग रोड से घिरा है, का भूमि उपयोग "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं" (अनुसंधान संस्थान 17 हैक्ट०, 42 एकड़) और "मनोरंजनात्मक" (अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनात्मक, जिला पार्क, खेल के मैदान खुले स्थान–21 हैक्ट०, 52 एकड़), से बदल कर 370.5 व्यक्ति प्रति हैक्ट० (150 व्यक्ति प्रति एकड़), 75 एफ०ए०आर० और 25 प्रतिशत भू-पटाव सहित 24.29 हैक्ट० (60 एकड़) "आवासीय" एवं 75 एफ०ए०आर० और 25 प्रतिशत भू-पटाव सहित 13.77 हैक्ट० (34 एकड़) "राजकीय उपयोग" किया जाता है।"

2. उक्त प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला चित्र प्राधिकरण के कार्यालय, 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़कर शेष सभी कार्यशील दिवसों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

[सं० एफ. 3(20)/72–एम०पी०]

नाथू राम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 18th July, 1981

PUBLIC NOTICE

S.O. 1954.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS

"The land use of an area, measuring 38 Ha. (94 acres), located in the north of proposed Inner Ring Road, falling in Zones D-12, D-13 and D-14 of Delhi Master Plan and bounded by 36.6 Mts. (120 ft.) wide Safdarjung Road on the east, 36.6 Mts. (120 ft.) wide Club Road (Kamal Atatrak Marg) on the north, 45.7 Mts. (150 ft.) wide Race Course Road on the west and proposed 45.7 Mts. (150 ft.) wide Inner Ring Road on the south, is proposed to be changed from "public and semi-public facilities" (educational and research institutions—17

SCHEDULE

Port	Officer	Casualty
Tuticorin	(1) Dy. Conservator of the Port.	Casualties affecting only— (a) ships lying within the limits of the port of Tuticorin. (b) ships in the charge at the time of casualty of the Harbour Master or pilot in the employee of the said trustees (c) ships belonging to the said trustees.
	(2) Surveyor-in-Charge, MMD, Tuticorin.	All other casualties.

[No. 1-SH(22)/80]

का० आ० 2026—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 10 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 771 तारीख 7 मार्च, 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3378 तारीख 30 अक्तूबर 1978 में अंशतः संशोधन करते हुए, नौवहन महानिदेशक एतद्द्वारा रेडियो निरीक्षक, जल परिवहन विभाग, मद्रास को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के हेतु तुतीकोरिन पत्तन में रेडियो सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

[सं० 1-एस० एच० (22)/80)]

रा० द० प्रधान, नौवहन महानिदेशक

S.O. 2026.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with the order of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications No. S.O. 771 dated the 7th March, 1962 and in partial modification of notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. 3378 dated 30th October, 1978 the Director General of Shipping hereby appoints with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, Radio Inspector, Mercantile Marine Department, Madras as a Radio Inspector for the purpose of the said Act at the port of Tuticorin.

[No. 1-SH(22)/80]

R. D. PRADHAN, Director General of Shipping

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 25 जुलाई 1981

सार्वजनिक सूचनाएं

का० आ० 2027.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आपत्ति देनी हो तो वे अपने विचार सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेज दें, आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पूरा पता लिखें :—

संशोधन :—

"लगभग 17.40 है० (43 एकड़) भूमि, जो क्षेत्र एफ० 19 में पड़ती है और दिल्ली मुख्य योजना में "कृषि हरित पट्टी", के विनिर्दिष्ट है और उत्तर में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन तक रेलवे साईडिंग, पश्चिम में मथुरा मार्ग और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में "आवासीय," एवं "औद्योगिक " उपयोगों द्वारा घिरी है, का भूमि उपयोग बदलकर "आवासीय" किया जाना प्रस्तावित है।"

उक्त प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला चित्र प्राधिकरण के कार्यालय (मुख्य योजना अनुभाग) 19 वीं मंजिल विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़ कर शेष सभी कार्य शील दिवसों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

[सं० एफ. 3(5)/75-एम०पी०]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 25th July, 1981

PUBLIC NOTICES

S.O. 2027.—The following modification which the Central Govt. proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address :—

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 17.40 hectares (43 acres), out of the land falling in zone F-19, earmarked for 'agricultural green belt' in the Master Plan and surrounded by railway siding to Badarpur Thermal Power Station on the north, Mathura Road, on the West and 'residential' and 'Industrial' uses on the South and South-East, is proposed to be changed to 'residential'."

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section) on 19th Floor, Vikas Minar, Indrapratha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(5)/75-MP]

का.आ. 2028.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आपत्ति देनी हो तो वे अपने विचार सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पूरा पता लिखें :—

संशोधन :—

"क्षेत्र-एफ.-9 में पड़ने वाले ई. पी. डी. पी. कालोनी नामक लगभग 88.22 है. (218 एकड़) माप के क्षेत्र, जो उत्तर में कालकाजी कालोनी, दक्षिण में ग्रेटर कैलाश पार्ट-2, पूर्व में औद्योगिक टेनामेंट्स (आवासीय क्षेत्र) और पश्चिम में 46.72 मीटर (150 फुट) चौड़े मुख्य योजना मार्ग से घिरा है, की सकल सघनता 247 व्यक्ति प्रति हैक्टर (100 व्यक्ति प्रति एकड़) से बढ़ा कर 309 व्यक्ति प्रति हैक्टर (125 व्यक्ति प्रति एकड़) की जानी प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला चित्र प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में

उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़ कर शेष सभी कार्यशील दिवसों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[सं. एफ. 2(136)/78-एम. पी.]

S.O. 2028.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The Master Plan gross density of 247 PPHa (100 p.p.a.) in an area, measuring 88.22 Ha (218 acres) of the pocket known as 'E.P.D.P. Colony', falling in Zone F-9 and surrounded by Kalkaji Colony in the north, Greater Kailash Pt. II in the South, industrial tenements (Residential area) in the east and 46.72 M (150) wide Master Plan road in the west, is proposed to be increased to 309 PP Ha (125 p.p.a.)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(156)/78-MP]

का.आ. 2029.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है, एतद्द्वारा इसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आपत्ति देनी हो तो वे अपने विचार सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य योजना अनुभाग, 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेज दें । आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पूरा पता लिखें :—

संशोधन :—

"क्षेत्र डी-4 में पड़ने वाली लगभग 0.70 है. (1.74 एकड़) भूमि, जो पूर्व में "आवासीय" क्षेत्र (बंगला नं. 8, महादेव मार्ग एवं बंगला नं. 64 अशोक मार्ग) उत्तर में 36.6 मीटर (120 फुट) चौड़े अशोक मार्ग, पश्चिम में "सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान उपयोग" (विश्वायतनयोग आश्रम) एवं दक्षिण में "आवासीय क्षेत्र" (80 फुट चौड़े महादेव मार्ग से पृथक होता है) से घिरी है, का भूमि उपयोग "आवासीय" से "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं" (हस्पताल एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान) में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

उक्त प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला चित्र प्राधिकरण के कार्यालय मुख्य योजना अनुभाग, 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़ कर सभी कार्यशील दिवसों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[सं. एफ. 16(24)/80-एम.पी.]

नाथू राम, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

S.O. 2029.—The modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification, may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 19th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address :—

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 0.70 hectare (1.74 acres) falling in zone D-4 and surrounded by 'residential area' (Bungalow No. 8, Mahadeo Road and Bungalow No. 64, Ashoka Marg) in East, 36.6 mts. (120 ft.) wide Ashoka Marg in North, 'Social and cultural Institutional' use (Vishwayatan Yoga Ashram) in West and 'residential area' (segregated by 80 ft. wide Mahadeo Road) in South is proposed to be changed from 'residential' to 'public & semi-public facilities' (Hospital-cum-social and cultural institutions)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section), 19th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays within the period referred to above.

[No. F. 16(24)/80-MP]

NATHU RAM, Secy,
Delhi Development Authority

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1981

का० आ० 2030.—फिल्म सलाहकार बोर्ड के कार्यकरण से सम्बन्धित विनियमों के नियम 14(च) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपांतरों सहित जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की ल० (मीटरों में)	आवेदक/निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5
1.	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1705 और भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1705 (क्षेत्रीय उत्तर)	304.00	फिल्म प्रभाग 24, डा० जी० देशमुखमार्ग बम्बई।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। सामान्य और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए
2.	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1706 और भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1706 (क्षेत्रीय पूर्व)	302.00	फिल्म प्रभाग 24 डा० जी० देशमुख मार्ग बम्बई।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। सामान्य और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए

[फाइल० सं० 315/5/81-एफ पी]

कश्मीरी लाल, डेस्क अधिका

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1981

का० आ० 1821.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिन्हें सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के विषय में कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें । आपत्ति या सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम व पता भी लिखें ।

संशोधन:

"1. लगभग 7.668 हैक्टेयर (19 एकड़) भूमि, जो मुख्य योजना में "फ्लैटिड फैक्ट्रीज" हेतु विनिर्दिष्ट है और पश्चिम में आवासीय क्षेत्र, उत्तर और पूर्व में 24.4 मीटर (80 फुट) चौड़े क्षेत्रीय मार्गों, दक्षिण में 30.48 (100 फुट) चौड़े देशबन्धु गुप्ता मार्ग से घिरी है, का भूमि उपयोग 250 व्यक्ति प्रति एकड़ के घनत्व सहित "आवासीय" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

"2. 2.832 हैक्टेयर (7 एकड़) भूमि जो मुख्य योजना में "गुड्स टर्मिनल" हेतु विनिर्दिष्ट है और उत्तर में 30.48 मीटर (100 फुट) चौड़े मार्ग, पश्चिम में ईदगाह स्मारक, पूर्व में आवासीय क्षेत्र और दक्षिण में 24.4 मीटर (80 फुट) चौड़े क्षेत्रीय मार्ग से घिरी है, का भूमि उपयोग 250 व्यक्ति प्रति एकड़ सहित "आवासीय" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला चित्र प्राधिकरण के कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में शनिवार को छोड़कर और सभी काम के दिनों में उपर्युक्त अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[सं० एफ० 20(14)/76-एम० पी०]

नाथू राम, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th June, 1981

S.O. 1821.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

"1. The land use of an area measuring about 7.668 hects. (19 acres) earmarked for 'flatted factories' in the Master Plan and surrounded by residential area on the west, 24.4 mts. (80 ft.) wide Zonal Roads on the North and East, 30.48 mts. (100') wide Desh Bandhu Gupta Road on the South, is proposed to be changed to 'residential use' with a density of 250 persons per acre."

"2. The land use of an area measuring 2.832 hects. (7 acres) earmarked for 'goods terminal' in the Master Plan and surrounded by 30.48 mts. (100' wide road on the north, Idgah monument on the West, residential area on the East and 24.4 mts. (80 ft.) wide Zonal Road on the south is proposed to be changed to 'residential use' with a density of 250 persons per acre."

2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturday, within the period referred to above.

[F. No. 20(14)/76-MP.

NATHU RAM, Secy
Delhi Development Authority

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1981

का० आ० 1822.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपांतरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई (मीटरों में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	गान हीरा	291-00	सूचना और जन सम्पर्क महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34		"डाकुमेंट्री फिल्म" केवल महाराष्ट्र राज्य में प्रदर्शन के लिए ।
2.	बी ए सेफ पेडिस्ट्रीयन	47-90	श्री रजत मित्रा, लॉस प्रीवेंशन एसोसियेशन आफ इंडिया लि०, यार्डेन हाउस, बम्बई-1	सुमांत चोपाल, सिनेमैटिक्स, 5 पालम कोर्ट, एम० के० रोड, बम्बई-400020	"शिक्षा संबंधी फिल्म" सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
3.	डीफेंसिव ड्राईविंग फार सेफर मोटरिंग	40-54	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 350] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1981/श्रावण 5, 1903
No. 350] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1981/SRAVANA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1981

का. आ. 609(अ).—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई सुझाव या आपत्ति देनी हो तो वे अपने विचार सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य योजना अनुभाग, 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित

रूप में भेज दें । आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

"क्षेत्र डी-5 में पड़ने वाली लगभग 3122.17 वर्ग मीटर (3734.08 वर्ग गज) भूमि, जो उत्तर-पश्चिम में रिज क्षेत्र (क्षेत्र डी-6), दक्षिण-पूर्व में 30.48 (100'-0") मार्गाधिकार के मन्दिर मार्ग, उत्तर-पूर्व में एम.ई.एस. पम्परूम तथा दक्षिण-पश्चिम में कालीवाड़ी मन्दिर से घिरी है, का भूमि उपयोग "सांस्थानिक (धार्मिक)" से "व्यवसायिक (होटल)" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है" ।

उक्त प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला चित्र प्राधिकरण के कार्यालय मुख्य योजना अनुभाग, 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़कर सभी कार्यशील दिवसों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[सं. एफ. 16(53)/77-एम.पी.-पार्ट]

नाथू राम, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th July, 1981

S.O. 609(E).—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send this objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 19th Floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 3122.17 Sq. Mt. (3734.08 Sq. Yds.) falling in Zone D-5 bounded in the North-West by Ridge area (Zone D-6), 30.48 R/W (100 ft.-0 inch) Mandir Marg in South-East, MES Pump room in the North-east and Kalibari Temple in the South-west, is proposed to be changed from "Institutional (Religious)" to "Commercial (Hotel)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan section), 19th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 16(53)/77-MP-PL]

NATHU RAM, Secy.
Delhi Development Authority.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981

another station, refund may be granted by the station from which the journey is to commence provided that the journey is cancelled for any one of the following reasons namely :—

(a) the train is cancelled or is running late by more than three hours ;

(b) where the ticket is for air-conditioned accommodation the air-conditioning equipment fails and the passenger is unwilling to travel in another class ;

(c) has been given confirmed reservation for the journey, either by the office which issued the ticket against its quota or by the station from which the train originates, but finds on arrival at the station that reservation has not been provided."

[No. TCII/2003/72/1]
HIMMAT SINGH, Secy. Railway Board and Ex. Officio Jt. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1981

नोटिस

का० आ० 2124.— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा—11 के अन्तर्गत नोटिस ।

एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि :—

(ए) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं० (61) की धारा—9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत क्षेत्र सी - 16 (विजय नगर) और सी- 17 (राणा प्रताप बाग) के क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है,

(बी) यथा-अनुमोदित चित्र की प्रति सभी कार्यशील दिनों में 11-00 बजे (पूर्वा०) से 3-00 बजे (अप०) ,तक के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार में 19वीं मंजिल पर इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में देखी जा सकती है।

[सं० एफ 4(1)/-65-एम पी]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 1st August, 1981

NOTICES

S.O. 2124.—Notice under Section 11 of Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957).

Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have, under Sub-Section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) approved a Zonal Development Plan for the Zones C-16 (Vijay Nagar) and C-17 (Rana Pratap Bagh).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Vikas Minar, 19th Floor, Indraprastha Estate, New Delhi Between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on all working days.

[No. F. 4(1)/65-MP]

का० आ० 2125.— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा-11 के अन्तर्गत नोटिस।

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि :—

(ए) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा—9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत क्षेत्र डी–7 (पुराना किला) के क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(बी) यथा-अनुमोदित चित्र की प्रति सभी कार्यशील दिनों में 11-00 बजे (पूर्वा०) से 3-00 बजे (अप०) तक के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार में 19वीं मंजिल पर इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में देखी जा सकती है।

[सं० एफ 4 (12)/66- एम पी]

नाथूराम, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

S.O. 2125.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957).

Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have, under Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), approved the Zonal Development Plan for Zone D-7 (Purana Quila).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authrity, Vikas Minar, I.P. Estate, 19th Floor, New Delhi-2 between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on all working days.

[No. F. 4(12)/66-MP]
NATHU RAM, Secy.,
Delhi Development Authority.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981

4. आपत्तियां या सुझाव भेजने वाले व्यक्ति अपना नाम एवं पता भी लिखें।

[सं० 4(6)/81-एम०पी०]
नाथू राम, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

S.O. 2404.—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan), Rules, 1959.

Notice is hereby given :—

1. (a) a draft of the Zonal Development Plan of Zone F-8 (Okhla Industrial Area) has been prepared; and

(b) A copy thereof will be available for inspection at the following offices between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days except Saturdays till the date mentioned in paragraph 3 hereinafter.

(i) Office of the Delhi Development Authority, 19th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi.

(ii) Office of the NDMC, Town Hall, New Delhi.

(iii) Office of the Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi-6.

(iv) Office of the Executive Officer, Delhi Cantt., Board, Delhi Cantt.-10.

2. Objections/Suggestions are hereby invited with respect to this draft zonal development plan.

3. Objections/suggestions may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 19th Floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi by the 12th October, 81.

4. Any person making an objection or suggestion should also give his name and address.
Indraprastha Estate,

[No. F. 4 (6)/81-MP]
NATHU RAM, Secy.
Delhi Development Authority

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1981

का०आ० 2405.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नेलकोंडपल्लि, बाईकावोल, गोल्लमामिडाड, तिरुमलायपालम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-81 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-6-81/पी०एच०बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 27th August, 1981

S.O. 2405.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16th September, 1981 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nelakondapally, Biccavole, Gollalamamidada and Thirumalayapalem Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/81-PHB]

का० आ० 2406—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने वेमुलवाडा, बोनपाल्लि जंगारेड्डीगुडेम कोयालगुडेम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-81 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/81-पी० एच० बी०]

S.O. 2406.—In pursuance of para(a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16th September, 1981 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vemulawada, Bowenpally Jangaraddigudem, Koyyalagudem Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/81-PHB]

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1981

का०आ० 2407.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने संगम, इन्दुकुरपेट मैपाडु, कन्दुकुरु, चेरुकुपालि टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-81 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/81-पी एच बी]

New Delhi, the 28th August, 1981

S.O. 2407.—In pursuance of para(a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16th September, 1981 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sangam, Indukurpet, Mypadu, Kandukur, Cherakupally Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/81-PHB]

का०आ० 2408.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नागुलवन्चा एडुलूरु अन्नमभेट्लवारिपालेम, इनगल्लू टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-81 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/81-पी०एच०बी०]

S.O. 2408.—In pursuance if para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16th September, 1981 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nagulavancha, Eduluru, Annambhotlavanualem, Ingallu Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/81-PHB]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1981

का०आ० 2409.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने दुग्गिराला, नंदिवेलुगु इडुमूडि, तिम्मसमुद्रम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-81 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/81-पी०एच०बी०]

New Delhi, the 29th August, 1981

S.O. 2409.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16th September, 1981 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in [Duggirala, Nandivelugu, Edumudi & Thimmasamudram] Telephone Exchange, Andhra Pradesh circle.

[No. 5-6/81-PHB]

1.	2	3	4	5
	112/12/1 Min	0	06	07
	112/19 Min	0	08	60
	112/18 Min	0	03	54
	112/23 Min	0	10	12
	112/29 Min	0	00	51
	112/24/2 Min	0	00	51
	442 Min	0	00	51
	121/3 Min	0	00	25
	121/4 Min	0	12	65
	121/7/1 Min	0	01	52
	121/5/4 Min	0	00	25
	121/6 Min	0	08	35
	121/25/2 Min	0	10	62
	125/5 Min	0	10	12
	125/6 Min	0	08	60
	125/15 Min	0	05	56
	125/16/Min	0	02	02
	126/10/2 Min	0	01	52
	126/11/1 Min	0	04	55
	126/20 Min	0	08	09
	126/21 Min	0	10	12
	137/11/ Min	0	10	12
	137/10/3 Min	0	10	37
	137/11 Min	0	08	60
	137/20 Min	0	10	12
	137/21 Min	0	10	12
	198/1 Min	0	01	01
	141/1/1 Min	0	07	84
	141/1/2 Min	0	02	28
	141/10 Min	0	13	41
	141/29 Min	0	06	58
	141/20 Min	0	08	85
	141/21 Min	0	01	26

[No. 12020/9/81—Prod.]
T.N. PARAMESHWARAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1981

का० आ० 3154:—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के उपबंध (घ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० राममूर्ति के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री एम० आर० कोलहटकर को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है तथा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० बी० 17013/1/77-एम ई० (पी० जी०) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"श्री एम० आर० कोलहटकर, संयुक्त सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय।	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय का प्रतिनिधि।"

[सं० बी० 17011/1/81-एम०ई० (पी०जी०)]
पी० सी० जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th November, 1981

S. O. 3154.—In pursuance of clause (d) of section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri M. R. Kolhatkar, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Education and Culture, New Delhi to be a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh vice Shri S. Ramamoorthy who has resigned and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. V.17013/1/77-ME (PG), dated the 30th June, 1977 namely:—

In the said notification, for entry 2, the following entry shall be substituted namely:—

"2. Shri M. R. Kolhatkar, Joint Secretary, Ministry of Education and Culture.	Representative of the Ministry of Education and Culture".

[No. V. 17011/1/81-ME(PG)]
P. C. JAIN Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1981

का० आ० 3155:—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन प्रस्तावित संशोधनों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने हों तो वह अपने विचार सचिव, दि० वि० प्रा० विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ, इस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पता भी लिखे।

संशोधन:—मुख्य योजना में आवासीय भूखण्डों पर लागू होने वाले क्षेत्रीय विनियमों पर अधिसूचना सं० के-12014/6/75-यू० डी० दिनांक 11 दिसम्बर, 1975 द्वारा किए गए संशोधन के पैरा (iii) के उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द स्थानापित किए जाने प्रस्तावित है:—

एक भू-खण्ड पर आवासीय इकाईयों की संख्या निम्नलिखित तालिका के अनुसार मानी जाएगी:—

भू-खण्ड का आकार	आवासीय इकाईयों की संख्या
1	2
1. 500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	प्रत्येक तल पर एक आवासीय इकाई।
2. 500 वर्ग मीटर से अधिक, परन्तु 1500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	प्रत्येक तल पर दो आवासीय इकाईयां, चाहे संलग्न हों या अलग।
3. 1500 वर्ग मीटर से अधिक, परन्तु 2250 वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	प्रत्येक तल पर तीन आवासीय इकाईयां चाहे संलग्न हों या अलग।
4. 2250 वर्ग मीटर से अधिक, परन्तु 3000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	प्रत्येक तल पर चार आवासीय इकाईयां, चाहे संलग्न हों या अलग।
5. 3000 वर्ग मीटर से अधिक, परन्तु 3750 वर्ग मीटर से अधिक नहो।	प्रत्येक तल पर पांच आवासीय इकाईयां, चाहे संलग्न हों या अलग।
6. 3750 वर्ग मीटर से अधिक।	प्रत्येक तल पर छह आवासीय इकाईयां, चाहे संलग्न हों या अलग।

उक्त प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाली मुख्य योजना की प्रति प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़कर शेष सभी कार्यशील दिवसों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी।

[सं० एफ-20/4/75-एम०पी०]
नाथू राम, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st November, 1981

S.O. 3155.—The following modification which the Central Govt. proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address:—

MODIFICATION

The following words are proposed to be substituted in place of sub-para (3) of para (iii) of modifications made to the zoning Regulations applicable to the Resd; plots in the Master Plan vide Notification No. K-12014/6/75-UD dated 11th Dec., 1975:—

The number of dwelling units on a plot will be reckoned as in the table below:—

Plot size	No. of dwelling units
1. Not exceeding 500 sq. mts.	One dwelling unit on each floor.
2. Above 500 sq. mts. but not exceeding 1500 sq. mts.	Two dwelling units on each floor, whether attached or detached.
3. Above 1500 sq. mts. but not exceeding 2250 sq. mts.	Three dwelling units on each floor, whether attached or detached.
4. Above 2250 sq.mts. but not exceeding 3000 sq. mts.	Four dwelling units on each floor, whether attachad or detached.
5. Above 3000 sq.mts. but ont exceeding 3750 sq. mts.	Five dwelling units on each floor, whether attached or detached.
6. Above 3750 sq. mts.	Six dwelling units on each floor, whether attached or detached.

The Master Plan showing the place where the proposed modification is intended to be incorporated will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, I.P.Estate, New Delhi on all working days except Saturdays within the period referred to above.

[No. F. 20 (4)/75-MP]

NATHU RAM, Secy.

Delhi Development Authority

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 2nd November, 1981

S.O. 3156.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Song & Drama Division, Bhopal, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E. 11011/42/79-Hindi]

RUKIMINI DAS GUPTA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1981

का० आ० 3156.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, गीत और नाटक प्रभाग, भोपाल को, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[संख्या ई-11011/42/79 हिन्दी]

रुक्मिणी दास गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1981

का० आ० 3157.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियम, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 8 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित और व्यक्तियों को अगले आदेश तक, फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद, उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल के सदस्य नियुक्त करती है :—

तमिल

1. श्री शास्त्री रामचन्द्रन
2. श्री एस० महादेवन
3. श्रीमती देव की मुथिया
4. डा० (श्रीमती) उषा राघवन

तेलुगु

5. श्रीमती जयन्ती प्रेमाराव
6. श्रीमती रेखा प्रभाकर
7. श्री के० मोहनरंगम
8. श्री ओ० आर० के० राव

मलयालम

9. श्रीमती सराह चन्दा
10. श्रीमती निर्मला श्रीनिवासन
11. श्रीमती लक्ष्मी मेनन
12. श्रीमती रीटा लक्ष्मी नारायण

कन्नड़

13. श्रीमती अनुसूया माधव राव
14. प्रो० के० के० गोडा
15. श्रीमती लीला शेखर
16. श्रीमती वी० शकुन्तला राव

हिन्दी

17. श्री आदित्य महापात्र
18. श्रीमती गीता डी० वेंकर
19. श्रीमती कल्पना भट्ट
20. श्रीमती रश्मि पटल

[फाइल संख्या 811/3/80-एफ (सी) खंड-2]

के० एस० वेंकटरामन, अवर सचिव

New Delhi, the 5th November, 1981

S.O. 3157.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinomatograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of Rule 8 read with sub-rule (1) of Rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby appoints the following more persons after consultation with the Board of Film Censors, as Members of the Advisory Panel of the said Board at Madras with immediate effect until further orders.

Tamil

1. Shri Shastri Ramachandran
2. Shri S. Mahadevan

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1981

का० आ० 3307.—राष्ट्रपति, सरकारी निवास-स्थान आवंटन (इन्दौर में साधारण पूल) नियम, 1979 के अनु० नि, 317-ए-एस 2 के खंड ख के अनुसरण में, एतद्द्वारा जनवरी, 1982 के पहले दिन से आरम्भ होने वाली और दिसम्बर, 1983 के 31वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि को आवंटन वर्ष की अवधि के रूप में अधिसूचित करते हैं ।

[सं० डी-11031/44/81/-प्रादेशिक]

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 7th November, 1981

S.O. 3307.—In pursuance of clause (b) of S.R. 317-AS-2 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Indore) Rules, 1979, the President hereby notifies the period commencing on the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of December, 1983 as the period of allotment year.

[No. D-11031/44/81-Regions]

का० आ० 3308.—राष्ट्रपति सरकारी निवासस्थान आवंटन (गाजियाबाद में साधारण पूल) नियम, 1979 के अनु०नि० 317-ए-आर-2 के खण्ड ख के अनुसरण में, एतद्द्वारा जनवरी, 1982 के पहले दिन से प्रारम्भ होने वाली और दिसम्बर, 1983 के 31वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि को आवंटन वर्ष की अवधि के रूप में अधिसूचित करते हैं ।

[सं० डी-11031/44/81-प्रादे०]

राम स्वरूप सूद, संपदा उपनिदेशक (विकास एवं नीति)

S.O. 3308.—In pursuance of clause (b) of S.R. 317-AR-2 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Ghaziabad) Rules, 1979, the President hereby notifies the period commencing on the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of December, 1983 as the period of allotment year.

[File No. D-11031/44/81-Regions]

R. S. SOOD, Dy. Director of Estates (D&P)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

का० आ० 3309.—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 2 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के साथ पठित खण्ड (ट) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 फरवरी, 1976 के एस०ओ० 119(इ) की अधिसूचना में एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में:—

(i) क्रम सं० 1 के कालम 2 में उसके मद (ख) और प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा ।

(ii) संख्या 4 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायें, नामत:—

1	2	3
"5 सेना सम्पदा अधिकारी कर्नाटक अंचल, बंगलौर	बेलगांव छावनी की स्थानीय सीमाओं के भीतर समस्त क्षेत्र	अध्याय III और अध्याय IV का अनुच्छेद 26 और 27"

[एफ० सं० 4/15/80-यूसीयू]

बी० आर० अय्यर, उप सचिव

New Delhi, the 17th November, 1981

S.O. 3309.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of section 2 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976) read with clause (k) thereof, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 119(E), dated the 17th Februady, 1976, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification :—

(i) Item (b) and entry thereto in column 2 against serial number 1 shall be omitted.

(ii) The following serial number and entries shall be inserted after serial number 4, namely :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by tion in the official Gazette, from any person interested in the 17th February, 1976, namely :—

1	2	3
" 5. Military Estate Officer, Karnataka Circle, Bangalore.	Entire area within the local limits of the Cantonment of Belgaum	Chapter III and sections 26 and 27 of Chapter IV."

[F. No. 4/15/80-UCU]

V. B. IYER, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1980

का० आ० 3310.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 5-ए की उपधारा (1), जिसे धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पढ़ा जाए, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा उच्चशक्ति मण्डल/परियोजना मण्डल नामक एक समिति का गठन करता है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) उपाध्यक्ष, दि०वि०प्रा०,

(2) अभियन्ता सदस्य, दि०वि०प्रा०,

(3) वित्त एवम् लेखा सदस्य, दि०वि०प्रा०,

(4) मुख्य अभियन्ता, दि०वि०प्रा०,

(5) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—इन्डोर स्टेडियम परियोजना (जिन्हें अब मुख्य परियोजना अभियन्ता के नाम से जाना जाता है), जो इसके सदस्य सचिव होंगे ।

इस समिति को शक्ति प्राप्त है कि वह तकनीकी समिति/सहायक मण्डल/या बाहर से किसी या किन्हीं तकनीकी विशेषज्ञों को सम्बद्ध/सहयोजित कर ले ।

और निर्देश देता है कि इन्द्रप्रस्थ इस्टेट और ऐशियाड के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए इसकी सभी वित्तीय एवं अन्य प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग उक्त मण्डल द्वारा भी किया जा सकेगा ।

[सं एम 2(9)/80-एम०सी]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 14th July, 1980

S.O. 3310.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A read with sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby constitute a Committee namely; High Powered Board/Project Board consisting of the following :—

1. Vice-Chairman, DDA ;
2. Engineer Member, DDA ;
3. Finance & Accounts, Member, DDA;

4. Chief Engineer, DDA ; and

5. Additional Chief Engineer—Indoor Stadium Project (Now known as Chief Project Engineer) as its Member Secretary.

with powers to associate/co-opt any one or more technical expert(s) from the Technical Committee/ Board of Accessors/ or from outside ;

And directs that all its financial and other administrative powers for execution of the Indoor Stadium Project at Indraprastha Estate and various works of ASIAD may also be exercised by the said Board.

[No. M. 2(9)/80-M.C.]

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1981

का० आ० 3311.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन प्रस्तावित संशोधनों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने हों तो वे अपने विचार सचिव, दि० वि० प्रा०, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पता भी लिखें।

संशोधन.—

(ए) मुख्य योजना में पृष्ट 49 पर कृषि पट्टी 10-उपयोग क्षेत्र ए-1, शीर्षक के अन्तर्गत तीसरी लाईन में "भू खण्ड क्षेत्रफल परिसीमा।" शब्दों के पहले लगे, "न्यूनतम एक एकड़ भूखण्ड की" शब्द निकाल दिए जाएंगे।

(बी) मुख्य योजना में पृष्ट 59 पर 2—"कृषि हरित पट्टी" और "ग्रामीण" उपयोग क्षेत्र, शीर्षक के अन्तर्गत दी गई तालिका निकाल दी जाए तथा वे "वे निम्नलिखित हैं" शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

(1) फार्म का न्यूनतम आकार निम्नलिखित होगा :—

(ए) फल उद्यान और सब्जी के फार्म 1 हैक्टे०

(बी) पोलट्री, स्टड, डेरी और अन्य पशुधन फार्म 2 हैक्टे०

(2) आवासीय इकाईयां का अधिकतम पटाव एवं ऊंचाई निम्नलिखित होगी :—

क्रम सं०	फार्म का आकार	आवासीय ईकाई का अधिकतम पटाव	आवासीय इकाई की अधिकतम ऊंचाई
(ए)	1 हैक्टे० और अधिक लेकिन 2 हैक्टे से कम	100 वर्ग मीटर (मेंजनीन फलोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर
(बी)	2 हैक्टे० और अधिक	150 वर्गमीटर (मेंजनीन फलोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर

2. उक्त प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाली मुख्य योजना की प्रति प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़कर शेष सभी कार्यशील दिवसों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी।

[संख्या एफ० 3(194)/63-एम०पी०]

नाथू राम, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

PUBLIC NOTICE

New Delhi, 5th December, 1981

S. O. 3311.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection for suggestion to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS

(A) The words "of minimum one acre plot" appearing after the words "the plot area limitation" in line 2 under the heading. Agricultural Belt. 10. use Zone A.I., at page 49 of the Master Plan shall be omitted.

(b) At page 59 of the Master Plan the table given under the heading II. "Agricultural Green Belt" & "Rural" Use Zone, be omitted and the following be added after the words, "They are as follows" :—

(i) The Minimum size of a form shall be as under :

(a) Orchard and vegetable farm : 1 hectare

(b) Poultry, Stud, Dairy and other livestock farms : 2 hectare

(ii) The maximum coverage & height of dwelling unit shall be as under :

Sl. No.	Size of farm	Maximum coverage of dwelling unit	Maximum height of dwelling unit
(a)	1 hectare & above but less than 2 hectares	100 sq. mts. (including mezzanine floor)	Single storeyed maximum height 6 mts.
(b)	2 hectares & above	150 sq. mts. (including mezzanine floor)	Single storeyed maximum height 6 mts.

2. A copy of the Master Plan incorporating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprashta Estate, New Delhi, on all working days, except a Saturday, within the period referred to above.

[No. F.3 (194)/63-MP]

NATHU RAM, Secy.

Delhi Development Authority

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर 1981

का० आ० 3312.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि०, डाकघर बेलमपल्ली, जिला आदिलाबाद के प्रबन्ध मंडल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए (निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री वी० प्रसाद राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

hereunder were published with notice No. F. 16|24|80-MP dated 25-7-1981 in accordance with the provision of the Section 44 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions as required by sub-Section 3 of Section 11-A of the said Act, within 30 days from the date of said notice;

And whereas the Central Government after considering the objections and suggestions received, has decided to make the said modification in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by said, Sub-section (2) of Section 11A of the said Act, hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan from the date of publication of this Notification in the Gazette of India, namely :

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 0.70 hectare (1.74 acres) falling in zone D-4 and surrounded by 'residential area' (Bangalow No. 8, Mahadeo Road and Bungalow No. 64, Ashoka Marg) in East, 36.6 mtrs. (120 ft) wide Ashoka Marg in North, 'Social and Cultural Institutional' use Vishwayatan Yoga Ashram) in West and 'residential Area' (segregated by 80 ft. wide Mahadeo Road) in South is changed from 'residential' to public & semi-public facilities' (Hospital-cum-Social and Cultural Institutions)."

[No. K-13011|25|80-DDIIA]

K. K. SAXENA, Desk Officer.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1982

का० आ० 200.—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि केन्द्रीय सरकार को निवर्तन हेतु वापिस करता है जो केन्द्रीय सरकार को आगे दिल्ली नगर निगम के जल सम्भरण एवं मल व्ययन संस्थान को आर०सी०सी० कुओं के निर्माण के लिये हस्तान्तित करने हेतु चाहिये।

अनुसूची

लगभग 6 बीघे और 12 बिसवे माप का भूमि खण्ड जो चिराग जनूबी में खसरा नं०-50 मिन में स्थित है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :—

उत्तर में : सड़क

दक्षिण में : खसरा नं०-50 मिन का कृषि क्षेत्र।

पूर्व में : —वही—

पश्चिम में : —वही—

[सं० टी०एन०-2(221)/73]

ह० (अपठनीय)

सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 7th January, 1982

S.O. 200.—In pursuance of the provisions of Sub-Section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority replaces at the disposal of the Central Government, the land described in the schedule below, which is required by the Government for further transfer to the Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi for the construction of R.C.C. Wells.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 6 bighas 12 biswas situated in Chiragh South bearing Kh. No. 50 min and bounded as under :—

North	Road
South	Cultivated field of Kh. No. 50 Min.
East	—do—
West	—do—

[No. TN. 2(221)|73]

(Sd.) Illegible

Secy. Delhi Development Authority

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1982

का० आ० 201.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना :—

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(ए) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत क्षेत्र जी :9— (मादीपुर) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(बी) उक्त अनुमोदित चित्र की प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण के इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली स्थित कार्यालय विकास मीनार में किसी भी कार्यशील दिवस को 11.00 बजे (पूर्वा०) से 3.00 बजे (अप०) तक के दौरान देखी जा सकती है।

[सं० एफ० 4 (18)/66-एम० पी०]

नाथूराम, सचिव,

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE

New Delhi, the 23rd January, 1982

S.O. 201.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957). Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have under Sub. Section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), approved the Zonal Development Plan for Zone G-10 (Madipur).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi-1 between the hours of 11 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[File No. F. 4(18)|66-MP]

NATHU RAM, Secy.

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 15th December, 1981

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 18.—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient site specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months notice of its intention to declare the said ancient site to be of national importance.

Any objection which may be received from any person interested in the said ancient site within a period of two months as specified above, after the issue of this notification, will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haryana	Hissar	Fatehabad	Banwali Sotra Village Hizrawan Kalan	Ancient site at Banwali Sotra comprised in survey plot Nos. 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 36/24, 36/25, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/14, 41/15/1, 41/15/2, 41/16, 41/17, 41/24, 41/25/1, 41/25/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/17, 42/18, 42/19/1, 42/19/2, 42/20, 42/21, 42/22/1, 42/22/2, 42/23 and 42/24.	Survey plot Nos. 35/21, 35/22. 35/23, 35/24, 36/24, 36/25,41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/14, 41/15/1, 41/15/2, 41/16, 41/17, 41/24, 41/25/1, 41/25/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/9,42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/17, 42/18, 42/19/1, 42/19/2, 42/20, 42/21, 42/22/1, 42/22/2, 42/23 and 42/24.	285 Kanal 06 Meral	North:—Survey plot No. 40. East:—Survey plot Nos. 35/25, 42/5, 42/6, 42/15, 42/16 and 42/25 South:—Survey plot Nos. 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 66/5/1, 66/5/2 and 66/4 West:—Survey plot Nos. 36/23, 41/3/2, 41/8, 41/13, 41/18 and 41/23.	Private	—

[No. 2/8/74-M]

D. MITRA, Director General and ex-Officio Jt. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वे एंड सैटलमैंट यूनिट-1)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1981

का० आ० 19.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं०-6(1) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, पुराना सचिवालय, दिल्ली-6 को हस्तांतरित करने के लिये भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटाने पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :—

अनुसूची

लगभग 26 बीघा, -8 बिस्वा (लगभग 5.5 एकड़) माप का भूमि खंड जो गांव मड़ोला (आदर्शनगर) स्थित है, जिसका ख : प्लाट नं० 262/258/217/4/3 मिन स्थल है और जो अधिसूचना सं० एस० ओ० 2190 दिनांक 20-8-74 का आंशिक भाग है।

उपर्युक्त भूमि खंड की सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

उत्तर में :—खाली भूमि नाजायज झुग्गी

दक्षिण में :—सड़क

पूर्व में :—आदर्श नगर कालोनी

पश्चिम में :—सड़क

[एफ० 9 (89)/76/जी० एस०/864-66]

ह० (अपठनीय), सचिव, दि०वि०प्रा०

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit-I)

New Delhi, the 15th December, 1981

S.O. 19.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi, for further transfer to the Directorate of Education, Delhi Administration, Old Secretariat, Delhi-6.

SCHEDULE

Piece of land measuring about Bighas. 26—8 Bis. (about 5.5 acres) situated in Village Bharuala (Adarsh Nagar) bearing Kh. No. 262|258|217|4|3 Min of Notification No. S.O. 2190 dated 20-8-1974.

The above piece of land is bounded as follows :—
North : Open land under unauthorised Jhuggies.
South : Road.
East : Adarsh Nagar Colony.
West : Road.

[No. F. 9(89)|76G.S.|ASO(I)|864-66]
Sd/-
Illegible Secy., Delhi Development Authority.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1981

का० आ० 20.—चलचित्र सेंसर (नियम), 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री के० जी० रामकृष्णन् जो 30-11-1981 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए थे, को 1-12-81 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के पद पर अस्थायी रूप से पुनर्नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या 802/25/81-एफ (सी)]
के० एस० वेंकटरामन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th December, 1981

S.O. 20.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952, (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government is pleased to re-employ Shri K. G. Ramakrishnan, an officer of the Central Information Service, who retired from Government service with effect from 30-11-81 (AN), as Regional Officer in the Central Board of Film Censors, Madras, in a temporary capacity for a period of one year from 1-12-81 (FN).

[F. No. 802|25|81-F(C)]
K. S. VENKATARAMAN, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1981

का० आ० 21.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टील अथारिटी आफ इंडिया के राउरकेला स्टील प्लांट के प्रबंध मंडल से संबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी जे० एम० महापात्रा होंगे जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया के राउरकेला स्टील प्लांट की कालटा आयरन और माइंस के प्रबंधतंत्र की उजरत पर काम करने वाले ऐसे कामगारों की जो कि खानों पर लागू होने वाले स्टैंडिंग आर्डरस के अधीन नियमित होने की अर्हतायें रखते हैं, नियमित न करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुरोध के हकदार हैं।

[सं० एन-26011/14/80-डी-III (बी)]
के०के० हाण्डा, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1981

S.O. 21.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govt. hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri J. M. Mahapatra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Kalta Iron Ore Mine of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India are justified in not regularising the piece rated workmen who have qualified to do so in terms of the Standing Orders applicable to the mines. If not, to what relief the workmen are entitled ?"

[No. L-26011|14|80-D.III.B]
K. K. HANDA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1981

का० आ० 22.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आंध्र बैंक, हैदराबाद के प्रबंध मंडल से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी० प्रसाद राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या आंध्र बैंक के प्रबंधमंडल की अपनी हैदराबाद शाखा के संबंध में श्री भावनारायसान, लिपिक, हैदराबाद शाखा को, जिन्हें 29-7-80 से निलंबित रखा गया है, निर्वाह भत्ते के संदाय के प्रयोजनार्थ विशेष भत्ता (की भत्ता) शामिल न करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल-12012/114/81-डी० II-ए]

ORDER

New Delhi, the 6th November, 1981

S.O. 22.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Andhra Bank, Hyderabad, and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

between the words "Section IIA of the said Act", and "hereby" insert the words "the Central Government".

(Hindi version of notification published on 23rd January, 1982 does not require modification).

[No. K-13011/25/80-DDIIA]
K. K. SAXENA, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1982

का. आ. 1028 :—केन्द्रीय सरकार, मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति में या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें ।

संशोधन :—"वर्तमान पालम हवाई अड्डे के दक्षिण में स्थित लगभग 1362.79 है. (3367.45 एकड़) भूमि का उपयोग "कृषि हरित पट्टी" एवं "ग्रामीण" उपयोग क्षेत्रों से बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भावी विस्तार हेतु "संचरण" किया जाना प्रस्तावित है ।"

उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय (मुख्य योजना अनुभाग), 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

[सं. एफ. 1(4)/67-मु. यो.]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 13th March, 1982

S.O. 1028.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring about 1362.79 Hects. (3367.45 acres), situated on the south of existing Palam Airport, is proposed to be changed from 'agricultural green belt' and 'rural' use zones to 'circulation' for the future expansion of International Airport."

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section) on 19th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 1(4)/67-MP]

का. आ. 1029 :—केन्द्रीय सरकार, मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें ।

संशोधन :

"नंगली पूना गांव के पास स्थित 5.42 है. (13.07 एकड़) क्षेत्र, जो पूर्व में 91.44 मी. (300 फुट) चौड़े जी. टी. मार्ग, दक्षिण में गांव खेड़ा कलां जाने वाली 30.48 मी. (100 फुट) चौड़ी सड़क, और उत्तर एवं पश्चिम में "कृषि हरित पट्टी" क्षेत्र से घिरा है, का भूमि उपयोग "कृषि हरित पट्टी" से बदल कर "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं" (हस्पताल) किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधन का मान चित्र निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

[सं. एफ. 13(2)/76-मु. यो.]
नाथूराम, सचिव

S.O. 1029.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring 5.42 Hect. (13.07 acres) located near Nangli Poona Village and surrounded by 91.44 M (300 ft.) wide G. T. Road in the East, 30.48 M (100 ft.) wide road leading to village Khera Kalan in the South and 'agricultural green' in the North and West, is proposed to be changed from 'agricultural green belt' to 'public and semi-public facilities' (Hospital).

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 13(2)/76-MP]
NATHU RAM, Secy.

(पुरातत्व)

का०आ० 1369—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) ता० 6 फरवरी, 1982 में पृष्ठ 495–500 पर प्रकाशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना का०आ० 456 ता० 22 जनवरी, 1982 में दिए गए स्थल मानचित्र में, संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की पूर्व तथा दक्षिण सीमाओं पर दर्शित "सर्वे. सं० 131/1" को "सर्वे० सं० 133/1" पढ़ा जाए।

[सं० 2/12/75—स्मा०]
देबला मित्र, महानिदेशक,
तथा पदेन संयुक्त सचिव

ARCHAEOLOGY

S.O. 1369.—In the notification of the Archaeological Survey of India S.O. No. 456 dated 22nd January, 1982 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 6th February, 1982 at pages 495-500 in the site plan "S. No. 131/1" on the East and South boundaries of the area proposed to be included under protection may be read as "S. No. 133/1".

[No. 2/12/75-M]
D. MITRA, Director General & Ex-Officio Jt. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

का०आ० 1370.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11-ए (3) के अन्तर्गत क्षेत्र ए-20 (न्यूदरिया गंज) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में नीचे लिखा संशोधन करने पर विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास मीनार "इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति या सुझाव भेजने वाले व्यक्ति अपना नाम एवं पता भी लिखें :—

संशोधन :

"क्षेत्र ए-20 (न्यू दरिया गंज) में पड़ने वाली लगभग 2090.32 वर्ग मी० (2500 वर्ग गज) भूमि जो घटा मस्जिद दरियागंज के उत्तर में स्थित है, का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक" (निकटवर्ती पार्क) से "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक" सुविधाएं (शैक्षणिक) में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है जिसके सम्बन्ध में शर्तें हैं कि (1) पुराने शहर की दीवार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (2) मस्जिद के वर्तमान प्लेटफार्म के पूर्वी पंक्तिकरण की ओर यदि कोई निर्माण किया गया तो ऊंचाई मस्जिद की वर्तमान कुर्सी की ऊंचाई से अधिक नहीं होगी।"

उक्त प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाले चित्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली में शनिवार को छोड़कर सभी कार्यशील दिवसों को उपलब्ध होगी।

[संख्या : एफ० 9(4)/77—एम०पी०]
नाथू राम सचिव

विकास मीनार
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली-1
दिनांक : 3 अप्रैल, 1982

DELHI DEVELOPMENT ANTHORITY

PUBLIC NOTICE

...S.O. 1370.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the zonal development plan for Zone A-20 (New Daryaganj) under section 11-A(3) of the Delhi Development Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :

MODIFICATION

"Land use of an area, measuring about 2090.32 sq. mt. (2500 sq. yds.), falling in Zone A-20 (New Daryaganj), in the north of Ghata Masjid, Daryaganj, is proposed to be changed from 'recreational' (neighbourhood park) to 'public and semi-public' facilities (educational) subject to the conditions that—(i) the old city wall will not be affected; (ii) construction if any, towards the eastern alignment of the existing platform of the Masjid is not to exceed the existing plinth height of the Masjid".

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturday, within the period referred to above.

[No. F. 9(4)/77-MP]
NATHU RAM, Secy.

Vikas Minar
Indraprastha Estate
New Delhi.
Dated, the 3-4-1982.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 मार्च 1982

का०आ० 1371.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1957 के नियम 34 के साथ पठित उसके नियम 9 के उपनियम (2) नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक-तार) की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 620 तारीख 28 फरवरी 1957 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) भाग—2—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" में "विदेशी डाकघर" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी अर्थात :—

SCHEDULE

Block No 1 & 2 Extension.

S No.	Mouza (Village)	Thana No.	Police Stn. (Thana)	District	Area in Acres.	Remarks
1.	Indkata	2	Kulti	Burdwan	287 Acres	Full
2.	Salanpur	27	,,	,,	93 ,,	Part
3.	Nakrajuria	26	,,	,,	14 ,,	Part

Total Area —394 Acres (Approx).
—160 Hectares (Approx).

BOUNDARY DESCRIPTION:

A—B—C—D Line passes along the perimeter of Mouza Indkata and meets at point 'D'.

E-F-G-H-I-J- Line passes along part of Mouza Nakrajuria, Mouza Salanpur and meets at Point 'J'.

[No. 19/31/82-CL]

SWARAN SINGH, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 26 जून, 1982

का० आ० 2482.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को, उक्त अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशाखापटनम डाक लेबर बोर्ड में सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

(1) अध्यक्ष, विशाखापटनम पत्तन न्यास, विशाखापटनम ।

(2) उपाध्यक्ष, विशाखापटनम डाक लेबर बोर्ड, विशाखापटनम

(3) संयुक्त प्रबंधक (पत्तन प्रचालन), भारतीय खाद्य निगम विशाखापटनम

(4) डाक प्रबंधक, विशाखापटनम पत्तन न्यास, विशाखापटनम

डाक कर्मकारों का प्रतिनिधिकरने वाले सदस्य :

(1) श्री एम० वी० भद्रम, (2) श्री एस०पी० परशुराम, (3) श्री जे० रामनायडु — विशाखापटनम हारबर एंड वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि

(4) श्री पी० एम० नायडु — पोर्ट खलासी यूनियन, विशाखापटनम का प्रतिनिधि ।

डाक कर्मकारों और नौवहन कंपनियों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

(1) श्री के गांधी रेड्डि, (2) श्री डी० बनर्जी — एसोसियेशन विशाखापटनम के प्रतिनिधि

(3) श्री जी पट्टाभिरमय्या — इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसियेशन का प्रतिनिधित्व

(4) श्री आर सी० बनर्जी — समुद्र पार नौवहन के हितों का प्रतिनिधि

2. केन्द्रीय सरकार, श्री टी० आर० प्रसाद, अध्यक्ष, विशाखापटनम पत्तन न्यास विशाखापटनम को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है ।

[फा० सं० लि० डी० वी०/6/82-यू०एस० एल]

तोमास मत्यू, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th June, 1982

S. O.2482.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Visakhapatnam Dock Labour Board established under sub-section (1) of the said section 5A, namely:—

Members representing the Central Government:—

(1) The Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

(2) The Deputy Chairman, Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

(3) The Joint Manager (Port Operations), Food Corporation of India, Visakhapatnam.

(4) The Docks Manager, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

Members representing the Dock Workers:—

(1) Shri M.V. Bhadram, (2) Shri S. Parasuram, (3) Shri J. Ramunaidu — Representatives of the Visakhapatnam Harbour and Port Workers' Union, Visakhapatnam.

(4) Shri P.M. Naidu — Representative of the Port Khalasis Union, Visakhapatnam.

Members representing the Employers of Dock Workers and Shipping Companies:—

(1) Shri K. Gangireddy, (2) Shri D. Banerjee — Representatives of the Visakhapatnam Stevedores Association.

(3) Shri G. Pattabhi Ramayya. — Representative of the Indian National Shipowners' Association.

(4) Shri R.C. Banerjee — Representative of the Overseas Shipping Interests.

2. The Central Government hereby nominates Shri T.R. Prasad, Chairman Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam as the Chairman of the said Board.

[File No. LDV/6/82-US(L)]

THOMAS MATHEW, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1982

का. आ. 2483.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिन्हें सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें ।जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दे, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें ।

संशोधन :

(1) "लगभग 21.043 हैक्टर (52 एकड़) भूमि, जो नरेला टाऊन के समीप स्थित है और अम्बाला जाने

वाली रेलवे लाईन के पश्चिम में पड़ती है, का भूमि उपयोग "कृषि हरित पट्टी" से बदल कर "व्यवसायिक (गोदाम एवं भण्डारन डिपो)." किया जाना प्रस्तावित है ।"

(2) "लगभग 21.043 हैक्ट. (52 एकड़) भूमि, जो घेवरा गांव के समीप स्थित है और रोहतक जाने वाली रेलवे लाईन के उत्तर में पड़ती है, का भूमि उपयोग "कृषि हरित पट्टी" से बदलकर "व्यवसायिक (गोदाम एवं भण्डारन डिपो)" किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के मानचित्र निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।

[संख्या एफ. 20(37)/80-एम. पी]

नाथू राम, सचिव,

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th July, 1982

S.O. 2483.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :

MODIFICATION :

(i) "The land use of an area measuring about 21.043 hects. (52 acres) located near Narela Town and situated on the West of Railway lines to Ambala is proposed to be changed from 'Agricultural Green Belt' to 'Commercial' (Warehousing and storage depots)'."

(ii) "The land use of an area measuring about 21.043 hects. (52 acres) located near Village Ghevra and situated on the North of Railway Lines to Rohtak is proposed to be changed from 'Agricultural Green Belt to 'Commercial (Warehousing and storage depots)'."

2. The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Eastate, New Delhi, on all working days except Saturday, within the period referred to above.

[No. F. 20(37)/80-MP]

NATHURAM, Secy.

Delhi Development Authority

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st June, 1982

S.O. 2484.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th June, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

Reference No. CGIT-19 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the Bombay Port Trust

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Mr. R. K. Shetty, Legal Adviser

For the B.P.T. General.—Mr. P. V. Datar, Secretary Works' Union

INDUSTRY : Ports & Docks STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 29th day of May, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by order No. L-31012/8/81-D. IV(A) dated 26th October, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the Bombay Port Trust, Bombay, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the management of Bombay Port Trust, Bombay are justified in deducting a sum of Rs. 766.72 from the wages for the month of October and November, 1977 of Shri Shirodkar, Motor Mechanic, applying the theory of "no work, no Pay"? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The facts giving rise to this Reference are briefly these. The workman Shirodkar a Motor Mechanic was working on a Crane known as 'Orton Rail Crane'. Some diesel Orton Cranes were operating in the docks for cargo handling in the old days. This particular crane, it was found was not suitable for cargo handling operations in the docks; it was sent to the Bombay Port Trust Workshops in 1966 where it was used occassionally in connection with repairs to barges, etc. In 1972, during repairs to barges on Workshop Slipways, an urgent need was felt for the use of the orton crane. The present workman Shirodkar, a Motor Mechanic, was asked to operate this crane whenever required. According to the employer—Bombay Port Trust (for shot B.P.T.) since the crane was operated only intermitently, no separate category of Crane Operator for this crane had been provided in the B.P.T. Workshops. The workman Shirodkar was required not only to operate this crane but also to attend to the maintenance of the crane also. The workman Shirodkar was put incharge of operating the crane and also to maintain it was given a fixed overtime allowance at the rate of 4 hours per day. The workman was operating and maintaining the crane from 1972 to 12th October 1977. He was getting overtime about 100 hours per month, while other Motor Mechanics of the same workshop were getting overtime about 50 hours per month on an average. It appears that this led to a complaint from another Union called the Bombay Port Trust Employees' Union. It alleged that exhorbitant overtime was allowed to the workman Shirodkar. The management decided therefore to train a few Drivers (Steam Roller) for operating the diesel orton crane and post one of them on the this crane. It appears that on 12th October 1977 the management issued an order to Shirodkar informing him that he should stop operating the orton crane and report bank for work in the Motorshop. This order was issued by the Superintending Engineer, Shri Apte. On 14th October, 1977, the Foreman, Motorshop asked Shirodkar to carry out certain repairs to this orton crane. According to the management, Shirodkar refused to do the work because he was stoped from operating crane. According to the management it was the duty of Shirodkar as a Motor Mechanic to do repaids and maintenance work on any crane, including the orton crane. Shirodkar persisted in his refusal to do any repairs work on the orton crane till 30th November, 1977. From 1st December, 1977, he agreed to do repairs/maintenance work on the orton crane. As Shirodkar did not obey the order of carrying out repairs to the orton crane his pay and allowance for 12 days in the month of October 1977 and 22 days in the month of November 1977 were deducted. The total amount deducted was Rs.

जांच अदालत 30 सितम्बर, 1982 तक अपनी जांच पूरी कर लेगी और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

जांच अदालत का मुख्यालय बम्बई में होगा ।

[फा० सं० एवी० 15013/5/82-ए]

एस० एकाम्बरम्, निदेशक

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 28th June, 1982

S.O. 2512.—Whereas on 22nd June, 1982 an Air India's Boing 707 aircraft VT-DJJ while operating scheduled flight AI-403 on the route Singapore-Kulala Lumpur-Madras-Bombay with 111 persons including 12 crew members, crashed at Bombay Airport during landing, resulting in the death of 17 persons;

And whereas it appears to the Central Government that it is expedient to hold a formal investigation into the circumstances of the said accident;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 75 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby directs that a formal investigations of the said accident be held.

The Central Government is further pleased to appoint Shri Justice P. B. Sawant, Judge of the High Court, Bombay, to hold the said investigation.

The Central Government is also pleased to appoint :—

(1) Shri S. Ramamritham,
(Retired) Director General of Civil Aviation.

(2) Capt. J. D. Jijna,
(Retired) Regional Director,
Indian Airlines

(3) Capt. K. C. Mehra,
Deputy Director (Operation),
Indian Airlines

(4) Capt. J. F. Ranji,
Director (Training),
Central Training Establishment,
Indian Airlines,
Hyderabad

to act as assessors to the said investigation.

The Court of Inquiry will complete its inquiry and make its report to the Central Government by 30th September, 1982.

The headquarters of the Court of Inquiry will be at Bombay.

[F. No. AV. 15013/5/82-A]

S. EKAMBARAM, Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली, 17 जुलाई, 1982

का.आ. 2513.—केन्द्रीय सरकार विस्तृत क्षेत्र डी-1 (कनाट प्लेस एवं इसका विस्तार) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है । इस प्रस्तावित संशोधन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :

"विस्तृत क्षेत्र डी-1 (कनाट प्लेस एवं इसका विस्तार) में "व्यवसायिक उपयोग (होटल)" हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र में से लगभग 0.921 हैक्ट. (2.227 एकड़) भूमि, जो उत्तर में "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं (ईस्टर्न कोर्ट कम्पलेक्स)" और सामने जनपथ (45.72 मी. चौड़ा मार्ग) से घिरी है, का भूमि उपयोग "व्यवसायिक (होटल)" से बदलकर "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं (केन्द्रीय तार कार्यालय)" किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़ कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

विकास मीनार, [संख्या एफ. 20(8)/79-एम.पी.]

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नाथू राम, सचिव

नई दिल्ली । दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक : 17-7-1982

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

Delhi, the 17th July, 1982

S.O. 2513.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Zonal Development Plan for Enlarged Zone D-1 (Connaught Place and its extension) is hereby published for public information. Any person having objection or suggestion with respect of the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Eastate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. the person making the objection or suggestion should also give his name and address :

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring about 0.921 Hec. (2.227 acres), out of the area earmarked for 'Commercial' use (Hotel) in the Enlarged Zone D-1 (Connaught Place and its extension), located in the south of 'Public & Semi-public facilities' (Eastern Court Complex) and fronting on Janpath (45.72 metre wide road), is proposed to be changed from 'Commercial' (Hotel) to 'Public & Semi-public facilities' (Central Telegraph Office)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

Vikas Minar NATHU RAM, Secy.

Indraprastha Estate Delhi Development Authority.
New Delhi.
DATED, the 17-7-1982.

Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Creamery Butter Grading & Marking (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Creamery Butter Grading and Marking Rules, 1941 :—

(i) In rule 6.—

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) Net weight of butter contained at the time of packing which shall be the standard packages, namely, 10 gm, 25 gm, 50 gm, 100 gm, 200 gm, 250 gm, 500 gm, 1 Kg. 2 Kg. 5Kg. and thereafter in multiples of 5 Kg."

(b) After clause (d), the following clause (e) shall be inserted, namely :—

"(e) Fat content percentage."

(ii) In Schedule I,—

(a) Under the heading General Characteristics, in column 3, in item (e), for the figures and letter "60°F", the figures and letter "15°C" shall be substituted.

(b) under column 3, after item (i), the following item shall be inserted, namely :—

"(j) Clean dairy salt when added shall not exceed 3 per cent by weight."

[No. F. 13-11/77-AM]

RAM SINGH, Under Secy.

संचिहन और परिवहन मंत्रालय

(व्यापार नौवहन)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982

का०आ० 2889—व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर०डी० प्रधान भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्थान पर 19 जून, 1982 अपराह्न से श्री बी०के० राव भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए पी 54) को नौवहन महानिदेशक, बम्बई के पद पर नियुक्त करते हैं।

[सं० एस डब्ल्यू/1-एमडीएस(4)/82-एम ए]

एस०एन० कक्कड़, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 31st July, 1982

(Merchant Shipping)

S.O. 2889.—In exericse of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby appoints with effect from the afternoon of 19th June, 1982, Shri B. K. Rao, I.A.S. (AP : 54) as Director General of Shipping, Bombay vice Shri R. D. Pradhan, I.A.S.

[No. SW/1-MDS(4)/82-MA]

S. N. KAKAR, Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 14 अगस्त, 1982

का. आ. 2890.—केन्द्रीय सरकार क्षेत्र डी-5 डी. आई. जैड. क्षेत्र) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संशोधन :

क्षेत्र डी-5 में पड़ने वाले 1.17 हैक्ट. (2.895 एकड़) क्षेत्र (डी.आई.जैड. क्षेत्र) जो 26 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी के रूप में है और 45.72 मीटर चौड़े मुख्य योजना मार्ग (मार्केट रोड) के पश्चिमी ओर है और आवासीय उपयोग भूमि (हैदलाक स्क्वायर पूछताछ कार्यालय और नई दिल्ली नगर पालिका क्वार्टर्स को जाने वाली 13.72 मीटर चौड़ी सड़क) के बीच में है, का भूमि उपयोग "आवासीय उपयोग" से "सांस्थानिक उपयोग" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन का चित्र उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि.वि.प्रा. के कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 20/2/82-एम. पी.]

नाथू राम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14eth August, 1982

S.O. 2890.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Zonal Development Plan for Zone D-5 (D. I. Z. Zone) is hereby published for public information. Any person having any objection or

suggestion with respect to the proposal modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATION :

"Land use of an area, measuring 1.17 hects. (2.895 acres), falling in zone D-5 (D. I. Z. Area) in the form of a 26 metres wide strip of land, along the western side of 45.72 metres Master Plan road (Market Road), in between the 'Residential' land use' (Havelock Square Enquiry Office and 13.72 metres wide Road leading to New Delhi Municipal Committee quarters), is proposed to be changed from 'Residential' use to 'Institutional use'."

The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturday, within the period referred to above.

[No. F. 20(2)/82-M. P.]
NATHU RAM, Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1982

का०आ० 2891.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, आकाशवाणी के निम्नलिखित केन्द्रों/कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है :—

1. हाई पावर ट्रांसमीटर, आकाशवाणी, खामपुर, दिल्ली ।
2. सिविल निर्माण स्कन्ध, आकाशवाणी, लखनऊ ।
3. आकाशवाणी पत्रिका समूह, नई दिल्ली ।
4. आकाशवाणी, सूरतगढ़ ।
5. आकाशवाणी, बड़ोदरा ।
6. आकाशवाणी, जलंधर ।
7. आकाशवाणी, नागपुर ।
8. सिविल निर्माण स्कन्ध, आकाशवाणी, बम्बई ।
9. नभोवाणी, आकाशवाणी, अहमदाबाद ।
10. आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम ।
11. विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, हैदराबाद ।

[(संख्या ई-11011/5/82-हिन्दी]
इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st July, 1982

S.O. 2891.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following stations/offices of All India Radio, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. High Power Transmitter, A.I.R., Khampur, Delhi.
2. Civil Construction Wing, A.I.R., Lucknow.
3. Akashvani Group of Journals, New Delhi.
4. A.I.R. Suratgarh.
5. A.I.R., Vadodra
6. A.I.R. Jullunder.
7. A.I.R., Nagpur.
8. Civil Construction Wing, A.I.R. Bombay.
9. Nabhovani, A.I.R., Ahmedabad.
10. A.I.R., Trivandrum.
11. Commercial Broadcasting Service, A.I.R., Hyderabad

[No. E. 11011/5/82-Hindi]
J. B. KARN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1982

का०आ० 2892.—स्थायी आदेश सं० 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने हिमारी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-8-82 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-11/82-पी०एच०बी०]
आर०सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 28th July, 1982

S.O. 2892.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16th August, 1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in HEMARI (CBM) Telephone Exchange West Bengal Circle.

[No. 5-11/82-PHB]
R. C. KATARIA, Asstt. Director Genl. (PHB)

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1982

का०आ० 2893.—निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के बन्दोबस्त विंग में बन्दोबस्त अधिकारी, श्री मदन लाल को उनके अपने कार्य-भार के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उप महा-अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए तत्काल प्रभाव से उप महा-अभिरक्षक निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है ।

इससे भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 24-11-1981 की अधिसूचना सं० 1(2)/विशेष सैल/81 एस एस-2(सी) का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(12)/विशेष सेल/82-एस एस-2/(क)]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 19th July, 1982

S.O. 2893.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Madan Lal, Settlement Officer, in the Settlement Wing in the Department of Rehabilitation, as Deputy Custodian of Evacuee Property, in addition to his own duties, for the purposes of performing the functions assigned to such Deputy Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

के लिए बम्बई पत्तन पर (नाविक नियोजन बोर्ड) (विदेशगामी) की एतद्-द्वारा नियुक्ति करते हैं जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. नौवहन महानिदेशक 2. नौवहन उप महानिदेशक नाविक नियोजन के प्रभारी 3. श्रम आयुक्त, बम्बई 4. नाविकपाल, बम्बई 5. निदेशक नाविक नियोजन कार्यालय, बम्बई 6. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी बम्बई	सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
7. कप्तान एम०एम० कोरेरा 8. श्री के० एन० दलाल 9. श्री टी०एस० नारायन 10. श्री के०एस० भण्डारकर	पोतस्वामियों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
11. श्री डी० एस० कुमाना 12 कमोडोर एल०के० शर्मा	
13. डा० लि०ओ० बरंस 14. श्री याकुब एम० सेरंग 15. श्री यू०एम० अल्मेडा 16. श्री एम० मोइदू 17. श्री एम०टी० जोसेफ 18. श्री ई० प्रभाकरन	नाविकों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

नौवहन महानिदेशक और नाविक नियोजन कार्यालय, बम्बई के प्रभारी नौवहन उप महानिदेशक उक्त बोर्ड के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। निदेशक, नाविक नियोजन कार्यालय, बम्बई उक्त बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे।

[सं० 25(1) सी०आर०ए०/79]

भा० कू० पवार,
नौवहन उप महानिदेशक

(Directorate General of Shipping)

Bombay the 13th August, 1982

MERCHANT SHIPPING

S.O. 2291.—In exercise of the powers conferred by sub-Rule (i) of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Bombay) Rules, 1954, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. MSF(6)/77-MT, dated the 13th June, 1977 the Director General of Shipping hereby appoints Seamen's Employment Board (Foreign Going) at the Port of Bombay for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, consisting of the following members, namely:—

1. The Director General of Shipping 2. The Deputy Director General of Shipping, Incharge of the Seamen's Employment 3. Labour Commissioner, Bombay. 4. The Shipping Master, Bombay. 5. The Director, Seamen's Employment Office, Bombay. 6. The Port Health Office, Bombay.	Members Representing Government.
7. Capt. M. X. Corera. 8. Shri K. N. Dalal. 9. Shri T. S. Narayan. 10. Shri K. S. Bhandarkar.	Members Representing Shipowners.
11. Shri D.S. Dumana. 12. Comdr. L.K. Sharma. 13. Dr. Leo Barnes. 14. Shri Yakub M. Serang. 15. Shri U.M. Almeida. 16. Shri M. Moidoo 17. Shri M. T. Joseph. 18. Shri E. Prabhakaran.	Members Representing Seamen.

The Director General of Shipping and Deputy Director General of Shipping incharge of the Seamen's Employment Office, Bombay shall respectively be the Chairman and the vice Chairman of the aforesaid Board. The Director, Seamen's Employment Office, shall be member-Secretary of the aforesaid Board.

[No. 25(1) CRA/79]

B.K. PAWAR, Deputy Director General of Shipping.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

का०आ० 2992—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 57 के अन्तर्गत बनाए गए डी०डी०ए० (मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल आफ हाउसिंग इस्टेट्स) रेगुलेशन्स 1968 के रेगुलेशन 4 द्वारा उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण, सहायक निदेशक, पट्टा प्रशासन (आवास) को उक्त रेगुलेशन्स के अन्तर्गत किए जाने वाले सभी अनुबन्धों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[सं० एफ 1(17)/82-एल ए बी (एच)]

नाथू राम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 31st May, 1982

S.O. 2992.—In exercise of the power vested in him under Regulation 4 of the D.D.A. (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations 1968 framed under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Vice-Chairman, Delhi Development Authority, authorises, Assistant Director Lease Admn. (Housing) to execute all agreements made under the said Regulations.

[No. F. 1(17)/82-LAB(H)]

NATHU RAM, Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982

का०आ० 2993—स्थायी आदेश सं० 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बोम्मानी बानागनाकानि, ओक, अत्माकुर, बलगोडे, बन्दि अत्माकुर में टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-6/82-पी एच बी पी टी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 10th August, 1982

S.O. 2993.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-9-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vommangi, Banaganapalli, OWK, Atmakur, Velgode, Bandi Atmakur Telephone Exchanges Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/82-PHB(Pt.)]

का०आ० 2994.—स्थायी आदेश सं० 627, दिनांक 10 अगस्त, 1982, 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने, कावालम, पुलिकन्नु, मुड्डार, चंपकुलम, रामंकरि, कोतुनचेरी, टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-10/82-पी एच बी]

S.O. 2994.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-9-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Pulincunnu, Ramangary, Kalvalam, Champakulam, Mutiar & Kozhencherry Telephone Exchanges, Kerala Circle.

[No. 5-10/82-PHB]

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1982

का०आ० 2995.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानिदेशक ने अन्डिपति टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-4/82-पी०एच०बी०]

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 2995.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-9-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Aundipatti Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/82-PHB]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1982

का०आ० 2996.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कोलन्नेरी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-10/82-पीएचबी]

आर०सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी०)

New Delhi, the 19th August, 1982

S.O. 2996.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-9-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kolencherry Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-10/82-PHB]

R.C. KATARIA Assistant Director General (PHB)

(भारतीय डाक तार विभाग)

मंडल इंजीनियर, तार का कार्यालय, पालक्काड

पालक्काड, 13 मई, 1982

का०आ० 2997.—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण में मैं ए० परमेश्वरन, मंडल इंजीनियर, तार, पालक्काड एतद्द्वारा श्री पेन्यू जोसफ, टेलीफोन आपरेटर, टेलीफोन केन्द्र, आलत्तूर की सेवाएं तत्काल समाप्त करता हूं और निदेश देता हूं कि वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले जिस दर पर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता था उस दर पर, यथास्थिति, नोटिस की अवधि तक का या ऐसा नोटिस एक महीने से जितने दिन के लिए कम पड़ता है उतने दिन तक का भत्ताओं सहित वेतन का दावा करने के लिए हकदार होगा ।

[सं० एक्स/82/टी०-एम-एन/4]

(INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT)

(Office of the Divisional Engineer Telegraphs, Palghat)

Palghat, the 13th May, 1982

Order of termination of service issued under the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 :—

S.O. 2997.—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, A. Parameswaran, Divisional Engineer, Telegraphs, Palghat hereby terminate forthwith the services of Shri Mathew Joseph, Telephone Operator, Alathur Exchange and direct that he shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

[Memo. No. X/82/TMN/4]

का०आ० 2998.—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण में मैं ए० परमेश्वरन, मंडल इंजीनियर, तार, पालक्काड एतद्द्वारा श्री० वी० साजन, टेलीफोन आपरेटर, टेलीफोन केन्द्र, आलत्तूर की सेवाएं तत्काल समाप्त करता हूं और निदेश देता हूं कि वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले जिस दर पर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता था इस दर पर यथास्थिति नोटिस की अवधि तक का या ऐसा नोटिस एक महीने से जितने दिन के लिए कम पड़ता है उतने दिन तक का भत्ताओं सहित वेतन का दावा करने के लिए हकदार होगा ।

[सं० एक्स/82/टी-एम-एन/2]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 23rd September, 1982

NOTIFICATION

F. 9(52)/79-PB-I.—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with sub-rule (4) of rule 3 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority, hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following Regulations relating to the method of recruitment to the post of Commissioner (Planning) in the Delhi Development Authority namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These Regulations may be called the Delhi Development Authority, Commissioner (Planning) (Recruitment) Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. 5 to 12, of the said Schedule.

4. Disqualifications:—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post; provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Regulations.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxation of age limit or other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment.
1	2	3	4	5	6	7
Commissioner (Planning)	1* *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 2000-125/2-2250	Selection	Preferably below 50 years (relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government).	Essential : (i) Post Graduate Degree in Town/City/Urban Planning from a recognised University/ Institution or equivalent. (ii) Degree in Architecture from recognised University/ Institution or equivalent or Degree in Civil or Municipal Engineering from recognised University/Institution or equivalent. (iii) At least 18 years experience in a planning Office in a responsible capacity (Relaxable in case of candidates otherwise well qualified). Desirable : Fellow membership of the Institute of Town Planners (India) or equivalent.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of deputationists.	Period of Probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by deputation/transfer grades from which deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its constitution.
8	9	10	11	12
Age : No Qualifications and experience : Yes	2 years	By transfer on deputation, promotion failing which by direct recruitment.	By transfer on deputation of officers holding:— (i) Analogous post. (ii) Post in the scale of Rs. 1800-2000 with two years service in the grade. (iii) Post in the scale of Rs. 1500-2000 with five years service in the grade. Under the Central or State Govt. or development/Planning Authorities and possessing qualifications prescribed for the post of Commissioner (Planning); the Director (Planning)/Chief Architect in the Delhi Development Authority with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis will also be eligible to be considered and if the departmental officers mentioned above is selected for appointment to the post it will be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	(i) Vice Chairman DDA. —(Chairman). (ii) Finance Member, DDA —(Member). (iii) One expert on Plg. to be nominated by Min. of W&H. —(Co-opted (Member) (iv) Secretary, DDA —(Member) (v) Dir. (Personnel), DDA —(Member)

A.K. PAITANDY, Director (Personnel)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

और

नेशनल कोलियरी मजदूर संघ (इंटक) धनबाद के बीच औद्योगिक विवाद के मामले में जो श्री हरिहर सिंह को पदनाम में अभिकथित अवैध परिवर्तन करने तथा वैध वेतनमान न देने के बारे में है, जो बी०सी० सी०एल० के कटरास एरिया के कार्यालय में काम कर रहा है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन में उपर्युक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिये अपनी सहमति देता हूं ।

ह०/-
(श्याम कृष्णा)
उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय),

तारीख 23-9-1982

[सं० एल -20013/II/82-डी० 3(ए)]
ए०वी०एस० शर्मा, डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 30th October, 1982

S.O.3771—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Katras Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad and their workmen represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad;

AND Whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitartion agreement;

NOW therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Governm ent hereby publishes the said agreement which was received by it on the 13th October, 1982.

AGREEMENT

(under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Between

Name of the parties:

Representing employers: Dr. S.K. Ghosh, General Manager, Bharat Coking Coal Ltd., Katras Area, Sijua, District Dhanbad.

Representing workman: Shri G.D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sang, Dhanbad.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri Shyam Krishna, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi:

(i) *Specific matters in dispute:* Whether the managem ent of Katras Areas of Bharat Coking Coal Limited are justified in changing the designation of Shri Harihar Singh from Loading Supervisor/Inspector to Loading Clerk in January, 1975 and whether they are justified in deny ing him the pay scale of Clerical Grade instead of Clerical Grade II. If not, to what relief is the workman entitled and from what date ?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved: The General Manager, M/s Bharat Coking Coal Limited, P.O. Sijua, District Dhanbad.

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute, or the name of the union if any representing the workman in question: Shri Harihar Singh, Clerk Grade II-Union Shri G.D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC).

We further agree that the majority decisions of the Arbitrator(s) be binding on us. The Arbitrator shall made his awa rd within a period of six months from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the appropriate Government or within such further time as extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to the arbitra tion shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties:
Sd/- Dr. S.K. Ghosh
Representing employer

Sd/-G.D. Pandey
Representing workman

Witnesses:

(1) Sd/-

(2) Sd/-

I hereby give my consent to act as Arbitrator under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute.

Sd/- Shyam Krishn a

D/23-9-1982 Deputy Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi

[No L-20013/11)/82-D.III(A)]
A.V.S. SARMA, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 1982

का० आ० 3772—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद् द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इन प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवम् पूरा पता लिखें।

संशोधन :

क्षेत्र डी-9 (सैन्ट्रल विस्टा जोन) में स्थित लगभग 3.66 हैक्टर (9.09 एकड़) क्षेत्र (भूखण्ड सं०-115), जो पश्चिम में 36.57 मीटर चौड़े पंडित पंत मार्ग, दक्षिण-पूर्व में लोक सभा भवन भूखण्ड तथा पूर्व में 60.96 मीटर चौड़े सालकटोरा मार्ग से घिरा है; का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक" उपयोग से बदलकर (निर्माण एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-21023/26/66/यू० डी० 1/जी खण्ड-3 दिनांक 10-9-1981 द्वारा अधिसूचित) "सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालय" किया जाना प्रस्तावित है"।

"2. उक्त अवधि के दौरान आक्षेप को छोड़कर और सभी कार्यालय दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के चित्र निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

[संख्या-एफ० 20 (12)/79-एम० पी०]

आठिल

सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

टिप्पणी:

यह सार्वजनिक सूचना सं० एफ० 20 (12)/79-एम० पी० दि० 25-9-82 जो भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड-3 उपखण्ड (2)/ के अंक दि० 25-9-82 में प्रकाशित हुई है के स्थान पर है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 3772.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of the area (plot No. 115), measuring about 3.66 hect. (9.09 acres) falling in zone D-9, (Central Vista Zone) bounded by 36.57 metres wide Pandit Pant Marg on the west, Lok Sabha Bhavan Plot on the South -east and 60.96 metres wide Talkatora Road on the east, is proposed to be changed from 'Recreational' use (notified vide Govt. of India, Ministry of Works and Housing notification No. 21023/26/66/UDI/IIA Vol. III dated 10-9-81) to 'Government and Semi-Government Offices."

2. The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturday, within the period referred above.

[No. F. 20(12)/79-M.P.]

Sd/- Illegible, Secy,

Delhi Development Authority.

NB : This is in supersession of public notice No. F. 20(12)/79-MP dated 25-9-82 published in the issue of the Govt. of India Gazette dated 25-9-82 Part II—Section 3—Sub-section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

का०आ 3974.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इन प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संशोधन :

(1) "क्षेत्र डी-4 (संसद मार्ग) के "आवासीय उपयोग" हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र में से लगभग 1.62 हैक्ट० (4 एकड़) क्षेत्र, जो बाल यातायात पार्क के रूप में जाना जाने वाले मनोरंजन क्षेत्र के पूर्व में स्थित है (जो 23.16 मी० चौड़े बंगला साहब लेन से पृथक होता है) और अधिसूचना सं०के-12014/3/77-यू० डी०-1(ए) दिनांक 2 जनवरी, 1979 द्वारा अधिसूचित है और उत्तर में (मार्गाधिकार सहित 45.72 मी० चौड़े) बाबा खड़क सिंह मार्ग के सामने पड़ता है, का भूमि उपयोग बदलकर "राजकीय कार्यालय" (एयर इण्डिया एवं आई० ए० सी०) किया जाना प्रस्तावित है।"

(2) "क्षेत्र डी-4 (संसद मार्ग) में पड़ने वाले 'संचरण' (पार्किंग) हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र में से लगभग 0.8 हैक्टर (0.5 एकड़) क्षेत्र जिसके उत्तर-पश्चिम में (मार्गाधिकार सहित 45.72 मी० चौड़ा) बाबा खड़क सिंह मार्ग है और दक्षिण और पश्चिम में आवासीय उपयोग है, का भूमि उपयोग बदलकर 'सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं' (पुलिस चौकी) किया जाना प्रस्तावित है।"

(3) "क्षेत्र डी-4(संसद मार्ग) में पड़ने वाले "संचरण" (पार्किंग) हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र में से लगभग 511 वर्ग मी० (611 वर्ग गज) क्षेत्र जिसके सामने (मार्गाधिकार सहित 45.72 मी० चौड़ा) बाबा खड़क सिंह मार्ग है, का भूमि उपयोग बदलकर "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं (पेट्रोल पम्प) किया जाना प्रस्तावित है।"

(4) "क्षेत्र डी-1 (कनाट प्लेस एवं इसका विस्तार) में पड़ने वाले लगभग 0.39 हे० (0.97 एकड़), क्षेत्रफल जो वर्तमान एम्पोरियम (भूखण्ड संख्या 16-17) के बीच में स्थित है और (मार्गाधिकार सहित 45.72 मी० चौड़े) बाबा खड़क सिंह मार्ग के सामने पड़ता है, का भूमि उपयोग "संचरण' (पार्किंग) से बदलकर "व्यावसायिक" (एम्पोरिया) किया जाना प्रस्तावित है।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़ और सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के चित्र निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

[संख्या एफ० 3(43)/82-एम० पी०]

ह०/- सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

S.O. 3974.—The ffllllowing modifications, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modificatins may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

(i) "The land use of an area measuring about 1.62 hect. (4 acres) falling in Zone D-4 (Sansad Marg), out of the area earmarked for 'Residential' use' and located in the east of Recreational area' known as Children Traffic Park (segregated by 23.16 metre wide Bangla Sahib Lane and notified vide Notification No. K-12014|3'77-UDI (A) dated 2nd January, 1979) and fronting on Baba Kharak Singh Marg (45.72 metre R/W) on the North, is proposed to be changed to Government Offices" (Air India & IAC)."

(ii) "The land use of an area measuring about 0.8 hect. (0.5 acres) falling in Zone D-4 (Sansad Marg), out of the area earmarked for 'Circulation' (Parking) and bounded by Baba Kharak Singh Marg (45.72 metre) R|W on the North-West and 'Residential' area on the South and West, is proposed to be changed to 'Public and Semi-Public facilities' (Police Post)."

(iii) "The land use of an area measuring about 511 sq.M. (611 sq. yds.) falling in Zone D-4 (Sansad Marg), out of the area earmarked for 'Circulation' (Parking) and fronting on Baba Kharak Singh Marg (45.72 metre R|W) is proposed to be changed to 'Public and Semi-Public facilities (Petrol Pump)".

(iv) "The land use of an area measuring about 0.39 hect. (0.97 acres) falling in Zone D-I (Connaught Place and its extension), located in between the existing emporia (plot Nos. 16-17) and fronting on Baba Kharak Singh Marg (45.72 metres R|W) is proposed to be changed from 'Circulation' (Parking) to 'Commercial' (Emporia)".

2. The plans indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, with the period referred to above.

[No. F. 3(43)/82-M.P.]

Sd/-

Secy. Delhi Development Authority.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

प्रयोग करतेहुए भारतसरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय (निर्माण आवास और शहरी विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3911 तारीख 17 दिसम्बर, 1969 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तंभ (1) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी

"उप निदेशक (प्रशासन)
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान
शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़।"

[फा० सं० 12013(6)/78 वल्यूम II]
आर०एस० सूद, उपनिदेशक

(Directorate of Estate)

New Delhi, the 27th November, 1982

S.O. 221.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (No. 40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works and Housing and Urban Development) No. S.O. 3911 dated the 17th September 1969, namely :—

In the Table appended to the said Notification for the entry in column (1) the following entry shall be substituted "Deputy Director (Administration) Postgraduates Institute of Medical Education and Research, Chandigarh."

[F. No. 12013(6)/78-Vol. II]
R. S. SOOD, Dy. Secy. Estates

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1983

का०आ० 222.—बंगला साहिब रोड क्षेत्र के पुनर्विकास प्रारूप को प्रकाशित कराने एवं तैयार किये जाने हेतु दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा-10(1) जिसे दिल्ली विकास नियम, 1959 (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) के नियम 5 तथा 15 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत नोटिस।

1. (ए) बंगला साहिब रोड क्षेत्र के पुनर्विकास का एक प्रारूप तैयार किया गया है तथा

(बी) उक्त प्रारूप की एक प्रति नीचे लिखे कार्यालयों में शनिवार को छोड़कर सभी कार्यशील दिनों में 11.00 बजे (पूर्वा०) से 3.00 बजे (अपरान्ह) तक और नीचे पैरा-3 में दी गई तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय-विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
(2) नई दिल्ली नगर पालिका कार्यालय, टाउन हाल, नई दिल्ली।
(3) दिल्ली नगर निगम कार्यालय, टाउन हाल, नई दिल्ली।
(4) कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, दिल्ली केन्ट बोर्ड, दिल्ली केन्ट-10

2. बंगला साहिब रोड क्षेत्र के पुनर्विकास प्रारूप के संबंध में एतद्द्वारा आपत्ति या सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं।

3. आपत्ति या सुझाव दिनांक 30-1-1983 तक सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें।

4. जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दे, वह अपना नाम एवं पता लिखें।

[सं० एफ 16(46)/80-एम०पी०]
नाथूराम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st January, 1983

S.O. 222.—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft Redevelopment of Bangla Sahib Road Area.

1. (a) a draft of the Redevelopment of Bangla Sahib Road Area has been prepared; and

(b) a copy thereof will be available for inspection at the following offices between the hours of 11.00 a.m. and 3 p.m. on all working days except Saturdays, till the date mentioned in para 3 hereafter.

(i) Office of the Delhi Development Authority Delhi Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi.

(ii) Office of the N.D.M.C., Town Hall, New Delhi.

(iii) Office of the M.C.D. Town Hall, Delhi.

(iv) Office of the Executive Officer, Delhi Cantt. Board, Delhi Cantt-10.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to the draft Redevelopment of Bangla Sahib Road Area.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi by the 30th January, 1983.

4. Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F. 16(46)/80-MP]
NATHU RAM, Secy.

1074.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Markazi Maktaba Islami, 1353, Chitli Gabar, Delhi-110006, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(26)/83-PF. II]

New Delhi, the 29th January, 1983

CORRIGENDUM

S.O.1075.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 386, dated the 16th January, 1982 published at page 428 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30th January, 1982 in line 4, for 'Fileco' read 'Filco'.

[No. S. 35018(16)/81-PF. II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1983

का०आ० 1076.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, । दिल्ली ~~विकास~~ प्राधिकरण, ~~विकास~~ मीनार इन्द्रप्रस्थ-इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

"लगभग 1.73 हैक्ट० (4.286 एकड़) का क्षेत्र जो क्षेत्र एफ-11 (इंजीनियरिंग कालेज) में पड़ता है और जो "कुतब होटल कामप्लेक्स" के नाम से प्रसिद्ध है तथा 30.48 मीटर (100 फुट) चौड़े मार्ग के दक्षिण में स्थित है, का भूमि उपयोग "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं" (सांस्थानिक) से बदल कर "व्यावसायिक" (होटल) में किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के नक्शे निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे ।

[सं० एफ० 10(7)/76-एम०पी०]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 12th February, 1983

S.O. 1076.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 1.73 hects. (4.286 acres) falling in Zone F-11 (Engineering College) known as 'Qutab Hotel Complex' and located in the south of 30.48 mtrs. (100 ft. wide) road, is proposed to be changed from 'Public and Semi-Public Facilities' (Institutional) to 'Commercial' (Hotel)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[F. 10(7)/76-M.P.]

का. आ. 1077.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

धारा-ए (मुख्य योजना के मूल पाठ के क्षेत्रीय विनियम अध्याय-2) में लिखित पैरा-5 जो "उपयोग क्षेत्रों में आवश्यकताओं से सम्बन्धित व्यवस्थाएं" के शीर्षक के अन्तर्गत है, तथा जिसमें क्षेत्रीय व उप-खण्ड सम्बन्धी विनियमों का वर्णन है ।

1. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 55 पर बाईं ओर के नोट (3) जिसे अधिसूचना संख्या के-12014/6/75-यू०डी०1 डी०डी० 2ए (आयातन-3) दिनांक 29-10-82 द्वारा संशोधित किया गया था, के बाद उसमें निम्नलिखित नोट (4) जोड़ा जाना है :—

"(4) धनता की गणना हेतु बरसाती मंजिल को आवासीय इकाई के रूप में माना जाएगा ।"

2. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ -57 पर दाईं ओर (डी) भूखण्ड का अभिमुख, के ऊपर पैरा (1) के उप-पैरा (सी) के अन्तिम पैरा की पहली एवं तीसरी पंक्तियों में क्रमशः 25 तथा 500 की संख्याओं के स्थान पर अब क्रमशः 50 तथा 1000 किया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों सहित मुख्य योजना की प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी ।

[सं० एफ० 3(154)/67-एम०पी०]

नाथू राम सचिव,

S.O. 1077.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion to the proposed modifica-

tions may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

In paragraph (5), entitled 'Provision Regarding requirements in use zones' occuring in Section (A), (Zoing Regulations-Chapter II of the text of Master Plan), dealing with the zoning and sub-division regulations.

1. At page 55, left hand side of the Master Plan for Delhi, after note (3) amended vide notification No. K-12014/6/75-UDI/DDIIA (Col. III) dated 29-10-82, the following note (4), shall be inserted namely :

(4) "For the purpose of density calculation, [illegible] Floor shall be reckoned as a dwelling unit".

2. "At page-57, right hand side of the Master Plan for Delhi, last para of sub-part (c) of para (i) above (d) frontage of plots, the figures of 25 and 500 occuring in the first and third line respectively are proposed to be substituted by 50 and 1000 respectively".

A copy of the Master Plan incorporating the proopsed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(154)/67-M.P.]

NATHU RAM, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

2. In the Honey Grading And Marking Rules, 1970,—

(a) in rule 5, in sub-rule (3), after the words "shall be", the figures and word "10 gms", shall be inserted;

(b) In Schedule I,—

(i) against grade designation "Grade A", in column 9, for the entry "0.90", the entry "0.95" shall be substituted;

(ii) against grade designation "Standard", in column 9, for theentry "0.90", the entry "0.95 shall be substituted.

[No. F. 10-1/82-AM]

B. D. TEKRIWAL, Director (Marketing)

Note :

1. First amendment was published under the notification No. F. 13-10/75-AM dated 30-9-1977 of the Ministry of Agriculture and Irrigation as S.O. 3320, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 22-10-1977.

2. Second Amendment was published under the notification No. 10-15/79-AM dated 24-10-1981 of the Ministry of Rural Reconstruction, as S.O. 3124 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 14-11-1981.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1983

का० आ० 1433—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली के लिए वृहद योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61 वां) के खण्ड 44 के अनुसार दिनांक 17 जुलाई, 1982 के नोटिस सं० एफ० 20 (8)/79-एम० पी० द्वारा प्रकाशित किये गये, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (3) में अपेक्षित/सुझाव इस नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किये गये थे।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त संशोधनों के बारे में आक्षेप और सुझाव प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली की वृहद योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की वृहद योजना में संशोधन करती है, नामतः—

संशोधन :

"विस्तृत क्षेत्र डी-1 (कनाट प्लेस एवं इसका विस्तार) में व्यवसायिक उपयोग (होटल)" हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र में लगभग 0.921 हैक्ट० (2.227 एकड़) भूमि, जो उत्तर में "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं (ईस्टर्न कोर्ट कम्पलेक्स)" और सामने जनपथ (45.72 मी० चौड़ा मार्ग) से घिरी है, का भूमि उपयोग "व्यावसायिक (होटल)" से बदलकर "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं (केन्द्रीय तार कार्यालय) किया जाना प्रस्तावित है।"

[सं० के०-13011/4/82- डी० डी० II ए]

के० के० सक्सेना, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 11th February, 1983

S.O. 1433.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(8)/79-MP dated the 17th July, 1982 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objections and suggestions have been received with regard to the said modifications, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this modification in Gazette of India, namely :

MODIFICATION:

"The land use of an area, measuring about 0.921 Hac. (2.277 acres), out of the area earmarked for 'commercial' use (Hotel) in the Enlarged Zone D-I (Connaught Place and its extension), located in the south of 'Public and Semi-public facilities' (Eastern Court Complex) and fronting on Janpath (45.72 metre wide road) is changed from 'Commercial' (Hotel) to 'Public and Semi-Public facilities' (Central Telegraph Office)".

[No. K-13011/4/82-DDIIA]

K. K. SAXENA, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1983

का.आ. 1434.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

(1) "क्षेत्र एफ-15 (महरौली) जो महरौली गांव के पश्चिम में स्थित है, की भूमि जो कि मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार 'मनोरंजनात्मक' (क्षेत्रीय पार्क) हेतु विनिर्दिष्ट है, में से लगभग 17.12 है (42.33 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग बदलकर 'आवासीय उपयोग' में किया जाना प्रस्तावित है ।"

(2) "क्षेत्र एफ-15 (महरौली) जो महरौली गांव के पश्चिम में स्थित है, की भूमि जो कि मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार 'मनोरंजनात्मक' हेतु विनिर्दिष्ट है, में से लगभग 2.19 है (5.42 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग बदलकर 'सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक' (कालेज) में किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि.वि.प्रा. के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के नक्शे निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।

[सं. एफ-20(33)/82-एम.पी.]

ह./- (अपठनीय)

सचिव,

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th March, 1983

S.O. 1434.—The following modifications, which the Central Govt. proposes to make to the Master Plan/Zonal Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATIONS :

(i) "The land use of an area, measuring about 17.12 Hec. (42.33 acres), out of the land earmarked for 'recreational' (Regional Parks) use in the Master Plan/Zonal Development Plan for zone F-15 (Mehrauli), located in the west of village Mehrauli is proposed to be changed to 'residential' use."

(ii) "The land use of as area, measuring about 12.19 Hec. (5.42 acres), out of the land earmarked for recreational' (Regional Parks) use in the Master Plan/Zonal Development Plan for zone F-15 (Mehrauli), located in the west of village Mehrauli is proposed to be changed to 'Public and Semi-public facilities' (College)."

2. The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturday, within the period referred to above.

[No. F. 20(33)/82-MP]

Sd/- Illegible
Secy.
Delhi Development Authority

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

का. आ. 1435.—अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जी. एन. मेहरा, महानिदेशक, (पर्यटन) को तत्काल तथा अगले आदेशों तक श्री के. के. श्रीवस्तव के स्थान पर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं. ए. वी. 24012/1/82-ए.ए. (भाग)]

एस. वेंकोबाचार्य, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 5th January, 1983

S.O. 1435.—In exercise of the powers conferred by Sub-section 3 of the Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri G. N. Mehra, Director General (Tourism) as Director on the Board of International Airports Authority of India with immediate effect and until further orders vice Shri K. K. Srivastava.

[No. AV. 24012/1/82-AA(Pt.)]

S. VENKOBACHAR, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1983

का. आ. 1436.—श्री ए. ए. कौचुन्नी ने, जिसे भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. 2343 तारीख 24 जून, 1982 द्वारा, कोचीन डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है ;

और उक्त डाक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है ।

[सं. एल.डी.एक्स/6/82-यू.एस. (एल)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 23rd February, 1983

S.O. 1436.—Whereas Shri A. A. Kochunny, who was appointed as a member of the Cochin Dock Labour Board by the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. 2343 dated the 24th June, 1982 has resigned from his post ;

And whereas a vacancy has occured in the said Dock Labour Board ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDX/6/82-US(L)]

का. आ. 1437.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन), नियम, 1962 के नियम 4 के उप-नियम (1) के दूसरे परन्तुक के साथ पठित, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम. के. राघवन को, श्री ए.ए. कोचुन्नी के स्थान पर, जिसने त्यागपत्र दे दिया है, कोचीन डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2345 तारीख 24 जून, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "डाक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के नीचे प्रविष्टि (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) श्री एम. के राघवन" ।

[एल. डी. एक्स/6/82 यू. एस. (एल.)]

तामस मैत्यू, अवर सचिव (एल)

S.O. 1437.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri M. K. Raghavan as a member of the Cochin Dock Labour Board vice Shri A. A.

2. The cases instituted and pending before the various offices of the Municipal Corporation of Delhi conferred with the powers of the estate officer under the above Act, shall stand transferred to the Assistant Commissioner (Public Premises) for disposal,

TABLE

Designation of officer	Categories of the public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Assistant Commissioner (PP)	Premises belonging to and under the administrative control and jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi.

[No.21012(3)/82—Pol.-IV]
R.S. SOOD, Deputy Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचनाएं

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1983

का०आ० 1582.—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :—

(क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उपधारा-2 के अन्तर्गत क्षेत्र डी-8 (इंडिया गेट) और डी-9 (केन्द्रीय सचिवालय) के क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) उक्तानुसार अनुमोदित चित्र की एक प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-2 में सभी कार्यशील दिवसों को 11.00 बजे (पूर्वा०) से 3.00 बजे (अपरा०) तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

[सं० एफ० 4(1)/67-एम पी/जैड पी]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICES

New Delhi, the 19th March, 1983

S.O. 1583.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957).

Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have, under sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) approved the zonal development plan for zone D-8 (India Gate) and D-9 (Central Secretariat).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, 19th floor, Indraprastha Estate, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. to 3.00 P.M. on all working days.

[No. F4(1)67-MP/ZP.]

का०आ० 1584.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 64) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. (क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उप-धारा 2 के अन्तर्गत क्षेत्र सी-8 (रोशनारा गार्डन) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) उक्तानुसार अनुमोदित चित्र की एक प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, 19वीं मंजिल, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002 में सभी कार्यशील दिवसों को 11.00 बजे (पूर्वा) से 3.00 बजे (अपरा०) तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

[सं० एफ० 4(4)/71-एम०पी०/जैड०पी०]

नाथू राम, सचिव,

दिल्ली विकास प्राधिकरण।

S. O.1584.—Notice under section 11 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

Notice is hereby given that :—

1. (a) The Central Government have, under sub-section 2 of section (9) of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), approved the Zonal Development Plan for Zone C-8 (Roshanara Garden).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of Delhi Development Authority, Delhi, Vikas Minar, 19th floor, Indraprastha Estate, New Delhi-110002 between the hours of 11 A.M. and 3 P.M. on all working days.

[No. 4(4) 71]MP]ZP]

NATHU RAM, Secy. Delhi Development Authority

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 23/24 फरवरी, 1983

का. आ. 1585 :—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पुनर्वास विभाग के अधीन बंदोबस्त खंड में बंदोबस्त अधिकारी, श्री बी. पी. मैथानी को उनके अपने कर्तव्य-भार के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उप अभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये तत्काल प्रभाव से उप अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 1(2)/वि.सै./83-एस.एस.2(क)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 23rd February, 1983

S.O. 1585.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) the Central Government hereby appoints Shri R. P. Maithani, Settlement Officer in the Settlement Wing under the Department of Rehabilitation, as Dy. Custodian of Evacuee Property, in addition to his own duties, for the purpose of performing the functions assigned to such Dy. Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(2)/Spl.Cell/83-SS.II.(A)]

का.आ. 1586 :—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के अधीन बंदोबस्त खंड में बंदोबस्त अधिकारी, श्री बी. पी. मैथानी को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रबन्ध अधिकारी को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये, तत्काल प्रभाव से प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं. 1(2)/वि.सै./83-एस.एस.2(ख)]

महेन्द्र कुमार कंसल, अवर सचिव

स्थित है, (18.28 मीटर चौड़ी क्षेत्रीय मार्ग द्वारा पृथक होती है) में से लगभग 1.77 हेक्टर (4.37 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक उपयोग" से बदलकर "आवासीय उपयोग" किया जाता है।"

(ii) "लगभग 1.86 हैक्टर (4.6 एकड़) क्षेत्र एफ-2 के मुख्य योजना /क्षेत्रीय विकास चित्र में "मनोरंजनात्मक उपयोग" हेतु निर्दिष्ट है और जो उत्तर और पूर्व में "आवासीय उपयोग" वाले क्षेत्र से (संत नगर) दक्षिण में 30.48 मीटर चौड़े मुख्य योजना मार्ग तथा "मनोरंजनात्मक उपयोग" वाले क्षेत्र से और पश्चिम में 18.28 मीटर चौड़े क्षेत्रीय मार्ग से घिरा है, का भूमि उपयोग "आवासीय" से बदलकर मनोरंजनात्मक (जिला पार्क, खेल के मैदान एवं खुले स्थल) किया जाता है।

[सं० के०-13011/4/82-डी० डी० IIए]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 22nd April, 1983

S.O. 2059.—Whereas certain modificataions, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No F. 20(14)/82-MP dated 25th September, 1982 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objections and suggestions have been received with regard to the said modifications, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this modification in Gazette of India, namely :

MODIFICATION :

(i) "The land use of an area measuring about 1.77 hects. (4.37 acres) out of the land earmarked for 'Recreational' use in the Master Plan/Zonal Plan for Zone F-2, located in the west of Sant Nagar (segregated by 18.29 M wide zonal road) is changed from 'Recreational' use to 'residential use'.

(ii) "Land use of an area, measuring about 1.86 hects (4.6 acres) earmarked for 'Residential' use in the Master Plan/Zonal Development Plan for zone F-2 bounded by 'Residential' use (Sant Nagar) on the north and east, 30.48 M. wide Master Plan Road and 'Recretional' se on the south and 18.28 M. wide Zonal Road on the west is changed from 'Residential use' to 'Recreational' (District Park, play ground and open spaces)"

[No. K-13011/4/82-DDIIA]

का०आ० 2060—चूंकि केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में यहां नीचे बताये गये क्षेत्रों के बारे में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के अन्तर्गत 7 फरवरी, 1981 के नोटिस संख्या एफ०-3(24)/80-एम० पी० द्वारा उक्त नोटिस के 30 दिन के अन्तर्गत आपत्तियां/सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित किया गया था जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 11 ए की उप धारा (3) में अपेक्षित है।

और चूंकि केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद दिल्ली की वृहद योजना में तथा कथित संशोधन करने का निर्णय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 11 ए की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जिस तिथि से यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी उस तिथि से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

संशोधन

"जोन डी-5 (डी० आई०जेड०-गोल मार्किट क्षेत्र) के लगभग 0.394 हेक्टर (0.974 एकड़) के माप के पंचकुइयां रोड स्थित भूखण्ड सं० 85ए, जो उत्तर पूर्व में 45.72 मीटर चौड़ी पंचकुइयां रोड से, दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम में दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा से तथा उत्तर-पश्चिम में आवासीय क्षेत्र (नई दिल्ली नगरपालिका क्वार्टर्स) से घिरा है, का भूमि उपयोग को 100 "(एक सौ)" के फर्श क्षेत्र अनुपात सहित "आवासीय" से वाणिज्यिक में बदला जाता है।

[सं० के०-13011(15)/79-डी० डी० IIए]
के० के० सक्सेना, डेस्क अधिकारी

S.O. 2060.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 3(24)/80-MP, dated 7th February, 1981 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objection/suggestions as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas, the Central Government after considering the objections and suggestions with regard to the said modifications have decided to modify the Master Plan for Delhi;

Now, herefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Ac, the Central Government hereby makes the folowing modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this modification in the Gazette of India, namely :

MODIFICATION :

"The land use of plot No. 85-A, Panchkuin Road measuring about 0.394 hectares (0.974 acre) falling in Zone-I 5 (D.I.Z.-Gole Market Area), bounded by 45.72 metres wide Panchkuin Road on north-east Dargah Sayed Hasan Rasul Nume on the south east and south-west and residential area (NDMC quarters) on north-west is changed from 'Residential' to 'Commercial' with a F.A.R. of 100 (hundred)."

[No. K-13011/15/79-DDIIA]
K. K. SAXENA, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1983

का. आ. 2061.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस प्रस्तावित संशोधन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, वे

अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति या सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें :—

संशोधन :

"लगभग 1.1 हैक्टर (2.7 एकड़) माप का क्षेत्र जो मंदिर मार्ग (काली बाड़ी तथा शंकर रोड़ के मध्य) के साथ पड़ता है और जो पूर्व में 30.5 मीटर (100 फुट) मार्गाधिकार वाले मंदिर मार्ग से, उत्तर में मंदिर लेन से, पश्चिम में नाले से, तथा दक्षिण में 68.58 मीटर (225 फुट) चौड़े शंकर रोड़ से घिरा है, का भूमि प्रयोग "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (भारत सरकार, निर्माण एवं आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं. के-13011(9)/75-यू.डी.-1(ए) दिनांक 30 मई, 1977 द्वारा अधिसूचित) से बदलकर "मनोरंजनात्मक" प्रयोग में किया जाना प्रस्तावित है।"

उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाले चित्र की प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

[सं. एफ. 16(146)/75-मु.यो.]
नाथू राम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th May, 1983

S.O. 2061.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Devtlopment Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 1.1 hect. (2.7 acres) located along Mandir Marg (between Kali Bari and Shankar Road) and bounded by Mandir Marg 30.5 mts. (100') r/W in the east, Mandir Lane in the North, nallah in the west and 68.58 mts. (225') wide Shankar Road in the South is proposed to be changed from 'public and Semi-public facilities' (notified by the Government of India, Ministry of Works and Housing notification No. K-13011(9)/75-UDI(A) dated 30th May, 1977) to 'recreational' use."

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturday within the period referred to above.

[No. F. 16 (146)/75-M.P.]
NATHU RAM, Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1983

का० आ० 2062.—केन्द्रीय सरकार, नौवहन विकास निधि (सामान्य) अधिनियम, 1960 के नियम 3 एवं 9 के साथ पठित वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गिरीश चन्द्र वृदेशिया, सचिव, नौवहन विकास निधि समिति को तत्काल इस समिति का सदस्य भी नियुक्त करती है तथा इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन एवं संचार मंत्रालय परिवहन विभाग (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 628 दिनांक 17 मार्च, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 11 एवं तत्संबंधी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

"12 श्री गिरीश चन्द्र वृदेशिया, सचिव, नौवहन विकास निधि समिति।"

[फा० सं० एस०डब्ल्यू०/एम०एस०डी० (52)/81—एम०डी०]
अनुराग भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 22nd April, 1983

S.O.2062.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with rules 3 and 9 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri G. C. Kudaisya, Secretary, Shipping Development Fund Committee, also as a Member of the said Committee with immediate effect and for that purpose amends the Notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communication, Department of Transport (Transport Wing) No. S.O. 628, dated 17th March 1959, namely :—

In the said Notification, after serial No. 11 and entries relating thereto, the following entry shall be inserted, namely :—

"12. Shri G. C. Kudaisya, Secretary, Shipping Development Fund Committee."

[F. No. SW/MSD(52)/81-MD]
ANURAG BHATNAGAR, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1983

का० आ० 2063.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम 9) की धारा 82-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए० के० डे सेवानिवृत्त न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय, को 16-3-1983 को पूर्व रेलवे पर हावड़ा कारशैड के निकट बी०114 डाउन पैसेंजर और एच-292 डाउन पैसेंजर गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दावों को निपटाने के लिए दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय कलकत्ता में होगा।

[सं० 83/ई (ओ) II/1/1]
हिम्मत सिंह, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 26th April, 1983

S.O. 2063.—In exercise of the powers conferred by Section 82-B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri A. K. De, retired Judge of the Calcutta High Court, as Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the collision between B-114 DN. Passenger and H-292 DN. Passenger trains near Howrah car shed on Eastern Railway on 16-3-1983. His headquarters will be in Calcutta.

[No. 83/E(O)II/1/1]
HIMMAT SINGH, Secy.
Railway Board &
ex-Officio Joint Secy. to the Govt. of India

निर्माण और आवास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 4 जून, 1983

का०आ० 2966.—राष्ट्रपति मूल नियमों के नियम 45 के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1533 तारीख 28 मई, 1963 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद सं० (2) में "'कलकत्ता' से, कलकत्ता नगर निगम की सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"'कलकत्ता' से कलकत्ता नगर निगम की सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र, हावड़ा नगर पालिका, साल्ट लेक और शिवपुर अभिप्रेत है।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा० सं० डी० 11029/33/82-रीजन्स]

वी० एस० रमन, उपनिदेशक, सम्पदा

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 4th June, 1983

S.O. 2966.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Department of Works and Housing) S.O. No. 1533 dated the 28th May, 1963, namely :—

In the said notification, in item No. (2) for the words "'Calcutta' means the areas included within the limits of the Municipal Corporation of Calcutta" the following words shall be substituted, namely :—

"'Calcutta' means the areas included within the limits of the Municipal Corporation of Calcutta, Howrah Municipality, Salt Lake and Shibpur."

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. D-11029/33/82-Regions]

V. S. RAMAN, Dy. Director of Estates

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

का०आ० 2967:— केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाना है। इन प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

"जोन डी-21 स्थित लगभग 8.98 हैक्ट० (22.2 एकड़) क्षेत्र जो पूर्व में "आवासीय उपयोग" (नेताजी नगर) तथा "सार्वजनिक व अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (मैत्री कालेज) से, दक्षिण में 24.4 मीटर (80 फुट) चौड़े क्षेत्रीय मार्ग से तथा उत्तर एवं पश्चिम में "आवासीय" उपयोग (मोतीबाग) से घिरा है, का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक-उपयोग" (जिला पार्क, खेल के मैदान व खुले स्थल) से बदलकर "आवासीय" उपयोग (विदेशी मिशन) में किया जाना प्रस्तावित है।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि०वि०प्रा० के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के नक्शे निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

[संख्या एफ० 20(10)/83-एम०पी०]

नाथूराम, सचिव

विकास मीनार,
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट,
नई दिल्ली-110002
दिनांक 23-7-1983

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

S.O. 2967.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifica may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The persons making the objection or suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 8.98 hects. (22.2 acs.), falling in zone D-21 and surrounded by 'residential use' (Netaji Nagar) and 'public & semi-public facilities' (Maitree College) in the east, 24.4 mts.(80') wide zonal road in the south and 'residential' use (Moti Bagh) in the north and west is proposed to be changed from 'recreational use' (Distt. parks, playground and open spaces) to 'residential' use (Foreign Missions)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(10)/83-MP]

NATHU RAM, Secy.

Vikas Minar,
Indraprastha Estate,
New Delhi-110002
Dated : 23-7-83

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th August, 1983

(MERCHANT SHIPPING)

S.O. 3438.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966); read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme 1966, the Central Government hereby appoints Controller of Accounts, Ministry of Shipping & Transport, dealing with Seamen's Welfare as member of the Board of Trustees of the Seamen's Provident Fund in place of Assistant Financial Adviser, Ministry of Shipping & Transport dealing with Seamen's Welfare and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 616, dated the 10th January 1977, namely :—

In the said notification for serial No. 2 and the entries relating thereto the following shall be substituted namely :—

"Controller of Accounts,
Ministry of Shipping and
Transport, dealing with
Seamen's Welfare.

Government
Official"

[F. No. MWS(30)/82-MT]

PRADEEP SINGH, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

का० आ० 3439.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना ।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :—

1. (क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उपधारा 2 के अन्तर्गत क्षेत्र ए-21 (जामा मस्जिद क्षेत्र) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) उक्तानुसार अनुमोदित चित्र की एक प्रति, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्यशील दिवसों को 11.00 बजे (पूर्वा०) से 3.00 बजे (अपरा०) तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

[एफ. 4(4)81—मु०यो०]

नाथूराम, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 3 सितम्बर, 1983

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

S.O. 3439—Notice under section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957).
Notice is hereby given that :—

1. (a) The Central Government have under Sub-Section 2 of Section (9) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), approved the Zonal Development Plan of Zone A-21 (Jama Masjid Area).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi between the hours of 11 A.M. and 3 P.M. on all working days.

[F. 4(4)/81-MP]

NATHU RAM, Secy.
Delhi Development Authority.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 मई, 1983

का०आ० 3440.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम 9) के खंड 82-बी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री गोपीचन्द्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर के रूप में उनके अपने कार्य के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व रेलवे के मनोहरपुर और जराई केला स्टेशनों के बीच 2-12-82 को 5अप हवड़ा-राउरकेला एक्सप्रेस गाड़ी की माल गाड़ी के कुछ खड़े हुए डिब्बों के साथ दुर्घटना हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न सभी दावों को निपटाने के लिए दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय जमशेदपुर में होगा।

[सं० 83/ई/(ओ) 11/1/2]

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड, एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 21st May, 1983

S.O. 3440.—In exercise of the powers conferred by Section 82 B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri Gopi Nath Chandra, Addl. District & Sessions Judge, Jamshedpur as Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the accident to 5 Up Howrah-Rourkela Express with some stationary goods wagon on 2-12-82 between Manoharpur and Jeraikella Stations of S. E. Railway in addition to his own duties as Addl. District & Sessions Judge, Jemshedpur. His headquarters will be at Jamshedpur.

[No. 83/E(O) II/1/2]

HIMMAT SINGH, Secy. Railway Board & ex-Officio
Joint Secretary to the Govt. of India.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 18th August, 1983

S.O. 3441.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. I Madras in the industrial disputes between the employers in relation to the Bank of Baroda, Madras-2 and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1983.

1	2	3
3.	ऐसे वेतन या वेतनमान वाले पद जिनका अधिकतम 1500—रु. से कम नहीं है किन्तु 2900—रु. से कम हो।	समूह "ग"
4.	ऐसे वेतन या वेतनमान वाले पद जिनका अधिकतम 1500—रु. से कम हो।	समूह "घ"

टिप्पणी — (क) इस विनियम के उद्देश्य से वेतन का अभिप्राय एफ.आर. 9(21) (क) (i) में निर्धारित से है;

(ख) किसी पद के वेतन या वेतनमान का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वेतन या वेतनमान से है;

(ग) जब भी वेतनमान में संशोधन सामान्य वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप होगा तो उल्लिखित वेतनमानों को तदनुसार ऊपर की ओर संशोधित माना जाएगा ताकि पदों के वर्गीकरण के साथ-साथ उपर्युक्त के अनुसार वेतनमान वही रहे।

[डी.डी.ए./एफ.2(728)/97—एल.सी./लीगल/पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, सचिव
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION)

New Delhi, the 1st March, 1994

S.O. 207(E). In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi, in whose favour powers under Section 57 has been delegated vide Notification No. 18011(28)/67-UD dated 14-2-1969 issued by the Governmen of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Department of Health and Urban Development), New Delhi, hereby amend Regulation 12 and the schedule to Regulatino 15 of the Delhi Development Authority (Salaries, Allowances and conditions of Service) Regulations, 1961, as amended upto date, as per Annexure-I & II.

ANNEXURE—I

SCHEDULE TO REGULATION 15

Title of service of post	Appointing	Authority empowered to impose penalty	Penalties	Appellate Authority
Group 'A'				
(i) Carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is equivalent to or over Rs. 6700/- except those appointed by the Govt. of India.	Chairman	Chairman	All	Ministry of Urban Development.
(ii) Carrying a pay of or a scale of pay, the maximum of which is less than Rs. 6700/- but not less than Rs. 4000/- except those appointed by Govt. of India.	Vice-Chairman	Vice-Chairman	All	Chairman
Group 'B'	Any full time member of DDA	Any full time member of DDA.	All	Vice-Chairman
Group 'C'	Commr. (Pers)	1. Commr.(Pers.) 2. Other Commissioners/Chief Engineers/CAO.	All Minor penalties	Any full time member of DDA
Group 'D'	Dir. (Pers.)	1. Dir. (Pers.) 2. Executive Engineers	All Minor penalties	Commr. (Pers.)

Note : (a) For the purposes of this regulation 'pay' has the meaning assigned to it in F.R. 9(21)(a)(i);

(b) The pay or scale of pay of a post means the pay as scale of pay prescribed by the Authority ;

(c) As and when pay scales are revised, consequent on general pay revision, the scale of pay mentioned above will be deemed to have been revised upwards accordingly so that scale of pay vis-a-vis classification of posts remain the same as above.

ANNEXURE – II

The Delhi Development Authority (Salaries, Allowances & Conditions of Service) Regulation, 1961.

"Classification of posts" . 12. The services and posts under the Authority shall, for purpose of appointment, control and discipline, be classified as follows:

S.No.	Description of posts	Classificatiof of posts
1.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is not less than Rs. 4000/-	Group 'A'
2.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is not less than Rs. 2900/- but is less than Rs. 4000/-	Group 'B'
3.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is not less than Rs. 1500/- but is less than Rs. 2900/-	Group 'C'
4.	A post carrying a pay of or a scale of pay the maximum of which is less than Rs. 1500/-.	Group 'D'

Note : (a) For the purposes of this regulation 'pay' has the meaning assigned to it in F.R. 9(21)(a)(i);

(b) The pay or scale of pay of a post means the pay or scale of pay prescribed by the Authority;

(c) As and when pay scales are revised, consequent on general pay revision, the scale of pay mentioned above will be deemed to have been revised upwards accordingly so that scale of pay vis-a-vis Classification of posts remain the same as above.

[DDA/F2 (728)/97/HC/Legal/PT]

V.M. BANSAL, Secy. (Delhi Development Authority).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

निर्माण और आवास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1984

का०आ० 2895.—राष्ट्रपति सरकारी निवास-स्थान आवंटन (दिल्ली में साधारण पूल नियम) नियम, 1963 के अनु. नि. 317-ख-2 खण्ड (ख) के अनुसरण में 1 अप्रैल, 1985 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि को, अगले आवंटन वर्ष की अवधि के रूप में अधिसूचित करते हैं।

[फाइल सं. 12033(2)/83-पोल-II]

वी. एस. रमण,

उपनिदेशक संपदा (पी)

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 25th August, 1984

S.O.2895.—In pursuance of clause (b) of SR-317-B-2 of the Allotment of Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, the President hereby notifies the period commencing on the first day of April, 1985 and ending on the 31st day of the March, 1987 as the period of next Allotment Year.

[File No. 12033(2)/83-Pol. II]

V. S. RAMAN, Dy. Director of Estates (Policy)

दिल्ली-विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1984

सार्वजनिक सूचना

का०आ. 2896 :—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :—

संशोधन

"गांव जफरपुर के समीप और गांव उजवा को जाने वाली सड़क के उत्तर में स्थित लगभग 7.9 हैक्ट. (19.5 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग "ग्रामीण उपयोग" जोन/"कृषि हरित पट्टी" से बदल कर "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (अस्पताल) में किया जाना प्रस्तावित है।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़ कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधन के नक्शे निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

[सं. एफ. 20(5)/83-एम. पी.]

नाथू राम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 8th September, 1984

PUBLIC NOTICE

S.O. 2896.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address:—

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 7.9 hects. (19.5 acres) located near village Jafarpur and situated on the north of road leading to village Ujwa, is proposed to be changed from 'Rural Use' zone/ 'Agricultural Green Belt' to 'Public & Semi-public facilities' (Hospital)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays within the period referred to above.

[No. F. 20(5)/83-MP]

NATHU RAM, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1984

का०आ० 2897, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम IX) की धारा 82-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दक्षिण-पूर्व रेलवे के चरेगांव तथा समनापुर स्टेशनों के बीच 16-8-84 को हुई 4 जी०जे० जबलपुर-गोंदिया सवारी गाड़ी की दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न सभी दावों को निपटाने के लिए श्री जे०ए० खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को एतद्द्वारा तदर्थ दावा आयोग के रूप में नियुक्त करती है। इनका मुख्यालय बालाघाट में होगा।

[सं० 84/ई(ओ)II/1/4]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 24th August, 1984

S.O. 2897.—In exercise of the powers conefrred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri J. A. Khare, District and Sessions Judge, Balaghat as ad-hoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the accident involving 4 GJ Jabalpur-Gondia Passenger train between Chargegaon and Samanapur Stations of S.E. Railway on 16-8-84. His headquarters will be at Balaghat.

[No. 84/E(O)II/1/4]

का. आ 2898.—समय-समय पर यथासंशोधित मेट्रो रेलवे (निर्माण-कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का सं. 33) के खंड 16 (i) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पश्चिम बंगाल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी और सिटी, सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति, श्री वी. के.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1984

का. आ. 3001 —केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीतागार आदेश, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शीतागार आदेश (दूसरा संशोधन) आदेश, 1984 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. शीतागार आदेश, 1980 में :—

(i) खंड 1 में उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(2) इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में होगा।

(ii) खंड 8 के परंतुक में "अनुज्ञापन अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "कारणों को लेखबद्ध करके" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) खंड 9 में, दूसरे परन्तुक में "अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है" शब्दों के स्थान पर "आदेश के पहले परन्तुक में अधिकथित रीति से प्रस्थापित रद्दीकरण के कारण की जांच लंबित रहते अनुज्ञप्ति को तुरंत रद्द कर सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

[एफ० 15-3/81-एम० आई०]

अतुल सिन्हा, निदेशक (विपणन)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 31st August, 1984

S.O. 3001.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cold Storage Orde, 1980, namely :—

1. (i) This Order may be called the Cold Storage (Second Amendment) Order, 1984.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Cold Storage Order, 1980:—

(i) In clause 1 for sub-clause (2) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(2) It extends to the whole of India except the States of West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana";

(ii) In clause 8, in the proviso after the words "the Licensing Officer may", the words "for reasons to be recorded in writing" shall be inserted;

(iii) In clause 9, in the second proviso, for the words "cancel the licence", the words "suspend the licence forthwith pending an inquiry into reasons for the proposed cancellation in the manner laid down in the first proviso of this order" shall be substituted.

[No. F. 15-3/81-MI]

ATUL SINHA, Director (Marketing)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1984

का. आ. 3002.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना (जोन एच I) में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद् द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें :—

संशोधन :-

"5.12 हेक्ट. (12.65 एकड़) क्षेत्र जो उत्तर-पश्चिम योजना में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग (अस्पताल), दक्षिण में न्यू रोहतक रोड, पूर्व में मार्जिनल बांध और पश्चिम में 30.48 मी. (100 फीट) मार्गाधिकार वाली मुख्य योजना सड़क से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग 'सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं' (अस्पताल) से 'रिहायशी' (समूह आवास) में बदला जाना प्रस्तावित है।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधन के नक्शे निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

[सं.एफ 4(30)/65-एम.पी.]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd September, 1984

S.O. 3002.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan (Zone H-I) is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 5.12 hects. (12.65 acres) bounded on the North-West by Public and Semi Public use (Hospital) on the South by New Rohtak Road, on the East by marginal bandh and on the West by 30.48 M (100 ft. R/W Master Plan road is proposed to be changed from 'Public and Semi Public Facilities' (Hospital) to 'Residential' (Group Housing)".

रजि. डी. (डी. एन.)—73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
[51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
utory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1984

का०आ० 4453.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों तथा उसी संव्यवहार में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/27/84-ए वी डी II]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

ORDERS

New Delhi, the 11th December, 1984

S.O. 4453.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Maharashtra, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Maharashtra for the investigation of offences punishable under section 302 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction in regard to the death of Smt. Smita Zaveri during the 1st week of December, 1981—Coroner's Court Case No. 4875-60 of 5th December, 1981, Gamdevi Police Inquest No. 247/81 of 5th December, 1981 Bombay City in the State of Maharashtra.

[No. 228/27/84-AVD.II]

का०आ० 4454.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा उसी संव्यवहार में अलीगंज जिला के पुलिस थाना मुबेरपुर के मामले संख्या [illegible] अक्तूबर 25 को, 1981 को ज्ञापन उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुए अन्य किसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/21/84-ए वी डी-II]

S.O. 4454.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th November, 1984

S.O.—In the notification of the Government of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture Cooperation) No. S. O. 1235 dated the 13th March, published in the Gazette of India dated 14th April, 1984 at II, Section 3, at pages 1090 to 1091, in the Table, Item 1, under the heading Part-II General Central Service D posts, for "All Group 'D' posts in the office Director, Forest Survey of India, Dehra Dun". "All Group 'D' posts in the Offices of Joint Forest Survey of India".

[No. 7-17/82-FE. II.]
R. S. BISHT, Under Secy.

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

का. आ. 4584—यत: भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. वी-11016/34/77-एम.पी.टी./एम.ई.(पी.) दिनांक 16 जून, 1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि चिकित्सा अर्हता "एम. बी. बी. एस." (न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय) आस्ट्रेलिया, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन चिकित्सा अर्हता मानी जाएगी।

यत: डा. स्ट्रीटफील्ड आर्थर को, जो उक्त अर्हता रखते हैं, कार्य के लिए फिलहाल एलेन थोबर्न कोवन मेमोरियल अस्पताल, कोलार (कर्नाटक राज्य) से संबंद्ध किया जाता है।

अब उक्त अधिनियम के खण्ड 14, उपखण्ड (i) के परन्तुक (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि स्ट्रीटफील्ड आर्थर की मेडिकल प्रैक्टिस की अवधि—

(1) दो वर्ष की अवधि अथवा

(2) जब तक वह उक्त ऐलन थोबर्न कोवन मेमोरियल अस्पताल, कोलार (कर्नाटक राज्य) से सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कमी हो, सीमित होगी।

[सं. वी-11016/5/84-एम.ई.(पी.)]
रविन्दर नाथ तिवारी, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O.—Whereas by the notification of the Government of India, the Ministry of Health No. V-11016/34/77-MPT/ dated the 16th June, 1978, the Central Government declared that the medical qualification, "M.B.B.S. (University of New South Wales), Australia shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas, Dr. Streatifield Arthur, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Ellen Thoburn Cowen Memorial Hospital, Kolar (Karnataka State) for purposes of charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(1) a period of two years or,

(2) the period during which Dr. Streatifiled Arthur is attached to the said Ellen Thoburn Cowen Memorial Hospital, Kolar (Karnataka State), whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V-11016/5/84-ME(P)]
R. N. TEWARI, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1984

का. आ. 4585 :—केन्द्रीय सरकार, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खण्ड (घ) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 119 (अ) तारीख 17 फरवरी, 1976 का जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 फरवरी, 1976 में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में स्तम्भ 1 में की प्रविष्टियों जहां "सेना सम्पदा अधिकारी (नगर भूमि अधिकतम सीमा)" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर "रक्षा सम्पदा अधिकारी (नगर भूमि अधिकतम सीमा)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4/3/84-यूडीयू]
एच. आर. गोयल, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 27th November, 1984

S.O. 4585.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of section 2 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976.) the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 119(E) dated the 17th February, 1976, published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 3 of sub-section (ii) dated the 17th February, 1976, namely :—

In the said notification in the entries under column 1, for the words and brackets "Military Estate Officer (Urban Land Ceiling)" wherever they occur the words and brackets "Defence Estate Officer (Urban Land Ceiling)" shall be substituted.

[F. No. 4/3/84-UCU]
H. R. GOEL, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वे एंड सेटलमेंट यूनिट-I)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1984

का. आ. 4586 :— दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि भारत सरकार, आवास मंत्रालय को भवन निर्माण के लिए

को हस्तान्तरित करने के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :—

अनुसूची

लगभग 0.40 एकड़ (लगभग ——) माप का भूमि खण्ड जो एन. डी. एम. सी. बाजार, चाणक्यपुरी के साथ स्थित है, जिसका

स्थल 45 है और जो अधिसूचना सं. 1810 दिनांक 20-7-74 का भाग है :-

उपर्युक्त भूमिखण्ड की सीमाएं निम्नलिखित हैं :

उत्तर में एन. डी. एम. सी. शोपिंग सैन्टर
दक्षिण में : रेलवे सीमाएं
पूर्व में : विनय मार्ग
पश्चिम में : मार्ग

[सं. एस. एण्ड एस. 33(1)84-ए. एस. ओ/2043]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey and Settlement Unit I)

New Delhi, the 30th November, 1984

S.O. 4586.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi, for further transfer to the Ministry of Rural development for construction of a building for accommodating the Afro Asian Rural Reconstruction Organisatioan.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 0.40 acres (about———) situated along N.D.M.C., Market, Chanakyapuri bearing plot No. ——— site No. 45 partly of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-74.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : N.D.M.C. Shopping Centre
South : Railway Boundary.
East : Vinay Marg.
West : Road.

[No. S&S 33(1)/84/ASO (I)/2043]

का. आ. 4587:- दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की सं. 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे हस्तान्तरित करने के लिये भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :-

अनुसूची

लगभग 2 एकड़ (लगभग दो एकड़) माप का भूमि खण्ड जो बाल भारती एवं डी. ए० वी. स्कूल, लोदी रोड के पीछे स्थित है, जिसका प्लान नं. ——— स्थल 32 है और जो अधिसूचना सं. 1810 दिनांक 20-7-74 का समस्त भाग है।

उपर्युक्त भूमि खंड की सीमाएं निम्नलिखित हैं :

उत्तर में : आई. ए. एफ. बैरक्स
दक्षिण में : सड़क
पूर्व में : संस्थानिक क्षेत्र
पश्चिम में : गुजरांवाला आर्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय

[सं. एस. एण्ड एस. 33(11)/83 ए. एस. ओ. (i)/2040]

S.O. 4587.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi, for further transfer

SCHEDULE

Piece of land measuring about 2.00 acres (about two) situated at the back of Bal Bharti School and D.A.V. Lodi Road bearing plot No. ——— Site No. 32 full of fication No. S.O. 1810 dated 20-7-74.

The above piece of land is bounded as follows

North : I.A.F. Barracks
South : Road
East : Institutional Area
West : Gujranwala Arya H. S. School

[No. S&S 33(11)/83/ASO

का. आ. 4588:- दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भू दिल्ली पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित करने के लिये विकास कार्यालय निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा

अनुसूची

लगभग 2.762 एकड़ (लगभग ———) माप का भूमि ओबराय होटल एवं ब्लाईन्ड इन्स्टीट्यूट के मध्य में स्थित है, जिस सं. ———स्थल 36 है और जो अधिसूचना सं दिनांक 20-7-74 का समस्त भाग है।

उपर्युक्त भूमि खण्ड की सीमाएं निम्नलिखित है :

उत्तर में : ओबराय होटल
दक्षिण में : ब्लाईन्ड इन्स्टीट्यूट
पूर्व में : किचूल मार्ग
पश्चिम में : गोल्फ लिंक्स एरिया

[सं. एस. एण्ड एस. 33(14)/83 ए. ई.

नाथ

S.O. 4588.—In pursuance of the provisions (4) of section 22 of the Delhi Development A 1957), the Delhi Development Authority has disposal of the Central Government the land the Schedule below for placing it at the Land and Development Office, Ministry of ing, Government of India, New Delhi, thereof to the Delhi Tourism Developme

SCHEDULE

Piece of land measuring about 2.762 acres situated in between Oberoi Hotel and Blind Plot No. ——— Site No. 36 full of S.O. 1810 dated 20-7-1974.

The above piece of land is bounded as follo

North : Oberoi Hotel.
South : Blind Institute.
East : Kitchloo Marg.
West : Golf Links area.

[No. S&S 33(14)/83-A

NATHU

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—13

REGISTERED NO. D. (D. N.)—13

26 FEB 1985 DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1984/अग्रहायण 24, 1906
[No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1984/AGRAHAYANA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1984

का. आ. 4345.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री महेश गौड, श्रीरंगपटना, मंदाजिला, करनाटक पिन 571438 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे श्री रंगपटना, करनाटक व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. एफ. 5 (84)/84-न्या.]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 26th November, 1984

S.O. 4345.—Notice is hereby given the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Mahesha Gowda, Srirangapatra, Mandya, Dist., Karnataka (Pin 571438) for appointment as a Notary to practise in Srriangapatra, Karnataka.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(84)/84-Judl.]

का. आ. 4346.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रवीन्द्रनाथ गोयल, एडवोकेट, 3131, दसान स्ट्रीट, चावड़ी काजी, दिल्ली-110006 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया

1175 GI/84—1

तत्समय अधिकारी है सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निदेश देता है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सहकारी स्थान की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा या उसके विरुद्ध सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का नाम और पदनाम	सरकारी स्थानों का प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
श्री बी० एस० लाम्बा निदेशक, समाज कल्याण मन्त्रालय	ऐसा परिसर जो मानसिक रूप से अपूर्ण शिशुओं के लिए आदर्श (माडल) विद्यालय कस्तुरबा निकेतन नई दिल्ली का है या उक्त विद्यालय द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया है या अर्जित किया गया है या अध्यपेक्षा की गई हो। 16.51 एकड़ भूमि जो कस्तुरबा निकेतन, ग्रह लाजपतनगर, नई दिल्ली के नीचे है प्रश्नगत परिसर की सीमा इस प्रकार हैं :—
उत्तर	सेवा लेन और इसके आगे "एच" ब्लाक क्वाटर्स
दक्षिण	सेवा लेन और इसके आगे "एल" ब्लाक क्वाटर्स लाजपतनगर,
पूर्व	सड़क
पश्चिम	सड़क इसके आगे "सी" ब्लाक के क्वाटर्स ब्लाक और औषधालय

[फाईल सं० 3.27/84-एन आई-1]
एम० सी० नरसिम्हन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 8th October, 1984

S.O. 4414.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer equivalent to the rank of a gazatted officer of Government to be an estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Name and designation of the officer	Categories of public and Local Limits of tions
Sh. B.S. Lamba Director Ministry of Social Welfare	Premises being or intended to be used, requisitioned, of the Model Mentally Deficient Kasturba Niketan 16.51 acres of land the Kasturba Niketan Lajpat Nagar, N The boundaries of mises in question under:
North : Service Lane & then quarters of 'H' Block	
South : Service Lane and then quarters of 'L' Block Nagar.	
East : Road.	
West : Road then quarters of 'C' Block, block and dispe Lajpat Nagar.	

[File No. 3.27/
M.C. NARASIMHAN,

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वे एण्ड मेटलमेंट यूनिट-I)

का० आ० 4415—दिल्ली विकास प्राधिकरण अधि 1957 (1957 की सं० 61) की धारा [illegible] की उप (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास करण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भू विपुरा सरकार को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में बनाने हेतु हस्तान्तरित करने के लिए भूमि एव कार्यालय, निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार पर लौटा दी है:—

अनुसूची

लगभग 2811.33+139.81 वर्ग गज भूमिखण्ड जो चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित स्थल सं० 49 है और जो अधिसूचना सं० 1 20-7-74 का आंशिक/समस्त भाग है।

उपर्युक्त भूमिखण्ड की सीमाएं निम्नलिखित

उत्तर में : मन्दिर

दक्षिण पूर्व में : प्रस्तावित सेवा सड़क

दक्षिण पश्चिम में : कौटिल्य मार्ग।

[सं० एस० एण्ड एल० 33(8)80-ए०एस०बी०

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit-I)

...In pursuance of the provisions of SubSection ... the Delhi Development Act, 1957 (64 of 1957), ... Development Authority has replaced at the dispo... Central Government the land described in the sche... for placing it at the disposal of the Land and ... Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of ... Delhi for further transfer to the Govt. of Tripura ... tion of their Guest House in Chankyapuri, New

SCHEDULE

... measuring (about 281143.81 Sq. Yds.) ... Chankyapuri, New Delhi bearing plot No.— ... ly/full of notification S.O. 1810 dated 20-7-74 ... of land is bounded as follows :—

... Temple

... Proposed Service Road

... Kautilya Marg

[No. S & S 33(8)/80-ASO(1)/2019]

NATHU RAM, Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1984

का.आ.4416.—श्री एम. वी. भदराम को, भारत के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना का. आ. सं. 550(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 द्वारा जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खंड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 6 सितम्बर, 1982 को इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, डाक कर्मकार सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था ;

और श्री एम. वी. भदराम ने डाक कर्मकार (सलाहकार समिति) नियम, 1962 के नियम 6 के उपनियम, के निबंधानुसार डाक कर्मकार सलाहकार समिति की सदस्यता से अपना पद त्याग कर दिया है और इस प्रकार डाक कर्मकार सलाहकार समिति में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (सलाहकार समिति) नियम, 1962 के नियम 3 के उपनियम (3) और नियम 6 के उपनियम (i) के द्वितीय परन्तुक के साथ पठित डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम. वी. भदराम के स्थान पर श्री वी. वी. रामाराव को डाक कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

अधिसूचना में "डाक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के नीचे मद 5 में, "श्री एम. वी. भदराम" नाम के स्थान पर "श्री वी. वी. रामाराव" नाम रखा जाएगा।

[एफ. सं. एल.डी.ओ. 0/44/84-यू.एस.(एल.)वाल्यूम-II]

सुदेश कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का. आ. सं. 650 (अ) तारीख 6 सितम्बर, 1982 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें संशोधन किए गए :—

का. आ. सं. 721 (अ) तारीख 8 अक्तूबर, 1982

का. आ. सं. 849 (अ) तारीख 15 दिसम्बर, 1982

का. आ. सं. 4380 तारीख 3 दिसम्बर, 1983

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 30th November, 1984

S.O. 4416.—Whereas Shri M. V. Bhadram was appointed a member of the Dock Workers Advisory Committee as a representative of the dock workers vide Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S.O. No. 650(E) dated the 2nd September, 1982 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 6th September, 1982 (hereinafter referred to as the said Notification);

2. Whereas Shri M. V. Bhadram has since submitted his resignation from the membership of the Dock Workers Advisory Committee in terms of sub-rule (3) of rule 6 of the Dock Workers (Advisory Committee) Rules, 1962 and thus a vacancy has occurred in the said Dock Workers Advisory Committee.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Dock Workers (Regulation of Emplyment) Act, 1948 (9 of 1948), read with sub-rule (3) of rule 3 and the second proviso to sub-rule (1) of rule 6 of the Dock Workers (Advisory Committee) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri V. V. Rama Rao as a member of the Dock Workers Advisory Committee vice Shri M. V. Bhadram and makes the following amendment in the said Notification, namely :—

In the said Notification, under the heading "Members representing the Dock Workers" in item 5, for the name "Shri M.V. Bhadram", the name "Shri V.V. Rama Rao" shall be substituted.

[F. No. LDO/44/82-US(L)VOL. III]

SUDESH KUMAR, Under Secy.

Note : The principle notification was published vide S.O. No. 650(E) dated the 6th September, 1982. This was subsequently amended vide notifications mentioned below :—

S.O. No. 721 (E) dated the 8th Oct., 1982.

S.O. No. 849 (E) dated the 15th Dec., 1982.

S.O. No. 4380 dated the 3rd Dec., 1983.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 23rd November, 1984

S.O. 4417.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay No. II in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board, Pune and their workmen which was received by the Central Government on the 16th November, 1984.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 6, 1985/चैत्र 16, 1907
No. 173] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 6, 1985/CHAITRA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1985

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 289(अ) :—दिल्ली 2001 के परिप्रेक्ष्य और शहरी विकास के नये आयामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मास्टर योजना में निम्नलिखित विस्तृत संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें एतद्द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति हो अथवा वह सुझाव देना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में इस सूचना की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को भेज देना चाहिए। आपत्ति अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन

(1) अध्याय 1 के शीर्षक "भूमि उपयोग प्लान" के स्थान पर निम्नलिखित पाठ सहित "विकास-नीतियां; योजना मानक और भूमि उपयोग प्लान" प्रतिस्थापित किया जाए।

[illegible] और उप-शीर्षक होगा :

[illegible] के विकास के विभिन्न [illegible] दिल्ली [illegible] प्रभावित कर [illegible] प्रभाव डालता है और बाद [illegible] विशेष रूप से निकटवर्ती वातावरण से प्रभावित होता है। व्यापक दृष्टि से दिल्ली का प्रभाव सारे भारत पर है और राजधानी के रूप में समस्त विश्व पर। एक अन्य स्तर पर दिल्ली को उत्तरी भारत के समस्त व्यापक क्षेत्र में केन्द्रीय महत्व का स्थान प्राप्त है। 1947 से, जब भारत को आजादी मिली है तबसे यह प्रभाव वस्तुतः दुगने और प्रभाव के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है।

दिल्ली के विकास की उन्नति करते हुए सरकारकाल से निर्णय है कि [illegible] बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता रहा है और [illegible] के लिए आधार की व्यवस्था करता रहा है तथा दिल्ली निवासियों एवं महानगर मेहमानों की उत्पादकता में वृद्धि करे है। इन सबके अलावा बाजारों जिनकी व्यवस्था सहारों द्वारा हो की [illegible] है, की आवश्यकता है जो उत्पादन के बदलते हुए स्वरूपों के अनुकूल हों।

बढ़ते हुए प्रवास के कारण दिल्ली का विकास मुख्यतः से हो रहा है यद्यपि विकासशील विश्व में शहरों के ऐसे भी उदाहरण हैं जो दिल्ली के जो तेज गति से बढ़ रहे हैं किन्तु शहर का विकास और विस्तार होता है उसके लिए भूमि, आवास परिवहन एवं अनिवार्य आधारिक संरचना की

व्यवस्था एवं प्रबन्ध की समस्याएं भी और अधिक जटिल होती जाती हैं यदि अभ्यंतर शहर के इस विस्तार के भाग को अन्य शहरों-छोटे किन्तु गतिशील शहरों की शृंखला में व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह छोटी-छोटी बस्तियों के लिए शक्ति के स्त्रोत के साथ-साथ "अभ्यंतर शहर" के लिए राहत होगी।

संतुलित क्षेत्रीय विकास :

दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान राज्यों से आते हैं। प्रवास की वर्तमान रेंज प्रति वर्ष 1.6 लाख व्यक्तियों से अधिक है। शहरीकरण एवं प्रवास के संदर्भ में रोजगार सर्जन करने के संबंध में दिल्ली के लिए एक निश्चित प्रतिबंधक नीति की आवश्यकता है। इस नीति की मुख्य निर्देशक-रेखाएं निम्नलिखित होंगी :—

(1) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के केवल ऐसे नये कार्यालय स्थापित किए जाएं जो प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के मंत्रालयों का कार्य करते हों।

(2) दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्तमान कार्यालयों को स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा जहां तक व्यवहार्य हो वहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नये कार्यालय उनके संक्रियात्मक क्षेत्रों में दिल्ली से बाहर स्थापित किए जाने चाहिए।

(3) दिल्ली में औद्योगिक विकास को छोटे पैमाने की इकाइयों पर जोर देकर सीमित किया जाना चाहिए जिनमें कुशलता की आवश्यकता हो लेकिन मानव-शक्ति एवं कच्ची की कम आवश्यकता हो और जो अर्थात्मक एवं स्वच्छ हों तथा दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर उपयोगी हों।

(4) उद्योगों तथा वितरक व्यापार में रोजगार को सीमित करने के लिए वित्तीय एवं वित्तीय उपाय अपनाए जाने चाहिएं।

इस संदर्भ में, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एक योजना द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के लिए संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती राज्यों में प्रवासों का प्रावधान करेगा, जिनमें संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, उ.प्र. और राजस्थान के कुछ भाग सम्मिलित हैं। दिल्ली पर पड़ने वाले दबाव को समाप्त करने और क्षेत्र का जल्दी विकास करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठोस कार्यवाही करने और केन्द्रीय सरकार और उपक्रमों के कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों तथा वितरक बाजारों की अवस्थिति के लिए वातावरण उत्पन्न करके उचित आधारिक संरचना की व्यवस्था द्वारा संभव काउन्टर मैगनेट्स की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।

दिल्ली महानगर क्षेत्र (दि.म.क्षे.)

संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली की देहलीज की बस्तियों की प्रक्रियाधीन विकास परियोजनाओं का दिल्ली और उसके उप क्षेत्र अर्थात् दिल्ली महानगर क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है जिसको पुनः परिभाषित किया गया है और उसमें संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली, नोएडा नियंत्रित क्षेत्र, गुड़गांव, बहादुरगढ़, कुण्डली और हरियाणा की दिल्ली रिज का विस्तार सम्मिलित है। इस प्रकार दिल्ली महानगर क्षेत्र का क्षेत्र 3,182 वर्ग किलोमीटर (वर्ग कि.मी.) होगा।

नियोजन के उद्देश्य से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित दिल्ली महानगर क्षेत्र को एक शहर के समूह के रूप में माना जाना चाहिए। इस योजना में परिवहन और रिज की परिभाषा जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को वस्तुतः रूप से व्यवस्थित किया गया है। दिल्ली महानगर क्षेत्र के संतुलित विकास के पूर्ण हित में नियोजन के कार्य केन्द्र और राज्यों से परामर्श करके तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड के पूर्ण निर्देशन और नियंत्रण में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टी.सी.पी.ओ.) को दिया जाना चाहिए।

जनसंख्या और रोजगार :

1971—81 के दशक में दिल्ली की शहरी जनसंख्या 4.69% वार्षिक वृद्धि की दर से और ग्रामीण जनसंख्या 0.77% वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ी है। ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के क्रमिक स्थानान्तरण और उनके शहरी क्षेत्रों में मिल जाने से प्रभावित हुई है। यदि जनसंख्या वृद्धि की यही दरें जारी रही तो वर्ष 2001 तक शहरी जनसंख्या 144.26 लाख और ग्रामीण 5.27 लाख हो जाएगी। अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास पर विचार करते हुए संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या को निम्न रूप में रखा गया है :—

	(लाख में)
दिल्ली शहरीकरण योग्य सीमाओं-2001 की जनसंख्या	121.73
दिल्ली शहरीकरण योग्य सीमाओं से बाहर 2001 की जनसंख्या	6.37
योग	128.10

जनगणना के अनुसार दिल्ली हेतु पिछले दो दशकों की संघटकीय दर (दर्शायित जनसंख्या : कुल जनसंख्या × 100) है :—

वर्ष	शहरी	ग्रामीण
1971	[illegible]	[illegible]
1981	31.93	28.49

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ने से 2001 हेतु सहभागिता दर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की शहरीकरण योग्य सीमाओं से बाहर शहरी दिल्ली में 35% और दिल्ली के क्षेत्र में 33% के क्रम में होनी चाहिए। इससे अतिरिक्त श्रमिक जनसंख्या सहित 40.09 लाख के कुल श्रम बल की वृद्धि होगी जो कार्य करने के लिए दिल्ली आते हैं किन्तु शहरों में नहीं रहते। विभिन्न आर्थिक खण्डों में श्रम बल को निम्नलिखित रूप में वितरित किया गया है :—

[illegible] दिल्ली-2001 के लिए वर्गीय संभार

खंड	शहरी सीमाओं में (000 में)	शहरी सीमाओं से बाहर (000 में)	योग (000 में)
1	2	3	4
कृषि	13 (0.30)	59 (30.00)	72 (1.60)
विनिर्माण			
(1) संस्थापना— खंड	1071 (25.00)	49 (20.00)	1110 (24.80)
(2) गैर संस्थापना खंड	214 (5.00)	6 (3.00)	220 (4.90)
निर्माण	227 (5.30)	4 (2.00)	231 (5.10)
व्यापार एवं वाणिज्य	964 (22.50)	12 (6.00)	976 (21.80)

1	2	3	4
परिवहन	488 (11.40)	16 (8.00)	504 (11.30)
अन्य सेवाएं	1306 (30.50)	61 (31.00)	1367 (30.50)
प्रतिशतता	4283 (100.00)	197 (100.00)	4480 (100.00)
अस्थायी श्रमबल	428	..	428
योग			4908

शहरी सीमाओं में अन्य सेवाओं के अनुपातों का और विभाजन निम्नलिखित क्रम में किया गया है :—

खण्ड	श्रमिक	
	(000 में)	(प्रतिशतता)
केन्द्रीय सरकार	316	22.00
अर्द्ध-सरकारी	384	26.70
दिल्ली प्रशासन	153	10.60
स्थानीय निकाय	241	16.80
निजी	343	23.90
योग	1437	100.00

यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहीं तो औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली में बहुत अधिक श्रम बल (लगभग 37%) होने की संभावना है। अर्थव्यवस्था का कार्यात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि यदि सुझाए गए उपायों के माध्यम से औद्योगिक रोजगार को सीमित किया जाए।

दिल्ली शहरी क्षेत्र–2001

संघ राज्य-क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 148,639 हेक्टेयर (हेक्ट.) है। इसमें से 44,777 हेक्टेयर क्षेत्र को इससे पूर्व योजना में निर्धारित शहरीकरण योग्य सीमाओं में सम्मिलित किया गया था। फिलहाल इस क्षेत्र में लगभग 44 लाख शहरी जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्र शहरी जनसंख्या 1981 की जनगणना में नगरों के रूप में घोषित 17 बस्तियों और नजफगढ़ तथा नरेला में रहती है। वर्ष 2001 तक 122 लाख शहरी जनसंख्या को बसाने के लिए दो प्रकार की योजना की सिफारिश की गई है; (1) 1981 तक घोषित शहरीकरण योग्य सीमाओं में क्षेत्र की जनसंख्या बसाने की क्षमता को बढ़ाना और (2) जहां तक आवश्यकता हो वहां पर वर्तमान शहरीकरण योग्य सीमाओं का विस्तार करना।

वर्तमान शहरीकरण योग्य सीमाओं में क्षेत्र की बसाने की क्षमता निम्नलिखित पर निर्भर करती है :—

(1) [illegible]

(2) आधारिक संरचना-भौतिक एवं सामाजिक की उपलब्धता/सम्भाव्यता।

(3) रोजगार क्षेत्र/केन्द्र क्षमता एवं सम्भावना।

(4) परिवहन तंत्र क्षमता।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2001 तक दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 की वर्तमान की सीमाओं को विशेष संशोधन के रूप में फैलाकर और उसमें कुछ संशोधन करके लगभग 82 लाख जनसंख्या को [illegible] क्षेत्र (10 लाख की शहरी जनसंख्या में समाना) का विभाजन नीचे दिया गया है :—

डिवीजन	तत्कालिक विस्तार सहित दि. श. क्षे 81 में जनसंख्या			
	नुक्स योजना के अनुसार	जनगणना 1981	धारणक्षमता	प्रक्षेपित-2001
पश्चिम				
ए	3,32,600	6,22,207	4,20,460	4,20,460
सीमान्त सम्भाव्यता बी	3,98,200	5,67,804	6,30,000	6,19,200
सी	3,87,685	5,30,547	7,50,800	7,12,055
अधिक सम्भाव्यता डी	6,34,100	4,96,058	7,54,685	7,03,510
ई	9,69,270	10,28,794	17,89,300	14,38,080
जी	8,27,125	8,22,200	12,78,425	11,91,840
एच	9,03,175	8,68,277	14,89,600	13,69,100
योग	9,20,485	5,17,687	18,66,270	15,97,900
	52,62,640	54,53,574	88,78,540	82,52,145

अगले दो दशकों में राजधानी की वृद्धि की प्रत्याशी रूप से व्यवस्था करने के लिए 40 लाख जनसंख्या को बसाने के लिए दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 को लगभग 24,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की आवश्यकता है जो लगभग 82 लाख की जनसंख्या को सुव्यवस्थित रूप से बसा सकती है। शहरी के संतुलित विकास के सन्दर्भ में वर्ष 2001 तक बढ़ाई गई समय अवधि में विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि का समय-समय पर अधिग्रहण किया जाएगा। अब तक 4,000 हेक्टेयर (लगभग) भूमि दि.श.क्षे.-81 को शहरी सीमाओं में सम्मिलित की गई है। इस प्रकार लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि का शेष आवश्यकता होगी।

निम्नलिखित तरीके से शहरी विस्तार भूमि की अनुमानित विभिन्न भूमि उपयोगों में वितरित किया जाएगा :—

भूमि उपयोग	भूमि का %
आवासीय	45–55
व्यावसायिक	3–4
औद्योगिक	6–7
मनोरंजनात्मक	15–20
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	8–10
परिवहन	10–12

शेल्टर

शेल्टर परिवार की अनिवार्य आवश्यकता होने के अतिरिक्त आर्थिक एवं कल्याण दोनों के विचार से विकास में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अधिकांश परिवारों के लिए आवास शायद पारिवारिक बचत प्रयासों का मुख्य उद्देश्य होता है। तत्वों से बचाव के अतिरिक्त आवास स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी सेवाओं और आय अर्जन करने के अवसरों तक पहुंचने की व्यवस्था करता है जो अधिकतम उत्पादकता और निम्न आय के परिवारों के अर्जन को आगे बढ़ाता है। भारी मात्रा में कम उपयोगिता वाले श्रम की उपलब्धता से कम लागत पर आवास को उत्पादनकारी बनाया जा सकता है।

दक्षता एवं समता :

आवास का रोजगार, सामाजिक सेवाओं और अन्य शहरी क्रियाकलापों से दृढ़ स्थानिक संबंध है। शेल्टर के रूप में इसकी प्रत्यक्ष आवश्यकता के अतिरिक्त आवास स्त्री और बच्चों के कल्याण, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा को हटाने, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रसार, करने जैसे पहलुओं के सामाजिक परिवर्तन करने वाले माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। आवास नीति शहरी क्षेत्रों की दक्षता एवं समता को प्रभावित करने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।

आवासीय घटक :

परिवारों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने के लिए शेल्टर में निम्नलिखित आवश्यक घटक होने चाहिए :

(1) स्थान—तरल क्रियाकलापों हेतु पर्याप्त हो।

(2) आधारिक संरचना

भौतिक-जल, बिजली, तरल एवं ठोस कूड़ाकरकट का निपटान।

सामाजिक-शैक्षणिक, स्वास्थ्य, मनोरंजनात्मक एवं अन्य सुविधाएं

(3) स्थिति—कार्य-स्थल शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं के परिवहन के संबंध में

(4) कार्यकाल—सुरक्षा, आवश्यकताओं के अनुकूल किराएदारी स्वामित्व।

(5) सामाजिक-आर्थिक

अनुकूलता सामाजिक रूप से अनुकूल पड़ोस एवं उपलब्धि के अनुसार आर्थिक रूप से अनुकूलता।

आवास की आवश्यकता :

फिलहाल शहरी दिल्ली में लगभग 11.5 लाख गृहस्थ विभिन्न आवासीय योजनाओं-पुनर्वास आवादकार, भूखंडीय, बहु पारिवारिक, अनधिकृत, गांवों, परम्परागत एवं अन्य योजनाओं में रहते हैं। अगले दो दशकों में लगभग 13 लाख गृहस्थों की और वृद्धि हो जाएगी। सभी परिवारों के लिए उचित आवास की व्यवस्था करना—योजना का मुख्य विषय है। वर्तमान आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण सुधार और पुनर्जीवन के साथ साथ नये आवासीय क्षेत्रों के विकास क्षेत्रों पर ही बल दिया जाना चाहिए।

फिलहाल लगभग 3.0 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है जिसमें (1) आवासहीन गृह आवादकार (2) गंदगी बने हुए क्षेत्रों में आवासों को बांटकर रहने वाले परिवार और (3) जिन आवासों को बदलने की तुरंत आवश्यकता है सम्मिलित हैं। अगले दो दशकों (1981—2001) में लगभग 16.2 लाख नई आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी जिन्हें 5 वार्षिक अंतरालों में विभाजित किया गया है जो नीचे दिया गया है :—

	आवश्यक नए आवास	प्रति वर्ष औसत
	'000	'000
1981—86	323	65
1986—91	379	76
1991—96	434	87
1996—2001	483	97

आवास पर आधारित ऐसी व्यवस्था का विभिन्न एजेन्सियों का सांकेतिक प्रतियत निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

आवासीय प्रकार	भूमि विकास	निर्माण एजेन्सी	आवास का %
योग	स्वयं	स्वयं	
आवास	विभाग	विभाग	3
व्यक्तिगत भूखंडों पर आवास	मुख्य भाग पहले से विकसित	व्यक्तिगत परिवार	17
नियोक्ता आवास	केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशा. स्थानीय निकाय	केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशा. स्थानीय निकाय	4
नियमित इनफिल सामान्य आवास	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत	8
(ए) स्वयं एवं सेवाएं	आवास एजेन्सी	व्यक्तिगत परिवार	25
(बी) निर्मित एवं आंशिक रूप से निर्मित आवास	आवास एजेन्सी एवं सहकारी	आवास एजेन्सी एवं सहकारी	43

दिल्ली में आवासीय सहकारी समितियों ने, जो सार्वजनिक और प्राईवेट के बीच अति व्यापी क्षेत्र है काफी सफलता प्राप्त की है और उन्हें और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भूखण्डीय आधार पर व्यक्तिगत आवास वाली लघु सहकारी समितियों को भी प्रारम्भ किया जा सकता है। आवासों के निर्माण के लिए स्वयं एवं सेवा योजनाओं में

इस श्रेणी हेतु पृथक परिवारों को सांस्थानिक वित्त के विकास की आवश्यकता होती है।

(ग) एक रूप से निर्मित मूखंडीय आवास—नयी संकल्पना :—

1962 में योजना लागू होने से पूर्व सामान्य जनता के लिए आवास 2 परिवारों के भूखंडीय विकास के रूप में उपलब्ध था। 1962 में इस योजना में इसके साथ-साथ बहुपरिवार (समूह) आवास का प्रस्ताव किया गया था। हाल ही में दो परिवार की योजना वाले विकास के लिए दूसरे तल पर तीसरे परिवार की इकाई को अनुमति दी गई है जिसे सामान्यतः "बरसाती" तल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान आवासीय योजनाओं के सर्वेक्षणों/अध्ययन से संकेत मिलता है :—

(1) लम्बे समय तक अधिकांश योजनाकृत विकास केवल पहली मंजिल तक रहता है और इस प्रकार सामान्यतः प्रति भूखंड एक से दो परिवार (लगभग 7 व्यक्ति) इसमें रहते हैं।

(2) समग्र शहरी डिजाइन में समूह आवास भूमि का बहुत सीमान्त सहन उपयोग करता है।

(3) निर्मित आवासों को प्राथमिकता है।

आवासों का निम्नलिखित से भी संबंध है :—(1) खर्च करने का सामर्थ्य (2) भूमि उपयोगिता की कुशलता (भूमि उपयोग प्रबलता) (3) समता (शहरी भूमि का सामाजिक वितरण) (4) वैकल्पिक विचार-धाराएं। सामान्य आवास का सबसे उपयुक्त प्रकार से 70 से 80 वर्ग मीटर (वर्ग मी.) तक के पृथक-पृथक भूखण्डों पर आंशिक रूप से निर्मित आवास होगा।

प्रत्येक गृहस्वामी को स्थान की दृष्टि से 80 वर्ग मी. से 120 वर्ग मी. का आवास प्राप्त होगा। पृथक भूखंड होने के कारण इसका निर्माण चरणों में किया जा सकता है। जैसा कि खर्च करने का सामर्थ्य हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु स्वच्छ एवं सेवाओं और सेवा कर्मियों के मामले में कम से कम 32 वर्ग मी. के भूखंडों पर एकल परिवार के आवासों की व्यवस्था की जा सकती है जिसमें पृथक स्नानागार और शौचालय होगा।

इस प्रकार के आवासों द्वारा 350-400 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (व्य. प्र. है.) का कुल आवासीय घनत्व प्राप्त किया जा सकता है, और शहर के स्तर पर 180-200 व्य. प्र. है. का समग्र घनत्व संभावित है। अब भी उच्च सकल आवासीय घनत्व सीमान्त रूप से मालवे/भूमि के अनुपात को बढ़ा रहा है और इसे विशेष स्थितियों में ही निर्धारित किया जाना चाहिए। तुलना के लिए यह देखा जा सकता है कि 1961—81 के दौरान योजना में निर्धारित सकल आवासीय घनत्व बहुत कम थे; निर्धारित औसत सकल आवासीय घनत्व 187 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और सम्पूर्ण शहर स्तर का घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था।

प्रस्तुत किए गए रूप में सामान्य सार्वजनिक आवास के मुख्य भाग के लिए शहरी भूमि के न्यायसंगत वितरण के लिए व्यवस्था की जा सकती है। केवल आवास के छोटे भाग को ही 3 परिवार भूखंडों के रूप में दिया जा सकता है जिनका आकार 150 वर्ग मी. से 250 वर्ग मी. तक होगा और वे बहु-परिवार के आवास होंगे। आवासीय भूखंड सीमित संख्या में (1% से कम) 350 वर्ग मी० तक हो सकते हैं।

आवासीय क्षेत्रों में योजनाबद्ध मिश्रित उपयोग प्रारम्भ करना वांछनीय होगा। आवासीय योजनाओं में दुकान/घरेलू उद्योगों के लिए भू-तल पर और आवास के प्रथम या उससे ऊपर के तल पर अभिप्रेत मिश्रित उपयोग के लिए विशेष रूप से भूखंडों के समूह का आरक्षण भी रखना चाहिए।

संरक्षण, पुनर्जीवन एवं पर्यावरणी सुधार :

परंपरागत क्षेत्रों के सामने में संरक्षण एवं पुनर्जीवन आवश्यक होता है और अन्य पुराने निर्मित क्षेत्रों पुनर्वास कालोनियों, और शहरी गांवों में पर्यावरणीय उन्नयन और सुधार की आवश्यकता होती है।

परंपरागत आवास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग चार दीवारी का शहर है किसी समय जो एक सुन्दर शहर या वह अब एक अव्यवस्थित चित्र प्रस्तुत करता है। चार दीवारी का शहर शाहजहांबाद सुविस्तृत महानगर का एक धर्मसंकट क्षेत्र बन गया है जिसमें केन्द्रीय व्यापार जिला स्थापित है। वर्ष 1961 तक चार दीवारी के शहर शाहजहांबाद में जनसंख्या बहुत घनी हो गई किंतु तब से आवासीय उपयोग बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित हो गए हैं। नीचे दी गई तालिका देखें :—

स्थान	जनसंख्या लाखों में			
	1951	1961	1971	1981
चार दीवारी का शहर	3.81	4.20 (+10.24)	4.09 (−2.62)	3.62 (−11.49)
योजना दिल्ली "ए"	6.12	6.50 (+29.81)	6.80 (+4.62)	6.22 (−8.52)

चार दीवारी के शहर के परंपरागत क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है :—

(1) हानिकर और खतरनाक उद्योगों और व्यापार को स्थानांतरित करना और गैर-आवासीय कार्यकलापों को सीमाबद्ध करना।

चार दीवारी के शहर में असल, रसायनों और ज्वलनशील सामग्री का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाईयां और प्लास्टिक, केमीकल आदि के व्यापार हानिकर एवं खतरनाक हैं। इस क्षेत्र की सबसे पहले आवश्यकता [illegible] ऐसे उद्योगों और व्यापारों का पारिस्थितिकी के आधार पर विस्तृत [illegible] और इन व्यापारों के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

चार दीवारी के शहर के पर्यावरणी सुधार के लिए (1) थोक गोदामों को थोक एवं भंडारण क्षेत्रों में और डेयरियों को ग्रामीण उपयोग जोन क्षेत्रों में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता है। थोक फल एवं सब्जी मार्किट अनाज, फूल, मंडी को भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 1961—91 की अवधि में चार दीवारी के शहर में थोक व्यापार और अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस बात का पूरा खतरा है कि कहीं थोड़े समय में संपूर्ण चार दीवारी का शहर पूर्णतः व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तित न हो जाए जिससे शहरी परंपरा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। वर्तमान व्यावसायिक क्रियाकलापों को स्थानान्तरित और पुनः स्थापित करना भी संभव नहीं होगा किंतु यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक क्रियाकलापों को वर्तमान स्तर तक सीमित किया जाना चाहिए। अध्याय-2 में विकास संहिता के खंड 9 को देखें।

चार दीवारी के शहर में लगभग 1.5 लाख व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। 1961-81 की अवधि के दौरान चार दीवारी के शहर में व्यावसायिक उपयोग वाली आबादी के शहर में थोक व्यापार हेतु

चांदनी चौक के उत्तर में सामान्य व्यापार एवं वाणिज्य हेतु और खारीबावली मार्किट के फुटकर व्यापार केन्द्र तक सीमित था। फिलहाल व्यापार और वाणिज्य क्रियाकलाप व्यावहारिक रूप से चार दीवारी के शहर के समस्त आवासीय क्षेत्रों में अनुचित रूप से प्रविष्ट हो गए हैं। भवनों की आर्थिक वृद्धि के 240.69 हेक्टेयरों में से 98.34 हेक्टेयर अर्थात् 40% का व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग होता है। संरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान स्तर तक गैर-आवासीय क्रियाकलापों को परिसीमित करना नितांत आवश्यक है।

(2) भौतिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना का उन्नयन :

यद्यपि चार दीवारी के शहर के संपूर्ण भागों में जल आपूर्ति की लाइनें और सीवर लाइनें उपलब्ध हैं फिर भी कमी लगभग 25% आवासों को नगरपालिका की जल आपूर्ति और लगभग 50% आवासों को नगरपालिका के सीवर कनैक्शन उपलब्ध नहीं हैं।

चार दीवारी के शहर में अनिवार्य रूप से जल-आपूर्ति और सीवर कनैक्शन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। शहर के सघन रूप से निर्मित इस भाग को साफ रखने के लिए मार्ग पर पाइपों अथवा छेदों आदि से लिए जाने वाले पानी के बहाव को रोकने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही अपनाई जा सकती है। कटरों का पुनर्निर्माण करके सामाजिक आधारिक संरचना की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) यातायात एवं परिवहन, प्रबंध एवं विनियम :

चार दीवारी के शहर में धीमी गति वाला यातायात बड़े पैमाने पर है जिसके लिए चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, श्रद्धानंद मार्ग और आसफ अली रोड जैसे मार्गों पर ट्राममार्ग को पुनः प्रारम्भ करना उचित होगा।

ट्राम मार्गों के प्रारम्भ होने पर अजमेरी गेट और लाल किले पर पार्किंग गैराजों की व्यवस्था करना आवश्यक होगा ट्रामों का प्रबंध करने के अतिरिक्त यातायात के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय भी किया स्थित किया जाना है।

(क) दो मुख्य सड़कों अर्थात् दिल्ली गेट व कश्मीरी गेट और को सड़क और दूसरी मोरी गेट व रेलवे स्टेशन के सामने से गुजरने वाली कौड़िया पुल के बीच वाली सड़क पर बसों और मोटरकारों को अनुमति दी जाए।

(ख) उपर्युक्त (क) में दी गई सड़कों से कारों को चार दीवारी के शहर में आने की अनुमति न दी जाए और वे निर्दिष्ट स्थानों पर खड़ी की जाएं।

(ग) मोरी गेट और अजमेरी गेट पर दो माल-टर्मिनलों का विकास किया जाएगा जहां से माल को छुटके-टुकों अंतुता ट्रैफिक से ले जाया जाएगा। इन टर्मिनलों से माल को चार दीवारी के शहर में उनके गंतव्य स्थलों तक बैटरी से चलने वाले वाहनों से ले जाया जाएगा। पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले समस्त वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

(4) ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा चार दीवारी के शहर में 411 ऐतिहासिक स्मारक स्थल एवं भवन बताए गए हैं। इनमें से लाल किले (32 स्मारक) और जामा मस्जिद सहित केवल 42 स्मारक ही सुरक्षित हैं। चार दीवारी के शहर के पुनर्निर्माण के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बताए गए सभी स्मारकों और प्राचीन धार्मिक भवनों को उचित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) आवासीय क्षेत्र का पुनर्जीवन :

फिलहाल लगभग 568 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में से 180 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत आता है। जिसमें से केवल 145 हेक्टेयर आवासीय उपयोग के लिए जैविक विकास के रूप में है। शेष का भाग या तो अनधिकृत रूप से पुनर्निर्मित किया जा चुका है अथवा व्यावसायिक के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में परिवर्तित हो चुका है। अगर रहने योग्य आवासीय क्षेत्र के रूप में जैविक विकास के 145 हेक्टेयरों को पुनर्जीवित देना संभव हो जाए तो इससे बड़ा महत्व न होगा।

भवनों की परंपरागत विशेषता और शैली को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवन किया जाना चाहिए। सामान्य आवासों के लिए विद्यमान वास्तु-संरचनात्मक स्थिति के अनुसार मरम्मत की व्यवस्था की जाए। गलियों को पुनः बनाने के लिए कटरों का पुनर्निर्माण किया जाए और बहुमंजिलात्मक भवनों की व्यवस्था की जाए।

सघन परिवेश में, चार दीवारी के शहर के संरक्षण को सफल बनाने हेतु वर्तमान आवासीय विशेषता के संरक्षण में शहर के वर्तमान ढांचे और आकृति एवं मार्ग-दृश्य की विशेषता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

चार दीवारी के शहर का विस्तार :

चांदनी चौक, सदर बाजार और खारीबावली रोड जैसे क्षेत्र मुख्यतः मिश्रित और इनसे जुड़े प्राचीन सघन निर्मित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में यातायात की अत्यधिक, अवांछित भौतिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना, सुने स्थानों पर व्यापार की बहुत संभावना है। सामाजिक संरचना के समुचित स्तर [illegible] के लिए इन क्षेत्रों से संबंधी कांट्रेक्टर करने की आवश्यकता है। [illegible] क्षेत्रों की आवश्यकता [illegible] में संबंधी कांट्रेक्ट द्वारा भौतिक और सामाजिक-आर्थिक उपसंरचना प्रदान होनी चाहिए। थोक व्यापार के लिए प्रोत्साहन आवश्यक सामाजिक संरचना की व्यवस्था करके सदर बाजार की थोक मार्किट को वहीं पुनर्विकसित किया जा सकता है।

पुनर्वास कालोनियां : पुनर्वास कालोनियों की सामाजिक आवश्यकता संबंधित सेवाएं अर्थात् पानी, सीवर और बिजली है। कनैक्शन जोड़ने वाली सड़कों के उपलब्ध न होने अथवा विलंबित होने के कारण बहुत से लोग से स्थान विलंबित अस्तित्वहीन करना संभव न होगा। ऐसे [illegible] से अधिकांश लोगों अथवा अनुचित आधार पर दिल्ली विधि द्वारा कम [illegible] स्वच्छता-प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। संबंधित सरकारी विभागों और आवासीय एजेंसियों ने सामाजिक कार्य को पूरा करने के लिए जो गैर सरकारी संगठन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, शिशु सदन, बालवाड़ियों और इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करने के लिए आगे आते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आय बढ़ाने के लिए परिवारों की क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। इन बस्तियों में अथवा उनके निकट उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और उसकी परिवीक्षा की जानी चाहिए।

अनधिकृत कालोनियां : प्रत्येक योजनाबद्ध विकास के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है जिसका इस शहर में इस प्रकार के हो रहे भवन-निर्माण क्रियाकलाप में अभाव प्रतीत होता है। शहर में विद्यमान लगभग 600 से अधिक अनधिकृत कालोनियां जिन पर नियमन के लिए विचार किया गया है, इसका परिणाम हैं। इन कालोनियों में विद्यमान भौतिक पर्यावरण के निम्न स्तर में सुधार लाने के लिए नियमन का वर्तमान तरीका सहायक सिद्ध नहीं होगा। भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचना का सुधार करने के लिए अनधिकृत कालोनियों में सक्षम माध्यमों को सोसायटियों का गठन करने के लिए कहा जाना चाहिए और इन सोसायटियों को लक्ष्य समूह के सुधार हेतु योजनाएं लेकर आगे आना चाहिए। इससे कार्यों की वर्तमान स्थिति में सुधार आने की सम्भावना है।

शहरी गांव : इस शहर शहरीकरण योग्य सीमाओं में 106 गांव हैं। इनके विस्तार होने के कारण शहरी क्षेत्र में और गांव को सम्मिलित होने। कालोनियों से इन बस्तियों की जीवन शैली पूर्णतः भिन्न है जो अब शहरी वातावरण में मिल रही हैं और नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में इनकी [illegible] की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इन बस्तियों को आधुनिक सेवाएं और सुविधाएं दी जानी चाहिए और उनकी परंपरागत सांस्कृतिक शैलियों को भी पुष्ट किया जाना चाहिए।

लुटियन की नई दिल्ली : नई दिल्ली का आवासीय क्षेत्र लिटियन, राजपथ के दक्षिण क्षेत्र का बहुत सुन्दर पर्यावरण है। फिलहाल इस क्षेत्र में आवासीय इकाइयों को अलग करके बड़े आवासीय भूखंड भी हैं। अपने वर्तमान रूप में, शहर के मध्य-भाग में यह बहुत कम घनत्व वाला अद्वितीय क्षेत्र है।

इस क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु क्षेत्र को पुनः सघन बनाने और पर्यावरण का संरक्षण करने की दृष्टि से नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति के डिजाइन समूह द्वारा कई विषयों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन को और परिष्कृत किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र को बुरा जटिल विशेषता में बाधा न पड़े। सिविल लाईन क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाना चाहिए।

सामान्यतः वर्तमान सभी विकसित आवासीय क्षेत्रों का एकाएक करके पर्यावरणी सुधार (1) वृक्षारोपण एवं भू-दृश्य निर्माण (2) सामाजिक संरचना की व्यवस्था—भौतिक एवं सामाजिक और इनका अभाव है (3) स्थानीय निकायों द्वारा [illegible] आधारिक संरचना के प्रबंध का [illegible]

कार्य-केन्द्र

उद्योग

फिलहाल लगभग 46000 औद्योगिक इकाइयां हैं। 10 कामगारों से कम वाली 77% और 10 से 20 कामगारों के बीच वाली 16% इकाईयां हैं। 2001 तक औद्योगिक इकाईयों की संख्या लगभग 93,000 तक बढ़ जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में श्रम-बल का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पिछले तीन दशकों और इनमें से भी सर्वाधिक पिछले पांच वर्षों में शहर की औद्योगिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। निम्नलिखित दो प्रकार के वर्तमान उद्योगों के लिए आधार का आवश्यकता है जिनका बहुत तेजी से विकास हुआ है।

(1) इलैक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स

(2) रबड़, प्लास्टिक एवं पेट्रोलियम-उत्पाद

विद्यमाने विनियमों के अनुसार बड़ी संख्या में वर्तमान उद्योग नॉन-कान्फार्मिंग रूप में स्थित होंगे चूंकि ये आवासीय और व्यावसायिक उपयोग जोनों में स्थित हैं। इस प्रकार शहर में उद्योगों के कान्फार्मिंग /नॉन-कान्फार्मिंग और संपूर्ण अनुकूलता के विषय में अध्ययन किया गया है।

अनुबंध-3—उद्योगों का वर्गीकरण में निर्धारित शर्तों के अनुसार विभिन्न उपयोग जोनों में नई औद्योगिक इकाईयों की अनुमति होगी। विभिन्न उपयोग जोनों में विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के लिए निम्नलिखित सिफारिश की गई है :—

(क) अनुबंध-3 क में निर्दिष्ट किए गए प्रकारों के अधिकतम 5 कामगारों और 1 किलोवाट पावर वाले उद्योग आवासीय क्षेत्रों के अनुकूल हैं और उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाए। आवासीय क्षेत्रों में इस प्रकार के नये उद्योगों की भी अनुमति दी जा सकती है।

(ख) अनुबंध-3 छ में निर्दिष्ट किए गए प्रकारों की औद्योगिक इकाईयां और 20 अथवा उससे अधिक कामगार वाले अन्य उद्योग आवासीय, व्यावसायिक और अनौद्योगिक उपयोग जोनों के अनुकूल नहीं हैं। इन्हें तत्काल स्थानांतरित किया जाना चाहिए। (अधिकतम अवधि 5 वर्ष)

(ग) अनुबंध-3 ण, ग, घ, च—में निर्दिष्ट किए गए प्रकारों (नु अनुबंध-3 के अनुसार नॉन-कान्फार्मिंग 10—19 कामगारों वाली औद्योगिक इकाईयों को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग जोनों में चलते रहने दिया जाए और इस अवधि के दौरान उन्हें पुनः स्थापना का पूरा अवसर देते हुए पांच वर्षों के बाद पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुबंध 3 के अनुसार केवल अनुकूल नयी औद्योगिक इकाईयों को आवासीय अथवा व्यावसायिक उपयोग जोनों में अनुमति दी जानी चाहिए।

(घ) अनुबंध-3 ख, ग, घ, च, छ में निर्दिष्ट किए गए प्रकारों किंतु अनुबंध-3 के अनुसार नॉन-कान्फार्मिंग 9 कामगारों तक की औद्योगिक इकाईयों को आवासीय और व्यावसायिक जोनों में चलते रहने दिया जाए और इस अवधि के दौरान उन्हें पुनः स्थापना का पूरा अवसर देते हुए पांच वर्षों के बाद पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। "क" की इकाईयों के बारे इसकी व्यवस्था की गई है।

(च) अनुबंध-3-झ में दिए गए प्रकारों की औद्योगिक इकाईयों को संघ राज्य-क्षेत्र, दिल्ली में अनुमति नहीं है।

दिल्ली में 82 जल प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाईयां हैं। इन इकाईयों का विस्थापन के योजन हेतु पुनर्वास/संपूरक पर्यंत करने चाहिए। [illegible] इकाईयों का उचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित [illegible]

[illegible] और पुनर्वासित करने के बाद निम्नलिखित औद्योगिक संपदाओं [illegible] औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास व्यवस्थाएं तैयार की जानी चाहिए। पर्यावरण का उन्नयन करने के बाद जो औद्योगिक इकाईयां उपयोग जोन में निरापद और अनुरूप हों उन्हें नियमित किया जा सकता है।

(1) आनन्द पर्वत	हल्का औद्योगिक क्षेत्र
(2) [illegible]	हल्का औद्योगिक क्षेत्र
(3) [illegible] बादली	विशेष औद्योगिक क्षेत्र

प्रत्येक औद्योगिक इकाई का नियमन उसके अपने गुणों के आधार पर होगा। इन योजनाओं का नियमन करने संबंधी पद्धति का निर्णय किया जा सकेगा।

विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के लिए उपर्युक्त सिफारिशें हो जाने से।

(क) लगभग 5,000 औद्योगिक इकाईयों को जो उत्पातकारक, हानिकर और खतरनाक प्रकार की हैं, उन्हें पांच वर्षों में नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा।

(ख) लगभग 25,000 औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक उपयोग हेतु निर्धारित किए जाने वाले शहरी एक्सटेंशनों में भूखंड दिए जाएंगे और 5 से 10 वर्षों के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

भूमि उपयोग ब्लाक में किए गए संकेत के अनुसार निर्धारित उपयोग जोनों की निम्नलिखित अवस्थितियों दिल्ली शहरी क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलाप का संचालन किया जाएगा :

(1) हल्के उद्योग—फर्नीचर फैक्टरी एवं सेवा उद्योग

[illegible] जी. टी. रोड पर विस्तारित, [illegible] के निकट, डी. सी. एम., आनंद पर्वत, के.नि नगर, पूसा संस्थान के निकट।

(2) हल्के उद्योग—सेवा केन्द्र (अनुबन्ध 1 देखें)।

(3) [illegible] औद्योगिक संपदाएं

मंगोलपुरी खास, आदर्शनगर, शिवमिल, नांगलोई, के.नि नगर, आनन्द पर्वत, जी. टी. रोड (शाहदरा), केशोपुर, बदरपुर, गुलाबी बाग, हिंदुस्तान प्रीफेब कोलाल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा रोड, नारायणा, दिल्ली ट्रांस योजना, पर्ल नगर, नार्थन रोड, जी. टी. रोड मॉडल मिल, आजाद मार्केट मधुबनगर, रेलवेज रेलवे यार्ड्स का उत्तर और रोहिणी (सार्वे)

(4) विद्यमान औद्योगिक संपदाएं

बिन्दापुर, जोरबाग, नजफगढ़ रोड, मायापुरी, रोहतक रोड, पटपड़गंज, जहांगीरपुरी का दक्षिण, मदर डेयरी, समयपुर बादली।

अगले दो दशकों में औद्योगिक इकाईयों का बढ़ती हुई मुलभरण को पूरा करने के लिए शहरी एक्सटेंशनों में 16 नये छोटे औद्योगिक क्षेत्रों (कुल क्षेत्र लगभग 15.53 हेक्ट.) का विकास करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में निर्दिष्ट प्रकारों हेतु लगभग प्रति 20 हेक्टर वाली 5 इकाईयों तक की औद्योगिक संपदाएं (लघु औद्योगिक संपदा इकाईयों हेतु) होंगी।

समूह-1

(क) सूत, सूती-वस्त्र, ऊन, सिल्क एवं सिंथेटिक फाइबर, सूती-उत्पाद
(ख) फर्नीचर, जुड़नार अन्य लकड़ी एवं कागज के उत्पाद
} 11 औद्योगिक संपदा इकाईयां प्रत्येक

समूह-2

(क) इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक यंत्र
(ख) चमड़ा एवं लोमचर्म उत्पाद रबड़, प्लास्टिक एवं पेट्रोलियम-उत्पाद।

समूह-3

धातु एवं धातु-उत्पाद, मिश्रधातु, मशीन उपकरण, परिवहन के उपकरण एवं पुर्जे तथा विविध उत्पाद।
} 26 औद्योगिक संपदा इकाईयां

पांच यू. आई. ई. निर्दिष्ट औद्योगिक क्रियाकलापों हेतु अर्थात् दो यू. आई. ई. प्रत्येक (1) खाद्य, और (2) रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के लिए होंगी। सड़क को धूल से बचाने के लिए लगभग 100 मीटर की हरित पट्टी द्वारा सभी ओर से खाद्य की यू. आई. ई. को पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। कम्प्यूटर उद्योग के लिए एक यू. आई. ई. का विकास किया जाएगा।

दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में जिन विशिष्ट प्रकारों के उद्योगों को अनुमति दी गई हैं वे नीचे दिए गए हैं:

औद्योगिक क्षेत्र	अनुमति दिए गए उद्योगों के प्रकार
1. लारेंस रोड	खाद्य-उत्पाद
2. वजीरपुर	समूह-1
3. नारायणा फेज-1	समूह-2
4. नारायणा फेज-2	समूह-1
5. जी. टी. करनाल रोड	समूह-1

जिन हल्के व विस्तृत औद्योगिक क्षेत्रों में किसी विशिष्ट प्रकार का निर्धारण नहीं किया गया है उन्हें इन जोनों में अनुमति प्राप्त सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए उपयोग किया जा सकता है।

शहरी एक्सटेंशन में विस्तृत औद्योगिक क्रियाकलापों की दो श्रेणियों से लगभग 265 हेक्टे. में सीमित रखा जाएगा। इन क्षेत्रों का उपयोग मुख्य तौर से विद्यमान प्रतिकूल औद्योगिक इकाईयों को स्थानान्तरित करने और कुछ नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए किया जाएगा।

व्यापार एवं वाणिज्य

फुटकर व्यापार

विपणन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये शहर को श्रेष्ठ उत्पन्न करते हैं। इन क्षेत्रों से जिन-प्रतिदिन की खरीददारी की आवश्यकताओं के साथ-साथ आकस्मिक एवं यात्रेतरांतर खरीददारी की आवश्यकताओं की पूरी तरह

चाहिए। दिल्ली शहर में अनौपचारिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसका पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र जो कि रोजगार का सर्जक है, उचित आधारिक संरचना के अभाव में कम उत्पादकता कर पाता है। अनौपचारिक क्षेत्र को मिलाकर सक्रिय विपणन क्षेत्रों का वर्णन करना संभव है।

फिलहाल दिल्ली में 18.25 दुकान प्रति हजार जनसंख्या की दर से लगभग एक लाख फुटकर दुकानें हैं। विभिन्न आकार और विशेषता वाली ये दुकानें पूरे शहर में फैली हुई लगभग 100 मार्किटों में स्थित हैं। सड़कों के किनारे और जनता के अन्य व्यानाकर्षण केन्द्रों पर इन विपणन क्षेत्रों में लगभग 1.39 लाख अनौपचारिक क्षेत्र की फुटकर इकाईयों (ठेल रहित) भी चल रही हैं। दिल्ली में साप्ताहिक मार्किटों की परंपरा रही है और फिलहाल 6,000 दैनिक विपणन स्थानों सहित 95 साप्ताहिक मार्किट स्पॉट (1 लाख की जनसंख्या हेतु 1.8 साप्ताहिक मार्किट) हैं। ये मार्किट एक सप्ताह में एक स्थान पर कार्य करती हैं और उनमें सप्ताह के भिन्न-भिन्न दिनों में भिन्न-भिन्न [redacted] आते-जाते रहते हैं। फुटकर विपणन केन्द्र, पालिका बाजार—[redacted] अत्यधिक फैशन परस्त अथवा यह कहें कि समस्त उत्तरी भारत में अद्वितीय एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अस्थायी केन्द्रों से भिन्न हैं। लगभग 28 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या के लिए दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में 44,200 फुटकर दुकान (लगभग 26 वर्ग मी. के औसत क्षेत्र वाली दुकान) की आवश्यकता होगी।

शहरी क्षेत्रों में [redacted] लगभग 38.6 लाख वर्ग मीटर का [redacted] कार्यालय स्थान है। अतिरिक्त रोजगार के लिए दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में 24.72 लाख वर्ग मी. और शहरी एक्सटेंशन में 28.44 लाख वर्ग मी. स्थान की आवश्यकता है।

उपक्रमों और सिनेमा, होटल आदि से संबंधित क्रियाकलापों के कार्यालयों के लिए अपेक्षित विपणन व्यावसायिक कार्यालयों और आवश्यक सुविधाओं को स्थान देने के लिए सामान्य रूप से व्यावसायिक क्षेत्रों की पांच तस्तरी प्रणाली को अपनाया जाना है।

क्रम	नाम	नाम प्राप्त करने वाली जनसंख्या
1.	केन्द्रीय व्यापार जिला (उप-केन्द्रीय व्यापार जिले सहित)	शहर (उप शहर सहित)
2.	जिला केन्द्र	4,00,000 से 7,00,000 तक
3	सामुदायिक केन्द्र	60,000 से 1,00,000 तक
4.	स्थानीय बाजार	15,000 से 20,000 तक
5.	सुविधा बाजार	5,000 से 6,000 तक

केन्द्रीय व्यापार जिला :

शहर और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत व्यावसायिक केन्द्रों की संख्या में केन्द्रीय व्यापार जिले (के. व्या. जि.) शिखर पर हैं। केन्द्रीय व्यापार जिले के रूप में कार्य कर रहे वर्तमान क्षेत्र हैं :—

(1) पुराना शहर
(2) आसफ अली रोड
(3) [redacted] (सहायक शहर केन्द्र)
(4) करोल बाग

पुराना शहर, आसफ अली रोड और करोल बाग अब विशेष विनियमों के रूप में पहचानित क्षेत्र के भाग हैं।

और विकास संहिता में दिए गए विशेष विनियमों के अनुसार इनका विकास किया जाएगा। कनॉट प्लेस और इसके विस्तार का महानगर शहर केन्द्र की अनुमोदित विकास योजना के अनुसार विकास किया जाएगा बशर्ते कि इनके विकासकार्यों के लिए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबन्ध किया जाए।

उप-केन्द्रीय व्यापार जिला :

2001 तक उप-नगरीय स्तर पर दो उप केन्द्रीय व्यापार जिले—एक यमुनापार क्षेत्र में और दूसरा शहदरा एक्सटेंशन में विकास हेतु प्रस्तावित है। इन्हें नीचे दी गई भूमि के नियतन के अनुसार विकसित किया जाएगा :

शाहदरा शहरी एक्सटेंशन

(क्षेत्र हैक्टेयरों में)

1. थोक व्यापार	10.0	—
2. फुटकर व्यापार	13.0	17.0
3. कार्यालय	8.6	17.0
4. सेवा केन्द्र	2.0	3.0
5. होटल	2.0	6.0
6. सांस्कृतिक केन्द्र	2.0	4.0
7. जन सुविधाएं	2.5	6.0
8. खुले स्थान (डिजाईन हेतु लोचशीलता)	9.6	13.0
योग	48.0	66.0

1981 की जनगणना के अनुसार यमुनापार क्षेत्र की जनसंख्या एक मिलियन से अधिक है। 2001 तक उप-केन्द्रीय व्यापार जिला लगभग 17 लाख जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करेगा और प्राथमिकता के आधार पर इसका विकास किया जाना चाहिए।

जिला केन्द्र :

सात जिले केन्द्र अर्थात् नेहरू प्लेस, राजेन्द्र प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस लगभग पूरी तरह से विकसित किए जा चुके हैं और सात अन्य अर्थात् जनकपुरी, लक्ष्मी नगर और शिवाजी प्लेस का विकास किया जा रहा है। झण्डेवालां का मुख्य भाग 1982 से पूर्व ही विकसित हो गया था और फिलहाल उसके कुछ भाग का विकास किया जा रहा है। इन जिला केन्द्रों हेतु भूमि नियतन नीचे दिया गया है :—

जिला केन्द्र	क्षेत्र हैक्टेयरों में
नेहरू प्लेस	38.20
राजेन्द्र प्लेस	9.33
भीकाजी कामा प्लेस	14.16
जनकपुरी	14.97
लक्ष्मी नगर	12.95
शिवाजी प्लेस	22.60
झण्डेवालां	12.97

नेहरू प्लेस में 4 हैक्टेयर क्षेत्र जो 1961—81 की अवधि के दौरान सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब 30% कवरेज और 75 प्लोर एरिया रेशो (एफ. ए. आर.) के अनुसार उसका विकास फुटकर विपणन स्थल के रूप में करने की सिफारिश की गई है।

उपर्युक्त सात जिला केन्द्रों के अतिरिक्त 2001 तक निम्नलिखित तालिका में दिए गए क्षेत्र के कार्यक्रम के अनुसार 20 अन्य जिला केन्द्रों का विकास करने की आवश्यकता होगी।

जिला केन्द्रों—2001 हेतु भूमि की आवश्यकताएं

क्रम सं.	जिला केन्द्र	भूमि हैक्टेयरों में							
		थोक	फुटकर	कार्यालय	सुविधाकेन्द्र	होटल	सांस्कृतिक केन्द्र	सुविधा	भू-दृश्य	योग
	दिल्ली शहरी क्षेत्र-81									
1.	साकेत	—	6.2	7.7	—	2.0	—	2.5	4.6	23.0
2.	रोहतक रोड	10.0	5.9	2.0	—	2.0	—	2.5	5.6	28.0
3.	पश्चिम विहार	—	4.3	3.6	—	—	—	2.5	2.6	13.0
4.	वजीरपुर	5.0	7.8	7.5	—	2.0	—	2.5	6.2	31.0
5.	शालीमार बाग	—	4.0	2.0	—	—	—	2.0	2.0	10.0
6.	जहांगीर पुरी	—	6.9	7.8	—	2.0	—	2.5	4.8	24.0
7.	खैबर पास	—	4.7	2.0	—	2.0	—	2.5	2.8	14.0
8.	दिलशाद गार्डन	—	2.0	2.3	—	2.0	—	2.5	2.2	11.0
9.	पूर्वी यमुना नहर	—	3.0	4.01	—	—	—	2.5	2.4	12.0
10.	शाहदरा	—	3.2	2.0	—	—	—	2.0	1.8	9.0
11.	मयूर विहार	—	2.9	3.5	—	2.0	—	2.5	4.2	16.0
12.	रोहिणी	10.0	11.0	7.0	1.5	2.0	2.0	2.5	9.0	45.0
13.	मंगोल पुरी	—	4.9	4.1	1.0	2.0	2.0	2.5	4.2	21.0
14.	ओचंदी रोड	—	4.9	2.0	1.0	2.0	2.0	2.5	3.6	18.0
	उपयोग	25.0	71.6	59.9	3.5	20.00	6.0	34.0	55.0	275.0
	शहरी विस्तार	40.0	91.1	93.6	9.8	12.0	12.0	15.0	68.5	342.0
	(छह जिला केन्द्र) महायोग	65.0	162.7	153.5	13.3	32.0	18.0	49.0	123.5	617.0

सामुदायिक केन्द्र (सा. के.) :

दिल्ली शहरी क्षेत्र में 82 और शहरी एक्सटेंशन में 40 सामुदायिक केन्द्र हैं। विपणन की परम्परा के पैटर्न पर मार्ग-विपणन के रूप में सड़कों के किनारे शहरी एक्सटेंशन में सामुदायिक केन्द्रों के प्रसार किए जाने का प्रस्ताव है। वृक्षारोपण की तीन या चार पंक्तियों से विपणन को मुख्य मार्ग से अलग रखा जाएगा और रेखीय पार्किंग पट्टियों की व्यवस्था की जाएगी। इनमें से कुछ सामुदायिक केन्द्र समाकलित प्रकार के होंगे।

1961—81 की अवधि के दौरान सामुदायिक केन्द्रों की व्यवस्था मुख्य तौर से फुटकर बाजार, व्यावसायिक और व्यावसायिक कार्यालयों के लिए की गई थी। फल व सब्जी व सेवा एवं मरम्मत की दुकानों की आवश्यकताओं को भी समाकलित किया जाना चाहिए। शहरी एक्सटेंशन के सामुदायिक केन्द्र और जिनका दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में विकास नहीं किया गया था उनका विकास समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित तालिका में दिए गए मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा :—

	योग	फुटकर एवं व्यावसायिक केन्द्र	फल एवं सब्जी मार्किट	सेवा एवं मरम्मत केन्द्र
दिल्ली शहर क्षेत्र 81				
—भूमि प्रति 1000 व्यक्ति वर्ग मी. में	437	361	17	59
—औपचारिक दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति	3.23	2.68	0.30	0.25
—अनौपचारिक दुकानें प्रति 1000 की आबादी पर	1.79	1.07	0.60	0.12
—अन्य उपयोग		सिनेमा, कार्यालय		पैट्रोल पम्प, विद्युत उप-केन्द्र कार्यालय
शहरी एक्सटेंशन				
—भूमि प्रति 1000 व्यक्ति वर्ग मी. में	542	451	22	67
—औपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति	3.65	2.95	0.40	0.30
—अनौपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति	2.13	1.18	0.80	0.15
—अन्य उपयोग		सिनेमा, कार्यालय, होटल		पैट्रोल पम्प, विद्युत उप-गैस-गोदाम

स्थानीय बाजार एवं सुविधाजनक बाजार

इन्हें भूमि उपयोग नक्शे पर अंकित नहीं किया गया है और उन्हें दे-आउट प्लानों में दर्शित किया जाएगा और निम्नलिखित मानदण्डों पर विकसित किया जाएगा :—

(क) स्थानीय बाजार :

	योग	फुटकर एवं व्यावसायिक केन्द्र	फल एवं सब्जी मार्किट	सेवा एवं मरम्मत केन्द्र
दिल्ली शहरी क्षेत्र 81				
—भूमि प्रति 100 व्यक्ति		238 वर्ग मी.	183 वर्ग मी.	55 वर्ग मी.
—औपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति	3.36	2.41	0.30	0.65
—अनौपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति	1.89	0.96	0.60	0.32
—अन्य उपयोग		कार्यालय		विद्युत उप-केन्द्र
शहरी एक्सटेंशन				
—भूमि प्रति 1000 व्यक्ति		261 वर्ग मी.	195 वर्ग मी.	56 वर्ग मी.
—औपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति	3.70	2.45	0.40	0.85
—अनौपचारिक दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति	2.20	0.98	0.80	0.42
—अन्य उपयोग		कार्यालय		

(ङ) सुविधाजनक बाजार

	योग	फुटकर दुकानें	फल एवं सब्जी की दुकानें
दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 :			
—भूमि प्रति 1000 व्यक्ति		171 वर्ग मी.	171 वर्ग मी.
—औपचारिक दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति	3.48	3.08	0.40
—अनौपचारिक दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति	2.34	1.54	0.80
शहरी एक्सटेंशन			
—भूमि प्रति 1000 व्यक्ति		228 वर्ग मी.	228 वर्ग मी.
—औपचारिक दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति	4.70	4.10	0.60
—अनौपचारिक दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति	3.25	2.05	1.20

फल एवं सब्जी, सेवा एवं मरम्मत जैसी कम लेन-देन वाली दुकानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दो दशकों में इनमें से अधिकांश अनधिकृत तरीके से बनी हैं। इस स्थिति को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन दुकानों के लिए व्यावसायिक केन्द्रों में भूमि नियत की गई है और सेवा केन्द्रों के लिए दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में भूमि उपयोग नक्शे में विशिष्ट क्षेत्रों का भी निर्धारण किया गया है।

थोक व्यापार :

दिल्ली में थोक मार्किटों में लगभग 24,600 थोक दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। वस्तुओं का व्यापार करने वाली लगभग 12,000 दुकानों (प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे 2.21 की दर से) की वास्तविक रूप से गणना की गई है। अधिकांश थोक मार्किट पुरानी दिल्ली के मध्य में घने बसे हुए भाग में स्थित है और उनकी स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के पूर्व में हुई थी। माल के संचलन के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि कुल आने वाले यातायात (उप मार्ग वाले यातायात को छोड़कर) में से 25 प्रतिशत का गन्तव्य स्थल डिवोलन ए था।

थोक मार्किट 27 मुख्य वस्तुओं का व्यापार करती है। दुकानों की संख्या पर आधारित सबसे अधिक थोक व्यापार चांदनी चौक और मालीवाड़ा में कपड़े और कपड़े की वस्तुओं का होता है। इसके बाद कश्मीरी गेट क्षेत्र स्थित दुकानों में गाड़ियों के पुर्जों और मशीनरी का व्यापार होता है। क्रमवार अन्य थोक वस्तुएं हैं—फल एवं सब्जियां (आजादपुर मार्किट), हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री (चावड़ी बाजार, श्रद्धानन्द मार्ग), कागज और स्टेशनरी (चावड़ी बाजार और नई सड़क), खाद्य-वस्तुएं (दारा बावली) और लोहा एवं इस्पात (नारायणा)।

आधुनिक थोक मार्किटों का विकास करने के लिए इनमें भाड़ा काम्पलैक्सों का एकीकरण किया जाना चाहिए जहां पर बेहतर वातावरण में थोक व्यापार अधिक सफलतापूर्वक चल सके। समाकलित भाड़े-काम्पलैक्स के मूल कार्य है :—

(1) क्षेत्रीय एवं अंतरा-शहरी भाड़े के संचलन हेतु सुविधाएं प्रदान करना।

(2) भाड़ा-प्रकार के अदला-बदली सहित मार्ग में भाड़े के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

(3) भण्डारण एवं भंडार-सुविधाएं प्रदान करना और इन स्थलों को लोहा एवं इस्पात और भवन निर्माण सामग्री, हौजरी, प्लास्टिक, चमड़े और पी. वी. सी. स्वयंचालित मोटरों के पुर्जों व मशीनरी; फल एवं सब्जी जैसी विशिष्टीकृत मार्किटों से जोड़ना।

(4) मोटर गाड़ियों की सफाई-धुलाई, खान-पान एवं खान-पान, खाली वाहनों के लिए पार्किंग, रेस्टोरेंटों और काम्पलैक्स से सम्बन्धित अन्य कार्यों की व्यवस्था करना।

समाकलित भाड़े-काम्पलैक्स क्षेत्रीय और महानगर स्तर पर कार्य करते हैं। मध्यम आकार वाले स्थानीय थोक मार्किटों को इन काम्पलैक्सों से फुटकर बाजारों को वस्तुओं का वितरण करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की स्थानीय मार्किटों को पूरे शहर में फैलाने की भी आवश्यकता है। इनमें पार्किंग, मरम्मत एवं सेवा सुविधाएं होनी चाहिए और या तो उन्हें व्यावसायिक केन्द्रों से मिलाया जा सकता है अथवा संचालन के कुछ चुने हुए जोड़ने वाले स्थानों अथवा सीमाओं पर अलग से व्यवस्था की जा सकती है।

दो स्तरों पर विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए शहर के विभिन्न भागों में उचित स्थानों पर नयी थोक मार्किटों के विकास किए जाने की आवश्यकता है :—

(1) क्षेत्रीय वितरण, और

(2) अंतरीय व स्थानीय वितरण।

विद्यमान विकसित क्षेत्रों के मामले में, जो थोक मार्किट अंतरराज्य प्रकृति की हैं जैसे—प्लास्टिक एवं पी. वी. सी. का सामान, रसायन, सकड़ी व पेट्रोलियम एवं इसके उत्पाद—उन्हें इनके लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

पुराने शहर में यातायात के सुमतापूर्वक आवागमन के लिए थोक मार्किटों, सभी अनधिकृत अतिक्रमणों, सड़कों/सरकारी भूमि पर फैले अड्डों को हटाया जाना चाहिए और ऐसे वे वाहन चलने वाले वाहनों को केवल सीमित प्रवेश करने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान मार्किटों में थोक व्यापार के क्रियाकलापों के और विस्तार पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।

नई मार्किटों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव

(क) दिल्ली के मुख्य प्रवेश मार्गों पर भण्डारण एवं ट्रक टर्मिनलों की सुविधाओं सहित क्षेत्रीय वितरण मार्किटों/क्षेत्रीय थोक व्यापार मार्किटों का विकास किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया है।

(1) पूर्व में पटपड़गंज के निकट और लोनी रोड पर;

(2) दक्षिण में मदनपुर खादर के निकट;

(3) दक्षिण-पश्चिम में शहरी एक्सटेंशन में;

(4) उत्तर में शहरी एक्सटेंशन में।

विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं के लिए आवश्यक भूमि का विभाजन नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	वस्तु	स्थान						
		पूर्व पहाड़गंज	पश्चिम मोती रोड	दक्षिण मटरपुर खावर	पश्चिम शहरी एक्सटेंशन	सबजीमंडी	उत्तर शहरी एक्सटेंशन	कुल क्षेत्र
(क)	भण्डारण सहित मार्किट							
1.	सूत एवं सूत के उत्पाद	9	—	28	36	—	7	70
2.	स्वयं चालित मोटरों के पुर्जे व मशीनरी	13	—	—	11	—	20	44
3.	फसल एवं सब्जी	—	20	9	24	—	—	53
4.	हार्डवेयर व भवन निर्माण सामग्री	5	13	18	12	—	5	53
5.	लोहा एवं इस्पात	5	—	10	5	—	5	25
6.	खाद्यान्न	11	—	9	—	8	5	33
7.	ई. लकड़ी	18	19	23	16	—	37 (समयपुर)	113
8.	प्लास्टिक, चमड़ा व पी. वी. सी.	10	—	—	—	—	10	20
	योग	71	52	97	94	8	88	411
(ख)	एक दिनांक	60	—	50	60	4	55	219
	सहायोग	131	52	147	144	12	144	630

थोक व्यापार में विकेन्द्रीयकरण लाने के लिए दिल्ली महानगरीय क्षेत्र के शहरों में विशेष रूप से विस्तृत स्थान वाली नई मार्किटें स्थापित होनी चाहिए जैसा नीचे दिया गया है:—

(1) गाजियाबाद	लोहा एवं इस्पात
(2) फरीदाबाद	मोटरों के पुर्जे व मशीनरी और लोहा एवं इस्पात
(3) गुड़गांव	मोटरों के पुर्जे व मशीनरी और भवन-निर्माण सामग्री
(4) कोंडली	फल एवं सब्जी, ई. लकड़ी और भवन निर्माण सामग्री
(5) लोनी	भवन निर्माण सामग्री और इमारती लकड़ी

दूसरे सेब की बड़ी थोक मार्किट हेतु अम्बाला/सहारनपुर उचित स्थान हैं।

(ब) क्षेत्रीय व स्थानीय वितरण मार्किट;

वस्तुतः दिल्ली एक महानगरीय शहर है किन्तु यह शहरों का एक समूह बन गया है। द्वितीय थोक मार्किटों के रूप में ग्यारह क्षेत्रीय व स्थानीय थोक मार्किटों का विकास करने की सिफारिश की गई है। ये मार्किटें मुख्यतः क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों के लिए होंगी जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	वस्तु	थोक व्यापार की दुकानें	आवश्यक भूमि (हेक्टेयर)
1	2		3
1.	कागज, स्टेशनरी व पुस्तकें	1317	7.30
2.	जनरल मर्चेन्ट	1207	13.30
3.	साईकिल, टायर एवं ट्यूब	917	5.00
4.	इलैक्ट्रिकल	904	5.00
5.	रसायन	815	12.00
6.	रद्दी-सामग्री	712	7.90
7.	चमड़ा, सोम चर्म, खाल एवं ऊन	645	7.00
8.	अन्य धातु के उत्पादन	598	9.90
9.	अन्य खाद्य वस्तुएं	513	9.60
10.	रेडियो टेप व उपकरण	466	2.50
11.	सौंदर्य व शृंगार प्रसाधन की वस्तुएं	449	2.50
12.	फर्नीचर एवं बुहनार	413	6.00
13.	सूखे मेवे व मसाले	330	5.80
14.	क्राकरी व बर्तन	317	5.00
15.	घड़ी व चश्में	154	0.80
16.	दवाईयां	76	0.40
17.	अन्य चिकित्सा सम्बन्धी व वैज्ञानिक-उपकरण	62	0.60
18.	अन्य वस्तुएं	818	0.40
योग		10513	107.00

क्षेत्रीय व स्थानीय मार्किटों का प्रस्ताव किया गया है जो निम्नवत है :—

(क) दिल्ली शहरी क्षेत्र 81

(2001 में जनसंख्या 82 लाख)

पूर्व

(1) अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार जिला (शाहदरा)

पश्चिम

(2) नजफगढ़ जिला केन्द्र

उत्तर

(3) सहकारिता जिला केन्द्र

(4) नरेला जिला केन्द्र

(5) बवाना जिला केन्द्र

(6) बवाना जिला केन्द्र

(7) रोहिणी जिला केन्द्र

(ख) शहरी एक्सटेंशन

(40 लाख की जनसंख्या हेतु प्रत्येक 10 हैक्टेयर वाली 5 मार्किटें)

तेल और एल. पी. जी. गैस का भण्डारण

सघन रूप से बसे हुए क्षेत्र में स्थित होने के कारण शकूरबस्ती डिपो को लगभग 13 किलो मीटर दूर पेवरा और टीकरीकलां के बीच स्थानान्तरित किया जाना चाहिए जो पैट्रोल, डीजल और एल. पी. जी. गैस के लिए मुख्य भण्डारण स्थल होगा। जहां तक सम्भव हो वहां तक शकूरबस्ती के वर्तमान एल. पी. जी. संयंत्र को शीघ्र स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

बिजवासन जो कि दिल्ली हवाई अड्डे के निकट विद्यमान एक तेल टर्मिनल है उसे इस उद्देश्य हेतु पहले से आवंटित क्षेत्र में अन्तर्विष्ट किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक इसे वर्तमान टर्मिनल और दिल्ली हवाई अड्डे की सीमा के बीच में पड़ी हुई भूमि को मिलाकर लगभग 8 हैक्टर तक प्रसार करने की अनुमति दी जाए। बिजवासन पैट्रोल के भण्डारण का प्रमुख डिपो होगा।

अगले दशक के आरम्भ अर्थात् 1991 में दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन पर, होलम्बी कलां के निकट तीसरे मुख्य तेल टर्मिनल स्थल का विकास किया जाना चाहिए। इस स्थल को 8 किलो मीटर की पाईप लिंक द्वारा वर्तमान तेल पाईप लाईन से जोड़ा जा सकता है। यह भण्डारण-डिपो मुख्य रूप से पैट्रोल और एल. पी. जी. के लिए होंगे।

सड़क पर आधारित दो एल. पी. जी. डिपो पहला दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में पूर्वी आगरा नहर के निकट सड़क सं. 13 पर और दूसरा उत्तर में सड़क सं. 50 के किनारे, का विकास किया जाना प्रस्तावित है। आगरा नहर स्थल का विकास तत्काल किया जा सकता है।

रेलवे साईडिंग की व्यवस्था करके बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ लगभग 10 हैक्टर क्षेत्र वाला स्थल केवल कोयला हेतु विकसित करना उचित होगा।

सरकारी कार्यालय :

पिछले दो दशकों में 4.56 प्रतिशत की औसत वृद्धि की दर से दिल्ली में फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार 5.42 लाख (अर्थात् कुल श्रमबल का 27.92 प्रतिशत) है और नीचे इसका विभाजन किया गया है :—

	रोजगार (लाख में)	औसत वार्षिक वृद्धि दर (1961—81)
केन्द्रीय सरकार	2.26	2.77%
अर्द्ध-सरकारी	1.41	9.73%
दिल्ली प्रशासन	0.58	4.29%
स्थानीय निकाय	1.17	6.46%

अर्द्ध सरकारी रोजगार चौकाने वाली दर से बढ़ रहा है। यह 24.8 प्रतिशत केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों के मुख्यालय और 22.6 प्रतिशत सम्पर्क कार्यालय हैं। इसके साथ-साथ लोग और व्यापार दिल्ली में आने के लिए आकर्षित करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं। पिछले दो दशकों के आंकड़े संकेत देते हैं कि केन्द्रीय सरकार का रोजगार समस्त भारत की जनसंख्या (0.47 प्रतिशत) के नियम समानुपात में है हालांकि दिल्ली के भाग में केन्द्रीय सरकार के 1961 के रोजगार के कुल के 6.8 प्रतिशत से 1981 में 7.14 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के केवल ऐसे नये कार्यालय जो प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के मंत्रालयों का कार्य करते हों और प्रतिष्ठानों के केवल सम्पर्क कार्यालय ही स्थापित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय नगरों और काउन्टर मैग्नेटसों में अर्द्ध सरकारी रोजगार को विवेकसम्मत रूप से विनियत करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय स्तर और उप क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार और अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार को परिसीमित किया जाना चाहिए। 1981—2001 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में विकास दर का अनुमान लगाया गया है जो नीचे दिया गया है :

	रोजगार (2001 लाख में)	औसत वार्षिक वृद्धि दर (1981—2001)
केन्द्रीय सरकार	3.16	2.67%
अर्द्ध-सरकारी	3.84	5.14%
दिल्ली प्रशासन	1.53	4.97%
स्थानीय निकाय	2.11	3.68%

दिल्ली में अर्द्ध सरकारी रोजगार हेतु कम वृद्धि दर प्रस्तावित करने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कुल रोजगार 1995 के आसपास केन्द्रीय सरकार के रोजगार से आगे निकल जाएगा। वर्ष 2001 हेतु प्रस्तावित 3.16 लाख केन्द्रीय सरकार के रोजगार की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों पर दिए रेलवे के साथ की गई है। इससे परिकल्पित प्रणाली को मदद मिलेगी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को काम पर जाने में सुविधापूर्वक यात्रा करने में भी मदद मिलेगी।

	क्षेत्र हेक्टर में	रोजगार
1. आई.एन.ए.	4.00	5,000
2. सफदरजंग रेलवे स्टेशन	54.00	67,875

सरकारी कार्यालयों के लिए साकेत में 20 हेक्टर क्षेत्र निर्धारित किया गया है जहां एक बड़े केन्द्रीय सरकार के आवासीय कम्पलैक्स का विकास किया गया है। इसकि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए विशिष्ट स्थान का निर्धारण किया गया है पर अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को व्यावसायिक

केन्द्रों अर्थात् सामुदायिक केन्द्रों, जिला केन्द्रों और केन्द्रीय व्यापार जिलों के स्थान दिया जाएगा।

दिल्ली प्रशासन के अधिकांश कार्यालय पुराने सचिवालय में स्थित हैं जो कि एक ऐतिहासिक इमारत है और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। पुराने सचिवालय के साथ लगे हुए बेरका क्षेत्रों का पुनर्विकास दिल्ली प्रशासन के अतिरिक्त कार्यालयों को स्थान देने के लिए किया जाएगा।

फिलहाल जिला अदालतें एक स्थान अर्थात् तीस हजारी में स्थित हैं। और स्थानों पर जिला अदालतों को और सम्बद्ध दिल्ली प्रशासन और दि. वि. प्र. के कार्यालयों को स्थान देने के लिए भूमि निर्धारित की गई है।

(1) साकेत जिला केन्द्र के समीप	7 हेक्ट.
(2) उप केन्द्रीय व्यापार जिला शाहदरा के समीप	3 हेक्ट.
(3) बाह्य रिंग रोड और पश्चिमी यमुना नहर का जंक्शन	3 हेक्ट.
(4) दक्षिण-पश्चिम (अ. ए.) में जिला केन्द्र के समीप	3 हेक्ट.

वस्तुतः स्थानीय निकायों का रोजगार और दिल्ली प्रशासन के रोजगार का मुख्य भाग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधा वाले क्षेत्रों में स्थापित होगा। नगर निगम का नया मुख्यालय रामलीला मैदान के सामने तरकतूर रोड पर प्रस्तावित नगर केन्द्र के स्थान पर स्थापित किया जा सकता है।

परिवहन

दिल्ली पांच रेल लाईनों और सौ सड़कों को जोड़ने वाला स्थल है जिनमें से पांच राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। जब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नगरों की संरचना करने के मजबूत उपाय नहीं किए जाते और क्षेत्रीय रेलवे और सड़क के संयोजन का विकास नहीं किया जाता जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास हेतु वातावरण का सर्जन करेगा, तब तक वर्तमान परिवहन प्रणाली का अभिसरण दिल्ली में अव्यवस्थित स्थितियां उत्पन्न करेगा। महानगरीय क्षेत्र के भीतर दिल्ली शहरी क्षेत्र का ढांचा विशिष्ट स्थिति वाला है क्योंकि संघ राज्य-क्षेत्र के इर्द-गिर्द के नगरों के प्रक्रियाधीन अधिकांश कार्यक्रमों और विकास कार्यों का इस शहर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे, दिल्ली शहरी क्षेत्र के स्तर पर, अधिकांश केन्द्रीय व्यापार जिलों के आकार, विस्तार और कार्यों के कारण गम्भीर समस्या है जिन्हें विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता है।

अंतरा-नगरीय यात्री आवागमन

अब तक दिल्ली में परिवहन नियोजना का उद्देश्य शहरी परिवहन योजना की क्षमता को बढ़ाकर मांग और पूर्ति के अंतर को कम करना रहा है जो पिछली प्रवृत्तियों के प्रक्षेपण से प्रसित थी और जो स्वयंचलित यातायात के लिए सड़कों की बढ़ती हुई आपूर्ति की ओर तेजी से फैल रही थी। अधिकांश जनसंख्या की समस्याएं साईकिल और सार्वजनिक जन परिवहन प्रणाली, पुराने शहर में आवागमन और पूरे शहर में पैदल यात्रियों के आवागमन से सम्बन्धित हैं जिन्हें हल किया जाना है। शहर की परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए स्वीकार्य दृष्टिकोण तकनीक और प्रौद्योगिकी दोनों में पर्यावरणीय रूप से और आर्थिक रूप से नवीन प्रक्रियाओं पर आधारित होने की आवश्यकता है।

सभी विकल्पों और चयनों की दृष्टि से परिवहन-ढांचे का पुनर्गठन एवं उसके क्रियाकलाप को पुनः संरचना करने की शहर को आवश्यकता है।

इस प्रकार परिवहन के लिए योजना के मूलभूत उद्देश्य हैं :

(क) विश्वसनीय, सफल एवं आकर्षक बहु-मॉडल जल परिवहन-प्रणाली की स्थापना करना;

(ख) साईकिलों के सुरक्षित उपयोग हेतु स्थितियां उत्पन्न करना;

(ग) स्वयंचलित यातायात के लिए यथोचित स्वयंवहता की व्यवस्था करना;

(घ) सुरक्षित पैदल यात्री-आवागमन की व्यवस्था करना; और

(च) शासकीय क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए नवीन प्रबन्ध तकनीक को प्रोत्साहन देना।

पिछले दो दशकों के दौरान मॉडल-विभाजन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। 1957 से भाड़े की बसों को मिलाकर सार्वजनिक परिवहन द्वारा मॉडल ट्रिपों में 24.26 से 59.70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। निस्संदेह दिल्ली परिवहन निगम (दि० प० नि०) की बसें प्रमुख सार्वजनिक परिवहन की प्रणाली हैं। 1969 के 0.466 प्रति व्यक्ति मॉडल ट्रिपों से 1981 में 0.722 तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 हेतु ट्रिपों का प्रक्षेपण है :—

कुल व्यक्ति ट्रिप्स	186.40 लाख
चालक-ट्रिप्स	69.77 लाख
यात्रीय ट्रिप्स	116.63 लाख

प्रस्तावित बहु-मॉडल परिवहन प्रणाली

पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और नई विकास योजनाओं जैसे वर्तमान शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भौतिक रूपों को ध्यान में रखते हुए यह कहना तर्कसंगत होगा कि परिवहन का अकेला तरीका प्रभावी रूप से शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तदनुसार शहर के समग्र ढांचे के लिए उचित बहुप्रकारीय प्रणाली विकसित करना और फिर उसे विभिन्न उप-संरचनाओं के साथ जोड़ना प्रस्तावित है। विद्यमान शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ चुने हुए गलियारों पर विद्युत चालित रिंग रेल, बस परिवहन और हल्के रेल परिवहन चलाने पर विचार किया गया है।

रिंग रेल

विद्युतीकरण से पूर्व 1981 में रिंग रेल प्रतिदिन 9,000 यात्रियों को ले जाती थी। 1982 में एशियाई खेलों के दौरान इसका विद्युतीकरण किया गया था परन्तु विद्युत बहु-एकक यूनिटों के प्रारम्भ होने के बाद वस्तुतः यात्री-आवागमन में कमी आई है। रिंग रेल द्वारा कम यात्री ले जाने के कई कारण हो सकते हैं परन्तु इसका एक कारण रिंग के साथ लगने वाले क्षेत्र में भावोत्तेजनात्मक भूमि उपयोग है।

मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में रिंग रेल के साथ भूमि उपयोगों का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है।

(1) आनन्द पर्वत
(2) आई. एन. ए. कालोनी
(3) पुराना सचिवालय
(4) कीर्ति नगर

हल्का रेल परिवहन (ह. रे. प.)

अंतरा-शहरी यात्री आवागमन के लिए अन्य प्रस्तावित तरीका हल्की रेल है जो प्रति घंटे 20,000 यात्रियों तक ले जाने की क्षमता रखती है। भूमिगत तीव्र-परिवहन की तुलना में यह एक मध्यम क्षमता वाली यात्री परिवहन प्रणाली है पर इसका मासन-मूल्यांक लगभग 1/10 है। यह अकेले अथवा गाड़ियों में चलने वाले रेल यानों को बिजली से आगे बढ़ाती है। हल्की रेल-परिवहन को रेल प्रौद्योगिकी की अद्वितीय विशेषता से लाभ होता है; यद्यपि वह मार्ग निर्देशित है तथापि वह ऐड कर्मिंग रख सकती है और इसे गलियों में भी चलाया जा सकता है। हल्के रेल परिवहन में एक ही मार्ग पर सभी प्रकार के मार्गाधिकारों को लेयर करने और उपयोग करने की क्षमता है और इससे निर्देशित प्रौद्योगिकी, उच्च क्षमता, उच्च श्रम-उत्पादकता और आरामदायक सवारी का साथ भी है। इसकी कम शोर बाहर निकलने वाले धुएं का अभाव और बेहतर सुरक्षा रिकार्ड जैसी निष्पादन-विशेषताएं बसों की अपेक्षा पैदल-वातावरण को हल्का रेल परिवहन अधिक अनुकूल बनाता है। हल्की रेल प्रणाली बस प्रणाली का एक विकल्प है जहां उच्च क्षमता वाले आवागमन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2001 तक वर्तमान शहरी क्षेत्र और [illegible]

एक्सप्रेस में लगभग 200 किलो मीटर हल्की रेल-पटरी की आवश्यकता होगी। सिफारिश किए गए मुख्य गलियारे हैं :—

(क) विवेक विहार से विकास मार्ग, आई. टी. ओ., पंचकुंइया रोड, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, पटेल रोड होते हुए नजफगढ़ तक।

(ख) रोहतक रोड के साथ-साथ फैज रोड से जखीरा तक और पंचकुंइया रोड, लिंक रोड, पूसा रोड, पटेल रोड और रिंग रोड को जोड़ने वाले गलियारों में योजना अवधि के अंतिम भाग में आवागमन की बहुत अधिक प्रबलता होगी और इस भाग में भूमिगत ट्रेन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु अध्ययन किया जाए।

(ग) महरौली–बदरपुर रोड से जी. टी. रोड (नई सब्जी मंडी) से होकर लालबहादुर शास्त्री मार्ग, मथुरा रोड, प्रदर्शनी सैक्टर, रिंग रोड, अ./रा. व. अड्डा, शाम नाथ मार्ग और माल रोड।

(घ) नजफगढ़ से जेल रोड और स्टेशन रोड होकर धौला कुंआ तक।

(ङ) पालम हवाई अड्डे से गुड़गांव रोड, धौला कुंआ, एस. पी. मार्ग, फैज रोड, और राजपुर रोड होकर खैबर पास।

(च) दिलशाद गार्डन से पूर्वी यमुना नहर, अ.रा.व. अड्डे के नये पुल, माल रोड और रोहिणी को जाने वाली सड़क नं. 11 से होकर रोहिणी तक।

ट्राम

चार दीवारी के शहर के केन्द्रीय सघन क्षेत्र के लिए चुने हुए स्थानों अर्थात् चांदनी चौक, एस्प्लेनेड रोड, चावड़ी बाजार और आसफ अली रोड (10 कि. मी.) पर ट्राम को पुनः चलाने की सिफारिश की जाती है। इस क्षेत्र में ट्रामों को परिवहन के निजी साधनों के प्रयोग पर रोक लगाकर और गाड़ी बदलने के स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था करके चालू किया जाएगा। यह क्षेत्र के पुनर्जीवन और उसकी पर्यावरणीय कोटि में सुधार लाने के लिए आवश्यक होगा। ट्राम का चलना निम्नलिखित बातों पर आधारित होगा :

(क) चार दीवारी के शहर की विभिन्न सड़कों पर यातायात की विशेषताएं धीमी गति पर यातायात के निरंतर प्रवाह को प्रदर्शित करती हों। इन विशेषताओं के अनुकूल उच्च क्षमता और धीमी गति वाली विधि अर्थात् अधिक बारम्बारता वाली ट्रामें उपयोगी सिद्ध होंगी।

(ख) स्थिर पटरी पर होने के कारण ट्राम बसों की अपेक्षा अधिक बारम्बारता को बनाए रख सकती है क्योंकि दो गाड़ियों के बीच गति को कम किया जा सकता है।

(ग) आधुनिक ट्राम अधिकांशतः शोर-प्रदूषण मुक्त हैं।

(घ) ट्राम प्रति घण्टे 10,000 व्यक्तियों को ले जा सकती हैं।

बस

विद्यमान बस परिवहन प्रणाली के वर्तमान रूट-पैटर्न का पुनर्गठन किया जाना अपेक्षित है क्योंकि वह परिधीय सड़कों की अपेक्षा केन्द्रीय क्षेत्र पर अधिक केन्द्रित है। इसी समय रिंग रेल को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वर्तमान रिंग रोड से बस परिवहन का जोर कम किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रदायक सेवा की योजना बनाने और चालू करने की आवश्यकता होगी जो रिंग रेल को आवासीय क्षेत्रों से जोड़ेगी। दिल्ली के वर्तमान सड़क-जाल पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक परिवहन की बसों में अतिरिक्त वृद्धि करना, वाहनसंचलन के लिए उनकी अवा का स्तर सुधारना जहां इसकी आवश्यकता हो और प्राथमिकता के आधार पर हल्की रेल जैसी उच्च क्षमता वाली प्रणाली को प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

साईकिल

साईकिलों की समस्या को हल करने के लिए सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था करने हेतु कई उपाय हैं, (1) वर्तमान सड़क के भागों को समायोजित करके और 'लेनों' का उपयोग करके पूर्णतः पृथक साईकिल मार्गों की व्यवस्था करना। साईकिल मार्ग ट्रिप–उत्पादन और आकर्षण क्षेत्रों को अंतर्योजित करते हैं। (2) यातायात के गलियारों के साथ-साथ आंशिक रूप से पृथक साईकिल मार्गों का प्रस्ताव किया गया है जहां वर्तमान भौतिक स्थितियां कठिनाईयां उत्पन्न करती हों। (3) चार दीवारी के शहर, सदर बाजार और करोल बाग जैसे अन्य विशेषतः क्षेत्रों में साईकिल-आवागमन के लिए स्थितियों में यातायात-प्रबन्ध के उपायों द्वारा सुधार किया जा सकता है।

प्रस्तावित [illegible] साईकिल मार्ग :

(क) महरौली-बदरपुर रोड से आई. टी. ओ. तक (विनय दिल्ली मार्ग और मथुरा रोड से होकर)

मार्ग की लम्बाई—लगभग 13 किलो मी.

(ख) जी. टी. रोड (शाहदरा) से विकास मार्ग तक (पूर्वी साहिबाबाद बांध के साथ)

मार्ग की लम्बाई—लगभग 5 किलो मी.

(ग-1) पश्चिम विहार से विकास मार्ग (आई. टी. ओ.) होकर करोल बाग तक

मार्ग की लम्बाई—लगभग 10 किलो मी.

(ग-2) पश्चिम पुरी/विकास पुरी से नजफगढ़ नाले, पटेल रोड, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड और पंचकुंइया रोड से होकर फ्लाट प्लेस तक।

मार्ग की लम्बाई—लग.ग 16 किलो मी.

(घ) शाहदरा से चांदनी चौक तक (जी. टी. रोड और पुराने यमुना पुल के साथ-साथ)

मार्ग की लम्बाई—लगभग 5 किलो मी.

क्षमतात्मक विभाजन

12 मिलियन ट्रिप लगाने के लिए दिल्ली-2001 हेतु ऊंचा क्षमतात्मक विभाजन पर आधारित है जैसा कि नीचे दिया गया है :—

प्रकार	क्षमतात्मक विभाजन
रेल	8.57%
बस/ट्राम/हल्की रेल	65.97%
व्यक्तिगत द्रुत प्रकार	12.26%
किराए पर लिए गए द्रुतगामी प्रकार	3.27%
किराए पर लिए गए धीमी गति वाले प्रकार	0.65%
साईकिल	9.28%

अंतर-शहरी यात्री आवागमन

रेल

दिल्ली महानगरीय शहर में तीन रेल टर्मिनल रेल द्वारा शहर में बाहर जाने वाले लगभग 75 हजार यात्रियों के लिए व्यवस्था करते हैं जिनका विभाजन निम्न प्रकार है :—

दिल्ली जंक्शन	50,000
ई दिल्ली	25,000
निजामुद्दीन	3,000

सभी 33 स्टेशनों पर दैनिक यात्रियों सहित कुल यात्री [illegible] यात्रियों की संख्या लगभग 3,62,000 है, जिनके लिए व्यवस्था की जानी है (1,92,000 दैनिक यात्री और 1,70,000 लम्बी और कम दूरी वाले यात्री) 261 गाड़ियों (137 लम्बी दूरी और 124 कम दूरी) अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर वाली गाड़ियों से आने-जाने हैं। दिल्ली में अंतः शहरी यात्री आवागमन लगभग 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। 2001 हेतु प्रक्षेपण इस प्रकार है :—

प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्री (1981 का 185%)	6,72,000
दैनिक यात्री	1,92,000
लम्बी और कम दूरी वाले यात्री	1,70,000
कुल गाड़ियां	190

उपर्युक्त यात्री-आवागमन की व्यवस्था करने सहित दिल्ली महानगर क्षेत्र की आवश्यकता के लिए चार महानगरीय यात्री टर्मिनसों का प्रस्ताव है।

(1) यमुना-पार क्षेत्र—पूर्व में यमुना नदी के पार केन्द्रित जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करने हेतु। इससे उ.प्र. में नोएडा के भाग में आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस क्षेत्र की जनसंख्या एक मिलियन है जिसके 2001 में लग.ग 1.7 मिलियन हो जाने का अनुमान है।

(2) ओखला-दक्षिणी दिल्ली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु। यमुना-पुल के ऊपर से गुजरने वाली नोएडा को मिलाने वाली लिंक-सड़क के पूरा हो जाने के बाद इससे उ.प्र. में नोएडा के शेष भाग की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी।

(3) दक्षिण-दक्षिणी दिल्ली और प्रस्तावित शहरी एक्सटेंशन के भाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु।

(4) उत्तरी दिल्ली—प्रस्तावित शहरी एक्सटेंशन के भाग की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।

पहले दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन सहित नई दिल्ली के लिए दूसरे प्रवेश द्वार का प्रस्ताव किया गया था। दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन के सामने में कुछ कठिनाईयों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अध्ययन के पश्चात् अब ज्ञात हुआ है कि दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन को अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से मिलाकर समाकलित सड़क व रेल टर्मिनस बनाकर इसे बनाना सम्भव है। दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज के स्थानांतरण से उपलब्ध हुई भूमि का उपयोग करके यह सम्भव होगा।

बस

अन्तर्राज्यीय बस आवागमन हेतु प्रक्षेपण निम्नलिखित हैं :—

यात्री (दोनों ओर)	67,25,000
बस (दोनों ओर)	11,000

आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चार नये अन्तर्राज्यीय बस अड्डे विकसित किए जाने चाहिए जो महानगरीय रेलवे टर्मिनसों के भीतर 10 हैक्ट. वाले होंगे। इसके अतिरिक्त धौला कुंआ में एक विशिष्ट बस टर्मिनस का विकास किया जाना चाहिए।

वायु

वायु परिवहन नीति सम्बन्धी समिति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित दरों पर भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों और जहाजी माल, घरेलू हवाई यात्रियों और जहाजी माल के लिए परियोजना बनाई है।

	वार्षिक वृद्धि दर	2001
अन्तर्राष्ट्रीय यात्री	12.00%	163 (लाख)
घरेलू यात्री	12.00%	191 (लाख)
अन्तर्राष्ट्रीय जहाजी-माल	15.00%	6.4 (टन)
घरेलू जहाजी-माल	12.50%	7.9 (टन)

[illegible] अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2001 के परिप्रेक्ष्य में [illegible] हुई के विस्तार करने की योजनाएँ बनाई हैं। [illegible] विस्तार करने के लिए लगभग 2200 हैक्टेयर भूमि का चिन्हित किया गया है। भीड़ [illegible] करने के लिए यात्री की व्यवस्था करके अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन को शहर के अन्य भागों और शहरी एक्सटेंशन से जोड़ा गया है।

माल-आवागमन

दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाकलापों में वृद्धि होने के कारण शहरी क्षेत्र के भीतर और उसके बाहर माल का आवागमन अत्यन्त गम्भीर और विकट हो गया है। दिल्ली में आने वाले और आने वाले सकल वार्षिक भाड़े के आवागमन का लगभग 20 प्रतिशत रेल द्वारा और 80 प्रतिशत सड़क द्वारा होता है। राष्ट्रीय स्तर पर भाड़े का 91.2 प्रतिशत रेल द्वारा और 17.8 प्रतिशत सड़क द्वारा होता है।

रेल द्वारा माल-आवागमन

(1) दिल्ली में आने वाले माल से लदे हुए डिब्बों की सप्ताह के एक दिन की औसत 1,000 से 1,050 है और दिल्ली महानगर क्षेत्र से लगभग 150 माल से लदे हुए डिब्बे बाहर जाते हैं। इस क्षेत्र में रेल द्वारा पहुंचाए गए कुल माल के 25,000 टन प्रतिदिन होने का अनुमान है।

(2) यह सिद्ध हुआ है कि रेलवे स्टेशनों के माल का 60 प्रतिशत का गन्तव्य-स्थल पुराना शहर और इसके एक्सटेंशन अर्थात् सदर बाजार, मोतिया खान, अजमेरी गंज आदि हैं। जिन्हें माल जिन स्थानों पर उतरता है, वे नीचे दिए गए हैं :—

लोहा एवं इस्पात	तुगलकाबाद और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
खाद्यान्न	सब्जी मण्डी, साहीरी गेट, नई दिल्ली एवं दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन, तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन
कोयला	
फल एवं सब्जी	नई सब्जी मण्डी, आजाद पुर रेलवे स्टेशन
औद्योगिक कच्चा माल	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
तेल	शहर सब्जी रेलवे स्टेशन
सीमेंट	सफदरजंग और कटवारिया सराय रेलवे स्टेशन

इससे स्पष्ट है कि अब भी कुछ माल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरता है। जिस रेल को इस समय आंशिक रूप से माल लाने-ले जाने की लाईन के रूप में प्रयोग की जा रही है, भूमि उपयोग की पुनर्संस्थापना के बाद वह इसे वर्ष 2001 तक पूर्णतः यात्रियों के आवागमन के लिए समर्पित कर जाएगी। माल-आवागमन हेतु वर्तमान शहरीकरण सीमा सीमाओं से बाहर और संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में बाहर रेल द्वारा माल-आवागमन की आवश्यकता पूरी करने के लिए दिल्ली-मथुरा रेलवे लाईन को दिल्ली-पलवल रेलवे लाईन से जोड़ने वाली वैकल्पिक लाईन की आवश्यकता होगी।

सड़क द्वारा माल-आवागमन :

सप्ताह के एक दिन की औसत से 17,500 ट्रक (जिनमें से दो-तिहाई लदे हुए और एक-तिहाई खाली हुए) दिल्ली में आते हैं अथवा जाते हैं। लदे हुए आने वाले ट्रकों में से 25% (लगभग 1650 ट्रक) ट्रक शहर से बाहर-बाहर होकर बाहर जाते हैं। कुल ट्रकों में से लगभग 50 प्रतिशत ट्रक दो स्थानों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (बदरपुर चुंगी-चौकी) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (शाहदरा चुंगी-चौक) से गुजरते हैं।

सप्ताह के एक दिन की औसत से विभिन्न राजमार्गों पर आने वाले ट्रकों का प्रतिशतमान नीचे दिया गया है :—

राजमार्ग	रेंक	आने वाले ट्रकों की संख्या	कुल यातायात प्रवाह का %
राष्ट्रीय राजमार्ग-2	1	1400	21.0
राष्ट्रीय राजमार्ग-24	2	1332	20.00
राष्ट्रीय राजमार्ग-8	3	866	13.00
दिल्ली-पटपड़गंज	4	833	12.50
राष्ट्रीय राजमार्ग-10	5	466	7.00
रोहतक-नजफगढ़ रोड	6	433	6.50
राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रवेशित अन्य मुख्य सड़कें	—	1332	20.00

सर्वेक्षण-निष्कर्षों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आवक माल के 50% से अधिक का माल पुनः दिल्ली से बाहर जा रहा है। इससे यह समस्या उत्पन्न हुई है क्योंकि बाहर के विभिन्न गन्तव्य-स्थानों को माल बाहर भेजने के लिए माल का लदान पुनः किया जाता है।

माल-आवागमन हेतु प्रक्षेपण

रेल और सड़क द्वारा माल-आवागमन हेतु प्रक्षेपण निकाले गए हैं जो निम्न है :—

1. रेल	1981	2001
3% विकास-दर और दो दिन के संचय की दर से प्रक्षेपित माल-डिब्बों की संख्या जिसके लिए अनुकूल सुविधाएं निर्गोजित की जाएं	2100	5700
2. सड़क	1991	2001
प्रतिदिन दिल्ली शहरी क्षेत्र में आने वाले लदे हुए वाहन और जाने वाले वाहन	11965	43194
प्रतिदिन दिल्ली शहरी क्षेत्र में आने वाले खाली वाहन और जाने वाले वाहन	5627	20164
योग	17592	63305

समाकलित भाड़ा-काम्पलैक्स

सड़क और रेल द्वारा माल-आवागमन के समाकलन के लिए भाड़ा-काम्पलैक्सों की सिफारिश की गई है। इनमें थोक मार्किट, गोदाम, सड़क (ट्रक) और रेल परिवहन सुविधाएं होंगी ताकि विभिन्न केन्द्रों में आने वाले माल के आवागमन को कम किया जा सके। (व्यापार और वाणिज्य के मन्त्रालय थोक मार्किटों के प्रस्ताव को भी देखें)।

भाड़े-काम्पलैक्स उन स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां दिल्ली में आने वाले अधिकतम सम्बन्ध-क्षेत्रीय माल यातायात को बीच में रोक सकें। इसे ध्यान में रखते हुए भाड़े-काम्पलैक्सों के लिए निम्नलिखित स्थल चुने गए हैं :

बदरपुर सीमा	(राष्ट्रीय राजमार्ग-2)
पटपड़गंज	(राष्ट्रीय राजमार्ग-24)
शाहदरा	(राष्ट्रीय राजमार्ग-24)
नजफगढ़	(राष्ट्रीय राजमार्ग-1)
बवाना	(राष्ट्रीय राजमार्ग-8)

पश्चिम दिल्ली क्षेत्रों में सघनता को कम करने के लिए यह अनिवार्य है कि पश्चिमी दो स्थानों में निर्दिष्ट भाड़े-काम्पलैक्सों का विकास किया जाए।

शुष्क बंदरगाह

उत्तरी क्षेत्र में शुष्क बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव है। काफी समय से इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाता रहा है। इस प्रकार के क्रियाकलाप से व्यापक सम्पर्क स्थापित होगा और इस प्रकार बड़ी संख्या में रोजगार के लिए स्थितियों का सर्जन हो सकेगा और शहरी क्षेत्र के भीतर तथा इसके इर्द-गिर्द अधिक यातायात बढ़ेगा। इस क्रियाकलाप-केन्द्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में अधिक उपयुक्त रूप से स्थापित किया जा सकता है। प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए इसको इसके क्षेत्र में खुर्जा, फलवल, रेवाड़ी और सोनीपत को जोड़ने वाली एक नई रेल लिंक की आवश्यकता होगी।

महानगरीय परिवहन प्राधिकरण

महानगरीय शहरों की परिवहन की समस्याएं अनन्य हैं। यह अनुभव रहा है कि नियोजन, विकास और प्रबंधन करने के लिए बहु-मॉडल महानगरीय परिवहन प्रणाली एक प्राधिकरण के अधीन रहनी चाहिए। सर्वेक्षण रिपोर्टों पर दिल्ली की बहु-मॉडल कामप्लैक्स परिवहन प्रणाली का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार दिल्ली को एक एकीकृत शहरी परिवहन प्राधिकरण की आवश्यकता है।

आधारिक संरचना : मौलिक

इस भाग में जिन पहलुओं पर विचार किया गया है, वे हैं—(ए) जल-आपूर्ति, (बी) सीवरेज, (सी) पावर (डी) ठोस कूड़ा-करकट व्यवस्था और (ई) जल-निकास एवं जल मार्ग बनाना।

किसी भी शहर का जीवन स्तर उसमें उपलब्ध आधारिक संरचना की प्राप्यता, पर्याप्तता और गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर होता है। जनसंख्या के इन विकास के लिए जल, पावर, सीवरेज, जल-निकास और ठोस कूड़ा-करकट प्रबंध के संवर्धन की आवश्यकता होती है। कार्यों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए आधारिक संरचना की समस्याएं महानगरीय जीवन में संकट का कारण बन सकती हैं। सीवरेज और ठोस कूड़ा-करकट प्रबंध गुणात्मक रूप से आंतरिक मामले हैं किन्तु जल-आपूर्ति और पावर तथा जल-निकास अन्तर्राज्यीय मामले हैं। मांग को कम करने के लिए जलापूर्ति के विस्तार पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाने के लिए पहले ही जोर दिया गया है। भौतिक आधारिक संरचना की पर्याप्त व्यवस्था हेतु वांछित [illegible] करने के लिए [illegible] की आवश्यकता [illegible]

जल-आपूर्ति, सीवरेज, पावर और ठोस कूड़ा करकट की वर्तमान प्राप्यता और प्रक्षेपित आवश्यकता को निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट किया गया है :—

	जल एम. जी. डी.	सीवरेज एम. जी. डी.	पावर एम. डब्ल्यू.	ठोस कूड़ा-करकट टनों में प्रतिदिन
1991 रेल				
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
प्रक्षेपण-2001	1127	902	2500	6735

* सिनियर वेवर प्रतिदिन।

दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 और इसके शहरी एग्लमरेशन में भौतिक आधारिक संरचना की अतिरिक्त आवश्यकता इस प्रकार होगी जो नीचे दी गई है :

आधारिक संरचना	अतिरिक्त आवश्यकता	दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 में	संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में
जल-आपूर्ति			
एम. जी. डी. में	671	366	305
सीवरेज			
एम. जी. डी. में	661 (यदि जल की आपूर्ति 80 जी पी डी * की दर की जाए)	417	214
पावर			
एम डब्लू में	1800	800	1000
ठोस कूड़ा-करकट प्रबंध, टन में प्रतिदिन	4200	2200	2000

*गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 में वर्तमान आधारिक संरचना की पूर्ण पुनः संरचना करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

जल :

दिल्ली को कच्चे पानी के लिए यमुना नदी पर निर्भर रहना पड़ता है यद्यपि जल की आंशिक पूर्ति यमुना पार क्षेत्र में गंगा नदी से की जा रही है। उ.प्र. में टिहरी बांध और हिमाचल प्रदेश में लखवार और गिरी बांध के पूरे हो जाने पर 2001 तक दिल्ली के समग्र भाग के लिए जल की आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकेगी। जल की पूर्ति दिल्ली के भोवन जल का विनिमय हरियाणा को करके की जा सकेगी।

671 एम. जी. डी. की अतिरिक्त जल-आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान जल शोधक संयंत्रों को बढ़ाने और वर्ष 2001 तक उत्तर-पश्चिम में नये जल-शोधक-संयंत्र का निर्माण करने की भी आवश्यकता होगी जैसा कि तालिका में नीचे दिया गया है :

जल शोधक संयंत्र	वर्तमान क्षमता एम. जी. डी. में 1981	संस्तुत क्षमता एम. जी. डी. में 1985	संस्तुत क्षमता एम. जी. डी. में 2001
चंद्रावल 1 व 2	90	90	150
वजीराबाद	80	80	150
हैदरपुर 1 व 2	50	100	150
शाहदरा	—	100	200
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में नये संयंत्र	—	—	300
भोखला	6	—	—
रैनी कुएं	20	61	67
स्थानीय नलकूप	7	7	7
योग	253	438	1024

363 लिटर (80 गैलन) प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से जल-आपूर्ति की आवश्यकता निकाली गई है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	खपत
(1) घरेलू	225 एल. टी. पी. सी. *
(2) औद्योगिक, व्यावसायिक एवं सामुदायिक आवश्यकता	45.000 एल. टी. एच. ए. की. ** पर आधारित 47
(3) अग्नि-सुरक्षा	कुल मांग के 1% पर आधारित 4
(4) उद्यान	67.000 एल. टी. एच. ए. डी. पर आधारित 35
(5) धर्मशाला, आवास और दुकानों नया बड़े होटल जैसे विशेष उपयोग	52

*लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

**लिटर प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन

किसी भी आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम जल-आपूर्ति 135 लिटर (30 गैलन) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी।

सीवरेज

पर्यावरणीय-प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ स्वस्थ जीवन स्थितियों को बनाए रखने के लिए सीवरेज का शोधन करना अनिवार्य होता है। यह नोट किया गया है कि दिल्ली में सीवरेज-प्रणालियां कम, वर्तमान क्षमता कम है क्योंकि लगभग 70% वर्तमान जनसंख्या का निर्मित स्थितियों में सीवरेज उपलब्ध नहीं है। यमुना नदी में बढ़ता हुआ प्रदूषण भी सीवरेज शोधक सुविधाओं के अभाव का एक मुख्य कारण [illegible] क्षमता वाले दो नये सीवरेज शोधक संयंत्र बनाने के साथ-साथ वर्तमान शोधक संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर 2001 में दिल्ली के लिए कूड़ा-करकट की व्यवस्था की जा सकेगी जैसा कि नीचे दिया गया है :—

सीवरेज शोधक संयंत्र	वर्तमान क्षमता एम.जी.डी. में 1981	संस्तुत क्षमता एम.जी.डी. में 1985	संस्तुत क्षमता एम.जी.डी. में 2001
[illegible]	66	128	150
केशोपुर	32	70	120
कोरोनेशन	20	20	20
रिठाला	—	75	150
शाहदरा	—	60	160
उत्तर दिल्ली में नया संयंत्र	--	--	125
पश्चिमी दिल्ली में नया संयंत्र	--	—	125
योग	118	353	900

जिन क्षेत्रों में तत्काल नियमित सीवरेज उपलब्ध नहीं है उनमें पृथक पृथक परिवार के लिए कम लागत की सफाई प्रणाली को कम दूरी की व्यवस्था के रूप में अपनाया जाना चाहिए। क्षेत्र को इस प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए कि उनमें सम्भव दूरी वाली नियमित सीवरेज की व्यवस्था की जा सके।

पावर :

वर्ष 2001 में दिल्ली, का पावर का आवश्यकता 2500 मेगावाट (एम. डब्ल्यू.) होने का अनुमान है। बढ़ते हुए वायु-प्रदूषण, जल के अभाव और समस्यात्मक कोयला परिवहन के कारण दिल्ली पावर उत्पन्न करने की अपनी वर्तमान क्षमता में संभित वृद्धि हो कर सकेगी। इसे दिल्ली से बाहर के आपूर्ति-स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ेगा। 1991 तक निम्नलिखित तालिका में दिए गए स्रोतों के कुमार पावर की आवश्यकता की पूर्ति होगी :—

स्रोत	फर्म-क्षमता	
	1982-83 (एम. डब्ल्यू.)	1989-90 (एम. डब्ल्यू)
इंटु स्थानीय उत्पादन	176	236
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	500	500
सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (उ.प्र.)	15	150
बैरा सूल (उ. प्र.)	17	15
मुराद नगर (उ.प्र.) में बनाया जाने वाला न्यू सुपर थर्मल पावर स्टेशन	—	500
योग	708	1431

1991 के बाद प्रक्षेपित पावर मांग के अनुरूप दिल्ली के लिए पावर के स्रोतों की व्यवस्था करनी होगी। दिल्ली को निम्नलिखित केन्द्रीय सैक्टर योजनाओं से लाभ मिल सकता है जो इस समय निर्माणाधीन/विचाराधीन हैं :—

पावर संयंत्र	स्थापित क्षमता (एम. डब्ल्यू. में)	टिप्पणी
रिहंद उ.प्र. (थर्मल)	1000	निर्माणाधीन
सरोरा उ.प्र. (आणविक)	470	—वही—
नरोरा (हि.प्र.)		सी. ई. ए. द्वारा सर्वेक्षण (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना प्रस्तावित है)
दुलहस्ती (हाईड्रो इलैक्ट्रिक) (जम्मू एवं काश्मीर)	390	—वही—
उधमपुर हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (जम्मू एवं काश्मीर)	480	—वही—
सलाल हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (हि.प्र.)	540	—वही—
टिहरी हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (उ.प्र.)	120	—वही—
योग	3,000 एम. डब्ल्यू.	

वर्ष 2001 तक 25,00 एम. डब्ल्यू. की लक्षित मांग को पूरा करने के लिए पावर वितरण ढांचे को वर्तमान 220 किलो वोल्ट (के. वी.) ग्रिड से 400 के.वी. ग्रिड में बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी।

इसके पूर्ति के लिए पावर-ढांचे की योजना बनाई गई है जिसमें यमुना पार क्षेत्रों में गाजियाबाद बांध के उत्तर में :—

(1) नरेला के निकट पश्चिम दिल्ली में, और

(2) बवाना के निकट दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में

400 के.वी. के तीन मुख्य विद्युत उपकेन्द्रों की व्यवस्था होगी। इसकी पूर्ति उत्तरी ग्रिड से होगी तथा दिल्ली में अन्य पावर वितरण प्रणाली की पूर्ति इस ग्रिड से और वर्तमान 220 के.वी. ग्रिड से होगी।

ठोस कूड़ा-करकट :

ठोस कूड़े-करकट की प्रकृति और निपटान के संभावित बहुतुओं पर विचार करते हुए ठोस कूड़े-करकट की अधिकांश मात्रा को सैनिटरी लैंडफिलिंग में निपटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित स्थल हैं :—

स्थल का विवरण	क्षेत्र (हैक्ट. में)
पश्चिमी दिल्ली में हस्तसाल गांव के निकट स्थल	26
रिंग रोड पर मायापुरी या गांव के निकट स्थल	20
उत्तर-पश्चिम में स्थल	58.5
[illegible]	[illegible]
वर्तमान लैंडफिल निमारपुर के निकट स्थल	10
उत्तर-दिल्ली में गोपालपुर गांव के निकट स्थल	20
जहांगीरपुरी के निकट स्थल	12

रिंग रोड पर सैनिटरी लैंडफिलिंग का कार्य संतोषजनक रूप से किया जा रहा है फिर भी जल को प्रदूषण से बचाने के लिए तल में जल-निकास पाइपों की व्यवस्था करके इसको और अधिक सुधार किया जा सकता है।

इस क्षेत्र का कम्पोस्ट संयंत्र एक दिल्ली नगर निगम और दूसरा आजादपुर मंडी के पास स्थित है तथा तीसरा नगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा है।

सब्जी एवं फल मार्किटों के कूड़ा-करकट में अधिक मात्रा में जैविक वस्तुएं होने के कारण इसे इन कम्पोस्ट संयंत्र में उपयोग किया जाना चाहिए। कम्पोस्ट संयंत्र के लिए कोई और स्थल नहीं रखा गया है। इन कम्पोस्ट संयंत्रों के कार्य का 1992 में समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो नीति-परिवर्तन किया जा सकता है।

अस्पतालों, बूचड़खानों, फल एवं सब्जी मार्किटों, डेयरी फार्मों एवं पुरानी दिल्ली के घने बसे हुए क्षेत्रों के कूड़ा-निपटान में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अस्पतालों के कूड़े-करकट जिसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं, को अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए और उसे जला दिया जाना चाहिए। पक्षियों के खतरे से बचाव करने के लिए खुले कूड़ेदानों के रूप में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और हवाई अड्डे के पांच किलोमीटर के भीतर वाले क्षेत्रों में कूड़े को संग्रह हटाया जाना चाहिए।

कूड़ेदानों, ढलावों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए ठोस कूड़ा-करकट के निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाएं :—

(प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र 0.67 किलोग्राम (कि. ग्रा.)
दिल्ली नगर निगम क्षेत्र 0.60 किलोग्राम (कि. ग्रा.)

जल-निकास एवं जल-मार्ग व्यवस्था :

जल निकास :—जल-निकास के दो पहलू बाढ़-नियंत्रण एवं बरसाती जल का निपटान है, जो परस्पर संबंधित हैं। दिल्ली में बरसाती जल

और बाढ़-नियंत्रण स्थानीय नहीं हैं अपितु क्षेत्रीय है जिनमें हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र सम्मिलित हैं। नजफगढ़ नाले और बड़ा पुला कुशक नाले जिनसे शहरी क्षेत्रों में बरसाती-जल बहता है, वे अधिकतम जल-बहाव की अवधि के दौरान अपनी पूरी क्षमता से बहते हैं। वर्तमान शहरीकरण योग्य सीमाओं के अपेक्षित विस्तार से क्षेत्रों में सतह बंधन में पर्याप्त रूप से परिवर्तन होगा और इस प्रकार बहाव बढ़ेगा और वर्तमान नालों को नया रूप देने और अतिरिक्त नालों का व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। प्राथमिकता के आधार पर सीमित क्षेत्रों में बहाव के लिए दक्षिण में हरियाणा अथवा दिल्ली में से होकर एक नये नाले की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

यमुना नदी की जल-मार्ग व्यवस्था :

संसार के मुख्य महानगरीय शहरों की नदियों जैसे लंदन के टेम्स और पेरिस की सेन के जलमार्ग की व्यवस्था की गई है जो नदी-तटों का विकास करने के लिए असीमित अवसर प्रदान कर रही हैं। यमुना नदी के मामले में संभावनाओं का महसूस किया गया है और ऐसे संकेत हैं कि लगभग 550 मीटर की चौड़ाई और लगभग 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल-मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है जो तट-क्षेत्र विकास के लिए उपलब्ध हो सकती है। केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केन्द्र, पुणे इस कार्य के लिए मॉडल-परीक्षण कर रहा है। इस अध्ययन के समाप्त हो जाने के बाद शहर की त्रिशिष्ट विशेषताओं के रूप में दि. वि. प्रा. द्वारा नदी-अग्र का विकास किया जाना चाहिए।

आधारिक संरचना—सामाजिक :

इस भाग में जिन पहलुओं पर विचार किया गया है वे हैं :—

(क) स्वास्थ्य;
(ख) शिक्षा;
(ग) दूर संचार;
(घ) सुरक्षा;
(च) अग्नि; और
(छ) वितरक सेवाएं।

स्वास्थ्य :

दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं का [illegible] की पूर्ति करना पड़ता है। [illegible] भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निजामुद्दीन [illegible] बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में आते हैं। इस समय दिल्ली में 2.6 बिस्तर प्रति 1000 जनसंख्या की दर से लगभग 15,000 अस्पताल के बिस्तर हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था में विभिन्न संगठित इकाइयों में भौगोलिक असंतुलन विद्यमान है। विश्वजन ई, ज और एच में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे क्रमशः केवल 1.013, 0.992 और 0.51 बिस्तर हैं। इन नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहले प्रस्तावित सामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में द्वि-शयन-प्रणाली से स्वास्थ्य आवश्यकताओं संबंधी सीमा को पूरा नहीं हुई। अतः अब छह-शयन-प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है जैसा कि नीचे दिया गया है :—

(1) सामान्य अस्पताल	500 बिस्तरे
(2) मध्यवर्ती अस्पताल	(क) 200 बिस्तरे
(3) मध्यवर्ती अस्पताल	(ख) 80 बिस्तरे
(4) पोलि-क्लीनिक	
(5) नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रसूति केन्द्र	
(6) औषधालय	

स्वास्थ्य-सुविधाओं के नियोजन मानक निम्न दिए गए हैं :—

प्रति 1,000 जनसंख्या पर सिफारिश किए गए बिस्तर-5

(क) सामान्य अस्पताल :

3 लाख की जनसंख्या के लिए	1 अस्पताल
क्षमता	500 बिस्तरे
अस्पताल के लिए क्षेत्र	4.00 हेक्ट.
विस्तार आदान हेतु क्षेत्र	2.00 हेक्ट.
कुल क्षेत्र	6.00 हेक्ट.

(ख) मध्यवर्ती अस्पताल :
(श्रेणी क)

1 लाख की जनसंख्या के लिए	1 अस्पताल
क्षमता	200 बिस्तरे
अस्पताल के लिए क्षेत्र	2.67 हेक्ट.
संभावित विस्तार, आदान हेतु क्षेत्र	1.00 हेक्ट.
कुल क्षेत्र	3.67 हेक्ट.

(ग) मध्यवर्ती अस्पताल :
(श्रेणी ख)

1 लाख की जनसंख्या के लिए	1 अस्पताल
क्षमता	80 बिस्तरे, 20 प्रसूति बिस्तरों को मिलाकर
अस्पताल के लिए क्षेत्र	0.60 हेक्ट.
विस्तार आदान हेतु क्षेत्र	0.10 हेक्ट.
[illegible]	[illegible]

(घ) कुल पोलि-क्लिनिकों सहित पालिक्लिनिक :

1.5 लाख की जनसंख्या के लिए	1 अस्पताल
क्षेत्र	0.20 से 0.30 हेक्ट. तक

(ङ) नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रसूति केन्द्र :

[illegible] लाख की जनसंख्या के लिए	[illegible]
[illegible]	[illegible] हेक्ट. तक

(च) औषधालय :

0.15 लाख की जनसंख्या के लिए	1 अस्पताल
क्षेत्र	0.08 से 0.012 हेक्ट. तक

पूर्वानुमान के अतिरिक्त विशिष्ट सुविधाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के मामले में इनमें से एक स्तर का उपयोग किया जा सकता है जो कि विशेष आवश्यकता के अनुसार हो।

शिक्षा :

[illegible] पर विचार करके विभिन्न स्तरों पर सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मानदण्ड रखे गए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों और कालेजों में, स्कूलों में खेल-मैदान क्षेत्रों के आरक्षण के लिए अलग मानदण्ड दिए गए हैं जिन्हें विस्तृत ले-आऊट प्लान में अवश्य ही सुनिश्चित किया जाए। निम्न आय वाले समुदायों के मामले में, नर्सरी-स्कूल के स्थान का उपयोग शिशु सदन के लिए किया जाएगा जिसे जनता, निजी अथवा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाया जा सकता है। केन्द्रीय स्कूलों और पब्लिक स्कूलों को स्थान देने के लिए शहरी स्तर के समाकलित स्कूलों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का आरक्षण किया गया है।

शैक्षणिक सुविधाओं के नियोजन मानक नीचे दिए गए हैं :—

सीनियर सेकेन्डरी स्तर तक

(क) पूर्व-प्राइमरी, नर्सरी स्कूल 2,500 की जनसंख्या के लिए 1

(ख) प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5 तक)

5,000 की जनसंख्या के लिए	1
स्कूल की क्षमता	500 छात्र
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र	0.40 हेक्ट.
स्कूल-भवन का क्षेत्र	0.20 हेक्ट.
प्रभावपूर्ण खेल हेतु सुनिश्चित किया जाने वाला कम से कम 18 मी. × 36 मी. वाले खेल मैदान का क्षेत्र	0.20 हेक्ट.

(ग) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल (छठी से बारहवीं तक)

7,500 की जनसंख्या के लिए	1
स्कूल की क्षमता	1000 छात्र
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र	1.60 हेक्ट.
स्कूल भवन का क्षेत्र	0.60 हेक्ट.
प्रभावपूर्ण खेल हेतु सुनिश्चित किये जाने वाले कम से कम 68 मी. × 126 मी. वाले खेल मैदान का क्षेत्र	1.00 हेक्ट.

(घ) छात्रावास की सुविधाओं रहित समाकलित स्कूल (कक्षा 1 से 12 तक)

90,000 से 1,00,000 तक की जनसंख्या के लिए	1
स्कूल की क्षमता	1,500 छात्र
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र	2.20 हेक्ट.
स्कूल भवन का क्षेत्र	0.70 हेक्ट.
खेल-मैदान का क्षेत्र	1.20 हेक्ट.
पार्किंग क्षेत्र	0.30 हेक्ट.

(च) छात्रावास की सुविधा सहित समाकलित स्कूल-

90,000 से 1,00,000 तक की जनसंख्या के लिए	1
स्कूल की क्षमता	1,500 छात्र
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र	2.20 हेक्ट.
स्कूल भवन का क्षेत्र	0.70 हेक्ट.
खेल-मैदान का क्षेत्र	1.20 हेक्ट.
पार्किंग-क्षेत्र	0.30 हेक्ट.
आवासीय, छात्रावास का क्षेत्र	0.40 हेक्ट.

उच्च शिक्षा—अनावश्यक :—

(क) कालेज :

दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 के भीतर

1.3 लाख की जनसंख्या के लिए	1
कालेज की क्षमता	1,500 छात्र
प्रत्येक कालेज का क्षेत्र	4.00 हेक्ट.

शहरी एक्सटेंशन के भीतर

1.00 लाख जनसंख्या के लिए	1
कालेज की क्षमता	1,000 छात्र
प्रत्येक कालेज का क्षेत्र	4.00 हेक्ट.

(ख) विश्वविद्यालय परिसर

दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 के भीतर नियोजन डिवीजन ई, एफ और जी प्रत्येक में 1

शहरी एक्सटेंशन में 1

(ग) नया विश्वविद्यालय परिसर

क्षेत्र	100 हेक्ट.

तकनीकी शिक्षा :—

(क) तकनीकी शिक्षा केन्द्र (क) :

प्रति 10 लाख की जनसंख्या के लिए इस प्रकार के 1 केन्द्र की व्यवस्था की जाएगी जिसमें एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और एक पोलिटेक्निक सम्मिलित है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता	100 प्रशिक्षणार्थी
पोलिटेक्निक की क्षमता	500 छात्र
प्रत्येक केन्द्र का क्षेत्र	4.00 हेक्ट.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए क्षेत्र	1.60 हेक्ट.
पोलिटेक्निक के लिए क्षेत्र	2.40 हेक्ट.

(ख) व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र (ख) :

10 लाख की जनसंख्या के लिए 1 केन्द्र की व्यवस्था होगी जिसमें 1 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, 1 तकनीकी केन्द्र और 1 प्रशिक्षण केन्द्र सम्मिलित है।

प्रत्येक केन्द्र का क्षेत्र	4.00 हेक्ट.
तकनीकी केन्द्र के लिए क्षेत्र	2.10 हेक्ट.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए क्षेत्र	1.60 हेक्ट.
प्रशिक्षण केन्द्र के लिए क्षेत्र	0.30 हेक्ट.

व्यावसायिक शिक्षा :

(क) नया इंजीनियरिंग कालेज शहरी एक्सटेंशन में [illegible] के लिए [illegible]

[illegible] की क्षमता	1500 से 1700 तक छात्र
प्रत्येक कालेज का क्षेत्र	60.00 हेक्ट.

(ख) नया विश्वविद्यालय कालेज :

शहरी एक्सटेंशन में 15 हेक्ट. वाले 2 स्थल। इनमें विश्वविद्यालय सामान्य अध्ययनों के लिए स्थान सम्मिलित है।

संचार :

[illegible] के साथ [illegible] में दिल्ली में 11 हेक्ट. [illegible] जिसकी 2.27 [illegible] लाइनों की पूर्ण क्षमता है।

टेलीफोनों के विकास की स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	जनसंख्या (लाख में)	क्षमता टेलीफोन लाईनों की सं.	प्रति 100 की जनसंख्या के पीछे टेलीफोन
1981	62.00	2,10,000	3.37
1991	90.00	5,40,000	6.00
2001	120.00	12,00,000	10.00

दूरसंचार सुविधाओं के नियोजन-मानक नीचे दिए गए हैं :—

10,000 लाईनों की क्षमता के टेलीफोन केन्द्र प्रति 100 की जनसंख्या पर 10 टेलीफोनों की दर से 4 लाख की जनसंख्या के लिए एक केन्द्र।

क्षेत्र	0.80 हेक्ट.

प्रशासनिक कार्यालय

फर्श-क्षेत्र	1 लाख वर्ग फुट

प्रशासनिक कार्यालय टेलीफोन केन्द्रों के भाग हो जाएंगे और तदनुसार भूमि के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।

टेलीफोन केन्द्र के उपकरणों/सामग्री आदि के लिए भण्डार।

प्राथमिक रूप से एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी दिल्ली में शहरी स्तर पर इसकी व्यवस्था होगी।

क्षेत्र 4.00 हेक्ट.

हल्के औद्योगिक क्षेत्र में शहरी स्तर पर लगभग 800 लाइनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए डिपो व कार्यशाला की व्यवस्था की जानी है।

क्षेत्र 1.00 हेक्ट.

विभागीय तार कार्यालय :

(क) बुकिंग काउंटर—

1 लाख की जनसंख्या के लिए 1

सामुदायिक केन्द्र में स्थान की व्यवस्था की जानी है।

(ख) बुकिंग और वितरण कार्यालय— 1

6 लाख की जनसंख्या के लिए

फर्श क्षेत्र 1200 वर्ग मी.

जिला केन्द्र में स्थान की व्यवस्था की जानी है

डाक सुविधाएं :

(क) डिलीवरी रहित डाक घर काउन्टर —

10,000 से 15,000 तक की जनसंख्या के लिए 1

फर्श क्षेत्र 60 से 85 वर्गमी. तक

स्थानीय निपटान केन्द्र में स्थान दिया जाना है।

(ख) डिलीवरी कार्यालय सहित मुख्य डाक घर—

3 लाख की जनसंख्या के लिए 1

क्षेत्र 600 वर्ग मी.

सामुदायिक केन्द्र/जिला केन्द्र में स्थान दिया जाना है।

(ग) मुख्य डाक घर और प्रशासनिक कार्यालय—

6 लाख की जनसंख्या के लिए 1

क्षेत्र 2500 वर्ग मी.

जिला केन्द्र में स्थान दिया जाना है।

सुरक्षा :

शहरी समुदाय गुणनात्मक रूप में अज्ञात होते हैं और वे मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर रहते हैं। इस समय दिल्ली में 66 पुलिस स्टेशन और 48 पुलिस चौकियां हैं जिनकी व्यवस्था एक लाख की जनसंख्या के लिए एक थाने की दर से की जा रही है। पुलिस, जेल, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा और अग्नि के लिए नियोजन मानक निम्नवत होंगे :—

पुलिस :

(क) पुलिस स्टेशन :

0.75 से 1 लाख की जनसंख्या के लिए 1

अनिवार्य रिहायशी आवास सहित क्षेत्र 1.15 हेक्ट.

नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के लिए 0.05 हेक्ट. अतिरिक्त

(ख) पुलिस चौकी :

0.4 से 0.5 लाख की जनसंख्या के लिए 1

अनिवार्य रिहायशी आवास सहित क्षेत्र 0.10 हेक्ट.

(ग) जिला कार्यालय और बटालियन :

10 लाख की जनसंख्या के लिए 1

जिला कार्यालय के लिए क्षेत्र 0.80 हेक्ट.

बटालियन के लिए क्षेत्र 4.00 हेक्ट.

कुल क्षेत्र 4.80 हेक्ट.

(घ) पुलिस लाइनें :

उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली प्रत्येक हेतु 1-1

क्षेत्र 4.00 से 6.00 हेक्ट. तक

(च) जिला जेल :

10 लाख की जनसंख्या के लिए 1

क्षेत्र 10.00 हेक्ट.

नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा :—

(क) गृह रक्षा : जोनल स्तर

(1) दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 के भीतर 10 लाख की जनसंख्या के लिए 1

(2) शहरी एक्सटेंशन में 10 लाख की जनसंख्या के लिए 1

क्षेत्र 1.00 हेक्ट.

(ख) गृह रक्षक—जिला स्तर 10 लाख की जनसंख्या के लिए 1

क्षेत्र 2.00 हेक्ट

(1) दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 के भीतर 20 लाख की जनसंख्या के लिए 1

(2) शहरी एक्सटेंशन में 10 लाख की जनसंख्या के लिए 1

अग्नि :—

दिल्ली अग्नि शमन सेवा दिल्ली और सीमावर्ती राज्यों के भागों में लोगों को अग्नि, मकान गिरने, दुर्घटनाओं और अन्य आपत्तियों से बचाने का कार्य करती है। इस समय दिल्ली में 18 अग्नि शमन केन्द्र हैं।

दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 में 20 और शहरी एक्सटेंशन में 19 अर्थात 39 और अग्नि शमन केन्द्रों की आवश्यकता होगी। अग्निक अग्नि शमन कर्मों और पानी की टंकियों की व्यवस्था करने के लिए जल-आपूर्ति सहित कार्यक्रम का समन्वय किए जाने की आवश्यकता है।

भवन उप-विधियों अथवा संशोधित प्राधिकरण के विनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार बहु-मंजिले भवनों के लिए विशेष अग्नि शमन सेवा की आवश्यकता है। दिल्ली अग्नि शमन सेवा को बहु-मंजिले भवनों में आग दुर्घटनाओं के मामले निपटाने के लिए पूरी तरह से सज्जित करना चाहिए। विकास योजनाएं तैयार करते समय सघन और मिश्रित क्षेत्रों में अग्नि शमन आवश्यकताओं के लिए पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित किया जाए।

2 लाख की जनसंख्या के लिए 1 से 3 कि.मी. के भीतर 1 अग्नि शमन केन्द्र अथवा उप-अग्नि शमन केन्द्र की व्यवस्था की जानी है।

अनिवार्य रिहायशी आवास सहित अग्नि शमन केन्द्र हेतु

क्षेत्र 1.00 हेक्ट.

अनिवार्य रिहायशी आवास सहित उप-अग्नि शमन केन्द्र हेतु

क्षेत्र 0.60 हेक्ट.

वितरक सेवाएं : —

दूध : दिल्ली में सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा 7.30 लाख लीटर की वर्तमान पूर्ति की जाती है। 2.32 लाख की पूर्ति मदर डेयरी द्वारा की जाती है। दूध के लिए वर्तमान प्रसारि कार्यक्रम केवल 9.75 लाख लीटर प्रतिदिन तक सीमित है जबकि 2001 तक की आवश्यकताएं लगभग 15 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। डेयरी-उद्योग हेतु दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के साथ सहित निकटवर्ती राज्यों के क्षेत्रों के विकास हेतु इस पहलू की क्षेत्रीय स्थिति है। दुग्ध उत्पादक संघों के लिए एक नजफगढ़ रोड के पश्चिम में और दूसरा जी. टी. रोड पर 13—15 हेक्टर वाले दो स्थलों की आवश्यकता होगी।

एल. पी. जी. भंडारण एवं वितरण :

1981 की 11.45 लाख कनेक्शनों की आवश्यकताओं के मुकाबले में दिल्ली में लगभग 3.22 लाख एल. पी. जी. कनेक्शन हैं और 100% परिवार इसे लेना चाहें तो 2001 में 21.35 लाख होने का अनुमान है।

ओखला सोर्वेज में लगभग 10,000 परिवारों को गैस देने का प्रयोगात्मक कार्यक्रम पहले ही चालू किया जा चुका है। वर्तमान और प्रस्तावित सीवेज शोधक संयंत्रों की गैस का उपयोग संयंत्र और अन्य ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा।

उपर्युक्त वितरक सुविधाओं के नियोजन मानक नीचे दिए गए हैं —

तरल पेट्रोलियम गैस एल. पी. जी. गोदाम

40,000 की जनसंख्या के लिए 1 गैस गोदाम

क्षमता	500 सिलिन्डर अथवा 8,000 एल. पी. जी. के कि. ग्रा.
क्षेत्र	5200 वर्ग मी. (20 मी. × 26 मी. चौकीदार की हट सहित
स्थिति	औद्योगिक क्षेत्र अथवा सेवा केन्द्र में

1981—2001 में उपर्युक्त मानकों के आधार पर सामाजिक आधारिक संरचना की अतिरिक्त आवश्यकता निम्नलिखित तालिका में संकेतित की गई है।

अतिरिक्त आवश्यकता 2001

सामाजिक आधारिक संरचना	दिल्ली शहरी क्षेत्र 81	शहरी एक्सटेंशन	योग
1	2	3	4
शिक्षा :			
प्राईमरी स्कूल	298	762	1060
सीनियर सेकेन्डरी स्कूल	217	508	725
समाकलित स्कूल	58	85	143
सामान्य कालेज	22	38	60
तकनीकी शिक्षा केन्द्र—क	3	9	12
विश्वविद्यालय केन्द्र	2	1	3
स्वास्थ्य :			
सामान्य अस्पताल	9	12	21
मातृत्व अस्पताल—ख	59	39	98
सामुदायिक केन्द्र	110	76	186
अन्य :			
पुलिस स्टेशन	18	30—31	48—49
अग्नि शमन केन्द्र	20	19	39
जिला जेल	3	5	8
मुख्य डाक घर	20	6	26
टेलीफोन केन्द्र	6	9	15
विभागीय स्टोर्स	9	5	14
एल. पी. जी. गैस-गोदाम	64	85	149

सुविधा एवं सेवा केन्द्र :

प्राथमिक स्कूल, डाईमरी स्कूल, डाकघालय जैसी निम्न स्तर की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था वैसे ही स्थानों में की जाएगी जिन्हें आवास, अधिवास, पुलिस स्टेशन जैसी उच्च स्तर की सुविधाओं की व्यवस्था योजना-स्तर पर की जाएगी। चूंकि इन सुविधाओं के लिए पृथक स्थान की व्यवस्था करना संभव न होगा अतः दिल्ली शहरी क्षेत्र—81 के भीतर उपलब्ध क्षेत्रों में, दो समूहों अथवा अधिक इकाइयों में सुविधा केन्द्र की संकल्पना तैयार की गई है और इन क्षेत्रों को सुविधा केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। अपेक्षित सामाजिक आधारिक संरचना की व्यवस्था करने के लिए भूमि उपयोग प्लान पर इस प्रकार के 61 सुविधा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह अतिरिक्त मरम्मत की दुकानों, सब्जि-दुकानों, गैस गोदामों को स्थान देने के लिए सेवा केन्द्रों को भूमि उपयोग प्लान में निर्धारित किया गया है।
(अनुबंध 1 देखें)।

पर्यावरण

जीवन की उत्तम गुणवत्ता के लिए भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का सृजन करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। शहर के पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं हैं :—

(1) पारिस्थितिकी, प्रकृति-संरक्षण और पार्क।
(2) शहरी डिजाइन।
(3) शहरी परम्परागत सम्पत्ति का संरक्षण।
(4) सामुदायिक जीवन।
(5) स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा हेतु शर्तें।

प्राकृतिक विशेषताएं :

प्राकृतिक पारिस्थितिक-प्रणाली को बनाए रखने के लिए दिल्ली में मुख्य प्राकृतिक विशेषताओं के संरक्षण का अत्यन्त महत्व है। दिल्ली की दो मुख्य प्राकृतिक विशेषताएं रिज और यमुना नदी है। दिल्ली की रिज को अरावली पर्वत-श्रंखलाओं की शैल-दुभाजक के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्तर में विश्वविद्यालय से दक्षिण में संघ राज्य-क्षेत्र और उससे बाहर तक फैली हुई है। केन्द्रीय रिज क्षेत्र जो कि नई दिल्ली का हिस्सा है, को योजना नई दिल्ली राजधानी के विकास के समय इसके समाकलित भाग के रूप में एडवर्ड लुटियन द्वारा तैयार की गई थी। कीकर और बबूल जैसे देशी प्रकार के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को इसके प्राचीन गौरवपूर्ण रूप में ही छोड़ दिया।

इस योजना 1962 में शहरीकरण के लिए दक्षिण केन्द्रीय रिज के और फैलाव का निर्धारण करती है। हालांकि दिल्ली में रिज के

हिस्से लुप्त हो चुके हैं। अब उपलब्ध कुल रिज क्षेत्र लगभग 7,777 हेक्ट. है जिसे निम्न रूप में विभाजित किया गया है :

उत्तरी रिज	87 हेक्ट०
केन्द्रीय रिज	864 हेक्ट०
दक्षिणी केन्द्रीय रिज (मुहरौली)	626 हेक्ट०
दक्षिणी रिज	6,200 हेक्ट०

इस प्रकार बताई गई रिज का अत्यन्त सावधानी से संरक्षण किया जाना चाहिए और उसमें न्यूनतम कृत्रिम भू-दृश्य करके देसी प्रकार के वृक्ष लगाए जाने चाहिए।

इस समय यमुना नदी में जल प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा है जो कि मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों के अशोधित गीवर और कूड़े-कचरे से होता है। नदी को साफ रखने के लिए जल प्रदूषण अधिनियम को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। नदी की नई प्रस्तावित जल-मार्ग-व्यवस्था से नदी-मुख को सुधार करने में और अधिक मदद मिलेगी।

वायुमंडल स्थान :

इस समय दिल्ली शहरी क्षेत्र–81 में शहरी स्तर पर दिल्ली में 4,335 हेक्ट. क्षेत्र में विकसित पार्क हैं और लगभग 1,677 हेक्ट. क्षेत्र विकास के लिए उपलब्ध है। शहर में इतिहास के विभिन्न कालों मुगलकाल के रोशनारा और कुदसिया बाग, ब्रिटिशकाल का लाल कटोरा गार्डन और स्वातन्त्र्योत्तर काल का बुद्ध जयन्ती पार्क के 20 मुख्य जिले पार्क हैं। शहर स्तर पर 7 वर्ग मी. प्रति व्यक्ति की दर से 6,012 हेक्ट. क्षेत्र खेल व पार्क क्षेत्र आरक्षित है।

योजना के कार्यान्वयन के दौरान मनोरंजनात्मक क्षेत्र का लगभग 64% अन्य उपयोगों में लगाया गया है।

जिले जिला पार्कों का विकास किया जा चुका है वे अत्यन्त लोकप्रिय हैं और अनका व्यापक रूप से विशेषकर अवकाश दिनों में उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 उपलब्ध जिला पार्क के 1,677 हेक्ट. क्षेत्र का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। खेल-कूद के क्षेत्रों की नीति के अनुसार इस क्षेत्र के भाग को खेल-कूद के क्रियाकलापों के लिए विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

दिल्ली शहरी क्षेत्र-81 के भीतर मनोरंजन के लिए निम्नलिखित विशेष क्रियाकलाप क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव है।

(क) प्रत्येक 4 हेक्ट. वाले अतिरिक्त विशेष बाल पार्क (इंडिया गेट बाल पार्क की प्रकार वाले)	7
(ख) प्रत्येक 5 हेक्ट. वाले बाल यातायात प्रशिक्षण पार्क	6
(ग) पिकनिक हट	5

जिला पार्क क्षेत्रों के लगभग 30% को वन भूमियों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। स्थानीय स्थितियों के अनुकूल वृक्षों के प्राथमिक प्रकार अनुबंध IX में दिए गए हैं।

नयी विकास-योजनाओं में 15,000 की जनसंख्या के लिए कम से कम 1.5 हेक्ट. के प्रतिवेशी पार्क में फूल वाले पौधे और झाड़ियां लगाई जानी चाहिए ताकि वर्ष भर रंगीन आकर्षक वातावरण बनाई रहे।

शहरी एक्सटेंशन में अवशेष सम्पत्ति को पूरा वायुमंडल स्थानों के रूप में कार्य करने और भ्रमणार्थक पक्षियों को आकर्षित करने तथा सूक्ष्म जलवायु में सुधार करने के लिए जल-निकायों (झीलों) का विकास किया जाए। डिजनीलैंड के पैटर्न पर तुगलकाबाद/लाडो सराय के निकट एक विशेष मनोरंजनात्मक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। शहरी एक्सटेंशन में 9 वर्ग मी. प्रति व्यक्ति की दर से निम्नलिखित होंगे जिसमें विशेष पार्क भी सम्मिलित होंगे जैसा कि नीचे दिया गया है :

विशेष बाल पार्क	1 (4 हेक्ट० वाले)
बाल यातायात प्रशिक्षण पार्क	4 (5 हेक्ट वाले)
पिकनिक हट	4

खेल-कूद सिद्धान्त :

व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल-कूद बहुत महत्वपूर्ण है। योजना में समस्त आयु-वर्गों के लिए खेल और खेल-कूद के क्षेत्रों के विकास पर उचित जोर दिया जाना है। परिणामतः विभिन्न अवसर नवीनतम खेल-कूद सुविधाएं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर खेल कूदों के लिए क्षेत्रों का विकास निम्न रूप में होगा :—

जिला खेल-कूद केन्द्र :	
जनसंख्या का आकार	10–12 लाख
क्षेत्र	20 हेक्ट०
जिला खेल-कूद केन्द्र जनसंख्या का आकार क्षेत्र	1 से 1.5 लाख
	4 हेक्ट०.
निकटवर्ती खेल-कूद क्षेत्र जनसंख्या का	15,000
आकार क्षेत्र	1.5 हेक्ट०
आवासीय इकाई खेल-कूद क्षेत्र	
जनसंख्या	5,000
क्षेत्र	न्यूनतम

पुनः वृक्षारोपण

दिल्ली के पार्कों में अधिकांश वृक्ष ऐसे हैं जो अपनी पूरी जीवन-अवधि पूर्ण कर चुके हैं। यह विशेष रूप से नई दिल्ली के पार्कों, सड़कों और बंगलों वाले वृक्षारोपण के विषय में सच है। ये वृक्ष सभी 1910 में लगाए गए थे और ये जीवन अवधि (70 वर्ष) के अंतिम चरण में हैं। पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण प्रारूप के रूप में इन वृक्षों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुनः वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

शहरी डिजाईन :

शहर इमारतों और गलियों, संचार और उपयोगिताओं की प्रणालियों, कार्य, परिवहन, अवकाश के स्थानों और सभा-स्थानों का एक समुच्चय है। इन सभी का कार्यात्मक रूप से और सुन्दर रूप की दोनों दृष्टियों से प्रारूप का प्रबंध करना शहरी डिजाइन का सार है। 17वीं शताब्दी के शाहजहांबाद और लुटियन की नई दिल्ली के विशिष्ट शहरी रूप के अतिरिक्त दिल्ली महानगर समय के साथ-साथ लोगों का घटना-हीन समूह बनता जा रहा है और बदसूरत होता जा रहा है।

चार दीवारी के शहर शाहजहांबाद में कुछ असुंदर प्रकार की विशेषताएं हैं। जामा मस्जिद एक प्रभावित करने वाली इमारत है जो चढ़ाई की चोटी पर स्थित है और शहर की अन्य इमारतों से रूप और पैमाने दोनों की दृष्टि से भिन्न है। चांदनी चौक की परिधियों के योजना इस प्रकार बनाई गई थी कि एक ओर तो यह स्थानीय केन्द्र के रूप में कार्य करे और दूसरे ओर लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद की महत्वपूर्ण इमारतों से दोनों ओर अंतिम स्थानों पर एक विशेष दृश्य प्रस्तुत करे। [illegible] परिधियों की योजना की गई और जमना नदी के बाद पृष्ठभूमिवत बनाए रखने के लिए भू-दृश्यांकित किनारे के रूप में कल्पना की गई थी। इस किनारे के साथ-साथ राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के मोडल साइटों में आश्चर्यजनक चाक्षुष सुगमता है और संसार के

होगे

शहरी डिजाइनों में सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है । यद्यपि अब नई दिल्ली को राम लीला मैदान जैसी सीमा से भौतिक रूप से पुराने शहर से अलग किया गया था तब यह चाक्षुप रूप से संसद भवन, कनाट प्लेस और जामा मस्जिद की इन्हीं धुरियों से जुड़ी हुई

बाद में किए गए विकास-कार्यों में न तो शहरी रूप पर और न ही इस संबंधी विशेषताओं पर उचित ध्यान दिया गया । मुख्य योजना के अंतर्गत नये विकासकार्य विभिन्न उपयोगों के लिये भूमि के विभाजन आधार पर अधिक आधारित हैं और इनमें स्थानिक गुणों का अभाव है । सभी सड़कें चाहे वह शहरी स्तर की हों अथवा स्थानीय स्तर की ही मात्र भूखंडों का विभाजन करती हैं और वे स्थान के समन्वय की अविच्छिन्नता को प्राप्त करने में असमर्थ हैं । वर्तमान शहरी रूप जोनिंग और उप-डिविजन विनियमों का परिणाम है । इस बात की पुष्टि में कनाट प्लेस एक्सटेंशन एक उदाहरण है जहां शहरी डिजाइन के ढांचे के अभाव में अवांछनीय परिवर्तन हो गए हैं । तर्क संगत रूप से ढांचे में ये परिवर्तन समय की प्रवृत्ति और शिल्प वैज्ञानिक विकास के अनुकूल हैं । तथापि नई ईमारतें और स्थान के ढांचे पुराने ढांचों से बिल्कुल प्रतिकूल हैं और इसका परिणाम अस्त-व्यस्त और नगण्य रूप रेखा से है ।

उन नीतियों के लिए विवेकपूर्ण आधार तक पहुंचने के लिए जो ढांचे को प्रभावित करती है निम्न का अध्ययन किया गया :

(1) प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण महत्व के क्षेत्र
(2) शहर का दृश्य-समाकलन
(3) शहरी परम्परागत सम्पत्ति का संरक्षण एवं परिरक्षण और
(4) ऊंची ईमारतों और बड़े पैमाने की शहरी परियोजनाएं—रिहायशी, व्यावसायिक औद्योगिक आदि के लिए नीति ।

प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र ।

प्राकृतिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं :

(क) यमुना नदी
(ख) रिज

निर्मित पर्यावरण के लिए इन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है जो इस प्रकार है :

(क) शाहजहांबाद—चार दीवारी का शहर
(ख) लुटियन की नई दिल्ली ।
(ग) प्राचीन बस्तियां
(घ) ऐतिहासिक स्मारक और उद्यान
(च) प्रदर्शनी-स्थल, चिड़ियाघर आदि जैसे अभिकल्पित पर्यावरण
(छ) दिल्ली में प्रवेश मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के साथ वाले क्षेत्र
(1) गणतन्त्र दिवस परेड मार्ग
(2) दिल्ली हवाई अड्डे से राष्ट्रपति भवन तक और वहां से राजघाट तक वी.आई.पी. मार्ग
(3) सड़क प्रवेश मार्ग
(4) रेल प्रवेश मार्ग
(5) हवाई दृश्य

दृश्य—समाकलन

सौंदर्य की दृष्टि से दिल्ली में बहुजातीय उत्पादन सहित रूप रंग, आकार और गठन की व्यापक विविधता विद्यमान है । दृश्य-समाकलन की व्यवस्था सम्भवतः उन दृश्यों का निर्धारण करके की जा सकती है जो शहर को भौतिक रूप से समाकलित करते हैं । रिंग रोड और रिंग रेल जन-आवागमन के दो महत्वपूर्ण कारीडोर हैं जिनका उपयोग सभी नियोजन डिविजनों के निवासियों द्वारा किया जाता है ।

इन दो आवागमन के कारीडोरों में दृश्य-गुणवत्ता और समाकलन के अतिरिक्त आयाम को अर्जित करने की क्षमता है । रिंग रोड और रिंग रेलवे के अध्ययन और प्रस्तावों को सड़क-उपयोगिताओं मूल्यांकन गली-व्यवस्था चुने हुए स्थानों पर शहरी फार्मों के निर्धारण और असुन्दर ईमारतों को हटाने के लिए सूत्रबद्ध किया जा सकता है । विभिन्न अवसरों पर नियोजित शहर के विभिन्न भागों के समाकलन के दो अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं :—

(1) वनस्पति अर्थात् वृक्षारोपण—

'नई दिल्ली' की विशेषता को महानगर के अन्य भागों में जारी रखना और खुले स्थान को ओढ़ना (2) मुख्य पारिस्थितिक विशेषताओं अर्थात् रिज और यमुना नदी और शहर में टेढ़े मेढ़े बहने वाले बरसाती नालों की सार्थकपूर्ण व्यवस्था ।

शहरी परम्परागत सम्पत्ति का संरक्षण—1916 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 1321 ऐतिहासिक स्मारक स्थल और ईमारतें बताई गई थीं । इनमें से केवल 81 स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया गया था । इनका अध्ययन किया जा चुका है और इन्हें प्लान में भी इंगित किया गया है ताकि ले-आउट प्लान बनाते समय उचित सामंजस्य हेतु इन्हें नियोजित किया जा सके ।

मुख्य स्मारकों के मामले में भी उनके चारों ओर ईमारत बनाने पर कोई नियंत्रण नहीं है यह आवश्यक है कि स्मारकों के चारों ओर के कुछ क्षेत्र में ऊंचाई सामग्री के संबंध में ईमारतों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और स्मारक के विस्तार का ध्यान भी रखा जाना चाहिए ।

चार दीवारी के शहरी रंग का संरक्षण ।

चार दीवारी के शहरों में आकृतियों और डिजाइन तत्वों की व्यापक शृंखला है जिनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है । शाहजहांबाद में लाल किला जामा मस्जिद शहर की दीवार और प्रवेश द्वार, चांदनी चौक का परिदृश्य, मार्ग-दृश्य मोहल्ले और कटरे जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ईमारतें हैं । ये सभी तत्व जीवन शैली के दृश्यांश हैं जो दिल्ली के किसी अन्य भाग में नहीं मिलते ।

चूंकि चार दीवारी के शहर में बहुत बड़ी संख्या में ईमारतें टूटी-फूटी अवस्था में हैं अतः महत्वपूर्ण स्मारकों और सांस्कृतिक शैली रूप रेखा और मार्ग-दृश्य का संरक्षण करते हुए चार दीवारी के शहर की ईमारतों का पुनर्निर्माण/नवीकरण संवेदनशीलता पूर्वक किया जाना चाहिए । विभिन्न स्थानों पर शाहजहांबाद की शहरी दीवार नष्ट हो रही है और सभी दीवारों तथा द्वारों की मरम्मत और संरक्षण और दीवार तथा द्वारों की मरम्मत और संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए । आटोमोबाइलों के यातायात को पुनः स्थापित करके चांदनी चौक के बाजार को पुनः सजाया जा सकता है । चार दीवारी के शहर की सड़कों और गलियों का पेटर्न इसकी शहरी विशेषता का सेन्ट्रल है । यदि समग्र परिवेश में संरक्षण सफल हो जाए तो वर्तमान रूप में शहर के ढांचे को बनाए रखना वांछनीय होगा और परम्परागत विशेषता के संरक्षण में शहरी और मार्ग-दृश्य की विशेषताओं का ध्यान रखना होगा । चार दीवारी के शहर के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए स्मारकों, स्थलों और प्राचीन धार्मिक ईमारतों का जीर्णोद्धार संरक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें नष्ट होने देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

ऊंची ईमारतों के लिए नीति

ऊंची ईमारतों के संबंध में वर्तमान नीति विभिन्न उपयोग जोनों में ईमारतों की ऊंचाई के प्रतिबंध पर आधारित है जो शहरी फार्म

पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जिले केन्द्रों के अतिरिक्त दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 अप्रयुक्त विकसित है और उसमें थोड़ा सा क्षेत्र बचा हुआ है। फिर भी दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् चार दीवारी के शहरों और इसके एक्सटेंशन तथा राजघाट के दक्षिण, लुटियन की नई दिल्ली के क्षेत्र में ऊंची ईमारतों पर प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक होंगे। शहरी डिजाइन योजना के बिना रिहायशी और सांस्थानिक क्षेत्रों में किसी नई ऊंची ईमारत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शहरी एक्सटेंशन के मामले में ऊंची ईमारतों और विशिष्ट शहरी डिजाइन परियोजनाओं के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। विकास संहिता विभिन्न उपयोग-जोनों में ईमारतों की अधिकतम ऊंचाई को निर्दिष्ट करती है।

सामुदायिक जीवन

मूलतः शहर वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के विनिमय का स्थान है। शहरों में अनामक होने की प्रवृत्ति भी मिलती है। रिहायशी क्षेत्रों की सुविचारित भौतिक डिजाइन सामुदायिक जीवन का सृजन करने में सहायक हो सकती है। इसी तरह से व्यावसायिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक केन्द्रों और उनको रिहायशी क्षेत्रों में समाकलित करने के लिए डिजाइनों में लोगों को मिलने के लिए अधिकाधिक अवसरों का सर्जन किया जा सकता है। मनोरंजनात्मक क्षेत्रों के लिए लोगों के एकत्रित होने और अलगाव के अनिष्ट प्राप्त करने के दोनों स्थानों की आवश्यकता है। देर रात्रि तक शहर में सक्रियता रखने के लिए कुछ व्यावसायिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को देर रात्रि तक खुला रखा जाना चाहिए।

सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान :

सामाजिक और सांस्कृतिक सांस्थानिक क्षेत्र शहर के स्थानिक केन्द्र हैं। दिल्ली के मध्य भाग में मंडी हाउस के चारों ओर मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान हैं और कुछ सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान केन्द्रीय परिदृश्य के साथ-साथ बन गए हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए योजना में जनपथ से प्रारम्भ होकर और राष्ट्रीय स्टेडियम तथा पुराने किले के अंत तक और अधिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया था। इस क्षेत्र को इस बात पर बल देते हुए रोके रखा गया कि शताब्दी के बदलने तक यदि क्षेत्र के किसी भाग का उपयोग न भी किया जाए तो भी उस क्षेत्र को इस निमार्णकाल के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। नया मास्टर प्लान जिसे विस्तृत दिल्ली नगर निगम के कार्यालय के लिए बनाया जा रहा है, के लिए किया गया था, उसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के लिए भी स्थान होगा। दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में पूर्व निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के लिए लगभग 64 हेक्टर भूमि निर्दिष्ट की गई है।

बढ़ते हुए अंतर सहित फैलते हुए शहर के लिए शहरी एक्सटेंशन में लगभग 80 हेक्टर वाले एक और महानगर केन्द्र की आवश्यकता होगी। इस केन्द्र में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों अर्थात् थियेटरों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, प्रदर्शनियों आदि का एक और शहरी स्तर का काम्पलैक्स होगा।

शहरी एक्सटेंशन में प्रति एक मिलियन जनसंख्या के लिए जिला स्तर के नृत्य एवं नाट्य स्कूलों, क्लबों, थियेटरों तथा प्रदर्शनियों, दीर्घाओं और अन्य प्रकार के संस्थानों को जगह देने के लिए लगभग 15 हेक्टर का सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्र होना चाहिए। रिहायशी क्षेत्रों में लघु समुदायों को सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए बहुद्देशीय सामुदायिक हालों का निर्माण किया जाना चाहिए।

सुरक्षा एवं सुविधा

जल प्रदूषण : दिल्ली में यमुना नदी के विस्तार में ऊंचे स्तर का जल-प्रदूषण है। अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिश की है :—

(1) उपयुक्त सीवेज प्रणाली द्वारा पर्याप्त दूषित जल का शोधन करके नजफगढ़, बड़खुला, यमुनापार वि. ग. नि., सेन नर्सिंग होम, महारानी बाग और कालकाजी के नालों के दूषित जल के बहाव का दिशा-परिवर्तन करना ताकि केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए जल निसार मानकों के अनुकूल नालों का मलनिसार हो सके। "डीप बोरिंग ऐरेशन प्रोसेस" द्वारा नाले के मुहाने पर दूषित जल का शोधन करने के प्रयास किए जाने चाहिएं।

जब तक उपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण-यंत्र-रचनाएं स्थापित नहीं हो जाती तब तक कम से कम 5 नालों अर्थात् नजफगढ़, बड़खुला, यमुनापार वि. ग. नि.; सेन नर्सिंग होम और महारानी बाग का क्लोनिकरण प्रारम्भ किया जा सकता है।

(2) सीवरेज प्रणाली का विस्तार और सीवरेज की व्यवस्था रहित क्षेत्रों में वैकल्पिक रूप से कम लागत की सफाई-व्यवस्था।

(3) 1977 में केन्द्रीय जल प्रदूषण, नियंत्रण और निवारण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 82 जल प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं जो प्रतिदिन 25 किलो लिटर या उससे अधिक मलनिस्सार उत्पन्न करते हैं। प्रदूषण-कारकों के सीवरेज प्रणाली में जाने से पूर्व इनका शोधन करने के लिए इन उद्योगों को सामूहिक रूप से अथवा पृथक रूप से जैसा भी व्यवहार्य हो का प्रबन्ध करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

वायु प्रदूषण :—हाल ही के अनुमान के अनुसार लगभग 55,000 औद्योगिक इकाईयां और विभिन्न प्रकार के 6.4 लाख वाहन और तीन लाख घरेलू चूल्हे हैं जो वायु के दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित करते हैं।

केन्द्रीय जल प्रदूषण, नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित छह क्षेत्रों को वायु (प्रदूषण-निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 'प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों' के रूप में घोषित किया गया है।

1. नजफगढ़ रोड 2. सारंग रोड 3. बवाना रोड
4. कंझावला 5. औद्योगिक-औद्योगिक क्षेत्र और
6. मंगोलपुरी।

केन्द्रीय जल प्रदूषण, नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड के अध्ययन के आधार पर यह सिफारिश की जाती है कि सघन पेट्रोल वाहनों के कार्बन मोनो-आक्साइड और हाईड्रो-कार्बन के स्तरों को क्रमशः 3 और 100 पी.पी.एम. से कम लाने के लिए बसों और अन्य भारी वाहनों के धुंए के घनत्व को कम करने के भारीय प्रदूषण-नियंत्रण करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

'सी' और बदरपुर थर्मल पावर स्टेशनों को स्थिर विद्युत अवक्षेपकों जैसे प्रदूषण नियंत्रण साधनों से उपयुक्त बनाया जाना चाहिए।

शोर प्रदूषण :—सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में यातायात और औद्योगिक क्रियाकलापों के बढ़ने के साथ-साथ शोर के स्तर में वृद्धि हो रही है। शोर का अन्य कारण लाउड-स्पीकरों का अंधाधुंध प्रयोग है। शोर की समस्याओं को रोकने के लिए सुझाए गए कुछ निम्नलिखित निर्देश हैं :

(1) शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों और मोटर-कार्यशालाओं (मनविकल) को रिहायशी क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(2) मुख्य सड़कों के साथ वाले नये विकास-कार्यों के सामने में हरित बफर होनी चाहिए और इन क्षेत्रों का उपयोग व्यावसायिक क्रियाकलाप के विकास के लिए भी किया जा सकता है।

(3) प्रस्तावित :—मुख्य सड़कों से लगभग 30 मी. के मुक्त अंतरिक्ष के बाद होने चाहिए। दुर्घटनाएं :—1981 में दिल्ली में सड़क पर [illegible] दुर्घटनाएं हुईं जिनमें से 1072 दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्र में [illegible]

दुर्घटनाओं के पीड़ित पैदल यात्री और साईकिल यात्री थे। यातायात की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित योजना और अन्य उपायों का सुझाव दिया गया है :

(1) शहर में ट्रक-संचालन को हतोत्साहित करना; (2) पृथक साईकिल मार्ग और पैदल यात्री-आवागमन; (3) सड़क-प्रकाशित में सुधार और सड़कों पर विशेषकर चौराहों पर पर्याप्त रोशनी; और (4) नियंत्रण द्वारा सड़क-प्रनुशासन।

सुगमता :

पैदल अथवा यातायात के उपलब्ध साधनों से प्रयोजित समय में पहुंच कर शहरी क्रियाकलापों में भाग लेना शहरी वातावरण की सुविधा है। निर्दिष्ट किए गए मानक हैं :

	अधिकतम दूरी (कि.मी.)	अनुमानित समय (मिनट)
शिशु गृह नर्सरी स्कूल (निकटतम)	0.30	5
प्राईमरी स्कूल (निकटतम)	0.80 (0.50)	10
हायर सैकेंडरी स्कूल (निकटतम)	1.50 (1.00)	20
टॉट लॉट	0.30 (0.20)	5
पार्क	0.80 (0.50)	10
प्रतिवेश पार्क और खेल-कूद क्षेत्र	1.60 (1.00)	20
बस स्टाप	0.80 (0.50)	10

नियोजन के उद्देश्य से डिजाइन हेतु सीधी दूरी वही होगी जैसी कि कोष्ठकों में दी गयी है।

ऊर्जा :

महानगरीय शहरों में परिवहन संबंधी विशेष आवश्यकताओं और सुलभता के कम से परिवहन आर्थिक क्रियाकलापों और जीवन-स्तर से संबंधित आर्थिक वर्ग ऊर्जा के उपयोग को होने के कारण छोटे और मध्यम आकार वाले व्यवस्थापनों और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है। विकासशील देशों में ऊर्जा-खपत के साथ-साथ ऊर्जा के संरक्षण के स्तर को ऊपर उठाने के दोहरे उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से ऊर्जा के कार्य-कुशलतापूर्वक उपयोग और नवीकरण स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता होगी।

परिवहन :

शहरों में ऊर्जा-खपत का एक मुख्य कारण परिवहन है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में प्रतिदिन दिल्ली परिवहन निगम की बसों को आवागमन की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी के ढेढ़ गुणा के बराबर योजना में यातीय विधियों द्वारा कार्य एवं शिक्षा के फेरों को घटाने के लिए संफल भूमि उपयोग परिवहन सम्बन्ध बनाने हेतु इस मामले में लक्ष्य रखे गए हैं ताकि डिविजनों के भीतर परिशोधन नीति का कार्यान्वयन किया जा सके। प्रस्तावित भूमि उपयोग परिवहन प्रणाली डिविजनों के भीतर लगभग 70 प्रतिशत फेरों का परिशोधन किया जाएगा।

भूमि-उपयोग मात्रा : अध्ययन से मालूम हुआ है कि दिल्ली में दिल्ली 1962 में प्रस्तावित घनत्व के लगभग दुगने शहरी क्षेत्रों का विकास करना संभव है। 1962 में प्रस्तावित भूमि उपयोग मात्रा के मानकों पर 122 लाख प्रक्षेपित जनसंख्या को लगभग 1.2 लाख हेक्टे. में बसाया जाएगा। जो कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र का 90 प्रतिशत है। अध्ययन के आधार पर 122 लाख प्रक्षेपित जनसंख्या को लगभग 0.7 लाख हेक्टे. में बसाया जाना प्रस्तावित है। इस तरीके से परिवहन में ऊर्जा के उपयोग में लगभग 20 प्रतिशत की कमी होगी। जनपरिवहन में व्यक्तिगत द्रुत परिवहन साधनों में उपयोग की गई प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति ऊर्जा का लगभग 10 प्रतिशत उपयोग होता है। योजना में दिए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन के बाद 2001 तक ऊर्जा की अनुमानी बचत करने के लिए वैयक्तिक द्रुत साधनों के फेरों के 4.7 प्रतिशत को जन-परिवहन में बदला जाएगा। साईकिल का सर्वाधिक ऊर्जा संरक्षक है अतः पृथक साईकिल मार्गों से शहर में साईकिलों के आवागमन में सुविधा होगी।

भवन-नियंत्रण : सूर्य के संपर्क में भवनों को उचित रूप से अनुकूल बनाकर ऊर्जा का संरक्षण करना संभव है जिसे भवनों की डिजाइनों और ले-आउटों के लिए मार्ग निर्देशक के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। इसके साथ ही अधिकांश शहरी क्रियाकलापों को कम ऊंचाई (4 मंजिलों तक) में स्थित किया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण एवं अनुसंधान : अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पवन-चक्की बायो-गैस संयंत्रों के प्रयोग की और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा की प्रणाली और मिट्टी के तेल वाले स्टव और गैस सयंत्र मूल्यों के प्रयोग की सिफारिश की है। राज्य के कई संगठन ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए नवोन्मेष का कार्य कर रहे हैं। जिससे शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सेक्टर के प्रभावित होने की संभावना है। योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान इसको मानीटर करना अत्यन्त अनिवार्य होगा।

विशेष क्षेत्र

विकास के उद्देश्य से चार दीवारी के शहर और इसके एक्सटेंशन तथा करोल बाग और 2600 हेक्टे. के बीच वाले क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस क्षेत्र को सामान्य विनियमों के आधारों पर विकसित नहीं किया जा सकता है इस क्षेत्र के लिए विशेष विनियम बनाए गए हैं और उन्हें विकास संहिता में सम्मिलित किया गया है। चार दीवारी के शहर के मामले में इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में और अधिक व्यवसायीकरण और औद्योगिकरण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र को हानिकारक और खतरनाक उद्योगों व व्यापारों को हटाना और इसके अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करना है।

चार दीवारी के शहर के अतिरिक्त करोल बाग ने भी पिछले कुछ वर्षों में निजी विशिष्टता अर्जित की है। वस्तुतः व्यावसायिक क्रियाकलाप जो चांदनी चौक के दोनों ओर लाजपत राय मार्किट से प्रारंभ होते हैं वे करोल बाग में रीढ़ के रूप में चरमोत्कर्ष पर हैं। शहरी स्तर के फुटकर व्यावसायिक केन्द्र के रूप में करोल बाग का महत्व पर्याप्त रूप से स्पष्ट अनुभव होता है। व्यापक रूप से फैले हुए इस व्यावसायिक क्रियाकलाप का केन्द्र अजमल खां रोड मार्ग बाजार है। उचित विकास नियंत्रणों के अभाव में विकास अव्यवस्थित हो गया है हालांकि खरीददारी की सुविधाओं की लोकप्रियता हमेशा बढ़ती रही है जिसे ये प्रदान करते हैं। इस विपणन क्षेत्र की मुख्य समस्या इसकी मांग की तुलना में अपर्याप्त पार्किंग सुविधाएं हैं।

यह सुझाव दिया जाता है कि अजमल खां रोड के जंक्शन से टैंक रोड तक इसके संधि-स्थल तक देश बंधु गुप्ता रोड के दोनों ओरों खरीददारी के पैदल-चौक में परिवर्तित कर दिया जाए। रामजस रोड देशबंधु गुप्ता रोड, गुरुद्वारा रोड तथा टैंक रोड के इर्द-गिर्द सरकारी मार्ग और आर्य समाज रोड पर यातीय यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। आर्य समाज रोड सहित अजमल खां रोड के मोड़ पर निरंतरता के लिए दोनों ओर फुटपाथ सहित सड़क के नीचे अथवा ऊपर से पैदल-आवागमन श्रेणी में विकास होगा। पैदल चौक के नीचे अजमल खां रोड पर पार्किंग होगी।

विभिन्न उपयोग क्षेत्रों के रूप में अंकित क्षेत्र को विकास संहिता में दिए गए विनियमों के अनुसार विकसित किया जा सकेगा। प्लान में इंगित किए गए विशेष क्षेत्र के अंतिम भाग के मामले में उदाहरण के रूप में

संरक्षी काट-छांट सहित शहरी नवीकरण की योजनाएं शीघ्र ही आरम्भ की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य महानगर के इर्द-गिर्द बसे होने के कारण विशेष महत्व है। संघ राज्य-क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों का समीपवर्ती राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की तुलना में शिक्षा और आय का स्तर अधिक ऊंचा है। यह क्षेत्र प्रवासियों को भी आकर्षित कर रहा है। ग्रामीण दिल्ली के 20% परिवार मुख्यतः हरियाणा और उ. प्र. के प्रवासी परिवार हैं। इस क्षेत्र में यथोचित रूप से उच्च स्तर की आधारिक संरचना और शहर के साथ अच्छे सड़क-संयोजनों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

विकास केन्द्र : जनसंख्या संयोजनों और विकास-दर के आधार पर मुख्य स्वास्थ्य सुविधाओं और मार्किटों की स्थापना के लिए पांच गांव निर्दिष्ट किए गए हैं। लघु स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और ग्रामीण उद्योग की स्थापना की कमियों को पूरा करने के लिए यह अन्य ग्रामीण व्यवस्थापन निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नवत् हैं :

बक्तावरपुर : अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय, पशु-चिकित्सालय, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र।

बवाना : स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र।

झड़ौदा कलां : अस्पताल औषधालय, पशु-चिकित्सालय, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र।

ढांसा : औषधालय, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र।

नांगल : अस्पताल, पशु-चिकित्सालय, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र।

नजफगढ़ : औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र।

रोहताः औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र।

कुतुबगढ़ : औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र।

जौन्ती : औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र।

मितराऊ : औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र।

घुम्मन हेड़ा : औषधालय और ग्रामीण क्षेत्र।

सिनेमा, बाजार, बैंक, डाकघर, सहकारी भंडार आदि को स्थान देने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक केन्द्र लगभग 3 हेक्ट. का होगा। जिन उद्योगों को ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमति दी जानी है वे अनुबंध तीन ज में दिए गए हैं।

इन महत्वपूर्ण व्यवस्थापनों को जोड़ने वाली निम्नलिखित सड़कों के विस्तार को बढ़ाने की आवश्यकता होगी :

(क) जी. टी. रोड से बक्तावरपुर जी. टी. रोड से बवाना तक नजफगढ़ से ढांसा तक	29 कि. मी.
(ख) घोंगा से बवाना तक बवाना से कुतुबगढ़ तक नजफगढ़ से झड़ौदा कलां तक	15 कि. मी.
(ग) झड़ौदा कलां से रोहतक रोड तक नजफगढ़ से ढांसा तक	15 कि. मी.
(घ) नजफगढ़ से घुम्मनहेड़ा तक नजफगढ़ से ढांसा तक कंझावला से कुतुबगढ़ तक रोड नं. 50 से बक्तावरपुर तक	20 कि. मी.

प्रत्येक पृथक व्यवस्थापन जल-पूर्ति और अन्य सुविधाओं आदि में सुधार की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक आवासीय समितियों के माध्यम से भूमिहीनों के लिए आवास हेतु कार्य हाथ में लेने की आवश्यकता है। देहरी विकास के लिए (1) नजफगढ़, और (2) जी. टी. करनाल रोड के निकट दो स्थान निर्दिष्ट किए गए हैं। शहरी क्षेत्र के दुधारू पशु इन देहरी बस्तियों में बदले जाने चाहिए।

ग्रामीण उपयोग जोन में न्यूनतम 1 हेक्ट. में फार्म हाऊस स्थापित किए जा सकेंगे। ये फूलों, फलों, सब्जियों, मुर्गीपालन आदि के लिए विकसित किए जा सकेंगे।

आधुनिकीकरण और शहर का रूप :

इस युग में शहर में (1) सक्षम परिवहन और संचार प्रणाली (2) सम्मेलन और प्रदर्शनी केन्द्र (3) आगंतुकों के आरामदायक रूप से रहने के लिए दुकानों से आच्छादित मार्ग और मनोरंजन पार्क तथा स्थान होने चाहिए। इन सब की व्यवस्था में शहर का रूप उसकी सुन-प्राचीन परंपराएं एवं संस्कृति और आगंतुकों व इसके निवासियों का इसके प्रति स्नेह प्रतिबिंबित होना चाहिए।

शहर के लिए आधुनिक परिवहन प्रणाली आरामदायक और उच्चस्तर की सेवा सहित स्पष्ट रूप से संतोषजनक होनी चाहिए। शहरी परिवहन प्रणाली में बहुत से नवोत्पादों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। इस मामले में प्रौद्योगिकी का अंतरण बहुत अधिक उपयोगी होगा। मध्यम उपलब्ध स्तर पर टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करना संभव नहीं है पर थोड़े समय में यह समकालीन मानकों का संचार प्रणाली की व्यवस्था करने में समर्थ हो जाएगा। सेवा की कोटि में सुधार लाने के लिए टेलीफोन लाईनों की भूमिगत केबिल बिछाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस समय दिल्ली में एक सम्मेलन केन्द्र अर्थात् विज्ञान भवन है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अपर्याप्त का केन्द्र है। नया केन्द्र बनाना करना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर एक और सम्मेलन केन्द्र दक्षिणी क्षेत्र गांव के निकट विकसित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित सम्मेलन केन्द्र के साथ दक्षिणी दिल्ली में भगवानपुर 'विपणन कांप्लेक्स' के लिए एक स्थल निर्दिष्ट किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए प्रदर्शनी स्थल अर्थात् प्रगति मैदान भली-भांति स्थित है।

दिल्ली तेजी से विकासशील विश्व की केन्द्र बनती जा रही है। शहर में विकासशील देशों की योजना और विकास संबंधी समस्याओं पर मुख्य रूप से विचार करने के लिए एक नया विकास-नियोजन उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रारम्भ किया जा सकता है। विकास संबंधी समस्याओं में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ इस प्रकार के संस्थान में नगर क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा, परिस्थिति की पर्यावरण आनुवांशिकी कंप्यूटर विज्ञान और अन्य के विशिष्टीकृत विभाग होने चाहिए।

इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि शहर का आधुनिकीकरण आंशिक रूप में न हो बल्कि समग्र रूप में हो कुछ क्षेत्रों में सीमित कार्यवाहियों के रूप में न हो अपितु निर्णय करने की अभिवृत्ति के रूप में हो। शहरी क्रियाकलापों अर्थात् आवास व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं के समस्त क्षेत्रों के विकास में दीर्घ अवधि की क्षमता, भविष्यवादी दृष्टिकोण और जीवन की उच्च कोटि को बनाए रखने के लिए स्वस्थ पर्यावरण पर बल दिया जाना चाहिए।

दिल्ली का मिश्र रूप है। यह भारत की राजधानी है। इसमें शताब्दियों का इतिहास निहित है। इसके भागों में नई दिल्ली के वृहद वृक्ष और शहरीवाद की स्फूर्तिदायक करने वाली गलियां हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में रहन-सहन के वातावरण की व्यवस्था करते हुए और राज्य एवं आर्थिक क्षमता के कार्यों को करते हुए अपने आकार के माध्यम से और आर्थिक तथा समग्र रूप से अपने कार्यकलापों के माध्यम से शहर को अपना रूप अवश्य प्रतिबिम्बित करना चाहिए।

भूमि उपयोग प्लान

विभिन्न खंडों के लिए प्रतिपादित नितियां संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के भूमि उपयोग प्लान में स्पष्ट की गई हैं। विकास पर नियंत्रण रखने के लिए क्षेत्रों को विकास संहिता निर्दिष्ट 37 उपयोग जोनों के रूप में नामित किया गया है। इन 37 उपयोग जोनों का मोटे तौर पर आवासीय व्यावसायिक, विनिर्माण, मनोरंजनात्मक, परिवहन, उपयोगिता, सरकारी, सार्वजनिक एवं अर्द-सार्वजनिक और कृषि एवं जल निकाय नामक भूमि उपयोग के नौ वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। इन उपयोग जोनों का विकास विकास संहिता में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

विशेष क्षेत्र प्लान

पुराने निर्मित क्षेत्रों और विशेष प्रकार की समस्याओं वाले कुछ अन्य क्षेत्रों को दिल्ली विकास संहिता में दिए गए सामान्य उपयोग जोन विनियमों के अनुसार विकसित करना संभव नहीं है। निकटवर्ती विशेष उपयोग क्षेत्रों सहित ऐसे क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र का नाम दिया गया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग प्लान तैयार किया गया है इस क्षेत्र के अन्दर विकास विकास संहिता में इस क्षेत्र के लिए दिए गए विशेष विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

जोनल (डिवीजन) प्लान

संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली को 15 जोनों (डिवीजनों) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन (डिवीजन) का अनुमानित क्षेत्रफल नीचे दिया गया है:—

जोन का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल हेक्टेयरों में
(क) पुराना शहर	1159
(ख) शहरी एक्सटेंशन (करोल बाग)	2304
(ग) सिविल लाइंस	3959
(घ) नई दिल्ली	6855
(च) यमुना पार	8797
(छ) दक्षिणी दिल्ली-1	11958
(ज) पश्चिमी दिल्ली-1	11865
(झ) उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली-1	5677
(ट) दक्षिणी दिल्ली-2	15173
(ठ) पश्चिमी दिल्ली-2	12056
(ड) पश्चिमी दिल्ली-3	22979
(ढ) उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली-2	8213
(त) उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-3	15851
(थ) यमुना नदी	6081
(द) उत्तरी दिल्ली	15707

जोनल (डिवीजन) योजनाओं में आवश्यकतानुसार योजना की नीतियों का ब्यौरा दिया जा सकता है और वे ले-आउट प्लान और मुख्य योजना के बीच कड़ी का कार्य कर सकती है। इन योजनाओं को दिल्ली की मुख्य योजना (संशोधन हेतु मसौदा-प्रकाशित) के अधिसूचित होने के पूर्व या बाद प्रकाशित किया जाएगा और उनकी प्रक्रियाएं वही होंगी जो दिल्ली की मुख्य योजना की होंगी। विकास योजनाएं/ले-आउट प्लान जिनमें उपयोग परिसर निर्दिष्ट किए जाएंगे जोनल (डिवीजनल) योजनाओं के अनुरूप होंगे।

(2) अध्याय 2 के शीर्षक "जोनिंग एवं सब-डिवीजन विनियम" के स्थान पर निम्नलिखित पाठ सहित "विकास संहिता" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्तावना

इस संहिता का उद्देश्य योजना में निहित विकास नीतियों और भूमि उपयोग प्रस्तावों के अनुसार भूमि के सर्वाधिक उपयुक्त विकास की व्यवस्था कर के दिल्ली के लोगों के जीवन को और बेहतर बनाना है।

यह एक मुख्यवस्थित संहिता है जिसके द्वारा दो स्तरों पर उपयोग कार्य-कलाप (उपयोग) का निर्णय किया जाएगा (1) उपयोग जोन को उपयोग परिसर (ले-आउट) में अवसना और (2) उपयोग परिसर में उपयोग कार्य-कलाप के लिए अनुमति देना। संहिता में उपयोग जोन और उपयोग परिसर के बीच विभेदीकरण किया गया है।

संहिता का प्रवर्तन

भूमि उपयोग प्लान की व्यवस्था के अनुसार संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली का विकास करने के लिए निम्नलिखित का अनुपालन किया जाना चाहिए।

खण्ड 1.0 नाम, विस्तार, आरम्भ और उद्देश्य

1(1) इस संहिता को विकास संहिता कहा जाए।

1(2) इसके अन्तर्गत समस्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली आएगा।

खण्ड 2.0 परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो, इस संहिता में—

2(1) उपयोग जोन से अभिप्रेत है—

खण्ड 5.0 में की गई व्यवस्था के अनुसार शहरी कार्यों के किसी एक विशेष प्रभावी उपयोग के लिए क्षेत्र

2(2) उपयोग परिसर से अभिप्रेत है—

किसी एक उपयोग जोन के बहुत से सब डिवीजनों में से एक, जिसे किसी विशेष मुख्य उपयोग या कार्य-कलाप के लिए ले-आउट प्लान को तैयार करने हेतु नामित किया जाएगा और उसमें अनुसूची I में दिए गए उपयोग परिसर शामिल हैं।

2(3) ले-आउट प्लान से अभिप्रेत है—

सभी उपयोग परिसरों की आकृति और साइजों को निर्दिष्ट करने वाला सब-डिवीजन प्लान।

स्पष्टीकरण.—

प्रत्येक उपयोग जोन का किसी विशेष उपयोग जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की व्यापकता के अनुसार एक या एक से अधिक ले-आउट प्लान हो सकते हैं और उनके विपरीत हो भी सकता है।

2(4) मास्टर डिवीजन प्लान से अभिप्रेत है—एक संघ क्षेत्र डिवीजन के जोनों (डिवीजनों) में से किसी एक के लिए प्लान, जिसमें सामाजिक आधारिक संरचना, पार्कों, खुले स्थानों और परिवहन पद्धति की व्यवस्था से सम्बन्धित विस्तृत सूचना होगी।

2(5) भूमि उपयोग प्लान से अभिप्रेत है—वह प्लान जिसमें सभी उपयोग जोन निर्दिष्ट किए गए हों, जैसा कि खण्ड 2(1) में परिभाषित किया गया है।

2(6) विशेष क्षेत्र से अभिप्रेत है—

ऐसे क्षेत्र का प्लान में इस प्रकार नामित किया जायेगा।

2(7) आवश्यकतानुसार केन्द्र में सं. वे. रे. जिला केन्द्र, समुदाय केन्द्र, स्थानीय खरीददारी और सुविधा खरीददारी शामिल हैं।

खण्ड 3.0 उपयोग जोन और उपयोग परिसर की संस्थापना

3(1) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली को 37 उपयोग जोनों में विभाजित किया गया है, जैसा कि खण्ड 4.0 में उल्लिखित है।

3(2) प्रत्येक उपयोग जोन अनुसूची-1 में निर्दिष्ट 136 उपयोग परिसरों में से उपयोग परिसरों की आवश्यक संख्या में शर्तों सहित या शर्तों के बिना उपविभाजित किया जाएगा ।

3(3) प्रत्येक उपयोग परिसर को निर्धारित 136 उपयोगों/उपयोग कार्य-कलापों में से विशेष उपयोगों/उपयोग कार्य-कलापों के लिए शर्तों सहित या शर्तों के बिना अनुमति दी जाएगी ।

3(4) विधि के अनुसार प्राधिकरण या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित ले-आउट प्लान इस सीमा तक अनुमोदित माने जाएंगे ।

3(5) जिस क्षेत्र का कोई अनुमोदित ले-आउट प्लान नहीं है, उस पर जोनल विकास प्लान की व्यवस्था द्वारा नियंत्रण होगा ।

3(6) सर्विस प्लानों और काल्पित आवासीय एवं औद्योगिक प्लाटों के प्लानों, जो सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, को छोड़कर सभी ले-आउट प्लान और बिल्डिंग प्लान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे ।

खण्ड 4.0 नामित उपयोग जोन

आवासीय, व्यावसायिक, विनिर्माण, मनोरंजनात्मक, परिवहन, उपयोगिता, सरकारी, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक और कृषि एवं जल-निकाय नाम के 9 वर्गों में वर्गीकृत 37 उपयोग जोन होंगे । 37 उपयोग जोन निम्नलिखित हैं :—

(क) आवासीय

4.01 आर, डी, घनत्व सहित आवासीय क्षेत्र (पार्श्व जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित)

4.02 आर एफ विदेशी मिशन

(ख) व्यावसायिक

4.03 सी-1 खुदरा खरीददारी, सामान्य व्यापार एवं वाणिज्य

4.04 सी-2 थोक मालगोदाम, भीतागार और तेल डिपो

4.05 सी-3 होटल

(ग) विनिर्माण

4.06 एम 1 हल्के एवं सेवा उद्योग
(पार्क के समूह उद्योग सहित)

4.07 एम. 2 विस्तृत उद्योग

(घ) मनोरंजनात्मक

4.08 पी 1-क्षेत्रीय पार्क

4.09 पी 2-जिला पार्क

4.10 पी 3-खेल मैदान स्टेडियम और खेल कूद कॉम्प्लेक्स

4.11 पी 4-ऐतिहासिक स्मारक

(च) परिवहन

4.12 टी-1 विमान पत्तन

4.13 टी-2 रेल टर्मिनल

4.14 टी-3 रेल परिचालन

4.15 टी-4 बस टर्मिनल एवं डिपो

4.16 टी-5 ट्रक टर्मिनल

4.17 टी-6 सड़क परिचालन

(छ) उपयोगिता

4.18 यू-1 (जल, शोधन, संचय आदि)

4.19 यू-2 ऊर्जा
(गैस, संचय आदि)

4.20 यू-3 विद्युत (पावर हाउस, सब-स्टेशन आदि)

4.21 यू-4 दूर-संचार (टेलिटी, सैल फिल आदि)

4.22 यू-5 नाला

(ज) सरकारी

4.23 जी-1 राष्ट्रपति सम्पदा और संसद भवन

4.24 जी-2 सरकारी कार्यालय

4.25 जी-3 सरकारी भूमि (उपयोग निर्धारित)

(झ) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

4.26 पी एस 1 अस्पताल

4.27 पी एस 2 शिक्षा एवं अनुसंधान (विश्वविद्यालय तथा विशेष-कृत शैक्षिक संस्थाओं सहित)

4.28 पी एस-3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

4.29 पी एस-4 पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस स्टेशन

4.30 पी एस-5 अग्नि शमन केन्द्र और मुख्यालय

4.31 पी एस-6 संचार

4.32 पी. एस.-7 सवदाह तथा दफन

4.33 पी.एस.-8 धार्मिक

(ञ) कृषि एवं जल निकाय

4.34 ए-1 प्लांट नर्सरी

4.35 ए-2 हरित पट्टा

4.36 ए-3 ग्रामीण जोन (ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में शेष)

4.37 ए-4 नदी एवं जल-निकाय

खण्ड 5.0 नामित उपयोग परिसर

136 उपयोग परिसर होंगे, जिन्हें अनुसूची 1 में नामित किया गया है ।

उपयोग परिसरों के नाम के हैं 136 उपयोग/उपयोग कार्यकलाप होंगे ।

खण्ड 6.0 उपयोग जोनों की अवस्थिति तथा सीमाएं

6(1) 37 उपयोग जोनों में से कोई भी एक जोन एक या एक से अधिक स्थानों पर अवस्थित हो सकता है, जैसाकि भूमि उपयोग प्लान में दिखाया गया है ।

6(2) उपयोग जोनों की विभिन्न पार्कटों की सीमाएं सड़कें, रेलवे ट्रैक, नाले आदि जैसी विशेषताओं द्वारा भूमि उपयोग प्लान में परिभाषित की गई है । भिन्न-भिन्न उपयोग जोनों की प्रत्येक पार्कट का क्षेत्रफल भूमि उपयोग प्लान में निर्दिष्ट किया गया है ।

खण्ड 7.0 उपयोग परिसर की अवस्थिति और सीमाएं

7(1) प्रत्येक उपयोग परिसर की अवस्थिति और सीमाएं वे ही मानी जाएंगी जो सड़कें, नाले जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं या अन्य भौतिक विशेषताओं के अनुसार ले आउट में निर्दिष्ट होंगी ।

7(2) किसी भी कारण से उपयोग परिसरों की अवस्थिति, सीमाओं और मुख्य उपयोग के किसी परिवर्तन को अनुमोदन के बाद ले-आउट प्लान में सम्मिलित किया जावेगा ।

खण्ड 8.0 विनियम :

8(1) उपयोग जोनों का उपयोग परिसरों में उप विभाजन एवं विनियमों का उद्देश्य आवासीय और औद्योगिक उपयोग जोनों के लिए ले-आउट प्लान तैयार करने के लिए मार्गदर्शन करना है । इन विनियमों में सुविधाओं की उपलब्धता के मानदण्ड, पहुंचमार्ग, चबूतरे और अन्य मानक शामिल हैं । [illegible] के निर्माण [illegible]

भौतिक आधारिक संरचना की व्यवस्था के इन ले-आउट प्लानों के अनुरूप सेवा-सहित प्लानों पर नगरपालिका उप-विधि लागू होगी। सार्वजनिक और औद्योगिक को छोड़कर शेष उपयोग जोन के एकीकृत प्लान होंगे, जो इस सम्बन्धित विनियम विनियमों द्वारा नियंत्रण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—एकीकृत प्लान रूढ़िक प्लान से भिन्न है, क्योंकि एकीकृत प्लान में विनियम सारे प्लाटों के लिए हैं और उप-विभाजन विकास उद्देश्य के लिए किए गए हैं।

(क) आर. डी.—आवासीय उपयोग जोन :

आवासीय उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप विभाजन और बाद में ले-आउट प्लानों का अनुमोदन निम्नलिखित मानकों से नियंत्रित होंगे:—

1. आवासीय क्षेत्र में भू-खण्डीय और समूह आवास दोनों प्रकार का विकास हो सकता है। भू-खण्डीय विकास के मामले में दो वर्गों के आवासीय प्लाट काटे जा सकते हैं:— (1) एक परिवार इकाई (प्लाट साइज—32 से 80 व. मी. तक की रेंज) और (2) तीन परिवार इकाई (प्लाट साइज—150 से 350 व. मी. तक की रेंज) समूह आवास के मामले में, प्लाट का न्यूनतम साइज 2,000 व. मी. होगा।

2. 15,000 जनसंख्या के आवासीय प्रतिवेश के लिए अपेक्षित आधारिक संरचना की व्यवस्था निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार होगी। किसी भी आवासीय सब डिवीजन प्लान में आधारिक संरचना के लिए न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र प्रति व्यक्ति 11.00 व. मी. की दर से होगा।

क्रम सं०	उपयोग परिसर	इकाइयों की संख्या	इकाई क्षेत्रफल (हेक्ट० में)	कुल भूमि क्षेत्रफल (हेक्ट० में)
1	2	3	4	5
(क)	शिक्षा :			
1.	नर्सरी स्कूल	6	0.08	0.40
2.	प्राइमरी स्कूल	3	0.40	1.20
3.	सीनियर सैकेन्डरी स्कूल	2	1.60	3.20
(ख)	स्वास्थ्य :			
4.	नर्सिंग होम/ डिस्पेन्सरी	2	0.10	0.20
(ग)	बाजार :			
5.	सेवा केन्द्र सहित स्थानीय बाजार	1	0.46	0.46
	(सेवा केन्द्र के लिए 0.10)			
6.	सुविधा बाजार	3	0.11	0.33
(घ)	अन्य समुदाय सुविधा :			
7.	मिल्क बूथ	3	0.015	0.045
8.	धार्मिक	3	0.04	0.12
9.	समुदाय कक्ष	3	0.066	0.198
10.	समुदाय भवन एवं पुस्तकालय	1	0.20	0.20
(च)	मनोरंजन :			
11.	हाट-साट	--	--	3.00
12.	पार्क	--	--	4.50
13.	खेल क्षेत्र	--	--	2.25
(छ)	उपयोगिता :			
14.	ओवर हैड टैंक (जहां आवश्यक हो)	--	--	0.25
15.	विद्युत सब-स्टेशन 1 के वी (जहां आवश्यक हो)	2	0.046	0.092
16.	सिंगापिया स्कूटर एवं टैक्सी स्टैण्ड	1	--	0.05

पार्क और खेल क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से वितरित किया जाएगा :—

(1) हाट-साट-प्रति व्यक्ति 3.0 व. मी. की दर से।

(2) पार्क प्रति व्यक्ति 3 व. मी. की दर से, 1.50 हैक्टेयर के न्यूनतम साइज का एक पार्क।

(3) प्रति व्यक्ति 1.50 व. मी. की दर से, 1.50 हैक्ट. के साइज का, एक स्थान पर—खेल क्षेत्र।

3. परिचालन पद्धति के सम्बन्ध में आवासीय प्रतिवेश का नियोजन निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा :—

(1) आवासीय प्लाटों के आगे सामान्यतः खुला स्थान होगा, जिसमें पैदल चलागमन के लिए न्यूनतम 1.5 मीटर (मि.) चौड़ा स्थान भी शामिल है। प्लाटों के आगे आवश्यकतानुसार गाड़ियों के आवागमन के लिए 12 मी. के मार्गाधिकार (आर डब्ल्यू) की सड़क भी हो सकती है। समूह के अन्दर परिचालन जाल की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कोई भी प्लाट गाड़ियों के आवागमन के निकटतम स्थान से 65 मी. से अधिक दूरी पर नहीं होगा।

(2) खुले स्थान वाले आवासीय प्लाटों के आगे 1.5 मी. चौड़ा पैदल रास्ता होगा। उचित अनुमाप रखने और पैमाइश का अनुभव कराने के लिए सभी स्थानों के प्रवेश एवं निर्गम द्वार कम कर के 6 मी. रखे जाएं।

(3) अन्य सभी गाड़ियों को गाड़ियों के आवागमन की सड़क के साथ बने विशेष पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने की पाबन्दी लगाई जाएगी।

4. भू-दृश्य के सम्बन्ध में आवासीय प्रतिवेश का नियोजन निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा :—

(1) आवासीय प्लाटों के आगे के खाली स्थान की प्रति 100 व. मी. एक पेड़ की दर के पेड़ लगाकर उचित रूप से भू-दृष्टांकित किया जाएगा।

(2) आवासीय प्रतिवेश में गाड़ियों की सड़कों के दोनों ओर 6 मी. के अन्तराल पर छोटे-छोटे पेड़ होंगे। पार्किंग क्षेत्र में प्रति 4 कारों के स्थान के लिए एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण किया जाएगा।

(3) आवासीय प्रतिवेश में पार्कों के विभिन्न स्तरों पर प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से वृक्षारोपण होगा।

5. 50 वर्ग मी. से कम के प्लाटों सहित निम्न आय वर्ग भू-खण्डीय विकास निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा :—

(1) मनोरंजन से सम्बन्धित क्षेत्र 6.13 हैक्टेयर होगा।

(2) प्लाटों के आगे न्यूनतम 8 मी. चौड़ाई का खुला स्थान होगा, जिसमें पैदल चलने का रास्ता भी शामिल है।

(3) खुले स्थान वाले आवासीय प्लाटों के आगे 1.0 मी. चौड़ा पैदल रास्ता होगा और खुले स्थान का प्रवेश एवं निकास द्वार 4.0 मी. चौड़ाई का होगा।

(ख) एम-1 हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग जोन :

औद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप-विभाजन और उसके बाद औद्योगिक सम्पदा के लिए ले-आउट प्लानों का अनुमोदन निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा :—

1. औद्योगिक क्षेत्र का विकास व्यक्तिगत उद्योगों के भू-खण्डीय विकास के तरीके से किया जाए। औद्योगिक सम्पदा का कुछ भाग फलैटेड समूह उद्योग के लिए उपयोग किया जाए। फलैटेड समूह उद्योग के लिए प्लाट का न्यूनतम साइज 2000 व.मी. होगा। ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट करने के लिए भू-खण्डीय विकास के लिए प्लाट साइजों के विभिन्न वर्ग निम्नलिखित तालिका के अनुसार होंगे :—

क्र. सं.	प्लाट के साइज (व. मी.)	प्लाटों का वितरण	संयोजक
1	2	3	4
1.	30 से 50 तक (दुकान उद्योगों के लिए)	25 प्रतिशत	
2.	100 तथा 200 तक	45 प्रतिशत	
3.	200 से अधिक और 500 तक	25 प्रतिशत	
4.	500 से अधिक और 1000 तक	5 प्रतिशत	

2. 20,000 नियोजक साईज की औद्योगिक सम्पदा के लिए औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था निम्नलिखित तालिका के अनुसार की जाएगी। औद्योगिक उप-विभाजन प्लान में सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आरक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कामगार 2.05 व. मी. होगा। औद्योगिक सम्पदा में नियोजन कुल क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर 300 कामगार की दर से निकाला जाएगा।

क्र. सं.	उपयोग परिसर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	उप-अग्निशमन केन्द्र	0.6
2.	पुलिस स्टेशन	1.00
3.	समुदाय केन्द्र (औद्योगिक सम्पदा के लिए अपेक्षित अनिवार्य सुविधाओं को समायोजित करने के लिए)	1.00
4.	विद्युत सब-स्टेशन (जहां आवश्यक हो)	0.50
5.	ट्रक, टैम्पो, टैक्सी और तिपहिया आदि के लिए पार्किंग क्षेत्र	1.00

3. जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों के मामले में मल-निस्सारी को नियमित सीवरों में छोड़ने से पहले उसका सामान्य शोधन संयंत्र में शोधन किया जाएगा।

4. परिचालन पद्धति के मामले में औद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा।

(1) औद्योगिक सम्पदा के अन्दर कोई भी सड़क 22.00 मी. के मार्गाधिकार से कम की न होगी।

(2) सर्विस लेन की आवश्यकता नहीं होगी।

5. भू-दृश्य के मामले में औद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा।

(1) औद्योगिक सम्पदा में पार्कों/बफरों के रूप में भू-दृश्य के लिए न्यूनतम 12 प्रतिशत क्षेत्र होगा।

(2) औद्योगिक सम्पदा के अन्दर सड़कों के दोनों ओर लगभग 10 मी. के अन्तराल पर वृक्ष लगाए जाएंगे। पार्किंग क्षेत्रों में प्रति दो पार्किंग स्थल एक वृक्ष की दर से वृक्ष लगाए जाएंगे।

(3) पार्कों और परिधीय बफर में प्रति हैक्टेयर 150 वृक्ष की दर से वृक्षारोपण किया जाएगा।

(ग) एम-2 विस्तृत उद्योग उपयोग जोन :

औद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप-विभाजन और उसके बाद व्यक्तिगत औद्योगिक सम्पदा के लिए ले-आउट प्लान का अनुमोदन निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

1. औद्योगिक क्षेत्र का विकास व्यक्तिगत उद्योग के भू-खण्डीय विकास के तरीके से किया जाएगा। औद्योगिक सम्पदा का कुछ भाग फलैटेड समूह उद्योग के लिए उपयोग किया जा सकता है। फलैटेड समूह उद्योग के लिए प्लाट का न्यूनतम साइज 2000 व. मी. होगा। ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट करने के लिए भू-खण्डीय विकास के लिए प्लाट साईजों के विभिन्न वर्ग निम्नलिखित तालिका के अनुसार होंगे।

क्रम सं.	प्लाट के साईज (व.मी.)	प्लाटों का संयोजक वितरण
1.	400 और 1000 तक	80%
2.	1000 से अधिक	20%

2. सुविधाओं की व्यवस्था के लिए न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र प्रति कामगार 2.55 व. मी. की दर से होगा। औद्योगिक सम्पदा में नियोजन कुल क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर 160 कामगार की दर से निकाला जाएगा। 20,000 नियोजन साइज की औद्योगिक सम्पदा के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

क्रम सं.	उपयोग परिसर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	उप-अग्निशमन केन्द्र	0.6
2.	पुलिस स्टेशन	1.0
3.	समुदाय केन्द्र (औद्योगिक सम्पदा के लिए अपेक्षित अनिवार्य सुविधाओं को समायोजित करने के लिए)	1.1
4.	विद्युत सब-स्टेशन (वी.ब.स्टे.) (जहां आवश्यक हो)	1.0
5.	ट्रकों, टेम्पो, टैक्सी और तिपहिया आदि के लिए पार्किंग क्षेत्र	1.5

3. जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों के मामले में मल निस्सार को नियमित सीवरों में डालने से पहले उसका सामान्य शोधन संयंत्र में शोधन किया जाएगा।

4. परिचालन पद्धति के मामले में औद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा।

(1) औद्योगिक सम्पदा के अन्दर कोई भी सड़क 32 मी. से कम मार्गाधिकार की नहीं होगी।

(2) सर्विस लेन आवश्यक नहीं होगी।

5. भू-दृश्य के मामले में औद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा।

(1) औद्योगिक सम्पदा के लिए भू-दृश्य के लिए पार्कों बफर के रूप में क्षेत्र का न्यूनतम 8 प्रतिशत होगा।

(2) औद्योगिक सम्पदा के अन्दर सड़कों के दोनों ओर लगभग 10 मी. के अन्तराल पर वृक्ष लगाए जाएंगे। पार्किंग क्षेत्र में वृक्ष प्रति दो पार्किंग स्थलों के लिए एक वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे।

(3) पार्कों और परिधीय बफर में वृक्षारोपण प्रति हैक्टेयर 150 वृक्ष की दर से किया जाएगा।

8(2) उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति

(क) पांच महत्वपूर्ण उपयोग जोनों में चुने हुए उपयोग परिसरों की अनुमति

उपयोग परिसर	उपयोग जोन				
	आर डी	सी 1	सी 2	एम 1	एम 2
001 आवासीय प्लाट-भू-खण्डीय आवास	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
002 आवासीय प्लाट समूह आवास	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
004 आवास एवं कार्य प्लाट	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
007 होस्टल					
(1) संस्थाओं से सम्बद्ध होस्टल	एनपी	पी	एनपी	एनपी	
(2) संस्थाओं से असम्बद्ध होस्टल	पी	पी	एनपी	पी	59½ एनपी
008 गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस तथा लोजिंग हाउस					
(1) सरकारी, सार्वजनिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी गेस्ट हाउस	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
(2) [illegible]	एनपी	पी	पी	पी	एनपी
009 [illegible] दुकानदारी	पी	एनए	एनए	एनए	एनए
010 स्थानीय खरीदारी केन्द्र	पी	एनए	एनए	एनए	एनए
019 थोक व्यापार	एनपी	एनपी	पी	एनपी	एनपी
020 भण्डारण, गोदाम एवं भण्डागार					
(1) अज्वलनशील	एनपी	एनपी	पी	पी	पी
(2) ज्वलनशील (विस्फोटक सामग्री से सम्बन्धित विनियमों के अनुसार)	एनपी	एनपी	पी	पी	पी
021 शीतागार तथा बर्फ फैक्ट्री	एनपी	एनपी	पी	पी	पी
022 गैस गोदाम	एनपी	एनपी	पी	पी	पी
023 मुख्य तेल डिपो तथा एल. पी जी रिफिलिंग संयंत्र (विशेष उपयोग के रूप में)	एनपी	एनपी	पी	एनपी	एनपी
025 व्यावसायिक कार्यालय	एनपी	पी	पी	एनपी	एनपी
028 सिनेमा	एनपी	पी	पी	पी	पी
035 सर्विस केन्द्र	एनपी	पी	पी	एनए	एनए
036 औद्योगिक प्लाट—हल्के एवं सेवा उद्योग	एनपी	एनपी	एनपी	पी	पी
037 औद्योगिक प्लाट—विस्तृत उद्योग	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी	पी
063 बस टर्मिनल	पी	पी	पी	पी	पी
064 बस डिपो तथा वर्कशाप	एनपी	एनपी	एनपी	पी	पी
072 अस्पताल (200 बिस्तरों तक)	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
073 स्वास्थ्य केन्द्र (30 बिस्तरों तक)	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
074 नर्सिंग होम	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
081 प्राइमरी स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
082 सैकेन्डरी स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
083 सीनियर सैकेन्डरी स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
084 एकीकृत स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
085 एकीकृत आवासीय स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
086 कालिज	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
088 समाज कल्याण केन्द्र					
(1) आडिटोरियम सहित	एनपी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
(2) आडिटोरियम रहित	पी	पी	एनपी	एनपी	पी
099 आडिटोरियम	एनपी	पी	एनपी		एनपी
107 धार्मिक परिसर	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी

पी : परमिटेड (अनुमति दी) । एनपी : नाट परमिटेड (अनुमति नहीं दी) । एन ए : नाट एप्लीकेबल (लागू नहीं) ।

(क) पांच महत्वपूर्ण उपयोग जोनों में द्वितीयक उपयोग परिसरों की अनुमति

क्रम सं.	उपयोग परिसर	उपयोग जोन				
		भारी			एवं	
001	आवासीय फ्लैट					
	(1) समूह आवास के भाग के रूप में	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
	(2) प्रथम तल पर और उस से ऊपर	एनए	पी	एनपी	एनपी	एनपी
005	आवासीय परिसर-विशेष क्षेत्र	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
006	विदेशी मिशन	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
007	धर्मशाला	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
010	बरातघर	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
011	रैन बसेरा	पी	पी	पी	पी	पी
018	साप्ताहिक बाजार					
	(1) विद्यमान अवस्थितियां, यदि यातायात परिचालन में बाधा न हो, उस समय तक जब तक इन क्षेत्रों का नामित उपयोग के लिए उपयोग न हो।	पी	पी	पी	पी	पी
	(2) काम के घंटों को छोड़कर केवल शेष समय के दौरान साप्ताहिक बाजारों के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक केन्द्रों में पार्किंग और अन्य खुले स्थान।	एनपी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
024	जंक यार्ड	एनपी	एनपी	पी	पी	पी
027	मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	एनपी	पी	पी	पी	पी
034	फ्लैटेड समूह उद्योग	एनपी	पी	पी	पी	पी
039	औद्योगिक प्लाट-उद्योग विशेष टाईप	एनपी	एनपी	एनपी	पी	एनपी
058	रेलवे गाड़ी गोदाम	एनपी	एनपी	पी	पी	पी
077	नैदानिक प्रयोगशाला	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
078	स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
080	नर्सरी एवं किन्डरगार्टेन स्कूल	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
087	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	पी	पी	पी	पी	एनपी
089	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	पी	पी	पी	पी	पी
090	पुस्तकालय	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
091	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	पी	पी	एनपी	पी	एनपी
093	संगीत, नृत्य और नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
095	मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र	एनपी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
096	बाल यातायात पार्क	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
097	संग्रहालय	पी	पी	एनपी	पी	एनपी
098	प्रदर्शनी केन्द्र एवं चित्रशाला	पी	पी	एनपी	पी	एनपी
100	खुला थियेटर	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
101	समुदाय भवन	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
103	सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
104	सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थान	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
106	अनाथालय	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
108	योग केन्द्र, मनन, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन केन्द्र	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
110	प्लाट नर्सरी	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी

(क) 2 उपयोग परिसर जो सभी पांच महत्वपूर्ण उपयोग जोनों (आर, डी., सी 1, सी. 2, एम। तथा एम2) में अनुमत हैं।

दवाई, मरम्मत एवं कामिक सेवा दुकान (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में), विक्रय बूथ, बैंक, पैट्रोल पम्प, रेस्टोरेंट (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में), (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में) और अन्य आवासीय क्षेत्रों में, जहां लेआउट प्लान स्वीकृत विज्ञप्ति क्षेत्र और एफ.ए.आर. के अनुसार होटल के लिए स्वीकृत किए गए हों।

पार्क, खेल-मैदान, इन्डोर गेम्स हाल, तैरने का तालाब, मनोरंजन-क्लब,

माल बुक कराने का कार्यालय (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में), रेलवे बुकिंग कार्यालय (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में) सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में) पार्किंग, टैक्सी एवं रिक्शा स्टैण्ड-सार्वजनिक उपयोगिता परिसर।

केन्द्रीय सरकारी कार्यालय (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में) स्थानीय सरकारी कार्यालय (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में) सरकारी उपक्रम कार्यालय (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में)।

डिस्पेंसरी, क्लिनिक (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में), शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र, व्यावसायिक तथा तकनिकि प्रशिक्षण केन्द्र (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में), पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन चौकी, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, डाकतार कार्यालय तथा टेलीफोन केन्द्र।

(क) 3 उपयोग परिसर सभी पांच महत्वपूर्ण उपयोग जोनों (आर, डी., सी. 1, सी. 2, एम 1, तथा एम 2) में जिनके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

होटल, ड्राइव-इन-सिनेमा।

प्रौद्योगिक परिसर निस्सारक उद्योग

आउटडोर गेम्स स्टेडियम, इन्डोर गेम्स स्टेडियम, शूटिंग रेंज, चिड़िया घर पक्षी शरण स्थान, वानस्पतिक उद्यान विशेषीकृत पार्क।

सेवाएं तारामंडल, पिकनिक हट/शिविर स्थल।

प्रभारी क्लब

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र, न्यायालय, सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित), खेल कूद प्रशिक्षण केन्द्र, मेला स्थल, सुधारालय, जिला बटालियन कार्यालय, सिविल रक्षा तथा होम-गार्ड, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, बड़ा प्रधान डाकघर, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र, ट्रांसमिशन टावर, उपग्रह एवं दूर संचार केन्द्र, वेधशाला तथा मौसम कार्यालय, श्मशान, कब्रिस्तान, विद्युत दाहगृह।

फलोद्यान, वन डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, सूअर-बाड़ा, फार्म हाउस और गाय बैल केन्द्र।

(ख) शेष उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति।

आर-1 विवरण मिशन।

आवास मिशन, आवासीय प्लाट-समूह आवास (केवल मिशन कर्मचारियों के उपयोग के लिए), अतिथिगृह, स्थानीय खरीदारी, बैंक, मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य केन्द्र, एकीकृत आवासीय स्कूल, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, पुलिस चौकी, अग्निशमन चौकी और डाक तार कार्यालय।

पी. 1—क्षेत्रीय पार्क

क्षेत्रीय पार्क, आवासीय फ्लैट (पहरा एवं निगरानी स्टाफ के लिए) पिकनिक हट, पार्क, शूटिंग रेंज, चिड़ियाघर, पक्षी शरण स्थान, वानस्पतिक उद्यान, स्थानीय सरकारी कार्यालय (रख रखाव), खुला थियेटर, पुलिस चौकी, अग्निशमन चौकी, फलोद्यान, प्लांट नर्सरी तथा वन।

इस उपयोग जोन की प्रत्येक संरचना अस्थाई प्रकार की होगी।

पी. 2—जिला पार्क

जिला पार्क, आवासीय फ्लैट (पहरा एवं निगरानी तथा रखरखाव स्टाफ के लिए), खेल-मैदान, तैरने का तालाब, मनोरंजन क्लब, बाल यातायात पार्क, विशेषीकृत पार्क मैदान, राष्ट्रीय स्मारक, पक्षी शरण स्थान, वानस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर।

पी 3—खेल-मैदान, स्टेडियम तथा खेल-कूद काम्पलेक्स, खेल-मैदान,

खेल मैदान, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर गेम्स स्टेडियम, इंडोर गेम्स हाल, तैरने का तालाब, मनोरंजन-क्लब, आवासीय फ्लैट (पहरा एवं निगरानी तथा रख-रखाव स्टाफ के लिए) बोर्डिंग एवं बोर्डिंग हाउस, रेस्टोरेंट, बैंक, स्थानीय सरकारी कार्यालय (रख-रखाव) पुस्तकालय, खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र, आडिटोरियम, पुलिस चौकी, अग्निशमन चौकी, डाकतार कार्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र (खिलाड़ियों तथा संबंधित कर्मचारियों के लिए)।

पी 5—ट्रक टर्मिनस

ट्रक टर्मिनस, मोटर गैरेज तथा वर्कशाप, खुदरा एवं मरम्मत दुकान, रैन-बसेरा, बोर्डिंग हाउस, बैंक, रेस्टोरेंट, सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय।

जी 2—सरकारी कार्यालय

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, स्थानीय सरकारी कार्यालय, सरकारी उपक्रम कार्यालय, सम्मेलन भवन, न्यायालय, सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित) व्यावसायिक कार्यालय (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में), खुदरा एवं मरम्मत दुकान, बैंक, रेस्टोरेंट, पहरा एवं निगरानी, विक्रय बूथ, इंडोर गेम्स हाल, लिफाफा, पुस्तकालय, संग्रहालय, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, आडिटोरियम, पुलिस चौकी, अग्निशमन चौकी तथा डाक-तार कार्यालय।

पी एस—1 अस्पताल

अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र (परिवार कल्याण केन्द्र सहित), नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी क्लिनिक, नैदानिक प्रयोगशाला, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, आवासीय फ्लैट तथा आवासीय प्लाट-समूह आवास (स्टाफ एवं कर्मचारियों के लिए), होस्टल (मेडिकल कालिज के छात्रों और स्टाफ के लिए), धर्मशाला, रैन-बसेरा, खुदरा एवं मरम्मत की दुकान (केवल व्यावसायिक केन्द्रों में) बैंक, रेस्टोरेंट, इंडोर गेम्स हाल, मनोरंजन-क्लब, तैरने का तालाब, पुस्तकालय, कालिज (चिकित्सा व्यवसाय जैसे), न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस चौकी, अग्निशमन चौकी और डाक-तार कार्यालय।

पी एस 2—शिक्षा तथा अनुसंधान

विश्वविद्यालय तथा विशेषीकृत वैज्ञानिक संस्थान, कालिज, नर्सरी तथा किंडरगार्टन स्कूल, एकीकृत आवासीय स्कूल, शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र, अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, पुस्तकालय, समाज कल्याण केन्द्र, आडिटोरियम, खुला थियेटर, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल-मैदान, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर गेम्स स्टेडियम, इंडोर गेम्स हाल, शूटिंग रेंज, तैरने का तालाब, मनोरंजन-क्लब, वानस्पतिक उद्यान, तारामंडल, चिड़ियाघर तथा एक्वारियम, आवासीय प्लाट-समूह आवास (स्टाफ और कर्मचारियों के लिए), होस्टल (छात्रों के लिए), अतिथि-गृह सुविधा, खरीदारी, बैंक, संग्रहालय, अग्निशमन चौकी, पुलिस चौकी और डाक-तार कार्यालय।

पी एस 3—सामाजिक और सांस्कृतिक

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भवन, संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र, चित्रशाला, आडिटोरियम, खुला थियेटर, समुदाय भवन, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, आवासीय फ्लैट (केवल पहरा तथा निगरानी स्टाफ), होस्टल, इंडोर गेम्स हॉल, मनोरंजन-क्लब, तारामंडल, पुस्तकालय, पुलिस केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र तथा डाक-तार कार्यालय।

पी एस 4—पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस लाईस

पुलिस मुख्यालय, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सिविल रक्षा एवं होम-गार्ड, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, अग्निशमन चौकी, आवासीय प्लाट-भूखंडीय एवं समूह आवास, होस्टल (स्टाफ तथा कर्मचारी), अतिथि-गृह, बैंक, सुविधा खरीददारी, मोटर गैरेज तथा वर्कशाप, रेस्टोरेंट, खेल-मैदान, इंडोर गेम्स स्टेडियम, इंडोर गेम्स हाल, शूटिंग रेंज, तैरने का तालाब, मनोरंजन क्लब, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरी, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा (रेड-क्रास जैसी), नर्सरी तथा किंडरगार्टन स्कूल, एकीकृत आवासीय स्कूल, पुस्तकालय, अग्निशमन चौकी तथा डाक-तार कार्यालय।

पी एस 5—अग्निशमन केन्द्र तथा मुख्यालय

अग्निशमन केन्द्र, अग्निशमन चौकी, आवासीय फ्लैट (स्टाफ कर्मचारियों के लिए), होस्टल (स्टाफ के लिए), अतिथिगृह, सुविधा खरीददारी, बैंक, मोटर गैरेज तथा वर्कशाप, रेस्टोरेंट, खेल-मैदान, इंडोर गेम्स हाल, तैरने का तालाब, मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य केन्द्र, प्राइमरी स्कूल, पुस्तकालय तथा डाक तार कार्यालय।

पी एस 6—संचार

उपग्रह तथा दूर संचार केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेंज, बेतार केन्द्र, टेलीफोन केन्द्र, आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन केन्द्र, वैधशाला तथा मौसम कार्यालय, अग्निशमन चौकी, आवासीय फ्लैट (पहरा एवं निगरानी के लिए)।

ए 1—प्लांट नर्सरी

प्लांट नर्सरी आवासीय फ्लैट (पहरा एवं निगरानी तथा रख-रखाव के लिए)

ए 3—ग्रामीण जोन

ग्रामीण केन्द्र, फलोद्यान, प्लांट नर्सरी, वन, निस्तारक उद्योग।

(ख) 1 निम्नलिखित उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति पर नियंत्रण उपयोग जोन के विशेष कार्य द्वारा होगा।

सी-3 होटल, पी-4 ऐतिहासिक स्मारक, टी-1 विमान पत्तन, टी-2 रेल टर्मिनल, टी-3 रेल परिचालन, टी-4 बस टर्मिनल एवं डिपो, टी-6 सड़क परिचालन, यू-1 जल, यू-2 सीवरेज, यू-3 विद्युत, यू-4 कूड़ा-करकट, यू-5 नाले, जो-1 राष्ट्रपति संपदा तथा संसद भवन, जो-3 सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित), पी एस-7 शवदाह एवं कब्रिस्तान, पी एस-8 धार्मिक, ए-2 हरित पट्टी और ए-4 नदी एवं जल निकाय।

(ख) 2 पार्क, पार्किंग, टैक्सी एवं तिपहिया स्टैंड और सार्वजनिक उपयोगिता परिसर को सभी उपयोग जोनों में अनुमति दी गई है।

8(3) उपयोग परिसरों में अनुमत

उपयोग/उपयोग कार्य-कलाप :

आवासीय प्लाट (001)

समूह 1

इस समूह के अंतर्गत 1962 के बाद विकसित भूखंडीय आवासीय क्षेत्र आता है और वे भूखंडीय आवासीय क्षेत्र भी आते हैं, जहां व्यावसायिक अनधिकार प्रवेश नगण्य हो (इन क्षेत्रों की सूची अनुबंध 2 में दी गई है)। आवासीय विकास टाइप और उपयोग अनुमत दोनों मामलों में परिवर्तन प्रभार की अन्तरीय दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आवास, वकीलों का व्यावसायिक परामर्श कार्यालय, वास्तुकार एवं टाउनप्लानर, चार्टर्ड लेखापाल, डाक्टर तथा अन्य व्यवसायियों को निम्नलिखित शर्तों के साथ;

(1) संस्थापना के अंतर्गत क्षेत्र 30 वर्ग मी. या कुर्सी क्षेत्र का 25% जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।

(2) संस्थापना केवल आवासीय इकाई के निवासी द्वारा चलाई जाएगी।

समूह 2

इस समूह के अंतर्गत "पुनर्वास" भूखंडीय आवासीय क्षेत्र और व्यावसायिक दबाव सहित अन्य भूखंडीय आवासीय क्षेत्र, पुनर्वास आवासीय क्षेत्र तथा पहले गांव आते हैं। (इन क्षेत्रों की सूची अनुबंध 2 में दी गई है) आवासीय विकास टाइप और उपयोग अनुमत दोनों मामलों में परिवर्तन प्रभार की अन्तरीय दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी।

निम्नलिखित शर्तों सहित आवास, खुदरा, मरम्मत, कामिक सेवा दुकान :—

(1) केवल निचली मंजिल पर संस्थापना के लिए अनुमति दी जाएगी और वह आवासीय इकाई के निवासी द्वारा चलाई जाएगी।

(2) संस्थापना का क्षेत्र 15 व. मी. या निचली मंजिल के आवृत क्षेत्र का 25% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

निम्नलिखित शर्तों सहित घरेलू उद्योग (अनुबंध 3 में दी गई सूची)

(1) संस्थापना की अनुमति केवल निचली मंजिल (*) पर दी जाएगी और वह आवासीय इकाई के निवासी द्वारा चलाई जाएगी।

(2) संस्थापना का क्षेत्र 30 व. मी. या कुर्सी क्षेत्र का 25% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

निम्नलिखित शर्तों सहित किंडरगार्टन स्कूल, संगीत-नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, सिलाई, कढ़ाई तथा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र :

(1) संस्थापना की अनुमति केवल निचली मंजिल पर दी जाएगी और वह आवासीय इकाई के निवासी द्वारा चलाई जाएगी।

(2) संस्थापना का क्षेत्र 30 व. मी. या निचली मंजिल के आवृत क्षेत्र का 25% जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।

व्यवसायी परामर्श कार्यालय :

वही जो समूह 1 में दिए गए हैं।

समूह 3

अनधिकृत नियमित आवासीय क्षेत्र

(अनधिकृत नियमित कालोनियां)

इस वर्ग के अंतर्गत आवासीय को छोड़कर अन्य उपयोगों के लिए अनुमति विभिन्न क्षेत्रों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।

आवासीय विकास टाइप और उपयोग अनुमत दोनों के लिए परिवर्तन प्रभार की अन्तरीय दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आवासीय प्लाट—समूह आवास

(002)

आवासीय फ्लैट, कन्फैक्शनरी की खुदरा दुकान, ग्रोसरी तथा जनरल मर्चेन्ट, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, कैमिस्ट, नाई, हाडरर, दर्जी, सर्जी (प्रत्येक के लिए 15 व. मी. तक क्षेत्र—निचली मंजिल पर) शिशुगृह तथा दिवस देखभाल केन्द्र (50 व. मी. तक के क्षेत्र सहित निचली मंजिल पर)।

आवासीय फ्लैट

(003)

आवास, व्यावसायिक परामर्श कार्यालय (जैसा आवासीय प्लाट के समूह 1 में दिया गया है)

खुदरा, मरम्मत तथा कामिक सेवा दुकान

(012 से 014)

खुदरा दुकान; मरम्मत दुकान; कामिक सेवा दुकान।

(*) इस संहिता में निचली मंजिल का अभिप्राय ग्राउंड फ्लोर से है।

थोक व्यापार (019)

थोक दुकान; गोदाम एवं भण्डार; व्यावसायिक कार्यालय

(पहली या उससे ऊपर की मंजिल पर कुल का क्षेत्रफल के [illegible] तक प्रतिबंधित)।

व्यावसायिक कार्यालय (025)

व्यावसायिक कार्यालय; खुदरा एवं कामिक सेवा दुकान; रेस्टोरेंट; बैंक, डाक-तार कार्यालय।

औद्योगिक प्लाट—हल्के एवं सेवा उद्योग (036)

अनुबंध 3 में दी गई सूची के अनुसार हल्के एवं सेवा उद्योग; प्रशासनिक कार्यालय, सेल्स आउटलेट।

आवास एवं कार्य प्लाट (004)

आवास, निचली मंजिल के क्षेत्र को खुदरा दुकान, परन्तु उद्योग और कामिक सेवा दुकान के कार्य स्थान के रूप में प्रयोग किया जाए।

आवासीय परिसर—विशेष क्षेत्र (005)—

विशेष क्षेत्र विनियमों के अनुसार

विदेशी मिशन (006)

विदेशी मिशन और संबंधित सुविधाएं।

होस्टल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस तथा लॉजिंग हाउस (007 एवं 008)

होस्टल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस एवं लॉजिंग हाउस, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी.); नाई एवं लांडरर की कामिक सेवा दुकानें; सोफ्ट ड्रिंक तथा स्नैक स्टाल (15 व. मी.)।

धर्मशाला (009)

धर्मशाला; नाई एवं लांडरर की कामिक सेवा दुकानें; सोफ्टड्रिंक तथा स्नैक बार (15 व. मी. तक)

बारात घर (010)

बारातघर; सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक बार (15 व. मी. तक)।

रैन-बसेरा (011)

रैन-बसेरा

विक्रय बूथ (015)

विक्रय बूथ

सुविधा खरीददारी (016)

खुदरा, मरम्मत और कामिक सेवा दुकान; रेस्टोरेंट, क्लिनिक।

स्थानीय खरीददारी (017)

खुदरा, मरम्मत एवं कामिक सेवा दुकान; व्यावसायिक कार्यालय; अनुबंध 3 के अनुसार उद्योग; नैदानिक प्रयोगशाला; क्लीनिक एवं पोली-क्लीनिक, रेस्टोरेंट, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, डाकघर तथा बैंक एक्सटेंशन काउंटर।

साप्ताहिक बाजार (018)

साप्ताहिक बाजार; अनौपचारिक खुदरा व्यापार; सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल (सभी संरचनायें या तो अस्थायी होंगी या अस्थायी-किस्म) सप्ताह में केवल एक दिन के लिये)।

भण्डार, गोदाम एवं भाण्डागार (020)

भण्डार, गोदाम एवं भाण्डागार, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), थोक निगम, प्रशासनिक एवं विक्रय कार्यालय।

भाण्डागार (021)

भाण्डागार, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), प्रशासनिक कार्यालय।

[illegible]

[illegible] पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), केयर टेकर कार्यालय।

तेल डिपो (023)

तेल एवं गैस डिपो, आवासीय प्लॉट (पहरा एवं निगरानी तथा रखरखाव स्टाफ के लिये), प्रशासनिक कार्यालय।

जेल यार्ड (024)

जेल यार्ड, पहरा एवं निगरानी आवास, विक्रय कार्यालय।

बैंक (026)

बैंक पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), व्यावसायिक कार्यालय, कैन्टीन।

मोटर गैरेज तथा वर्कशाप (027)

मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, खुदरा दुकान (पुर्जे), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

सिनेमा (028)

सिनेमा, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी.), प्रशासनिक कार्यालय, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, खुदरा दुकान तथा व्यावसायिक कार्यालय

(कुल तल क्षेत्रफल का 20% तक)।

ड्राइव-इन-सिनेमा (029)

ड्राइव-इन-सिनेमा, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी.), प्रशासनिक कार्यालय, रेस्टोरेंट, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

पैट्रोल पम्प (030)

पैट्रोल पम्प, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, ग्लोबोंसाइड्स मरम्मत दुकान।

रेस्टोरेंट (031)

रेस्टोरेंट।

होटल (032)

होटल, खुदरा एवं कामिक सेवा दुकान तथा व्यावसायिक कार्यालय—कुल तल क्षेत्रफल का 5% तक प्रतिबंधित

मोटल (033)

मोटल।

फुटकर समूह उद्योग (034)

अनुबंध 3 की श्रेणी क, ख, ग, घ तथा च में दिए गए उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि इन उद्योगों में निम्नलिखित की प्रक्रिया न हो—

(1) कम्पन; या

(2) शोर या तरल बेकार पदार्थ; या

(3) कच्चे माल/तैयार माल का भारी-भरकम

[illegible]

पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)

सर्विस केन्द्र (035)

खुदरा, मरम्मत एवं कामिक सेवा दुकान, अनुबंध 3 के अनुसार सर्विस केन्द्र में उद्योग की अनुमति, गैस-गोदाम, व्यावसायिक कार्यालय।

विस्तृत उद्योग प्लाट (037)

अनुबंध 3 में दी गई सूची के अनुसार विस्तृत उद्योग, प्रशासनिक कार्यालय, सेल्स आउटलैट, आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)।

औद्योगिक परिसर—निस्तारक उद्योग (038)

निस्तारक उद्योग

औद्योगिक प्लाट—उद्योग विशेष टाइप (039)

उद्योग विशेष टाइप, प्रशासनिक कार्यालय, सेल्स आउटलैट।

पार्क (040)

पार्क, सॉफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल

(1.0 हैक्ट. और उससे अधिक क्षेत्रफल के पार्क पर)

खेल मैदान (041)

खेल मैदान।

आउटडोर स्टेडियम, इन्डोर गैम्स स्टेडियम तथा शूटिंग रेंज (042, 043 तथा 044)

स्टेडियम, स्थानीय सरकारी कार्यालय (रख-रखाव), पहरा एवं निगरानी, आवास (20 व. मी. तक), आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), खुदरा दुकान, रेस्टोरेंट।

इन्डोर गैम्स हाल (045)

इन्डोर गैम्स हाल, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

तैरने का तालाब (046)

तैरने का तालाब, पहरा एवं निगरानी तथा रख-रखाव स्टाफ आवास, रेस्टोरेंट।

मनोरंजन क्लब (047)

मनोरंजन क्लब, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), तैरने का तालाब, इन्डोर तथा आउटडोर गैम्स सुविधाएं।

ऐतिहासिक स्मारक (048)

ऐतिहासिक स्मारक

स्मारक (049)

मकबरा, समाधि, और अन्य स्मारक, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, पुस्तक एवं तस्वीर की दुकान।

चिड़ियाघर, पक्षी शरण स्थान, वानस्पतिक उद्यान (050, 051 एवं 052)

चिड़ियाघर तथा वानस्पतिक उद्यान, पक्षी शरण स्थान, पहरा एवं निगरानी, आवास (20 व. मी. तक), आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), खुदरा दुकान, रैस्टोरेंट।

विशेषीकृत पार्क मैदान (053)

सार्वजनिक सभा मैदान, सार्वजनिक सम्मेलन पाइ—पांडाल, सॉफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

तारामंडल (054)

तारामंडल, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैफेटेरिया।

सिनेमा हट (055)

सिनेमा हट।

पैसेंजर वेटिंग (056)

पैसेंजर वेटिंग शैड और 047 में दिया गया सब।

डाकघर एवं बुकिंग कार्यालय (057)

डाकघर एवं बुकिंग कार्यालय, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)।

रेलवे आवास आवास (058)

रेलवे आवास आवास, केयर टेकर क्वार्टर, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)।

रेलवे बुकिंग कार्यालय, तथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय (059 एवं 060)

रेलवे और सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय, भण्डार।

पार्किंग (061)

पार्किंग।

टैक्सी एवं तिपहिया स्टैण्ड (062)

टैक्सी एवं तिपहिया स्टैण्ड।

बस टर्मिनस (063)

बस टर्मिनस सॉफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, प्रशासनिक कार्यालय, अन्य कार्यालय।

बस डिपो (064)

बस डिपो, वर्कशाप, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), सॉफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, प्रशासनिक कार्यालय।

सार्वजनिक उपयोगिता परिसर (065)

ओवरहैड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, आक्सीजेशन पौंड, सैप्टिक टैंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय, विद्युत सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर एवं इलैक्ट्रिक, पौनीघाट।

केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय (066, 067 तथा 068)

केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैमिस्ट की खुदरा दुकान, पुस्तक एवं स्टेशनरी, उपभोक्ता भंडार (भूमि तल पर प्रत्येक के लिए 15 व. मी. तक)।

कैन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, डाकघर एक्सटेंशन काउंटर।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (069)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक),

आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिये), रैस्टोरेंट, बैंक, डाक-तार कार्यालय, पुस्तकालय, प्रदर्शनी केन्द्र।

न्यायालय (070)

न्यायालय, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैन्टीन, कैमिस्ट एवं स्टेशनरी की खुदरा दुकान (प्रत्येक के लिये 15 व. मी. तक), पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय बैंक, डाक-तार कार्यालय, पुलिस चौकी, वकीलों के चैम्बर।

सरकारी भूमि (071)

(उपयोग अनिर्धारित)

उपयोग अनिर्धारित

अस्पताल (072)

अस्पताल, आवासीय फ्लैट (कर्मचारी एवं सेवा कार्मिक), सांस्थानिक होस्टल, मेडिकल कालिज, खुदरा दुकानें (कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी एवं जनरल मर्चेंट) पुस्तकें और स्टेशनरी, कैमिस्ट, नाई, लांडरर, सब्जी)।

स्वास्थ्य केन्द्र तथा नर्सिंग होम (073 तथा 074)

स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पहरा एवं निगरानी आवास (प्रत्येक के लिये 20 व. मी. तक) कैमिस्ट की दुकान (प्रत्येक के लिये 15 व. मी. तक)।

डिस्पेंसरी (075)

डिस्पेंसरी, सॉफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

क्लीनिक (076)

क्लीनिक।

नैदानिक प्रयोगशाला (077)

नैदानिक प्रयोगशाला, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा (078)

वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), प्रशासनिक कार्यालय, डिस्पेंसरी कैन्टीन।

शिशुगृह तथा दिवस देखभाल केन्द्र (079)

शिशुगृह तथा दिवस देखभाल केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)।

नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल (080)

नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)।

प्राथमिक स्कूल (081)

प्राथमिक स्कूल, क्वार्टर एवं निगरानी आवास (20 व. मी.), पुस्तकों एवं स्टेशनरी दुकानें (15 व. मी. तक), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

सैकेन्डरी, सीनियर सैकेन्डरी तथा एकीकृत स्कूल (082, 083 एवं 084) सैकेन्डरी, सीनियर सैकेन्डरी तथा एकीकृत स्कूल, पहरा एवं निगरानी आवास, (20 व. मी. तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा कैमिस्ट दुकान (15 व. मी. तक), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, कैन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, आडिटोरियम इन्डोर गैम्स हाल, तैरने का तालाब, डाकघर काउंटर सुविधा।

एकीकृत आवासीय स्कूल तथा कालिज (व्यवसायिक कालिज सहित) (085 एवं 086)

स्कूल एवं कालिज, आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिये), सांस्थानिक होस्टल, प्रत्येक 15 व. मी. क्षेत्र को खुदरा दुकानें (कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी एवं जनरल मर्चेंट, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, कैमिस्ट, नाई, लांडरर, सब्जी (कैन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, आडिटोरियम, इन्डोर गैम्स हाल, तैरने का तालाब, खेल का मैदान, डाकघर काउंटर सुविधा।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (087)

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), होस्टल, (केवल सरकारी केन्द्रों के मामले में), पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान, (15 व. मी. तक), कैन्टीन पुस्तकालय।

समाज कल्याण केन्द्र (088)

समाज कल्याण केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैन्टीन, प्रदर्शनी एवं सेवा काउंटर।

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (089)

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिये), होस्टल, कैन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, पुस्तकालय, डाकघर काउंटर सुविधा।

पुस्तकालय (090)

पुस्तकालय, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैन्टीन, प्रदर्शनी एवं चित्रशाला, आडिटोरियम।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (091)

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), खुदरा दुकानें (कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी एवं जनरल मर्चेंट, पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा कैमिस्ट की दुकानें (प्रत्येक के लिए 15 व. मी. तक), कैन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, आडिटोरियम, डाकघर काउंटर सुविधा।

व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण केन्द्र (092)

व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण केन्द्र पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैन्टीन।

संगीत, नृत्य और नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र (093)

संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैन्टीन, आडिटोरियम।

खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र (094)

खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), खुदरा दुकानें (कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी, एवं जनरल मर्चेंट), होस्टल, बैंक, डाक-घर, कैन्टीन, इन्डोर एवं आउटडोर स्टेडियम, तैरने का तालाब, खेल मैदान।

मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र (095)

मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

बाल यातायात पार्क (096)

बाल यातायात पार्क, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, संग्रहालय, आडिटोरियम।

संग्रहालय, प्रदर्शिनी केन्द्र एंव चित्रशाला, आडिटोरियम एवं खुला थियेटर (097,098,099 एंव 100)

संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं चित्रशाला, आडिटोरियम एवं खुला थियेटर, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैन्टीन।

समुदाय हाल (101)

समुदाय हाल, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल।

मेला मैदान (102)

मेला मैदान, आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), प्रदर्शनी केन्द्र (प्रकृति में अस्थायी), रेस्टोरेंट, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, पुलिस चौकी, अग्नि-शमन चौकी, बैंक एक्सटेंशन काउंटर सुविधा, डाकघर काउंटर सुविधा।

सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र (103)

सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), होस्टल, कैन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर सुविधा, आडिटोरियम (बैठने की क्षमता 500 तक), पुस्तकालय, प्रदर्शनी एवं चित्रशाला।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान (104)

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नैक स्टाल, रेस्टोरेंट, कैन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर सुविधा, आडिटोरियम, पुस्तकालय संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र तथा चित्रशाला।

[illegible]

कृषिशास्त्र एवं अनाजालय, आवासीय फ्लैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), होस्टल, कामिक सेवा दुकान (15 व. मी. तक)।

धार्मिक परिसर भवन (107)

(1) मन्दिर
(2) मस्जिद
(3) चर्च
(4) गुरुद्वारा
(5) सिनागॉग
(6) मीनार
(7) स्नान-घाट
(8) गोशाला
(9) अस्पताल
(10) धर्मार्थ डिस्पेंसरी एवं पुस्तकालय

योगा केन्द्र, मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र (108)

योगा केन्द्र, मनन, अध्यात्मक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र, पहरी एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), होस्टल, स्नेक्स स्टाल।

पुलिस चौकी (109)

पुलिस चौकी।

पुलिस स्टेशन (110)

पुलिस स्टेशन आवासीय फलैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए)।

जिला पुलिस कार्यालय एवं सिविल रक्षा तथा होम गार्ड (111 एवं 112)

जिला पुलिस कार्यालय एवं सिविल रक्षा तथा होम गार्ड, आवासीय फलैट (रख-रखाव स्टाफ के लिए), होस्टल, खेल मैदान।

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (113)

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला।

जेल (114)

जेल

अग्नि-शमन चौकी (115)।

अग्नि-शमन चौकी

अग्नि-शमन केन्द्र (116)

अग्नि शमन केन्द्र, आवासीय फलैट (रख-रखाव स्टाफ के लिये), होस्टल (कर्मचारियों के लिये), मंत्रिस वर्कशाप।

डाकघर, डाक-तार कार्यालय एवं बड़ा डाकघर (117, 118 तथा 119)

डाकघर, डाक-तार कार्यालय एवं बड़ा डाकघर, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), कैन्टीन।

टेलीफोन केन्द्र (120)

टेलीफोन केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक) कैन्टीन।

रेडियो एवं टेलीविजन केन्द्र (121)

रेडियो एवं टेलीविजन केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक), होस्टल, कैन्टीन, पुस्तकालय।

ट्रान्समीशन टावर (122)

ट्रान्समीशन टावर, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)।

उपग्रह एवं दूर-संचार केन्द्र और वैधशाला तथा मौसम कार्यालय (123 एवं 124)

उपग्रह एवं दूर-संचार केन्द्र और वैधशाला तथा मौसम कार्यालय, आवासीय फलैट (रख-रखाव स्टाफ के लिये), कैन्टीन, अनुसंधान प्रयोगशाला।

श्मशान भूमि, श्मशान, कब्रिस्तान तथा विद्युत दाहगृह (125, 126, 127 तथा 128)

श्मशान भूमि, श्मशान, कब्रिस्तान तथा विद्युत दाहगृह, लकड़ी, फूलों और सुगंधित सामग्री की खुदरा दुकानें, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)।

फलोद्यान (129)

फलोद्यान, पहरा एवं निगरानी तथा रख-रखाव स्टाफ आवास (20 व. मी. तक)। सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी।

नर्सरी (130)

नर्सरी, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)। सभी संरचना अस्थायी प्रकार की होंगी।

वन (131)

वन।

डेयरी फार्म (132)

डेयरी फार्म, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)। सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी।

पोल्ट्री फार्म (133)

पोल्ट्री फार्म, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)। सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी।

सूअर-बाड़ा (134)

सूअर-बाड़ा शेड, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)। सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी।

फार्म हाउस (135)

फार्म हाउस, पहरा एवं निगरानी आवास (20 व. मी. तक)। सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी।

ग्रामीण केन्द्र (136)

ग्रामीण केन्द्र, खुदरा दुकान, परम्परा दुकान, कामिक सेवा दुकान, साप्ताहिक बाजार, बैंक, व्यावसायिक कार्यालय, सिनेमा, रेस्टोरेंट, स्थानीय, सरकारी कार्यालय, डिस्पेंसरी, वर्कशाप, पैदानिक प्रयोगशाला, अस्पताल, सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, पुस्तकालय, समुदाय भवन, पुलिस चौकी, अग्नि-शमन चौकी, डाक-घर

टिप्पणियां :

(1) पार्क, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक उपयोगिता परिसरों में अनुमत है, जहां आवश्यकता हो।

(2) परिसरों को मिलाने के मामले में संबंधित उपयोग अनुमत है।

(3) यदि उच्च क्रम के उपयोग परिसर अनुमत हों, तो उसी वर्ग के निचले क्रम के उपयोग परिसर भी अनुमत होंगे। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस स्टेशन अनुमत है तो उसके स्थान पर पुलिस चौकी की अनुमति दी जा सकती है।

(4) जो संरचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती हो या हटाई जा सकती हो, जैसा कि स्थिति हो, वह स्थायी संरचना मानी जाएगी।

8 (4) उपयोग परिसरों के अंदर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण : इन विनियमों का उद्देश्य उपयोग परिसरों के अन्दर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण की व्यवस्था करना है। भवन का आयतन अनुमत तल कवरेज, फर्श-क्षेत्रफल अनुपात तथा अधिकतम ऊंचाई द्वारा निर्धारित किया जाता है। लागू भवन उपविधि के अंतर्गत आने वाली और उसके द्वारा नियंत्रित आंतरिक व्यवस्था को छोड़कर तहखाना, सेटबैक, पार्किंग मानक और भवन अनुमति के लिए सम्बद्ध अन्य पहलुओं जैसे उपबंधों के

लिए अन्य नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं। ये विनियम आवासीय, व्यावसायिक, विनिर्माण, सरकारी और सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग के महत्वपूर्ण उपयोग परिसरों के लिए बनाए गए हैं। शेष उपयोग परिसरों की किसी विशेष मामले में वास्तविक आवश्यकताओं और अन्य सांविधिक मानदण्डों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा तय की जाएगी।

ऐतिहासिक स्मारकों और भवनों के इर्द-गिर्द के विकास पर इस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा जिससे उनका महत्व और बढ़े। विद्यमान विकास में आवासीय प्लाटों पर अनुबंध, 1 में दिए गए विनियम लागू होंगे।

कुछ परिसरों के लिए पार्किंग मानकों को निर्धारित किया गया है। जहां इनकी व्यवस्था नहीं होगी, वहां ये पार्किंग मानक के अनुसार अपेक्षाओं के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

जहां भी, प्लाटों के विभिन्न वर्गों के अनुसार भवन विनियम दिए गए हैं वहां आवृत किया जाने वाला क्षेत्र और फर्श क्षेत्र किसी भी हालत में निम्न वर्ग के प्लाट के सबसे बड़े साइज के लिए क्रमशः अनुमत आवृत क्षेत्र और फर्श-क्षेत्र से कम नहीं होना चाहिए। जहां भी सहायता शर्तों सहित या शर्तों रहित अनुमत है, वहां उसकी व्यवस्था निर्दिष्ट की गई है। जहां मध्यतल फर्श की व्यवस्था है, वहां वह कुल फर्श-क्षेत्रफल अनुपात का भाग माना जाएगा। भवन की अधिकतम ऊंचाई पहुंचने की सड़क की केन्द्रीय रेखा से मुंडेर की चोटी तक मानी जाएगी। सम्प्, जल भण्डारण टैंक आदि जैसी संरचनाओं को इस प्रकार नियोजित किया जाएगा जिससे कि वह मुंडेर के नीचे रहे। उपयोग परिसरों के सभी वर्गों के विभिन्न साइज के प्लाटों के लिए सेटबैक की व्यवस्था निम्नलिखित तालिका के अनुसार की जाएगी :–

प्लाट का साइज वर्ग (क० मी० में)	सैट बैक			
	अग्र भाग	पिछला भाग	साइड (1)	साइड (2)
1. 150 तक	3	0	0	0
2. 150 से अधिक और 300 तक	3	3	0	0
3. 300 से अधिक और 500 तक	3	3	3	0
4. 500 से अधिक और 1000 तक	6	3	3	3
5. 1000 से अधिक और 2000 तक	9	3	3	3
6. 2000 से अधिक और 4000 तक	9	6	6	6
7. 4000 से अधिक और 10,000 तक	15	6	6	6
8. 10,000 से अधिक	15	9	9	9

(1) यदि प्लाट साइज के विशेष वर्ग के निर्धारित सेटबैकों सहित अनुमेय समावेशन की उपलब्धि नहीं होती तो पूर्ववर्ती वर्ग के सेटबैकों को अपनाया जाए।

(2) एक परिवार (1.3 इकाई) आवासीय प्लाटों में पिछले सेटबैक पिछले भाग और साइडों में प्लाटों के खुले प्रांगण के निकट कार्नर में 2 मी. × 2 मी. के होंगे।

आवासीय प्लाट-समूह आवास (001)

	(क) एक परिवार इकाई के लिए (1.3 इकाई)	(ख) परिवार इकाई के लिए	वर्ग इकाई
			व.
न्यूनतम प्लाट साइज (व० मी०)	32	150	250 से अधिक
अधिकतम प्लाट साइज (व० मी०)	80	250	350
मानक प्लाट साइज (व० मी०)	72	180	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
अधिकतम ऊंचाई (मी०)	11	11	11

अन्य नियंत्रण:

(क) एक परिवार इकाई (1.3 इकाई)

सर्वोत्तम प्लाट के खुले प्रांगण के आगे पिछले कार्नरों में से एक कार्नर 2 मी० × 2 मी० का खुला प्रांगण होगा। यह भवन ब्लाक प्लान में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) प्लाट क्षेत्र चौड़ाई से गहराई अनुपात 1 : 2 से 3 होगा।

(3) एक नियमित रसोईघर और एक छोटे रसोईघर की अनुमति होगी।

(4) प्लाट के अन्दर कम से कम एक छोटा पेड़ लगाने के लिये हरियाली के लिये खाली स्थान का 10% खर्च किए बिना छोड़ना।

(ख) तीन परिवार इकाई के लिये :

(1) प्लाट क्षेत्र चौड़ाई से गहराई अनुपात 1 : 2 से 3 के बीच में होगा।

(2) तीन नियमित रसोईघरों की अनुमति होगी।

(3) प्लाट के अन्दर कम से कम एक छोटा पेड़ लगाने के लिये हरियाली के लिये खाली स्थान का 10% खर्च किए बिना छोड़ना।

(ग) पानी निकालने के लिये आवासीय इकाई में 4-5 व्यक्तियों के रहने का स्थान होना चाहिये।

आवासीय प्लाट-समूह आवास (002)

	(क) 2000 से 4000 (व० मी०) तक के प्लाटों के लिये	(ख) 4000 (व०मी०) से अधिक के प्लाटों के लिये
1. सघनता	33 1/3%	30%
2. फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	100	90
3. अधिकतम ऊंचाई	11 मी	24 मी०

अन्य नियंत्रण :

(क) 2000 से 4000 व० मी० तक के प्लाटों के लिये

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—तीन

(2) अनुमेय घनत्व प्रति हैक्टेयर 120 आवासीय इकाई होंगी।

(3) भूदृश्य के लिये प्रति हैक्टेयर 100 वृक्ष लगाये जायेंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली द्वारा आवृत्त किया जायेगा।

(4) पार्किंग की व्यवस्था 50 व० मी० तक के फर्श-क्षेत्रफल की आवासीय इकाइयों के लिये प्रति आवासीय इकाई 0.28 कार स्थान की दर से, 50 व०मी० से अधिक और 90 व० मी० तक के फर्श-क्षेत्रफल की आवासीय इकाइयों के लिये प्रति आवासीय इकाई 0.55 कार स्थान की दर से और 90 व०मी० से अधिक के फर्श-क्षेत्रफल की आवासीय इकाइयों के लिये प्रति इकाई 1.15 कार स्थान की दर से की जायेगी।

आवृत्त गैरेजों का क्षेत्रफल, यदि उनकी व्यवस्था होगी, कुल पार्किंग आवश्यकता में से घटा दिया जायेगा।

1000 व० मी० से अधिक के प्लाटों के लिये।

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—आठ।

(2) अनुमेय घनत्व प्रति हैक्टेयर 120 आवासीय इकाइयां होंगी।

(3) भूदृश्य के लिये प्रति हैक्टेयर 100 वृक्ष लगाये जायेंगे और खुले स्थान का 40% हरियाली द्वारा आवृत्त किया जायेगा।

(4) आगे की ओर गली की न्यूनतम चौड़ाई—16 मी०।

(5) पार्किंग की व्यवस्था 50 व०मी० तक के फर्श-क्षेत्रफल की आवासीय इकाइयों के लिये प्रति आवासीय इकाई 0.28 कार स्थान की दर से, 50 व० मी० से अधिक और 90 व० मी० तक के फर्श-क्षेत्रफल आवासिय की इकाइयों के लिये प्रति आवासीय इकाई 0.55 कार स्थान की दर से और 90 व०मी० से अधिक के फर्श-क्षेत्रफल की आवासीय इकाइयों के लिये प्रति इकाई 1.15 कार स्थान की दर से की जायेगी।

आवृत्त गैरेजों का क्षेत्रफल, यदि उनकी व्यवस्था होगी, कुल पार्किंग आवश्यकता में से घटा दिया जायेगा।

(ग) नई दिल्ली और सिविल लाइन्स के बंगला क्षेत्र के मामले में वर्तमान आवश्यकता को बनाये रखते हुए अलग विनियम बनाये जायें।

विदेशी मिशन (006)

तल कवरेज	: 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 75
अधिकतम ऊंचाई	: 14 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज की सीमा तक के लिये दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात से निकाल दिया जायेगा।

होस्टल (007)

न्यूनतम प्लाट साइज	: 2000 व०मी०
तल कवरेज	: 33.33%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 100
अधिकतम ऊंचाई	: 26 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—आठ

(2) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज की सीमा तक दी जायेगी और वह केवल पार्किंग एवं सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा और फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में गिना नहीं जायेगा।

(3) आगे की ओर न्यूनतम मार्गाधिकार—22 मी०

(1) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और 50% अनुमेय खाली स्थान हरियाली से आवृत्त किया जायेगा।

गैस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस एवं लॉजिंग हाउस (008)

न्यूनतम प्लाट साइज	: 500 व०मी०
तल कवरेज	: 33.33%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 100
अधिकतम ऊंचाई	: 14 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—चार

(2) आगे की ओर न्यूनतम मार्गाधिकार—22 मी०

(3) 500 व०मी० तक के प्लाट पर कम से कम दो वृक्ष और प्लाट के प्रत्येक 100 व०मी० क्षेत्र के लिये अतिरिक्त एक वृक्ष सहित हरियाली के लिये खुले स्थान का 10% कोने रहित छोड़ने के लिये।

धर्मशाला, बारातघर और रैन बसेरा (009, 010 तथा 011)

न्यूनतम प्लाट साइज	: 200 व०मी०
तल कवरेज	: 40%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 80
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—दो

(2) आगे की ओर न्यूनतम मार्गाधिकार—16 मी०

(3) हरियाली के लिये खुले स्थान का 10% कोने रहित छोड़ने के लिये और 500 व०मी० तक के प्लाट पर कम से कम दो वृक्ष और प्लाट के प्रत्येक 100 व०मी० क्षेत्र के लिये अतिरिक्त एक वृक्ष लगाया जायेगा।

सुविधा खरीददारी (016)

न्यूनतम प्लाट साइज	: 800 व० मी०
तल कवरेज	: 40%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 40
अधिकतम ऊंचाई	: 5 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) सड़कें एवं सर्विसें होंगी।

(2) केन्द्र में फल और सब्जी की दुकानों सहित 25 से 30 तक औपचारिक दुकानें और 10 से 20 तक अनौपचारिक दुकानें होंगी।

(3) पार्किंग की व्यवस्था फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 व० मी० 1.3 कार स्थान की दर से की जायेगी।

स्थानीय खरीददारी केन्द्र (017)

न्यूनतम प्लाट साइज	3000 व०मी०
(1) सड़कें एवं सर्विसें	
तल कवरेज	: 35%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 100
अधिकतम ऊंचाई	: 14 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की न्यूनतम संख्या—तीन

(2) स्थानीय खरीददारी केन्द्र का 80% प्लाट क्षेत्रफल खुदरा एवं वाणिज्य के लिये उपयोग किया जाये।

(1) केन्द्र में फल और सब्जी की दुकानों सहित 55 से 65 तक औपचारिक दुकानें और 25 से 30 तक अनौपचारिक दुकानें हो सकती हैं।

(4) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जायेगा।

(5) पार्किंग की व्यवस्था फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 व०मी० 1 कार स्थान की दर से की जायेगी।

(ख) सर्विस केन्द्र

स्थानीय खरीददारी केन्द्र का 20% प्लाट क्षेत्रफल सर्विस केन्द्र के लिये प्रयोग किया जायेगा। विनियम सर्विस केन्द्र के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये हैं।

समुदाय केन्द्र

न्यूनतम प्लाट साइज : 25000 व०मी०

(क) खुदरा एवं वाणिज्य (सिनेमा)

तल कवरेज : 25%

फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 100

अधिकतम ऊंचाई : 14 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—चार

(2) स्थानीय शहरी फार्म की उपलब्धता के लिये एक या दो बिल्डिंगें 26 मी० ऊंची होंगी।

(3) केन्द्र में 300 से 350 तक औपचारिक दुकानें, 125 से 150 अनौपचारिक दुकानें, 2 सिनेमा और एक होटल हो सकते हैं। होटल के विनियम होटल के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये हैं।

(4) समुदाय केन्द्र का 85% प्लाट क्षेत्रफल खुदरा और वाणिज्य (सिनेमा) के लिये उपयोग किया जाये।

(5) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसेज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जायेगा।

(6) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और खाली स्थान का 40% स्थान हरियाली से आवृत किया जायेगा।

(7) पार्किंग की व्यवस्था खुदरा का प्रति 100 व० मी० फर्श-क्षेत्रफल 1.9 कार स्थान, वाणिज्य का प्रति 100 व०मी० फर्श-क्षेत्रफल 0.7 कार स्थान और सिनेमा के लिये प्रति 25 सीटें 1 कार स्थान की दर से की जायेगी।

(ख) फल और सब्जी बाजार

तल कवरेज : 40%

फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 40

अन्य नियंत्रण :

(1) समुदाय केन्द्र का 5% प्लाट क्षेत्रफल फल और सब्जी बाजार के लिये उपयोग किया जाये।

(2) केन्द्र में 35 से 45 तक औपचारिक दुकानें और 40 से 50 तक अनौपचारिक दुकानें हो सकती हैं।

(3) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जायेगा।

(4) वृक्ष प्लाट का प्रति 100 व०मी० 2 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली द्वारा आवृत किया जायेगा।

(5) पार्किंग की व्यवस्था फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 व०मी० में 7 कार स्थान की दर से की जायेगी।

(ग) [illegible]

समुदाय केन्द्र का 10% प्लाट क्षेत्रफल सर्विस केन्द्र के लिये उपयोग किया जाये। विनियम सर्विस केन्द्र के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये हैं।

समुदाय केन्द्र की कवरेज, फर्श-क्षेत्रफल अनुपात का एकीकृत तर के से उपयोग करके नियोजित किया जाये।

जिला केन्द्र

10% से 20% तक अतिरिक्त क्षेत्र का व्यवस्था जिला केन्द्र में एकीकृत तर के से खाली स्थान रखने के लिये की जायेगी और यह तल कवरेज और फर्श-क्षेत्रफल अनुपात के लिये हिसाब में नहीं गिना जायेगा।

(क) खुदरा खरीददारी (सिनेमा)

तल कवरेज : 30%

फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 75

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की संख्या—तीसरा

(2) केन्द्र में 1600 से 2000 तक औपचारिक दुकानें, 750 से 950 तक अनौपचारिक दुकानें और 3 सिनेमा हाल होंगे।

(3) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जायेगा।

(4) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और खुले स्थान का 40% हरियाली द्वारा आवृत किया जायेगा।

(5) पार्किंग की व्यवस्था खुदरा का प्रति 100 व०मी० फर्श-क्षेत्रफल 2.2 कार स्थान और सिनेमा का प्रति 25 सीटें 1 कार स्थान की दर से की जायेगी।

(ख) व्यावसायिक कार्यालय

तल कवरेज : 25%

फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 125

अन्य नियंत्रण :

(1) केन्द्र में 600 से 750 तक औपचारिक दुकानें, 250 से 350 तक अनौपचारिक दुकानें और 3 सिनेमा हाल हो सकते हैं।

(2) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जायेगा।

(3) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली से आवृत किया जायेगा।

(4) पार्किंग की व्यवस्था व्यावसायिक कार्यालय का प्रति 100 व० मी० फर्श-क्षेत्रफल [illegible] कार स्थान और सिनेमा के लिये प्रति 25 सीटें 1 कार स्थान की दर से की जायेगी।

(ग) सर्विस केन्द्र

सर्विस केन्द्र के विनियम सर्विस केन्द्र के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये हैं।

(घ) सुविधाएं

उसमें बस टर्मिनल, अग्नि-शमन चौकी, पुलिस चौकी, टैक्सी फोन-केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, होगी और उनके विनियम संबंधित परिसरों के अन्तर्गत अलग से दिये गये हैं।

(च) सांस्कृतिक कार्यक्रम

तल कवरेज : 25%

फर्श क्षेत्रफल अनुपात : 100

अन्य नियंत्रण :

(1) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली से आवृत किया जायेगा।

(छ) होटल

विनियम होटल के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये हैं।

जिला केन्द्र का नियोजन कवरेज और फर्श-क्षेत्रफल अनुपात का एकीकृत तरीके से उपयोग करके किया जाये।

उप केन्द्रीय व्यापार जिला

अनुमत अधिकतम ऊंचाई 26 मी० होगी और एक या दो मंजिलों को 50 मी० ऊंचाई हो सकती है।

(क) खुदरा खरीददारी (सिनेमा) (ख) व्यावसायिक कार्यालय

(ग) सर्विस केन्द्र (घ) सुविधाएं (च) सांस्कृतिक कार्यक्रम और (छ) होटल के विनियम वही होंगे, जो जिला केन्द्र में उल्लिखित हैं।

(ज) थोक/भाण्डागार

थोक और भाण्डागार के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये विनियम लागू होंगे।

व्यावसायिक प्लाट—खुदरा एवं वाणिज्य

(क) महानगरीय नगर केन्द्र

तल कवरेज : 25%

फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 250

अन्य नियंत्रण :

(1) ये विनियम कनाट प्लेस और इसके एक्सटेंशन महानगरीय नगर केन्द्र पर लागू होंगे।

(2) प्लाट का साइज व्यावसायिक क्षेत्र के डी०डी०ए० पर निर्भर करेगा और कनाट प्लेस तथा इसके एक्सटेंशन में प्लाट के किसी उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) अनुमत फर्श-क्षेत्रफल अनुपात शहरी डिजाइन अध्ययन के अधीन होगा।

(4) आगे की ओर 15 मी० चौड़ी सड़क वाले प्लाटों के सामने में सैटबैक इस प्रकार होगा—अग्र भाग 15 मी० पिछला भाग 6 मी०, साइड 4.5 मी०।

आगे की ओर 30 मी० या इस चौड़ी सड़क वाले प्लाट के लिये सैटबैक इस प्रकार होगी—अग्र भाग 12 मी० पिछला भाग 6 मी०, साइड 4.5 मी०।

(5) पार्किंग की व्यवस्था खुदरा का फर्श-क्षेत्रफल प्रति 100 वर्गमी० 2.2 कार स्थान, सिनेमा की प्रति 25 सीटें। कार स्थान और व्यावसायिक कार्यालय का फर्श-क्षेत्रफल प्रति 100 वर्गमी० 0.7 कार स्थान की दर से की जायेगी।

(ख) आसफ अली रोड

दिल्ली गेट-अजमेरी गेट खंड में व्यावसायिक पट्टी के रूप में विकास वाले क्षेत्र के लिये निम्नलिखित विविध नियंत्रण विनियम होंगे :—

तल कवरेज : 80%

फर्श क्षेत्रफल अनुपात : 300

अधिकतम ऊंचाई : 20 मी०

सैटबैक : शून्य

अन्य नियंत्रण :

(1) फर्श-क्षेत्रफल अनुपात के निम्नलिखित विभाग (सहित अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या पांच होगी :—

निचली मंजिल : 80

पहली मंजिल : 70

दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल प्रत्येक : 50

(2) तहखाने की अनुमति सर्विसिज और रैम्प-स्लोप के लिये अधिकतम निचली मंजिल तक दी जायेगी और वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में निकाल दिया जायेगा।

(3) पार्किंग की व्यवस्था खुदरा व्यापार का फर्श क्षेत्रफल प्रति 100 वर्ग मी० 2.2 कार स्थान, सिनेमा का प्रति 25 सीटें, 1 कार स्थान और व्यावसायिक कार्यालय का फर्श क्षेत्रफल प्रति 100 वर्गमी० 0.7 कार स्थान की दर से की जायेगी।

अधिसूचित व्यावसायिक केन्द्र

(क) केन्द्रीय बाजार—लाजपत नगर

इस कालोनी में पुनर्विकास संबंधित विद्यमान तल कवरेज होगा। तहखाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) साउथ एक्स० मार्केट

साउथ एक्स०ए० में एक सजिला नगरपालिका बाजार बने रहने दिया जायेगा। मुख्य नगरपालिका बाजार के इर्द-गिर्द अन्य दुकानों का उसी प्रकार के जिसी एक्सटेंशन ब्लाक में पुनर्संतुलन किया जाये। तल कवरेज अधिकतम 50% तक प्रतिबंधित किया जायेगा।

(ग) मालवीय नगर बाजार

इस बाजार को विद्यमान स्थिति में रहने दिया जायेगा। किसी प्रकार के परिवर्धन और परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और अतिरिक्त अधिसूचनाओं को हटाया जायेगा।

(घ) [illegible] एक्सटेंशन

इस कालोनेक्स का विकास पहले ही स्कीम के अनुसार किया गया है, तथापि यह बिखरा सा लगता है। ग्रुप्तशिल्प की दुकानों की आवश्यकता पूर्ति के लिये एक मंजिले खरीददारी आंकड़े कनेक्शनों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(च) सरिता बाजार—कनाट प्लेस

यह एक भूमिगत खरीददारी केन्द्र है। तहखाने की सीमा का विस्तार नहीं किया जायेगा। बाजार के [illegible] से किसी अतिरिक्त का विस्तार नहीं किया जायेगा।

(छ) [illegible] एक्सटेंशन

का कवरेज और फर्श क्षेत्रफल अनुपात की सीमा वही रहेगी जो इस समय विद्यमान है।

(ज) कमला मार्केट—अजमेरी गेट

विद्यमान नगरपालिका बाजार को बने रहने दिया जायेगा। नगरपालिका बाजार की पुनर्रेखा में आने के अनधिकृत निर्माण संरचनाओं को हटा दिया जायेगा।

(1) आधुनिक खरीददारी केन्द्र—सीरी फोर्ट

तल कवरेज	: 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 50
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक खरीददारी केन्द्र होगा, इसलिये आवासिक भाग के कई प्रकार के स्तर हो सकते हैं परन्तु अधिकतम अनुमत्य मंजिलों की संख्या दो तक प्रतिबंधित होगी।

(2) फर्श-क्षेत्रफल अनुपात के अलावा दो तहखानों की अनुमति दी जायेगी। एक खरीददारी कार्य-कलाप के लिये और दूसरा पार्किंग तथा एयर कंडीशनिंग, जैनरेटर आदि जैसी सर्विसिज के लिये।

(3) खाली स्थान के 50% स्थान पर भूदृश्य का विकास किया जायेगा और वह अभ्यंतरों और टैरेसों सहित उचित फार्म में एकीकृत किया जाना चाहिये।

(4) महानगरीय यात्री टर्मिनल, आंध्रसेन में संलग्न व्यावसायिक केन्द्र

तल कवरेज	: 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 100
अधिकतम ऊंचाई	: 17 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) होटल और सिनेमा की अनुमति व्यावसायिक केन्द्र में दी जायेगी।

(2) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—चार

(3) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जायेगा।

(4) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली से आवृत किया जायेगा।

(5) पार्किंग की व्यवस्था खुदरा का प्रति 100 वर्गमी० फर्श क्षेत्रफल 1.9 कार स्थान और वाणिज्य का प्रति 100 वर्गमी० फर्श-क्षेत्रफल 0.7 कार स्थान की दर से की जायेगी। यदि व्यावसायिक केन्द्र में सिनेमा और होटल की व्यवस्था की जायेगी तो होटल का प्रति 100 वर्गमी० फर्श-क्षेत्रफल 2.1 कार स्थान और सिनेमा की प्रति 25 सीटें 1 कार स्थान की दर से अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(6) व्यावसायिक केन्द्र—लक्ष्मीबाई नगर

तल कवरेज	: 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 100
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) व्यावसायिक केन्द्र में मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यकलाप होंगे।

(2) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—चार।

(3) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली से आवृत किया जायेगा।

(4) पार्किंग की व्यवस्था प्रति 100 वर्गमी० फर्श क्षेत्रफल 0.7 कार स्थान की दर से की जायेगी।

(5) व्यावसायिक केन्द्र—कामरनिक रोड

तल कवरेज	: 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 50
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी०

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—दो

(2) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जायेगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जायेगा।

(3) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जायेंगे और और खाली स्थान का 50% हरियाली से आवृत किया जाएगा। विद्यमान वृक्ष नहीं काटे जाने चाहिएं।

(4) पार्किंग की व्यवस्था प्रति 100 व० मी० फर्श-क्षेत्रफल 0.7 कार स्थान की दर से की जाएगी।

(7) व्यावसायिक केन्द्र—नेहरू नगर
(रिंग रोड के निकट)

तल कवरेज	: 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 150
अधिकतम ऊंचाई	: 26 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) व्यावसायिक केन्द्र में केवल व्यावसायिक कार्यकलाप होंगे।

(2) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या आठ होगी और एक या दो तहखाने मंजिलें हो सकती है। उसके अधिकतम ऊंचाई के लिए 50 मी. तक की छूट दी जाए।

(3) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा।

(4) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली से आवृत किया जाएगा।

(5) पार्किंग की व्यवस्था प्रति 100 व.मी. फर्श-क्षेत्रफल 0.7 कार स्थान की दर से की जाएगी।

(8) प्रेस-क्षेत्र बहादुरशाह जफर मार्ग—बहादुरशाह जफर मार्ग के पूर्वी ओर का क्षेत्र, जहां समाचारपत्र प्रेस और कार्यालय स्थित हैं, उपयोग जोन सी। अर्थात् समान्य व्यापार एवं वाणिज्य के अन्तर्गत आयेगा और उसके निम्नलिखित भवन नियंत्रण विनियम होंगे —

तल कवरेज	: 80%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 300
अधिकतम ऊंचाई	: 30 मी
सेटबैक	: शून्य

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या फर्श-क्षेत्रफल अनुपात के निम्नलिखित वितरण सहित पांच होगी।

निचली मंजिल	: 80
पहली मंजिल	: 70
दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल प्रत्येक	: 50

(2) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक सर्विसिज और रख-रखाव के लिए दी जाएगी और वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात से निकाल दिया जाएगा ।

(3) पार्किंग की व्यवस्था प्रति 100 व.मी. फर्श-क्षेत्रफल 0.7 कार स्थान की दर से की जाएगी ।

उपर्युक्त व्यावसायिक केन्द्रों के अलावा किन्हीं विशेष कारणों से प्राधिकरण किसी भी व्यावसायिक केन्द्र/केन्द्र या उसके किसी भाग को अश्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र के रूप में घोषित कर सकता है और वह उन विनियमों का निर्धारण कर सकता है, जो कार्य और पर्यावरण के अनुकूल होंगे ।

थोक व्यापार/गोदामघर

(एकीकृत विकास)

(019 तथा 020)

न्यूनतम प्लाट साइज	: 1000 व.मी.
तल कवरेज	: 20%
फर्श क्षेत्रफल अनुपात	: 60
अधिकतम ऊंचाई	: 14 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) तहखाने की अनुमति निचली मंजिली के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा ।

(2) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या —तीन

(3) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

(4) पार्किंग की व्यवस्था कर्मचारियों और आगन्तुकों की पार्किंग के लिए प्रति 100 व.मी. फर्श-क्षेत्रफल 1.23 कार स्थान की दर से की जाएगी ।

अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था माल चढ़ाने और उतारने के लिए प्रति 100 व.मी. फर्श क्षेत्रफल 2 ट्रकों के लिए स्थान की दर से की जाएगी ।

होटल

(032)

तल कवरेज	: 30%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 150
अधिकतम ऊंचाई	: 50 मी.

अन्य नियन्त्रण :

(1) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज के तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा ।

(2) फर्श-क्षेत्रफल अनुपात का 5% होटल के कार्य से संबंधित व्यावसायिक स्थान के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

(3) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खाली स्थान का 40% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

(4) पार्किंग की व्यवस्था फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 व.मी. 2.4 कार स्थान की दर से की जाएगी । खुली पार्किंग खुले क्षेत्र का 50% की सीमा तक अनुमति दी जाएगी ।

पब्लिक एवम् उपयोग

(034)

न्यूनतम प्लाट साइज	: 2000 व.मी.
तल कवरेज	: 30
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 120

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—चार

(2) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा ।

(3) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

सर्विस केन्द्र

(035)

(क) स्थानीय खरीददारी केन्द्र के भाग रूप में

न्यूनतम प्लाट साइज	: 1000 व.मी.
तल कवरेज	: 25%
फर्श क्षेत्रफल अनुपात	: 25
अधिकतम ऊंचाई	: 5 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) संरचनाएं एक मंजिली होंगी ।

(2) सर्विस केन्द्र में 15 औपचारिक दुकानें, 7 अनौपचारिक दुकानें और 1 ई.एस.एस. हो सकते हैं ।

(3) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा ।

(4) वृक्ष प्रति 100 व.मी. 2 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

(ख) समुदाय केन्द्र के भाग के रूप में

न्यूनतम प्लाट साइज	: 6200 व.मी.
तल कवरेज	: 25%
फर्श क्षेत्रफल अनुपात	: 50
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या—दो ।

(2) इसमें 30 औपचारिक दुकानें, 15 अनौपचारिक दुकानें, 2 गैस गोदाम, 1 पैट्रोल पम्प, 1 ई.एस.एस. और ऊपर की मंजिल पर व्यावसायिक कार्यालय हो सकते हैं ।

शीतागार की अनुमति 15 मी. की अधिकतम ऊंचाई तक के लिए दी जाएगी ।

(3) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा ।

(4) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

(ग) जिला केन्द्र/उप केन्द्रीय व्यापार जिला केन्द्र के भाग के रूप में सर्विस केन्द्र

न्यूनतम प्लाट साइज : 24000 व. मी.
तल कवरेज : 35%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 50
अधिकतम ऊंचाई : 14 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत मंजिलों की न्यूनतम संख्या—तीन

(2) सर्विस केन्द्र में 100 औपचारिक दुकानें, 50 अनौपचारिक दुकानें, 2 पैट्रोल पम्प और ऊपर की मंजिल पर व्यावसायिक कार्यालय हो सकते हैं ।

शीतागार की अनुमति 15 मी. की अधिकतम ऊंचाई तक के लिए दी जाएगी ।

(3) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा ।

(4) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

औद्योगिक प्लाट—हल्के एवं सर्विस उद्योग

(065)

न्यूनतम प्लाट साइज : 100 एम²

प्लाट साइज (व.मी.)	तल कवरेज (%)	फर्श क्षेत्रफल अनुपात
1. 100 से 400 तक	60%	120
2. 400 से अधिक और 1000 तक	50%	120
3. 1000 से अधिक	40%	80

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत अधिकतम मंजिलें तहखाना निचली मंजिल और पहली मंजिल होंगी । तहखाना निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक होना चाहिए और वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में गिना जाएगा ।

(2) मध्यतल की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) महानगरीय नगर केन्द्र में सर्विस उद्योग के मामले में अनुमत फर्श-क्षेत्रफल अनुपात 150 होगा ।

(4) 1000 व.मी. तक के प्लाटों में वृक्ष प्रति 100 व. मी. 2 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे ।

1000 व.मी. से अधिक के प्लाटों के मामलों में वृक्ष प्रति 200 व.मी. 3 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

उद्योग दुकान प्रकृति

न्यूनतम प्लाट : 30 व.मी.

प्लाट साइज (व.मी.)	तल कवरेज (%)	फर्श-क्षेत्रफल अनुपात
30 से 50 तक	100%	200

अन्य नियंत्रण :

(1) अनुमत अधिकतम मंजिलें निचली मंजिल और पहली मंजिल होंगी ।

(2) तहखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(067)

न्यूनतम प्लाट साइज : 400 व.मी.

क्र. सं.	प्लाट साइज (व.मी.)	तल कवरेज	फर्श-क्षेत्रफल अनुपात
1.	400 से 1000 तक	50%	50
2.	4000 से अधिक और 12000 तक	45%	45
3.	12000 से अधिक और 28,000 तक	40%	40
4.	28,000 से अधिक	30%	30

अन्य नियंत्रण :

(1) तहखाने की अनुमति निचली और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में गिना जाएगा ।

(2) मध्यतल की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) 1000 व.मी. तक के प्लाटों में वृक्ष प्रति 100 व.मी. 2 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे ।

1000 व.मी. से अधिक के प्लाटों के मामले में वृक्ष प्रति 200 व.मी. 3 वृक्ष लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

सरकारी कार्यालय एकीकृत कार्यालय काम्पलैक्स

(066, 067, 068 एवं 070)

न्यूनतम प्लाट साइज : 10,000 व.मी.
तल कवरेज : 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 150
अधिकतम ऊंचाई : 26 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) एकीकृत कार्यालय काम्पलैक्स में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थानीय सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय और न्यायालय शामिल हैं ।

(2) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पार्किंग और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा ।

(3) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 40% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

(4) पार्किंग की व्यवस्था फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 व.मी. 1.7 कार स्थान की दर से की जाएगी और वह आवृत या खुली हो सकती है ।

अस्पताल

(071)

न्यूनतम प्लाट साइज : 6000 व. मी.
तल कवरेज : 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात : 100
अधिकतम ऊंचाई : 26 मी.

कम्प्लैक्स में म्युनिसिपल कार्यालय जैसे नियुक्त उपयोग परिसर नियमानुसार बिल्डिंग आयतन में बने रहने दिए जायेंगे। किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की जांच संरक्षण की समग्र नीति व्यवस्था के अन्दर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

(ख) करोल बाग

(1) फेज रोड, देशबन्धु गुप्ता रोड, स्वामी दयानन्द सरस्वती मार्ग, आर्य समाज [illegible] मार्ग (न्यू पूसा मार्ग), सरदार पटेल मार्ग जाने वाली रोड, बंकिम चन्द्र चटर्जी मार्ग, पूसा फेज तक ले जाने वाली रोड, पूसा रोड, गुरुद्वारा रोड, आर्य समाज रोड और फेज तीन को बाईपास आदि मार्गों से घिरे हुए क्षेत्र में आवास को छोड़कर अन्य उपयोगों—जिनके नाम हैं—खुदरा, मरम्मत एवं कामिक सेवा दुकान, व्यावसायिक कार्यालय, बैंक और स्थानीय सरकारी कार्यालय को उन सभी प्लाटों की निचली मंजिल पर अनुमति दी जाएगी, जिनके आगे वे सड़कें हों जो 18 मी. से कम मार्गाधिकार की न हों इसी प्रकार की शर्तों सहित इन उपयोगों की अनुमति देशबन्धु गुप्ता रोड के दूसरी ओर भी एक प्लाट डैप्थ तक दी जाएगी। अस्पताल, डिस्पैन्सरियां, कालिज, स्कूल, पुलिस स्टेशन, अग्नि-शमन केन्द्र, डाक-घर, स्थानीय सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थान आदि जैसे सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों और सेवाओं को उनकी वर्तमान अवस्थितियों में बने रहने दिया जाएगा। इसमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन योजना में निर्धारित समग्र नीति व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

(2) देशबन्धु गुप्ता रोड, गुरुद्वारा रोड, टैंक रोड और सरस्वती मार्ग द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में उपर्युक्त उपयोग सभी प्लाटों पर अनुमत हैं, यदि क्षेत्र के लिए तैयार की जाने वाली विस्तृत शहरी डिजाइन परियोजना के अनुसार बाद में आवश्यकता पड़ने पर सड़क को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा गया हो। चार-दीवारी शहर के लिए निर्धारित सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक तथा सेवाओं का खण्ड इस क्षेत्र पर भी लागू होगा।

2. उपयोग परिसरों के अन्दर बिल्डिंग/बिल्डिंगों के लिए नियंत्रण :

तल कवरेज	: 80 प्रतिशत
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 200
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी.
सैटबैक	: शून्य

अन्य नियंत्रण :

प्रत्येक परिसर में खुला प्रांगण इस प्रकार नियोजित किया जाएगा कि वह पीछे या साइडों के परिसर के खुले प्रांगण के निकट पड़े।

(ग) विशेष उपयोग जोन क्षेत्र:

विशेष उपयोग जोन के रूप में अंकित क्षेत्रों का विकास उस विधि से सम्बंधित उपयोग जोन विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो सब-डिवीजन के सम्बद्ध खण्डों और बिल्डिंग नियंत्रण विनियमों में निर्धारित है।

(घ) शहरी नवीकरण क्षेत्र (संरक्षी काट-छांट)

विशेष क्षेत्रों के अलावा [illegible] आते हैं, जिनमें (क) चार-दीवारी का शहर (ख) केरोल बाग और (ग) विशेष उपयोग जोन क्षेत्र नामक पहले तीन क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इन क्षेत्रों का विकास योजना की समग्र नीति व्यवस्था के अन्दर तैयार की जाने वाली संबंधित, व्यापक पुनर्विकास स्कीमों के अनुसार होगा। इन व्यापक पुनर्विकास स्कीमों में उन कुछ क्षेत्रों के योजना उपकरण के रूप में संरक्षी काट-छांट भी शामिल हो सकती है, जहां उसकी आवश्यकता हो। विशेष क्षेत्र प्लान में उपयोग जोन शहरी नवीकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विभिन्न पार्सलों में अंकित किए गए हैं। इन पार्सलों को विभिन्न उपयोग जोनों के लिए योजनाबद्ध किया जाएगा। विभिन्न उपयोग जोनों के लिए पुनर्विकास स्कीमों पर सामान्यतः विकास संहिता में निर्धारित विनियम लागू किए जायेंगे। तथापि, प्राधिकरण उस स्थिति में उपयुक्त विनियम अपना सकता है, जब निर्धारित सामान्य विनियम या तो व्यवहार्य न हों या उन्हें अपनाया जाना उचित न हो।

(3) अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 के रूप में "योजना-मानीटरिंग एवं पुनरीक्षण" जोड़ा जाएगा।

योजना मानीटरिंग के दो मुख्य उद्देश्य हैं :

(1) मनुष्य—व्यवस्थापन करने संबंधी सामाजिक-आर्थिक और कार्यात्मक कार्यकुशलता को मानीटर किया जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक परिवर्तन का पता लगाया जा सके और उचित उपायों द्वारा कार्रवाई की जा सके।

(2) योजना को अवसार उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक शक्तियों के प्रति अनुक्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना कार्यान्वयन ढांचे में मानीटरिंग पद्धति होनी चाहिए। प्रभावी मानीटरिंग ढांचा [illegible] अवांछित विकास को रोकना काफी सीमा तक [illegible] प्रस्ताव पर आधारित है :—

(1) कोई भी लम्बे रेंज की शहरी विकास [illegible] लागू नहीं की जा सकती।

(2) योजना योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान होने वाली घटनाओं और उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक और अन्य शक्तियों के प्रति अनुक्रियाशील होनी चाहिए।

(3) होने वाली घटनाओं और उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक शक्तियों और योजना की प्रतिक्रिया के बीच की अवधि में अवांछित विकास की प्रवृत्त स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

(4) अवांछित वृद्धि को रोकने के लिए अनुक्रियाशील योजना के लिए वैज्ञानिक मानीटरिंग व्यवस्था की आवश्यकता है।

(1) योजना में निर्धारित भौतिक सूचकों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए; और

(2) योजना नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए नगर में हुए भौतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का पता लगाने के लिए मानीटरिंग ढांचे की आवश्यकता है।

विभिन्न क्षेत्रों के कार्य का अनुमान लगाने के लिए भौतिक सूचकों के मामले में पहलुओं की बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है। मुख्यरूपेण एवं निश्चित कार्य के लिए कुछ चुने हुए पहलुओं के लिए भौतिक सूचक निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। भौतिक सूचकों को जैसा प्रत्येक के आगे निर्दिष्ट किया गया, वास्तविक रूप से, 5 वर्ष बाद या मध्यावधि (1992) पर मानीटर किया जाए।

धार्मिक परिसर
(107)

तल कवरेज	: 35%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 70
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) बिल्डिंग सहित गुम्बद, घन्टा, टावर-शिखर आदि की ऊंचाई 17 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(2) पार्किंग की व्यवस्था परिसर के अन्दर की जाएगी और प्लान में दिखाई जाएगी ।

पुलिस चौकी
(109)

तल कवरेज	: 35%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 70
अधिकतम ऊंचाई	: 14 मी.

अन्य नियंत्रण :

तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में गिना जाएगा ।

पुलिस स्टेशन/अग्नि-शमन चौकी/अग्नि-शमन केन्द्र
(110, 115 एवं 116)

तल कवरेज	: 25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 100
अधिकतम ऊंचाई	: 17 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में गिना जाएगा ।

(2) प्लाट क्षेत्रफल का 25% स्टाफ आवास के लिए उपयोग किया जा सकता है और समूह आवास के विनियम आवास के लिए निर्धारित क्षेत्र पर लागू होंगे ।

(3) वृक्ष फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 व.मी. 2 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे ।

डाकघर/तार-घर/कार्यालय/प्रधान डाकघर
(118 एवं 119)

तल कवरेज	25%
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	100
अधिकतम ऊंचाई	17 मी.

अन्य नियंत्रण :

(1) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और वह फर्श-क्षेत्रफल अनुपात में गिना जाएगा ।

(2) वृक्ष फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 व.मी. 2 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 50% हरियाली से आवृत किया जाएगा ।

9.0

विशेष क्षेत्र विनियम

यहां पर परिभाषित विशेष क्षेत्र, जो विकास संहिता के अंतर्गत चिह्नित किया जाएगा, लगभग 2600 हैक्टेयर है । विशेष क्षेत्र चार अलग भागों में विभाजित किया गया है—(क) चार-दीवारी का शहर (ख) करोल बाग (ग) विशेष उपयोग जोन क्षेत्र और (घ) शहरी नवीकरण क्षेत्र । ये चार भाग विशेष क्षेत्र प्लान पर स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं ।

(क) चार-दीवारी का शहर :

1. उपयोग परिसरों में उपयोग/उपयोग कार्य-कलाप की अनुमति ।

(1) अन्य अनुकूल उपयोगों का प्रतिस्थापन करने के लिए हानिकर उद्योग और खतरनाक व्यापार (अनुबन्ध 5 पर दी गई सूची) सहित अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अन्दर चार-दीवारी के शहर से स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे ।

(2) अस्पताल, डिस्पेंसरियां, क्लीनिक, स्कूल, पुलिस स्टेशन, अग्नि-शमन केन्द्र, डाकघर, स्थानीय सरकारी कार्यालय, पार्किंग स्थान आदि जैसे सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग और सेवाएं अपनी वर्तमान अवस्थितियों में बनी रहेंगी । कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन योजना में निर्धारित समग्र नीती व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा ।

2 उपयोग परिसर के अन्दर बिल्डिंग/बिल्डिंगों के लिए नियंत्रण पम्परागत क्षेत्रों में परिसरों के लिए भवन अनुमति निम्नलिखित मार्ग-निर्देशक रेखाओं के अनुसार दी जाएगी :

तल कवरेज	: 80 प्रतिशत
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 200
अधिकतम ऊंचाई	: 12 मी.
सैटबैक	: शून्य
कुर्सी	: 0.5 से 2.0 मी. तक

अन्य नियंत्रण :

(1) बिल्डिंग के पुनर्निर्माण की अनुमति व्यावहारिक रूप से विद्यमान फार्म और स्टाइल में करने के लिए दी जाएगी ।

(2) परम्परागत सजावट की विशेषताओं सहित बिल्डिंग के निर्माण की अनुमति ईंट या ईंटों की टाइलों, पत्थर, इलवा, लोहा और लकड़ी जैसी बिल्डिंग-सामग्री सहित दी जाएगी ।

(3) प्रस्तावित निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत करते समय (छज्जे, आले, कार्निस, खिड़कियां, प्रक्षेपण, लोहे और पत्थर की जालियों का विवरण जैसी) वास्तुशिल्पीय विशेषताएं स्पष्ट करते हुए, ऊंचाई और आमों सहित विद्यमान सभी तलों के विद्यमान प्लान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो नए निर्माण के अपनाए जाने हों ।

3. चार-दीवारी शहर के अन्दर उपनिवेशी और आजादी के बाद की अवधि से सम्बन्धित परम्परागत विकास के अलावा अन्य विकास क्षेत्र हैं । सम्बन्धित विकास के लिए अपनाए जाने वाले बिल्डिंग नियंत्रण विनियम निम्नलिखित होंगे :—

(1) दरियागंज : ले-आउट प्लान एक बार प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होने और विकास संहिता के अनुसार घोषित होने के बाद विकास-कार्य करने का आधार बन जाएगा । बिल्डिंग नियंत्रण विनियम वही होंगे, जो विद्यमान आवासीय क्षेत्रों के बिल्डिंग नियंत्रण विनियम के अध्याय में दिए गए हैं ।

(2) चांदनी चौक : चांदनी चौक के दोनों ओर की एक मंजिली मार्किट बनी रहेगी ।

(3) जामा मस्जिद का निकटवर्ती स्कूल, प्रेजेन्टेशन कान्वन्ट स्कूल एवं चर्च, कश्मीरी गेट का चर्च, पुराना हिन्दू कालिज बिल्डिंग

काम्प्लेक्स में म्युनिसिपल कार्यालय और विशेष उपयोग परिसर विद्यमान बिल्डिंग आपस में सटे रहने दिए जायेंगे। किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की जांच संरक्षण की समग्र नीति व्यवस्था के अन्दर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

(ख) करोल बाग

(1) फेज रोड, देशबन्धु गुप्ता रोड, गुरुद्वारा रोड, सरस्वती मार्ग, आर्य समाज [illegible] मार्ग (न्यू पूसा रोड), राजेन्द्र रोड तक आने वाली रोड, बंकिम चन्द्र चटर्जी मार्ग, पूसा रोड तक ले जाने वाली रोड, पूसा रोड, गुरुद्वारा रोड, आर्य समाज रोड और फेज रोड को वापस आदि मार्गों से घिरे हुए क्षेत्र में आवास को छोड़कर अन्य उपयोगों---जिनके नाम हैं---बुटरी, मरम्मत एवं कॉमिक सेवा दुकान, व्यावसायिक कार्यालय, बैंक और स्थानीय सरकारी कार्यालय की उन सभी प्लाटों की निचली मंजिल पर अनुमति दी जाएगी, जिनके आगे वे सड़कें हों जो 18 मी. से कम मार्गाधिकार की न हों इसी प्रकार की शर्तों सहित इन उपयोगों की अनुमति देशबन्धु गुप्ता रोड के दूसरी ओर भी एक प्लाट डैप्थ तक दी जाएगी। अस्पताल, डिस्पैन्सरियां, क्लिनिक, स्कूल, पुलिस स्टेशन, अग्नि-शमन केन्द्र, डाक-घर, स्थानीय सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थान आदि जैसे सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों और सेवाओं को उनकी वर्तमान अवस्थितियों में बने रहने दिया जाएगा। इसमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन योजना में निर्धारित समग्र नीति व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

(2) देशबन्धु गुप्ता रोड, गुरुद्वारा रोड, टैंक रोड और सरस्वती मार्ग द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में उपर्युक्त उपयोग सभी प्लाटों पर अनुमत हैं, यदि क्षेत्र के लिए तैयार की जाने वाली विस्तृत शहरी डिजाइन परियोजना के अनुसार बाद में आवश्यकता पड़ने पर सड़क को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा गया हो। चार-दीवारी शहर के लिए निर्धारित सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक तथा सेवाओं का खण्ड इस क्षेत्र पर भी लागू होगा।

2. उपयोग परिसरों के अन्दर बिल्डिंग/बिल्डिंगों के लिए नियंत्रण :

तल कवरेज	: 80 प्रतिशत
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात	: 200
अधिकतम ऊंचाई	: 11 मी.
सैटबैक	: शून्य

अन्य नियंत्रण :

प्रत्येक परिसर में खुला प्रांगण इस प्रकार नियोजित किया जाएगा कि वह पीछे या साइडों के परिसर के खुले प्रांगण के निकट पड़े।

(ग) विशेष उपयोग जोन क्षेत्र:

विशेष उपयोग जोन के रूप में अंकित क्षेत्रों का विकास उस विधि से सम्बंधित उपयोग जोन विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो सब-डिवीजन के सम्बद्ध खण्डों और बिल्डिंग नियंत्रण विनियमों में निर्धारित है।

(घ) शहरी नवीकरण क्षेत्र (संरक्षी काट-छांट)

विशेष क्षेत्रों के अन्दर [illegible] आते हैं, जिनमें (क) चार-दीवारी का शहर (ख) करोल बाग और (ग) विशेष उपयोग जोन क्षेत्र नामक पहले तीन वर्ग शामिल नहीं हैं। इन क्षेत्रों का विकास योजना की समग्र नीति व्यवस्था के अन्दर तैयार की जाने वाली संबंधित व्यापक पुनर्विकास स्कीमों के अनुसार होगा। इन व्यापक पुनर्विकास स्कीमों में उन कुछ क्षेत्रों के योजना उपकरण रूप में संरक्षी काट-छांट भी शामिल हो सकती है, जहां उसकी आवश्यकता हो। विशेष क्षेत्र प्लान में उपयोग जोन शहरी नवीकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विभिन्न पार्सलों में अंकित किए गए हैं। इन पार्सलों को निर्धारित उपयोग जोनों के लिए संलग्नकद्ध किया जाएगा। विभिन्न उपयोग वर्गों के लिए पुनर्विकास स्कीमों पर सामान्यतः विकास संहिता में निर्धारित विनियम लागू किए जायेंगे। तथापि, प्राधिकरण उन स्थिति में उपयुक्त विनियम अपना सकता है, जब निर्धारित सामान्य विनियम या तो व्यवहार्य न हो या उन्हें अपनाया जाना उचित न हो।

(3) अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 के रूप में "योजना-मानीटरिंग एवं पुनरीक्षण" जोड़ा जाएगा।

योजना मानीटरिंग के दो मुख्य उद्देश्य हैं :

(1) मनुष्य—व्यवस्थापन करने संबंधी सामाजिक-आर्थिक और कार्यात्मक कार्यकुशलता को मानीटर किया जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक परिवर्तन का पता लगाया जा सके और उचित उपायों द्वारा कार्रवाई की जा सके।

(2) योजना की अनावार उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक शक्तियों के प्रति अनुक्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना कार्यान्वयन ढांचे में मानीटरिंग पद्धति होनी चाहिए। प्रणाली मानीटरिंग द्वारा अंदर से ही अवांछित विकास को रोकना काफी मुश्किल है। यह निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधारित है :—

(1) कोई भी लम्बे रेंज की शहरी विकास योजना पूर्ण रूप लागू नहीं की जा सकती।

(2) योजना योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान होने वाली घटनाओं और उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक और अन्य शक्तियों के प्रति अनुक्रियाशील होनी चाहिए।

(3) होने वाली घटनाओं और उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक शक्तियों और योजना की प्रतिक्रिया के बीच की अवधि में अवांछित विकास को प्रबल स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

(4) अवांछित वृद्धि को रोकने के लिए अनुक्रियाशील योजना के लिए वैज्ञानिक मानीटरिंग व्यवस्था की आवश्यकता है।

(1) योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए; और

(2) योजना नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए उत्पन्न हुए भौतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का पता लगाने के लिए मानीटरिंग ढांचे की आवश्यकता है।

विभिन्न क्षेत्रों के कार्य का अनुमान लगाने के लिए भौतिक लक्ष्य के सामने में पहलुओं की बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है। मुख्यतः एवं निश्चित कार्य के लिए कुछ चुने हुए पहलुओं के लिए भौतिक लक्ष्य निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। भौतिक लक्ष्यों को जैसा प्रत्येक के आगे निर्दिष्ट किया गया, वास्तविक रूप से, 5 वर्ष बाद या मध्यावधि (1992) पर मानीटर किया जाए।

भौतिक विकास के लिए मानीटरिंग ढांचा :

भौतिक पार्वधान	इकाई	1990 तक लक्ष्य	2001 तक लक्ष्य	मानीटरिंग की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. भूमि परिग्रहण	हे.		27,000	1 वर्ष
2. भूमि विकास				
(क) [illegible]	हे.	1,700	12,000	1 वर्ष
(ख) [illegible]	हे.	230	1,800	1 वर्ष
3. [illegible]	स्कूलों की संख्या	1,75	[illegible]	1 वर्ष
4. आवास				
(क) आर्थिक दृष्टि से निर्मित एजेन्सी आवास	आवासीय इकाई (आ. ई.)			1 वर्ष
(ख) आर्थिक दृष्टि से निर्मित सरकारी आवास	आ. ई.	2,69,000	897,000	1 वर्ष
(घ) गन्दी बस्ती आवास	आ. ई.	21,000	49,000	1 वर्ष
(ङ) नियोजक आवास	आ.ई.	28,000	65,00	1 वर्ष
(छ) व्यक्तिगत प्लाटों पर आवास	आ. ई.	120,000	275,000	1 वर्ष
(ज) अनधिकृत इनफिल	आ. ई.	56,000	130,000	
5. समुदाय सुविधाएं				
(1) सामान्य अस्पताल	सं.	7	21	5 वर्ष
(2) मध्यवर्ती अस्पताल-ए	सं.	45	97	1 वर्ष
(3) मध्यवर्ती अस्पताल-बी	सं.	35	79	1 वर्ष
(4) पोलीक्लीनिक	सं.	20	45	1 वर्ष
(5) प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र	सं.	45	112	1 वर्ष
(6) नर्सिंग होम	सं.	30	74	1 वर्ष
(7) डिस्पेन्सरियां	सं.	240	450	1 वर्ष
आवासीय इकाई संख्या				
(8) प्राइमरी स्कूल	सं.	330	1060	1 वर्ष
(9) सीनियर सैकेन्डरी स्कूल	सं.	226	726	1 वर्ष
(10) एकीकृत स्कूल	सं.	45	143	1 वर्ष
(11) कालिज	सं.	28	69	1 वर्ष
(12) विश्वविद्यालय परिसर	सं.	2	3	10 वर्ष
(13) इंजीनियरी कालिज	सं.		1	10 वर्ष
(14) चिकित्सा कालिज	सं.	1	2	10 वर्ष
(15) विश्वविद्यालय	सं.		1	10 वर्ष
(16) पुलिस स्टेशन	सं.	32	79	1 वर्ष
(17) पुलिस चौकी	सं.	60	135	1 वर्ष
(18) पुलिस गाड़ियों के लिए वर्कशाप	सं.	1	2	5 वर्ष
(19) सिविल रक्षा डिविजनल कार्यालय	सं.	24	75	1 वर्ष
(20) मुख्य पुलिस बटालियन	सं	2	4	5 वर्ष
(21) होम गार्ड जोनल कार्यालय	सं.	5	9	5 वर्ष
(22) होम गार्ड जिला कार्यालय	सं.	4	9	5 वर्ष
(23) अग्निशमन केन्द्र उपअग्नि शमन केन्द्र	सं.	20	30	1 वर्ष
(24) मिल्क डेयरियां	सं.	1	2	10 वर्ष

(26) टेलीफोन केन्द्र	सं०	10	15	5 वर्ष
(27) डाकघर	सं०	75	149	1 वर्ष
(28) प्रधान डाकघर वितरण कार्यालय	सं	20	26	1 वर्ष
(29) प्रधान डाकघर* प्रशासनिक कार्यालय	सं.	6	11	5 वर्ष
(30) विभाग तार कार्यालय	सं.	6	11	5 वर्ष
(31) डाक-तार के लिए वर्कशाप	सं.	1	2	10 वर्ष
(32) डाक-तार उपस्कर भंडार	सं०	1	1	
	सं०	1	3	10 वर्ष
(33) अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान				
(34) सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं	सं.	3	10	10 वर्ष
5. संरक्षण एवं ग्रेड बढ़ाना :				
(1) चार-दीवारी का शहर				
(क) ट्राम	लाइन की लम्बाई (कि.मी.) यात्री क्षमता के अनुसार चल-स्टाक	4	8	5 वर्ष
(ख) खतरनाक उद्योगों का स्थानान्तरण करना	सं.	400	700	1 वर्ष
(ग) माल टर्मिनल	सं.	2	2	5 वर्ष
(घ) वि.प.नि. बस टर्मिनस	सं.	2	4	5 वर्ष
(च) भूमिगत पार्किंग	सं.	3	9	5 वर्ष
(छ) आवासीय कटरों का पुनर्विकास	कटरों की संख्या	500	1000	
	परिवारों की संख्या	6,000	20,000	1 वर्ष
(ज) क्षेत्रों में भौतिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना का सुधार	परिवारों की संख्या	18,000	60,000	1 वर्ष
(झ) शहर की दीवार की मरम्मत तथा उसका संरक्षण	कि.मी.		4.16 कि.मी. (थार) 5.20 कि.मी. (सी)	1 वर्ष
चार दीवारी के शहर के गेटों का संरक्षण और उनकी मरम्मत	सं		7 (थार) 1 (सी०)	1 वर्ष
(2) विशेष क्षेत्र में चार दीवारी के शहर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में संरक्षी कांट-छांट से शहरी नवीकरण		352 हे.	529 हे.	1 वर्ष
(3) पुनर्वास कालोनियों में भौतिक आधारिक संरचना	परिवारों की संख्या	60,000	200,000	1 वर्ष
(4) अनधिकृत कालोनियों में भौतिक आधारिक संरचना	परिवारों की संख्या	60,000	200,000	1 वर्ष
(5) शहरी गांवों में भौतिक आधारिक संरचना	गांवों की संख्या	80	120	1 वर्ष
6. सार्वजनिक उपयोगिता :				
(क) जल शोधन संयंत्रों को बढ़ाना	एम.जी.डी.	371	421	1 वर्ष
(ख) नए जल शोधन संयंत्रों का निर्माण	एम.जी.डी.	200	300	10 वर्ष
(ग) सीवरेज शोधन संयंत्रों को बढ़ाना	एम.जी.डी.	454	494	1 वर्ष
(घ) नए सीवरेज शोधन संयंत्रों का निर्माण	एम.जी.डी	50	250	10 वर्ष
(च) विद्युत वितरण पद्धति का विस्तार करना	एम. डब्ल्यू.	550	1850	1 वर्ष
(छ) सैनिटरी लैण्ड-फिल स्थान का विकास	हे.	200	200	5 वर्ष
(ज) कूड़ा-करकट गाड़ियों के लिए मरम्मत वर्कशाप स्थान का निर्माण	सं.	3	3	5 वर्ष
(झ) यमुना नदी के जल मार्ग को सुव्यवस्थित करना—उसके क्षेत्र का विकास करना	हे.	500	3,000	5 वर्ष
(ञ) जल नियंत्रण उपायों के लिए विद्यमान नालों का पुनः				

अतिरिक्त व्यवस्था

1	2	3	4	5
7. परिवहन :				
(क) हल्की रेल	रेल की लम्बाई (कि. मी.) चल-स्टाक (यात्री क्षमता में)	87	257	5 वर्ष
(ख) साईकेल ट्रैकों का निर्माण	कि.मी.		120	1 वर्ष
(ग) बस टर्मिनल का निर्माण	सं.	10	26	5 वर्ष
(घ) रेलवे टर्मिनलों का निर्माण	सं.	5	9	5 वर्ष
(ङ) अन्तर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण	सं.	2	4	5 वर्ष
(छ) फ्लाई ओवरों/निचले पुलों का निर्माण	सं.	15	45	1 वर्ष
(ज) सड़कों पर चल-स्टाक अर्थात् बी.टी.सी. बस	सं.	—	—	1 वर्ष
(झ) रिंग रेलवे के पास रोजगार केन्द्र	सं.	—	—	5 वर्ष
8. मनोरंजन :				
(क) डिवीजनल खेल-कूद केन्द्र	सं.	2	7	5 वर्ष
(ख) जिला खेल-कूद केन्द्र	सं.	44	84	1 वर्ष
(ग) निकटवर्ती पार्क	है.			1 वर्ष
(घ) निकटवर्ती खेल क्षेत्र	है.	480	720	1 वर्ष
(च) जिला स्तर बाल पार्क	सं.	7	11	5 वर्ष
(छ) यातायात प्रशिक्षण पार्क	सं.	5	10	5 वर्ष
(ज) पिकनिक हट	सं.	5	9	5 वर्ष
(झ) शीलों का विकास	है.	1	2	5 वर्ष
(ट) स्मारकों का संरक्षण		—	—	6 वर्ष
(ठ) नदी के अग्र भाग का विकास	है.	—	—	5 वर्ष
(ड) रिज का संरक्षण				1 वर्ष
9. सरकारी कार्यालय :				
(क) सरकारी कार्यालय कम्पलैक्स	है.	24	84	5 वर्ष
10. उद्योग :				
(क) विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र	है.	400	400	1 वर्ष
(ख) हल्के औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	16	35	1 वर्ष
(ग) विशिष्ट उद्योग :				
(1) इलैक्ट्रिकल्स और इलैक्ट्रोनिक्स	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	2	4	1 वर्ष
(2) रबड़ प्लास्टिक एवं पैट्रोलियम उत्पाद	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	2	4	1 वर्ष
(3) धातु एवं धातु उत्पाद (मशीनें औजार, परिवहन उपकरण और पुर्जे)	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	4	12	1 वर्ष
(4) फर्नीचर जुड़नार अन्य लकड़ी और कागज उत्पाद	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	2	5	1 वर्ष
(5) सूती एवं तन्तु वस्त्र उत्पाद	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	2	4	1 वर्ष
(6) खाद्य एवं पेय पदार्थ	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	—	1	1 वर्ष
(7) रसद्रव्य एवं रसायनिक उत्पाद	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	—	—	1 वर्ष
(8) विविध उत्पाद	औद्योगिक सम्पदा इकाइयों की संख्या	2	4	1 वर्ष

1	2	3	4	5
11. व्यापार एवं वाणिज्य :				
(क) उप केन्द्रीय व्यापार जिले	सं.	1	2	5 वर्ष
(ख) जिला केन्द्र	सं.	8	20	5 वर्ष
(ग) समुदाय केन्द्र	सं.	59	103	1 वर्ष
(घ) स्थानीय खरीदारी केन्द्र	सं.	258	537	1 वर्ष
(ङ) सुविधा खरीदारी केन्द्र	सं.	677	1616	1 वर्ष
(छ) महानगरीय केन्द्र	सं.	1	4	10 वर्ष
(ज) थोक एवं माड़ा काम्प्लैक्स	सं.	3	6	5 वर्ष
(झ) क्षेत्रीय एवं स्थानीय थोक मार्किट	सं.	3	6	5 वर्ष
12. गांवों का पर्यावरणीय सुधार और केन्द्रीय गांवों का विकास :				
(क) गांवों का पर्यावरणीय सुधार	सं.	60	120	1 वर्ष
(ख) केन्द्रीय गांवों का विकास	सं.	5	11	5 वर्ष
13. शहर का व्यक्तित्व विशेष परियोजनाएं :				
(क) खुदरा खरीदारी काम्प्लैक्स	सं.	1	1	10 वर्ष
(ख) आधुनिक थोक खरीदारी काम्प्लैक्स	सं.	1	3	5 वर्ष
(ग) सम्मेलन केन्द्र	सं.	1	1	10 वर्ष
(घ) उच्चतर विद्या के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	सं.	1	1	10 वर्ष
(ङ) नगर एवं क्षेत्रीय स्तर आधुनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्र	सं.	2	5	5 वर्ष
(छ) अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद के लिए केन्द्र	सं.	1	2	10 वर्ष

5 वर्षों के अन्तराल पर आवधिक रूप से मानीटर किए जाने वाले भौतिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के निम्नलिखित सूचक होंगे :—

(1) जनसांख्यिकीय :

(क) जनसंख्या साइज—शहरी एवं ग्रामीण

वास्तव क्षमता के अनुसार जनसंख्या का वितरण

(ख) लिंग संरचना

(ग) घनत्व पैटर्न

(घ) परिवार साइज

(ङ) प्रवास की दर

(छ) उन क्षेत्रों का पता लगाना, जिनके कारण प्रवास उत्पन्न होता है।

(2) भूमि उपयोग :

विग-शील्ड सर्वेक्षण और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विश्लेषण

(3) आवास :

आवादकार, अनधिकृत, पुनर्वास, सामान्य समूह आवास, नियोजक आवास, स्लम पुनर्वास, व्यक्तिगत भूखंडीय आवास, गांव और परम्परागत विभिन्न प्रकार के आवासों में परिवार।

स्लम और आवादकार बस्तियों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं सहित।

प्रति कमरा व्यक्ति और प्रति परिवार कमरे।

अनिवार्य सेवाओं, सहित परिवार।

(4) परिवहन :

सार्वजनिक परिवहन (मॉडल स्प्लिट) द्वारा प्रतिशतता ट्रिप।

विभिन्न साधनों का प्रयोग करने और उन्हें चलाने का खर्च।

जनसंख्या से संबंधित यात्री क्षमता और प्रति वर्ष सार्वजनिक परिवहन द्वारा तय की गई दूरी।

(5) पर्यावरणीय संकेतक :

(क) वायु प्रदूषण

(ख) जल प्रदूषण

(ग) शोर

(6) आर्थिक बहुल :

आय द्वारा परिवारों का वितरण

उपभोग व्यय द्वारा परिवारों का वितरण

रोजगार

सहभागी दर

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार

प्रति औद्योगिक इकाई कर्मचारियों की औसत संख्या

उद्योग :

विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का विकास।

निर्माण :

निर्माण क्षेत्र द्वारा जी.एन.पी. में जोड़ा गया मूल्य

बिल्डिंग सामग्री उपलब्धता

आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक बिल्डिंग—प्रकार द्वारा / पट्टेदारी और लागत :

भूमि मूल्य, कीमतें, किराए, कर

कुल आवास लागत के प्रतिशत के अनुसार भूमि लागत

(7) सामाजिक आधारिक संरचना :

स्वास्थ्य

मृत्यु-दर और शिशु मृत्यु-दर

जनता को सुरक्षित पेय-जल की प्राप्ति

1,000 जनसंख्या निस्तरों की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

भौगोलिक सन्तुलन

नियमित सीवरेज की उपलब्धि
कम लागत सफाई की उपलब्धि
प्रतिस्थापित कूड़ा-करकट हटाना
शिक्षा
विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की संख्या और क्षमता।
पुलिस एवं अग्नि-शमन
पुलिस एवं अग्नि-शमन सेवाओं का वितरण
मनोरंजनात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएं
विभिन्न सुविधाओं की संख्या और क्षमता

(1) खेल मैदान
(2) स्टेडियम
(3) तैरने के तालाब
(4) थियेटर
(5) संग्रहालय
(6) पुस्तकालय
(7) [illegible]
(8) प्राकृतिक और विपत्तियां

नाड़ी तीव्रता, प्रभावित क्षेत्र, जनसंख्या अन्य कोई प्राकृतिक और विपत्ति।

मानिटर करने वाला यूनिट

भौतिक लक्ष्यों और सूचकों के लिए आंकड़ों का मुख्य भाग गौण स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। एक मानीटरिंग यूनिट की स्थापना की जानी चाहिए, जो मुख्य और गौण आंकड़ों को प्राप्त करने, उसका विश्लेषण करने और वर्ष में एक बार विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्राधिकरण की जानकारी में लाने के लिए जिम्मेदार होगा। अर्थपूर्ण तुलना के लिए और परिवर्तन को मानीटर करने के लिए इस यूनिट द्वारा मानक फार्मेट तैयार किए जाएंगे।

योजना पुनरीक्षण

योजना मानीटरिंग से परिप्रेक्ष्य योजना दस्तावेज में आवश्यक संशोधन के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था होगी। सामाजिक-आर्थिक और भौतिक शक्तियों के उत्पन्न होने के कारण किसी अन्य पहलू को योजना प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के लिए अध्ययन के लिए लिया जा सकता है। सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत पुनरीक्षण 1992 के दौरान किया जाना चाहिए।

नीतियां दिशाएं निर्दिष्ट करती हैं : विस्तृत विकास परियोजनाओं से अन्ततः वातावरण—अच्छा या बुरा, उत्पन्न होती है। योजना कार्यान्वयन के दौरान आवास परिवहन, कार्य केन्द्र मनोरंजन, आधारिक संरचना आदि विकास के सभी पहलुओं पर अध्ययन और अनुसंधान करने की आवश्यकता है, ताकि उच्च स्तर के रहन-सहन के वातावरण की व्यवस्था करने में योजना को प्रभावी बनाया जा सके। इस महानगर के विकास के लिए योजना को एक ठोस उपकरण बनाने के लिए दि. वि. प्रा. को लगातार यह अध्ययन, अनुसंधान और मानीटरिंग कार्य करना चाहिए।

(4) निम्नलिखित को "व्याख्यात्मक टिप्पणियों" के रूप में अध्याय 3 के बाद जोड़ा जाए।

पिछले अध्यायों में —

(1) जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हों, सभी आंकड़े वर्ष 1981 से संबंधित है, जिन्हें दिल्ली की मुख्य योजना (संशोधन के लिए यथा प्रस्तावित) के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया गया है।

(2) अपने व्याकरणिक विभेदों सहित "वर्तमान" और "विद्यमान" शब्द, जब तक कि संदर्भ में भिन्न या किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा न हो, 1981 का संकेत देने के लिए प्रयोग किए गए हैं।

(3) दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में, जब तक कि संदर्भ में भिन्न या किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा न हो, 1962 की दिल्ली की मुख्य योजना में निर्धारित नगर योग्य सीमाओं के अन्दर का क्षेत्र शामिल है। धारक क्षमता निकालने के लिए पूर्वी दिल्ली का पटपड़ गंज कामप्लेक्स, पश्चिमी दिल्ली का मुल्तान पुरी और रोहिणी का कुछ भाग भी शामिल किया गया है।

(4) शहरी विस्तार (यू. ई.) दिल्ली की मुख्य योजना की नगर योग्य सीमाओं के बाहर का क्षेत्र है। वर्ष 2001 तक अतिरिक्त 40 लाख जनसंख्या को बसाने के लिए जिसकी आवश्यकता है।

विकास संहिता की अनुसूची–1

उपयोग परिसरों की परिभाषाएं

001 आवासीय प्लाट–कुटुम्ब आवास

एक या एक से अधिक आवासीय इकाई के लिए परिसर जिसमें मुख्य बिल्डिंग ब्लाक और गैरेज/शैरवों एवं कर्मचारी क्वार्टरों के लिए एक अतिरिक्त ब्लाक हो सकता है।

002 आवासीय प्लाट–समूह आवास

वह परिसर जिसका साइज 2000 व. मी. से कम न हो और जिसमें पार्किंग, पार्क, सुविधा दुकानें, सार्वजनिक उपयोगिता आदि जैसी मूल सुख-सुविधाओं सहित आवासीय फ्लैट बने हों।

003 आवासीय फ्लैट

एक परिवार (एक गृहस्थी) के लिए आवासीय स्थान, जो समूह आवास का भाग या स्वतन्त्र रूप से हो सकता है।

004 आवास एवं कार्य प्लाट

वह परिसर जिसमें एक परिवार (एक गृहस्थी) के आवास स्थान और निचली मंजिल (ग्राउंड फ्लोर) पर प्रतिबंधित उसके कार्य-स्थान की व्यवस्था होती है। ये परिसर केवल सार्वजनिक आवास योजनाओं में ही अनुमत है।

005 आवासीय परिसर-विशेष क्षेत्र

वह परिसर जिसमें मिश्रित उपयोग सहित या रहित, जैसा विशेष क्षेत्र आवास विनियमों में दिया गया हो, विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान की व्यवस्था हो।

006 विदेशी मिशन

विदेशी मिशन के कार्यालयों और उनके अन्य उपयोग (इनसे संबंधित नियमों के अनुसार) के लिए परिसर।

007 लॉजिंग

वह परिसर जिसके कमरे "संस्थाओं" से संबंधित या अन्यथा, दीर्घावधि आधार पर किराए पर दिए जाते हैं।

008 गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस तथा लोजिंग हाउस

गेस्ट हाउस वह परिसर है, जहां सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के स्टाफ को थोड़ी अवधि के लिए ठहराया जाता है।

बोर्डिंग हाउस वह परिसर है, जिसके कमरे छात्रों को पूरा में दीर्घावधि आधार पर किराए पर दिए जाते है।

लोजिंग हाउस वह परिसर है, जो 50 से कम व्यक्तियों के ठहरने के लिए उपयोग किया जाता है।

009 धर्मशाला और उसके समानक

वह परिसर जिसमें लाभ रहित आधार पर एक सप्ताह तक के लिए [illegible] होती है।

[illegible] विवाह और अन्य सामाजिक कार्यों के [illegible] और जिसे सार्वजनिक एजेंसी चलाती है।

011 रैन-बसेरा

वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाममात्र के शुल्क से लोगों के लिए रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है। यह स्थानीय सरकार या स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाया जाता है।

012 खुदरा दुकान

वह परिसर जहां आवश्यक भण्डारण करके वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती है।

013 मरम्मत दुकान

खुदरा दुकान का समानक परिसर जहां घरेलू वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आटोमोबाइल्स, साइकिल आदि की मरम्मत की जाती है।

014 कार्मिक सेवा दुकान

खुदरा दुकान का समानक परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि जैसी कार्मिक सेवाओं की व्यवस्था होती है।

015 बिक्री बूथ

अस्थायी संस्थापना के माध्यम से या अन्यथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की बिक्री के लिए बूथ के रूप में परिसर।

016 सुविधाजनक खरीददारी केन्द्र

आवासीय क्षेत्र में दुकानों का समूह, जिनकी संख्या 50 से अधिक न हो और जो लगभग 5000 व्यक्तियों की जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती हों।

017 स्थानीय खरीददारी केन्द्र

आवासीय क्षेत्र में दुकानों का समूह, जिनकी संख्या 75 से अधिक न हो और 15000 व्यक्तियों की जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती हों।

018 साप्ताहिक बाजार

वह परिसर जिसका उपयोग बाजार के रूप में अनौपचारिक दुकान-संस्थापनाओं के समूह द्वारा सप्ताह में एक बार किया जाता है। ये साप्ताहिक बाजार सप्ताह के भिन्न-भिन्न दिनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होते हैं।

019 थोक व्यापार

वह परिसर जहां माल और वस्तुएं खुदरा व्यापारियों को बेचने और सुपुर्द की जाती हैं। परिसर में भण्डारण एवं गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।

020 भण्डारण; गोदाम और भण्डारण—

वह परिसर जिसे संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार तरीके से माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता है। परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल हैं।

021 शीतागार

वह परिसर जहां आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए [illegible] कोई विशेष साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में खराब [illegible] का भण्डारण किया जाता है।

022 गैस गोदाम

वह परिसर जहां कुकिंग गैस या अन्य गैस के सिलेंडरों का भण्डारण किया जाता है।

023 [illegible]

वह परिसर जहां कृषि उत्पाद सुविधाओं सहित [illegible] का भण्डारण किया जाता है।

024 जंक यार्ड

वह परिसर जहां बेकार माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत, अर्ध-आवृत या खुला भण्डारण किया जाता है।

025 व्यावसायिक कार्यालय

लाभ कमाने वाले संगठनों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।

026 बैंक

बैंकों के कार्य और चलन को पूरा करने के लिए कार्यालयों के लिए परिसर।

027 मोटर गैरेज एवं वर्कशाप

आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए परिसर।

028 सिनेमा

दर्शकों के बैठने के लिए आवृत स्थान सहित चलचित्रों और स्लाइडों के प्रक्षेपण की सुविधाओं सहित परिसर।

029 ड्राइव-इन-सिनेमा

यान दर्शकों के लिए चलचित्रों और स्लाइडों के प्रक्षेपण की सुविधाओं सहित सिनेमा। इसमें अन्य दर्शकों के लिए आडिटोरियम शामिल है।

030 पैट्रोल पम्प

उपभोक्ताओं को पैट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर। इसमें मोटर व्हीकल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।

031 रेस्टोरेंट

वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यावसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बैठने का स्थान आवृत या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।

032 होटल

वह परिसर जिसका उपयोग 15 व्यक्तियों या उससे अधिक के रहने के लिए खाने सहित या खाने सहित अदायगी करने पर किया जाता है।

033 मोटल

वह परिसर जो मुख्य राजमार्ग के निकट और नगरसीमा सीमाओं के बाहर स्थित हो और जहां सड़क द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए खान पान का प्रबंध हो।

034 प्लैटेड समूह उद्योग

वह परिसर जहां अनुबंध 3 में की गई व्यवस्था के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयों का समूह हो और 50 कामगार तक कार्य करते हों तथा कार्य खतरनाक न हो। ये इकाइयां बहुमंजिली बिल्डिंगों में अवस्थित हो सकती हैं।

035 सर्विस केन्द्र

वह परिसर जहां प्रतिवेशी आवासीय क्षेत्रों के लिए अनिवार्य सर्विसिंग की व्यवस्था करने के लिए अनिवार्य रूप से आटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण, बिल्डिंग मरम्मत आदि के लिए मरम्मत दुकानें हों।

036 औद्योगिक प्लाट—हल्के उद्योग

अनुबंध 3 में दी गई सूची के अनुसार एक औद्योगिक इकाई के लिए परिसर, जहां 50 कामगार तक कार्य करते हों, और कार्य खतरनाक न हों ।

037 औद्योगिक प्लाट—विस्तृत उद्योग

अनुबंध 3 में दी गई सूची के अनुसार एक औद्योगिक इकाई के लिए परिसर, जहां नई विस्तृत औद्योगिक इकाइयों के मामले में 50 कामगार तक और विद्यमान इकाइयों के लिए 500 कामगार तक कार्य करते हों ।

038 औद्योगिक परिसर—निस्सारक उद्योग

पत्थर को खोदकर निकालने और अधभूमि सामग्री निष्कर्षण के लिए परिसर ।

039 औद्योगिक प्लाट—उद्योग विशेष टाइप

इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं आदि जैसे परिष्कृत उत्पाद के विनिर्माण के लिए औद्योगिक इकाइयों के समूह में से एक औद्योगिक इकाई के लिए परिसर ।

040 पार्क

मनोरंजनात्मक और सावकाश गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर । इसमें भूदृश्य, पार्किंग सुविधाओं, सार्वजनिक शौचालयों, फैन्सिंग आदि संबंधित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है । इसमें लॉन, खुला स्थान, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी ।

041 खेल मैदान

आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर । इसमें भूदृश्य, पार्किंग सुविधाओं, सार्वजनिक शौचालय आदि की व्यवस्था हो सकती है ।

042 आउटडोर खेल स्टेडियम

खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मेंडप बिल्डिंग और स्टेडियम ढांचा सहित आउटडोर खेलों के लिए परिसर ।

043 इन्डोर खेल स्टेडियम

खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाओं सहित खेल मैदान और दर्शकों के बैठने के स्थान सहित इन्डोर स्टेडियम के लिए परिसर ।

044 इन्डोर गेम्स हाल

वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाओं सहित इन्डोर खेलों के लिए बन्द स्थान की व्यवस्था हो ।

045 शूटिंग रेंज

वह परिसर जहां शूटिंग अभ्यास और/या खेल-कूद के लिए संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

046 तैरने का तालाब

तैरने और दर्शकों के बैठने की सुविधाओं सहित परिसर जो आकार, स्तर और उद्देश्य की दृष्टि से अलग-अलग हो सकते हैं ।

047 मनोरंजनात्मक क्लब

सभी संबंधित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह को एकत्रित करने के लिए किया जाता है ।

048 ऐतिहासिक स्मारक

वह परिसर जहां भूतकाल से संबंधित संरचनाएं या उसके खंडहर विद्यमान हों ।

049 राष्ट्रीय स्मारक

दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित परिसर, जहां किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो ।

050 चिड़ियाघर तथा अक्वारियम

प्रदर्शनी और अध्ययन के लिए जानवरों, सरीसृप और पक्षियों के समूह सहित उद्यान या पार्क या आक्वारियम के रूप में परिसर । उसमें सभी संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था होगी ।

051 पक्षी शरण-स्थान

सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिरक्षण और पालन-पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर ।

052 वानस्पतिक उद्यान

अनुसंधान और प्रदर्शनी के लिए बागान सहित उद्यान के रूप में परिसर ।

053 विशेषीकृत पार्क/मैदान

वह परिसर जहां सार्वजनिक सभा मैदान, फन-पार्क, परीलोक आदि जैसे नामित उपयोग के लिए पार्क या मैदान हो ।

054 तारा मंडल

ग्रह-अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाओं और उपस्करों सहित परिसर ।

055 पिकनिक हट/शिविर स्थल

पर्यटक और/या मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग किसी परिवार द्वारा मनोरंजनात्मक या सावकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिए किया जाता है ।

056 फ्लाइंग क्लब

वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन-राईडिंग के लिए किया जाता है । इसमें मनोरंजनात्मक क्लब और इन्डोर खेलों जैसी अन्य गतिविधियां शामिल हैं ।

057 कारगो एवं बुकिंग-कार्यालय

वह परिसर जिसका उपयोग बुकिंग-कार्यालयों और किसी एयरलाइन द्वारा माल के भण्डारण के लिए किया जाता है ।

058 रेलवे भाड़ा गोदाम

रेलवे द्वारा लाए गए माल के भण्डारण के लिए परिसर ।

059 रेलवे बुकिंग कार्यालय

वह परिसर जिसका उपयोग यात्रियों को यात्रा के लिए बुकिंग करने के लिए रेलवे के कार्यालयों के लिए किया जाता है ।

060 रोड परिवहन बुकिंग कार्यालय

वह परिसर जिसका उपयोग किसी रोड परिवहन एजेन्सी के कार्यालयों के लिए किया जाता है । इसमें गोदाम शामिल हो सकता है और नहीं भी हो ।

061 पार्किंग

वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता है । सार्वजनिक पार्किंग स्थलों को व्यावसायिक या गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाया जा सकता है ।

062 टैक्सी एवं तिपहिया स्टैण्ड

वह परिसर जिसका उपयोग व्यावसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता है । पार्किंग स्थलों को व्यावसायिक या अव्यावसायिक आधार पर चलाया जा सकता है ।

063 बस टर्मिनस

वह परिसर जिसका उपयोग यात्रियों की सेवा के लिए सीधी प्रस्थान बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी द्वारा किया जाता है। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

064 बस डिपो

वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, देखभाल और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार की किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता है। इसमें वर्कशाप हो सकती है और नहीं भी हो सकती।

065 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

(1) ओवरहैड टैंक

वह परिसर जहां जल भण्डारण एवं प्रतिवेशी क्षेत्रों में उसकी आपूर्ति के लिए ओवर हैड टैंक बना हो। इसमें पम्प हाउस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।

(2) भूमि गत टैंक

वह परिसर जहां जल भण्डारण एवं प्रतिवेशी क्षेत्रों में उसकी आपूर्ति के लिए भूमिगत टैंक बना हुआ हो। इसमें पम्प हाउस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।

(3) आक्सीकरण पांड

वह परिसर जहां सीवरेज और अन्य अपव्यय के लिए आक्सीकरण प्रक्रिया के लिए टैंक बना हुआ हो।

(4) सैप्टिक टैंक

वह परिसर जहां सीवरेज इकट्ठा करने और बाद में उसका निपटान करने के लिए एक भूमिगत टैंक बना हुआ हो।

(5) सीवरेज पम्पिंग स्टेशन

वह परिसर जहां उच्च प्रवणता पर पम्पिंग सीवरेज के लिए प्रयोग करने के लिए पम्पिंग स्टेशन हो।

(6) सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय

वह परिसर जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए शौचालय और मूत्रालय बने हों। इसमें पीने के पानी की सुविधा हो सकती है और नहीं भी हो सकती।

(7) विद्युत उप-स्टेशन

वह परिसर जहां बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन और ट्रान्सफार्मर लगे हों।

(8) तालाब एवं डस्टबिन

वह परिसर जहां कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और जहां से वह सेनिट्रीलैण्ड फिल तक ले जाया जाता है।

(9) धोबी घाट

वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े/लिनेन धोने और सुखाने के लिए किया जाता है।

066 केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

वह परिसर जिसका उपयोग संघ सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता है।

067 स्थानीय सरकारी कार्यालय

वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय सरकार और स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता है।

068 सार्वजनिक उपयोग कार्यालय

वह परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपयोग सेवा के अतिरिक्त के अन्तर्गत स्थापित कार्यों के कार्यालय के लिए किया जाता है।

069 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र

वह परिसर है जहां सम्मेलन, सभा, संगोष्ठी आदि जिसमें काफी संख्या में विभिन्न देश भाग लेते हैं, के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था हो।

070 न्यायालय

न्यायपालिका के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।

071 सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)

सरकारी भूमि का परिसर, जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

072 अस्पताल

वह परिसर जहां अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।

073 स्वास्थ्य केन्द्र

वह परिसर जहां 30 बिस्तरों तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंध अव्यावसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।

074 नर्सिंग होम

यह परिसर जहां 30 बिस्तरों तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबंध व्यावसायिक आधार पर किसी डॉक्टर या डाक्टरों के समूह द्वारा किया जाएगा।

075 डिस्पेंसरी

वह परिसर जहां चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाओं की व्यवस्था होगी और जिसका प्रबंध सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था द्वारा किया जाएगा।

076 क्लीनिक

वह परिसर जहां बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर द्वारा की जाएगी/पालिक्लीनिक के मामले में उसका प्रबंध डाक्टरों के ग्रुप द्वारा किया जाएगा।

077 नैदानिक प्रयोगशाला

वह परिसर जहां बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न जांच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

078 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

वह परिसर जहां स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बहिरंग रोगियों के इलाज और रक्त बैंक जैसी अन्य चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई हो इस सेवा को धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थायी शिविर के रूप में भी किया जा सकता है।

079 शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र

वह परिसर जहां दिन के समय के दौरान शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबंध व्यावसायिक या अव्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।

080 नर्सरी एवं किंडरगार्टेन स्कूल

वह परिसर जहां स्कूल के लिए बच्चों के प्राक प्रवेश के लिए प्रशिक्षण एवं खेलने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

081. प्राइमरी स्कूल :

वह परिसर जहां पांचवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

082. सेकेन्डरी स्कूल :

वह परिसर जहां छठी से दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें इस संहिता के लिए आठवीं कक्षा तक के मिडिल स्कूल के विद्यमान मामले भी शामिल होंगे ।

083. सीनियर सेकेन्डरी स्कूल :

वह परिसर जहां छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

084. एकीकृत स्कूल :

वह परिसर जहां बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

085. एकीकृत आवासीय स्कूल :

वह परिसर जहां बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधाएं होंगी और संकाय सदस्यों के लिए आवास हो सकता है ।

086. कालिज :

वह परिसर जहां किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें सभी व्यावसायिक विद्याशाखाएं शामिल हैं ।

087. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान :

वह परिसर जहां कुछ व्यवसाय और व्यापार क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रवेश तैयारी के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो । यह अव्यावसायिक आधार पर जनता या धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया जाएगा । इसमें प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र शामिल है ।

088. समाज कल्याण केन्द्र :

वह परिसर जहां कल्याण और समुदाय विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । यह जनता या धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया जाएगा ।

089. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र :

वह परिसर जहां किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

090. पुस्तकालय :

वह परिसर जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के बहुत बड़े संग्रह की व्यवस्था हो ।

091. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र :

वह परिसर जहां तकनीकी प्रकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल हैं ।

092. व्यावसायिक एवं सांविधिक प्रशिक्षण केन्द्र :

वह परिसर जहां आशुलिपि, पत्र-व्यवहार, अभिलेख रखना आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था हो ।

093. संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र :

वह परिसर जहां संगीत, नृत्य और नाट्यकला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो ।

094. खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र :

वह परिसर जहां तैरने सहित विभिन्न इन्डोर और आउटडोर खेलों के प्रशिक्षण और उन्हें खेलने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें शारीरिक शिक्षा के केन्द्र भी शामिल होंगे ।

095. मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र :

वह परिसर जहां आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

096. बाल यातायात पार्क :

पार्क के रूप में वह परिसर जहां यातायात और संकेतन के बारे में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

097. संग्रहालय :

वह परिसर जहां पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का भण्डारण एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

098. प्रदर्शनी केन्द्र तथा कला-भवन :

वह परिसर जहां चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, सिरेमिक, मृत्कला, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

099. आडीटोरियम :

वह परिसर जहां संगीत-सभा, नाटक, संगीत, प्रस्तुतिकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने के स्थान की व्यवस्था हो ।

100. खुला थियेटर :

वह परिसर जहां दर्शकों के स्थान और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं की व्यवस्था हो और वह खुला हो ।

101. समुदाय भवन :

वह परिसर जहां 15,000 जनसंख्या के आस-पड़ोस की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बन्द संलग्न स्थान की व्यवस्था हो ।

102. मेला मैदान :

वह परिसर जहां सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

103. सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र :

वह परिसर जहां किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक एवं सूचना सेवाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

104. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

वह परिसर जहां मूल रूप से अव्यावसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी एक व्यक्ति द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रकार की गतिविधियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई हो ।

105. सुधारालय :

वह परिसर जहां अपराधियों को कैद रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

106. अनाथालय

वह परिसर जहां उन बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो जिन्हें उनके मां-बाप असहाय अवस्था में छोड़ गए हों । इसमें शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था हो सकती है और नहीं भी हो सकती ।

107. धार्मिक :

वह परिसर जो रहने के स्थान और संहिता की सेवा या धार्मिक प्रकार के अन्य उद्देश्यों के लिए दिया गया हो । इसमें मन्दिर (सभी धर्मों के) मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सिनागाग, आश्रम, स्नान-घाट, गौशाला जैसे धर्मों के विभिन्न नाम हो सकते हैं ।

108. योग मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र :

वह परिसर जहां स्वयं-सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

109. पुलिस चौकी :

वह परिसर जहां सम्बन्धी प्रकार का या पुलिस स्टेशन का कुछ में छोटे स्तर की स्थानीय पुलिस चौकी के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

110. पुलिस स्टेशन :

वह परिसर जहां स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

111. जिला पुलिस कार्यालय :

वह परिसर जहां पैरा-सैना के कार्यालयों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

112. सिविल रक्षा और होम गार्ड :

वह परिसर जहां आंतरिक रक्षा के लिए सिविल संगठन के कार्यालय और अन्य कार्यों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

113. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला :

वह परिसर जहां विधिक समस्याओं में चिकित्सा ज्ञान को लागू करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

114. जेल :

वह परिसर जहां विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबंद करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

115. अग्निशमन चौकी :

वह परिसर जहां आग बुझाने के लिए कम मात्रा में सुविधाओं की व्यवस्था हो । चौकी अग्नि प्रवण कार्य-कलापों सहित विशेष परिसर से संलग्न हो सकती है ।

116. अग्नि-शमन केन्द्र :

वह परिसर जहां उससे सम्बद्ध आवास-क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें अनिवार्य स्टाफ का आवास भी शामिल हो सकता है ।

117. डाक-घर :

वह परिसर जहां जनता के उपयोग के लिए डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

118. डाक एवं तार कार्यालय :

वह परिसर जहां जनता के उपयोग के लिए डाक एवं दूर संचार के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

119. बड़ा और प्रधान डाक-घर :

वह परिसर जहां उससे संलग्न कई डाकघरों में डाक ले जाने और वहां से लाने के लिए उसकी छंटाई और वितरण की सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

120. टेलीफोन केन्द्र :

वह परिसर जहां नामित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

121. रेडियो एवं टेलीविजन केन्द्र :

वह परिसर जहां सम्बंधित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने, प्रसारित करने और प्रेषित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था, टावरों जैसी ट्रांसमिशन सुविधाएं शामिल हो सकती हैं ।

122. ट्रांसमिशन टावर और बेतार केन्द्र वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्य के लिए टावर के संस्थापन के लिए किया जाता है ।

123. उप-ग्रह एवं दूर-संचार केन्द्र :

वह परिसर जहां उपग्रह एवं दूर-संचार प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

124. वेधशाला तथा मौसम कार्यालय :

वह परिसर जहां मौसम और उसके पूर्वानुमान से संबंधित पहलुओं के अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

125. कब्रिस्तान :

वह परिसर जहां शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

126. श्मशान

वह परिसर जहां शवों को जलाकर अंतिम धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

127. समाधि क्षेत्र

वह परिसर जहां ईसाई समुदाय द्वारा शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

128. विद्युत शवदाहगृह :

वह परिसर जहां शव को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

129. फलोद्यान :

वह परिसर जहां फलों के वृक्ष लगे हुए हों । इसमें फलों के वृक्षों के बाग भी शामिल हैं ।

130. प्लांट नर्सरी :

वह परिसर जहां छोटे पौधों को उगाने और उनको बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

131. वन :

पने प्राकृतिक पेड़-पौधों सहित परिसर संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के मामले में इसमें नगर-वन शामिल होंगे, जिनमें कुछ भाग प्राकृतिक पेड़-पौधों और कुछ भाग मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़-पौधों का होगा ।

132. डेयरी-फार्म :

वह परिसर जहां डेयरी-उत्पाद उगाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें पशुओं और पक्षियों के झुंडों के लिए अस्थायी संरचना हो सकती है

133. पोल्ट्री-फार्म :

वह परिसर जहां डेयरी उत्पाद उगाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें मुर्गियों के झुंडों के लिए अस्थायी संरचना हो सकती है ।

"134. सुअर-बाड़ा :

वह परिसर जहां डेयरी उत्पाद उगाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें सूअरों के शैडों के लिए अस्थायी ढांचा हो सकती है ।

135. फार्म-हाउस :

वह परिसर जहां कृषि फार्म में आवासीय मकान हो । संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के मामले में फार्म-हाउस का क्षेत्रफल 500 व.मी. से अधिक नहीं होगा ।

136. ग्रामीण केन्द्र :

वह परिसर जहां कुछ गांवों के विभिन्न कार्यों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो, जिनका प्रबंध वहां किया जाना है ।

(5) विद्यमान "प्रविष्टियों" को हटा दिया जाए और उनके स्थान पर निम्नलिखित अनुबन्धों को जोड़ा जाए :

अनुबंध – 1

सुविधा केन्द्र तथा सर्विस केन्द्र

(क) सुविधा केन्द्र

सुविधाओं का ब्यौरा	सुविधा केन्द्र की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
योजना डिवीजन "बी" सामाजिक– सांस्कृतिक संस्थाएं, मध्यवर्ती अस्पताल "ए" प्रधान डाक-घर एवं प्रशासन कार्यालय, प्रधान डाकघर एवं वितरण कार्यालय ।	एफ 1	10.50
योजना डिवीजन "सी" मध्यवर्ती अस्पताल "ए", मध्यवर्ती अस्पताल "बी" नर्सिंग होम प्रधान डाक-घर तार कार्यालय का विभाग ।	एफ 2	5.00
सामान्य कालिज, मध्यवर्ती अस्पताल "बी" पुलिस स्टेशन, प्रधान डाकघर ।	एफ 3	7.50
मध्यवर्ती अस्पताल "1", नर्सिंग होम	एफ 4	7.00
सामाजिक – सांस्कृतिक सुविधाएं		
मध्यवर्ती अस्पताल "ए"	एफ 5	9.00
नर्सिंग होम	एफ 6	9.50
अग्नि शमन केन्द्र	एफ 7	4.50
योजना डिवीजन "इ" कालिज मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी" सामान्य अस्पताल, नर्सिंग होम (2), तार कार्यालय, पुलिस स्टेशन, प्रधान डाकघर	एफ 8	16.00
आई टी आई	एफ 9	2.20
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), तकनीकी स्कूल–बी, नर्सिंग होम (2), अग्निशमन केंद्र, प्रधान डाकघर	एफ 10	13.50
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2) अग्निशमन केन्द्र, प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम (2), पुलिस स्टेशन, कालिज	एफ 11	14.50
कालेज, तकनीकी शिक्षा केन्द्र "ए" मध्यवर्ती अस्पताल ए, मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), नर्सिंग होम (2), अग्निशमन केन्द्र, पुलिस स्टेशन, तार कार्यालय, प्रधान डाकघर ।	एफ 12	16.00
विश्वविद्यालय परिसर, टेलीफोन केन्द्र, नर्सिंग होम (2), पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र सामाजिक सांस्कृतिक	एफ 13	23.55
मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2)	एफ 14	2.10
मध्यवर्ती अस्पताल "ए", नर्सिंग होम	एफ 15	3.00
कालिज मध्यवर्ती अस्पताल "ए", मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), नर्सिंग होम (2) पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र ।	एफ 16	11.50
मध्यवर्ती अस्पताल "ए", मध्यवर्ती अस्पताल "बी", पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, नर्सिंग होम (2)	एफ 17	6.75
कालिज, सामान्य अस्पताल मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), पुलिस स्टेशन, नर्सिंग होम (3)	एफ 18	20.00
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), प्रधान डाकघर, तार कार्यालय, कालिज, नर्सिंग होम ।	एफ 19	12.50
पुलिस स्टेशन प्रधान कार्यालय	एफ सी 20	1.60
मध्यवर्ती अस्पताल "बी"	एफ सी 21	1.00
कालिज, नर्सिंग होम (2)	एफ सी 22	5.25
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी"	एफ सी 23	3.75
कालिज मध्यवर्ती अस्पताल "ए" नर्सिंग होम (2), पुलिस स्टेशन	एफ सी 24	8.50
कालिज, सामान्य अस्पताल नर्सिंग होम (3) पुलिस स्टेशन, टेलीफोन केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र	एफ सी 25	14.40
कालिज मध्यवर्ती अस्पताल "ए", नर्सिंग होम	एफ सी 26	7.30
योजना डिवीजन " फ"		
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी", अग्निशमन केन्द्र, तार विभाग, प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम ।	एफ सी 27	6.50
मध्यवर्ती अस्पताल "ए", मध्यवर्ती अस्पताल "बी", नर्सिंग होम (2)	एफ सी 28	4.25
आई टी आई+तकनीकी स्कूल+कौशिक केन्द्र मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (3), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), पुलिस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, टेलीफोन केन्द्र, तार विभाग, प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम (4)	एफ सी 29	20.00
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), नर्सिंग होम (2)	एफ सी 30	5.20
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी", अग्निशमन केन्द्र	एफ सी 31	4.80
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी", पुलिस स्टेशन, प्रधान डाकघर ।	एफ सी 32	18.70

सामाजिक-सांस्कृतिक, मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2) मध्यवर्ती ब्लुस्पताल, "बी", प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम (3), अग्निशमन केन्द्र।	एफ सी 33	12.00
योजना डिवीजन "जी"		
सामान्य अस्पताल मध्यवर्ती अस्पताल "ए", मध्यवर्ती अस्पताल "बी", नर्सिंग होम, पुलिस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, प्रधान डाकघर।	एफ 34	11.65
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी", पुलिस स्टेशन, नर्सिंग होम (3)।	एफ 35	6.00
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" नर्सिंग होम (4)	एफ 36	4.00
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" नर्सिंग होम (4)	एफ 37	4.00
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी", पुलिस स्टेशन	एफ 38	1.00
पुलिस स्टेशन, न्यायालयीय विज्ञान प्रयोगशाला प्रधान डाकघर	एफ 39	2.40
कालिज आई टी आई+पोलिटेक्निक, अग्निशमन केन्द्र	एफ 40	4.00
सामाजिक-सांस्कृतिक कालिज, टेलीफोन केन्द्र, तार विभाग, पुलिस स्टेशन, सामान्य अस्पताल, अग्निशमन केन्द्र	एफ 41	18.50
कालिज, आई टी आई + तकनीकी स्कूल, सामान्य अस्पताल, मध्यवर्ती अस्पताल, मध्यवर्ती अस्पताल "बी", नर्सिंग होम (2)	एफ 42	15.50
पुलिस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, विश्वविद्यालय परिसर, मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), तार विभाग, प्रधान डाकघर	एफ 43	13.20
कालिज मध्यवर्ती अस्पताल "बी" नर्सिंग होम (2)	एफ 44	6.00
कालिज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, नर्सिंग होम (2)	एफ 45	6.95
कालिज	एफ 46	1.00
पुलिस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, नर्सिंग होम (3)	एफ 47	3.20
योजना डिवीजन "एच"+ रोहिणी कालिज पुलिस स्टेशन	एफ सी 48	5.75
सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं	एफ सी 49	10.00
सामान्य अस्पताल, मध्यवर्ती अस्पताल "ए", मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), नर्सिंग होम (3), पुलिस स्टेशन, टेलिफोन केन्द्र, तार विभाग, प्रधान डाकघर, कालिज	एफ सी 50	20.00
कालिज, पुलिस स्टेशन	एफ 51	15.04
सामान्य अस्पताल, कालिज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2) टेलीफोन केन्द्र, तार विभाग, प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम (5)	एफ 52	22.35
आई टी आई + पोलिटेक्निक/ पुलिस स्टेशन मध्यवर्ती अस्पताल "ए", नर्सिंग होम, प्रधान डाकघर	एफ 53	18.50
सामान्य अस्पताल, कालिज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी", तकनीकी शिक्षा-केन्द्र, प्रधान डाकघर, नर्सिंग होम (4)	एफ सी 54	25.54
सामान्य अस्पताल, कालिज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), नर्सिंग होम (4)	एफ सी 55	16.68
कालिज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (3), टेलीफोन केन्द्र, तकनीकी शिक्षा केन्द्र, तार कार्यालय, प्रधान डाकघर + प्रशासन कार्यालय, नर्सिंग होम (4)	एफ सी 56	24.42
पुलिस स्टेशन, मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), नर्सिंग होम (4), कालिज टेलिफोन केन्द्र, अग्नि शमन केन्द्र, प्रधान डाकघर	एफ सी 57	35.00
कालिज मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी", नर्सिंग होम (4) पुलिस स्टेशन	एफ सी 58	12.00
कालिज, मध्यवर्ती अस्पताल "ए" (2), मध्यवर्ती अस्पताल "बी" (2), नर्सिंग होम (5), पुलिस स्टेशन, जेल, अग्निशमन केन्द्र, प्रधान डाकघर	एफ सी 59	37.00
पुलिस स्टेशन, मध्यवर्ती अस्पताल "ए", नर्सिंग होम (2)	एफ सी 60	1.75
मध्यवर्ती अस्पताल "ए" मध्यवर्ती अस्पताल "बी"	एफ सी 61	4.00

(स) गर्विस केन्द्र

सर्विस केन्द्रों की संख्या	एल०पी०जी० गोदामों की संख्या	केरोसिन डिपो की संख्या
1	2	2
डिवीजन "बी" एस 1	4	3.75
डिवीजन "सी" एस 2	4	2.20
डिवीजन "ई" एस 3	4	4.00
एस 4	4	8.00
एस 5	2	1.50
एस 6	4	3.00
एस 7	4	2.25
एस 8	2	2.50
एस 9	4	3.50
एस 10	4	2
एस 11	4	2
डिवीजन "एच"	4	2
एस 12	4	2
डिवीजन "जी"	2	1
एस 13	2	1

	2	3
	4	5.50
	4	7.50
	4	16.00
	4	7.00
	6	5.50
	6	5.00

अनुबंध—1क

वृक्षारोपण

(क) पूर्वी जोन :

निचले क्षेत्रों में समूह वृक्षारोपण के लिये निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है ।

1. समूहों में बांस
2. लेजुर्स्ट्रोमिया एफिबिर्स्टफोलिया
3. यूक्लिपटस
4. सैलैपस

रंग और सौंदर्य के उद्देश्य से निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है ।

1. कैलीस्टीमोन लैंसिओल्सट्स
2. लारजरस्ट्रोमिया—कलोल-रिजीनी
3. पैल्टोफोर्म फैरू जिन्स

वन भूमि और रोड साईड वृक्षारोपण के लिये निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है ।

1. शीशम
2. फाइकस इन्फेक्टोरिया
3. पीपल
4. पैल्टोफोर्म फेरनर्जीनियम
5. टर्मिनलिया अर्जुना

(ख) दक्षिणी जोन :

वन भूमि और रोड साईड वृक्षारोपण के लिये निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है ।

1. एलेन्थस एक्सेल्सा
2. सप्तपर्ण वृक्ष
3. ऐल्योसेफेलस कंदवा
4. नीम
5. बस्सिआ लेटिफोलिया
6. अमलतास
7. केसिया सिमेआ
8. शीशम
9. फाइकस इन्फेक्टोरिया
10. फाइकस टिजिला
11. अशोक
12. पुत्रंजीवा रोक्सबगाई
13. शिचलिकेरा ट्रिजुगा
14. इमली
15. टर्मिनलिया अर्जुना

पार्कों और बागों में निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है ।

1. ऐकेशिया ओरिएन्टलफार्मिस
2. बॉहिनिया स्पे.
3. सैमन
4. केसिया ओकैरा
5. कोरिसिया स्पेसिओसा
6. कोसवोल्सिया रेसेमोसा
7. फेटेवा रिलिजिओसा
8. डेनोलिक्स रेजिया
9. एरीथ्रीना एण्डिका
10. जैकरेण्डा मिमोसिफोलिया
11. लारजर स्ट्रोमिया स्पे.
12. मिम्यूस्यूपस एलेंजि
13. पेल्टोफोर्म फेरुजिनम
14. प्लूमारिआ अल्बा वार
15. सर्का इंडिका
16. टेकोमा अर्जेंटिआ

(ग) पश्चिमी जोन :

वन भूमि और रोड साइड वृक्षारोपण में निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है ।

1. सप्तपर्ण वृक्ष
2. नीम
3. क्यटिआ फ्लोरिडा
4. अमलतास
5. शीशम
6. डायोस्पाईरस मोन्टेना
7. फाइकस इन्फेक्टोरिया/गलोमेरेटा
8. बोगसिआ स्पेक्टेबा
9. टेरोस्पर्मम एकेरि फोलियम
10. इमली
11. टर्मिनेलिया अर्जुन

पार्कों और बागों में निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है ।

1. ऐकेशिया ओरिएन्टलफार्मिस
2. बॉहिनिया वार
3. अमलतास
4. किटेक्सिआ निगुंडोआना
5. डेनोलिक्स रेजिआ
6. सर्किया इंडिका
7. जैकरेण्डा मिमोसिफोलिया
8. लारजरस्ट्रोमिया फ्लोस—रेजिनी
9. मिम्यूसप्स एलेंजिन्स
10. पेल्टाफोर्म फेरुजिनम
11. प्लूमारिया अल्बा वार
12. टेरोस्पर्मम एकेरिफोलियम
13. सर्का इंडिका
14. टेकोमा अर्जेन्टिआ
15. जिजिफेस ट्रिजुगा

(घ) उत्तर-पूर्वी जोन : पूर्वी जोन के अनुसार

(च) उत्तर पश्चिम जोन : पश्चिमी जोन के अनुसार

अनुबंध—2]

विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग

समूह—2 आवासीय क्षेत्र

(क) मुख्य योजना से पूर्व निम्नलिखित भूखण्डीय क्षेत्रों का विकास किया गया है।

1. रूप नगर
2. साहब टाउन
3. राजौरी गार्डन
4. तिलक बाग
5. डिफेन्स कालोनी
6. कैलाश, ग्रेटर कैलाश एवं एक्सटेंशन
7. निजामुद्दीन
8. गोल्फ लिंक्स
9. सुन्दर नगर
10. हौज खास इन्क्लेव एवं एक्सटेंशन
11. जंगपुरा पश्चिम
12. जोर बाग
13. डिप्लोमैटिक इन्क्लेव
14. ग्रीन पार्क

(ख) 1960 के बाद स्वीकृत समस्त भूखण्डीय क्षेत्र सामान्य और सहकारी आवास भवन भूखण्डीय क्षेत्र।

(ग) समूह-2 और समूह—1 के कालम क और ख में न आने वाला कोई अन्य क्षेत्र।

समूह—2 आवासीय क्षेत्र

(क) पुनर्वास भूखंडीय आवासीय क्षेत्र और अन्य भूखंडीय आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक भेदन सहित।

1. रूप नगर
2. कमला नगर
3. शक्ति नगर
4. राजेन्द्र नगर
5. पटेल नगर
6. गांधी नगर
7. कृष्ण नगर
8. गीता कालोनी
9. शाहदरा
10. रोहतास नगर
11. बलबीर नगर
12. राणा प्रताप बाग
13. तिमार पुर
14. शिवाजी पार्क
15. मोती नगर
16. मानसरोवर गार्डन
17. विजय नगर
18. रमेश नगर
19. किंग्जवे कैंप
20. मुल्तान नगर
21. कीर्ति नगर
22. तिलक नगर
23. इन्द्र पुरी
24. कालका जी
25. शाहदरा-टाउन
26. शालीमार बाग
27. आनन्द पर्वत

(ख) समस्त जे० जे० एवं पुनर्वास कालोनियां।

(ग) समस्त शहरी गांव।

समूह—3 आवासीय क्षेत्र

समय-समय पर विनियमित अनधिकृत कालोनियां।

अनुबन्ध—3

उद्योगों का वर्गीकरण

क. निम्नलिखित विनिर्माण इकाइयों को चरेलू उद्योगों के रूप में स्थानीय बाजार के भाग के रूप में सेवा केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, जिला केन्द्र एवं उप केन्द्रीय व्यापार जिला; हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग जोन-एस 1 भूखण्डीय समूह उद्योग ; और विस्तृत उद्योग उपयोग जोन एस 2 में अनुमति है।

1. अगरबत्ती एवं उससे मिलते-जुलते उत्पाद
2. इलैक्ट्रिकल गैजेट्सों की एसेम्बली एवं मरम्मत
3. इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की एसेम्बली एवं मरम्मत
4. सिलाई-मशीनों की एसेम्बली एवं मरम्मत
5. चैटिक वर्क्स
6. लौहारगिरी
7. ब्लॉक बनाना एवं फोटो को बढ़ाना
8. बिस्कुट, पापै, केक और कुकीज बनाना
9. बटन बनाना, बटन और हुक लगाना
10. कैमिको एवं मूर्ती-उत्पाद
11. बेंत एवं बांस उत्पाद
12. कपे एवं मोडलिंग
13. नारियल-जटा एवं जूट उत्पाद
14. गत्ते के बक्से
15. मोमबत्तियां
16. सांचे एवं पंजाब के जार्ज वेयर्स
17. जहाजी रस्से, रस्से एवं जूते बनाना
18. बढ़ईगीरी
19. संस्पर्श सेम
20. कैनवस बैग एवं बिस्तरबंद बनाना
21. कैंडीज, मिठाइयां, रसमलाई इत्यादि (जब डिब्बाबंदी न हो)
22. गत्ता/सिल्क छपाई (हाथ द्वारा)।
23. दर्जी एवं कार्टन बनाई
24. डिटरजेंट (भट्टी रहित)
25. कशीदाकारी
26. चित्रों और दर्पणों के फोल्डर बनाना
27. फाउन्टेन पैन, बाल पैन एवं पैंसिल बनाना
28. सोने एवं चांदी की चूड़ियां, कलावस्तु
29. होजरी-उत्पाद
30. कशीदाकारी सहित हैट, टोपियां, पगड़ियां
31. हाथी दांत की नक्काशी
32. फाउन्टेन पेनों के लिये स्याही बनाना
33. सोने-चांदी की वस्तुएं
34. खादी एवं हथकरघा
35. साबुन के उत्पाद

36. चमड़े के जूते
37. चमड़े एवं रैक्सीन से बनी वस्तुएं
38. निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन
(1) ब्लैंकों केकस
(2) ब्रश
(3) कैनवास
(4) कुल्फी एवं कन्फैक्शनरी
(5) जैम, जैली एवं फल-परिरक्षण
(6) संगीत-यंत्र (मरम्मत सहित)
(7) लाख-कार्य एवं इससे मिलते-जुलते कार्य
(8) पर्स, हैंड बैग जैसी चमड़े की सजावट वाली वस्तुएं
(9) छोटे इलैक्ट्रोनिक पुर्जे
39. नाम पट्ट बनाना
40. कागज-स्टेशनरी की मदें व जिल्द साजी
41. पिथ हैट, फूलों की मालायें एवं पिथ
42. पी०वी०सी० के उत्पाद (एक मोल्डिंग मशीन सहित)
43. कुछटी
44. सुगंध एवं सौंदर्यवर्धक वस्तुएं
45. फोटो सैटिंग
46. फोटो स्टैट एवं साईक्लोस्टाईलिंग
47. बड़ी, पापड़, इत्यादि बनाना
48. मसाले, गर्म मसाले, मूंगफली और दाल इत्यादि तैयार करना
49. पान-मसाला
50. घड़ियों और घण्टों की मरम्मत
51. राखी बनाना
52. शिला-तक्षण
53. खेल-कूद की वस्तुएं
54. शल्य पट्टियों की रोलिंग व कटिंग
55. स्टोव का पिन, सेफ्टी पिन एवं एल्यूमिनियम के बटन (हैंड प्रैस द्वारा)
56. चांदी का वर्क बनाना
57. साड़ी की फाल बनाना
58. सिलाई
59. धागे के गोले एवं सूत की भराई
60. खिलौने एवं गुड़ियां
61. छातों की गुड़ाई
62. ग्रामीण पोटरी उद्योग (भट्टी रहित)
63. ग्रामीण तेल घानी
64. रोएदार मुलायम चमड़े से जड़े हुए जूते/शालस
65. सिलाई एवं मैकरोनी
66. लकड़ी की नक्काशी एवं सजावटी लकड़ी की वस्तुएं
67. ऊन के गोले बनाना और लच्छी बनाना
68. लकड़ी/गत्ते के आभूषणों के बक्से (अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने की शर्त पर)
69. ऊन की बुनाई (मशीन से)
70. घरेलू उपयोग

(ख) निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों को स्थानीय बाजार के माग के रूप में सेवा केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, जिला केन्द्र एवं उप केन्द्रीय व्यापार जिला हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग जोन-एम 1, कुटीर एवं लघु उद्योग और विस्तृत उद्योग उपयोग जोन-एम 2 में अनुमति है।

71. एल्यूमिनियम फर्नीचर
72. एयरकन्डीशनर के पुर्जे
73. एल्यूमिनियम की चादरें
74. एल्यूमिनियम के दरवाजे/खिड़कियां/जुड़नार
75. साईकिलों की एसेम्बली एवं मरम्मत
76. आटे की चक्की और मसालों व दाल की पिसाई
77. आटो-पुर्जे
78. पेटियां और बक्सम
79. ब्रश
80. बेकरीज और बेकरीज (प्रतिबन्धित)
81. कपड़ा-रंगाई
82. कपास-ओटाई
83. सूती एवं रेशमी पर्दों की छपाई
84. साईकिल-रेम
85. साईकिल-व्हील
86. दाल मिल
87. लकड़ी की कटाई एवं पालिश का कार्य
88. बिजली जुड़नार्ज (स्विच, प्लग, पिन इत्यादि)
89. इलैक्ट्रोप्लेटिंग साईनाप्लेटिंग, एनोडिंग
90. इलैक्ट्रोनिक्स-वस्तु-विनिर्माण (बड़े पैमाने पर)
91. इलास्टिक-उत्पाद
92. इलैक्ट्रिक-मोटर एवं पुर्जे
93. इलैक्ट्रिक प्रैस की एसेम्बलिंग
94. इंजन निर्माण-कार्य
95. इंजीनियरिंग
96. इंजीनियरिंग (लघु स्तर कार्य)
97. एडिंग मशीन
98. कपड़े के बक्से और कूलरों की बाडी
99. लोहे की खिड़कियां एवं दरवाजे बनाना
100. जूट-उत्पाद
101. चमड़े के छल्ले
102. चाकू बनाना
103. संगमरमर के पत्थर की वस्तुएं
104. मशीनों के औजार
105. मिक्सर
106. मोटर मीटर कटिंग
107. मोटर वाईंडिंग-कार्य
108. तेल उद्योग
109. पावर लूम
110. फोटोग्राफ, प्रिंटिंग (साधारण कोर्डों की प्रिंटिंग सहित)
111. लघु छपाई-प्रैस (बशर्ते कि समस्या उत्पन्न न करे)
112. लघु घरेलू यंत्रों और बेटरियों की मरम्मत (जैसे इस्त्री हीटर, इन्वर्टर, हाट प्लेट आदि)
113. रबड़ की मुहरें
114. सेनेटरी का सामान
115. पेंच और कील
116. पर्दों की छपाई

117. कैंची बनाना
118. जूते के फीते
119. साबुन बनाना
120. चश्मों और धूप की ऐनकों के फ्रेम
121. स्टील-फर्नीचर
122. स्टीलबलाकर्स
123. स्टील की स्प्रिंगें
124. स्टील की अलमारियां
125. स्टैम्प पैड्स
126. शल्य यंत्र एवं उपस्कर
127. टेबल लैम्प एवं शेड्स
128. टिम्बर कटिंग
129. टीन के बक्से बनाना
130. ट्रांसफार्मर के कवर
131. टी. वी., रेडियो, कैसेट, रिकार्डस इत्यादि
132. टी. वी./रेडियो/ट्रांजिस्टर की केबिनेटें
133. टायर-रिट्रेडिंग
134. टाइपराइटर के पूर्जों का विनिर्माण करना एवं उनकी एसेम्बलिंग करना
135. पानी के मीटरों की मरम्मत करना
136. पानी की टंकियां
137. वैल्डिंग के कार्य
138. वायर नेटिंग
139. लकड़ी के फर्नीचर के कार्य

ग. निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों की सामुदायिक केन्द्र के भाग के रूप में सेवा केन्द्र, जिला केन्द्र एवं उप केन्द्रीय व्यापार जिला, हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग जोन एम-1, भूखण्डीय समूह उद्योग और विस्तृत उद्योग उपयोग जोन-एम-2 में अनुमति है ।

140. पीतल की जुड़नारें
141. इलाई (औद्योगिक)
142. तांबे की धातु के पुर्जे
143. प्लास्टिक की मोल्डिंग के लिए डाईयां
144. शीशे का कार्य (एसेम्बली प्रकार वाला)
145. कब्जे एवं हार्डवेयर
146. ताले
147. लैम्प और
148. दुग्ध क्रीम सेप्रेटर्स
149. प्लास्टिक के पुर्जों की पालिश करना
150. स्टील की पत्ती की स्प्रिंग का विनिर्माण
151. बर्तन

घ. निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों की जिला केन्द्र एवं उपकेन्द्रीय व्यापार जिला के भाग के रूप में सेवा केन्द्र, हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग जोन ।

एम-1 भूखण्डीय समूह उद्योग और विस्तृत उद्योग उपयोग जोन-एम-2 में अनुमति है ।

152. ब्रीफ केस एवं बैग
153. सजावटी सामान
154. वाहनों की डेंटिंग एवं पेंटिंग
155. बोतलें
156. धातु के डिब्बे
157. रोलिंग शटर

च. निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों को हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग जोन-एम 1, भूखण्डीय समूह उद्योग और विस्तृत उद्योग उपयोग जोन-एम 2 में अनुमति है ।

158. रासायनिक खाद एवं फसलों का रस
159. कृषि-यंत्रों की मरम्मत करना
160. पम्पों के पुर्जे
161. एल्युमिनियम-बेअर्स, कांच और लेदर के सांचे
162. अर्थन, मूवरेस और ब्रेकडाउन
163. आटोमोबाइल्स की सर्विस और मरम्मत करने की कार्यशाला
164. बैटरी चार्जिंग
165. ब्लोअर पंखे
166. ब्रुश एवं झाड़ू
167. ब्रास का कार्य (पाइप)
168. बिल्डर्स हार्डवेअर्स
169. बटन, क्लिपें
170. बाल्टियां
171. कन्फैक्शनरी कैंडीज एवं मिठाईयां
172. शीतागार एवं रेफ्रिजेरेशन
173. सीमेंट के उत्पाद
174. तांबे के बेअर एवं बर्तन
175. कटलरी
176. कंक्यूट नालिकाएं
177. औषधियां एवं दवाईयां
178. दरवाजे और खिड़कियां
179. इलैक्ट्रिक लैम्प, शेड्स, डिसचरस
180. विद्युत-साधित्र (रूम हीटर, लैम्प इत्यादि)
181. फेब्रिकेशन (जैसे कैंची व फ्रेम)
182. प्रतिदीप्त प्रकाश जुड़नार (निर्वात-सादित्र सहित)
183. फल-डिब्बाबंदी
184. ग्राईंडिंग कार्य
185. घरेलू बर्तन (वैल्डिंग, टंकाई, चिप्पी लगाना और पालिश करना)
186. घरेलू/रसोई के साधित्र
187. हैंड टूल्स
188. हेलमेट
189. लोहा ढलाई घर
190. इन्डस्ट्रियल फास्टनर्स
191. इंटेरोलोकिंग व बटन लगाना
192. स्याही बनाना
193. प्रयोगशाला पोर्सिलिन, दंत प्रोसलिन बेअर्स
194. लान्ड्री, ड्राईक्लीन और रंगाई
195. लालटेन, टार्च और फ्लैश लाईट
196. ट्रंकों और धातु के बक्सों का विनिर्माण
197. धातु पर पालिश करना
198. दूध की क्रीम की मशीनें
199. दुग्ध-परीक्षण करने वाले यंत्र
200. विविध मशीनों के पुर्जे

201. नट, बोल्ट, पुली चेन और गिअर्स
202. प्रकाशकीय उपकरण
203. तेल-स्टोव, प्रकाश-दीप और उप सा न
204. छपाई, जिल्दसाजी, उभरी छपाई और फोटोग्राम इत्यादि ।
205. ताले और यंत्रदावित ताले
206. समस्त प्रकार के सूक्ष्म उपकरण
207. प्लास्टिक जिग, जुड़नार और धातु की नक्काशी
208. फोटोग्राफी का सामान
209. कागज काटने वाली मशीनें
210. प्रेशर कुकर
211. छल्ले और अखुजे
212. रेजर ब्लेड
13. स्टेशनरी-नार्द (शैक्षणिक एवं स्कूल-ड्राइंग के उपकरणों सहित)
214. स्टील के तार के उत्पाद
215. शीट मैटल वर्क्स
216. जूते बनाना और मरम्मत करना
217. सू-ग्राइन्डरी
218. सेफ्टी पिनें
219. स्टेपलर पिनें
220. तम्बाकू-उत्पाद (सिगरेट और बीड़ियां)
221. टिन के उत्पाद
222. सिलाई-सामग्री
223. ट्रक एवं बस (बाडी बनाना)
224. टेलीफोन के पुर्जे
225. थर्मामीटर
226. पोशिश स्प्रिंग और अन्य स्प्रिंगें
227. मोम पोलिशिंग
228. घड़ी और घण्टों के पुर्जे
229. नहाने का साबुन
230. पानी के मोटर
231. जिप-बंधन

ख. निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों की विस्तृत उद्योग उपयोग जोन एम-2 में अनुमति है ।

232. आटोमोबाइलों के पुर्जे एवं ढलाई
233. अम्ल एवं रसायन (छोटे पैमाने वाले)
234. कृषि-साधित्र एवं औजार (मध्यम पैमाने वाले)
235. एल्यूमिनियम के उत्पाद
236. एल्यूमिनियम एमीडाईजिंग
237. बूचड़खाने के आनुषंगिक उद्योग
238. आटो इलैक्ट्राप्लेटेड उपसाधन
239. आटोमोबाइल पत्तो की स्प्रिंगें (बड़े पैमाने पर)
240. बैटरी के बक्से
241. बैटरी व उप साधन
242. पशुओं का चारा
243. मृत्तिका एवं चीनी मिट्टी के उद्योग
244. अपकेन्द्री पम्प एवं लघु टरबाइनें
245. कंक्रीट एवं माजेक उत्पाद
246. बनने वाले दरवाजे, रोलिंग एवं ग्रिल्स
247. कसाब-ओटाई (बड़े पैमाने पर)
248. दरी एवं कालीन (बड़े पैमाने पर)
249. रोगाणुनाशक एवं कीटनाशी (छोटे पैमाने पर)
250. रंगाई, ब्लीचिंग, फिनिशिंग, प्रोसेसिंग वस्त्र (मर्सराइजिंग, कैलेंडरिंग, चमकाने आदि सहित)
251. बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर एवं जेनरेटर
252. इलैक्ट्रोप्लेटिंग (बड़े पैमाने पर)
253. एनेमल का सामान
254. बरफी जाली
255. अग्नि शमन उपस्कर
256. प्रतिदीप्त प्रकाश
257. फ्लोर मिल
258. फुटवीयर
259. फोम पाइल्स
260. ईंधन-गैस (उत्पाद सहित)
261. गैल्वनीकृत बाल्टियां
262. कांच के उत्पाद (छोटे पैमाने पर)
263. ग्रीस, तेल इत्यादि
264. जी. आई., कुट्टय पाइप-जुड़नारें
265. हैंड प्रेस
266. हूयूम पाईप (छोटे पैमाने पर)
267. हाईड्रोलिक प्रेस
268. लोहा ढलाईघर (मध्यम पैमाने पर)
269. लोहे के पाईप
270. लोहे के हथौड़े
271. लैथ मशीनें
272. चमड़े की पोलिश एवं अन्य चमड़े की वस्तुएं
273. निकल पालिश करना
274. पेंट एवं वारनिश
275. प्लास्टिक के उत्पाद (बड़े पैमाने पर)
276. प्लास्टिक को ढाई
277. कागज के उत्पाद
278. पालिश का कार्य
279. फले-प्रोसेसिंग एवं अन्य मिट्टियां
280. पी. वी. सी. कम्पाउन्डस
281. पोलिथिन की थैलियां
282. रेफरीजेरेटर्स एवं एअर कन्डीशनरस
283. रेल-युग्मक पुर्जे
284. रबड़ की वस्तुएं (छोटे पैमाने पर)
285. बिजली के पंखे
286. आरा मिल एवं लकड़ी का कार्य
287. छोटी मशीनें एवं मशीनों के औजार
288. स्प्रेअर्स (हाथ एवं पैर से)
289. रेक्टनाग्यूलर स्क्वेयर-फेब्रीकेशन्स
290. मोटर मोड़ने की प्रेस
291. चाप-भाड़ी
292. स्टील की रोलिंग मिल्स (छोटे पैमाने पर)
293. स्टील की ढलाई
294. स्टील-तार की खिंचाई

295. पत्थर तोड़ने वाली मशीन के पुर्जे
296. कैंची बनाना
297. मसाले की फैक्टरी
298. शल्य-चिकित्सा की वस्तुएं
299. तिरपाल एवं तम्बू का कपड़ा
300. सूती मिलें (मध्यम पैमाने वाली)
301. शृंगार साबुन
302. ट्रैक्टर के पुर्जे
303. टाइपराइटर
304. छतरी की रिबें
305. बर्तन
306. निर्वात फ्लास्क
307. प्लाईवुड की पर्त
308. वाटरप्रूफ सूती उत्पाद
309. तार-खिंचाई, लिपेटना और बिजली के तार
310. तार की जाल बनाना
311. शराब बनाना
312. लकड़ी की संरचनात्मक वस्तुएं
313. लेखन एवं अंकन स्याही
314. एक्स-रे की मशीनें
315. जिंक पालिश करना

निम्नलिखित शर्तें उद्योग के संबंधित वर्ग पर लागू होंगी ।

वर्ग "क"

सं. 1 से 70 तक

इन औद्योगिक इकाईयों की निम्नलिखित शर्तों पर आवासीय परिसरों में अनुमति है

कामगारों की अधिकतम संख्या	5
पावर-लोड	1 किलोवाट तक

वर्ग क एवं ख

संख्या 1 से 139 तक

इन औद्योगिक इकाईयों की निम्नलिखित शर्तों पर सेवा केन्द्र (स्थानीय बाजार) में अनुमति है ।

कामगारों की अधिकतम संख्या	5
पावर-लोड	3 किलोवाट तक

वर्ग क, ख एवं ग

संख्या 1 से 151 तक

इन औद्योगिक इकाईयों की निम्नलिखित शर्तों पर सेवा केन्द्र (सामुदायिक केन्द्र) में अनुमति है ।

कामगारों की अधिकतम संख्या	9
पावर-लोड	3 किलोवाट तक

वर्ग क, ख, ग एवं घ

संख्या 1 से 157 तक

इन औद्योगिक इकाईयों की निम्नलिखित शर्तों पर सेवा केन्द्र (जिला स्तरीय केन्द्रीय व्यापार जिला) में अनुमति है ।

कामगारों की अधिकतम संख्या	19
पावर-लोड	5 किलोवाट तक

वर्ग क, ख, ग, घ एवं च

संख्या 1 से 231 तक

(1) इन इकाईयों की निम्नलिखित शर्तों पर हल्के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमति है ।

कामगारों की अधिकतम संख्या	50
पावर-लोड	30 किलोवाट तक

(2) इन इकाईयों की निम्नलिखित शर्तों पर ही भूखण्डीय समूह औद्योगिक क्षेत्र में अनुमति है ।

कामगारों की अधिकतम संख्या	50
पावर-लोड	30 किलोवाट तक

भूखण्डीय समूह उद्योग इकाईयों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों की अनुमति है जिनमें निम्नलिखित की अधिकता न हो,

(1) कम्पन

(2) ठोस एवं तरल कूड़ा-करकट

(3) कच्चे माल/तैयार किए गए उत्पादों का आवागमन

वर्ग क, ख, ग, घ, च एवं छ

संख्या 1 से 315 तक

इन इकाईयों की निम्नलिखित शर्तों पर विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमति है ।

विद्यमान इकाईयों में कामगारों की अधिकतम संख्या	500
नई इकाईयां	50

अनुबंध 3-ज

ग्रामीण उपयोग जोन में औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत उद्योग

1. उत्प्रेरित कार्बन
2. जो का रस एवं सीरप
3. बेर कैंडी और अमरूद फल बार
4. गमों का चारा
5. सिट्रस-वंश के फलों का रस
6. कल्केशनरी
7. दाल-मिलिंग
8. शुष्क-सब्जियां
9. यूक्लिपटस का तेल
10. फ्लोर-मिलिंग
11. फ्यूल-ब्रिकेट्स
12. माल्टा की ग्रेडिंग, वैक्सिंग एवं पालिशिंग
13. अंगूर का सिरका एवं जूस
14. मूंगफली का तेल
15. ग्वार-स्प्लिट
16. गुड़ और खांडसारी
17. हाथ से बनाया हुआ कागज
18. आईसक्रीम
19. सैक्टिक एवं ऑक्सैलिक अम्ल
20. दालों की पिसाई
21. सरसों का तेल एवं पाउडर
22. पास्चुरीकृत दूध एवं इसके उत्पाद
23. अचार, चटनी एवं मुरब्बा
24. मूर्ग-मुर्गियों का चारा
25. तैयार फल एवं सब्जियों के उत्पाद

26. ग्लूकोज और स्टार्च
27. रेप सीड तेल
28. लाल मिर्चों की तैलीय राल
29. चावल की पिसाई
30. तिल का तेल
31. मसाले की पिसाई
32. ईख-क्रेवस
33. गत्ते
34. शल्य चिकित्सा की पट्टियां
35. टमाटर की चटनी और सब्जियों का रस
36. बेकिंग फूड
37. इस अनुबंध के भाग "क" के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 से 10 तक में दी गई औद्योगिक इकाईयों को भी अनुमति है।

अनुबंध 3-अ

संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के भीतर निषिद्ध उद्योग

(क) खतरनाक/हानिकारक औद्योगिक इकाईयां	विशेषताएं
सैलूलोज उत्पाद	
1. कार्बन ब्लेक एवं सभी प्रकार के कार्बन ब्लैक	अग्नि संकट
2. कच्चे तेल को शुद्ध करना, तैयार करना और रंजन करना पैट्रोलियम जैसी, गैस पैकिंग आदि सहित नेप्था-रंजन	ज्वलनशील धुंआ और शोर
3. ईंधन तेल, प्रदीपन तेल और अन्य तेल जैसे सैटिक तेल, शेल तेल, चिकनाई	अग्नि संकट
4. औद्योगिक ऐलकोहल	दुर्गन्ध
5. मानिस	अग्नि संकट
6. समाचार पत्र का कागज	दुर्गन्ध, संदूषित घोवन जल, अग्नि संकट
7. पेन्ट, एनेमल, रंग, वारनिश, (लियो वारनिश के अतिरिक्त) वारनिश रिमूवरस्, तारपीन और तारपीन के प्रतिस्थापक	अग्नि संकट
8. पैट्रोलियम-कोक, ग्रेफाइट-उत्पादन	अग्नि संकट
9. प्रिंटिंग स्याही	अग्नि संकट
10. रेयन-सूत, वस्त्र पदार्थ, माथोफेन कागज [इत्यादि, सैलूलोज नाईट्रेड, सेलूलोज वस्तुएं, स्क्रेप और बिलय	अग्नि संकट
सीमेंट और रिफ्रेक्टरीज	
1. एसबेस्टस सिमेंट	धूआं
2. चूने की भट्टियां (3 टन की क्षमता से अधिक)	अग्नि संकट
3. भारी धातु की ढलाई (स्टीम और पावर हेमर का उपयोग करने वाला)	शोर, धूआं, कम्पन
4. मैकेनिकल पत्थर तुड़ाई	धूल, पत्थर गारा, शोर
5. पोर्टलेड सीमेंट	धूल
6. रिफ्रेक्टरीज	धूआं
विस्फोटक और गोला-बारूद	
1. विस्फोटक अथवा उनके उपादान जैसे आतिशबाजी, बारूद, गन कॉटन आदि	अग्नि-संकट
2. औद्योगिक निट्रेटिन नाइट्रो ग्लिसरीन और फलमिनेट	अग्नि-संकट
उर्वरक	
1. नाइट्रोजीनियस और फास्फोटिक उर्वरक, मिलान हेतु उर्वरकों के मिश्रण के अतिरिक्त (बड़े पैमाने पर)	अग्नि, शोर, हानिकारक गैसें और धूल
फल	
1. ऐक्रेटबाअर्स	अप्रिय गंध दूषित जल
2. ऐनकोलूम आगलबी, ब्रेडफोर्ड और पोटेबल स्प्रिट	ओरेडिंग के कारण शोर, अग्नि-संकट, दुर्गन्ध
3. सीवर-परिष्करण	दुर्गन्ध, अग्नि-संकट
4. वनस्पति-तेल	शोर, दुर्गन्ध
अकार्बनिक रसायन उद्योग	
1. अम्ल-सल्फ्यूटिक, अम्ल, नाईट्रिक अम्ल, ऐसीटिक अम्ल, हाईड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल बैटरी अम्ल, बेंजमिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, क्लोरो सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि	अग्नि संकट, आक्रामक धूम और धूंआ
2. क्षार-कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, सोड़ा-ऐश इत्यादि	अग्नि संकट संक्षारक
3. कार्बन-डाइसल्फाइड, नीला लाजवर्द, क्लोरोन-हाइड्रोजन इत्यादि	अग्नि संकट धूम और धूंआ
4 खनिज रंजन (जिनमें अम्लों का प्रयोग होता है)	अग्नि संकट धूम और धूंआ
चमड़ा और अन्य जान्तव उत्पाद	
1. जन्तु और मछली का तेल	अग्नि संकट
2. अस्थि-पैष्प, अस्थि-चूर्ण, अस्थि-गाउडर अथवा खुले में अस्थियों का भण्डारण	अप्रिय गंध
3. अस्थि-निष्कर्षण	
4. अस्थि और मांस के ग्रीज और जिलेटिन	अप्रिय गंध
5. चमड़ा रंगाना	अप्रिय गंध

धातुकर्मक उद्योग	
1. धमन-भट्टी	शोर, धूल, धुंआ और अग्नि संकट
2. मिश्रणों को अयस्क सल्फाइड आँक्साइडस का अर्जन	शोर, धूल, धुंआ और अग्नि संकट
3. सिन्टरिंग, द्रावण	शोर, धूल, धुंआ और अग्नि संकट
आर्गेनिक रसायन उद्योग	
1. ऐसीटिसाइड, फिडाईल आ-योडोफार्म, क्लोरोफार्म, पा-नेप्थॉल इत्यादि	अग्नि संकट, वाष्प
2. संपीडित स्थायी द्रवीकृत और विलीन औद्योगिक गैसें	अग्नि संकट
3. रंग और रंग-सामग्री मध्यम	अम्लीय द्रव मलनिस्सारी
4. कीटनाशी, पेस्टिसाईड्स कवकनाशी	अप्रिय गंध, धूल और अग्नि संकट
5. कार्बनिक विलायक, क्लोरिनीकृत धातुएं, मेथोनॉल, ऐल्डीहाइड, मियेलेटिड स्पिरिट	अग्नि संकट अप्रिय गंध
6. कोल्टर आसवन पर आधारित फीनॉल और सम्बन्धित उद्योग	अग्नि संकट
7. पोलिथिन, पी. वी. सी., रेजिन, व नाईलोन	अग्नि संकट
8. संश्लिष्ट डिटरजैंटस	
9. संश्लिष्ट रबड़	द्रव मलनिस्सार सहित, अप्रिय गंध
कागज और कागज के उत्पाद	
लुग्दी, पेपर बोर्ड और गत्ते का विनिर्माण (बड़े पैमाने पर)	विष
एमोनियम-सल्फो साइनाइड, आर्सेनिक और इसके यौगिक, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम साइनाइड, बेरियम हथेले सल्फेट बेरियम एसेटेट, सिंगरफ, कॉपर सल्फो साइनाइड, फेरो साइनाइड, हाइड्रो-साइनाइड, हाई-ड्रोसायनिक अम्ल, पोटासियम बायोआक्सालेट, पोटाशियम साइनाइड, पोटाश का प्रुसिएट, पाइनोजेलिक अम्ल, सिल्वर साइनाइड	यदि उसी तल पर रखा जाए अथवा उससे ऊपर के तलों पर रखा जाए तो खाद्य का दूषण, अग्नि संकट
रेडियोधर्मी तत्व	
थोरियम, रेडियम एवं इस जैसे आइसोटोटस एवं मृद् प्राप्ति	विकिरण संकट
रबड़ उद्योग	
रबड़ को उपयोगी बनाना और टायरों, धातु नेथ्या वाली रबड़ का घोल रबड़-अपशिष्ट	अप्रिय गंध धूल, अग्नि

वस्त्र	
1. साफ रेग्स, मॉयलॉ एवं ग्रिजी रेग्स	अग्नि संकट
2. फलैक्स यार्ड एवं अन्य फाइबरस	अग्नि संकट
3. ऑयल शीटस एवं वाटर प्रूफ रनर्स	अग्नि संकट
4. [illegible]	[illegible]
5. ऊन शिनिंग	धुलाई के कारण अशुद्ध द्रव अपशिष्ट
सकड़ी और सकड़ी के उत्पाद	
सकड़ी का आसवन, पकाना और सुखाना	अग्नि संकट, शीघ्र प्रज्वलित होने वाली हानिकारक गैसें
विविध	
कैल्सियम कार्बाईड, फॉस्फोरस, ऐलुमिनियम-डस्ट पैस्ट और पाउडर, तांबा, जिंक इत्यादि (इलैक्ट्रोथर्मल उद्योग)	अग्नि संकट
(ब) भारी एवं बड़े उद्योग	
1. कृषि-औजार (बड़े पैमाने पर)	
2. वायु एवं गैस कम्प्रेसर	
3. वायुयान-निर्माण	
4. लोकोमोटाइव्स एवं कोच-निर्माण	
5. साईकिल (बड़े पमाने पर)	
6. वाहक एवं वाहन-उपस्कर	
7. सूती वस्त्र (बड़े पैमाने पर)	
8. क्रेन एवं हविस	
9. डीजल इंजिन	
10. मिट्टी हटाने की मशीनरी	
11. इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स एवं स्टैम्पिंस	
12 बिजली के तार एवं केबिल (बड़े पैमाने पर)	
13. ढलाई खाने (भारी)	
14. सामान्य औद्योगिक मशीनरी (जैसे हाईड्रोलिक-उपस्कर, ड्रिलिंग-उपस्कर, बॉयलर इत्यादि)	
15. भारी लोहे और इस्पात की ढुलाई	
16. हयूम पाईप (बड़े पैमाने पर)	
17. औद्योगिक ट्रेक्स, ट्रेवरस, स्टैकर्स इत्यादि।	
18 लिफ्टें	

21. रेल-रेलन एवं डिब्बे
22. मोटर साईकिलें एवं ट्रैक्टर
23. प्रकाशीय कांच
24. अल्प प्राइमरी धातु उद्योग (अर्थात् कोल्ड रोल्ड शीट, मिश्रधातु की चादरें इत्यादि)
25. पावर चालित पम्प एवं पिम्पिंग उपस्कर
26. सिलाई-मशीनें (बड़े पैमाने पर)
27. स्लूस कपाट और गियरिंग्स
28. विशेष औद्योगिक मशीनरी
29. भाप इंजिन
30. स्टील पाईप और ट्यूबें
31. स्टील-चैन्स
32. स्टील-कार्य, रोलिंग एवं रीरोलिंग मिल
33. इस्पाती रचना गढ़ाई (बड़े पैमाने पर)
34. चीनी
35. टेलीफोन के उपकरण
36. ट्रैक्टर एवं कृषि की मशीनरी (पावर-चालित)
37. निचले ढांचे एवं चैसिस
38. जल-टरबाइनें
39. तार-रस्से
40. ऊनी वस्त्र (बड़े पैमाने पर)

अनुबंध 4

विद्यमान आवासीय क्षेत्रों के लिए विनियम

(क) न्यूनतम प्लाट साइज

दुमंजिले दो परिवार के आवास के लिए एक आवासीय प्लाट का न्यूनतम साइज 125 वर्ग गज (104.51 वर्ग मी.) होना चाहिए। निम्न आय वर्गों और स्लम पुनर्वास के लिए कम लागत आवास के मामले में न्यूनतम प्लाट साइज इस प्रकार होंगे—दो आवासीय इकाइयां प्रत्येक तल पर एक—के लिए 80 वर्ग गज (66.88 वर्ग मी.) और एक आवासीय इकाई के लिए लगभग 33 वर्ग मी. बरसाती बिना दुमंजिले।

(ख) प्लाट कवरेज

प्लाट कवरेज इस प्रकार होगा

	प्रत्येक तल पर कवरेज
300 वर्ग गज (250.83 वर्ग मी.) तक	60 प्रतिशत
300 वर्ग गज (250.83 वर्ग मी.) से अधिक और 600 वर्ग गज (501.66 वर्ग मी.) तक	50 %
600 वर्ग गज (501.66 वर्ग मी.) से अधिक और 1200 वर्ग गज (1003.32 वर्ग मी.) तक	40 प्रतिशत
1200 वर्ग गज (1003.32 वर्ग मी.) से अधिक	33 1/3 प्रतिशत

लेकिन, जिन क्षेत्रों को दिल्ली नगर निगम की स्थापना के पूर्व दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया था, 300 वर्ग गज (167.22 वर्ग मी.) तक के प्लाटों के लिए अनुमेय प्लाट कवरेज निम्न प्रकार होगा —

(1) 100 वर्ग गज (83.61 वर्ग मी.) तक—प्रत्येक तल पर 75 प्रतिशत।

(2) 100 वर्ग गज (83.61 वर्ग मी.) से अधिक और 200 वर्ग गज (167.22 वर्ग मी.) तक प्रत्येक तल पर 66 2/3 प्रतिशत।

कवर किया जाने वाला क्षेत्र निचले वर्ग के सबसे बड़े साइज के प्लाट के लिए अनुमेय कवर किए जाने वाले क्षेत्र से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1028.44 वर्ग मी. (1230 वर्ग गज) के प्लाट में कवर किया जाने वाला क्षेत्र 1003.36 वर्ग मी.) 1200 वर्ग गज (का. 40 प्रतिशत अर्थात् 401.34 वर्ग मी.) (480 वर्ग गज) होगा और 1028.44 वर्ग मी. (1230 वर्ग गज) का 1/3 भाग जो केवल 342.81 वर्ग मी. (410 वर्ग गज) बैठता है, नहीं होगा।

(ग) तल

व्यक्तिगत आवासीय प्लाटों में सामान्यतः सब से ऊपर बरसाती तल की व्यवस्था सहित केवल दुमंजिला बिल्डिंगों के लिए अनुमति दी जाए। 200 वर्ग गज से अधिक के व्यक्तिगत प्लाटों में स्टिल्टों पर बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन यह है कि स्टिल्टतल बिल्डिंग का पूरा तल माना जाएगा। 300 वर्ग गज (250.83 वर्ग मी.) और उससे अधिक के व्यक्तिगत प्लाटों में, जिनका अग्र-भाग 80 फुट (24.38 वर्ग मी.) या उससे अधिक के सामाधिकार की सड़क पर है, सब से ऊपर बरसाती सहित पूर्ण तीन मंजिले निर्माण की अनुमति दी जाए।

जहां बरसाती की अनुमति हो, वहां निचली मंजिल या बरसाती की निकटतम नीचे की मंजिल के आवृत क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत या 1000 वर्ग फुट (92.9 वर्ग मी.), जो भी कम हो से अधिक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें बरसाती तक जाने वाली सीढ़ी द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल भी शामिल होगा बरसाती तल हो सकती है। घनत्व निकालने के लिए बरसाती तल को आवासीय मंजिलों के रूप में गिना जाता है।

(घ) सेट बैक लाइनें

व्यक्तिगत प्लाटों के लिए प्लाट की गहराई के अनुसार निम्नलिखित सेट बैक लाइनें निर्धारित की जाती हैं।

(च) अग्र सेट बैक

प्लाट की गहराई	प्लाट सीमा से आवश्यक न्यूनतम सेट बैक
1. 60 फुट (18.28 मी.)	10 फुट (3.04 मी.)
2. 60 फुट (18.28 मी.) से अधिक और 90 फुट (27.43 मी.) तक	15 फुट (4.57 मी.)
3. 90 फुट (27.43 मी.) से अधिक और 120 फुट (36.57 मी.) तक	20 फुट (6.08 मी.)
4. 120 फुट (36.57 मी.) से अधिक और 150 फुट (45.72 मी.) तक	25 फुट (7.61 मी.)
5. 150 फुट (45.72 मी.) से अधिक और 200 फुट (60.96 मी.) तक	30 फुट (9.14 मी.)
6. 200 फुट (60.96 मी.) से अधिक	40 फुट (12.18 मी.)

(2) पिछली सेट बैक लाइन

आग की सैट बैक लाइन के अतिरिक्त पर्याप्त प्रकाश और वायु परिसंचरण के लिए संबंधित प्रतिबंधों के अधीन नगरपालिका उपविधी के अनुसार प्लाटों के पीछे की ओर भी सैट बैक की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(3) साइड सैट बैक लाइन

प्रत्येक साइड की ओर प्लाट लाइन से कम से कम 10 फुट (3.04 मी.) की साइड सैट बैकें वियोजित प्लाटों पर छोड़ी जानी चाहिए । अर्ध-वियोजित प्लाटों में एक साइड की ओर साइड सैट बैक प्लाट लाइन से बिल्डिंग लाइन तक कम से कम 10.0" (3.04 मी.) होनी चाहिए । पंक्ति आवास में कार्नर प्लाटों को यातायात आवश्यकताओं के अनुसार सड़क मार्गाधिकार से उचित रूप से सैट बैक किया जाना चाहिए । जहां गैरजों की व्यवस्था की जानी हो, मोटर-गाड़ियों के आसानी से मुड़ने के लिए गरजों को सर्विस लेन की केन्द्र लाइन से 15 फुट (4.57 वर्ग मी.) सैट बैक किया जाना चाहिए ।

(1) विभिन्न साइज के प्लाटों में कर्मचारियों के क्वार्टरों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी ।

(1) 300 वर्ग गज (250.83 वर्ग मी.) तक के प्लाट-शून्य

(2) 300 वर्ग गज (250.83 वर्ग मी.) से अधिक के प्लाट प्रति आवासीय इकाई एक कर्मचारी क्वार्टर ।

(2) प्रत्येक कर्मचारी क्वार्टर में रसोईघर, स्नानघर और शौचालय के अतिरिक्त एक रहने लायक कमरा होगा, जिसका फर्श क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट (11.14 वर्ग मी.) से अधिक नहीं होगा ।

(3) घनत्व निकालने के लिए प्रति कर्मचारी क्वार्टर जनसंख्या की संख्या 2 गिनी जाएगी ।

अनुबंध 5

(क) चार दीवारी के शहर से औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानान्तरित किए जाने वाली विनिर्माण इकाइयों (टाइपों) की सूची :—

1. विद्युत केबिल एवं तार
2. प्लास्टिक, पी. वी. सी. एवं रबड़ की वस्तुएं
3. विभिन्न प्रकार की धातु पालिश के कार्य सहित इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य
4. पेंट
5. डाई
6. एसिड एवं केमिकल्स
7. स्पाइस ग्राइन्डिंग
8. ग्रीस
9. कार्ड बाक्स (बड़ा साइज)
10. बैटरी बाक्स
11. तम्बाकू प्रक्रमण
12. मैटल बाक्स (बड़ा साइज)
13. अन्य कोई हानिकर प्रकार का विनिर्माण एवं प्रक्रमण इकाई

(ख) निम्नलिखित व्यापारों को संबंधित व्यापारों के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाएगा :

1. पी. वी. सी. थोक बाजार (विस्तृत अध्ययन करने के बाद पटपड़गंज स्थानान्तरित किया जा सकता है) ।
2. थोक केमिकलों से संबंधित व्यापार ।
3. डेरियां
4. बड़े गोदाम/भण्डार (बरतनों) सहित स्थानान्तरित जाएगा ।
5. फल और सब्जी बाजार (फूल मंडी)

अनुबंध–6

मुख्य प्रस्तावों का सार

1. क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय योजना

दिल्ली की जनसंख्या बड़ी तेज गति के साथ बढ़ रही है, जिससे नगरीय विकास और प्रबंध की जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही है यदि इस वृद्धि के भार को अन्य छोटे-छोटे नगरों में बांट दिया जाए तो नगर के केन्द्रीय भाग को राहत मिलेगी और यह छोटे आवासों के लिए शक्ति का साधन सिद्ध होगा । इस प्रसंग में, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लिए संघ सरकार का निर्माण एवं आवास संस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा. रा. क्षे.) की योजना माध्यम से दिल्ली और निकटवर्ती राज्यों के प्रयासों को समन्वित कर रहा है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं ।

उप-क्षेत्रीय स्तर पर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित दिल्ली महानगर क्षेत्र को योजना के लिए एक नगरीय समूह मानना चाहिए । अब क्षेत्रीय प्रसंग अर्थात् दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारणाएं और योजनाएं 1962 की तुलना में आज अधिक महत्व पूर्ण हो गई हैं । योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास की नीतियां निर्दिष्ट की गई हैं जहां दिल्ली महानगर क्षेत्र की दिल्ली की देहलीज पर एवं दक्षिण में हरियाणा की ओर फैली हुई दिशा में नगरीय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूरा परिचालित किये गया है ।

2. जन संख्या और रोजगार

वृद्धि की वर्तमान दर के अनुसार वर्ष 2001 तक दिल्ली की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में 144.26 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 5.27 लाख हो जाएगी । यद्यपि क्षेत्रीय विकास पीछे रह गया है, लेकिन इस संबंध में किए जाने वाले सकारात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में 121.73 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.47 लाख हो जाएगी । 19 लाख के अतिरिक्त रोजगार 2001 तक बढ़ कर लगभग 19 लाख हो जाएंगे । इस रोजगार को समायोजित करने के लिए भूमि और आधारिक संरचनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता होगी । जनसंख्या की तेज वृद्धि को रोकने के लिए केवल अनिवार्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भारत सरकार के मंत्रालयों की सेवा करते हैं और केवल उपक्रमों के कार्यालय दिल्ली में अवस्थित करने चाहिएं । अर्ध-सरकारी रोजगार को विवेकपूर्ण क्षेत्रीय शहरों और काउंटर मैगनेटों जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भाग हैं, में वितरित किए जाने की आवश्यकता है ।

औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए केवल प्रदूषण रहित उद्योगों, जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी कार्य न करते हों, के लिए ही दिल्ली नगरीय क्षेत्र में अनुमति दी जानी चाहिए ।

वर्ष 2001 तक 122 लाख नगरीय जनसंख्या को समायोजित करने के लिए दो प्रकार के रचना-कौशल के लिए सिफारिश की गई है ।

1. दिल्ली नगरीय क्षेत्र 81 की संगभग 3 मिलियन तक जनसंख्या धारक क्षमता में वृद्धि करना ।

2. अतिरिक्त 4 मिलियन (संगभग) जनसंख्या को समायोजित करने के लिए नगर योग्य सीमाओं का विस्तार करना ।

...ए आवासीय क्षेत्रों के विकास और विद्यमान रिहायशी क्षेत्रों के संरक्षण, सुधार और पुनर्जीवन, दोनों पर बल दिया जाना चाहिए। अगले दो दशकों में लगभग 16.2 लाख नई आवासीय इकाइयों की आवश्यकता है, जैसा कि मुख्य मूल-पाठ में निर्दिष्ट किया गया है।

दिल्ली में आवासीय सहकारी समितियों ने जो सार्वजनिक और प्राइवेट के बीच अतिव्याप्ति क्षेत्र है, काफी सफलता प्राप्त की है और उन्हें और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पहले योजना में बहु परिवार (समूह आवास) सहित दो परिवार विकास की फार्म में सामान्य जन-आवास का प्रस्ताव रखा गया था। हाल ही में, दो परिवार भूखण्डीय विकास में बरसाती तल पर तीन परिवार इकाई की अनुमति दी गई है। सर्वेक्षणों/अध्ययन से पता चला है कि लम्बी अवधि का योजनाकृत विकास केवल एक मंजिल निर्मिति रहता है और समग्र अध्ययन डिजाइन के अनुसार समूह आवास भूमि का बहुत ही सीमांत सघन उपयोग करता है।

(1) खर्च करने का सामर्थ्य (2) भूमि उपयोगिता का कुशलता (भूमि उपयोग प्रणाली) (3) सघनता (भूमि का सामाजिक नियंत्रण) के अनुसार आवास के बारे में सामान्य आवास का सबसे उपयुक्त प्रकार 70 से 80 वर्ग मीटर व्यक्तिगत प्लाटों पर आंशिक रूप से निर्मित भूखण्डीय आवास होगा। आवास के कुछ भाग की व्यवस्था थोड़ी-थोड़ी दूरी की आवासीय इकाईयों में विकसित 150 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर तक तीन परिवार प्लाटों की फार्म और बहुपरिवार आवास में की जा सकती है। सामान्य आवास के लिए सहकारी समितियों को अधिक बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए और भूखण्डीय आधार पर व्यक्तिगत आवास से छोटे सहकारी समितियों को भी आरम्भ किया जा सकता है।

4. संरक्षण, पुनर्जीवन और पर्यावरणी सुधार

चार दीवारी के शहर जैसे परम्परागत क्षेत्रों के मामले में संरक्षण और पुनर्जीवन की आवश्यकता है। इसके लिए (1) हानिकर और खतरनाक उद्योगों और व्यापार को शिफ्ट करने और गैर रिहायशी कार्यकलापों को सीमाबद्ध करने (2) भौतिक और सामाजिक आधारिक सुविधाओं को ऊपर उठाने (3) माध्यम क्षमता और मध्यम रफ्तार के परिवहन साधनों को आरम्भ करने और यातायात का प्रबंध और नियमन करने (4) ऐतिहासिक भवनों को सुरक्षित रखने और उनकी मरम्मत करने (5) कुव्यवस्थित रिहायशी क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

5. पुनर्वास कालोनियां :—पुनर्वास कालोनियों की तत्काल आवश्यकता है। व्यक्तिगत सेवाओं अर्थात् पार्क, मलत्यागन तथा विजली की कार्य को पूरा करना चाहिए और आय अनुपूरण कार्यक्रमों को विशेष रूप से महिलाओं के लिए, भी चालू किया जाना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में जुड़ने वाली लाइन उपलब्ध न होने के कारण या वित्तीय अड़चनों के कारण नियमित मलत्यागन व्यवस्था तुरन्त संभव नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर टैंक पद्धति के माध्यम से कम लागत सफाई व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिवारों द्वारा पुनर्वास कालोनियों में आवासों के निर्माण के लिए इस वर्ग के लिए संस्थागत वित्त पद्धति की आवश्यकता है।

5क. अनधिकृत कालोनियां :—अनधिकृत कालोनियां सामान्यतः अनुशासन के अभाव और आवास की गहन कमी के परिणामस्वरूप बनती हैं। इन कालोनियों में अधिकांश रूप से भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचना की कमी होती है। इन कालोनियों जिन पर नियमन के लिए विचार किया गया है, के मकान मालिकों से कहा जाए कि वे समितियां बनाएं और समूह के सुधार के लिए प्लान सहित आगे आएं।

5ख. नगरीय गांव :—इन पुराने अधिवासियों के लिए उनके परम्परागत जीवन के तरीकों को जहां तक संभव हो सके, बनाए रखते हुए मूलभूत सेवाओं और मूल-सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5 उद्योग

विनियमन विनियमों के अनुसार विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की काफी बड़ी संख्या गैर-कान्फार्मिंग अवस्थित है क्योंकि वे रिहायशी और व्यावसायिक उपयोग जोनों में है। अतः कान्फार्मिंग/गैर कान्फार्मिंग और उद्योगों की पूर्ण संगतता के समग्र प्रश्न पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। अब यह सिफारिश की जाती है कि (क) जो औद्योगिक इकाईयां संगत प्रकृति की हैं, उन्हें रिहायशी क्षेत्रों में चालू रहने दिया जाए और इसी प्रकार की नई औद्योगिक इकाईयों के लिए भी अनुमति दी जा सकती है। (ख) जो औद्योगिक इकाईयां बहुत अधिक असंगत है उन्हें तुरन्त (अधिकतम अवधि 5 वर्ष) रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों से योजनाबद्ध स्थानों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। (ग) जो औद्योगिक इकाईयां माध्यमिक वर्ग की है, जो न तो संगत है और न ही अधिक असंगत है वे फिलहाल चलने दी जाएं, लेकिन उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में वैकल्पिक आवंटन दिए जाने चाहिए और 5 वर्ष एवं 10 वर्ष के बाद 2 चरणों पर स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए (घ) किसी नए विस्तृत उद्योग के लिए दिल्ली में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6 व्यापार तथा वाणिज्य

खरीददारी एवं वाणिज्यिक कार्यालयों और सिनेमा, होटल और अन्य आनुषंगिक सुविधाओं जैसी अन्य संबंधित कार्यकलापों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सी. बी. डी. से (विक्रय करीबारी तक के क्रम के वाणिज्यिक क्षेत्र की पांच टायर प्रकृति को कुछ संशोधनों के साथ चालू रहने दिया गया है। पुराने नगर, कनाट प्लेस और करोल बाग के सी. बी. डी. के अलावा दो सब सी. बी. डी. एक यमुना पार क्षेत्र में और दूसरा नजफगढ़ विस्तार में, का प्रस्ताव है। विकास के विभिन्न चरणों में जो पहले से पांच जिला केन्द्र हैं, उनके अलावा 20 नए जिला केन्द्र निर्दिष्ट किए गए हैं, 14 विद्यमान नगरीय सीमाओं में और 6 नगरीय विस्तार में।

6क. थोक व्यापार :—थोक व्यापार के लिए विभिन्न विकास चरणों में चार क्षेत्रीय थोक बाजारों के लिए प्रस्ताव रखा गया है। थोक व्यापार को माड़ा परिसरों के साथ जोड़ना पड़ता है जिससे कि थोक व्यापार अधिक कुशलता और अच्छे पर्यावरण में चल सके।

विकेन्द्रीकरण को कार्यान्वित करने के लिए सीमा थोक बाजारों के रूप में 11 क्षेत्रीय एवं स्थानीय थोक बाजार विभिन्न योजना डिविजनों में विकसित करने की सिफारिश की जाती है।

7. परिवहन

पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और समकालीन विकास जैसे विद्यमान नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध भौतिक रूप तथा ट्रिप उत्पादन की प्रक्षेपित दर को देखते हुए बहु साधन परिवहन पद्धति जिसमें रिंग रेल, हल्की रेल और विभिन्न मार्गों से जोड़ने वाला बस परिवहन शामिल है, का प्रस्ताव है। मुख्यतः नगर यात्री आवागमन के लिए प्रस्तावित नया साधन हल्की रेलवे व्यवस्था है जिसमें प्रति घंटा 20,000 यात्री तक

की क्षमता होती है । वर्तमान नगरीय क्षेत्र और नगरीय विस्तार में वर्ष 2000 तक हल्की रेल की लम्बाई 200 कि. मी. की आवश्यकता होगी ।

चार दीवारी के शहर के केन्द्रीय भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए चुने हुए रूटों की संख्या के साथ ट्राम-वे पुनः आरम्भ करने की सिफारिश की जाती है । तथापि, इस क्षेत्र में ट्रामों को आरम्भ करने के साथ परिवहन के प्राइवेट साधनों और इन्टरचेंज प्वाइंटों पर गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए ।

कुछ कारीडोरों में साइकिलों के चलने के लिए सुरक्षित पर्यावरण की व्यवस्था करने के लिए विद्यमान सड़क भागों को मनायोजित करने और सड़कों के साथ लगती भूमि का प्रयोग करके साइकिल पथों को सुरक्षित अलग करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ।

अन्तः नगर यात्री आवागमन के लिए मुख्य रेल लिंक स्थानों पर चार महानगरीय यात्री टर्मिनलों के लिए सिफारिश की गई है । इन सभी महानगरीय यात्री टर्मिनलों के लिए एक अन्तर-स्थानीय बस टर्मिनल होगा और उन्हें हल्की रेल और बस परिवहन द्वारा नगर के विभिन्न भागों के साथ जोड़ा जाएगा । इनमें से अड़ता ओखला दिल्ली के लिंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

7क. माल आवागमन :—

सड़क और रेल के माध्यम से माल लादने-ले जाने के एकीकरण के लिए थोक बाजार, भाण्डागार, ट्रक और रेल परिवहन टर्मिनलों सहित आड़ा कार्गोलैक्सों की प्रस्तावित महानगरीय यात्री टर्मिनलों के निकट चार मुख्य रेल-रोड लिंकों पर सिफारिश की गई है ।

7ख. महानगरीय परिवहन पद्धतिकरण :—

युक्तिमूलक तरीकों से दिल्ली में बढ़ते हुए यातायात परिवहन पद्धति चलाने के लिए दिल्ली के लिए एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की आवश्यकता है ।

8. भौतिक आधारित संरचना

8क. जल आपूर्ति :—

वर्ष 2001 तक दिल्ली के लिए 671 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम. जी. डी.) की सीमा तक अतिरिक्त जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी । इसके लिए उत्तर प्रदेश के टिहरी डैम, किशौ और अखबार तथा हिमाचल प्रदेश के गिरी डैमों से पूर्ति की आशा है और वह पूर्ति हरियाणा से जल विनियम द्वारा की जाएगी । जल आपूर्ति पद्धति के लिए विद्यमान चार जल शोधन संयंत्रों में वृद्धि करने और एक नए शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता होगी ।

8ख. मल व्ययन :—

संपूर्ण जनसंख्या को मलव्ययन की सुविधा देने के लिए 118 एम. जी. डी. की विद्यमान मलव्ययन क्षमता में वृद्धि करके इसे जल की उपलब्धता के साथ 900 एम. जी. डी. तक पूरा करना होगा । इसके लिए विद्यमान चार मलव्ययन शोधन संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और रिठाला तथा जो प्रक्रिया में है, तीन नए मलव्ययन शोधन संयंत्रों का निर्माण करना पड़ेगा । जिन क्षेत्रों में तुरन्त नियमित मलव्ययन की व्यवस्था संभव नहीं हो सकती, वहां मध्यवर्ती कम लागत की स्वच्छता पद्धति को थोड़ी अवधि की व्यवस्था के रूप में लाया जाना चाहिए ।

8ग. पावर :—

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2001 तक दिल्ली को 2500 मैगावाट पावर की आवश्यकता होगी । अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति से उत्तरी पावर ग्रिड से करनी होगी । वर्ष 2001 तक 2500 मैगावाट की सदृश मांग को पूरा करने के लिए पावर विकिरण काल के लिए विद्यमान 220 के. वी. ग्रिड के स्थान पर 400 के. वी. ग्रिड की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

8घ. कूड़ा-करकट : प्रबंध :—

दिल्ली के विभिन्न भागों में उत्पन्न कूड़ा-करकट 1981 के 2300 टन प्रतिदिन से बढ़कर 2001 में 6735 टन प्रतिदिन हो जाएगा । कूड़ा-करकट की प्रकृति और उसके निपटान में विलायत को ध्यान में रखते हुए कूड़े-करकट के मुख्य भाग का निपटान सेनिट्री लैन्डफिल में करने का प्रस्ताव रखा गया है । कम्पोस्ट संयंत्र के लिए किसी नए स्थान का प्रस्ताव नहीं रखा गया है । यह सिफारिश की जाती है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के विद्यमान सभी कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थिति का 1992 में पुनरीक्षण किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो नीति में संशोधन किया जाए ।

9. सामाजिक आधारित संरचना

9क. स्वास्थ्य :—

पहले प्रस्तावित सामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र की शर्तों में दो टायर पद्धति से स्वास्थ्य आवश्यकताओं संबंधी पूरी मांग की पूर्ति नहीं हुई । अतः छः टायर पद्धति का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें सामान्य अस्पताल (500 बिस्तर) (2) जनपदीय अस्पताल वर्ग ए, (200 बिस्तर) (3) मध्यवर्ती अस्पताल वर्ग बी, (80 बिस्तर) (4) कुछ प्रेक्षण बिस्तर सहित पानी स्वीनिक (5) नर्सिंग होम और साथ कल्याण तथा प्रसूति केन्द्र और (6) डिस्पेंसरी ।

9ख. शिक्षा :—

सामान्य शिक्षा सुविधाओं के लिए भूमि के आरक्षण के अलावा कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं और केन्द्रीय तथा एकीकृत स्कूलों के लिए भी भूमि आरक्षित की जाएगी ।

9ग. दूर संचार :—

टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भूमि के आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है जिससे कि 1981 की प्रति सौ जनसंख्या पर 3.37 की दर से टेलीफोनों की व्यवस्था बढ़ा कर 2001 में 10 हो जाए । डाक सुविधाओं, पुलिस, बुझ वितरण आदि सहित आधारिक संरचना (सामाजिक) के लिए संशोधित मानक निकाले गए हैं ।

9घ. सुविधाएं और सेवा केन्द्र :—

विद्यमान नगरीय क्षेत्रों में पुर्यों में सुविधाएं समायोजित करने के लिए सुविधा केन्द्रों का प्रस्ताव रखा गया है । इसी प्रकार मन्दिर और दवा दुकानों की परिकल्पित आवश्यकता को समायोजित करने के लिए सेवा केन्द्र बनाना प्रस्तुत की गई है ।

10. पर्यावरण

10क. प्राकृतिक संसाधन :—दिल्ली में दो मुख्य जलविभाजक है जिन का प्रबंधन करना है । [illegible] प्रस्ताव किया गया है कि [illegible] 2000 वर्ग कि. मी. है । इसका पूरी तरह से संरक्षण किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक प्रकार का प्रबंधन किया जाना चाहिए । [illegible] बनावटी भूदृश्यांकन किया जाना चाहिए ।

यमुना नदी में बहुत अधिक प्रदूषण है जो मुख्यतः घरेलू मल और औद्योगिक क्षेत्रों के कूड़े के कारण होता है । नदी को स्वच्छ रखने के लिए जल प्रदूषण अधिनियम को दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता

हेतु यथा अस्तित्वित नदी की मार्ग-व्यवस्था से युक्त नदी अग्रविकास योजना के लिए कार्य क्षेत्र तैयार होगा, और पर्यावरण के सुधार को भी बनाये रखेगा।

10.04. वानस्पत्य स्वास्थ्य : दिल्ली नगरीय क्षेत्र-81 के अन्दर पार्कों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भाग को विशेष शिशु पार्कों, शिक्षित क्षेत्रों आदि और सहन अनीवनीय क्रियाकलापों के लिए विकसित करने की सिफारिश की जाती है। जिला पार्क क्षेत्रों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग परिस्थितिक स्थिरता के लिए वनस्थली के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पड़ोस खेल क्षेत्र, जिला और डिविजनल खेलकूद केन्द्रों की फार्म में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए खेल कूद सुविधाओं के विकास पर काफी बल दिया जाता है।

10.05. पुनः वृक्षारोपण :—पार्कों में काफी बड़ी संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं जो जीवन की पूर्ण अवधि पूरी कर चुके हैं। यह विशेष रूप से नई दिल्ली क्षेत्र के वृक्षों के बारे में सत्य है। आवृत्ति प्रक्रिया के रूप में पुनः वृक्षारोपण की सिफारिश की जाती है।

10.06. नगरीय सौन्दर्य और नगर के अतीत का संरक्षण :

दिल्ली की नगरीय डिजाईन की परम्परा है, जो कुछ समय पहले समाप्त हो चुकी है। उसे दोबारा चालू करने के लिए चार प्रकार की नीति तैयार की गई है (1) विशेष उपचार के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्रों की पहचान (2) नगर के विभिन्न भागों का दृश्य एकीकरण (3) नगर के अतीत का संरक्षण (4) ऊंची इमारतों और मुख्य नगरीय परियोजनाओं के लिए नीति।

नगर के विस्तार के लिए दिल्ली के केन्द्रीय भाग में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का अच्छा विकास हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया है। जनपथ से राष्ट्रीय स्टेडियम तक की परिधि के साथ के क्षेत्र को सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

10.07. जल और वायु प्रदूषण :

प्राप्त अध्ययन के आधार पर जल और वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। जल प्रदूषण के मामले में दूषित जल को बड़े नालों में सीवरेज प्रणाली में डालने के बाद पर्याप्त दूषित जल शोधन करने की सिफारिश की गई है। इस क्षेत्र "प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र" घोषित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

11. विशेष क्षेत्र :

चार दीवारी का घेरा और उसका विस्तार और करोल बाग तथा उसके बीच का क्षेत्र विकास के उद्देश्य के लिए विशेष क्षेत्र के रूप निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र का सामान्य विनियमों के आधार पर विकास नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र के लिए विशेष विनियम तैयार किए गए हैं, और उन्हें विकास संहिता में सम्मिलित किया गया है।

12. ग्रामीण क्षेत्र :

दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र मुख्य महानगर की परिधि में होने के कारण एक विशेष महत्व रखता है। सब राज्य क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र पड़ोसी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से परिवारों की संख्या और भोग का स्तर अधिक ऊंचे हैं। यह क्षेत्र प्रवासियों को भी आकर्षित करता है। 20 प्रतिशत दिल्ली ग्रामीण परिवार प्रवासी परिवार हैं जो मुख्यतः हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आये हैं। इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त उच्च स्तर की आधारित संरचना और नगर से अच्छे सड़क संपर्क की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

जनगणना वर्षों और वृद्धि दर के आधार पर कुल आबादी के मुख्य स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार स्थल और ग्रामीण उद्योगों की आवश्यकता निश्चित की गई है।

13. आधुनिकीकरण और नगर का रूप :

इस युग से सम्बन्धित नगर में (1) सक्षम परिवहन और संचार पद्धति (2) सम्मेलन और प्रदर्शनी केन्द्र (3) शापिंग आर्केड, मनोरंजन पार्क और 4 दलों के रहने के लिए आरामदायक स्थान होने चाहिए। नगर को इन सबकी व्यवस्था करनी चाहिए और अपनी परम्पराओं और विरासत, अपनी संस्कृति और दर्शकों तथा अपने निवासियों के प्रति अपना स्नेह भी प्रदर्शित करना चाहिए।

14. भूमि उपयोग प्लान और विकास संहिता :

भूमि उपयोग प्लान :

विद्यमान भूमि उपयोग प्लान निम्नलिखित के आधार पर संशोधित किया गया है :—

(1) विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट नीतियां (2) अतिरिक्त भौतिक और सामाजिक आधारित संरचना, परिवहन और रोजगार केन्द्रों की आवश्यकता (3) रिज रेन के साथ भूमि उपयोगों की पुनः संरचना। (4) पहले से अनुमोदित भूमि उपयोगों में संशोधन (5) 2001 परिप्रेक्ष्य में किए गए अध्ययन के आधार पर आवासक और नगरीय गतिविधियों के आन्तरिक संबंधों और पर्यावरण और नगर के प्रतिरूप पर उसके प्रभाव पर विचार करते हुए भूमि उपयोग की पुनः संरचना।

15. मिश्रित भूमि उपयोग :

योजना में मिश्रित भूमि उपयोग की धारणा को सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार (1) संक्रमण रिहायशी क्षेत्रों में खरीददारी और गृह उद्योग के लिए अनुमति दी गई है, और (2) रिहायशी प्लाटों पर सीमित उपयोग शामिल किया गया है, जिसके अनुसार निचली मंजिल पर दुकान गृह उद्योग और ऊपर रिहायश के लिए अनुमति दी गई है।

16. जोनल (डिविजनल) योजनाएं :

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 15 जोनों (डिवीजनों) में विभाजित किया गया है। जोनल (डिविजनल) योजनाओं में आवश्यकतानुसार योजना की विस्तृत नीति निर्दिष्ट की जाएगी और यह से-आउट प्लान और मुख्य योजना के बीच कड़ी का कार्य करेगी।

17. विकास संहिता :

यह एक सुव्यवस्थित संहिता है जिससे दो स्तरों पर (1) उपयोग जोन को उपयोग परिसर (से-आउट) में बदलना, और (2) उपयोग परिसर में उपयोग कार्यकलापों की अनुमति उपयोग कार्य कलापों (उपयोगों) का निर्णय किया जाएगा। यह उपयोग परिसरों में उपयोग जोनों के उप-डिविजनों के लिए विनियम प्रदान करती है, और उपयोग परिसरों के भीतर भवनों का नियंत्रण भी करती है।

18. योजना मानीटरिंग एवं पुनरीक्षण :

18.01. योजना मानीटरिंग : योजना की लम्बी अवधि को ध्यान में रखते हुए योजना तब तक लागू नहीं की जा सकती, जब तक कि यह योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान गतिशील और सामाजिक आर्थिक उप-तंत्र व्यक्तियों के उठने के प्रति उत्तरदायी न हो। घटनाओं एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रवृत्तियों और रुझानों के [illegible] क्षेत्रों के [illegible] विलम्ब के कारण अनावश्यक वृद्धि को [illegible] आवांछित वृद्धि को रोकने के लिए अगले मास्टर योजना के लिए वैज्ञानिक मानिटरिंग ढांचे की आवश्यकता है।

मानीटरिंग ढांचे की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए है :

(1) योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, और

(2) योजना नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए भौतिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का पता लगाना।

18ख. योजना पुनरीक्षण: योजना मानीटर करने से योजना में कोई संशोधन करने के लिए, यदि आवश्यक हो, पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी। सामाजिक आर्थिक और भौतिक शक्तियों से प्रकट होने वाले किन्हीं अन्य पहलुओं को योजना प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के लिए अध्ययन के लिए लिया जा सकता है। सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक पुनरीक्षण 1992 में किया जाना चाहिए।

18ग. निरंतर अध्ययन और अनुसंधान :

नीतियां दिशाएं निर्दिष्ट करती हैं। विस्तृत विकास परियोजनाएं अन्ततः पर्यावरण उत्पन्न करती हैं। अच्छा हो या बुरा। योजना कार्यान्वयन के दौरान उच्च कोटि के सक्रिय पर्यावरण की व्यवस्था करने के लिए योजना को प्रभावी बनाने के लिए विकास के सभी पहलुओं अर्थात् आवास, परिवहन, कार्य केन्द्रों, मनोरंजन आधारिक संरचना आदि का निरन्तर अध्ययन और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। दि. वि. प्रा. को इस "महानगर" के विकास के लिए योजना को एक मजबूत साधन बनाने के लिए अध्ययन, अनुसंधान और मानीटर करने का कार्य लगातार करना चाहिए।

(6) योजना में संलग्न "मानचित्रों" के स्थान पर निम्नलिखित मानचित्रों सहित रेखाचित्रों (प्लानों) को प्रतिस्थापित किया जाए: (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2) दिल्ली महानगर क्षेत्र (3) चार दीवारी का शहर 1981 विद्यमान भूमि उपयोग (4) चार दीवारी का शहर शाहजहांबाद संरक्षण एवं परिवहन जाल योजना (5) परिवहन जाल (6) उपयोगिता (7) अदृश्य महत्व के क्षेत्र (8) दृश्य महत्व के क्षेत्र (9) पुरातत्वीय परम्परागत सम्पत्ति (10) विद्यमान भूमि उपयोग 1981-82 (11) भूमि उपयोग प्लान (12) विशेष क्षेत्र (13) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली जोन (डिवीजन)।

उपर्युक्त रेखाचित्र (प्लान), जिनमें प्रस्तावित संशोधन सम्मिलित किए गए हैं, उपर्युक्त अवधि के अन्दर शनिवार, के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को निरीक्षण के लिए प्राधिकरण के कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध होंगे।

[सं. एफ. 20 (22)/84 यू पी-II]

एम. पी. जैन, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th April, 1985

S.O. 289 (E).—The following extensive modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi, keeping in view the perspective for Delhi-2001 and new dimensions in the urban development, are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection/suggestion in writing to the, Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of 30 days from the date of this notice. The person making objection or suggestion should also give his name and full address.

MODIFICATIONS

(1) The Title of Chapter I—"The Land Use Plan" be substituted by "Development Policies, Planning Norms and the Land Use Plan" with the following text :

"Regional and Sub-Regional Frame :

Planning for the development of a metropolis cannot be limited within its boundaries—it considerably influences and is influenced by happenings outside, specially the immediate surroundings. In the widest sense, Delhi's influence extends throughout India and as a Capital throughout the World. At yet another level Delhi occupies a position of Central importance in the entire broad region of Northern India. Since 1947, when India attained independence, this influence has in fact been increasing in range and impact.

The genesis of Delhi's growth lies in the increasing urbanisation which continues to offer the most important opportunities for increasing employment and to provide the basis for specialisation and increased productivity in manufacturing and supporting services. Flexible labour markets, which only the cities can provide, are needed to match the changing patterns of production.

Delhi is growing at a rapid pace because of increasing migration. Though in the devloping world there are examples of cities growing at faster rate than Delhi, but the more a city grows the more complex become its problems of land, housing, transportation and provision and management of essential infrastructure. If part of this growth of the core city could be channelised into other cities—smaller yet dynamic, it would be a relief to the 'Core City' as well as a source of strength to the smaller settlements.

Balanced Regional Development

Major migration to Delhi is from the states of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab & Rajasthan, the present range of migration being more than 1.6 lakh person per annum. Delhi in the context of urbanisation and migration needs a definite restrictive policy on employment generation; main guidelines for this policy would be :

(i) Only such new Central Government offices should be directly serve the Ministries of the Government of India be located in Delhi.

(ii) Existing offices of public sector undertakings within Delhi should be encouraged to shift, while new offices of the public sector undertakings to the extent these are possible within their operational areas should be set up outside Delhi.

(iii) Industrial growth in Delhi should be restricted to small scale with stress on units which require skill, less of man power and energy and are non-polluting and clean and largely subserve Delhi economy.

(iv) Legal and fiscal measures should be adopted to restrict employment in industries and distributive trades.

In this context, for the balanced regional development of the Central Govt. have enacted the National Capital Region Planning Board Act, 1985. The National Capital Region Planning Board will co-ordinate the efforts of the Union Territory of Delhi and the adjoining States (through parts of which the National Capital Region (NCR) is delineated) i.e. Uttar Pradesh, Haryana, (U.P. and Rajasthan (because the Growth of Delhi Positive actions would be required on the part of possible counter magnets by means of provision of infrastructure to create an environment for location of offices of Central Government and Undertakings, industrial units and distributive markets, to release pressures on Delhi and to precipitate the development of region.

Delhi Metropolitan Area (DMA)

The development projects in the pipeline in the settlement at the doorstep of the Union Territory of Delhi are bound to have repurcussions on Delhi and its sub-region i.e. Delhi Metropolitan Area which has been redefined and comprises of the Union Territory of Delhi; NOIDA controlled area; Gurgaon, Bahadurgarh; Kundli and the extension of the Delhi Ridge in Haryana. The DMA would thus comprise an area of 3,182 Square Kilometer (sq k.m.).

The Delhi Metropolitan Area, including the Union Territory of Delhi should be considered as one urban agglomeration for the purpose of planning. In the Plan certain important aspects like transportation and defintion of the Ridge have been dovetailed. In the best interests of the balanced development of the Delhi Metropolitan Area, planning should be entrusted to the Town & Country Planning Organisation (TCPO) in consultation with the Centre and States and under overall direction and control of the NCR Board.

Population and Employment.

In the decade 1971-81, the urban population of Delhi has increased at 4.69 per cent annual growth rate and the rural population at 0.77 per cent annual growth rate. The latter is influenced by the gradual shifting of the rural area and its merger with urban area. If the same rates of population growth continue, the urban population by the year 2001 would be 144.26 lakh and rural 5.27 lakh. Envisaging a more balanced regional development, the population for the Union Territory of Delhi has been projected as under :

(in lakh)

Population within the Delhi Urbanisable Limits—2001	121.73
Population outside the Urbanisable Limits—2001	6.37
Total	128.10

The participation rate (working population + total population) for the last two decades for Delhi as per Census is :

	Urban	Rural
	30.21	26.62
	31.93	28.49

With the generation of employment in different sectors, the participation rate for 2001 should be of the order of 35 per cent in Urban Delhi and 33 per cent in the area of Delhi, outside the urbanisable limits of the Union Territory of Delhi. This would generate a total work force of 39.08 lakh, including the floating worker population who keep coming to Delhi for work, though not to reside in the city. Work force in dicerent economic sectors has been assigned as follows :

PROJECTED WORK FORCE FOR UNION TERRITORY OF DELHI-2001

Sector	Within Urban Limits (in 000)	Outside Urban Limits (in 000)	Total (in 000)
1	2	3	4
Agriculture	13 (0.30)	59 (30.00)	72 (1.60)
Manufacturing			
(i) Establishment Sector	1071 (25.00)	39 (20.00)	1110 (24.80)
(ii) Non-establishment Sector	214 (5.00)	6 (3.00)	220 (4.90)
Construction	227 (5.30)	4 (2.00)	231 (5.10)
Trade & Commerce	964 (22.50)	12 (6.00)	976 (21.80)
Transport	488 (11.40)	16 (8.00)	504 (11.30)
Other Services	1306 (30.50)	61 (31.00)	1367 (30.50)
	4283	197	4480
Percentage	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Floating Work Force	428		428
Total			4908

Further break-up of other services sector within urban limits is envisaged to be of the following order :—

Sector	Workers	
Central Government		
Quasi-Government		
Delhi Administration		
Local Bodies		
Private		
Total	1437	100.00

If the present trends are allowed to continue, Delhi is likely to have a much higher work force (about 37 per cent) in the industrial sector. For the Capital to retain its functional balance, it would be necessary to restrict the industrial employment through measures earlier suggested.

DELHI URBAN AREA—2001

The total area of the Union Territory of Delhi is 148,639 hectares (ha) out of this 44,777 hectares had been earlier included in urbanisable limits prescribed in Plan. This area at present accommodates about 54.5 lakh urban population. The balance of the urban population resides within 17 settlements declared as towns in the 1981 Census, and Najafgarh and Narela. To accommodate the 122 lakh urban population by the year 2001, a two-pronged startegy has been recommended; (i) To increase the population holding capactiy of the area within urbanisable limits declarared till 1981 and (ii) extension of the present urbanisable limits to the extent necessary.

Holding capacity of the area within the existing urbanisable limits depends on :

(i) Residential development types and their potential for higher absorption.

(ii) Availability/possibility of infrastructure—physical and social.

(iii) Employment areas/centres, capacity and potential.

(iv) Transportation net-work capacity.

Studies have revealed that DUA 81 urbanisable limits by the year 2001 would be able to accommodate about 82 lakh population by judicious infill and selected modifications of densities. The remaining 40 lakh shall have to be accommodated in the urban extension. Division-wise break-up is given as under :

	Population in DUA 81 with immediate extension			
	As per Master Plan	Census 1981	Holding Capacity	2001 A.D.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	3,99,200	3,97,204	6,30,000	
B	3,87,685	3,30,547	7,50,800	
C				
Under Potential				
D	6,34,100	4,96,058	7,54,685	
E	9,69,270	10,28,794	17,89,300	
F	8,27,125	8,22,200	12,78,425	
G	8,03,175	8,68,277	14,89,600	
H	9,20,485	5,17,687	18,65,270	
Total	52,62,640	54,53,574	89,78,540	82,52,145

To accommodate 40 lakh population, the DUA 81 which could systematically hold 82 lakh population approx., need to be extended by about 24,000 hectares, over the next two decades to effectively respond to the growth of the Capital. Land required for various developments in the extended time frame by the year 2001 may be acquired from time to time with due regard to the balanced development of the city. Uptill now 4000 hectares (approx.) have been added to DUA 81 urban limits. Thus the balance requirement would be of the order of about 20,000 hectares.

The land in the Urban Extension (UE) would approximately be distributed in the different land uses in the following manner.

Land use	% of land
Residential	45—55
Commercial	3—4
Industrial	6—7
Recreational	15—20
Public & Semi Public Facilities	8—10
Circulation	10—12

SHELTER

Shelter besides being an essential need of a family is of considerable importance to DEVELOPMENT in both, economic and welfare terms. For most of the families, housing is perhaps a major goal of family saving efforts. Besides protection from elements, housing provides access to sanitation, health, education and other welfare services and income-earning opportunities leading to higher productivity and earnings for low income families. With the availability of substantial under utilised labour, housing can make it productive at low cost.

Efficiency and Equity

Housing has strong spatial relationship to employment, social services and other urban activities. Besides its direct need as shelter, housing could act as vehicle for social change for aspects such as welfare of women and children, universal elementary education, removal of adult illiteracy and expansion of public distribution system. Housing Policy could act as a major tool for influencing the efficiency and equity of urban areas.

Housing Components

Shelter, to fully serve the needs of the families, should have the following essential components :

(i) Space	Sufficient for household activities.
(ii) Infrastructure Physical	Water, Electricity, Liquid and Solid waste disposal.
Social	Educational, Health, Recreational and other facilities.
(iii) Location	In relation to transportation to the work place and educational and other facilities.
(iv) Tenure	Secure; rental/ownership compatible to needs.
(v) Socio-Economic capability	Socially compatible neighbourhood and economically compatible terms of procurement.

Housing Need

Urban Delhi at present accommodates about 11.5 lakh households in different housing developments, resettlement, squatter, plotted, multi-family, unauthorised, villages, traditional and others. Next two decades would add another approximately 13 lakh households. Suitable housing for all families is one of the major concerns of the Plan. Emphasis should be both on the development of new housing areas as well as on conservation, improvement and revitalisation of the existing housing areas.

Housing shortage at present has been estimated to be about 3.0 lakh which includes (i) squatters and shelterless, (ii) families sharing houses in the congested built-up areas, and (iii) houses requiring immediate replacement. About 16.2 lakh new housing units would be required in the next two decades (1981-2001), divided in 5 yearly intervals as given below :

	New housing required '000	Average per year '000
1981-86	323	65
1986-91	379	76
1991-96	434	87
1996-2001	483	97

Based on the studies, an indicative percentage of such a breakup by different agencies is given in the following table :

Housing Type	Land Development Agency	Construction Agency	%age of Housing
Slum Housing	Slum Department	Slum Department	3
Houses on individual plots	Major part already developed	Individual family	17
Employer Housing	Central Govt. Delhi Admn. Local Bodies	Central Govt. Delhi Admn. Local Bodies	4
Regularised land	Individual	Individual	8
General Housing			
(a) Site & Services	Housing Agency	Individual family	25*
(b) Built & partially built houses	Housing Agency & Co-operatives	Housing Agency & Co-operatives	43

Housing co-operative which are an overlapping sector between public and private, have been a reasonable success in Delhi and should be further encouraged. Small cooperatives with individual housing on plotted basis could also be introduced. For construction of dwellings individual families, in site and services schemes, need the development of institutional financing for this category.

Partially built plotted housing --New concept

Before the promulgation of the Plan in 1962, housing for the general public was available in the form of 2 family plotted development. This Plan had in 1962 proposed the same alongwith multi-family (group) housing. Recently 2 family plotted development has been permitted a third family unit on the second floor, commonly known as "Barsati" floor. Surveys/studies of the existing housing developments indicate :

(i) Most of the plotted developments remain only single storeyed for a long time, thus generally, it accommodates one to two families (about 7 persons) per plot.

(ii) Group Housing in the overall city design has a very marginal intensive use of land.

(iii) There is a preference for Built housing.

Further relating housing to (i) affordability, (ii) efficiency of land utilisation (land use intensity), (iii) equity (social distribution of urban land), (iv) flexibility considerations, the most appropriate type of general housing would be partially built housing on individual plots of 70 to 80 Square Meter (gross).

Each household in the long range gets dwelling of about 30 sq.m. to 120 sq.m. Being on individual plot, it can be built in stages as the affordability permits. In case of site and service and service personnel schemes for economically weaker section single family housing could be provided on minimum (50-72 sqm plots which should accommodate individual bath and W.C.

Through such housing, a gross residential density of 300-400 pph (Persons per hectare) could be achieved and at the city level, an overall density of 180-200 pph. is possible. Still higher gross residential densities increase man/land ratio marginally and should be prescribed only in special conditions. For comparison it may be seen that gross residential densities prescribed in the Plan during 1961-81 were much lower; the average gross residential density prescribed was 187 pph and overall city level density of about 100 pph.

Major part of general public housing in the form recommended, can provide for an equitable distribution of urban land. Only small part of housing could be provided in the form of 3 family plots, size varying from 150 sqm. to 250 sqm. and multi-family housing. Limited number (less than 1 per cent) of residential plots could be upto 350 sqm. It would be desirable to introduce planned mixed use in the residential areas. Clusters of plots in residential developments should also be specifically reserved for intended mixed use for shop/household industry at the ground floor and residence on first floor and above.

Conservation, Revitalization and environmental Improvement

Conservation and revitalization is required in case of traditional areas and environmental upgradation and improvement is needed in other old built up areas, resettlement colonies and urban villages.

Most important part of the traditional housing is the Walled City. Once a beautifull city, it now presents a chaotic picture. The Walled City of Shahjahanabad has become a core of vast extended metropolis accommodating a central business district. The population in the Walled City of Shahjahanabad increased to its saturation upto the year 1961, but since then there is large-scale infil by commercial use replacing residential use. Refer table below :

Locality	Population in lakhs			
	1951	1961	1971	1981
Walled City	3.81	4.20 (+10.24)	4.09 (—2.62)	3.62 (—11.49)
Planning Div. 'A'	5.38	6.50 (+20.81)	6.80 (+4.62)	6.22 (—8.52)

Figures in brackets give percentage of decadal variation.

Traditional area of Walled City needs special treatment. The following mensures are recommended :

(i) Shifting of noxious and hazardous industries and trades & delimitation of non-residential activity.

The Walled City contains industrial units using acids, chemicals and inflammable material and trades like plastic, rexine etc. which are noxious and hazardous. The first requirement of the area is that such industries and trades should be shifted on priority to the extensive industrial areas and areas specifically earmarked for these trades.

The Walled City for improvement in environment needs Shifting of wholesale godowns to the whole-sale & warehousing areas and dairies to areas in the rural use zone. The wholesale fruit and vegetable market i.e. Phool Mandi should also be shifted.

In the period 1961—81 there has been a spurt of wholesale and other commercial activities in the Walled City. There is every danger that whole of Walled City in due course of time may get converted into a fully commercial area thus completely destroying an area of important urban heritage. Also it may not be possible to shift and to relocate the existing commercial activities but it is extremely important that the commercial activities should be limited to the present. Refer clause 6.2 of the development code in chapter II.

There are about 1.5 lakh commercial and industrial establishments in the Walled City. During the period 1962 commercial use in the Walled City was restricted to south of Khari Baoli for wholesale business, north of Chandni Chowk for general business & commerce and within the retail business centre of Lajpat Rai Market. Presently, the trade and

commerce activity has intruded practically in all the residential areas in the Walled City. Out of 240.69 hectares of organic growth under buildings, 98.34 hectares i.e. 40 per cent it under commercial and industrial use. It is absolutely necessary to delimit the non-residential activities to the present level to effectuate the conservation.

(ii) Upgrading of Physical and Social Infrastructure

Although water supply lines and sewer lines are available in all parts of the Walled City, but still about 25 per cent of the houses are without municipal water supply and about 50 per cent of the houses are without municipal sewerage connection. It would be desirable to make water supply and sewerage connection in the Walled City compulsory. To keep this densely built part of the city clean, penal action could be introduced to stop spillage of water, etc. from pipes or openings on to the street. The social infrastructure could be provided through re-development of Katras.

(iii) Traffic and Trasportation, Management and Regulations

The Walled City has large volume of slow moving traffic for which re-introduction of tramways would be suitable at routes like Chawri Bazar, Chandni Chowk, Shradhanand Marg and Asaf Ali Road. Introduction of tramways would necessitate provision of parking garages at Ajmere Gate and Red Fort. In addition to the introduction of trams, the following measures are to be implemented for regulation of traffic.

(a) Buses and motor cars be allowed on the two major roads i.e. road, between Delhi Gate and Kashmere Gate and other between Mori Gate and Koria Bridge passing in front of the railway station.

(b) Cars shall not be allowed inside the Walled City from the roads given in (a) above and shall be parked at specific points.

(c) Two goods terminals shall be developed on Mori Gate and Ajmere Gate where goods shall be carried by light trucks or tempos; from these terminals goods would be taken to their destinations in the Walled City by battery driven vehicles. All animal driven vehicles should be phased out.

(iv) Conservation and Restoration of Historical Buildings

There are 411 Historical monuments, sites and buildings identified by Archaeological Survey of India within the Walled City. Out of these, only 42 monuments including Red Fort (32 monuments) and Jama Masjid are protected. All the monuments and old religious buildings, as identified by the Archaeological Survey of India, during reconstruction of Walled City should be treated suitably.

(v) Revitalization of Residential Area

At present out of a total area of about 568 hectares, 180 hectares is under residential use. Out of which only 145 hectares is in the form of organic growth for residential use. The rest of the area has either been redeveloped during the Colonial Rule or has been invaded by uses other than residential. Even if it is possible to revitalize 145 hectares of organic development as living residential area it would be of no less value.

The revitalization should be taken up keeping in view the traditional character and style of the buildings. For the general houses, the repair may be permitted within the existing architectural framework. The katras may be re-developed to rehabilitate the occupants and provide multifacility buildings.

For conservation of the Walled City to be successful, in the overall perspective, city's network as existing and the characteristics of urban and street scape should be taken care in the conservation of existing residential character.

Walled City Extension : Areas like Pahar Ganj, Sadar Bazar and Roshnara Road are old congested built up areas mainly with mixed land use. These areas have very serious problem of traffic congestion, inadequate physical and social infrastructure, lack of open spaces. Conservative surgery would be necessary in these areas to provide the minimal level of infrastructure. The urban renewal schemes for these areas should have physical and socio-economic inputs with conservative surgery as planning tool. The wholesale market of Sadar Bazar could be redeveloped at the same location with necessary infrastructure required for wholesale trade.

Re-settlement colonies : Immediate need of the re-settlement colonies is individual services i.e. water, sewerage and electricity. Regular sewerage may not be possible immediately in many areas because of non-availability of connecting line or financial constraints. In such cases the low cost senitation through Two Pit method on individual or collective basis should be adopted. Non-Government Organisation, which come forward for establishment of adult literacy centres, creche, balwaris and likewise institutions should be encouraged to supplement the social action of the concerned government departments and the housing agencies. The capabilities of the families for increasing income need should be constantly explored; suitable provisions made within or near these settlements and monitored.

Unauthorised Colonies : Any Planned development needs discipline which seems to be lacking in this sort of building activity taking place in the city. More than about 600 unauthorised colonies, existing in the city, which have so far been considered for regularisation, are result of this. The present method of regularisation may not be helpful in improving the low level of physical environment existing in these colonies. For improvement of physical and social infrastructure, the house owners in these unauthorised colonies should be asked to form into societies and these societies should come forward with plans for improvement of the target group. This is likely to improve the present state of affairs.

Urban Villages : Presently there are 106 Villages within the urbanisable limits, more villages would be added into the urban area because of its extension. The settlements having a completely different life-style for centuries are now getting merged into the urban environment and need a sensitive treatment in the planning and development process. The settlements should get the modern services and amenities and should also be catered for their traditional cultural styles.

Lutyen's New Delhi : Residential area in New Delhi specially in the south of Rajpath, has very pleasant environment. At present the area comprises of large residential plots with detached residential units. This area is unique in its continuing existence at very low density in the heart of city.

For the re-development of this area, certain studies were conducted by the Design Group of the New Delhi Redevelopment Advisory Committee with a view to redensify the area and conserve the environment. These studies should be further refined so that the tree studded character of the area is not disturbed. Similar study should be conducted for the Civil Lines area.

In general it would be desirable to take up all the existing developed residential areas one by one for environmental improvements through (i) plantation and landscaping (ii) provision of infrastructure-physical and social and proper access where lacking (iii) possibility of infrastructure management of the last tier through the local residents.

WORK CENTRES

Industry

There are at present, about 46000 industrial units 77 per cent are with less than 10 workers and 16 per cent are with workers between 10 to 20. By 2001, the number of industrial units would increase to about 93,000. The percentage of work force in the industrial sector has been constantly increasing. There has been considerable change in the industrial structure of the city in the past three decades and more so in the last five years. The following two types of industries which are present need based have grown more rapidly.

(i) Electrical and Electronics

(ii) Rubber, plastic and Petroleum products

According to the existing regulations, a large number of existing industries would be non-conforming located, as they are in the residential and commercial use zones. Thus the question of conforming/non conforming and overall compatibility of industries in the city has been studied.

New industrial units shall be permitted in different use zones as per conditions prescribed in Annexure III—Classification of industries. For the existing industrial units in different use zones, it is recommended as follows :

(a) Industries of the types specified in Annexure IIIA with maximum of 5 workers and 1 kw power are compatible in the residential areas and may be allowed to continue. New industries of this type could also be permitted in residential areas.

(b) Industrial units of types specified in Annexure III F and any other industry with 20 or more workers would be incompatible in residential, commercial and non-industrial use zone. These should be immediately shifted (Maximum period 5 years).

(c) Industrial units of types specified in Annexure III B, C, D, & E with 10-19 workers but non-conforming as per Annexure III may continue to operate in residential and commercial use zones and should be reviewed after five years, giving them full chance during this period for relocation. Only compatible new industrial units shall be allowed in the residential or commercial use zones as in Annexure III.

(d) Industrial units of types specified in Annexure III B, C, D2& E upto 9 workers but non-conforming as per Annexure III may continue to operate in residential and commercial zones and should be reviewed after 10 years after giving them chance during this period for relocation, other units in 'C' above have been provided for.

(e) Industrial units of types given in Annexure IIIH are not permitted in the Union Territory of Delhi.

There are 82 water polluting industrial units in Delhi. These units should make individual/joint arrangements for treatment of the effluent. About 30 per cent of these units which are located in other areas should be immediately shifted to the industrial areas.

Industrial area redevelopment schemes for the following industrial clusters should be prepared after proper survey and appraisal. Industrial units which are safe and in conformity with use zone could be regularised after upgrading the environment :

(1) Anand Parbat	Light Industrial Area
(2) Shahdara	Light Industrial Area
(3) Shamapur Badli	Extensive Industrial Area

The regularisation of each industrial units shall be on individual merits. The land tenure could be decided while taking up the regularisation of these schemes.

With the above stated recommendations for existing industrial units: (a) about 5,000 industrial units which are of nuisance, noxious and hazardous type, shall have to be shifted within five years to planned industrial areas.

(b) abom 25,000 industrial units would be offered plots in urban extensions in areas to be earmarked for industrial use and situation reviewed after 5 and 10 years.

Industrial activity in DUA 81 shall be conducted at the following locations in the prescribed use zones as indicated in the land use plan.

(i) Light Industry—Flatted Factory and Service Industry.

Bhandewalan; Birla Mill Site on G.T Road, Near Shankar Market DCM, Anand Parbat, Kirti Nagar, Near Pusa Institute.

(ii) Light Industry—Service Centres (Refer Annexure-I).

(iii) Light Industrial Estates Motia Khan, Shahzada Bagh, Hiberal Fabrics, Patti Nagar, Anand Parbat, G.T. Road (Shahdara), Keshu Puri, Badar Pur, Gulabi Bagh, Hindustan Prefab (Bhogal), Okhla Industrial Area, Mathura Road, Naraina, Delhi Milk Scheme, Wazirpur, Lawrence Road, GT Road, Moti Nagar, Govt. of India Press, North of Railway Line to Rohtak and Rohini (2 Pockets).

(iv) Extensive Industrial Estates Chilla, Okhla, Najafgarh Road, Mayapuri, Rohtak Road, Patparganj, South of Jahangirpur, Mother Dairy, Shamapur Badli.

In the next two decades, to meet the expanding need of industrial units, 16 new light industrial areas (Total area about 1533 ha) would required to be developed in Urban Extension; each industrial area shall have upto 5 unit industrial estates (for short UIE) of about 20 ha each for specific types as given below:

Group I

(a) Cotton, Textile, Wool Silk & Synthetic Fibre, Textile product (b) Furniture, fixture, other wood & paper product	11 UIEs each

Group II

(a) Electrical & Electronic Appliance (b) Leather & Fur product Rubber, Plastic & Petroleum Product	11 UIEs each

Group III

Metal and Metal product, Alloy, Machine, Tools, Transport Equipment & Parts and Misc. Products	26 UIEs each

Five UIE shall be for specific industrial activities i.e. two UIEs each for (i) Food and (ii) Chemicals and chemical products. The NIEs for food shall be fully segregated from all sides through a green buffer of about 100 metres to keep these away from the road dust. One UIE shall be developed for computer industry.

In DUA 81, Industrial area with specific types of industries permitted therein are as given below:

Industrial areas	Type of industries permitted
1. Lawrence Road	Food products
2. Wazirpur	Group-I
3. Naraina Phase-I	Group-II
4. Naraina Phase-II	Group-I
5. G. T. Karnal Road	Group-I

The light and extensive industrial areas which have not been assigned any specific type could be used for locating all types of industries permitted in these zones.

Extensive industrial activity in Urban Extension shall be confined within about 265 ha. area at two locations. These areas shall be mainly utilised for shifting of existing incompatible industrial units and location of some new industrial units.

TRADE AND COMMERCE

Retail Trade

Shopping areas are very important and these create an image of the city. These areas should cater to varying day-to-day shopping needs as well as casual and impulsive shopping. In the city of Delhi, informal sector plays a very important role which needs to be recognised. This sector which is generator of employment remains at low productivity in the absence of proper infrastructure. It is possible to create lively shopping areas integrating informal sector.

At present Delhi has about one lakh retail shops at the rate of 18.25 shops per thousand population. These are located in about 100 markets, of varying size and character, scattered all over the city. Also about 1.39 lakh informal sector retail units (without roof) are working within these shopping centres, road-side and other points of public concentration. Delhi has the tradition of weekly markets and at present there are 95 weekly market sites (1.8 weekly markets for 1 lakh population) with about 6,000 daily shops. These weekly markets work once in a week at one place and the enterpreneurs keep moving to different places on different days of the week. The retail shopping centres are varying from the temporary ones in the sub-urban area to Palika Bazar—the most fashionable one in the city or say unique in the whole of North India. Additional population of about 28 lakh in DUA 81 would require 44,200 retail shops (average area of a shop to be about 26 sqm.) Urban Delhi has at present about 38.6 lakh sqm. of commercial office space for additional employment 24.72 lakh sqm. space is required within DUA 81 and 28.44 lakh sqm. in the Urban extension.

To accommodate required shopping, commercial offices, offices for undertakings and other related activities like cinema, hotel and needed facilities the following five tier system of commercial are as is to be generally followed:

Level	Name	Population Served
I	Central Business District (including sub-Central Business Distt.)	City (including sub city)
II	District Centre	4,00,000 to 7,00,000
III	Community Centre	60,000 to 100,000
IV	Local Shopping	15,000 to 20,000
V	Convenience Shopping	5,000 to 6,000

Central Business District :

Central Business Districts (CBD) are at the apex in the heirarchy of the commercial centres working at city and regional level. The existing areas functioning as CBD are:

(i) Old City

(ii) Asaf Ali Road

(iii) Connaught Place and its Extension (Metropolitan City Centre).

(iv) Karol Bagh

Old City, Asaf Ali Road and Karol Bagh, now form part of the area designated as special area and to be developed as per special regulations given in the development code. Connaught Place and its extension shall be developed as per the approved Development Plan of the Metropolitan City Centre with the condition that a design study should be conduced in relation to decentralisation of its activities.

Sub-Central Business District

Two Sub-Central Business Districts a sub-city level are proposed for development by 2001, one in East Trans-Yamuna area and other to be in the Urban Extension. These shall be developed as per the land allocation given below:

	Shahdara Urban Ext.	
	(Area in Hectares)	
1. Wholesale Trade	10.0	
2. Retail Trade	13.3	17.0
3. Offices	6.6	17.0
4. Service Centre	2.0	3.0
5. Hotel	2.0	6.0
6. Cultural Centre	2.0	4.0
7. Public Facilities	2.5	6.0
8. Open Space (for design flexibility)	9.6	13.0
Total	48.0	66.0

Trans-Yamuna area has more than one million population as per 1981 Census. By 2001 the Sub-CBD shall cater to a population of about 17 lakh and should be developed on priority.

District Centres

Three district centres, namely Nehru Place, Rajendra Place and Bhikaji Cama Place have been almost fully developed and three others, namely Janakpuri, Laxmi Nagar and Shivaji Place are in the process of development. Major part of Jhandewalan was developed even prior to 1962, and part of it is under development at present. The land allocation for these district centres is given below:

District Centre	Area in Hectares
Nehru Place	38.20
Rajendra Place	9.31
Bhikaji Cama Place	14.16
Janakpuri	14.97
Laxmi Nagar	12.95
Shivaji Place	22.60
Jhandewalan	12.97

In Nehru Place 4 hectares area which was proposed for Govt. offices during the period 1961—81 is now recommended to be developed as retail shopping on 30 per cent coverage and 75 Floor Area Ratio (FAR) Besides the above seven district centres, 20 other district centres would be required to be developed by 2001 as per the area programme given in the following table:

LAND REQUIREMENTS FOR DISTRICT CENTRES—2001

Sl. No.	District Centre	Land in Hectares								
		Wholesale	Retail	Office	Service Centre	Hotel	Cultural Centre	Facility	Land Scape	Total
	DUA—81									
1.	Saket	..	6.2	7.7	..	2.0	..	2.5	4.6	23.0
2.	Rohtak Road	10.0	5.9	2.0	..	2.0	..	2.5	5.6	28.0
3.	Paschim Vihar	..	4.3	3.6	..	..	..	2.5	2.6	13.0
4.	Wazirpur	5.0	7.8	7.5	..	2.0	..	2.5	6.2	31.0
5.	Shalimar Bagh	..	4.0	2.0	..	..	..	2.0	2.0	10.0
6.	Jahangir Puri	..	6.9	7.8	..	2.0	..	2.5	4.8	24.0
7.	Khyber Pass	..	4.7	2.0	..	2.0	..	2.5	2.8	14.0
8.	Dilshad Garden	..	2.0	2.3	..	2.0	..	2.5	2.2	11.0
9.	Eastern Yamuna Canal	..	3.0	4.1	..	..	..	2.5	2.4	12.0
10.	Shahdara	..	3.2	2.0	..	..	..	2.0	1.8	9.0
11.	Mayur Vihar	..	2.8	5.5	..	2.0	..	2.5	3.2	16.0
12.	Rohini	10.0	11.0	7.0	1.5	2.0	2.0	2.5	9.0	45.0
13.	Mangol Puri	..	4.9	4.4	1.0	2.0	2.0	2.5	4.2	21.0
14.	Auchandi Road	..	4.9	2.0	1.0	2.0	2.0	2.5	3.6	18.0
	SUB-TOTAL	25.0	71.6	59.9	3.5	20.0	6.0	34.0	55.0	275.0
	URBAN EXTENSION (Six District Centres)	40.0	91.1	93.6	9.8	12.0	12.0	15.0	68.5	342.0
	GRAND TOTAL	65.0	162.7	153.5	13.3	32.0	18.0	49.0	123.5	617.0

Community Centre (CC)

There would be 82 Community Centres in the DUA and 40 in the Urban Extension. The community centres in urban extension are proposed to be expanded along the roads as street shopping on the pattern of tradition shopping. The shopping shall be segregated from the main street by three to four rows of the plantation and shall be served by linear parking strips. Some of the community centres however shall be of integrated type.

During the period 1961—81 Community Centres were mainly provided for retail shopping, commercial and professional offices. The need of fruit and vegetables and service and repair shops should also be integrated. The community centres in the urban extension and those not developed in DUA-81 should be developed on the norms as given in the following table to provide the needs of the community:

	Total	Retail and commercial centre	Fruit and vegetable Market	Service and Repair Centre
DUA-81				
Land, per 1000 persons in sqm	437	361	17	59
Formal shops per 1000 persons	3.23	2.68	0.30	0.25
Informal shops per 1000 population	1.79	1.07	0.60	0.12
Other Uses		Cinema, Office		Petrol pump, Electric substation,
URBAN EXTENSION				
Land, per 1000 persons in sqm	542	453	22	
Formal shops per 1000 persons	3.65	2.95	0.40	0.30
Informal shops per 1000 persons	2.13	1.18	0.80	0.15
Other Uses		Cinema, Office, Hotel		Petrol Pump, Electric substation, Gas godown

Local Shopping Centre and Convenience Shopping Centre

These are not marked on the Land Use Plan and shall be indicated in layout plans and developed on the following norms:

(A) Local Shopping Centre

	Total	Retail & Commercial Centre	Fruit & Vegetable Market	Service & Repair Centre
DUA 81				
—Land per 1000 persons	238 sqm	183 sqm		55 sqm
—Formal shops per 1000 persons	3.36	2.41	0.30	0.65
—Informal shops per 1000 persons	1.88	0.96	0.60	0.32
—Other Uses		Office		Electric Sub-station
URBAN EXTENSION				
—Land per 1000 persons	261 sqm	195 sqm		66 sqm
—Formal shops per 1000 persons	3.70	2.45	0.40	0.85
—Informal shops per 1000 persons	2.20	0.98	0.80	0.42
—Other Uses		Office		

(B) Convenience Shopping Centre

	Total	Retail Shops	Fruit & Vegetable Shops
DUA 81			
—Land per 1000 persons	171 sqm	171 sqm	
—Formal Shops per 1000 persons	3.48	3.08	0.40
—Informal shops per 1000 persons	2.34	1.54	0.80
URBAN EXTENSION			
—Land per 1000 persons	228 sqm	228 sqm	
—Formal shops per 1000 persons	4.70	4.10	0.60
—Informal shops per 1000 persons	3.25	2.05	1.20

Special attention is required for the low turnover shops like fruit and vegetable, service and repair. In the last two decades, most of these came up in unauthorised manner. To avoid continuance of this situation land has been allocated for these shops in commercial centres and also specific areas have been earmarked in the land use plan in DUA 81 for service centres.

Wholesale Trade

There are about 24,600 wholesale shops and establishments in wholesale markets in Delhi. About 12,000 commodity handling shops (at the rate of 2.21 per 1,000 population) have been actually enumerated. Most of the wholesale markets are located in the congested central part in Old Delhi and were established during the late 19th century and early 20th Century. The survey of goods movement revealed that out of total inward traffic (exclusive of by pass) 25 per cent had destination in Division 'A'.

The wholesale markets are dealing with 27 major commodities. The largest wholesale trade based on the number of shops is textile and its products located in Chandni Chowk and Maliwara, followed by auto-parts and machinery located in Kashmere Gate area. Rankwise other wholesale commodities are fruits and vegetables (Azadpur Market), hardware and building materials (Chawri Bazar, Shradhanand Marg), paper and stationary (Chawri Bazar and Nai Sarak), food items (Khari Baoli) and iron and steel (Naraina).

To develop modern wholesale markets, these should be integrated with the freight complex where the wholesale business could be operated more efficiently in a better environment. Basic functions of the integrated freight complex are:

(i) to provide facilities for regional and intra-urban freight movement.

(ii) to provide facilities for freight in transit as well as interchange of mode.

(iii) to provide warehousing and storage facilities and inter-link these sites with specialised markets like iron and steel, and building materials, hosiery, plastic, leather and pvc, auto motor parts and machinery, fruits and vegetables.

(iv) to provide servicing, lodging and boarding, [illegible] parking, restaurants and other related [illegible] in the complex.

The integrated freight complexes [illegible] regional and metropolitan level. Local wholesale markets of medium size are required to enable distribution of commodities from these complexes to the retail outlets. Such local markets also need to be dispersed throughout the city. These should have parking, repair and servicing facilities and could be either integrated with the commercial centres or provided separately at the selected number of nodes on lines of movement.

The new wholesale markets need to be developed at suitable locations in different parts of the city to encourage decentralisation at two levels:

(i) Regional distribution and

(ii) Regional cum local distribution.

In case of existing developed areas, wholesale markets which are hazardous in nature like plastic and pvc goods, chemicals, timber and petroleum and its products, should be shifted to the areas specifically assigned for these.

In old city wholesale markets, all unauthorised encroachments/projections on roads/government land should be removed to facilitate easy movement of traffic and only limited entry to the slow and fast moving vehicles provided. Further extension of the wholesale activity in the existing markets may be totally stopped.

Specific Proposals for New Markets

(a) Regional Distribution Markets Regional wholesale markets along with warehousing and truck terminal facilities are proposed to be developed on the major entry routes for Delhi, as given below:

(i) in the East near Patparganj and on Loni Road;

(ii) in the South near Madanpur Khadar.

(iii) in the South-West in Urban Extension.

(iv) in the North in Urban Extension.

The break up of land requirement by different commodities at various locations is given below:

Sl.	Commodity	LOCATIONS						Total Area
		East	South	South West		North		
		Patpar Ganj	Loni Road	Madanpur Khadar	Urban Extension	Najafgarh	Urban Extension	
(a)	MARKETS WITH WAREHOUSING							
	Textile & Textile Product	9		28	26		7	70
	Auto, Motor, Part and Machinery	13			11		20	44
	Fruit and Vegetable		20	9	24			53
	Hardware and Building Material	5	13	18	12			48
	Iron and Steel	5		10			5	25
		11		9		8	5	33
	Leather and PVC	18	19	23	16		21	97
		10						
(b)								
	TRUCK TERMINAL	71	52	97		8		228
		60		50	30	4	15	159
	GRAND TOTAL	131	52	147	144	12	144	630

To bring in decentralisation in the wholesale trade, new markets, specially space extensive should be located in the towns of Delhi Metropolitan Areas as given below:

(i) Ghaziabad—Iron and Steel

(ii) Faridabad—Motor Part and machinery and iron and steel.

(iii) Gurgaon—Motor part and machinery and building material.

(iv) Kundli—Fruit and Vegetable, timber and building material.

(v) Loni—Building material and timber.

Further, Ambala/Saharanpur is the suitable location for a large wholesale market for Apple.

(b) Regional-cum-Local Distribution Markets.

Delhi in fact, is one metropolitan city but has become an agglomeration of cities. Eleven regional-cum-local wholesale markets as secondary wholesale markets are recommended to be developed. These markets shall be mainly for the products with the area requirements as given in the following table:

Commodity	Wholesale Shops	Land need (Hectares)
1	2	3
1. Paper, Stationery & Books	1317	7.30
2. General Merchant	1207	13.30
3. Bicycle, Tyre & Tube	917	5.00
4. Electrical	904	5.00
5. Chemical	815	12.00
6. Scrap material	712	7.90
7. Leather, Fur, Skin and wool	615	7.00
8. Other metal products	598	9.90
9. Other Food items	513	9.60
10. Radio, Tape & accessories	466	2.30
11. Cosmetic & toiletaries	449	2.50
12. Furniture & Fixtures	413	6.00
13. Dry Fruit & Spieces	330	5.80
14. Crockery & Utencil	317	5.00
15. Watch & Opticals	154	0.80
16. Medicine	76	0.40
17. Surgical & Scientific instrument	62	0.60
18. Other commodities	618	0.40
Total	10513	107.00

Regional-cum-Local Markets are proposed as under:

(a) DUA 81

Population 82 lakh in 2001)

(i) Sub-CBD (Shahdara)

South

(ii) Okhla

West

(iii) Rohtak Road District Centre

(iv) Shivaji Place District Centre

North

(v) Wazirpur District Centre

(vi) Rohini District Centre

(b) Urban Extension

(Five markets of 10 ha each for 40 lakh population)

Storage of Oil and LPG Gas

Shakurbasti Depot being in the densely inhabited area should be shifted to a site about 13 km. away between Ghevra and Tikri Kalan which shall be a major storage site for white oil, black oil and LPG. The existing LPG plant at Shakurbasti should be shifted as early as possible.

Bijwasan, which is an existing oil terminal near Delhi Airport should be contained within the area already allotted for this purpose. At most, it may be allowed to expand by about 8 ha. by adding a land lying between the existing terminal and the Delhi Airport boundary. Bijwasan shall be major storage depot for white oil.

Third major oil terminal site should be developed near Holambi Kalan on Delhi-Ambala railway line in the beginning of next decade i.e. in 1991. This site could be connected to the existing oil pipe line through a 8 km. pipe link. This storage depot shall be mainly for white oil and LPG.

Two road based LPG depots are proposed to be developed, one in South-East Delhi in the East of Agra Canal near Road No. 13 and second in the North along Road No. 50. Agra Canal site could be developed immediately.

A site measuring about 10 ha. adjoining to the Badarpur Thermal Power Station would be suitable to be developed exclusively for black oil by providing Railway siding to this site.

Government Offices

Public Sector employment in Delhi at present is 5.42 lakh (i.e. 27.92 per cent of total work force) with an average growth rate of 4.56 per cent in the last two decades and is distributed as under :

	Employment (in lakhs)	Average Annual Growth Rate (1961—81)
Central Government	2.26	2.77%
Quasi Government	1.41	9.73%
Delhi Administration	0.58	4.29%
Local Bodies	1.17	6.86%

The Quasi-Government employment is increasing at an alarming rate. 24.8 per cent of the Central Government Undertaking have head offices and 22.6 per cent have liaison Offices in the City. This alongwith the regional wholesale are the major sectors attracting migration to Delhi. The data of last two decades indicates that Central Government employment has a constant proportion to all-India Population (0.47 per cent) though Delhi's share has increased from 6.8 per cent of the total of Central Government employment in 1961 to 7.14 per cent in 1981.

Only such new central government offices which directly relate to the ministries of the Government of India and only the liaison offices of the Undertakings should be located in Delhi. The Quasi-Government employment needs to be suitably distributed in the regional towns and i.e. communities as part of the National Capital Region.

For balanced development at regional level and sub-regional level, the employment in Central Government and Quasi-Government Undertaking's should be restricted. The growth rate between 1981-2001 in public sector have been assumed to be as given below:

	Employment 2001 (in lakhs).	Average Annual Growth Rate 1981—2001
Central Government	3.16	2.67%
Quasi Government	3.84	5.14%
Delhi Administration	1.53	4.97%
Local Bodies	2.41	3.68%

Inspite of lower growth rate proposed for Quasi-Government employment in Delhi, the total employment in this sector would overtake Central Government employment around 1995. 3.16 lakh Central Government employment proposed for the year 2001 has been provided at the following locations along the ring railway. It would help the transportation system and also a convenient journey to work for Central Government employees.

	Area in ha.	Employment
1. I.N.A.	[illegible]	5,000
2. Safdarjung Railway Station	54.00	67,875

20. ha. area for government offices is earmarked in Saket, where a large Central Government housing complex has been developed. While the specific locations have been earmarked for the Central Government offices, the Quasi-Government offices shall be accommodated in the commercial centres i.e. Community Centres, District Centres and Central Business Districts.

Major Delhi Administration Offices are located in Old Secretariat which is a historical building and should be conserved. Barracks area adjoining to the Old Secretariat would be redeveloped to accommodate additional Delhi Administration Offices.

Presently District Courts are located at one place i.e. Tis Hazari. Land has been earmarked for District Courts, in 4 more locations to accommodate district courts and allied Delhi Administration and DDA offices:

(i) Near Saket District Centre—7 ha.

(ii) Near Sub-CBD Shahdara—3 ha.

(iii) Junction of Outer Ring Road and Western Yamuna Canal—3 ha.

(iv) Near District Centre in South West (UE)—3 ha.

In fact, major part of the Local Bodies employment and Delhi Administration employment would be accommodated in the public and semi-public facility areas. New headquarters of the Municipal Corporation could be housed on the proposed civic centre site on circular road opposite Ram Lila Grounds.

Transportation

Delhi is the converging point of five railway lines and nine roads of which five are National Highways. Unless strong measures are taken in the structuring of the [illegible] towns in the National Capital Region [illegible] and regional railway and road linkages are developed which will create an environment for development [illegible] NCR, the convergence of the existing transportation system will create chaotic conditions in Delhi. The structure of Delhi Urban Area within the Metropolitan Region is in peculiar State because a number of programmes and

developments that are in pipeline in the towns at the periphery of the Union Territory will have a profound effect on the city. Further, at the level of Delhi Urban Area, the problem is serious due to the size, magnitude and number of the CBD functions which need decentralisation.

Intra-city passenger movement

Hitherto, transportation planning in Delhi has aimed at minimising the gap between demand and supply by increasing the capacity of the urban transport plan involving projection of past trends which has been snow-balling towards increased supply of roads for the automobile traffic. The problems of the vast majority of the population relating to bicycles and public mass transportation system, movement in the Old City and pedestrain movement all over the city remain to be attended. An environmentally and economically acceptable approach to resolve the transportation problems of the city need to be based on innovations both in technique and technology. The need of the city is to reorganise and restructure its activity transportation fabric in the light of all options and choices. Thus, the fundamental goals of the plan for Transportation are:

(a) To establish a reliance, efficient and attractive multi-modal public transportation system;

(b) To generate conditions for safe usage of bicycles;

(c) To establish a reasonable freedom to automobile traffic;

(d) To establish safe pedestrian movement; and

(e) To encourage innovative management technique to resolve problems of critical areas.

During the last two decades there has been considerable change in the modal split. Since 1957, modal trips through public transport including chartered buses have increased from 24.26 to 59.70 per cent. Of course, Delhi Transport Corporation (DTC) buses are the major public transport mode. There is rise in per capita modal trips from 0.466 in 1969 to 0.722 in 1981. Trips projections for the year 2001 are:

Total person trips—186.40 lakh

Walk trips—69.77 lakh

Vehicular trips—116.63 lakh

The Proposed Multi-Modal Transport System.

Keeping in view the physical forms obtainable in the existing Urban Area like Old Delhi, New Delhi and new developments, it is logical to state that a single mode of transport cannot effectively serve the needs of the city. Accordingly, a multi-mode system suitable for the over-all structure of the city and at the same time inter-linking the various sub-structures is proposed. For the existing urban areas, it is envisaged to consist of the electrified ring rail, bus transport and light rail transit on a select number of corridors.

Ring Rail

The ring rail has been carrying 9,000 passengers per day in 1981 before the electrification. It was electrified during Asian Games in 1982 but after the introduction of Electric Multiple Units the passenger movement on the ring rail in fact has decreased. There could be number of reasons for the ring rail carrying less passengers than anticipated, but one of the reason is uncomplimentary land uses in the area along the ring.

Land uses along the ring rail are required to be restructured mainly in the following areas:

(i) Anand Parbat

(ii) INA Colony

(iii) Pusa Institute

(iv) Kirti Nagar

Light Rail Transit (LRT)

Another mode proposed for the Intracity passenger movement is the light rail which has got a capacity upto 20,000 passengers per hour. It is a medium capacity passenger transport system compared to the Underground Rapid Transport; but its cost index is about one tenth. It is electrically propelled rail vehicles operating singly or in trains. LRT takes advantage of unique feature of rail technology; although guided, it can have grade crossings and even run on streets. LRT has the ability to share and utilise all types of right of way on the same route and yet have the advantage of the guided technology, high capacity, high labour productivity, comfortable ride. Its performance characteristics like lower noise level, absence of exhaust fumes and a better safety record make LRT more compatible with pedestrian environment than buses. The light rail system is an alternative to the bus system wherever a high capacity movement is required. In the existing Urban Area and in the Urban Extension, about 200 kilometres of light rail would be required by the year 2001 Major corridors recommended are:

(a) Vivek Vihar to Najafgarh Road along Vikas Marg, ITO, Panchkuin Road, Pusa Road, Rajendra Place, Patel Road.

Corridors along New Rohtak Road from Faiz Road to Zakhira and from Panchkuin Road, Link Road, Pusa Road, Patel Road and linking Ring Road shall have very high intensity of movement towards later part of the plan period and a study to provide underground rapid transit system along this part may be conducted.

(b) From Mehrauli-Badarpur Road to GT Road (near Sabzi Mandi) along Lal Bahadur Shastri Marg, Mathura Road, Exhibition Ground, Ring Road, ISBT, Shamnath Marg and Mall Road.

(c) From Najafgarh to Dhaula Kuan along Jail Road and Station Road.

(d) From Palam Airport to Khyber Pass along Gurgaon Road, Dhaula Kuan, S.P. Marg, Faiz Road and Rajpur Road.

(e) Dilshad Garden to Rohini along Eastern Yamuna Canal, new bridge at ISBT, Mall Road and Road No. 41 leading to Rohini.

Tram

For the central congested area of the Walled City, reintroduction of trams along select number of routes i.e. Chandni Chowk, Esplanade Road, Chawri Bazar and Asaf Ali Road (10 kms) is recommended. Introduction of trams in this area would be supported by a restraint on the use of private modes of transport and provision of parking at interchange points. This would be necessary in order to revitalize the area and improve its environmental quality. The introduction of tram is based on the following:

(a) Characteristics of the traffic on various roads of Walled City show a continuous flow of traffic at low speed. To suit the characteristics, a high capacity and low speed mode e.g. trams at high frequency will prove useful.

(b) Being on fixed track, trams can maintain a high frequency than buses because headway between the two cars can be minimised.

(c) The modern trams are almost free of noise pollution.

(d) The trams can carry [illegible] (10,000) persons per hour.

Bus

It is desirable that the route pattern of the existing bus transport system is restructured from its present pattern wherein it focuses on the central area than on to the peripheral roads. At the same time, emphasis for bus transport from the existing Ring Road should be reduced with a view to making the ring rail effective. This will require

planning and introduction of feeder services which interconnect the ring rail with residential areas. It is desirable that on the existing road network of Delhi, the number of public transport buses operated by DTC are increased marginally, their level of service for vehicle movement is improved wherever need is identified and on priority, higher capacity system like the light rail is introduced.

Bicycle

There are a number of ways to resolve the cycle problem to provide a safe environment; (i) fully seggregated cycle tracks to be provided by adjusting existing road sections and making use of the 'nallahs'. The cycle tracks interconnect trips production and attraction areas. (ii) Partially seggregated cycle routes are proposed along traffic corridors where the existing physical conditions pose difficulties. (iii) In other existing areas like the Walled City, Sadar Bazar and Karol Bagh, conditions for cycle movement can be improved by traffic management measures.

Four major cycle tracks proposed are

(a) From Mehrauli-Badarpur Road ITO (along Chirag Delhi drain and Mathura Road).

Length of track—5 kms approx.

(b) From GT Road (Shahdara) to Vikas Marg (along the Eastern Marginal Bund).

Length of track—5 kms. approx.

(c1) From Preet Vihar to Connaught Place along Vikas Marg (ITO).

Length of track—10 kms. approx.

(c2) Paschim Puri/Vikas Puri to Connaught Place via Najafgarh Drain, Patel Road, Rajendra Place, Pusa Road and Panchkuin Road.

Length of track—16 kms. approx.

(d) From Shahdara to Chandni Chowk (along G.T. Road and Old Yamuna Bridge).

Length of track—5 kms. approx.

Modal Split

The network is based on the modal split for Delhi—2001 to move 17 million trips as given below:

Mode	Modal Split
Rail	8.57%
Bus/Tram Light/Rail	65.97%
Personalised Fast Mode	12.26%
Hired fast mode	3.27%
Hired slow mode	0.65%
Bicycle	9.28%

Inter-City Passenger Movement

Rail

Three rail terminals in the metropolitan city of Delhi cater to about 78 thousand passengers daily going out of the city by rail distributed as follows.

Delhi Junction—50,000

New Delhi—25,000

Nizamuddin—3,000

Total incoming and outgoing passengers handled at all the 33 stations including commuters are about 362,000 (192,000 commuters and 170,000 long and short distance passengers) through 261 trains (137 long distance and 124 short distance, i.e. from within the National Capital Region). The intercity passenger movement in Delhi has been growing at about 4 per cent per annum. Projections for 2001 are:

Daily total passengers (185% of 1981)	—672,000
Commuters	—356,000
Long and short distance passengers	—316,000
Total trains	480

To cater to the above passenger movement four metropolitan passenger terminals are proposed, also to serve the DMA.

(i) Trans-Yamuna area—to cater to population concentrated across River Yamuna in the East. This will cater to part of NOIDA in UP Population of this area is one million which has been projected to about 1.7 million in 2001.

(ii) Okhla—to cater to South Delhi. This will also cater to the remaining part of NOIDA in UP after the link road to bridge on Yamuna linking NOIDA is completed.

(iii) Bharthal—to cater to West Delhi and part of the proposed Urban extension.

(iv) North Delhi to cater to part of the proposed Urban extension.

Second entry to New Delhi as well as Delhi main railway station was proposed earlier. In case of Delhi main railway station it could not be implemented because of some difficulties. After a study now it is found that it is possible to make an integrated road cum rail terminal by integrating Inter State Bus Terminus with Delhi main railway station. This should be possible by using the land to be made available due to shifting of Delhi College of Engineering.

Bus

Following is the projection for interstate bus movement

Passenger (both ways)	2,25,000
Bus (both ways)	14,000

To cater to the requirements four new inter state bus terminals should be developed, each of 10 ha within metropolitan railway terminals, besides one exclusive bus terminal should be developed at Dhaula Kuan.

Air

The International Airport Authority of India have projected the international air passengers and cargo, domestic air passengers and cargo, at the following rates as recommended by the Committee on Air Transport Policy, Ministry of Tourism and Civil Aviation.

	Annual Growth Rate	2001
International Passengers	12.00%	163 (lakh)
Domestic Passengers	12.00%	191 (lakh)
International Cargo	15.00%	6.4 (tons)
Domestic Cargo	12.50%	7.9 (tons)

The International Airport Authority of India have worked out extension plans for the Palam Airport with a perspective upto 2001; the total land earmarked for the International Airport is about 2260 ha.

The international airport has been linked to other parts of the City and urban extension through the network to facilitate fast movement.

Goods Movement

With the expansion of commercial and industrial activities in Delhi Metropolitan Area, the goods movement within urban area and outside has become very serious and formidable. About 20 per cent of the gross annual freight movement to and from Delhi is by rail and 80 per cent is by road. At the national level, 81.2 per cent of freight is carried by rail and 17.8 per cent is by road.

Movement by Rail

(i) On an average week day 1,000 to 1,050 loaded wagons enter Delhi and about 150 loaded wagons leave the Delhi Metropolitan Area. The total freight handled by the rail is estimated to be in the region of 25,000 tons per day.

(ii) It has been established that 60 per cent of goods from railway stations have their destination in the Old City and its extension i.e. Sadar Bazar, Motia Khan, Jhandewalan, etc. Presently, the goods are terminating as below:

Iron and Steel	—Tughlakabad and New Delhi Railway Stations.
Food Grain	—Sabzi Mandi, Lahori Gate, New Delhi and Delhi Cantonment Railway Stations.
Coal	—Tughlakabad Railway Station.
Fruit & Vegetable	—New Sabzi Mandi, Azadpur Railway Station.
Industrial Raw Materials	—New Delhi Railway Station.
Fuel	—Shakur Basti Railway Station.
Cement	—Safdarjung and Shakur Basti Railway Stations.

It would be seen that still there are some goods terminating at New Delhi Railway Station.

With the restructuring of the land uses, the ring rail presently partially acting as goods avoiding line would have to be fully left for passenger movement by the year 2001. For goods movement, an alternative line joining Delhi-Mathura Railway line with Delhi-Punjab Railway line outside the present urbanisable limits and outside the Union Territories of Delhi would be required to cater to the goods movement by rail.

Goods Movement by Road

17,500 trucks (two-third of which are loaded and one-third unloaded) are entering or leaving Delhi on an average week day. 25 per cent of the loaded incoming trucks (about 1650 trucks) are bypassing the city. Of the total truck volume, about 50 per cent is handled by two points namely National Highway No. 2 (Badarpur Octroi Post) and National Highway No. 24 (Shahdara Octroi Post).

Movement of incoming trucks on different highways on an average week day is given as under:

Highway	Rank	No. of incoming trucks	% of total inward flow
National Highway-2	I	1400	21.00
National Highway-24	II	1332	20.00
National Highway-8	III	866	13.00
National Highway-1	IV	833	12.50
National Highway-10	V	466	7.00
Loni-Saharanpur Road	VI	433	6.50
Major roads other than National Highways		1332	20.00

It is also evident from the survey findings that more than 50 per cent of the inward freight is again going out of Delhi. The basic problem has been created by this as it is loaded, again to go out for various destinations outside.

Projection for Goods Movement

The projections for the goods movement through rail and road has been worked out as under:

I. Rail

	1981	2001
Number of Wagons corresponding to which facilities may be planned, projected @ 3% growth rate and two days accumulation	2100	5700

II. Road

	1981	2001
Loaded vehicles entering and leaving Delhi Urban Area per day	11965	43194
Empty vehicles entering and leaving Delhi Urban Area per day	5627	20311
Total	17592	63505

Integrated freight complex

For the integration of goods movement through road and rail, freight complexes have been recommended. These would consist wholesale market, warehousing, road (trucks) and rail transport terminals so as to curtail the movement of heavy vehicles within the developments. (Also refer section on wholesale markets under Trade and Commerce).

The freight complexes are to be located in a place where they intercept the maximum possible regional goods traffic entering Delhi. Keeping this in view, the sites for freight complexes are :

Madanpur Khadar (NH-2)

Patparganj (NH-24)

Loni Road (NH 24)

G.T. Road (NH-1)

Bhartal (NH-8)

To reduce congestion in the central city areas, it is essential that the envisaged freight complexes are developed in the next two decades.

Dry Port :

There is proposal to establish a dry port in the Northern Region. This has been under the consideration of the Government since long. Such an activity would have extensive linkages and this could create conditions for large number of jobs and would be generating high traffic volumes within and at the periphery of the urban area. This activity could be most suitably located out of the Union Territory of Delhi in the NCR. For its efficients functions on this would require a new rail link in the region connecting Khurja, Palwal, Rewari and Sonipat.

Metropolitan Transport Authority :

The problems of transport of Metropolitan cities are unique. The experience is that multi-modal metropolitan transportation system should be under the charge of single authority for planning, development and enforcement. To run a multi-model complex transportation system for Delhi, on rational lines, Delhi needs a unified single transport authority as recommended by National Transport Policy Committee.

INFRASTRUCTURE : PHYSICAL

The aspects dealt in this section are: (a) water supply, (b) sewerage, (c) power, (d) solid waste management and (e) drainage and channelisation.

The quality of life in a settlement very much depends on the level of availability, accessibility and quality of infrastructure it provides. The rapid growth of population necessitates augmentation of water, power sewerage, drainage and solid waste management. Analysing the present state of affairs, infrastructure problems could become a cause for a crisis in the Metropolitan life. The sewerage and solid waste management are comparatively internal affairs, but supply of water and power, as well as the drainage are inter-state issues. To reduce the demand, adequate restrictions on population size have been emphasized earlier. Advance action and arrangements for the adequate provision of physical infrastructure would be the minimum effort required.

The existing availability and projected need for water supply, sewerage, power, and solid waste is indicated in the following table :

	Water in mgd*	sewerage mgd	Power in mw	Solid Waste in tons per day
Earlier Target fixed for 1981†	250	200	558	2300
Present requirement	496	397	650	2568
Present availability	103	118		2058
Projection-2001	1127	902	2500	6735

*Millions gallons per day.
†Gallons per capita per day.

The additonal requirement of physical infrastructure in DUA-81 and in urban extension shall be as given below :

Infrastructure	Additional requirement	Within DAU-81	Within Union Territory of Delhi
Water supply in mgd	671	366	305
Sewerage in mgd (If the water is supplied a 80 gcd.**)	661	417	244
Power in mw	1800	800	1000
Solid waste managment in ton per day	4200	2200	2000

The existing infrastructure in DUA-81 shall require complete restructuring because of additional requirements as given in the above table.

Water :

Delhi has to depend on river Yamuna for raw water though partial supply of water in trans-Yamuna area is being provided from River Ganga, Tehri Dam in U.P. and Kishau, Lakhwar and Giri Dams in Himachal Pradesh when complete could provided a major share of Delhi water requirements upto 2001. Balance could be met through exchange of waste water from Delhi with Haryana.

To provide additional water supply of 671 mgd, the existing water treatment plants would require augmentation and also construction of a new water treatment plant in North-West by the year 2001 as per the table given below :

Water Treatment Plant	Existing capacity in mgd 1981	Recommended capacity in mgd 1985	Recommended capacity in mgd 2001
Chandrawal I & II	90	90	150
Wazirabad	80	80	150
Haiderpur I & II	50	100	150
Shahdara	..	100	200
New Plant in North-West Delhi	..	..	300
Okhla	6	..	..
Ranney Well	20	61	67
Local Tube Well	7	7	7
Total	253	438	1024

The requirement of water supply has been worked out at the rate of 363 litres (80 gallons) per capita per day with the break-up as follows :

	(Consumption in lpcd*)
(i) Domestic	225
(ii) Industrial, Commercial & Community requirement	Based on 45,000 l. per ha. d.**
(iii) Fire Protection	Based on 15% of the total demand
(iv) Garden	Based on 67,000 l. per ha. d.
(v) For floating population and special uses like Embassies and big hotel	52

*Litres per capita per day.
**Litres per hectare per day.

Minimum water supply in any residential area shall be 135 litres (30 gallons) per capita per day.

Sewerage

Sewerage treatment is essential to check environmental decay, as well as, to maintain the healthy living conditions. It is noted that the existing capacity of sewerage system in Delhi is grossly indequate, as about 70 per cent of present population does not have access to regular municipal sewerage. The increasing pollution in the river Yamuna is also a major indicator for lack of sewerage treatment facilities. By augmenting the capacity of existing treatment plants, as well as, through two new sewerage treatment plants, one in North and other in West Delhi of 125 mgd

capacity each, the liquid waste in Delhi in 2001 could be taken care of as given below :

Sewerage treatment Plant	Existing capacity in mgd. 1981	Recommended capacity in mgd 1985	Recommended capacity in mgd 2001
Okhla	66	128	150
Keshopur	32	70	170
Coronation	20	20	20
Rithala	..	75	150
Shahdara	..	60	160
New Plant in North Delhi	..	..	125
New Plant in West Delhi	..	..	125
Total	118	353	900

The areas where immediate regular sewerage is not available, low cost sanitation system for individual family should be adopted as a short range provision. The area should be planned in such a way that in the long range regular sewerage could be provided.

Power :

Delhi's requirement of power in the year 2001 is estimated to be 2500 Mega Watts. Delhi may be able to add only a limited capacity to its existing power generation, because of increasing air pollution scarcity of water and problematic coal transporation. It would have to bank upon sources of supply away from Delhi. Upto 1991, requirement of power shall be met as given in the following tabele :

Source	Firm capacity 1982–83 (MW)	Firm capacity 1989–90 (MW)
DESU Local Generation	176	236
Badarpur Thermal Power Station	500	500
Singrauli Super Thermal Power Station	15	150
[illegible]	17	45
Other Thermal Power Station to be provided in Muzaffar Nagar (U.P.)	..	500
Total	708	1431

The sources of power for Delhi beyond 1991 are to be identified commensurate with the projected power demand. Delhi could get benefits from the following centre sector schemes presently undertaking construction Consideration :

Power Plant	Installed Capacity (in mw)	Status
Rihand U.P. (Thermal)	1000	Under construction
Narora U.P. (Nuclear)	470	-do-
Nathpa Jhankari (H.P.)		Cleared by CEA (proposed to be taken up jointly by Haryana Himachal Pradesh & Central Govts.)
Dulhasti (Hydro-Electric) (J&K)	390	-do-
Uri Hydro-Electric Project (J&K)	480	-do-
Chamera Hydro-Electric Project (H.P.)	540	-do-
Tanakpur Hydro-Electric Project (U.P.)	120	-do-
Total	3,000 MW	

To meet the targetted demand of 25,00 mw by the year 2001, the power distribution network would be required to be taken over to 400 Kilo Vatts (k.v.) grid from existing 220 KV grid. To cater to this, a power network has been worked out providing three major 400 kv electric substation in the North of Wazirabad barrage in trans-Yamuna areas; (ii) near Bawana in West Delhi and (iii) near Bamthal in South-West Delhi. This would be fed from the Northern Grid and further power distribution system in Delhi would be from this grid and existing 220 kv grid.

Solid Caste:

Considering the nature of solid waste and the economic aspects of disposals, major part of solid waste has been proposed to be disposed off in sanitary landfils. The sites proposed are:

Site Description	Area in ha.
Site near Hasthal Village in West Delhi	26
Site on Ring Road near Village Sarai Kale Khan	20
Site in the North West	58.5
Site near Gazipur Dairy Farm, Trans-Yamuna Area	52
Site near Timarpur existing Landfil	40
Site near Gopalpur Village in North Delhi	20
Site near Jahangirpuri	42

The sanitary landfilling on Ring Road is being done satisfactorily, however, it could be further improved by providing water prevention layer at the bottom to avoid water contamination.

At present, there are two compost plants, one each run by the M.C.D. and the N.D.M.C. located near Okhla Sewerage Treatment Plant.

Waste from vegetable & fruit markets having higher organic contents should be used in these compost plants. No further sites have been identified for compost plant. The experience of the compost plants should be reviewed in 1992 and if necessary, policy changes could be done.

Special care is required in the disposal of waste from hospitals, slaughter houses, fruit & vegetable markets, dairy farm & congested areas of Old Delhi. Hospital waste which contains harmful micro-organism should be segregated separately and be incinerated. To avoid bird menace special care in the form of coveled dust bin and quick removal of waste should be taken in the areas within five kilometres of airport.

To workout the requirement of dust bins, dhalloas, the follwing norms of solid waste may be adopted :

N.D.M.C. Area	0.67 kg. c.d.*
M.C.D. Area	0.60 kg. c.d.

Drainage and Channelisation :

Drainage : Drainage has two aspects, flood protection and storm water discharge, which are inter-related. The storm water and flood protection in Delhi are not local but have regional bearing including areas of Haryana and Rajasthan. Najafgarh drain and the Barapula Kushak drains which take storm water discharge in the urban areas, run to their full capacity during peak discharge periods. The required extensions of the present urbanisable limits would cause change in the surface run-off in the areas significantly, and thus the discharge would increase and there would be need of remodelling of existing drains and provision of additional drains. Possibility of a new major drain in the South through Haryana or Delhi to take discharge from Sahibi basin needs to be examined on priority.

Channelisation of River Yamuna.—Rivers in the major metropolitan cities of the world like the Thames in London and Seine in Paris, have been channelised providing unlimited opportunities to develop the river fronts. The possibilities in respect of river Yamuna have been studied in depth and

*Kilogram per capita per day.

indications are that it could be channelised within about 550 metres width and an area of about 3,000 hectares could become available for river front development. The Central Water and Power Research Station, Pune are conducting model tests for the same. After these studies are finalised, development of river front should be taken up by the D.D.A. as a project of special significance for the city.

INFRASTRUCTURE—SOCIAL

The aspects dealt in this section are :

(a) Health, (b) Education,
(c) Telecommunication,
(d) Security; (e) Fire, and
(f) Distributive Services.

Health

Delhi's health facilities have to serve the city population as well as these are important in the regional context as many people from the adjoining States come to Delhi in search of better health facilities. At present, Delhi has about 15,000 hospital beds at the rate of 2.6 beds per 1000 population. A geographical imbalance in different planning divisions exists in the provision of health facilities. Division E, G and H have only 1.043, 0.992 and 0.051 beds per thousand population respectively. These Planning Divisions need priority attention.

The two-tier system in the form of general hospital and health centre proposed earlier did not satisfy the full requirement of health needs. Now a six-tier system has been proposed as given below:

(i) General Hospital	500 beds
(ii) Intermediate Hospital (A)	200 beds
(iii) Intermediate Hospital (B)	80 beds
(iv) Poly-Clinic	
(v) Nursing Home, Child Welfare and Maternity Centre	
(vi) Dispensary	

Planning Standards for health facilities are given below :

Recommended beds per 1,000 population :— 5

(a) General Hospital
1 Hospital for 3 lakh population capacity—500 beds
Area for Hospital —4.00 ha
Area for residential accomodation —2.00 ha
Total Area —6.00 ha

(b) Intermediate Hospital (Category A)—
1 Hospital for 1 lakh population capacity—200 beds
Area for Hospital —2.67 ha
Area for essential residential accomodation —1.00 ha
Total Area —3.67 ha

(c) Intermediate Hospital (Category B)
1 Hospital for 1 lakh population.
Capacity —80 beds including 20 maternity beds
Area for hospital —0.60 ha
Area for residential accommodation —0.40 ha
Total Area —1.00 ha

(d) Poly-clinic with some observation beds
1 for 1.5 lakh population
Area —0.20 to —0.30 ha

(e) Nursing Home, Child Welfare and Maternity Centre
1 for 0.50 lakh population
Area —0.20 to —0.30 ha

(f) Dispensary—
1 for 0.15 lakh population
Area —0.08 to —0.12 ha

In case of specific requirements for medical facilities other than those indicated above, one of the sites which would suit the special requirement of the agency, could be used for.

Education :

Norms have been worked out for the provision of adequate educational facilities at various levels considering the age group projections and other relevant considerations. In Primary and Secondary Schools and Colleges, separate norms for reservation of play field areas in the schools have been given which must be ensured in the detail layout plans. In case of low income communities, the space for Nursery School shall be utilised for creche which would be run by public, private or voluntary agencies. Specific areas have been reserved for city level integrated schools to accommodate Central Schools and Public Schools.

Planning Standards for educational facilities are given below :

Upto Senior Secondary Level :

(a) Pre-primary, Nursery school 1 for 2,500 population.

(b) Primary School (Class I to V)
1 for 5,000 population
Strength of the School 500 students
Area per school 0.40 ha.
School building area —0.20 ha.
Play field area with a minimum of 18m x 36 m to be ensured for effective play —0.20 ha

(c) Senior Secondary School (VI to XII)
1 for 7,500 population
Strength of the School —1000 students
Area per school —1.60 ha
School building area —0.40 ha
Play field area with a minimum of 68m x 126 m to be ensured for effective play. —1.00 ha.

(d) Integrated schools without hostel facilities (Class I to XII)
1 for 90,000 to 1,00,000 population
Strength of the school —1,500 students
Area per school —2.20 ha
School building area —0.70 ha
Play field are —1.20 ha
Parking area —0.30 ha

(c) Technical school with hostel facil-

for 90,000 to 1,00,000 population

Strength of the school —1,500 students

Area per school —2.60 ha

School building area —0.70 ha

Play field area —1.20 ha

Parking area —0.30 ha

Residential, Hostel area —0.40 ha

Higher Education—General

(a) College

Within DUA—81 :

1 for 1.3 lakh population

Strength of the College —1,500 students

Area per college —4.00 ha

Within Urban Extension

1 for 1.00 lakh population

Strength of the college —1,000 students

Area per college —4.00 ha

(b) University Campus Within DUA-81 :

1 each in Planning Divisions E, F, and G.

1 in the Urban Extension

(c) New University

1 in the Urban Extension.

Area —60 ha

Technical Education :

(a) Technical Education Centre (A)

1 such centre provided for every 10 lakh population to include—

One Industrial Training Institute and one Polytechnic.

Strength of ITI —400 trainees

Strength of the Polytechnic —500 students

Area per centre —4.00 ha

Area for ITI —1.60 ha

Area for Polytechnic —2.40 ha

(b) Technical Education Centre (B)

1 provided for 10 lakh population to include

1 ITI, 1 technical centre and 1 coaching centre

Area per centre —4.00 ha

Area for technical centre —2.10 ha

Area for ITI —1.60 ha

Area for coaching centre —0.30 ha

Professional Education :

(a) New Engineering College

2 numbers to be provided in Urban Extension

Strength of the college —1500 to 1700 students

Area per college —60.00 ha

(b) New Medical College

2 sites of 15 ha each in Urban Extension. This includes space for specialised general hospital.

Communication :

In the five telecommunication zones of Union territory of Delhi, there are 44 telephone exchange existing in Delhi having a total capacity of 2,23,400 lines.

The growth of telephones has been planned as below :

Year	Population in lakh	Telephone lines
1981	62.00	2,10,000
1991	90.00	5,40,000
2001	120.00	12,00,000

Planning standards for telecommunication facilities are given below :

Telephone exchange for the capacity of 40,000 lines—

1 for 4 lakh population at the rate of 10 telephones per 100 population.

Area —0.80 ha

Administrative office—

Floor Area —1 lakhs ft.

Administrative offices would become part of one of the telephone exchanges and accordingly the land area shall be increased. Store for equipment/material etc. for Telephone Exchange. Provided at the city level preferable one in North and other in South Delhi.

Area —4.00 ha

Depot-cum-Workshop for maintenance and repair of about 800 vehicles to be provided at the city level in light industrial area.

Area —1.00 ha

Departmental Telepgraph Office :

(a) Booking Counter—

1 for 1 lakh population

Space to be provided in community centre.

(b) Booking and Delivery office

1 for 6 lakh population

Floor Area —1700 sqm

Space to be provided in District Centre.

Postal Facilities :

(a) Post Office Counter without delivery—

1 for 10,000 to 15,000 puopulation

Floor Area —60 to 85 sqm.

Space to be provided in Local Shopping Centre.

(b) Head Post Office with Delivery Office—

1 for 3 lakh population

Area —600 sqm.

Space to be provided in Community Centre/District Centre.

(c) Head Post Office and Administrative Office.

1 for 6 lakh population

Area —2500 sqm.

space to be provided in the District Centre.

Security :

Urban communities are comparatively anonymous and they mainly depend on police for security. At present, there are 64 police stations and 48 police posts in Delhi, being provided at the rate of one police station for one lakh population.

Planning norms for police, jail, Civil Defence and Home Guards and Fire shall be as under :

Police :

(a) Police Station—

1 for 0.75 to 1 lakh population

Area inclusive of essential residential accommodation —1.15 ha

0.05 ha additional for Civil Defence and Home Guards

(b) Police Post :

1 for 0.4 to 0.5 lakh population
Area inclusive of essential residential accommodation — 0.10 ha

(c) District Office and Battalion :

1 for 10 lakh population
Area for district—
Office — 0.80 ha
Area for Battalion — 4.00 ha
Total Area — 4.80 ha

(d) Police Lines :

1 each for North, South, West and East Delhi.
Area — 4.00 to 6.00 ha

District Jail :

1 for 10 lakh population
Area 1.00 ha

Civil Defence and Home Guards

(a) Home Guard—Zonal Level

(i) Within DUA-181
1 for 20 lakh population
(ii) In the Urban Extension
1 for 10 lakh Population
Area — 1.00 ha.

(b) Home Guard—District level

1 for 10 lakh population
Area — 2.00 ha.

(i) Within DUA-81
1 for 20 lakh population
(ii) In urban Extension
1 for 10 lakh population

Fire

Delhi Fire Service attends to have human beings from fire, house collapses, accidents and other emergencies within Delhi and part of the border States. There are at present 18 fire stations in Delhi. 39 more fire stations, 20 in DUA-81 and 19 in the Urban Extension would be required. The programme needs to be coordinated with water supply to provide more fire hydrants and water tanks.

High rise/multi-storeyed buildings need special fire service as provided in the building bye-laws or Regulations of the concerned authority. Delhi Fire Service should be fully equipped to deal with the fire accidents in case of multi-storeyed buildings. In congested and built up areas access for the fire fighting needs to be ensured while preparing the development plans.

1 Fire Station or Sub-Fire Station within 1 to 3 km. to be provided for 2 lakh population.

Area for Fire station with essential residential accommodation— — 1.00 ha
Area for Sub-Fire Station with essential residential accommodation — 0.60 ha.

Distributive Services :

Milk : Present supply in Delhi by public agencies is 7.30 lakh litres. 2.32 lakh by DMS and 4.97 lakh by Mother Dairy. The present expansion programme for milk is only limited to 9.75 lakh litres per day while requirements by 2001 will be about 15 lakh litres per day. This aspect has regional bearing for development of areas in the adjoining States as well as part of the rural area of the Union Territory of Delhi for dairy farming. Two sites for milk processing plants each of 15 ha would be required one in the West of Najafgarh Road and the other on G.T. Road.

LPG Storage and Distribution :

Delhi has about 3.22 lakh LPG connections against need of 11.45 lakh in 1981 and projection of 24.35 lakh in 2001 if 100 per cent of the families are to avail.

Experimental programme to provide gas to about 10,000 families from Okhla Sewage is already commissioned. Gas from existing and proposed sewage treatment plants could be used for domestic and other energy requirements.

Planning Standards for the above distributive facilities are given as under :—

Liquid Petroleum Gas LPG Godown

1 Gas godown for 40,000 population
Capacity 500 cylinders or 8,000 kg of LPG.
Area 5200 sqm. (20m X 26m) inclusive of Chowkidar's Hut.
Location In industrial area or service centre.

Additional requirement of social infrastructure based on the above standards between 1981-2001 is indicated in the following table :

Additional Requirement—2001

Social Infrastructure	DUA-81	UE	Total
EDUCATION			
Primary School	298	762	1060
Sr. Secondary School	217	508	725
Integrated School	58	85	143
General College	22	38	60
Technical Education Centre-A	3	9	12
University Centre	2	1	3
HEALTH			
General Hospital	9	12	21
Intermediate Hospital-B	59	39	98
Nursing Home	110	76	186
OTHERS			
Police Station	28	38—51	66—79
Fire Station	20	19	39
District Jail	3		3
Head Post Office	20	6	26
Telephone Exchange	6	9	15
Department Telegraph Office	9	5	14
LPG Gas Godown	64	85	149

Facility and Service Centre :

The lower level additional facilities like higher secondary school, primary school, dispensary shall be provided in the layout plan but higher level facilities like college, hospital, police station should be provided at plan level. As it would not be possible to provide individual location for these facilities, concept of facility centre has been evolved to group two or more units in available areas within the DUA-81 and developing these areas as facility centres. 61 such facility centres have been identified on the land use plan to provide for the required social infrastructure. Similarly, to accommodate additional repair shops, service shops, gas godowns, service centres have also been earmarked in the land use plan. (Refer Annexure I).

Environment :

Creation of physical and social environment for improved quality of life is the major goal of the plan. Major attributes of environment in a city are :

(i) Ecology, nature conservation and parks.

(ii) Urban design.

(iii) Conservation of urban heritage

(iv) Community life.

(v) Conditions for health, safety and convenience.

Natural features :

Conservation of major natural features in a settlement is of utmost importance to sustain the natural ecosystem. Two major natural features in Delhi are the Ridge and the Yamuna River. Ridge in Delhi is defined as rocky out crop of Aravali Ranges stretching from the University in the North to the Union Territory boundary in the South and beyond. The central ridge area which is part of New Delhi, was planned as its integral part at the time of development of New Delhi Capital by Edward Lutyen. This area was left in its pristine glory by planning only with the indigenous species of trees like Kikar and Babul. The plan in 1962 identified a further stretch of South Central ridge near Mehrauli. Though parts of the Ridge in Delhi have been erased out, total ridge area now available is 7,777 ha approx. divided as follows :

Northern Ridge	87 ha.
Central Ridge	864 ha.
South Central Ridge (Mehrauli)	676 ha.
Southern Ridge	6,007 ha.

The ridge thus identified should be conserved with utmost care and should be afforested with indigenous species with minimum of artificial landscape.

The River Yamuna now have a high level of water pollution which is mainly from the untreated sewer and waste from indsutrial areas. Strict enforcement of Water Pollution Act is needed to keep the river clean. Channelisation of the River as proposed shall further help in the improvement of the river front.

Long Spaces :

Presently within DUA-81, Delhi has 4,335 ha of developed park at city level and about 1,677 ha. is available for development. The city has 20 major district parks from different periods of history, Roshanara and Qudsia gardens of Mughal period, Talkatora garden of British period and Buddha Jayanti Park of post-independence era. 6,102 ha. of District and Regional park area is reserved in DUA-81@ 7 sqm per person. During implementation of the plan approx. 44% of recreational area has been lost to other uses. District parks which have been developed are very popular and are being intensively used, specially on holidays. 1,677 ha. of district park area available within the DUA-81 should be developed on priority. Part of this area is required to be developed for sports activities as per policy.

Within DUA-81, the following special activity area for recreation are proposed for development.

(a) additional special children parks of 4 ha. each (of the type of India Gate Children Park)	7 nos.
(b) children traffic training parks 5 ha. each	6 nos.
(c) Picnic huts	5 nos.

About 30% of the district park areas should be developed as wood lands. Preferred species of the trees to suit local conditions is given in Annexure IA.

In new developments, the neighbourhood park of at least 1.5 ha. for 15,000 population should be planned with flowering trees and shrubs so as to achieve colourful pleasant environment throughout the year.

In the Urban Extension whenever possible water bodi (lakes) shall be developed to act as major long spaces an to attract migratory birds and for improving the micri climate. A special recreational area on the pattern Disneyland should be developed near Tughlakabad/Lad sarai. The district parks in the Urban Extension would h 08 sq.m. per person which would also include specia parks given as under :—

Special Children Park	4 nos. (4 ha. each)
Children Traffic Training Parks	4 nos. (3 ha. each)
Picnic Huts	4 nos.

Sports Activity :

Sports are very important for physical and mental development of an individual. In the Plan, the emphasis is given on the development of Play and Sports areas for all age groups. Sports Stadia constructed and renovated during the Asiad shall cater to the needs of National and International sports. Further, the development of areas for sports shall be at different levels as under :

Divisional sport centre :

Population size	10-12 lakh
Area	20 ha.

District sport centre :

Population size	1 to 1.5 lakh
Area	4 ha.

Neighbourhood play area :

Population size	15,000
Area	1.5 ha.

Residential unit play area :

Population	5,000
Area	Flexible

Re-plantation :

There are large number of trees in parks in Delhi which have completed their full span of life. This is specially true about the plantation in New Delhi in parks, on roads and within the bunglows. These trees were planted sometime in 1910 and they are on the last lease of the life span (70 years). Re-plantation to substitute the trees as a cyclic process should be done in these areas to sustain the environment.

Urban Design :

A city is an assemblage of buildings and streets, system of communication and utilities, places of work, transportation, leisure and meeting places. The process of arranging these elements both functionally and beautifully is the essence of urban design. The metropolitan City of Delhi in the course of time is becoming amorphous agglomeration masses and voids except the definite urban form of 17th century Shahajahanabad and Lutyen's New Delhi.

The Walled City of Shahjahanabad has certain urban form characteristics; the Jama Masjid is a dominating feature located on hill top and is different, both, in form and scale from the other developments of the city. The vista of Chandani Chowk was planned to act as commercial spine, as well as, to have a certain visual character with important building of Red Fort and Fateh Puri Mosque at its two ends.

In case of Lutyen's New Delhi, planning of central vista was conceived as a landscaped stretch to form continuity between the ridge and the river Yamuna. This stretch with its nodal points of the Rashtrapati Bhawan and India Gate has tremendous visual quality and is one of the finest example of urban design in the world. Even while New Delhi

segregated from the Old City physically with a barrier like Ram Lila Grounds, it was visually linked with Parliament House, Connaught Place and Jama Masjid in the same axis.

In developments carried out later, neither urban form nor visual characteristics were given due consideration. The new development within the framework of the Master Plan is more on the basis of division of land for different uses and it lacks in spatial qualities. All the roads whether at the city level or local level are mere plot dividers and fail to achieve the continuity of harmony of space. The present urban form is the outcome of zoning and sub-division regulations. An illustration in support of this point is that of Connaught Place extension where undesirable changes took place in the absence of urban design framework. Justifiably, these changes in the form are in tune with spirit of time and technological development. however, the new building and space form are in direct contrast to the old forms and result is a confused and indifferent skyline.

To arrive at a conscient basis for policies which effect the fabric, a study has ben made of (i) Areas of significance in natural and built environment, (ii) visual integration of the city, (iii) conservation and preservation of urban heritage, and (iv) policy for tall buildings and large scale urban projects-residential, commercial, industrial, etc.

Significant areas of natural and built environment :

The important features of natural environment are : (a) Yamuna River (b) The Ridge.

For the built environment, the areas have been identified as :

(a) Shahjahanabad -the Walled City

(b) Lutyen's New Delhi

(c) Ancient settlements.

(d) Historical Monuments and Garden

(e) Designed environment like Exhibition grounds, Zoo etc.

(f) Areas along entry routes and other important routes in Delhi :

(i) Republic day parade route

(ii) VIP route from Delhi Airport to Rashtrapati Bhawan to Raj Ghat

(iii) Road entry routes

(iv) Rail entry routes.

(g) Aerial view.

Visual Integration :

Delhi has a tremendous diversity of form, colour, scale and texture with a heterogeneous end product from aesthetic point of view. Visual integration can possibly be achieved by identifying features which integrate the city physically. There are two important mass movement corridors; Ring Road and Ring Rail, which are used by residents of all Planning Divisions. These two movement corridors have potential to acquire an additional dimension of visual quality and integration. The studies and proposals for Ring Road and Ring Railway could be formulated for road geometrics, landscaping, street furniture, introduction of urban forms at selected points and clearance of unsightly developments. Two other important elements for the integration of different parts of the city, planned at different times are: (i) flora i.e. tree plantation—continuance of 'New Delhi' character to other parts of the metropolis and linking open space (ii) harmonious treatment for major ecological features i.e. the Ridge and the River Yamuna and also the storm water drains meandering through the city.

Conservation of Urban Heritage :

Survey conducted by the Archaeological Survey of India in 1916, identified 1321 historical monuments, sites and buildings. Out of these, only 81 monuments have been declared as protected monuments under the Archaeological Survey of India Act. These have been studied and indicated on plan, so that while preparing the layout plan, these could be planned for suitable incorporation.

Even in case of major monuments there is no building control around them. It is necessary that some area around monuments should have building control in relation to height, material and spread of the monument.

Conservation of Walled City :

The Walled City has a wide range of features and design elements which needs to be conserved. Shahjanabad has important historical buildings, like Red Fort, Jama Masjid, City Wall and Entry Gates, Vista of Chandni Chowk, the street scape, Mohallas and Katras. All these elements are out burst of a life style which is not found in any other part of the Metropolitan City of Delhi.

As large number of buildings in the Walled City are in dilapidated state, the rebuilding/renovation of the buildings in the Walled City should be done sensitively, conserving the important monuments, and the architectural style, skyline and street picture. At different places, the city wall of Shahjahanabad is in ruins and there should be restoration and conservation work for the wall and gates. Bazar of Chandni Chowk could be revamped by eleminating traffic of automobiles and restoration to the original state as far as possible. The road and street pattern in the Walled City is the spine of its urban character. If conservation is to be successful in the overall perspective, it would be essential to retain city's net work as existing and the characteristics of urban and street scape would be taken care of in the conservation of traditional residential character. The monuments, sites and old religious buildings identified by Archaeological Survey of India within walled City should be restored, conserved and should not be allowed to be despoiled.

Policy for Tall Buildings :

Present policy regarding tall buildings is based on height restriction for buildings in different use zones which is not amenable to delibrate urban form. DUA 81 is mostly developed except district centres and there is little scope left. However, restrictions on tall buildings would be necessary in two important areas namely Walled City and its extension and South of Rai Path, area of Lutyen's New Delhi. No new tall building should be allowed in residential and institutional areas without an urban design scheme. In case of Urban Extension, areas for tall buildings and specific urban design projects would be identified. The Development Code specifies the maximum height of buildings in different use zones.

Community Life :

Basically, a city is a place of exchange for goods, services and ideas; also cities have tendency to become anonymous. Well thought out physical design of the residential areas can help in creating community life. Similarly in the design of commercial areas, the cultural centres and integrating the same with the residential areas could create more and more opportunities for the people to meet. The recreational areas need both the places of coming together and the places to have the enjoyment of aloofness. The city to be alive in the late evenings should have some areas, commercial and cultural, to remain open till late night hours.

Social and Cultural Institutions :

The social and cultural institutional areas are the throbbing heart of a city. The central part of Delhi has well developed social and cultural institutions around Mandi House and some of the social cultural institutes have come up along the Central Vista. More area for institutions of National importance had been earmarked starting from Janpath and ending at the National Stadium and Purana Qila in the plan. The same has been retained with the emphasis that this area should continue to be reserved for this activity even if part of the area is not utilised upto the turn of the century. Civic complex which has been car-

marked for the office of the Municipal Corporation of Delhi near Mata Sundari area would also accommodate social and cultural institutions. In addition to the areas earlier earmarked in DUA 81, about 64 ha land at 5 locations has been indicated for social and cultural institutions.

For the expanding city with increasing distances, another metropolitan centre in the Urban Extension measuring about 80 ha. would be required. This centre would have another city level complex of social and cultural institutions i.e. Theatres, Museum, Libraries, Exhibitions etc.

In the Urban Extention for every one million population there should be a socio-cultural centre of about 15 ha. to accommodate district level Dance and Drama Schools, Clubs, Theatres and Exhibition galleries and variety of other institutions in the residential areas multipurpose community halls should be built for social and cultural requirements of small communities

Safety and Convenience :

Water Pollution : Stretch of River Yamuna in Delhi has high level of water pollution. Based on the studies by Central Water Pollution, Control and Prevention Board following recommendations are made.

(i) Diversion of discharge of waste water from Najafgarh, Barapula, Tughlakabad, Trans-Yamuna MCD, Sen Nursing Home, Maharani Bagh, and Kalkaji drains through appropriate sewerage system followed by adequate waste water tratement, so that the drain effluent conforms to the effluent standards prescribed by the Central Water Pollution Control and Prevention Board. Attempts be also made to treat the waste water at the drain outfall through Deep Shaft Aeration process.

Till such time the above said pollution control mechanisms are installed, chlorination of atleast 5 drains i.e. Najafgarh, Barapula, Trans-Yamuna MCD, Sen Nursing Home and Maharani Bagh could be started.

(ii) Extension of the sewerage system and alternatively low cost sanitation in the areas not served by sewerage.

(iii) According to study conducted by the Central Water Pollution Control and Prevention Board in 1977, there are 82 water polluting industries which are generating 25 kilo litres per day or more effluent. It should be compulsory for these industries to make arrangements for the treatment of the pollutants collectively or individually as feasible, before it goes into sewerage system.

Air Pollution : According to recent estimate there are about 55,000 industrial units and 6.4 lakh vehicles of various types and three thermal power stations which jointly make Delhi's atmosphere polluted.

On the basis of the study conducted by Central Water Pollution, Control and Prevention Board, the following six areas have been declared as 'Pollution Control Areas' under the Air (Preveniton and Control of Pollution) Act, 1981.

1. Najafgarh Road, 2 Lawrence Road, 3. Wazirpur, 4. Kirti Nagar, 5. DLF Industrial Area, and 6. Moti Nagar.

Based on the studies by the Central Water Pollution, Central and Prevention Board, it is recommended that priority should be given to control vehicular pollution by way of reduction of smoke density from buses and other heavy vehicles for bringing the levels of Carbon Monoxide and Hydro Carbon from all the petrol vehicles to less than 3% and 100 ppm respectively.

The 'C' and Badarpur Thermal Power Stations should be fitted with pollution control devices such as Electrostatic Precipitators.

Noise Pollution : In general, it may be said that the noise level in Delhi has been rising with increasing traffic and industrial activities. The other cause of noise is the unabated use of loud-speakers. Some of the planning controls suggested to curb the noise problems are :

(i) The industries and the motor workshops (unauthorised) producting noise should be shifted immediately from residential areas.

(ii) In case of new developments along the major roads, there should be a green buffer and also these areas could be utilised for the development of commercial activity.

(iii) The hospitals should have deep set backs of about 30 m from the major roads.

Accidents : 4854 accidents took place on Delhi Roads in 1981 out of these 1072 were fatal. In 61 per cent of fatal accidents the victims were pedestrians and cyclists. Following planning and other measures have been suggested to reduce the traffic accidents :

(i) To discourage truck movement within the city (ii) segregated cycle tracks and pedestrian movement, (iii) improvement in road geometrics and adequate lighting on roads specially on inter-sections, and (iv) road discipline through education and management.

Accessibility :

Convenience in an urban environment is accessibility to urban activities in reasonable time on foot or through available modes of transport.

The standards set out are :

	Maximum Distance (Km.)	Approx. Time (minutes)
Creche/Nursery School (nearest)	0.70	5
Primary School (nearest)	0.80 (0.50)	10
Higher Secondary School (nearest)	1.50 (1.00)	20
Tot lot	0.30 (0.20)	5
Park	0.80 (0.50)	10
Neighbourhood Park and play area	1.60 (1.00)	20
Bus Stop	0.80 (0.50)	10

For the purpose of planning, the straight distances for design shall be as given in brackets.

Energy :

In metropolitan cities the use of energy is much higher compared to small and medium size settlements and the rural areas, because of their special transportation needs and comparatively sophisticated economic activities and also higher use of domestic energy related to the standard of living. Dual objective of raising the level of energy consumption as well as conservation of energy in the developing countries would necessarily require efficient utilisation of energy and to use renewable sources.

Transportation : One of the major sectors of energy consumption in the city is transportation. It is quite surprising that the movement of DTC buses in Delhi per day is equivalent to one and a half times the distance from Earth to Moon

In the Plan objective in this regard has been to provide an efficient land use transportation relationship so as to effectuate containment within the divisions, to reduce the work and education trips by vehicular modes. With the proposed land use transportation system there would be containment of about 70 per cent of trips within the divisions.

Land Use Intensity : Studies have revealed that it is possible to develop the urban areas in Delhi at almost double the density than what was proposed in 1962. On the land

use intensity standards proposed in 1962, 122 lakh projected population would be accommodated in about 1.2 lakh ha, which is 90 per cent of the area of the Union Territory of Delhi. Based on the studies, the projected population of 122 lakh is proposed to be accommodated in about 0.7 lakh ha. This measure should reduce the use of energy in transportation by about 20 per cent. In mass transportation per kilometer person energy used is about 10 per cent of the individual fast transport modes. After the implementation of proposals as given in the plan, by 2001, 4.7 per cent of personalised fast mode trips shall shift to mas transportation to effecuate the consequent saving in energy. The cycle mode being highly energy conservative segregated cycle track would facilitate the movement of cycle in the city.

Building Control : It is possible to conserve energy by properly orienting the buildings in relation to sun, which could be considered as a guideline for design and layout of buildings. Also most of the Urban activities could be located in low rise (upto 4 storeys).

Innovation and Research : On the basis of study and research, Planning Commission has recommended the use of wind mill, bio-gas plants for the rural area and solar water heating ssytem and improved kerosene and fuel efficient chulahhs for both rural and urban areas. In the recent years a number of organisations are working for innovation to conserve energy, which is likely to effect more than one sector in the urban area. It would be very essential to monitor the same during the plan implementation period.

Special Area :

The Walled City and its extension and Karol Bagh and the area in between measuring 2600 ha. has been earmarked as Special Area for the purpose of development. This area cannot be developed on the basis of normal regulations. Special regulations have been worked out for this area and incorporated into the Development Code. In case of Walled City, the objective is to clean the area from noxious and hazardous industries and trades to check further commercialisation and industrialisation of this area and to revitalise the same into its glory of the past.

Apart from Walled City, Karol Bagh has also acquired distinct character of its own over the years. As a matter of fact, the commercial activity which starts from Lajpat Rai Market on either side of Chandni Chowk culminates in a spinal form at Karol Bagh. The significance of Karol Bagh as a city level retail commercial centre has been adequately realised. The focal of this widely spread commercial activity is the Ajmal Khan Road street shopping. In the absence of suitable development controls the growth has been haphazard although accompanied by ever increasing popularity of the shopping facilities it affords. The major problem of this shopping area is inadequate parking facilities as compared to its demand.

It is suggested that Ajmal Khan Road from its junction with Tank Road to its meeting-point with Desh Bandhu Gupta Road may be converted into a pedestrian piazza with shopping on either side. The vehicular traffic would be restricted to Ramjas Road, Desh Bandhu Gupta Road, Gurudwara Road and Tank Road on the periphery and Saraswati Marg and Arya Samaj Road. At the crossing of Ajmal Khan Road with Arya Samaj Road pedestrian movement would have grade separation either below or over the road with shopping on either side for continuity. The Ajmal Khan Road would have parking under pedestrian piazza. The area marked as specific use zones could be developed as per regulations given in the Development Code. In respect of part of special area indicated in the plan, schemes of urban renewal with conservative surgery as tool should be taken up immediately.

Rural Area :

The rural area of Delhi being on the periphery of major metropolis has a special significance. The households in the rural areas of Union Territory have higher level of education and income compared to rural areas in the adjoining States. The area is also attracting migrants, 20 per cent of rural Delhi Households are migrant households, mainly from Haryana and U.P. The area needs to be provided with a reasonably high level of infrastructure and good road linkages with the city.

Growth Centres: Based on the population, linkages and growth rate, five villages have been identified for the location of major health facilties and markets. To cover the deficiencies of lower level health facilities, schools and location of rural industry, another six rural settlements have been identified with the details as under.

Bakhtawarpur: Hospital, Health Centre, Dispensary, Vet. Hospital, Rural Industrial area and Commercial Centre.

Bawana: Health Centre, Rural Industrial area and Commercial Centre.

Jharoda Kalan: Hospital Dispensary, Vet. Hospital, Rural Industrial area and Commercial Centre.

Dhansa: Dispensary, Rural Industrial area and Commercial Centre.

Chawala : Hospital, Vet. Hospital, Rural Industrial area and Commercial Centre.

Jagatpur: Dispensary and Rural Industrial area.

Ghogh: Dispensary and Rural Industrial area.

Qutab Garh: Dispensary and Rural Industrial area.

Jaunti : Dispensary and Rural Industrial area.

Mitraon: Dispensary and Rural Industrial area.

Gommanhera : Dispensary and Rural Industrial area.

Each commercial centre shall be about 3 ha to accommodate, Cinema, Shopping, Bank, Post Office, Cooperative Store etc. The industries to be permitted in the rural industrial area are given in the annexure III G.

The following stretches of roads interconnecting these important settlements would require ungrading.

(a) G.T. Road to Bakhtawarpur G.T. Road to Bawana Najafgarh to Dhansa . . . 29 Km

(b) Ghogh to Bawana Bawana to Qutab Garh Najfagarh to Jhareda Kalan . . . 15 Km

(c) Jharoda Kalan to Rohtak Road Najfgarh to Dhansa . . . . . 15 Km.

(d) Najafgarh to Gommarhera Najafgarh to Dhansa Khanjawala to Qutab Garh Road No. 50 to Bakhtawarpur . . . 20 Km.

Each individual settlement would require improvements in water supply and other facilities, etc. Housing for the landless is required to be taken up through public housing agencies.

Two sites near: (i) Najafgarh, and (ii) G.T. Karnal Road have been identified for Dairy Development. Milch cattle from the urban area should be shifted to these dairy colonies.

Farm houses in a minimum of 1 ha land could be located in the rural use zone. These could be developed for flowers, fruits, vegetable poultry farming, etc.

MODERNISATION AND CITY'S PERSONALITY

A city belonging to this age should have: (ii) efficient transportation and communication system (ii) convention and exhibition centre (iii) shopping arcades and amusement parks and places for comfortable living for the visitors. In providing all these, the city should reflect its personality, its age old traditions and culture and its warmth to the visitors and its inhabitants.

A modern transportation system for a city should be comfortable and visually satisfying with high level of service. Large innovations in urban transportation system have taken place. Transfer of technology would be highly beneficial in this regard. It may not be possible to provide telephone service at the level available elsewhere but in due course the city should be able to provide a communication system of contemporary standards. The underground cabling for telephone lines is of considerable importance in improving the quality of service.

At present, Delhi has got one convention centre, i.e. Vigyan Bhawan which has become a centre of fame for international conferences and it may not be necessary to duplicate the same. Another convention centre at national level should be developed near Asian Games Village. Along with proposed convention centre in south Delhi a site has been earmarked for a contemporary shopping cmplex. The Exhibition Ground for International Exhibitions, i.e. Pragati Maidan, is very well located.

Delhi is increasingly becomming a focus of the developing world. A new Institute for higher learning in the development planning mainly to deal with the planning and developmet problems of the developing countries could be started in the city. Such an Institute along with the research and training in the development problems could have specialised departments of newely emerging fields, e.g. Energy, Ecology, Environment, Genetics, Computor Science and others.

It needs to be emphasised that the modernisation of the city is not to be in parts but as a whole, not as limited actions in certain fields but as an attitude to decision making. In the development of all the areas for urban activities i.e. housing, commercial and industrial areas and areas for public facilities, the emphasis should be on long range efficiency, futuristic view point and healthy environment for sustaining a high quality of life.

Delhi has a distinct personality. It is the capital of India. It has imbibed in it the history of centuries, in its parts it has grand vistas of New Delhi and throbbing lanes of Shahjahanabad. In the process of modernisation the city, along with providing an environment of livability, performing functions of state and economic efficacy, must reflect its personality through its form and through its activity in its parts and as a whole.

Land Use Plan

Policies enunciated for different sectors are translated into a landuse pattern for the Union Territory of Delhi. To control the development, areas have been designated as one of the 37 use zones identified in the Development Code. These 37 use zones have been broadly classified in nine categories of land uses namely Residential, Commercial, Manufacturing, Recreational, Transportation, Utility, Government, Public and Semi-Public and Agriculture and Water Body. The development in these use zones would be carried out in accordance with regulations as laid down in the Development Code.

Special area plan

It is not possible to develop the old built up areas and some other areas with peculiar problems as per general use zone regulations given in the Development Code. Such areas with contiguous specific, use areas have been designated as 'Special Area.'

The development within this area shall be carried out as per specific regulations for this area given in the Development Code.

Zonal (Divisional) Plan

The Union Territory of Delhi is divided into 15 zones (divisions). The approximate area in each zone (division) is given as under :—

Name of the Zone	Approximate area in hectares
A. Old City	1159
B. City Extension (Karol Bagh)	2304
C. Civil Lines	3959
D. New Delhi	6855
E. Trans-Yamuna	8797
F. South Delhi-I	11958
G. West Delhi-I	11865
H. North West Delhi-I	5677
J. South Delhi-II	15178
K. West Delhi-II	12056
L. West Delhi-III	22979
M. North West Delhi-II	8213
N. North West Delhi-III	15851
O. River Yamuna	6081
P. North Delhi	15707

The Zonal (divisional) plans may further detail out the policies of the plan, as felt necessary and act as link between the layout plan and the Master Plan. These plans shall be published as soon as may be, after the Master Plan for Delhi (as proposed to be modified) is notified and would have the same state as the Master Plan for Delhi. The development schemes/layout plans indicating use premises shall confrm to the zonal (divisional) plans

(2) The title of Chapter II—"Zoning and Sub-Division Regulations"—be substituted by "Development Code" with the following text:

Introduction

The purpose of this code is to promote quality of life of people of Delhi by organising the most appropriate development of land in accordance with the Development Policies and Land Use Proposals contained in the Plan.

It is a systematic code to decide the use acilvity (use) in two levels: (i) conversion of use zone into use premises (layout); and (ii) Permission of use activities in use premises. The code provides differentiation between the use zone and use premises.

Enforcement of the Code.

To regulate development in the Union Territory of Delhi within the framework of the Land Use Plan the following should be observed:

CLAUSE 1.0

TITLE, EXTENT, COMMENCEMENT AND PURPOSE

1(1) This code may be called the development Code.

1(2) It covers the entire Union Territory of Delhi.

Clause 2.0

Definitions

In this code unless the context otherwise requires—

2(1) Use Zones means—

An area for any one of the specific dominent uses of the urban functions as provided for in clause 5.0

2(2) User Premises means—

One of the many sub-divisions, of a Use Zone, designated at the time of preparation of the layout plan, for a specific main use or activity and includes the use premises described in Schedule I.

2(3) Lay out Plan means—

A sub-division Plan indicating configuration and sizes of all use premises.

Explanation—

Each Use Zone may have one or more than one layout plan depending upon the extensiveness of the area under the specific Use Zone and vice-versa.

2(4) Zonal Development Plan means a plan for one of the zones (Divisions) of the Union Territory of Delhi containing detailed information regarding provsion of social infrastructure parks and open spaces and circulation system.

2(5) Land use plan means—the plan indicating all the use Zones, as defined in clause 2(1).

2(6) Special Area means—any area designated as such in the plan.

2(7) Commercial Centre includes a CBD, Distt. Centre, Community Centre, Local shopping and convenience shopping.

Clause 3.0

Establishment of use zone and use premises

3(1) The Union Territory of Delhi is divided into 37 use Zones as mentioned in Clause 4.0

3(2) Each Use Zone shall be further sub-divided into required number of Use Premises out of 136 Use Premises described in Schedule-I with or without conditions.

3(3) Each Use premises shall be permitted to have specific uses/use activities out of the prescribed 136 uses/use activities with or without conditions.

3(4) The layout plans already approved by the Authority or any other local authority concerned in accordance with land shall be deemed to have been approved under this code.

3(5) An area in respect of which there is no approved layout plan shall be governed by the provision of the Zonal Development Plan.

3(6) All layout plans and building plans shall be approved by the Authority except the service plans and plans of individual residentinl and industrial plots which shall be sanctioned by the local authority concerned.

Clause 4.0

Use Zones Designated

There shall be 37 use zones classified in 9 categories, namely, Residential, Commercial, Manufacturing, Recreational, Transportation Utility, Government Public and semi-Public and Agriculture and Water Body. 37 Use Zones are as under:

(a) Residential

4.01 RD Residential area with density
(Including villages falling under rural zone).

4.02 RF Foreign Mission

(b) Commercial

4.03 C1 Retail Shopping, General Business and Commerce.

4.04 C2 Wholesale, Warehousing, Cold Storage and Oil Depot.

4.05 C3 Hotel

(c) Manufacturing

4.06 M1 Light and Service Industry
(Including flatted group Industry)

4.07 M2 Extensive Industry.

(d) Recreational

4.08 P1 Regional Park

4.09 P2 District Park

4.10 P3 Play Ground, Stadium and Sports Complex.

4.11 P4 Historical Monument.

(e) Transportation

4.12 T1 Airport

4.13 T2 Rail Terminal

4.14 T3 Rail Circulation

4.15 T4 Bus Terminal and Depot

4.16 T5 Truck Terminal

4.17 T6 Road Circulation

(f) Utility

4.18 U1 Water
(Treatment plant etc.)

4.19 U2 Sewerage
(Treatment plant etc.)

4.20 U3 Electricity
(Power house, sub-station etc).

4.21 U4 Solid Waste
(Sanitary land fille etc.)

4.22 U5 Drain

(g) Government

4.23 G1 President Estate and Parliament House

4.24 G2 Government Office

4.25 G3 Government Land
(Use undetermined)

(h) Public and semi-public

4.26 PS1 Hospital

4.27 PS2 Education and Research
(including University and specialised educational institutes).

4.28 PS3 Social and Cultural

4.29 PS4 Police Headquarter and Police Lines

4.30 PS5 Fire Station and Headquarter

4.31 PS6 Communication

4.32 PS7 Cremation and Burial

4.33 PS8 Religious

(i) Agriculture and Water Body

4.34 A1 Plant Nursery

4.35 A2 Green Belt

4.36 A3 Rural Zone
(Villages as residential areas).

4.37 A4 River and Water Body

Clause 5.0

Use Premises Designated

There shall be 136 use premises as designated in Schedule I.

There shall be 136 Uses/Use Activities with similar nomenclature as that of Use Premises.

Clause 6.0

Location and Boundaries of use Zones

6(1) Any one of the 37 use Zones may be located at one or more than one places as shown on the Land Use Plan.

6(2) The boundaries of various pockets of Use Zones are defined in Land use Plan by features like roads, railway tracks, drains etc. The area of each pocket of different Use Zones is as indicated in the Land Use Plan.

Clause 7.0

Location and Boundaries of Use Premises

7(1) The location and boundaries of each use premises shall be taken to be as given in the layout plan with reference to important bench mark like road, drain or other physical features.

7(2) Any change in the location boundaries and predominant use of use premises due to any reason whatsoever and duly approved shall be incorporated in the layout plan.

Clause 8

8(1) Sub-division of use zones into use premises

The objective of these regulations is to guide the preparation of layout plans for residential and industrial use zones. These regulations include norms for provision of facilities, circulation system and land-scaping standards. The service plans corresponding to these layout plans for provision of physical infrastructure like Water Supply, Sewerage Drainage, etc., shall conform to Municipal bye-laws.

The use zone other than residential and industrial shall have integrated plans governed by respective building control regulations.

Explanation : Integrated plan differs from customary layout plan as in the former the regulations are for the total plots and sub-divisions are done for the development purpose.

(a) RD-Residential Use Zone

The sub-division of residential use zone into use premises and subsequent approval of the layout plans shall be governed by the following norms:—

1. The residential area can have both the plotted and group housing developments. In case of plotted development, the residential plots of two categories may be carved out (i) Single Family Unit (plot size range 32 to 80 sqm) and (ii) Three Family Unit (plot size range 150 to 350 sqm). In case of group housing, the minimum size of the plot shall be 2,000 sqm.

2. The provision of requisite infrastructure shall be governed by the following norms for a residential neighbourhood of 15,000 population. Inv any residential sub-division plan minimum area reserved for infrastructure shall be @ 11.00 sqm. per person.

S. No.	Use Premises	No. of Units	Unit Area (In ha.)	Total Land Area (In ha)
	(a) EDUCATION			
1.	Nursery School	6	0.08	0.40
2.	Primary School	3	0.40	1.20
3.	Senior Secondary School	2	1.60	3.20
	(b) HEALTH			
4.	Nursing Home/Dispensary	2	0.10	0.20
	(c) SHOPPING			
5.	Local Shopping including Service Centre	1	0.46 (0.10 for S. centre)	0.46
6.	Convenience Shopping	3	0.11	0.33
	(d) OTHER COMMUNITY FACILITY			
7.	Milk Booth	3	0.015	0.045
8.	Religious	3	0.04	0.12
9.	Community Room	3	0.066	0.198
10.	Community Hall and Library	1	0.20	0.20
	(e) RECREATION			
11.	Tot-lot	..	..	3.00
12.	Park	..	..	4.50
13.	Play Area	..	..	2.25
	(f) UTILITY			
14.	Overhead Tank (Where necessary)	..	..	0.25
15.	Electric Sub-Station 1 KV (Where necessary)	2	0.046	0.092
16.	Three Wheeler Scooter & Taxi Stand	1	..	0.05

The park and play area shall be distributed in the following manner.

(i) Tot-lot @ 2.0 sqm. per person.

(ii) Park @ 3 sqm. per person with one of the parks with the minimum size of 1.50 hectore.

(iii) Play area @ 1.50 sqm. per person at one place with the size of 1.50 hectare.

3. The planning of residential neighbourhood regarding circulation system shall be governed by the following norms

(i) The residential plots shall generally face an open space including pedestrian movement with a minimum width of 12 Meter(m). The plots may face a vehicular access road with 12m right of way (R/W) where necessary. The circulation net work within the cluster shall be so devised that no residential plot is more than 65 m away from the nearest point of the vehicular access road.

(ii) The residential plots facing the open spaces shall be accessible by 1.5 m wide walk way. To achieve a proper scale and to create a feeling of enclosure, an entry to and exist from the open spaces may be reduced to 6M.

(iii) All other vehicles shal lbe restricted to specific parking lots along the vehicular access road.

4. The planning of residential neighbourhood regarding land scaping shall be governed by the following norms :—

(i) The open spaces fronting the residential plots shall be suitably land-scaped with tree plantation @ one tree per 100 sqm of open space.

(ii) The vehicular roads in the residential neighbourhood shall have small trees on either side at an interval of 6 m. The parking areas shall have tree plantation @ one tree per two car spaces.

(iii) The tree plantation in different levels of parks in the residential neighbourhood shall be @ 125 trees per hectares.

5. The Low Income Group plotted development with less than 50 sqm plots shall be governed by the following norms :

(i) Area under recreation shall be 6.43 hectare.

(ii) The plots shall face an open space including pedestrian movement with a minimum width of 8.0 m.

(iii) The residential plots facing the open space shall be accessible by 1.0 m wide walk way and an entry to and exist from the open space shall be of 4.0m width.

(b) MI-Light and Service Industry use zone :

The sub-division of industrial use zone into use premises and subsequent approval of layout plans for industrial estates shall be governed by the following norms :—

1. The development of industrial area may have plotted development for individual industries. Some part of industrial estate may be used for flatted group industry. The minimum size of plot for flatted group industry shall be 2000 sqm. The different categories of plot sizes for plotted development to be provided in the layout plan may be as per the following table :

S. No.	Plot sizes (sqm)	Suggestive Distribution of Plots
1.	30 to 50 (for shop industries)	25%
2.	100 & upto 200	45%
3.	Above 200 & upto 500	25%
4.	Above 500 & upto 1000	5%

2. The provision of requisite facilities in industrial development shall be conforming to the following table for an industrial estate of 20,000 employment size. In an industrial sub-division plan minimum area reserved for provision of facilities shall be @ 2.05 sqm per worker. The employment in industrial estate shall be worked out @ 300 workers per hectare of gross area.

S. No.	Use Premises	Area in Hectare
1.	Sub-Fire Station	0.6
2.	Police Station	1.00
3.	Community Centre (To accommodate essential facilities required for industrial estate)	1.00
4.	Electric Sub-Station (Where necessary)	0.50
5.	Parking area for trucks, tempo, taxi & three wheelers etc.	1.00

3 For water polluting industries the effluent shall be treated at common treatment plant before it is discharged into regular sewers.

4. The planning of industrial estate shall conform to the following guidelines regarding circulation system.

(i) No road within the industrial estate shall be less than 22.00m R|W.

(ii) Service lane may not be necessary.

5. The planning of industrial estate shall conform to the following guidelines regarding land-scaping.

(i) The industrial estate shall have minimum 12 per cent of area for landscaping in the form of parks/buffers.

(ii) On roads within the industrial estates, trees shall be planted on either side at an interval of about 10m. In the parking areas, trees shall be planted @ one tree per two parking spaces.

(iii) The parks and peripheral buffer shall have tree plantation @ 150 trees per hectare.

(c) M2-Extensive Industry Use Zone

The sub-division of industrial use zone into use premises and subsequent approval of layout plan for individual industrial estates shall be governed by the following norms.

1. The development of industrial area shall have plotted development for individual industry. Some part of the industrial estate may be used for flatted group industry. The minimum size of plot for flatted group industry shall be 2000 sqm. The different categories of plot sizes for plotted development to be provided in the layout plan may be as per the following table.

S. No.	Plot Sizes (sqm)	Suggestive Distribution of Plots
1.	400 and upto 1000	80%
2.	Above 1000	20%

2. The minimum area reserved for provision of facilities shall be @ 2.55 sqm per worker. The employment in industrial estate shall be worked out @ 160 worker per hectare of gross area. The industrial estate of 20,000 employment size shall have following facilities.

S. No.	Use Premises	Area in ha.
1.	Sub-Fire Station	0.6
2.	Police Station	1.0
3.	Community Centre (To accommodate essential facilities required for industrial estate)	1.0
4.	E.S.S.* (Where necessary)	1.0
5.	Parking area for trucks, tempo, taxi & three wheelers etc.)	1.5

3. For water polluting industries the effluent shall be treated at the common treatmedt plant before it is discharged into regular sewers.

*Electric Sub Station

4. The planning of industrial estate shall conform to the following guidelines regarding circulation system.

(i) No road within industrial estate shall be less than 32m R|W.

(ii) Service lane may not be necessary.

5. The planning of industrial estate shall conform to the following guidelines regarding landscaping.

(i) The industrial estate shall have minimum 8 per cent of area for landscaping in the form of parks/buffer.

(ii) On the roads within the industrial estate trees shall be planted on either side at an interval of about 10m. In the parking area trees shall be planted @ one tree per two parking spaces.

(iii) The parks and peripheral buffer shall have tree plantation @ 150 trees per hectare.

8(2) PERMISSION OF USE PREMISES IN USE ZONES

(a) Permission of selected use Premises in five important Use Zones

S. No.	Use Premises	Use Zones				
		RD	C1	C2	M1	M2
1	2	3	4	5	6	7
001	Residential Plot—Plotted Housing	P	NP	NP	NP	NP
002	Residential Plot—Group Housing	P	NP	NP	NP	NP
004	Residence-cum-Work Plot	P	NP	NP	NP	NP
007	Hostel					
	(i) Hostel attached to Institutions	NP	P	NP	NP	NP
	(ii) Hostels not attached to Institutions	P	P	NP	P	NP
008	Guest House, Boarding House and Lodging House					
	(i) Government, Public and Private Limited Company Guest House	P	P	NP	NP	NP
	(ii) All others	NP	P	P	P	NP
016	Convenience Shopping	P	NA	NA	NA	NA
017	Local Shopping Centre	P	NA	NA	NA	NA
019	Wholesale Trade	NP	NP	P	NP	NP
020	Storage, Godown and Warehousing					
	(i) Non-inflammable	NP	NP	P	P	P
	(ii) Inflammable (As per regulation regarding explosive materials)	NP	NP	P	P	P
021	Cold Storage and Ice Factory	NP	NP	P	P	P
022	Gas Godown	NP	NP	P	P	P
023	Major Oil Depot and L.P.G. Refilling Plant (As specific use)	NP	NP	P	P	P
025	Commercial Office	NP	NP	P	NP	NP
028	Cinema	NP	P	P	NP	NP
035	Service Centre	NP	P	P	P	P
036	Industrial Plot-Light and Service Industry	NP	NP	NP	P	P
037	Industrial Plot—Extensive Industry	NP	NP	NP	NP	NP
063	Bus Terminal	P	P	P	NP	P
064	Bus Depot & Workshop	NP	NP	NP	P	P
072	Hospital					
	(Upto 200 beds)	P	P	NP	NP	NP
073	Health Centre (Upto 30 beds)	P	P	NP	NP	NP
074	Nursing Home	P	P	NP	NP	NP
031	Primary School	P	NP	NP	NP	NP
032	Secondary School	P	NP	NP	NP	NP
033	Senior Secondary School	P	NP	NP	NP	NP

1	2	3	4	5	6	7
084	Integrated School	P	NP	NP	NP	NP
085	Integrated Residential School	P	NP	NP	NP	NP
086	College	P	NP	NP	NP	NP
88	Social Welfare Centre					
	(i) With Auditorium	NP	P	NP	NP	NP
	(ii) Without Auditorium	P	P	NP	NP	NP
099	Auditorium	NP	P	NP	P	NP
107	Religious Premises	P	NP	NP	NP	NP

(a) Permission of Secondary Use Premises in five important Use Zones

S. No.	Use Premises	Use Zones				
		RD	C1	C2	M1	M2
003	Residential Flat					
	(i) As part of Group Housing	P	NP	NP	NP	NP
	(ii) On first floor and above	NA	P	NP	NP	NP
005	Residential Premises—Special Area	NA	NA	NA	NA	NA
006	Foreign Mission	P	NP	NP	NP	NP
007	Dharamshala	P	P	NP	NP	NP
010	Baratghar	P	P	NP	NP	NP
011	Night Shelter	P	P	P	P	P
018	Weekly Market					
	(i) Existing locations if not obstructing traffic circulation till such time these areas are utilised for designated use	P	P	P	P	P
	(ii) Parking and other open spaces within commercial centres to be used for weekly markets during non-working hours only	NP	P	NP	NP	NP
024	Junk Yard	NP	NP	P	P	P
027	Motor Garage & Workshop	NP	P	P	P	P
034	Flatted Group Industry	NP	P	P	P	P
039	Industrial Plot—Industry Specific Type	NP	NP	NP	P	NP
051	Railway Freight Godown	NP	NP	P	P	P
072	Clinical Laboratory	P	P	NP	NP	NP
073	Community Health Service	P	P	NP	NP	NP
080	Nursery and Kindergarten School	P	P	NP	NP	NP
081	Vocational Training Institute	P	P	P	P	NP
082	Special Education Centre	P	P	P	P	NP
083	Library	P	P	NP	NP	NP
092	Technical Training Centre	P	P	NP	P	NP
094	Music, Dance and Drama Training Centre	P	P	NP	NP	NP
095	Motor Driving Training Centre	NP	P	NP	NP	NP
096	Children Traffic Park	P	P	NP	NP	NP
097	Museum	P	P	NP	P	NP
098	Exhibition Centre and Art Gallery	P	P	NP	P	NP
100	Open Air Theatre	P	P	NP	NP	NP
101	Community Hall	P	P	NP	NP	NP
103	Cultural and Information Centre	P	P	NP	NP	NP
104	Social and Cultural Institute	P	NP	NP	NP	NP
106	Orphanage	P	NP	NP	NP	NP
108	Yoga Centre, Meditation, Spiritual and Religious Discourse Centre	P	NP	NP	NP	NP
130	Plant nursery	P	P	NP	NP	NP

P : Permitted, NP : Not Permitted, NA : Not Applicable

(a) (ii) Use Premises which are permitted in all the five important Use Zones (RD, C1, C2, M1 & M2).

Retail, Repair and Personnel Service Shop (in commercial centres only), Vending Booth, Bank, Petrol Pump, Restaurant (In Commercial Centres only), Hotel (In Commercial Centres only), and in other residential areas where building plans have been approved for a hotel building as per the sanctioned coverage and F.A.R.

Park, Play Ground, Indoor Games Hall, Swimming Pool, Recreational Club.

Cargo Booking Office (In Commercial Centres only), Railway Booking Office (In Commercial centres only), Road Transport Booking Office(In Commercial Centres only), Parking, Taxi & Three Wheeler Stand, Public Utility Premises.

Central Government Office (In Commercial Centres only), Local Government Office (In Commercial Centres only), Public Undertaking Office (In Commercial Centres only).

Dispensary, clinic (In Commedcial Centres only), Creche and Day Care Centre, Commercial and Secretarial Training Centre (In commercial centres only), Police Post, Police Station, Fire Post, Fire Station, Post Office, Post & Telegraph Office and Telephone Exchange.

(a) (iii) Use Premises which are not permitted in all the five Important Use Zones (RD, C1, C2, M1 & M2).

Motel, Drive-in-Cinema

Industrial Premises-Extractive Industry.

Outdoor Games Stadium, Indoor Games Stadium, Shooting Range, Zoological Garden, Bird Sanctuary, Botanical Garden, Specialised Park/Ground, Planetarium, Picnic Hut/ Picnic Site.

International Conference Centre, Courts, Government Land (Use undetermined).

Sports Training Centre, Fair Ground, Reformatory, District Battalian Office, Civil Defence and Home Guard, Forensic Science Laboratory, Jail, General Head Post Office, Radio and Television Station, Transmission Tower, Satellite and Tele-communication Centre, Observatory and Weather Office, Burial Ground, Cremation Ground, Cemetary, Electric Crematorium.

Orchard, Forest, Dairy Farm, Poultry Farm, Piggery, Farm House and Rural Centre.

(b) Permission of Use Premises in the remaining Use Zones.

RD Foreign Mission

Foreign Mission, Residential Plots, Group Housing (For the use of mission employees only), Guest House, Local Shopping, Bank, Recreational Club, Health Centre, Integrated Residential School, Cultural and Information Centre, Police Post, Fire Post and Post & Telegraph Office.

P1 Regional Park

Regional Park, Residential Flat (For watch & ward), Picnic Hut, Park, Shooting Range, Zoological Garden, Bird sanctuary, Botanical Garden, Local Government Office (Maintenance), Open Air Theatre, Police Post, Fire Post, Orchard, Plant Nursery and forest.

Any structure in this use zone shall be of temporary nature.

P2 District Park

District, Park, Residential Flat (For watch & ward and maintenance staff), Play Ground, Swimming Pool, Recreational Club, Children Traffic Park, Specialised Park/Ground, National Memorial, Bird Sanctuary, National Garden and Zoological Garden.

1588 GI/84—14

P3 Play Ground, Stadium and Sports Complex

Play Ground, Outdoor Stadium, Indoor Games Stadium, Indoor Games Hall, Swimming Pool, Recreational Club, Residential Flat (For watch & ward and maintenance staff), Boarding & Lodging House, Restaurant, Bank, Local Government Office (Maintenance), Library, Sports Training Centre, Auditorium, Police Post, Fire Post, Post & Telegraph Office and Health Centre (For players and concerned officials).

T5 Truck Terminal

Truck Terminal, Motor Garage, and workshop, Retail and Repair Shop, Night Shelter, Boarding House, Bank, Restaurant, Road Transport Booking Office.

C2 Government Office

Central Government Office, Local Government Office, Public Undertaking Office, International Conference Hall, Courts, Government Land (Use undetermined), Commercial Office (In commercial centres only), Retail and Repair Shop, Bank, Restaurant, Watch & Ward, Vending Booth, Indoor Games Hall, Dispensary, Library, Museum, Cultural and Information Centre, Social and Cultural Institute Auditorium, Police Post, Fire Post and Post & Telegraph Office.

PS1 Hospital

Hospital, Health Centre (Including family welfare centre), Nursing Home, Dispensary, Clinic, Clinical Laboratory, Voluntary Health Service, Residential Flat and Residential Plot-Group Housing (For staff and employees), Hostel (For students of medical college and staff), Dharamshala, Night Shelter, Retail and Repair Shop (In commercial centres only), Bank, Restaurant, Indoor Games Hall, Recreational Club, Swimming Pool, Library, College (Medical profession and like), Forensic Science Laboratory, Police Post, Fire Post and Post & Telegraph Office.

PS2 Education & Research

University and Specialised Educational Institute, College, Nursery and Kindergarten School, Integrated Residential School, Creche and Day Care Centre, Research and Development Centre, Library, Social Welfare Centre, Auditorium, Open Air Theatre, Health Centre, Play ground, Outdoor Stadium, Indore Games Stadium, Indore Games Hall, Shooting Range, Swimming Pool, Recreational Club, Botanical Garden, Planetarium, Zoological Garden and Acquarium, Residential Plot-Group Housing (For staff and Employees), Hostel (For Students), Guest House, Convenience Shopping, Bank, Museum, Fire Post, Police Post and Post & Telegraph Office.

PS3 Social and Cultural

Social and Cultural Institute, International Conference Hall, Museum, Exhibition Centre, Art Gallery, Auditorium, open Air Theatre, Community Hall, Cultural and Information Centre, Residential Flat (Watch & Ward staff only), Hostel, Indoor Games Hall; Recreational Club, Planetarium, Library, Police Station, Fire Station and Post & Telegraph Office.

PS4 Police Headquarter and Police Lines

Police Headquarter, Police Post, Police Station, District Battalian Office, Civil Defence and Home Guard, Forensic Science Laboratory, Jail, Fire Post, Residential Plot-Plotted & Group Housing, Hostel (Staff and employees), Guest House, Bank, Convenience Shopping, Motor Garage and Workshop, Restaurant, Play Ground, Indoor Games Stadium, Indoor Games Hall, Shooting Range, Swimming Pool, Recreational Club, Hospital, Health Centre, Dispensary, Voluntary Health Service (Like red cross), Nursery and Kindergarden School, Integrated Residential School, Library, Fire Post and Post & Telegraph Office.

PS5 Fire Station and Headquarter

Fire Station, Fire Post, Residential Flat (For staff employees), Hostel (For staff), Guest House, Convenience Shopping, Bank, Motor Garage and Workshop, Restaurant, Play Ground, Indoor Games Hall, Swimming Pool, Recreational Club, Health Centre, Primary School, Library and Post & Telegraph Office.

PS6 Communication :

Satellite and Tele-communication Centre, Transmission Tower, Wireless Station, Telephone Exchange, Radio and Television Station, Observatory and Weather Office, Fire [illegible] Residential Flat (For watch & ward).

[illegible] Plant Nursery, [illegible]

[illegible] Residential Flat (For watch & ward and [illegible]

[illegible]

Rural Centre, Orchard, Plant Nursery, Forest, Extractive [illegible]

(b) (i) The permission of use premises in following use zone shall be governed by the specific function of the use :

G3-Hotel, P4-Historical Monument, T1-Airport, T2-Rail Terminal, T3-Rail Circulation, T4-Bus Terminal & Depot, T6-Road Circulation, U1-Water, U2-Sewerage, U3-Electricity, U4-Solid Waste, U5-Drain, G1-President Estate & Parliament House, G3-Government Land (Use undetermined), PS7-Cremation and Burial Ground, PS8-Religious, A2-Green Belt and A4-River & Water Body.

(b) (ii) Park, Parking, Taxi & Three Wheeler Stand and Public Utility Premises are permitted in all use zones.

B(3) Uses/use activities permitted in use premises :

Residential Plot (001) :

Group I :

This covers plotted residential areas developed after 1962 and also plotted residential areas where commercial intrusion is negligible (A list of these areas is given in Annexure II). The differential rate of conversion charges for both in terms of residential development type and use permitted shall be determined by the Authority.

Residence, Professional Consultancy Office of Lawyers, Architects & Engineers, Chartered Accountants and Doctors other professionals with following conditions :

(i) The area under the establishment shall not exceed 30 sqm or 25% of the plinth area whichever is less.

(ii) The establishment shall be run only by the resident of the dwelling unit.

Group II :

This group covers the 'Rehabilitation' plotted residential areas and other plotted residential areas with commercial penetration, resettlement residential areas and urban villages (The list of these areas is given at Annexure II). The differential rate of conversion charges for both in terms of residential development type and use permitted shall be determined by the Authority.

Residence, Retail, Repair, Personnel Service Shop with following conditions :

(i) The establishment shall be permitted only on ground floor and shall be run by the resident of the dwelling unit.

(ii) The area under the establishment shall not exceed 15 sqm or 25% of the ground floor covered area whichever is less.

Household Industry (List given at Annexure II) with the following conditions :

(i) The establishment shall be permitted only on the ground floor and shall be run by the resident of the dwelling unit.

(ii) The area under the establishment shall not exceed 30 sqm or 25% of the plinth area, whichever is less.

Creche and Day Care Centre, Nursery and Kindergarten School, Music, Dance and Drama Training Centre, Tailoring Embroidery & Knitting Training Centre with the following conditions :

(i) The establishment shall be permitted only on ground floor and shall be run by the resident of dwelling unit.

(ii) The area under the establishment shall not exceed 30 sqm or 25% of the ground floor covered area whichever is less.

Professional Consultancy Office : Same given in Group I.

Group III :

Unauthorised Regularised Residential Areas (Unauthorised Regularised Colonies).

The uses other than residential shall be permitted by the Authority on the basis of detailed studies of different areas under this group.

The differential rate of conversion charges for both in terms of residential development type and use permitted shall be determined by the Authority.

Residential Plot-Group Housing (002) :

Residential Flat, Retail Shop of Confectionary, Grocery & General Merchandise; Books and Stationery; Chemist; Barber; Launderer; Tailor; Vegetable (On ground floor with an area upto 15 sqm each).

Creche and Day Care Centre.

On ground floor with an area upto 50 sqm.

Residential Flat (003) :

Residence, Professional Consultancy Office (As given in Group I of Residential Plot).

Retail, Repair & Personnel Service Shop (012 to 014).

Retail Shop; Repair Shop; Personnel Service Shop.

Wholesale Trade (019) :

Wholesale Shop; Godown & Storage; Commercial Office (On first & above floor restricted to 25% of the total floor area).

Commercial Office (025) :

Commercial Office; Retail & Personnel Service Shop; Restaurant; Bank, Post & Telegraph Office.

Industrial Plot-Light and Service Industry (026) :

Light & Service Industry as per the list at Annexure III; Administrative Office, Sales Outlet.

Residence-cum-work Plot (004) :

Residence. Ground floor area may be used as workspace for Retail Shop; Household Industry and Personnel Service Shop.

Residential Premises—Special Area (005) :

As per special Area Regulations.

Foreign Mission (006) :

Foreign Mission and related facilities.

Hostel, Guest House, Boarding House and Lodging House. (007 & 008) :

Hostel, Guest House, Boarding House and Lodging House; Watch & Ward Residence (20 sqm); Personnel Service Shops of Barber, Launderer; Soft Drink & Snack Stall (15 sqm.).

Dharamshala (009) :

Dharamshala; Personnel Service Shops of Barber & Launderer; Soft Drink & Snack Bar (upto 15 sqm).

Baratghar (010) :

Baratghar; Soft Drink & Snack Bar (upto 15 sqm).

Night Shelter (011) :

Night Shelter.

...ding Booth (015) :

...Booth.

...ce Shopping (016) ;

Retail, Repair and Personnel Service Shop; Restaurant; ...

Local Shopping (017) :

Retail, Repair and Personnel Service Shop; Commercial Office; Industry as per the Annexure III; Clinical Laboratory; Clinic & Poly Clinic; Restaurant; Soft Drink & Snack Stall; Post Office and Bank Extension Counter.

Weekly Market (018) :

Weekly Market; Informal Retail Trade; Soft Drink & Snack Stall (All structures will be either temporary or mobile, only for one day in a week).

Storage, Godown & Warehousing (020) :

Storage, Godown & Warehousing, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm.), Wholesale Outlet, Administrative & Sales Office.

Cold Storage (021) :

Cold Storage, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Administrative Office.

Gas Godown (022) :

Gas Godown, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm) Care Taker Office.

Oil Depot (023) :

Oil & Gas Depot, Residential Flat (Watch & Ward and maintenance staff only), Administrative Office.

Junk Yard (024) :

Junk Yard, Watch & Ward Residence, Sales Office.

Bank (026) :

Bank, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Commercial Office, Canteen.

Motor Garage and Workshop (027) :

Motor Garage and Workshop, Retail Shop (Spare parts), Soft Drink & Snack Stall.

Cinema (028) :

Cinema, Watch & Ward Residence (20 sqm), Administrative Office, Soft Drink & Snack Stall, Retail Shop & Commercial Office (Upto 20% of the total floor area).

Drive-in-Cinema (029) :

Drive-in-cinema, Watch & Ward Residence (20 sqm), Administrative Office, Restaurant, Soft Drink & Snack Stall.

Petrol Pump (030) :

Petrol Pump, Soft Drink & Snack Stall, Automobile Repair Shop.

Restaurant (031) :

Restaurant.

Hotel (032) :

Hotel, Retail & Personnel Service Shop and Commercial Office restricted to 5% of total floor area.

Motel (033) :

Motel, ...

Flatted Group Industry (034) :

Industries as given in classes A, B, C, D and E of Annexure III shall be permitted, provided such industries do not ... operations or ...

... or liquid waste; or

(iii) Movement of raw material/finished ... Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Service Centre (035) :

Retail, Repair & Personnel Service Shop, Industry allowed in service Centre as per annexure III, Gas Godown, Commercial Office.

Extensive Industry Plot (037) :

Extensive Industry as per the list in Annexure III, Administrative Office, Sales Outlet, Residential Flat (For maintenance staff), Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Industrial Premises—Extractive Industry (038) :

Extractive Industry.

Industrial Plot—Industry Specific Type (039) :

Industry Specific Type, Administrative Office, Sales Outlet.

Park (040) :

Park, Soft Drink & Snack Stall (On the park with & above 1.0 hectare area).

Play Ground (041) :

Play Ground.

Outdoor Stadium, Indoor Games Stadium and Shooting Range (042, 043 & 044) :

Stadium, Local Government Office (Maintenance), Watch & Ward Residence (upto 20 sqm), Residential Flat (For maintenance staff), Retail Shop, Restaurant.

Indoor Games Hall (045) :

Indoor Games Hall, Soft Drink & Snack Stall.

Swimming Pool (046) :

Swimming Pool, Watch & Ward and Maintenance Staff Residence, Restaurant.

Recreational Club (047) :

Recreational Club, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Residential Flat (For maintenance staff), Swimming Pool, Indoor and Outdoor Games Facilities.

Historical Monument (048) :

Historical Monuments.

National Memorial (049) :

Tomb, Samadhi and other Memorial, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Soft Drink & Snack Stall, Book and Picture Card Shop.

Zoological Garden, Bird Sanctuary and Botanical Garden (050, 051 & 052) :

Zoological and Botanical Garden, Bird Sanctuary, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Residential Flat (For maintenance staff), Retail Shop, Restaurant.

Specialised Park/ground (053) :

Public Meeting Ground, Public Address Podium, Soft Drink & Snack Stall.

Planetarium (054) :

Planetarium, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Cafeteria.

Picnic Hut (055) :

Picnic Hut.

Flying Club (056) :

Flying Club and all provided in 047.

Cargo and Booking Office (057) :

Cargo and Booking Office, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Railway Freight Godown (058) :

Railway Freight Godown, Care Taker Office, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Railway Booking Office and Road Transport Booking Office (059 & 060) :

Railway and Road Transport Booking Office, Storage.

Parking (061) :

Parking.

Taxi & Three Wheeler Stand (062) :

Taxi & Three Wheeler Stand.

Bus Terminal (063) :

Bus terminal, Soft Drink & Snack Stall, Administrative Office, Other Offices.

Bus Depot (064) :

Bus Depot, Workshop, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Soft Drink & Snack Stall, Administrative Office.

Public Utility Premises (065) :

Overhead Tank, Underground Tank, Oxidation Pond, Septic Tank, Sewerage Pumping Station, Public Toilet & Urinal, Electric Sub-Station, Dhallao and Dustbin, Dhobi Ghat.

Central Government Office, Local Government Office & Public Undertaking Office (066, 067 & 068).

Central Government, Local Government & Public Undertaking Office, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Retail Shop of Chemist, Book and Stationery, Consumer Store (Upto 15 sqm each on ground floor), Canteen, Bank Extension Counter, Post Office Extension Counter.

International Conference Centre (069) :

International Conference Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Residential Flat (For maintenance staff), Restaurant, Bank, Post & Telegraph Office, Library, Exhibition Centre.

Courts (070) :

Courts, Watch & Ward Residence (upto 20 sqm), Canteen, Retail Shop of Chemist and Stationery (Upto 15 sqm each), Library, Administrative Office, Bank, Post & Telegraph Office, Police Post, Lawyer's Chamber.

Government Land (071) :

(Use undetermined)

Use undetermined.

Hospital (072) :

Hospital, Residential Flat (Employees and service personnel) Institutional Hostel, Medical College, Retail Shops.

(Confectionery, grocery & general merchandise, books and stationery, chemist, barber, launderer, vegetable).

Health Centre and Nursing Home (073 & 074) :

Health Centre, Nursing Home, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm each), Chemist Shop (Upto 15 sqm each).

Dispensary (075) :

Dispensary, Soft Drink & Snack Stall.

Clinic (076) :

Clinic.

Clinical Laboratory (077) :

Clinical Laboratory, Soft Drink & Snack Stall.

Voluntary Health Service (078) :

Voluntary Health Service, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Administrative Office, Dispensary, Canteen.

Creche and Day Care Centre (079) :

Creche and Day Care Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Nursery and Kindergarten School (080) :

Nursery and Kindergarten School, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Primary School (081) :

Primary School, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Books and Stationery Shop (Upto 15 sqm), Soft Drink and Snack Stall.

Secondary, Senior Secondary and Integrated School (082, 083 & 084) :

Secondary, Senior Secondary and Integrated School, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Books and Stationery and Chemist Shop (Upto 15 sqm), Soft Drink & Snack Stall, Canteen, Bank Extension Counter, Auditorium, Indoor Games Hall, Swimming Pool, Post Office Counter Facility.

Integrated Residential School and College (Including professional college) (085 & 086) :

School and College, Residential Flat (For maintenance staff), Institutional Hostel, Retail Shops of area 15 sqm each (Confectionery, grocery & general merchandise, books & stationery, Chemist, barber, launderer, vegetable), Canteen, Bank Extension Counter, Auditorium, Indoor Games Hall, Swimming Pool, Play Ground, Post Office Counter Facility.

Vocational Training Institute (087) :

Vocational Training Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Hostel (Only in case of Government Centres), Books & Stationery Shop (Upto 15 sqm), Canteen, Library.

Social Welfare Centre (088) :

Social Welfare Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Canteen, Exhibition-cum-Sale Counter.

Research and Development Centre (089) :

Research and Development Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Residential Flat (For maintenance staff), Hostel, Canteen, Bank Extension Counter, Library, Post Office Counter Facility.

Library (090) :

Library, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Canteen, Exhibition and Art Gallery, Auditorium.

Technical Training Centre (091) :

Technical Training Centre, Residential Flat (For maintenance staff), Books & Stationery and Chemist Shops (Upto 15 sqm each), Canteen, Bank Extension Counter, Auditorium, Post Office Counter Facility.

Commercial and Secretarial Training Centre (092) :

Commercial and Secretarial Training Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Canteen.

Music, Dance and Drama Training Centre (093) :

Music, Dance and Drama Training Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Canteen, Auditorium.

Sports Training Centre (094) :

Sports Training Centre, Residential Flat (For maintenance staff), Retail Shops.

(Confectionery, grocery & general merchandise), Hostel, Bank, Post Office, Canteen, Indoor and Outdoor Stadium, Swimming Pool, Play Ground.

Motor Diving Training Centre (095) :

Motor Driving Training Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Soft Drink & Snack Stall.

Children Traffic Park (096) :

Children Traffic Park, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Soft Drink & Snack Stall, Museum, Auditorium.

Museum, Exhibition Centre and Art Gallery, Auditorium and open Air Theatre (097, 098, 099 & 100) :

Museum, Exhibition Centre and Art Gallery, Auditorium and Open Air Theatre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Canteen.

Community Hall (101) :

Community Hall, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Soft Drink & Snack Stall.

Fair Ground (102) :

Park, Ground, Residential Flat (For maintenance staff), Exhibition Centre (Temporary in nature), Restaurant, Soft Drink & Snack Stall, Police Post, Fire Post, Bank Extension Counter Facility, Post Office Counter Facility.

Cultural and Information Centre (103) :

Cultural and Information Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Hostel, Canteen, Bank Extension Counter Facility, Auditorium (Upto 500 seating capacity), Library, Exhibition and Art Gallery.

Social and Cultural Institute (104) :

Social and Cultural Institute, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Soft Drink & Snack Stall, Restaurant, Canteen, Bank Extension Counter Facility, Auditorium, Library, Music, Dance and Drama Training Centre, Museum, Exhibition Centre and Art Gallery.

Reformatory and Orphanage (105 & 106) :

Reformatory and Orphanage, Residential Flat (For maintenance staff), Hostel, Personnel Service Shop (Upto 15 sqm).

Religious Premises/Building (107) :

(i) Temple, (ii) Mosque, (iii) Church, (iv) Gurudwara, (v) Synagogue, (vi) Ashram, (vii) Bathing Ghat, (viii) Gaushala (ix) Dargah & (x) Charitable Dispensary & Library.

Yoga Centre, Meditation, Spiritual and Religious Discourse Centre (108) :

Yoga Centre, Meditation, Spiritual and Religious Discourse Centre, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm) Hostel, Soft Drink & Snack Stall.

Police Post (109) :

Police Post.

Police Station (110) :

Police Station, Residential Flat (For maintenance staff).

District Police Office and Civil Defence & Home Guard (111 & 112) :

District Police Office and Civil Defence & Home Guard, Residential Flat (For maintenance staff), Hostel, Play Ground.

Forensic Science Laboratory (113) :

Forensic Science Laboratory.

Jail (114) :

Jail.

Fire Post (115) :

Fire Post.

Fire Station (116) :

Fire Station, Residential Flat (For maintenance staff), Hostel (For employees), Service Workshop.

Post Office, Post & Telegraph Office and General Post Office (117, 118 & 119) :

Post Office, Post & Telegraph Office and General Post Office, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Canteen.

Telephone Exchange (120) :

Telephone Exchange, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Canteen.

Radio and Television Station (121) :

Radio and Television Station, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Hostel, Canteen, Library.

Transmission Tower (122) :

Transmission Tower, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Satellite and Tele-Communication Centre and Observatory & Weather Office (123 & 124) :

Satellite and Tele-Communication Centre and Observatory & Weather Office, Residential Flat (For maintenance staff), Canteen, Research Laboratory.

Burial Ground, Cremation Ground, Cemetery and Crematorium (125, 126, 127 & 128) :

Burial Ground, Cremation Ground, Cemetery and Electric Crematorium, Retail Shops of Wood, Flowers and related materials, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

Orchard (129) :

Orchard, Watch & Ward and Maintenance Staff Residence (Upto 20 sqm).

All structures shall be temporary in nature.

Nursery (130) :

Nursery, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

All structures shall be temporary in nature.

Forest (131) :

Forest.

Dairy Farm (132) :

Dairy Farm, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

All structures shall be temporary in nature.

Poultry Farm (133) :

Poultry Farm, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

All structures shall be temporary in nature.

Piggery (134) :

Piggery Shed, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

All structures shall be temporary in nature.

Farm House (135) :

Farm House, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm).

All structures shall be temporary in nature.

Rural Centre (136) :

Rural Centre, Retail Shop, Repair Shop, Personnel Service Shop, Weekly Market, Bank, Commercial Office, Cinema, Restaurant, Local Government Office, Dispensary, Clinic, Clinical Laboratory, Hospital, Senior Secondary School, Library, Community Hall, Police Post, Fire Post, Post Office.

Notes :

(i) Park, Parking, Public Conveniences, Public Utility are permitted in all premises wherever needed.

(ii) In the case of Clubing of Premises, respective uses are allowed.

(iii) In case of higher order use premises permitted, the lower order use premises in the same category are permitted e.g. if police station is permitted, the police post can also come in its place.

(iv) A structure which can be shifted from one place to another or removed as the case may be shall be considered as temporary structure.

8(4) Control for Building/Buildings within use premises :

The objective of these regulations is to provide control for building/buildings within use premises. The volume of building is determined by ground coverage, floor area ratio and maximum height permitted. The other controls have been laid out for provisions like basement, setbacks, parking standards and other aspects relevant for building permission excluding the internal arrangement which is covered and controlled by building bye-laws in force. These regulations have been framed for important use premises of residential, commercial, manufacturing, government and public & semi-public uses. The remaining use premises shall be examined by the Authority on the basis of actual requirements and other relevant norms in a specific case.

The development around Historical Monuments and Buildings shall be carried out in such a manner as to enhance their significance.

The Regulations as given in Annexure IV shall apply to residential plots in existing development.

Parking standards have been recommended for certain activities. Wherever these are not provided the same shall be prescribed by the Authority depending upon the merits and requirements of an individual case.

Wherever the building regulations are given as per different categories of plots, the area to be covered and floor area allowed in no case be less than the permissible covered area and floor area, respectively, for the largest size of plot in the lower category.

Basement provision has been indicated wherever permitted with or without conditions. The mezzanine floor where provided shall be considered as a part of the total F.A.R. Maximum height of building would be taken from central line of the access road to top of the parapet. Structures like mumty, water storage tank, etc., shall be so planned as to have setback from the parapet. The provision of setback for different size of plots for all categories of use premises shall be as per the following table:

S. No.	Plot Size (In sqm)	Setbacks			
		Front	Rear	Side(1)	Side(2)
1.	Upto 60	0	0	0	0
2.	Above 60 & upto 150	3	0	0	0
3.	Above 150 & upto 300	3	3	0	0
4.	Above 300 & upto 500	3	3	3	0
5.	Above 500 & upto 1000	6	3	3	3
6.	Above 1000 & upto 2000	9	3	3	3
7.	Above 2000 & upto 4000	9	6	6	6
8.	Above 4000 & upto 10,000	15	6	6	6
9.	Above 10,000	15	9	9	9

(i) In case the permissible coverage is not achieved with setbacks shall be 2m × 2m at corner adjacent to open the setbacks of the preceding category may be followed.

(ii) In single family (1.3 units) residential plots, rear setbacks shall be 2m × 2m at corner adjacent to open courts of plots in rear and sides.

Residential Plot—Plotted Housing (001)

	(a) For Single Family Unit (1.3 unit)	(b) For Family A	Three Unit B
Minimum Plot Size (sqm)	32	150	above 250
Maximum Plot Size (sqm)	90	250	350
Standard Plot Size (sqm)	72	180	- -
Ground Coverage (%)	60	60	50
Floor Area Ratio	150	150	125
Maximum Height (m)	11	11	11

Other Controls :

(a) For Single Family Units : (1.33 unit)

(i) One of the rear corners shall be open court of 2m × 2m next to the open court of adjacent Plot. This condition shall be indicated in layout plan.

(ii) Plot from width to depth ratio shall be 1 : 2 to 3.

(iii) One regular kitchen and one kitchenettee shall be permitted.

(iv) 10 per cent of the open space to be left unpaved for greenery with at least one small tree to be planted within the plot.

(b) For Three Family Unit :

(i) Plot front width to depth ratio shall be in the range of 1 : 2 to 3.

(ii) Three regular kitchens shall be permitted.

(iii) 10 per cent of the open space to be left unpaved for greenery with at least one small tree to be planted within the plot.

(c) For purposes of density calculations, the dwelling unit should be considered to accommodate 4.8 persons.

Residential Plot-Group Housing (002)

	(a)For plots 2000 to 4000 (sqm)	(b) For plots above 4000 (sqm)
1. Ground Coverage	33.33%	30%
2. Floor Area Ratio	100	150
3. Maximum Height	11m	26m

Other Controls :

(a) For plots 2000 to 4000 sqm

(i) Maximum number of storeys allowed—Three.

(ii) Density permissible shall be 120 DUs per hectare.

(iii) For land-scapping purpose 100 trees per hectare shall be planted and 40 per cent of open space shall be covered by greenery.

(iv) Parking shall be provided @ 0.28 car spaces per dwelling unit for dwelling units upto 50 sqm of floor area @ 0.55 car spaces per dwelling unit for dwelling units above 50 sqm & upto 90 sqm of floor area and @ 1.15 car spaces per dwelling unit for the dwelling units above 90 sqm of floor area.

The area under covered garages, if provided, shall be deducted from the total parking requirements

(b) For plots above 4000 sqm

(i) Maximum number of storeys allowed—Eight.

(ii) Density permissible shall be 120 DUs per hectare.

(iii) For the purpose of land-scaping 100 trees per hectare shall be planted and 40 per cent of the open space shall be covered by greenery.

(iv) Minimum street width in front—16m

(v) Parking shall be provided @ 0.28 car spaces per dwelling unit for dwelling units upto 50 sqm of floor area, @ 0.55 car spaces per dwelling unit for dwelling units above 50 sqm & upto 90 sqm of floor area and @ 1.15 car spaces per dwelling unit for the dwelling units above 90 sqm of floor area.

The area under covered garages, if provided, shall be deducted from the total parking requirements.

(c) In case of bunglow area New Delhi and Civil Lines, separate regulations for redensification to be worked out, retaining the existing character.

FOREIGN MISSION

(006)

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	75
Maximum Height	14m

Other Controls :

(i) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed & if used for parking & services shall be excluded from F.A.R.

HOSTEL
(007)

Minimum Plot Size	2000 sqm
Ground Coverage	33.33%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	26m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Eight

(ii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed for the purpose of parking & services only and shall not be counted in F.A.R.

(iii) Minimum ROW in front—22m.

(iv) Trees shall be planted at the rate of 125 trees per hectare & 50 per cent of the permissible open space shall be covered by greenery.

GUEST HOUSE, BOARDING HOUSE & LODGING HOUSE
(008)

Minimum Plot Size	500 sqm
Ground Coverage	33.33%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	14m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Four

(ii) Minimum R/W in front—22 m

(iii) 10% of the open space to be left unpaved for greenery with at least two trees on the plot upto 500 sqm and an additional one tree for every 100 sqm area of plot.

DHARAMSHALA, BARATGHAR AND NIGHT SHELTER
(009, 010 & 011)

Minimum Plot Size	200 sqm
Ground Coverage	40%
Floor Area Ratio	80
Maximum Height	11m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Two.

(ii) Minimum R/W in front—16M.

(iii) 10 per cent of the open space to be left unpaved for greenery and atleast two trees, on the plot upto 500 sqm & an additional one tree for every 100 sqm area of plot shall be planted.

CONVENIENCE SHOPPING
(016)

Minimum Plot Size	800 sqm
Ground Coverage	40%
Floor Area Ratio	40
Maximum Height	5m

Other Controls :

(i) The structure shall be single storeyed.

(ii) The centre may have 25 to 30 formal shops and 15 to 20 informal ships including fruits and vegetable shops.

(iii) Parking shall be provided at the rate of 1.3 car spaces per 100 sqm of floor area.

LOCAL SHOPPING CENTRE
(017)

Minimum Plot Size	
(a) Retail and Commerce	3000 sqm
Ground Coverage	35%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	14m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Three.

(ii) 80 per cent plot area of the local shopping centre may be used for retail and commerce

(iii) The centre may have 55 to 65 formal shops and 25 to 30 informal shops including fruits and vegetable shops.

(iv) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in F.A.R.

(v) Parking shall be provided at the rate of 1.7 car spaces per 100 sqm of floor area.

(b) Service Centre

20 per cent plot area of the local shopping centre may be used for service centre. The regulations are given separately under the premises of service centre.

COMMUNITY CENTRE

Minimum Plot Size	
(a) Retail and Commerce (cinema)	25000 sqm
Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	14m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Four

(ii) One or two buildings may have height upto [illegible] achieving a desirable urban form.

(iii) The centre may have 300 to 350 formal shops, 125 to 150 informal shops, 2 cinema and a hotel. The regulations for hotel are given separately under the premises of hotel.

(iv) 85 per cent plot area of the community centre may be used for retail and commerce (cinema).

(v) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in F.A.R.

(vi) Trees shall be planted at the rate of 125 trees per hectare and 40 per cent of the open space shall be covered by greenery.

(vii) Parking shall be provided at the rate of 1.9 case space per 100 sqm. floor area of retail, 0.7 car space per 100 sqm floor area of commerce and 1 car space per 25 seats for cinema.

(b) Fruits and Vegetable Market

Ground Coverage	40%
Floor Area Ratio	40

Other Controls :

(i) 5 per cent plot area of the community centre may be used for fruits and vegetable market.

(ii) The centre may have 35 to 45 formal shops and 40 to 50 informal shops.

(iii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in F.A.R.

(iv) Trees shall be planted at the rate of 2 trees per 100 sqm of plot and 40 per cent of open space shall be covered by greenery.

(v) Parking shall be provided at the rate of 0.7 car space per 100 sqm. of floor area.

(d) Service Centre

10 per cent plot area of the community centre may be used for service centre. The regulations are given separately under premises of service centre.

The community centre may be planned by utilising coverage F.A.R. in an integrated manner.

DISTRICT CENTRE

10 per cent to 20 per cent additional area shall be provided to afford open spaces in an integrated manner in the district centre and it shall not be counted for ground coverage and F.A.R.

(a) Retail Shopping (cinema)

Ground Coverage	30%
Floor Area Ratio	75

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Sixteen.

(ii) The centre may have 1600 to 2000 formal shops, 750 to 950 informal shops and 3 cinema halls.

(iii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in F.A.R.

(iv) Trees shall be planted at the rate of 125 trees per hectare and 40% of open space shall be covered by greenery.

(v) Parking shall be provided at the rate of 2.2 car space per 100 sqm floor area of retail and 1 car space per 25 seats for cinema.

(b) Commercial Office

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	125

Other Controls :

(i) The centre may have 600 to 750 formal shops, 250 to 350 informal shops and 4 cinema halls.

(ii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in F.A.R.

(iii) Trees shall be planted at the rate of 125 trees per hectare and 40 per cent of open space shall be covered by greenery.

(iv) Parking shall be provided at the rate of 0.7 car space per 100 sqm floor area of commercial office and 1 car space per 25 seats for cinema.

(c) Service Centre :

The regulations for service centre are given separately under the premises of service centre.

(d) Facilities

It shall have Bus Terminal, Fire Post, Police Post, Telephone Exchange, Electric Sub-Station (ESS) and their regulations are given separately under respective premises.

(e) Cultural Complex

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	100

Other Controls :

(i) Trees shall be planted @ 125 trees per hectare and 40 per cent of open space shall be covered by greenery.

(f) Hotel

The regulations are given separately under the premises of hotel.

The District Centre may be planned by utilising coverage and F.A.R. in an integrated manner.

Sub Central Business District

Maximum height permitted shall be 26m and one or two buildings may have height of 50m.

The regulations for (a) Retail Shopping (Cinema), (b) Commercial Offices, (c) Service Centre, (d) Facilities, (e) Cultural Complex and (f) Hotel shall have as mentioned in the District Centre.

(g) Wholesale/Warehousing

The regulations given separately under the premises of wholesale and warehousing shall be applicable.

Commercial Plot—Retail and Commerce

(a) Metropolitan City Centre

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	250

Other Controls :

(i) These regulations shall apply to Connaught Place and its extension/Metropolitan City Centre.

(ii) The size of the plot shall depend on the layout of commercial area and any sub division of the plot in Connaught Place and its extension shall not be permitted.

(iii) FAR permitted shall be subject to an urban design study.

(iv) In case of plots fronting 45m wide road the setbacks shall be : Front -15m, Rear -6m, Sides -4.5m

In case of plots fronting 30m wide or less roads the setbacks shall be : Front -12m, Rear -6m, Sides -4.5m

(v) Parking shall be provided @ 2.2 car spaces per 100 sqm. floor area of retail, 1 car space per 25 seats for cinema and 0.7 car space per 100 sqm floor area of commercial office.

(b) Asaf Ali Road

The area shown as commercial strip in Delhi Gate—Ajmeri Gate scheme shall have following building control regulations.

Ground Coverage	80%
Floor Area Ratio	300
Maximum Height	20 m
Setbacks	Nil

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys permitted shall be five with the following distribution of F.A.R.

Ground floor	80
First floor	70

Second, third and fourth floor 50 each

(ii) Basement to the maximum extent of ground floor shall be permitted for services and maintenance and shall be excluded from F.A.R.

(iii) Parking shall be provided @ 2.2 car space per 100 sqm floor area of retail trade, 1 car space per 25 seats for cinema and 0.7 car space per 100 sqm floor area of commercial office.

Non Hierarchy Commecial Centres

(a) Central Market—Lajpat Nagar

This complex would have existing ground coverage with two storeyed construction. No basement shall be permitted.

(b) I.N.A. Market

The single storyed municipal market at I.N.A. shall be retained. The other shops around the main municipal market may be reorganised in an extension block of similar character. The ground coverage shall be restricted to a maximum of 50 per cent.

(c) Sarojini Nagar Market

This market shall be retained as existing. No additions and alterations shall be permitted and the unauthorised encroachments shall be removed.

(d) State Emporia on Baba Kharag Singh Marg :

This complex is already developed in accordance with plan, however, it appears disconnected. Single storeyed shopping

arcade connections should be provided to cater for handicrafts shops.

(f) Palika Bazar—Connaught Place :

This is an underground shopping centre. There shall be no extension of the limits of the basement. No superstructure shall be erected in the park on top of the market.

(f) Sen Nursing Home—Bahadur Shah Zafar Marg :

The extent of ground coverage and FAR as existing shall be retained.

(g) Kamla Market—Ajmeri Gate :

The existing municipal market shall be retained. The unauthorised constructions/structures beyond the plinth line of the municipal market shall be removed.

(h) Modern Shopping Centre—Siri Fort :

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	50
Maximum Height	14m

Other Controls :

(i) Since this is intended to be a modern shopping centre of international standards, the interior may have play of levels, however, generally the number of storeys shall be restricted to two.

(ii) Two basements shall be permitted in addition to the FAR, one for shopping activity and another for parking and services like air-conditioning, generators, etc.

(iii) 60 per cent of the open space shall be landscaped and should be integrated in a suitable form with interiors and

(i) Commercial Centre adjoining—Metropolitan Passenger Terminal, Okhla :

Ground Coverage

Floor Area Ratio 25%

Maximum Height 100

17m

Other Controls :

(i) Hotel and cinema shall be allowed in the commercial

(ii) Maximum number of storeys allowed—Four.

(iii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iv) Trees shall be planted @ 125 trees per hectare and 40 per cent of the open space shall be covered by greenery.

(v) Parking shall be provided @ 1.9 car spaces per 100 sqm floor area of retail and 0.7 car space per 100 sqm floor area of commerce. If cinema and hotels are provided in the commercial centre, then additional parking @ 2.4 car spaces per 100 sqm floor area of hotel and 1 car space per 25 seats for cinema should be provided.

(j) Commercial Centre—Laxmi Bai Nagar :

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	14m

Other Controls :

(i) The commercial centres shall mainly have commercial offices.

(ii) Maximum number of storeys allowed—Four.

(iii) Trees shall be planted @125 trees per hectare and 40% of the open space shall be covered by greenery.

(iv) Parking shall be provided @0.7 car space per 100 sqm floor area.

(k) Commercial Centre-Copernious Rd:

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	50
Maximum Height	11m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Two.

(ii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iii) Trees shall be planted @150 trees per hectare and 50% of the open space shall be covered by greenery. Existing trees should not be cut.

(iv) Parking shall be provided @ 0.7 car space per 100 sqm floor area.

(l) Commercial Centre—Nehru Nagar (near ring rail) :

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	150
Maximum Height	26m

Other Controls :

(i) The commercial centre shall have commercial offices only.

(ii) Maximum number of storeys allowed shall be eight and one or two structures may be of sixteen storeys, wherein the maximum height may be relaxed to 50m.

(iii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iv) Trees shall be planted @125 trees per hectare and 40% of the open space shall be covered by greenery.

(v) Parking shall be provided @ 0.7 car space per 100 sqm floor area.

(m) Press Area—Bahadur Shah Zafar Marg :

The area on the eastern side of Bahadur Shah Zafar Marg where newspaper press and offices are located shall be under Use Zone-C1 i.e. General Business & Commerce and shall have the following building control regulations:

Ground Coverage	80%
Floor Area Ratio	300
Maximum Height	20m
Setbacks	Nil

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys permitted shall be five with the following distribution of F.A.R.:

Ground floor	80
First floor	70
Second, third and fourth floor	50 each

(ii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be permitted for services and maintenance and shall be excluded from FAR.

(iii) Parking shall be provided @0.7 car space per 100 sqm floor area.

Besides the above mentioned commercial centres, because of any special reasons, the Authority may declare any of the commercial centres/centre or part thereof as non hierarchy commercial centre and prescribe such regulations as shall suit the function and environment.

WHOLESALE TRADE/WAREHOUSING

(Intergrated development)

(019 & 020)

Minimum Plot Size	10000 sqm
Ground Coverage	20%
Floor Area Ratio	60
Maximum Height	14m

(i) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(ii) Maximum number of storeys allowed—Three.

(iii) Trees shall be planted @150 trees per ha. and 20% of open space shall be covered by greenery.

(iv) Parking shall be provided @1.23 car spaces per 100 sqm floor area for the purpose of employees and visitors parking.

Additional parking @ space for 2 trucks per 100 sqm of floor area shall be provided for loading and unloading goods.

HOTEL

(032)

Ground Coverage	30%
Floor Area Ratio	150
Maximum Height	50 m

Other Controls :

(i) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(ii) 5% of the F.A.R. can be used for the commercial space related to hotel function.

(iii) Trees shall be planted @125 trees per hectare and 40% of the open space shall be covered by greenery.

(iv) Parking shall be provided @2.4 car spaces per 100 sqm of floor area. Open parking shall be limited to the extent of 50% of the open area.

FLATTED GROUP INDUSTRY

(034)

Minimum Plot Size	[illegible]
Ground Coverage	50
Floor Area Ratio	120

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Four.

(ii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iii) Trees shall be planted @150 trees per [illegible] 20% of the open space shall be [illegible]

Service Centre (035)

(a) As part of Local Shopping Centre :

Minimum Plot Size : 1000 sqm

Ground Coverage :	25%
Floor Area Ratio :	25
Maximum Height :	5 m

Other Controls :

(i) The structures shall be single storeyed.

(ii) The service centre may have 15 formal shops, 7 informal shops and 1 E.S.S.

(iii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iv) Trees shall be planted @2 trees per 100 sqm and 20% of open space shall be covered by greenery.

(b) As part of Community Centre :

Minimum Plot Size : [illegible]

Ground Coverage : [illegible]

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Two.

(ii) It may have 30 formal shops, 15 informal shops, 2 gas godown, 1 petrol pump, 1 E.S.S. and commercial offices on upper floor.

Cold storage shall be allowed with maximum height of 15m.

(iii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iv) Trees shall be planted @150 trees per hectare and 20% of the open space shall be covered by greenery.

(c) Service Centre as part of District Centre/Sub Central Business District Centre :

Minimum Plot Size	24000 sqm
Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	50
Maximum Height	14 m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Three.

(ii) The service centre may have 100 formal shops, informal shops, 2 petrol pumps and commercial offices on upper floor.

Cold storage shall be allowed with maximum height 15mt.

(iii) Basement [illegible] to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iv) Trees shall be planted @150 trees per hectare and 20% of the open space shall be covered by greenery.

INDUSTRIAL PLOT-LIGHT AND SERVICE INDUSTRY

(036)

Minimum Plot Size : 100 sqm

S.	Plot Size (Sqm)	Ground Coverage (%)	F.A.R.
1.	100 to 400	60%	12
2.	Above 400 and upto 1000	50%	12
3.	Above 1000	40%	1

Other Controls :

(i) Maximum floors allowed shall be basement, ground floor and first floor. Basement should be below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be counted in FAR.

(ii) Mezzanine shall not be allowed.

(iii) In case of service industry in Metropolitan Centre, F.A.R. permitted shall be 150.

(iv) In plots upto 1000 sqm. trees shall be planted [illegible] trees per 100 sqm.

In case of plots above 1000 sqm. trees shall be planted @3 trees per 200 sqm and 20% of the open space shall be covered by greenery.

INDUSTRY SHOP NATURE

Minimum Plot Size — 30 sqm.

Plot Size (sqm.)	Ground Coverage (%)	F.A.R.
	100%	200

Other Controls :

(i) Maximum floors allowed shall be ground floor and mezzanine floor.

(ii) Mezzanine shall not be allowed.

INDUSTRY

Minimum Plot Size — 400 sq.m.

Plot Size (sqm)	Ground Coverage	F.A.R.
400 to 4000	50%	50
above 4000 and upto 12,000	45%	45
above 12,000 and upto 28,000	40%	40
above 28,000	30%	30

Other Controls :

(i) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage allowed and shall be counted in F.A.R.

(ii) Mezzanine floor shall not be allowed.

(iii) In the plots upto 1000 sqm. trees shall be planted @2 trees per 100 sqm.

In case of plots above 1000 sqm. trees shall be planted @3 trees per 200 sqm. and 20% of the open space shall be covered by greenery.

GOVT. OFFICES INTEGRATED OFFICE COMPLEX

(066, 067, 068 & 070)

Minimum Plot Size	10000 sq.m
Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	150
Maximum Height	24m

Other Controls :

(i) The integrated office complex shall include Central Government Office, Local Government Office, Public Undertaking Office and Courts.

(ii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iii) Trees shall be planted @125 trees per hectare and 40% of open space shall be covered by greenery.

(iv) Parking shall be provided @1 car space/100 sqm floor area, and may be either covered or open.

HOSPITAL

(072)

Minimum Plot Size	6000 Sqm
Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	26m

Other Controls :

(i) 25% of the total area may be used for the housing of essential staff. In such case ground coverage, F.A.R. and maximum height of the group housing shall be applicable to the area meant for housing.

(ii) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services shall not be counted in FAR.

(iii) Trees shall be planted @125 trees per hectare and 50% of the open space shall be covered by greenery.

(iv) Parking shall be provided @1 car space/5 beds for 80-200 beds hospital, @1 car space/6 beds for 200-500 beds hospital and @1 car space/7 beds for the hospital above 500 beds capacity.

(v) The [illegible] shall be 30 mt.

HEALTH CENTRE/NURSING HOME

(073 & 074)

Minimum Plot Size	2000sqm
Ground Coverage	33.33%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	14m

Other Controls :

Trees shall be planted @2 trees per 100 sqm of plot area.

NURSERY SCHOOL

(080)

Minimum Plot Size	500 sqm
Ground Coverage	35%
Floor Area Ratio	70
Maximum Height	11m

Other Controls :

(i) Maximum number of storeys allowed—Two

(ii) Trees shall be planted @2 trees per 100 sqm of plot area.

PRIMARY SCHOOL

(081)

Minimum Plot Size	3000 sqm
Ground Coverage	33%
Floor Area Ratio	100

Other Controls :

(i) 50% of the area shall be used for play field with a minimum of 18m x 36m as effective play area and shall be indicated on plan.

(ii) F.A.R. Coverage shall be calculated with reference to the open amount for school Building.

(iii) [illegible] shall be planted @125 trees per hectare and [illegible] space shall be covered by greenery.

SECONDARY SCHOOL/SENIOR SECONDARY SCHOOL/ INTEGRATED SCHOOL/INTEGRATED RESIDENTIAL SCHOOL

(082, 083, 084 & 085)

Ground Coverage	30%
Floor Area Ratio	120
Maximum Height	14m

Other Controls :

(i) Coverage & F.A.R. shall be calculated with reference to the area meant for the educational building.

(ii) 60% of the plot area, in Secondary School/Senior Secondary School/Integrated School shall be used for play field with a minimum of 67.5m x 26m as effective play area. The area for Secondary School Building/Senior School Building/Integrated School Building shall be shown separately on the plan.

(iii) 60% of the plot area, in case of Integrated Residential School, shall be used for play field and 15% of the plot area may be used for the housing of the essential staff. The coverage, F.A.R., Maximum Height, etc., of the group housing shall be applicable to the area meant for residential purposes.

(iv) Trees shall be planted @125 trees per hectare and 50% of the open space shall be covered by greenery.

COLLEGE

[(086)

Ground Coverage	25%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	11m

Other Controls :

(i) Coverage and F.A.R. shall be calculated with reference to the area meant for the college building.

(ii) 60% of the plot shall be used for play field and shall be indicated on plan.

(iii) 25% of the area of plot may be used for housing of the staff and the regulations of group housing shall be applicable to such area.

(iv) Trees shall be planted @125 trees per hectare and 50% of the open space shall be covered by greenery.

AUDITORIUM/COMMUNITY HALL

(099 & 101)

Ground Coverage	35%
Floor Area Ratio	100
Maximum Height	17m

Other Controls :

(i) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and if used for parking and services, shall not be counted in FAR.

(ii) Trees shall be planted @2 trees per 100 sqm of the plot and 50% of the open space shall be covered by greenery.

RELIGIOUS PREMISES

(107)

Ground Coverage	35%
Floor Area Ratio	70
Maximum Height	11m

Other Controls :

(i) Height of domes, bell tower, shikhars etc. together with the building shall not exceed 17 meters.

(ii) Parking may be provided in side the premises and shall be shown on the plan.

Police Post (109) :

Ground Coverage	: 35%
Floor Area Ratio	: 70
Maximum Height	: 14m

Other Controls :

Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage allowed and shall be considered in F.A.R.

Police Station/Fire Post/Fire Station (110, 115 & 116):

Ground Coverage	: 25%
Floor Area Ratio	: 100
Maximum Height	: 17m

Other Controls :

(i) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage allowed and shall be counted in F.A.R.

(ii) 25% of the plot area may be used for housing the staff and the regulations of group housing shall be applicable to the area meant for housing.

(iii) Trees shall be planted @2 trees per 100 sqm of floor area.

Post & Telegraph Office/Head Post Office (118 & 119) :

Ground Coverage	: 25%
Floor Area Ratio	: 100
Maximum Height	: 17m

Other Controls :

(i) Basement below ground floor and to the maximum extent of ground coverage allowed and shall be counted in F.A.R.

(ii) Trees shall be planted @2 trees per 100 sqm of floor area and 50% of the open space shall be covered by greenery.

Clause 9.0:

Special Area Regulations:

The Special Area as defined on the plan, to be declared under the Development Code, measures about 2600 hectares. The Special Area has been divided into four separate parts namely (a) Walled City, (b) Karol Bagh, (c) Specific Use Zone Areas and (d), Urban Renewal Areas. These four parts have been distinctly shown on the Special Area Plan.

(a) Walled City.

1. Permission of uses/use activities in use premises.

(i) The noxious industries and hazardous trades (list given at annexure V) shall be shifted from the Walled City immediately within a maximum period of five years, to be replaced by other compatible uses.

(ii) The Public & Semi-Public uses and services like hospitals, dispensaries, colleges, schools, police stations, post offices, local government offices, religious places etc. shall be retained in their present locations. Any change or additions thereof shall be in accordance with the overall policy frame prescribed in the plan.

2. Control for building/buildings within the premises.

The building permission for premises in the residential areas shall conform to the following guidelines.

Ground Coverage : 80%

Floor Area Ratio : 200

Maximum Height : 12 mts

Setbacks : Nil

Plinth : 0.3 to 1.0m

Other Controls :

(i) The building shall be permitted to be reconstructed practically in the same form and style as existing.

(ii) Construction of buildings, including traditional decorative features shall be permitted with building materials like bricks or brick tiles, stone, cast iron and timber.

(iii) At the time of submission of building plans for proposed construction, existing plans of all floors alongwith elevations and sections, highlighting architectural features (like balconies, pillars, cornices, windows, projections, details of jallis in iron and stone carving) will be submitted by the applicant and to be followed in the new construction.

3. Within the Walled City, there are developments other than traditional belonging to colonial and post-independence period. The Building Control Regulations to be followed for respective developments shall be as under:

(i) Darya Ganj : The layout plan once accepted by the Authority and declared to be in confirmity with the Development Code would form the basis for regulating developments. The building control regulations shall be the same as embodied in the chapter on Building Control Regulations for existing residential areas.

(ii) Lajpat Rai Market : The single storeyed market on either side of Chandni Chowk shall be retained.

(iii) The isolated use premises like School adjoining Jama Masjid, Presentation Convent School and Church, Church at Kashmere Gate, Municipal Offices at Old Hindu College Building Complex shall be retained with existing building volumes. Any additions or alterations shall be examined by the Authority within the overall policy frame of conservation.

(b) Karol Bagh :

(i) In the areas bounded by Faiz Road, Desh Bandhu Gupta Road, Swami Dayanand Saraswati Marg, Arya Samaj Road, Guru Nanak Road, Tank Road, Guru Ravidas Marg, (New Pusa Road), Road going upto Ramjas Road, Bankim Chandra Chatterji Marg, Road going upto Pusa Lane, Pusa Road, Gurudwara Road, Arya Samaj Road and back to Faiz Road, the uses other than residence namely retail, repair & personnel service shops, commercial offices, bank and local government office are permitted on ground floor of all plots facing roads not less than 18m R/W. These uses with similar conditions shall also be permitted on other side of Desh Bandhu Gupta Road upto one plot depth. The Public & Semi-Public uses and services like hospitals, dispensaries, colleges, schols, police station, fire stations, post offices, local government offices, religious places etc. shall be retained in their present locations. Any change or additions thereof shall be in accordance with the overall policy prescribed in the Plan.

(ii) In the area bounded by Desh Bandhu Gupta Road, Gurudwara Road, Tank Road and Saraswati Marg, the aforesaid uses are permitted on all plots provided adequate space is left for street widening as and when required in accordance with the detailed urban design project to be prepared for the area. The clause for Public & Semi-Public uses and services as prescribed for the Walled City shall apply to this area also.

2. Control for building/buildings within use premises :

Ground Coverage : 80%

Floor Area Ratio : 200

Maximum Height : 11 mts.

Setbacks : Nil

Other Controls :

The open court in each premises shall be so planned as to be adjacent to the open court in the premises at the back or on sides.

(c) Specific Use Zone Areas : The development in areas marked as specific use zone shall be governed by respective use zone regulations in the manner as is prestribed in the relevant clauses for Sub-Division and Building Control Regulations.

(d) Urban Renewal Areas (Conservative Surgery):

The areas within the special areas, excluding the first three categories namely, (a) Walled City, (b) Karol Bagh and (c) Specific Use Zone Areas, are covered as urban renewal areas. The development in these areas shall be in accordance with the respective comprehensive redevelopment schemes to be prepared within the overall policy frame of the plan. These comprehensive redevelopment schemes may also include conservative surgery as a planning tool in certain areas where it is so required. In the special area plan, the areas have been marked in different pockets of the area covered under urban renewal. These pockets shall be [illegible] the respective use zones assigned. The [illegible] mes for different use zones generally [illegible] prescribed in the Development Code. [illegible] lity may adopt suitable regulations [illegible] it is not feasible, or it is not advisable to adopt the regulations prescribed.

(3) After Chapter II, the following "Plan Monitoring and Review" be added as Chapter III :

Plan Monitoring and Indicators of Change :

Plan monitoring has two main objectives :

(i) The socio-economic and functional efficiency of the performance of human settlements has to be monitored and evaluated so that changes required to improve the quality of life could be identified and put into action though the appropriate measures.

(ii) The Plan should be continuously made responsive to the emerging socio-economic forces.

To achieve this object there should be monitoring system in the plan implementation framework. There is reasonable possibility of arresting the unintended developments taking place in the city through effective monitoring. This is based on the following proposition :

(i) No long range urban development plan can be implemented as it is.

(ii) The Plan should be responsive to the happenings and emerging socio-economic and other forces during the plan implementation period.

(iii) Time lags between the happenings and the emerging socio-economic forces and the plan responses create accentuating conditions of unintended growth.

(iv) The responsive plan to check the unintended growth needs a scientific monitoring frame.

Monitoring frame is required for : (i) to evaluate the achievement of physical targets prescribed in the plan and (ii) identification of physical and socio-economic change in the city to review the plan policies.

There could be a very large number of aspects in case of physical targets to judge the performance of various sectors. For systematic and precise working, physical targets for some selected aspects have been given in the following table. The physical targets be monitored yearly, 5 yearly or in the midterm (1992) as indicated against each.

...ation for physical development :

	Unit			
I. POPULATION	ha		27,000	
II. LAND DEVELOPMENT				
(a) Residential	ha	1,700	12,000	
(b) Industrial	ha	230	1,600	1 Year
III. NEW HOUSING				
(a) Site & Services	No. of sites	1.75 lakh	4.0 lakh	1 Year
(b) Partially /Fully built Agency Housing	Dwelling Unit (du)			1 Year
(c) Partially/Fully built Co-operative Housing	du	269,000	697,000	1 Year
(d) Slum Housing	du	21,000	49,000	1 Year
(e) Employer Housing	du	28,000	65,000	1 Year
(f) Housing on Individual Plots	du	120,000	275,000	1 Year
(g) Unauthorised in-fill	du	56,000	130,000	
IV. COMMUNITY FACILITIES				
(1) General Hospital	nos	7	21	5 Years
(2) Intermediate Hospital-A	nos	45	97	1 Year
(3) Intermediate Hospital-B	nos	35	79	1 Year
(4) Polyclinics	nos	20	45	1 Year
(5) Maternity & Child Welfare Centres	nos	45	112	1 Year
(6) Nursing Homes	nos	30	74	1 Year
(7) Dispensaries	nos	240	450	1 Year
(8) Primary Schools	nos	330	1060	1 Year
(9) Senior Secondary Schools	nos	226	725	1 Year
(10) Integrated Schools	nos	45	143	1 Year
(11) Colleges	nos	28	60	1 Year
(12) University Campus	nos	2	3	10 Years
(13) Engineering Colleges	nos		1	10 Years
(14) Medical College	nos	1	2	10 Years
(15) University	nos		1	10 Years
(16) Police Station	nos	32	79	1 Year
(17) Police Post	nos	60	135	1 Year
(18) Work-shop for police vehicles	nos	1	2	5 years
(19) Civil Defence Divisional Office	nos	24	75	1 Year
(20) Major Police Battalion	nos	2	4	5 Years
(21) Home Guards Zonal Office	nos	5	9	5 Years
(22) Home Guards District Office	nos	4	9	5 Years
(23) Fire Station/Sub-Fire Station	nos	20	39	1 Year
(24) Milk Dairies	nos	1	2	10 Years
(25) Milk Booth	nos	470	1130	1 Year
(26) Petroleum & Gas Filling Stations		1	2	10 Years
(27) Gas Godowns	nos	75	149	1 Year
(28) Telephone Exchange	nos	10	15	5 Years
(29) Head Post Office + Delivery Office	nos	20	26	1 Year
(30) Head Post Office Administrative Office	nos	6	11	5 Years
(31) Department Telegraph Office	nos	6	14	5 Years
(32) Work-shop for P & T	nos	1	2	10 Years
(33) P & T Equipment Store	nos	1	1	10 Years
(34) Institute of National Importance for Research and Advance Studies	nos	1	3	10 Years
(35) Socio-Cultural Institutions	nos	3	10	10 Years
V. CONSERVATION AND UPGRADING				
(1) Walled City :				
(a) Tramways	Line Length (Km) Rolling Stock in Passenger Capacity	4	8	5 Years

1	2	3	4	5
(b) Shifting of Hazardous Industries	nos			
(c) Goods Terminal	nos	400	700	1 Year
(d) D.T.C. Bus Terminal	nos	2	2	5 Years
(e) Underground Parking	nos	2	4	5 Years
(f) Redevelopment of residential Katras	no. of Kattas no. of families	3 500	9 1000	5 Years 1 Year
(g) Improvement of physical and social infrastructure in areas	no. of families	6,000	20,000	1 Year
(h) Restoration & Conservation of City Wall	m.	18,000	60,000	1 Year
Conversation & Restoration of Walled City Gates	nos		4.16 km. (R) 5.20 km. (C)	1 Year
(2) Urban renewal with conservative surgery for areas other than the Walled City in special area			7(R) 4 (C)	1 Year
(3) Physical infrastructure in the resettlement of Colonies	no. of families	352 ha. (60,000)	528 ha.	1 Year
(4) Physical infrastructure in the Unauthorised regularised colonies			200,000	1 Year
(5) Physical infrastructure in the Urban Villages	no of families no. of villages	60,000 80	200,000 120	1 Year 1 Year
VI. PUBLIC UTILITIES				
(a) Augmentation of water treatment plants	mgd			
(b) Construction of new water treatment plants	mgd	371	421	1 Year
(c) Augmentation of Sewerage treatment plants	mgd	200	300	10 Years
(d) Construction of new sewerage treatment plants	mgd	454	494	1 Year
(e) Augmentation of power distribution system	mw	80	250	10 Years
(f) Development of sanitary land fill sites	ha	550	1850	1 Year
(g) Construction of repair workshop site for S.T. Waste vehicles		200	200	5 Years
(h) Channelisation of River Yamuna Development of Area thereof	nos	3	3	5 Years
(i) Re-modelling of existing drains for flood protection measures	ha	500	3,000	5 Years
VII. TRANSPORT	Addl. Cusecs			5 Years
(a) Light Rail	Rail length (km) Rolling Stock (in passenger capacity)			
(b) Construction of cycle tracks	km	87	257	5 Years
(c) Construction of Bus Terminal	nos	10	120	1 Year
(d) Construction of Railway Terminals	nos	5	26	5 Years
(e) Construction of Inter-state Bus Terminus	nos	2	9	5 Years
(f) Construction of Fly-overs/underbridges	nos	15	45	5 Years
(g) Rolling stocks on Roads i.e. D.T.C. buses	nos			5 Years
(h) Employment Centres along the Ring Railway	nos			5 Years
VIII. RECREATION				
(a) Regional Sport Centres	nos			
(b) District Sport Centres	nos			
(c) Neighbourhood Parks	ha			
(d) Recreational Areas	ha			
(e) Special Children Parks	nos		720	1 Year
(f) Zoo Parks	nos		11	5 Years
(g) Development of Lakes	nos		10	5 Years
(h) Conservation of Monuments	ha	1	2	5 Years
(i) River Front Development			1	6 Years
(j) Conservation of Ridge	ha			5 Years
IX. GOVERNMENT OFFICES				1 Year
(a) Government Offices Complex	ha	24	84	5 Years

2	3	4	5	6
X. INDUSTRY				
(a) Extensive Industrial Area	ha	400	400	1 Year
(b) Light Industrial Area	no. of Units Indl. Estate	16	35	1 Year
(c) Specific Industries				
(i) Electricals & Electronics	no. of UIE's	2	4	1 Year
(ii) Rubber, Plastic and Petroleum Products	no. of UIE's	2	4	1 Year
(iii) Metal and metal products (machines, tools, transport equipment and parts)	no. of UIE's	4	12	1 Year
(iv) Furniture, Fixtures, other wood and paper products	no. of UIE's	2	5	1 Year
(v) Cotton & Fibre Textile products	no. of UIE's	2	4	1 Year
(vi) Food and Bewerages	no. of UIE's	—	1	1 Year
(vii) Chemical and Chemical products	no. of UIE's	—	1	1 Year
(viii) Miscellaneous Products	no. of UIE's	2	4	1 Year
XI. TRADE & COMMERCE				
(a) Sub CBD's	nos	1	2	5 Years
(b) District Centres	nos	8	20	5 Years
(c) Community Centres	nos	59	103	1 Year
(d) Local Shopping Centres	nos	258	537	1 Year
(e) Convenience Shopping Centres	nos	677	1616	1 Year
(f) Metropolitan Centre	nos	1	4	10 Years
(g) Wholesale & Freight Complex	nos	3	6	5 Years
(h) Regional & local Wholesale Market	nos	3	6	5 Years
XII. ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT OF VILLAGES AND DEVELOPMENT OF CENTRAL VILLAGES				
(a) Environment improvement of Villages	nos	60	120	1 Year
(b) Development of Central Villages	nos	5	11	5 Years
XIII. CITY PERSONALITY—SPECIAL PROJECTS				
(a) Retail Shopping Complex	nos	1	1	10 Years
(b) Modern Wholesale Shopping Complex	nos	1	3	5 Years
(c) Convention Centre	nos	1	1	10 Years
(d) International Centre for Higher Learning	nos	1	1	10 Years
(e) City and Regional Level Modern Recreational Area	nos	1	5	5 Years
(f) Centre for International Sports	nos	1	2	10 Years

The following would be the indicators of physical and other changes to be monitored, periodically at 5 years interval.

(1) Demographic

(a) Population size—urban & rural

Population distribution in relation to holding capacity.

(b) Age Sex structure

(c) Density Pattern

(d) Household size

(e) Rate of Migration

(f) Identification of areas causing migration.

(2) Land Use

Wing-shield survey and Land use survey analysis.

(3) Housing

Households in different types of housing—squatters, unauthorised, resettlement, general group housing, employer housing, slum rehousing, individual plotted housing, villages and traditional areas.

With socio-economic characteristics of Slum and Squatter settlements.

Person per room, and rooms per household.

Households with essential services.

(4) Transport

Percentage of [illegible] Mode

Cost of using and [illegible] different modes

Passenger capacity and distance travelled by public transport per year in relation to population.

(5) Environmental Nuisances.

(a) Air pollution

(b) Water pollution

(c) Noise

(6) Economic aspects

Distribution of households by income

Distribution of households by consumption expenditure

Employment

Participation rate

Employment in different sectors

Average number of employees per industrial unit.

Industry

Growth of different types of industrial units.

Construction

Value added by construction sector to G.N.P.

Building materials availability

By type—Residential, commercial and public buildings.

Land Tenure & Costs

Land values, prices, rents, taxes.

Land cost as per cent of total housing cost.

(7) Social infrastructure

Health

Mortality rate and infant mortality rate.

Access of population to safe drinking water

Health services availability in beds 1,000 population

Geographical balance

Access to regular sewerage

Access to low cost sanitation Removal of solid waste per capita.

Education :

Number and capacity of educational institutions at different levels.

Police & Fire :

Distribution of police and fire services.

(8) Socio-cultural facilities.

Number and capacity of various facilities :

(i) Stadium

(ii) Swimming pools

(iii) Theatres

(iv) Museum

(v) Libraries

(8) Natural disasters.

Floods intensity, areas affected, population.

Any other natural disaster.

Monitoring Unit :

Major part of data for physical targets and indicators could be collected from the secondary sources. A monitoring unit should be created which would be responsible for collection of primary and secondary data, its analysis and bringing the important changes to the notice of the authority comprehensively once in a year. Standard formats shall have to be worked out by this unit for the purpose of meaningful comparison and to monitor change.

Plan Review :

The plan monitoring would provide sufficient material for any modifications required in the plan.

Any other aspects because of emerging socio-economics and physical forces could be taken up for study, to review the plan proposals. A comprehensive review encompassing all aspects should be taken up during 1992.

Policies indicate directions; it is the detailed development projects which ultimately create environment—good or bad. During the Plan implementation, all aspects of development i.e. housing transport, work centres, recreation, infrastructure, etc. need study and research to make the plan effective in providing high quality living environment. DDA should be constantly doing these studies, research and monitoring work to make planning a firm instrument for the development of this 'Great city'.

(4) The following be added after Chapter III as "Explanatory Notes"

In the preceding chapters :—

(i) All data unless otherwise mentioned relates to the year 1981 which has been taken as the base year for the Master Plan for Delhi (as proposed to be modified).

(ii) The expressions 'present' and existing with its grammatical variations unless the context requires a different or another meaning shall connote 1981.

(iii) DUA 81 unless the context requires a different or another meaning includes the area within the urbanisable limits prescribed in the Master Plan for Delhi in 1962. For purposes of computing holding capacity, the Patpar Ganj Complex in East Delhi, Sultan Puri in West Delhi and part of Rohini have also been included.

(iv) Urban Extension (UE) is the area required outside the urbanisable limits of the Master Plan for Delhi to accommodate additional 40 lakh population by the year 2001.

Schedule I to Development Code :

Definition of Use Premises

001. Residential Plot—Plotted Housing :

A premises for one or more than one dwelling unit and may have on it one main building block and one block for garage/garages and servant quarters.

002. Residential Plot—Group Housing :

A premises of size not less than 2000 sqm. comprised of residential flats with basic amenities like parking, park, convenience shops, public utility etc.

003 Residential Flat :

Residential accommodation for one family (one household) which may occur as part of group housing or independently.

004 Residence-cum-Work Plot :

A premises providing accommodation for one family (one household) and its workspace restricted to ground floor. These premises are allowed only in public housing schemes.

005. Residential Premises—Special Area :

A premises providing residential accommodation in special area with or without mixed use as given in special area regulations.

006 Foreign Mission :

A premises for the offices and other uses of a foreign mission as per the regulations in this regard.

007 Hostel :

A premises in which rooms, attached to 'Institutions' or otherwise, are let out on a long term basis.

008 Guest House, Boarding House and Lodging House :

Guest house is a premises for housing the staff of Govt., Semi-Govt., Public Undertaking and Private Limited Company for short durations.

Boarding house is a premises in which rooms are let out on a long term basis as compared to hotels.

Lodging house is a premises used for lodging of less than 50 persons.

009 Dharamshala and its Equivalent

A premises providing temporary accommodation upto one week on no profit basis.

010 Baratghar :

A premises used for marriage & other social functions and run by public agency

011 Night Shelter :

A premises providing night accommodation to individuals without any charges or with token charges. It may be run by Local Government or voluntary agencies.

012 Retail Shop :

A premises for sale of commodities directly to consumer.

013 Repair Shop :

A premises equivalent of a retail shop for carrying out repair of household goods, electronic gadgets, automobiles, cycles etc.

014 Personnel Service Shop :

A premises equivalent of a retail shop providing personnel services like tailor, barber etc.

015 Vending Booth :

A premises in the forms of booth for sale of commodities of daily needs either through a mechanical installation or otherwise.

016 Convenience Shopping Centre :

A group of shops not exceeding 50 in number in residential area serving a population of about 5,000 persons.

017 Local Shopping Centre :

A group of shops not exceeding 75 in number in residential area serving a population of 15,000 persons.

018 Weekly Market :

A premises used once in a week by a group of informal shop-establishments in the form of a market. These weekly markets shift from one area to another on different days of the week.

019 Wholesale Trade :

A premises from where goods and commodities are sold and delivered to retailers. The premises includes storage & godown and loading & unloading facilities.

020 Storage, Godown and Warehousing :

A premises for exclusive use of storage of goods and commodities in a manner as per the requirements of respective commodities. The premises includes the related loading and unloading facilities by Road Transport or Rail Transport as th case may be.

021 Cold Storage :

A premises where perishable commodities are stored in covered space using mechanical and electrical device to maintain the required temperature etc.

022 Gas Godown :

A premises where cylinders of cooking gas or other gas are stored.

023 Oil Depot :

A premises for storage of petroleum products with all related facilities.

024 Junk Yard :

A premises for covered, semicovered or open storage including sale and purchase of waste goods, commodities and materials.

025 Commercial Office :

A premises used for offices of profit making organisations.

026 Bank :

A premises for offices to perform banking function and operation.

027 Motor Garage and Workshop :

A premises for servicing and repair of automobiles.

028 Cinema :

A premises with facilities for projection of movies and stills with a covered space to seat audience.

029 Drive-in-Cinema :

A cinema with facilities for projection of movies and stills for car audience including an auditorium for other audience.

030 Petrol Pump :

A premises for sale of petroleum products to consumers. It may include servicing of automobiles.

031 Restaurant :

A premises used for serving food items on commercial basis including cooking facilities. It may have covered or open space or both for sitting arrangement.

032 Hotel :

A premises used for lodging of 15 persons or more on payment with or without meals.

033 Motel :

A premises located near main highways and outside urbanisable limits for catering to the convenience of persons travelling by road.

034 Flatted Group Industry :

A premises having a group of small industrial units as given in annexure III having upto 50 workers with non-hazardous performance. These units may be located in multistoreyed buildings.

035 Service Centre :

A premises essentially having repair shops for automobiles, electrical appliances, building repairs etc. to provide essential services to neighbouring residential areas.

036 Industrial Plot—Light Industry :

A premises for one industrial unit as per the list given in annexure III having upto 50 workers with non-hazardous performance.

037 Industrial Plot—Extensive Industry :

A premises for one industrial unit, as per the list given in the annexure III having upto 50 workers in case of New Extensive Industrial units and 500 workers for existing units.

038 Industrial Premises—Extractive Industry :

A premises for carrying out quarrying or extraction of stone & subsoil material respectively.

039 Industrial Plot—Industry Specific Type :

A premises for an industrial unit within a group of such units for manufacturing of sophisticated products like electronic goods etc.

040 Park :

A premises used for recreational and leisure activities. It may have on it related landscaping, parking facilities, public toilet, fencing etc. It will include synonymous like lawn, open space, green etc.

041 Play Ground :

A premises used for outdoor games. It may have on it landscaping, parking facilities, public toilet, etc.

042 Outdoor Games Stadium :

A premises for outdoor games with pavilion building and stadium structure to seat spectators including related facilities for players.

043 Indoor Games Stadium :

A premises for indoor stadium with play area and spectators seating including related facilities for players.

044 Indoor Games Hall :

A premises providing enclosed space for indoor games including related facilities for players.

045 Shooting Range :

A premises with related facilities for shooting practice and/or sports.

046 Swimming Pool :

A premises with facilities for swimming and spectators seating, which shall vary with size, standard and purpose.

047 Recreational Club :

A premises used for gathering of a group of persons for social and recreational purposes with all related facilities.

048 Historical Monuments :

A premises having structures or ruins thereof, belonging to an age gone past.

049 National Memorial :

A premises having the tomb, samadhi or memorial dedicated to an important personality, including all related facilities for visitors.

050 Zoological Garden Acquarium :

A premises in the form of a garden or park or acquarium with a collection of animals, species and birds for exhibition and study. It shall include all related facilities.

051 Bird Sanctuary :

A premises in the form of a large park or forest for preservation and breeding of birds with all related facilities.

052 Bothnical Garden :

A premises in the form of a garden with plantation for research and exhibition.

053 Specialised Park/Ground :

A premises having a park or ground for a designated use like public meeting grounds, fun park, wonder land etc.

054 Planetarium :

A premises with necessary facilities and equipments for studying planets.

055 Picnic Hut/Camping Site :

A premises for short duration stay, for recreational or leisure purpose, of a family, located within a tourist and/or recreational centre.

056 Flying Club :

A premises used for training and fun rides on gliders and other small aircrafts. It may include other activities like recreational club and indoor games.

057 Cargo and Booking Office :

A premises used for booking offices and storage of goods by an airline.

058 Railway Freight Godown :

A premises for storage of goods transported by the railways.

059 Railway Booking Office :

A premises used for the offices of railways for purpose of booking for passangers travel.

060 Road Transport Booking Office :

A premises used for the offices of a road transport agency. It may or may not include godown.

061 Parking :

A premises used for parking of vehicles. The public parking lots may be run on commercial or non-commercial basis.

062 Taxi & Three Wheeler Stand :

A premises to be used for parking of intermediate public transort vehicles run on commercial basis. The parking lots may be run on commercial or non-commercial basis.

063 Bus Terminal :

A premises used by public transport agency to park the buses for short duration to serve the population. It may include the related facilities for passengers.

064 Bus Depot :

A premises used by a public transport agency or any other such agency for parking, maintenance and repair of buses. This may or may not include a workshop.

065 Public Utility Premises :

(i) Overhead Tank

A premises having a overhead tank for storage and supply of water to its neighbouring areas. It may or may not include a pump house.

(ii) Underground Tank.

A premises having an underground tank for storage and supply of water to its neighbouring areas. It may or may not include a pump house.

(iii) Oxidation Pond :

A premises having a tank used for the oxidation process for sewerage and other waste.

(iv) Septic Tank :

A premises having an underground tank for collection of sewerage and its consequent disposal.

(v) Sewerage Pumping Station

A premises with a pumping station used for pumping sewerage on to a higher gradient.

(vi) Public Toilet & Urinal

A premises having latrine and urinals for use of public. It may or may not include drinking water facility.

(vii) Electric Sub-Station

A premises having electrical installation & transformer for distribution of power.

(viii) Dhalao and Dustbin

A premises used for collection of garbage for its conversion/transportation to sanitary land-fill.

(ix) Dhobi Ghat

A premises used for cleaning and drying of clothes/linen by washerman.

066 Central Government Office :

A premises used for the offices of Union Government.

067 Local Government Office :

A premises used for offices of local Government and Local Bodies.

068 Public Undertaking Office :

A premises used for the offices of a company established under the Act of public enterprises bureau.

069 International Conference Centre :

A premises having all facilities for a conference, meeting symposium etc., where a number of different countries will be participating.

070 Courts :

A premises used for the offices of judiciary.

071 Government Land :

(Use undetermined).

A premises of Government land for which the use is undetermined.

072 Hospital :

A premises providing medical facilities of general or specialised nature for treatment of indoor and outdoor patients.

073 Health Centre :

A premises having facilities for treatment of indoor and outdoor patients having upto 30 beds. The health centre may be managed by a public or a charitable institution on non-commercial basis. It includes, family welfare centre.

074 Nursing Home :

A premises having medical facilities for indoor and outdoor patients having upto 30 beds. It shall be managed by a doctor or group of doctors on commercial basis.

075 Dispensary :

A premises having facilities for medical advice and provision of medicines managed by public or charitable institutions.

076 Clinic :

A premises with facilities for treatment of outdoor patients by a doctor. In case of a polyclinic, it shall be managed by a group of doctors.

077 Clinical Laboratory :

A premises with facilities for carrying out various tests for confirmation of symptoms of a disease.

078 Voluntary Health Service :

A premises having medical facilities for treatment of outdoor patients and other like blood bank etc. by a voluntary institutions. This service may also take the form of temporary camp with charitable motive.

079 Creche and Day Care Centre :

A premises having nursery facilities for infants during day time. The centre may be managed by an individual or an institution on commercial or non-commercial basis.

080 Nursery and Kindergarten School :

A premises with facilities for training and playing for children prepartory to the school.

081 Primary School :

A premises having educational and playing facilities for students upto V standard.

082 Secondary School :

A premises having educational and playing facilities for students from VI to X standard. It shall include existing cases of middle school which are upto VIII standard for the purpose of this code.

083 Senior Secondary School :

A premises having educational and playing facilities for students from VIth to XIIth standard.

084 Integrated School :

A premises having educatignal and playing facilities for students upto XIIth standard.

085 Integrated Residential School :

A premises having educational and playing facilities for students upto XIIth standard. It shall have boarding facilities for students and may have residence for faculty members.

086 College :

A premises with educational and playing facilities for students of under-graduate & post-graduate courses under a university. It includes all professional disciplines.

087 Vocational Training Institute :

A premises with training facilities for short-term courses for discipline, preparatory to the employment in certain profession and trade. It shall be run by public or charitable institution on non-commercial basis. It includes training-cum-work centre.

088 Social Welfare Centre :

A premises with facilities for welfare and promotion of community development. It shall be run by a public or charitable institution.

089 Research and Development Centre :

A premises providing facilities for research and development for any specific field.

090 Library :

A premises having a large collection of books for reading and reference for general public or specific [illegible]

091 Technical Training Centre :

A premises with facilities for training in discipline of technical nature. It includes technical schools, industrial training institute etc.

092 Commercial and Secretarial Training Centre :

A premises having training facilities for stenography, correspondence, record keeping etc.

093 Music, Dance and Drama Training Centre :

A premises having facilities for imparting training and coaching for music, dance and dramatics.

094 Sports Training Centre :

A premises having facilities for training and coaching for different indoor & outdoor games including swimming. It shall also include centres for physical education.

095 Motor Driving Training Centre :

A premises having facilities for training of driving automobiles.

096 Children Traffic Park :

A premises in the form of a park with facilities for introducing and educating children about traffic and signaling.

097 Museum :

A premises with facilities for storage & exhibition of subjects illustrating antiques, natural history, art etc.

098 Exhibition Centre and Art Gallery :

A premises with facilities for exhibition and display of painting, photographs, sculptures, murals, ceramics, handicrafts or products of a specific class.

099 Auditorium :

A premises having an enclosed space to seat audience and stage for various performances like concerts, play, music recitals, functions etc.

100 Open AIR Theatre :

A premises having facilities for audience seating and a stage for performance and open to sky.

101 Community Hall :

A premises having an enclosed space for various social and cultural activities of neighbourhood of 15,000 population.

102 Fair Ground :

A premises having facilities for exhibition and display and other cultural activities for a group of participants.

103 Cultural and Information Centre :

A premises with facilities for cultural and information services for an institution, state and country.

104 Social and Cultural Institute :

A premises with facilities for activities of socio-cultural nature run by a public, voluntarily or individual on primarily non-commercial basis.

105 Reformatory :

A premises with facilities for confinement and reform of offenders.

106 Orphanage :

A premises with facilities for boarding of children who are bereaved of parents. It may or may not have educational facilities.

107 Religious :

A premises dedicated to accommodation and service of code or other objects of religious nature. It may have different nomenclature in different religion like temple (all faiths). mosque, church, gurudwara, synagogue, ashram bathing ghat; gaushala;

108 Yoga Meditation, Spiritual and Religious Discourse Centre :

A premises having facilities for self attainment, achieving higher quality of mind and body, spiritual and religious discourse etc.

109 Police Post :

A premises having facilities for a local police post of a temporary nature or on smaller scale as compared to a police station.

110 Police Station :

A premises having facilities for the offices of local police

111 District Police Office :

A premises having facilities for the offices of para-military forces.

112 Civil Defence and Home Guard :

A premises having facilities for offices and other functions of civilian organisation for internal defence.

113 Forensic Science Laboratory :

A premises containing facilities for application of medical knowledge to legal problems.

114 Jail :

A premises with facilities for detension, confinement and reform of criminals under the law.

115 Fire Post:

A premises with lesser degree of facilities for fire fighting. The port may be attached to a specific premises with fire prone activities.

116 Fire Station :

A premises with facilities for fire fighting for a catchment area assigned to it. It may include residence of essential staff.

117 Post Office :

A premises with facilities for postal communication for use by the public.

118 Post and Telegraph Office :

A premises with facilities for postal and tele-communication for use by the public.

119 General and Head Post Office :

A premises with facilities for postal and tele-communication mail to and from a number of post offices attached to it.

120 Telephone Exchange :

A premises having facilities for central operation of telephone system for a designated area.

121 Radio and Television Station :

A premises with facilities for recording, broadcast and transmission of news and other programmes through the respective medium. It may include some hostel accommodation for guest artist, transmission facilities like towers.

122 Transmission Tower and Wireless Station :

A premises used for installation of a tower for communication purposes.

123 Satellite and Tele-Communication Centre :

A premises with facilities for research and development of satellite and tele-communication technology.

124 Observatory and Weather Office :

A premises with facilities for research and development of data relating to weather and forcasting thereof.

125 Burial Ground :

A premises with facilities for burying of dead bodies.

126 Cremation Ground :

A premises with facilities of performing last rites of dead bodies by burning.

127 Cemetery :

A premises with facilities for burying of dead christians community.

128 Electric Crematorium :

A premises with facilities for disposing of the dead by an electric burner.

129 Orchard :

A premises with a thick growth of fruit trees. It may also include garden with fruit trees.

130 Plant Nursery :

A premises with facilities for rear and sale of young plants.

131 Forest :

A premises with thick natural flora. In case of Union Territory of Delhi, it shall include city forest which may have part natural flora and part man made flora.

132 Dairy Farm :

A premises with facilities for rearing and processing of dairy products. It may have temporary structure for sheds of animals and birds.

133 Poultry Farm :

A premises with facilities for rearing and processing of dairy products. It may have temporary structure for sheds of chickens.

134 Piggery :

A premises with facilities for rearing and processing of dairy products. It may have temporary structure for shed of pigs.

(3) Farm House :

A premises having residential house in an agriculture farm in the Union Territory of Delhi, the area of the farm shall not exceed 500 sqm.

(4) Rural Centre :

A premises having facilities for different functions for a certain numbers of villages it caters to.

2. For the existing "Appendices" be deleted and the following annexures be added in their stead :—

ANNEXURE I

FACILITY CENTRES AND SERVICE CENTRES

(A) FACILITY CENTRES

Details of Facilities	No. of Facility Centre	Area (Hectare)
1	2	3
PLANNING DIVISION 'B'		
Socio Cultural Institutions, Intermediate Hospital 'A', Head Post Office & Administration Office, Head Post Office and Delivery Office	F 1	10.50
PLANNING DIVISION 'C'		
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Nursing Home, Head Post Office, Department of Telegraph Office	F 2	5.00
General College, Intermediate Hospital 'B', Police Station, Head Post Office	F 3	7.50
Intermediate Hospital 'A', Nursing Home.	F 4	7.00
Socio-Cultural Facilities	F 5	9.00
Intermediate Hospital 'A', Nursing Home, Fire Station	F 6	9.50
	F 7	4.50
PLANNING DIVISION 'E'		
College, Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', General Hospital, Nursing Home (2 nos.) Telegraph Office, Police Station, Head Post Office	F 8	16.00
ITI	F 9	2.20
Intermediate Hospital 'A' (2), Intermediate Hospital 'B' (2), Technical School B, Nursing Home (2 nos.), Fire Station, Head Post Office	F 10	13.50
Intermediate Hospital 'A' (2 nos) Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Fire Station, Head Post Office, Nursing Home (2 nos), Police Station, College	F 11	14.50
College, Technical Education Centre 'A', Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Nursing Home (2 nos), Fire Station, Police Station, Telegraph Office, Head Post Office	F 12	16.00
University Campus, Telephone Exchange, Nursing Home (2 nos), Police Station, Fire Station, Socio- Cultural.	F 13	23.55
Intermediate Hospital 'B' (2 nos).	F 14	2.10
Intermediate Hospital 'A', Nursing Home	F 15	3.00
College, Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'A' (2 nos), Nursing Home (2 nos), Police Station, Fire Station	F 16	11.50
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Police Station, Fire Station, Nursing Home (2 nos.)	F 17	6.75
College, General Hospital, Intermediate Hospital 'A' (2 nos.), Intermediate Hospital 'B' (2 nos.), Police Station, Nursing Homes (3 nos.).	F 18	20.00
Intermediate Hospital 'A' (2 nos.) Intermediate Hospital 'B' (2 nos.), Head Post Office, Telegraph Office, College, Nursing Home	F 19	12.50
Police Station, Head Post Office	FC 20	1.60
Intermediate Hospital 'B'.	FC 21	1.00
College, Nursing Homes (2 nos).	FC 22	5.25
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B'	FC 23	3.75
College, Intermediate Hospital 'A', Nursing Homes (2 nos), Police Station	FC 24	8.50
College, General Hospital, Nursing Homes (3 nos), Police Station, Telephone Exchange, Fire Station.	FC 25	14.40
College, Intermediate Hospital 'A', Nursing Home	FC 26	7.30
PLANNING DIVISION 'F'		
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Fire Station, Department of Telegraph, Head Post Office, Nursing Home	FC 27	6.50
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Nursing Homes (2 nos.)	FC 28	4.25
ITI + Technical School + Coaching Centres, Intermediate Hospital 'A' (3 nos), Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Police Station, Fire Station, Telephone Exchange, Department of Telegraph, Head Post Office, Nursing Home (4 nos.)	FC 29	20.00
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Nursing Homes (2 nos.)	FC 30	5.20
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Fire Station	FC 31	4.80
Intermediate Hospital 'A' (2 nos), Intermediate Hospital 'B', Police Station, Head Post Office	FC 32	18.70
Socio-Cultural, Intermediate Hospital 'A' (2 nos.), Intermediate Hospital 'B' Head Post Office. Nursing Homes (3 nos.), Fire Station	FC 33	12.00
PLANNING DIVISION 'C'		
General Hospital, Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Nursing Home, Police Station, Fire Station, Head Post Office	F 34	11.6

1	2	3
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Police Station, Nursing Homes (3 nos.)	F 35	6.00
Intermediate Hospital 'A', Nursing Homes (4 nos.)	F 36	4.00
Intermediate Hospital 'A', Nursing Homes (3 nos.)	F 37	4.00
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Police Station	F 38	5.00
Police Station, Forensic Science Laboratory, Head Post Office	F 39	2.40
College, ITI+Polytechnic, Fire Station	F 40	9.00
Socio-Cultural, College, Telephone Exchange; Department of Telegraph, Police Station, General Hospital, Fire Station	F 41	18.50
College, ITI— Technical School, General Hospital, Intermediate Hospital 'B', Nursing Homes (2 nos).	F 42	15.50
Police Station, Fire Station, University Campus, Intermediate Hospital 'B', (2 nos.) Department of Telegraph, Head Post Office	F 43	13.20
College, Intermediate Hospital 'B', Nursing Homes (2 nos.)	F 44	6.00
College, Police Station, Fire Stations, Nursing Homes (2 nos.)	F 45	6.65
College	F 46	4.00
Police Station, Fire Station, Nursing Homes (3 nos).	F 47	3.20
PLANNING DIVISION 'H'+Rohini College, Police Station	FC 48	5.75
Socio-Cultural Facilities	FC 49	10.00
General Hospital, Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B' (2 nos.) Nursing Homes (3 nos), Police Station, Telephone Exchange, Department of Telegraph, Head Post Office, College	FC 50	20.00
College, Police Station	F 51	15.04
General Hospital, College, Police Station, Fire Station, Intermediate Hospital 'A' (2 nos.), Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Telephone Exchange, Department of Telegraph, Head Post Office, Nursing Homes (5 nos.)	F 52	22.35
Polytechnic, Police Station, Intermediate Hospital 'A', Nursing Home, Head Post Office	F 53	18.50
ITI, Hospital, College, Police Station, Fire Station, Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B', Technical Education Centre, Head Post Office, Nursing Homes (4 nos).	FC 54	5.542
General Hospital, College, Police Station, Fire Station, Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Nursing Homes (4 nos)	FC 55	16.68
College, Police Station, Fire Station, Intermediate Hospital 'A' (2 nos), Intermediate Hospital 'B' (3 nos), Telephone Exchange, Technical Education Centre, Telegraph Office, Head Post Office + Administration Office, Nursing Homes (4 nos).	FC 56	24.42
Police Station, Intermediate Hospital 'A' (2 nos.) Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Nursing Homes (4 nos), College, Telephone Exchange, Fire Station, Head Post Office	FC 57	35.00
College, Intermediate Hospital 'A' (2 nos.) Intermediate Hospital 'B', Nursing Homes (2 nos). Police Station	FC 58	12.00
College, Intermediate Hospital 'A' (2 nos) Intermediate Hospital 'B' (2 nos), Nursing Homes (5 nos), Police Station, Jail, Fire Station, Head Post Office	FC 59	37.00
Police Station, Intermediate Hospital 'A', Nursing Homes (2 nos)	FC 60	4.75
Intermediate Hospital 'A', Intermediate Hospital 'B'	FC 61	4.00

(b) SERVICE CENTRES

No. of Service Centres

	No. of LPG Godowns	Area in Hectare
DIVISION 'B' S 1	4	3.75
DIVISION 'D' S 2	4	2.20
DIVISION 'E' S 3	4	4.00
S 4	4	8.00
S 5	2	1.50
S 6	4	3.00
S 7	4	2.25
S 8	2	2.50
S 9	4	3.50
S 10	4	3.20
S 11	4	3.15
DIVISION 'F' S 12	4	1.80
DIVISION 'G' S 13	2	1.08
S 14	4	2.00
S 15	4	2.00
S 16	4	16.00
S 17	4	4.00
DIVISION 'H' S 18	6	5.50
S 91	6	5.50

ANNEXURE—IA

Recommended Tree Plantation :

(a) East Zone :

The following trees are recommended for Group Plantation in lowlying area.

1. Bamboo in clusters
2. Casurina equistifolia
3. Eucalyptus
4. Salyx.

The following trees are recommended for the purpose of Colour and Aesthetics.

1. Callistemon lenceolatus
2. Lagerstroemia-flos-reginii
3. Peltophorum ferru-genum.

The following trees are recommended in Woodland and Road Side Plantation.

1. Dalbergia sissoo
3. Ficus religiosa
3. Ficu religisa
4. Peltophorum ferrugeneum
5. Terminalia arjuna.

(b) South Zone :

The following trees are recommended in Woodland and Road Side Plantation.

1. Ailanthus excelsa
2. Alstonia scholaris
3. Anthocephalus cadamba
4. Azadirecta indica
5. Bassia latifolia
6. Cassia fistula
7. [illegible]
8. [illegible] sissoo
9. Ficus infectoria
10. [illegible] tsiela
11. [illegible] longifolia
12. [illegible] rox-burghii
13. Schleichera trijuga
14. Tamrindus indica
15. Terminalia arjuna

The following trees are recommended in Parks and Gardens.

1. Acacia auriculformis
2. Bauhinia sp.
3. Bombax malabaricum
4. Cassia sp.
5. Chorisia speciosa
6. Colvillea racemosa
7. Crataeva religiosa
8. Delonix regia
9. Erythrina indica
10. Jacranda mimossifolia
11. Largerstroemia sp.
12. Mimusoups elengii
13. Peltophorum ferrugenum
14. Plumeria alba var
15. Saraca indica
16. Tecoma argentia.

(c) West Zone :

The following trees are recommended in Woodland and Road Side Plantation.

1. Alstonia scholaris
2. Azadirecta indica
3. Butea frondosa
4. Cassia fistula
5. Dalbergia sissoo
6. Diospyros montana
7. Ficus in-fectoria glumerata
8. Pongamia glabra
9. Ptrospurmum acerifolium
10. Tam-rindus indica
11. Terminalia arjuna

The following trees are recommended in Parks and Gardens.

1. Acacia auriculiformis
2. Bauhinia var
3. Cassia fistula
4. Cretavea religiosa
5. Delonix regia
6. Erythrina indica
7. Jacranda mimos[illegible]
8. Largerstroemia-flos [illegible]
9. Mimusops elengil
10. Peltophorum ferrugenum
11. Plumeria alba var
12. Pterospirnum acerifolium
13. Saraca indica
14. Tecoma argentia
15. Schelichera Trijuga.

(d) North East Zone : As per East Zone.

(e) North West Zone : As per West Zone.

ANNEXURE II

Fixed Use in Different Residential Areas

GROUP-I Residential Area

(a) The following plotted areas developed prior to Master Plan :

1. New Rajender Nagar
2. Model Town
3. Rajouri Garden
4. Punjabi Bagh
5. Defence Colony
6. Kailash, Greater Kailash and Extension
7. Nizamuddin
8. Golf Links
9. Sunder Nagar
10. Hauz Khas, Enclave and extension
11. Jangpura West
12. Jorbagh
13. Diplomatic Enclave
14. Green Park

(b) All plotted trees general and co-operative house building plotted areas sanctioned after 1960.

(c) Any other areas not covered in Group-II and columns 3 & 4 of Group-I.

GROUP-II Residential Area

(a) Reliabilitation plotted residential areas and other plotted residential areas with commercial penetration.

1. Roop Nagar
2. Kamla Nagar
3. Shakti Nagar
4. Rajender Nagar
5. Patel Nagar
6. Gandhi Nagar
7. Krishan Nagar
8. Geeta Colony
9. Shahdara
10. Rohtas Nagar
11. Balbir Nagar
12. Rana Pratap Bagh
13. Timarpur
14. Shivaji Park
15. Moti Nagar
16. Mansarover Garden
17. Vijay Nagar
18. Ramesh Nagar
19. Kingsway Camp
20. Multan Nagar
21. Kirti Nagar
22. Tilak Nagar
23. Indrapuri
24. Kalkaji
25. Shahdara Town
26. Lajpat Nagar
27. Malviya Nagar

(b) All J.J. & Resettlement Colonies

(c) All Urban Villages

GROUP-III Residential Area

Unauthorised colonies regularised from time to time.

ANNEXURE III

Classification of Industries

A. The following manufacturing units are permitted as household industry ; in service centre as part of Local Shopping Centre, Community Centre, District Centre and Sub Central Business District; in Light & Service Industry Use Zone-M1, Flatted Group Industry; and Extensive Industry Use Zone-M2.

1. Agarbati & Similar Products
2. Assembly & repair of electrical gadgets
3. Assembly & repair of electronic goods
4. Assembly & repair of sewing machines
5. Batic works
6. Blacksmithy
7. Block making & photoenlarging
8. Biscuit, pappey, cakes and cookies making
9. Button making, fixing of button & hooks
10. Calico & Textile product
11. Cane & bamboo products
12. Clay & modelling
13. Coir & jute products
14. Cardboard boxes
15. Candles
16. Cooper & brass art wares
17. Cordage, rope & twine making
18. Carpentary
19. Contact lens
20. Canvas bags & boldalls making
21. Candies, sweets, rasmalai etc. (when not canned)
22. Cotton/silk printing (by hand)
23. Dari & carpet weaving
24. Detergent (without bhatti)
25. Embroidery
26. Framing of pictures and mirrors
27. Fountain pens/ball pens & felt pens
28. Gold and silver thread, kalabattu
29. Hosiery products
30. Hats, caps, turbans including embroidery
31. Ivory carving
32. Ink making for fountain pens
33. Jewellery items
34. Khadi & handloom
35. Lace products
36. Leather footwear
37. Leather & rexine made ups
38. Production of following items
    (i) Blanco cakes
    (ii) Brushes
    (iii) Crayons
    (iv) Kulfi & confectionery
    (v) Jam, jellies & fruit preserves
    (vi) Musical instruments (including repairs)
    (vii) Lace work and like
    (viii) Ornamental leather goods, like purses, hand bags
    (ix) Small electronic components
39. Name plate making
40. Paper stationery items and book binding
41. Pith hat, garlands of flowers & pith
42. P.V.C. products (with one moulding machine)
43. Papier machine
44. Perfumery & cosmetics
45. Photosetting
46. Photostat & cyclostyling
47. Preparation of Vadi, Papad etc.
48. Processing of condiments, spices, grain flours and dal etc
49. Pan masala
50. Repair of watches & clocks
51. Rakhee making
52. Stone engraving
53. Sports goods
54. Surgical bandage rolling and cutting

55. Stove pins, safety pins & aluminium buttons (by hand press)
56. Silver foil making
57. Saree fall making
58. Tailoring
59. Thread balls & cotton fillings
60. Toys & dolls
61. Umbrella assembly
62. Village pottery industry (without bhatti)
63. Village oil ghani
64. Velvet embroidered shoes/shawls
65. Vermicelli and macaroni
66. Wood carving & decorative wood wares
67. Wool balling & lachee making
68. Wooden/cardboard jewellery boxes (subject to no objection certificate from fire department)
69. Wool knitting (with machine)
70. Zari/Zardozi

B. The following manufacturing units are permitted in service centre as part of Local Shopping Centre, Community Centre, District Centre and Sub Central Business District; in Light & Service Industry Use Zone-M1, Flatted Group Industry and Extensive Industry Use Zone-M2

71. Aluminium furniture
72. Air conditioner's parts
73. Aluminium sheets
74. Aluminium doors/windows/fittings
75. Assembly & repair of cycles
76. Atta chakki and spices & dal grinding
77. Auto parts
78. Belts and buckles
79. Bulbs
80. Bread and backeries (restricted)
81. Cloth dying
82. Cotton ginning
83. Cotton & silk screen printing
84. Cycle chain
85. Cycle locks
86. Dal mills
87. Diamond cutting & polishing work
88. Electric fittings (switch, plug, pin etc.)
89. Electroplating minaplating, engraving
90. Electronics goods manufacturing (large scale)
91. Elastic products
92. Electric motor and parts
93. Electric press assembling
94. Engineering works
95. Grinders
96. Foundary (small job works)
97. Ice-cream
98. Ice boxes and body of the coolers
99. Iron grills and door making
100. Jute products
101. Key rings
102. Knife making
103. Marbles stone items
104. Machine tools
105. Mixers
106. Metal letter cutting
107. Motor winding works
108. Oil Industry
109. Powerlooms
110. Photographs, printing (including sign-board painting)
111. Printing press (provided not creating problem)
112. Repair of small domestic appliances and gadgets (like room heater, room coolers, hot plates etc.)
113. Rubber stamps
114. Sanitary goods
115. Screws and nails
116. Screen printing
117. Scissors making
118. Shoe-laces
119. Soap making
120. Spectacles and optical frames
121. Steel furniture
122. Steel lockers
123. Steel springs
124. Steel almirahs
125. Stamp pads
126. Surgical instruments and equipments
127. Table lamps & shades
128. Timber cutting
129. Tin box making
130. Transformer covers
131. T.V., radio, cassette recorders etc.
132. T.V./radio/transister cabinets
133. Tyre retreading
134. Typewriter parts manufacturing and assembling
135. Water meters repairing
136. Water tanks
137. Welding works
138. Wire knitting
139. Wooden furniture works

C. The following manufacturing units are permitted in Service Centre as part of Community Centre, District Centre and Sub Central Business District; in Light & Service Industry Use Zone-M1, Flatted Group Industry and Extensive Industry Use Zone-M2

140. Brass fittings
141. Castings (industrial)
142. Copper metal parts
143. Dies for plastic mouldings
144. Glass work (assembly type)
145. Hinges and hardwares
146. Locks
147. Lamps & burners
148. Milk cream separators
149. Polishing of plastic parts
150. Steel leaf spring manufacturing
151. Utensils

D. The following manufacturing units are permitted in Service Centre as part of District Centre and Sub Central Business District; in Light & Service Industry Use Zone-M1, Flatted Group Industry and Extensive Industry Use Zone-M2

152. Brief cases & bags
153. Decorative goods
154. Denting & painting of vehicles
155. Ice-factory
156. Metal containers
157. Rolling shutters

E. The following manufacturing units are permitted in Light & Service Industry Use Zone-M1, Flatted Group Industry & Extensive Industry Use Zone-M2

158. Aerated water and fruit beverages
159. Agriculture equipments repairing
160. Arms parts
161. Aluminium-wares, moulds of cakes & pastry
162. Attachee, suitcases and brief cases
163. Automobile services and repair workshop
164. Battery charging
165. Blower fans
166. Brushes and brooms
167. Brass work (pipes)

168. Builders hardwares
169. Button clips
170. Buckets
171. Confectionery candies and sweets
172. Cold storage and refrigeration
173. Cement products
174. Copper-ware and utensils
175. Cutlery
176. Conduit pipes
177. Drugs and medicines
178. Door shutters and windows
179. Electric lamp shades, dixtures
180. Electrical appliances (room heaters, lamps etc.)
181. Fabrication (like trusses and frames)
182. Flourescent light fitting (including neon-signs)
183. Fruit canning
184. Grinding works
185. Household utensils (Welding, soldering, patching and polishing)
186. Household/kitchen appliances
187. Hand tools
188. Helmets
189. Iron foundaries
190. Industrial fastners
191. Interlocking and buttoning
192. Ink making
193. Laboratory porcelain, dental porcelain wares
194. Laundry, drycleaning and dying
195. Lantern, torches and flash lights
196. Manufacturing of trunks and metal boxes
197. Metal polishing
198. Milkcream machines
199. Milk testing equipments
200. Miscellaneous machine parts
201. Nuts, bolts, pulleys, chains and gears
202. Optical instruments
203. Oil stoves, pressure lamps and accessories
204. Printing book binding, embossing and photograms etc.
205. Padlock and pressed locks
206. Precision instruments of all kinds
207. Plastic jigs, dixtures and metal embossing
208. Photography goods
209. Paper cutting machines
210. Pressure cookers
211. Rings and eyelets
212. Razor blades
213. Stationery items (including educational & school drawing instruments)
214. Steel wire products
215. Sheet metal works
216. Shoe making and repairing
217. Shoe grinders
218. Safety pins
219. Stapler pins
220. Tobacco products (cigarette end bidies)
221. Tin products
222. Tailoring materials
223. Truck and bus (body building)
224. Telephone parts
225. Thermometers
226. Upholstery springs and other springs
227. Wax polishing
228. Watch and clock parts
229. Washing soap
230. Water meters
231. Zip fastners

F. The following manufacturing units are permitted in Extensive Industry Use Zone-M-2.

232. Automobile parts & casting
233. Acids & Chemicals (small scale)
234. Agriculture appliances & implements (medium scale)
235. Aluminium products
236. Aluminium anodising
237. Ancillary industries of the slaughter house
238. Auto electroplated accessories
239. Automobile leaf springs (large scale)
240. Battery boxes
241. Batteries & accessories
242. Cattle feed
243. Ceramics & potteries
244. Centrifugal pumps & small turbines
245. Concrete & mosaic products
246. Collapsible gates, railing & grills
247. Cotton ginning (large scale)
248. Durce and carpets (large scale)
249. Disinfectants & insecticides (small scale)
250. Dyeing, bleaching, finishing processing cloth (including mercerising calendering, glazing etc.)
251. Electrical motors, transformers and generators
252. Electroplating (large scale)
253. Enamel ware
254. Expanded metals
255. Fire fighting equipments
256. Flourescent lights
257. Flour mill
258. Footwears
259. Foam piles
260. Fuel gases (including by-products)
261. Galvanises buckets
262. Glass products (small scale)
263. Grease, oil etc.
264. C.I., malleable pipe fittings
265. Hand press
266. Hume pipes (small scale)
267. Hydraulic press
268. Iron foundaries (medium scale)
269. Iron pipes
270. Iron hammers
271. Lathe machines
272. Leather upholstery and other leather goods
273. Nickle polishing
274. Paints & varnishes
275. Plastic products (large scale)
276. Plastic dye
278. Polish work
277. Paper products
279. Processing of clay & other earths
280. P.V.C. Compounds
281. Polythene bags
282. Refrigerators & airconditioners
283. Rail coupling parts
284. Rubber goods (small scale)
285. Electric Tank
286. Saw mills & wood products
287. Small machine & machine tools
288. Sprayers (hand & foot)
289. Structural steel fabrications
290. Sheet bending press
291. Speedometers
292. Steel re-rolling mills (small scale)
293. Steel casting
294. Steel wire drawings
295. Stone crusher parts
296. Scissors making
297. Spice factory

298. Surgical goods
299. Tarpaulin & tent cloth
300. Textiles mills (medium scale)
301. Toilet soap
302. Tractor parts
303. Typewriters
304. Umbrella ribs
305. Utensils
306. Vacuum flasks
307. Veneer of plywood
308. Water proof textile products
309. Wire drawing, coating and electric cables
310. Wire netting
311. Wire making
312. Wooden structural goods
313. Writing & marking ink
314. X-ray machines
315. Zinc polishing

The following conditions shall apply to respective class of industry.

Class 'A'

Nos. 1 to 70.

These industrial units are permitted in residential premises with the following conditions.

Maximum number of workers—5

Power load—upto 1 KW.

Class 'A' & 'B'

Nos. 1 to 139

These industrial units are permitted in service centre (local shopping) with the following conditions.

Maximum number of workers—5

Power load—upto 3 KW.

Class A, B & C

Nos. 1 to 151.

These industrial units are permitted in service centre (community centre) with the following conditions.

Maximum number of workers—9

Power load—upto 3 KW.

Class A, B, C & D

Nos. 1 to 157

These industrial units are permitted in service centre (district centre Sub CBD with the following conditions.

Maximum number of workers—19

Power load—upto 3 KW.

Class A, B, C, D & E

Nos. 1 to 231.

(I) These units are permitted in the light industrial areas with the following conditions.

Maximum number of workers—50 Power load-upto 30 KW.

(II) These units are permitted in Flatted Group Industrial area also with the following conditions.

Maximum number of workers—50

Power load—upto 30 KW.

The industrial units permitted under Flatted Group Industry units shall not have excessive,

(i) Vibrations

(ii) Solid and liquid waste

(iii) Movement of raw material/finished products

Class A, B, C, D, E & F

Nos. 1 to 315.

These units are permitted in Existing Industrial areas with the following conditions.

Maximum number of workers in,

Existing units—500

New units—50

ANNEXURE III-G

INDUSTRIES PERMITTED IN INDUSTRIAL AREA IN RURAL USE ZONE

1. Activated carbon
2. Barley malt and extract
3. Ber candy and guava fruit bar
4. Cattle feed
5. Citrus fruit concentrate
6. Confectionery
7. Dal milling
8. Dehydrated vegetables
9. Eucalyptus oil
10. Flour Milling
11. Fuel briquettes
12. Grading waxing and polishing of malta
13. Grape vinger and juice
14. Ground nut oil
15. Gur split
16. Gur and khandsari
17. Handmade paper
18. Ice cream
19. Lactic and oxalic acids
20. Milling pulses
21. Mustard oil and powder
22. Pasturised milk and its products
23. Pickles, Chutneys and Murabba
24. Poultry feed
25. Processed fruit and vegetables products
26. Pycolysed glucose and starch
27. Rapeseed oil
28. Red chillis oleresin
29. Rice milling
30. Sesame oil
31. Spice grinding
32. Sugarcane wax
33. Straw boards
34. Surgical bandage
35. Tamato ketchup and vegetable sauce
36. Weaning food
37. The industrial units given in his annexure under part A with serial numbers 1 to 70 shall also be permitted.

ANNEXURE III—H

INDUSTRIES PROHIBITED WITHIN UNION TERRITORY OF DELHI

(a) HAZARDOUS/NOXIOUS INDUSTRIAL UNITS

CELLULOSIC PRODUCTS	Characteristics
1. Carbon black and carbon blacks of all kinds	Fire hazard
2. Crude oil refining, processing and cracking, petroleum jelly, neptha Cracking including gas packing etc.	Inflammable fumes and noise.
3. Fuel oils, illuminating oils and other oils such as stchetic oil, shole oil, lubricants.	Fire hazard
4. Industrialalcohol	Unpleasant smell
5. Matches	Fire hazard
6. Newsprint	Unpleasant smell, contaminated wast water. fire hazard

7. Paints, enamels, colours, varnish, (other than litho varnish) varnish removers, turpentine and turpentine substitutes	Fire hazard
8. Petroleum-coke, graphite production	Fire hazard
9. Printing ink	Fire hazard
10. Rayon fibre, waste products, mayophane paper etc., cellulose nitrate, celluloid articles, scraps and solution	Fire hazard

CEMENT AND REFRACTORIES

1. Enamelling vitreous	Smoke
2. Glass furnaces (more than 3 ton capacity)	Fire hazard
3. Heavy metal forging (using steam and power hammer)	Noise, smoke, vibration
4. Mechanical stone crushing	Dust, slurry, noi
5. Portland cement	Dust
6. Refractories	Smoke

EXPLOSIVES AND AMMUNITION

1. Explosives or their ingredients such as fire-works, gunpowder, gun cotton etc.	Fire hazard
2. Industrial gelatine nitro glycerine and fulminate	Fire hazard

FERTILISERS

1. Nitrogeneous and phosphative fertilisers; except mixing of fertilisers for compounding (large scale)	Fire, noise nexious gases and dust

FRUITS

1. Abattoirs	Obnoxious smell waste water
2. Alcohol distillery, breweries and potable spirits	Noise, fire haza unpleasant smell due to orygen
3. Sewer refining	Unpleasant smell
4. Vegetable oil	fire hazard Noise, unpleasant smell

INORGANIC CHEMICAL INDUSTRIES

1. Acid-sulphuric acid, nitric acid, acetic acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, battery acid, bengeic acid, carbolic acid, chlorosulphuric acid etc.,	Fire hazard, offensive fumes and
2. Alkalies-caustic soda, caustic potash, soda-ash etc.	Fire hazard, corrosive
3. Carbon-disulphide, ultra-marine blue, chlorine-hydrogen etc.	Fire hazard dust and fumes
4. Mineral salts (which involves use of acids)	Fire hazard fumes and smoke

LEATHER AND OTHER ANIMAL PRODUCTS

1. Animal and fish oils	Fire hazard
2. Bone-grist, bone-meal, bone powder of storages of bones in open	Obnoxious smell
3. Glandular extraction	
4. Glue and gelatine from bones and flesh	Obnoxious smell
5. Leather tanning	Obnoxious smell

METALLURGICAL INDUSTRIES

1. Blast furnaces	Noise, dust smo and fire hazard
2. Roasting of ore sulphide oxides of mixtures	Noise, dust smo and fire hazard
3. Sintering, smelting	Noise, dust smo and fire hazard

ORGANIC CHEMICAL INDUSTRIES

1. Acetylides, phridines iodoform, chloroform, B-nepthol etc.	Fire hazard, smo
2. Compressed permanent liqolfied and dissolved industrial gases	Fire hazard
3. Dyes and dye-stufl intermediates	Acidic liquid effluent
4. Insecticides, pesticides, fungicides	Unpleasant smell dusty and fire hazard
5. Organic solvent, chlorinated minerals, methonol, aldehydes, methylated spirits	Fire hazard unpleasant smell
6. Phenols and related industries based on coaltar distillates	Fire hazard
7. Pilythylene, P.V.C., resine, nylon	Fire hazard
8. Synthetic detergents	
9. Synthetic rubber	Liquid effluent with unpleasant smell

PAPER AND PAPER PRODUCTS

Mfg. of paper pulp, paper board and straw boards (large scale)	

POISONS

Arsenic-sulphajanide, arsenic and its compounds, barium carbonate, barium cyanide, barium ethyle sulphate, barium acetate, cinnbar, copper sulphocyanide, ferrocyanide, hydro-cyanide, hydro-cyanic acid, potassium biojate, potassium-cyanide, prussiate of potash, pynogallic acid silver cyanide.	Contamination of feed if stored on same floor or on floors above, fire hazard

RADIOACTIVE ELEMENTS

Thorium, radium and similar isotopes and recovery of rare-earth	Radiation hazard

RUBBER INDUSTRIES

Reclamation of rubber and production of tyres, rubber solutions containing mineral nepths, rubber waste	Unpleasant smell, dust fire

TEXTILES

1. Clean rags, oily and greasy rags	Fire hazard
2. Flax yard and other fibres	Fire hazard
3. Oil sheets and water proof clothings	Fire hazard
4. Textile finishing bleaching and dying	Acidic waster water
5. Wool spining	Impure liquid waste due to washing

WOOD AND WOOD PRODUCTS

Distillation of wood, seasoning and curing	Fire hazard, obnoxious gases readily ignitable

MISCELLANEOUS

Calcium carbide, phosphorus, aluminium dust paste and powder, copper, zinc etc (electrothermal industries)	Fire hazard

3. Heavy and Large Industries
4. Agricultural implements
5. Air (large scale)
6. Air and gas compressor
7. Aircraft building
8. Automobiles and coach building
9. Bicycles (large scale)
10. Conveyors and conveying equipments
11. Cotton textile (large scale)
12. Cranes and hoists
13. Diesel engines
14. Earth moving machinery
15. Electrical steel sheets and stampings
16. Electric wires and cables (large scale)
17. Foundaries (heavy)
18. Central industrial machinery (such as hydraulic equipments, drilling equipments, boilers etc.)
19. Heavy iron and steel forging
20. Hume pipes (large scale)
21. Industrial trucks, trailers, stakers etc.
22. Lifts
23. Locomotives and wagons
24. Motor cycles and scooters
25. Optical glass
26. Other primary metal industries (e.g. cold rolled sheet, alloy sheet etc.)
27. Power driven pump and pumping equipments
28. Sewing machines (large scale)
29. Sluice gates and gearings
30. Special industrial machinery
31. Steam engines
32. Steel pipes and tubes
33. Steel chains
34. Steel works, rolling and re-rolling mills
35. Structural steel fabrication (large scale)
36. Sugar
37. Telephone equipments
38. Tractors and agricultural machinery (power driven)
39. Under frames and chasis
40. Water turbines
41. Wire ropes
42. Woollen textiles (large scale)

ANNEXURE IV

REGULATIONS FOR EXISTING RESIDENTIAL AREAS

(a) Minimum Plot Size :

The minimum size of an individual residential plot for a two storey two family dwelling should be 125 sq. yards (104.5 sqm) or in the case of low cost housing for low income groups and slum rehousing the minimum plot size should be 80 sq. yards (66.88 sqm) for two dwelling units one on each floor and about 33 sqm for single dwelling unit two storeys without barsati.

(b) Plot Coverage :

The plot coverage shall be as follows :

	Coverage on each floor
1. Upto 300 sq. yards (250.83 sqm)	60%
2. Above 300 sq. yards (250.83 sqm) and not exceeding 600 sq. yards (501.66 sqm)	50%
3. Above 600 sq. yards (501.66 sqm) and not exceeding 1200 sq. yards (1003.32 sqm)	40%
4. Above 1,200 sq. yards (1003.32 sqm)	33.1/3%

Provided that in the areas which, prior to the establishment of the Municipal Corporation of Delhi, were included within the jurisdiction of the Delhi Municipal Committee, the permissible plot coverage for plots not exceeding 200 sq. yards (167.22 sqm.) shall be as under :

(i) Not exceeding 100 sq. yards (83.61 sqm.) 75 per cent on each floor.

(ii) Above 100 sq. yards (83.61 sqm.) and not exceeding 200 sq. yards (167.72 sqm.) 66-2/3 per cent on each floor.

The area to be covered area in no case be less than the permissible covered area for the largest size plot in the lower category. For example, the area to be covered in a plot of 1028.41 sqm (1230 sq. yards) will be 40 per cent of 1003.36 sqm (1,200 sq. yards) i.e. 401.34 sqm (480 sq. yards) and not 1/3rd of 1028.44 sqm (1230 sq. yards) which is only 342.81 sqm. (410 sq. yards).

(c) Floors

In individual residential plots, normally only two storeyed buildings may be allowed plus provision of barsati floor at the top. In individual plots exceeding 200 sq. yards, a building raised on stilts may be permitted, provided the stilts floor shall be treated as one of the main floors of the building. In individual plots of 300 sq. yards (250.83 sqm.) and above with front on roads with a right of way of 80 ft. (24.38 sqm) and above full three storeyed construction with barsati on top may be allowed, where a barsati is permitted, not more than 50 per cent of the covered area on the ground floor or the floor immediately below the barsati or 1000 sq. ft. (92.9 sqm) whichever is less, should be allowed to be covered including the area covered by a stair-case leading to the barsati. The barsati may be enclosed. For the purpose of density calculation barsati floor is reckoned as a dwelling unit.

(d) Setback Lines

The following setback lines are prescribed depending upon the depth of plot for individual plots :

(i) Front Setback

Depth of plot	Min. set back required from plot line
1. Upto 60 ft (18.28 m)	10 ft (3.04 m)
2. Above 60 ft (18.28 m) and not exceeding 90 ft (27.43 m)	15 ft (4.57 m)
3. Above 90 ft (27.43 m) and not exceeding 120 ft (36.57 m)	20 ft (6.09 m)
4. Above 120 ft (36.57 m) and not exceeding 150 ft (45.72 m)	25 ft (7.61 m)
5. Above 150 ft (45.72 m) and not exceeding 200 ft (60.96m)	30 ft (9.14 m)
6. Above 200 ft (60.96 m)	40 ft (12.18 m)

(ii) Rear Set Back Line :

Besides the front set back line, set back should also be provided at the rear of the plots according to Municipal bye-law, subject to height restrictions to allow sufficient light and air circulation.

(iii) Side Set Back Line

Side set backs of at least 10 ft. (3.04 m) from plot line on each side should be left on detached plots.

In semi-detached plots side set back on one side should be at least 10.0' (3.04m) from the plot line to the building line.

For row housing, corner plots should be suitably set back from the road right of way, according to traffic requirements.

Where garages are to be provided in order to allow for easy turn of motor vehicles, the garages should be set back 15 ft (4.57 sqm) from the centre line of the service lane.

(i) The number of servants quarters in various sizes of plots will be reckoned as under :

(i) Plots upto 300 sq. yards (250.83 sqm).

(ii) Plots above 306 sq. yards (250.83 sqm) One servants' quarter per dwelling unit.

(2) Each servants quarter shall comprise one habitable room of area not more than 120 sq ft (11.14 sqm) floor area, exclusive of cooking verandah, bathroom and lavatory.

(3) For the purpose of density calculation, the number of persons—per servants' quarter will be reckoned as 2.

ANNEXURE V

(a) List of Manufacturing Units (types) to be shifted immediately from Walled City to Industrial Areas.

1. Electric cable and wire
2. Plastic, P.V.C. and rubber goods
3. Electroplating including different types of metal polishing.
4. Paint
5. Dye
6. Acid and chemicals
7. Spice grinding
8. Grease
9. Card Box (large size)
10. Battery box
11. Tobbacco processing
12. Metal box (large size)
13. Any other noxious type manufacturing & processing unit.

(b) The following trades shall be shifted to the areas specifically marked for respective trades :

1. P.V.C. wholesale market (may be shifted at Patparganj, subject to a detailed study).
2. Trade dealing with hazardous chemicals.
3. Dairies.
4. Large godowns/warehouses (to be shifted in a phased manner).
5. Fruit and vegetable market (Phool Mandi).

ANNEXURE VI

Summary of main proposals

1. Regional and Sub-regional frame :

Delhi's population is growing at a very rapid pace, creating complex problems of urban development and management; if part of this growth could be channelised into other cities the smaller ones, it could provide relief to the core city and will prove to be a source of strength to the smaller settlements. In this context, for the balanced regional development, the Ministry of Works & Housing of the Union Govt. are co-ordinating the efforts of Delhi and the adjoining States through a plan for the National Capital Region (NCR) which includes some parts of Haryana, U.P. and Rajasthan besides the Union Territory of Delhi.

At sub-regional level Delhi Metropolitan Area (DMA), including the Union Territory of Delhi, should be considered as one urban agglomeration for the purpose of planning. Thus the regional context i.e. DMA & NCR concepts and plans have become more important today than they were in 1962. In the Plan the policies for the balanced development of the NCR have been stated and the Delhi Metropolitan Area has been redefined, taking into consideration the urban settlement at the doorsteps of Delhi and the Ridge in the South which extends to Haryana.

2. Population and Employment :

At the present rate of growth Delhi's population would be 144.26 lakhs in urban areas and 5.27 lakhs in rural areas by the year 2001. Though regional development has lagged behind, considering the positive actions which would be taken in this respect, population of the Union Territory of Delhi has been projected to be 141.73 lakhs in urban areas and 6.37 lakhs in rural areas. The present employment of 11 lakh would increase to about 49 lakh by the year 2001. Land and infrastructural provision would be required to accommodate this employment. To restrict the rapid growth of population, only essential Central Government Offices which serve the Ministries of the Government of India and only the liaison offices of the Undertakings should be located in Delhi. The Quasi-Government employment needs to be judiciously distributed in the regional towns and the counter magnets which are part of the National Capital Region.

Also to contain the trend of increasing employment in industrial sector, only non-polluting industries employing not more than 50 workers should be allowed in Delhi Urban Area.

To accommodate the 122 lakh urban population by the year 2001 a two-pronged strategy has been recommended :

(i) To increase the population holding capacity of DUA-81 by about 3 million.

(ii) Extension of urbanisable limits to accommodate additional 4 million (approximate) population.

3. Shelter

Emphasis should be both on the development of new housing areas as well as on conservation, improvement and revitalisation of the existing residential areas. About 16.2 lakh new housing units are required in the next two decades, as given in the main text.

Housing cooperatives in Delhi, which are an overlapping sector between public and private, have been a reasonable success and should be further encouraged.

Earlier the plan had proposed general public housing in the form of two family development alongwith multi-family (Group Housing). Recently the two family plotted development has been permitted a third family unit on the Barsati floor. Surveys/studies have indicated that plotted development for a long time remain only single storey built and also that group housing in the overall study design has a very marginal intensive use of land. Further relating housing to (i) Affordability, (ii) Efficiency of land utilisation (Landuse intensity), (iii) Equity (Social distribution of Land), the most appropriate type of general housing would be partially built plotted housing on individual plots of 70 to 80 sqm. Part of housing could be provided in the form of three family plots developed into walk up dwelling units, varying from 150 sqm to 250 sqm and multi-family housing. Cooperatives for general housing should be given a bigger role and small cooperatives with Individual housing on plotted basis could also be introduced.

4. Conservation, revitalisation and Environmental improvement

Conservation and revitalisation is required in case of traditional areas like the walled city. This requires : (i) shifting of noxious and hazardous industries and trades and delimitation of non-residential activities, (ii) Upgrading of physical and social infrastructure, (iii) Introduction of transport modes of medium capacity and medium speed and management and regulation to traffic, (iv) Conservation and restoration of historical buildings, (v) Revitalisation of organic residential areas.

4A. Resettlement Colonies : Immediate need of resettlement colonies is provision of individual services i.e. water, sewerage and electricity. Non-Govt. organisations should supplement social action of Govt. departments and income supplementation programmes specially for women should also be undertaken. Regular sewerage may not be possible immediately in many areas because of non-availability of connecting line or financial constraints. In such cases, the low cost sanitation through two pit method on individual/collective basis should be adopted. For commercial activities in resettlement colonies, [illegible] institutional financing for this purpose is needed.

4B. Unauthorised Colonies : Unauthorised [illegible] generally the result of lack of [illegible]

of housing. The house owners of such colonies which have been considered for regularisation could be asked to form societies and come forward with plans for improvement of the target group.

4C. Urban Villages : These old settlements should be provided with basic services and amenities while preserving to the extent possible their traditional life style.

5. Industry

According to the existing regulations, a large number of existing industrial units are non-conforming located as these are in the residential and commercial use zones. Thus the overall question of conforming/non-conforming and overall compatability of industries has been studied in detail. It is now recommended that (a) industrial units which are of compatible nature may continue in the residential areas and similar type of new industrial units could also be permitted (b) Industrial units which are highly incompatible should be immediately (maximum period 5 years) shifted from the residential and commercial areas to planned estates (c) Industrial units of intermediate category which are neither compatible nor highly incompatible may continue for the present but they should be offered alternative allotments in the industrial area and position reviewed at 2 stages after 5 years and 10 years (d) No new extensive industries should be permitted in Delhi.

6. Trade & Commerce

To accommodate requirements of shopping-cum-commercial offices and other related activities like Cinemas, Hotels, and ancillary facilities, the five tier system of commercial areas ranging from CBD to convenience shopping with [illegible] has been retained. Besides the CBD (in[illegible] Civil Lines, Connaught Place and Karol Bagh two sub-[illegible] in the Trans Yamuna area and other in the [illegible] area proposed. Besides five district centres [illegible] at different stages of development, 20 new district [illegible] envisaged. All [illegible] existing urban limits [illegible]

[illegible] Trade : For [illegible] eight [illegible] four regional [illegible] different directions have been proposed. The wholesale markets have to be integrated with freight terminals, so that wholesale business could be operated more efficiently and in a better environment. To effectuate decentralisation 12 regional-cum-local wholesale markets as secondary wholesale markets are recommended to be developed in different planning divisions.

7. Transportation

Keeping in view the physical forms obtainable in the existing urban areas like, Old Delhi, New Delhi and contemporary developments, as also the projected rate of trip generation, a multi mode transportation system, consisting of ring rail, light rail and Bus transport inter-linking various parts is proposed.

New modes proposed for the intracity passenger movement is the light railway, which has a capacity upto 20,000 passengers per hour. In the existing urban area and in the urban extension about 200 km. of light rail would be required by the year 2001.

For the Central congested areas of the Walled City, reintroduction of tramways along select number of routes is recommended. However, introduction of trams in this area should be supported by a restraint on the use of private modes of transport and provision of parking at interchange points.

To provide safe environment for bicycle movement in certain corridors, fully segregated cycle tracks need to be provided by adjusting existing road sections and making use of land available by the side of Nullah.

For inter-city passenger movement, four metropolitan passenger terminals on major rail linkages have been recommended. All these Metropolitan Passenger Terminals would have one inter-state bus terminus each and would be linked with different parts of the city through light rail and bus transportation. Another bus terminus has been proposed near Dhaula Kaun.

7A. Goods Movement : For the integration of goods movement through road and rail, freight complexes consisting of wholesale markets warehousing, trucks and rail transport terminals have been recommended on four major rail road links close to the proposed Metropolitan Passenger Terminals.

7B. Metropolitan Transport Authority : To run a multimodel complex transportation system for Delhi on rational lines, Delhi needs a unified single transport authority.

8. Physical Infra structure

8A. Water Supply : Delhi would need additional water supply to the extent of 671 million gallons per day (MGD) by the year 2001. This is expected from Tehri Dam in U.P., Kishau and Lakhwar and Giri Dams in Himachal Pradesh and through exchange of water with Haryana. The supply system would require enhancement of the existing four water treatment plants and construction of a new treatment plant.

8B. Sewerage : To serve entire population with sewerage, the existing sewerage capacity of 118 MGD would be required to be augmented to 900 MGD with the availability of water. This would require enchancement of the capacity of our existing sewerage treatment plants and construction of three new sewerage treatment plants including Rithala plant which is in the process. The areas where immediate regular sewerage is not possible intermediate low cost sanitation system should be adopted as a short range provision.

8C. Power : Delhi's requirement of power by the year 2001 is estimated to be 2500 MW. For additional requirement it would have to bank upon the northern power grid. To meet the targetted demand of 2500 MW by the year 2001, the power distribution network would be required to be taken over to 400 KV grid from existing 220 KV grid.

8D. Solid Waste Management : Solid waste generated in different parts of Delhi would increase from 2300 tons per day in 1981 to 6735 tons per day in 2001. Considering the nature of solid waste and the economy of its disposal major part of solid waste has been proposed to be disposed in sanitary land fill. No new site for compost plant has been proposed. It is recommended that the experience of existing two compost plants with MCD and NDMC be reviewed in 1992 and if necessary policy could be modified.

9. Social Infrastructure

9A. Health : Two tier system in the form of general hospital and health centre earlier proposed did not satisfy the full requirements of health needs, thus a six-tier system has been evolved consisting of (i) general Hospital (500 beds) (ii) Intermediate Hospital category A (200 beds), (iii) Intermediate Hospital category B (80 beds), (iv) Poly-clinic with some observation beds, (v) Nursing home and child welfare and maternity centre and (vi) Dispensary.

9B. Education : Besides land reservation for normal education facilities, land would also be reserved for technical and professional education institutions and also for central and integrated schools to overcome the present shortcomings.

9C. Telecommunications : Reservations of land for telephone exchanges has been proposed so as to increase the telephones per hundred population from 3.37 in 1981 to 10 in the year 2001. Revised standards have been worked out for infrastructure (social) including postal facilities, police, milk distribution, etc.

9D. Facilities and service centres : To accommodate facilities in groups in the existing urban areas facility centres have been proposed. Similarly, to accommodate the additional need of repair and service shops, service centre concept has been evolved.

10. Environment

10A. Natural Features : Two major natural features in Delhi area, the Ridge and River Yamuna. Though part of the Ridge in Delhi has been erased, the total Ridge area since available is about 8000 Hect. This should be conserved with utmost care and should be afforested with indigenous species with minimum of artificial landscape.

River Yamuna now has a high level of pollution, which is mainly from the untreated sewerage and waste from industrial areas. Strict enforcement of water pollution Act is needed to keep the river clean. Channelisation of the river as proposed shall provide scope for a major river front development scheme and also promote amolieration of the environment.

10B. Long Spaces : Part of the areas reserved for parks within DDA-81 are recommended to be developed for intensive recreational activities such as special children parks, picnic areas, etc. Atleast 30 per cent of the district parks area should be developed as woodland for ecological stability. Due emphasis is given on the development of sports facilities for all age groups in the form of neighbourhood play area, district and divisional sports centres.

10C. Replanation : There are large number of trees in parks, which have completed their full span of life. This is specially true of the trees in New Delhi area. Replantation as a cyclic process is recommended.

10D. Urban aesthetics and conservation of city's past : Delhi has a tradition of Urban Design, which has been lost in recent past. Four-pronged policy—(i) Identification of areas of significant natural and built environment for special treatment (ii) Visual integration of various parts of the city (iii) Conservation of city's past (iv) Policy for tall buildings and major urban projects has been worked out to revive the same.

The central part of Delhi has well developed social and cultural institutions, for the city's expansion. With the increasing population additional areas for social and culture activities have been earmarked. Areas along Central Vista from Janpath to National Stadium needs to be continued to be reserved for social and cultural institutions.

10E. Water and air pollution : Water and air pollution, based on available studies, is increasing. In case of water pollution, diversion of discharge of waste water from major drains into the sewerage system to be followed by adequate waste water treatment has been recommended. Six areas have been identified to be declared 'Pollution Control Areas'.

11. Special Area

The walled city and its extension and Karol Bagh and the area in between has been earmarked as special area for the purpose of development. This area cannot be developed on the basis of normal regulations. Special regulations have been worked out for this area and incorporated into the Development Code.

12. Rural Area :

The rural area of Delhi being in the periphery of major metropolis has a special significance. The households in the rural areas of Union Territory of Delhi have higher level of education and income compared to rural areas in adjoining states. The area is also attracting migrants; 20 per cent of rural Delhi households are migrant households mainly from Haryana and U.P. The area needs to be provided with a reasonably high level of infrastructure and good road linkages with the city. Based on the population, linkages and growth rate, certain villages have been identified for the location of major health facilities, markets, schools and rural industries.

13. Modernisation and City's Personality

A city belonging to this age should have (i) efficient transportation and communication system (ii) Convention and exhibition centres (iii) shopping arcades, amusement parks and (iv) places for comfortable living for the visitors. The city should provide all these and should also reflect its traditions and heritance, its culture and its warmth to the visitors and its inhabitants.

14. Land use plan

The existing land use plan has been modified on the basis of the following : (i) Policies enunciated for different sectors (ii) Requirement of additional physical and social infrastructure, transportation and employment centres (iii) Restructuring of land uses along the ring rail (iv) Modifications in the land uses already approved (v) Restructuring in land use required based on the studies for the Perspective 2001 and considering inter relationship of urban activities and their effect on the environment and image of the city.

15. Mixed Land Use

Concept of mixed land use has been introduced in the plan by (i) Permitting shopping and household industry in compatible residential areas and (ii) Introducing intended mixed use on residential plots by allowing shop/household industry on the ground floor and residence above.

16. Zonal (Divisional) Plans

The Union Territory of Delhi is divided into 15 zones (divisions). The zonal (divisional) plans would provide further detailed policy of the plan as necessary and act as a link between the layout plan and the Master Plan.

17. Development Code

It is systematic code to decide the use activities (uses) in two levels (i) Conversion of use zone into use premises (ii) and (ii) Permission of use activities in the use premises. It also gives regulations for sub-divisions of use zone into use premises and control of buildings within use premises.

18. Plan Monitoring and Review

18A. Plan Monitoring : No long range urban development plan can be implemented unless it is responsive to the happenings and emerging socio-economic and other forces during the plan implementation period. Time lags between the happenings and emerging socio-economic forces and the plan responses creates accentuating conditions of unintended growth. The respective plan to check the unintended growth needs a scientific monitoring frame. Monitoring frame is required for (i) evaluating the achievement of physical targets prescribed in the plant and (ii) identification of physical and socio-economic changes to review the plan policies.

18B. Plan Review : The plan monitoring would provide sufficient material for any modification required in the plan. Any other aspects out of emerging socio-economic and physical forces could be taken up for study to review the plan proposals. A comprehensive review encompassing all aspects should be taken up in 1992.

18C. Constant study and Research : Policies indicate directions; detailed development projects ultimately create environment—good or bad. During the plan implementation all the aspects of development i.e. housing, transport, work centres, recreation, infrastructure, etc., need constant study and research to make the plan effective in providing high quality living environment. The DDA should constantly do the studies, research and monitoring work to make planning a firm instrument for the development of this city.

(6) The "Maps" appended to the plan substituted by drawings (Plans) with following headings : 1. National Capital Region, 2. Delhi Metropolitan Area, 3. Walled City Existing Land Use-1981, 4. Walled City Shahjahanabad—Conservation and Transport net Work, 5. Transport net Work, 6. Utilities, 7. Areas of Landscape Significance, 8. Areas of Visual Significance, 9. Archaeological Haritage, 10. Existing Land Use 1981-82, 11. Land Use Plan, 12. Special Areas and 13. Union Territory of Delhi—Zones (Divisions).

The above mentioned drawings (plans) incorporating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays within the period referred to above.

[F. 20(22)/84-MI].

M. P. JAIN, Secy.
Delhi Development Authority

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

29 JUL 1985

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 1985/वैशाख 11, 1907
No. 222] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 1985/VAISAKHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 376 (अ) :—भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), दिनांक 6 अप्रैल, 1985 में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं. का. आ. 289(अ), दिनांक 6 अप्रैल, 1985 में आंशिक संशोधन करते हुए जन-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने आपत्तियां/सुझाव दाखिल करने के लिए उसमें निर्धारित "30" दिनों की अवधि 60 दिन और बढ़ा दी है । आपत्तियां/सुझाव 4 जुलाई, 1985 तक दाखिल किए जा सकते हैं ।

एम. पी. बंसल, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 1st May, 1985

PUBLIC NOTICE

S.O. 376(E).—In partial modification of gazette notification No. S.O. 289(E) dated 6th April, 1985, published in the gazette of India Extraordinary Part II section 3 sub-section (ii) dated 6th April, 1985, it is hereby notified for information of the public that the Central Government has extended the period of "30 days" prescribed therein for filing objections suggestions by 60 days. The objections suggestions can be filed up to 4th July, 1985.

M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

(डी. एन.)-72

DELHI PUBLIC LIBRARY

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

20 JUL 1985

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[245] नई दिल्ली, सोमवार, मई, 20, 1985/वैशाख 30, 1907
[245] NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 1985/VAISAKHA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1985

सा.का.नि. 404(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियां और कृत्य) विनियम, 1984 कहा जाए।

2. परिभाषाएं :—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में—

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय है—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61)

(2) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण।

(3) "सलाहकार परिषद्" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित परिषद्।

(4) "मुख्य लेखा अधिकारी" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य लेखा अधिकारी।

(5) "सचिव" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सचिव।

(6) इन विनियमों में जो शब्द और पद परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनसे वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने नियमों या विनियमों में है।

सचिव की शक्तियां :—सचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, यथा :—

(1) कार्यालय के प्रधान के रूप में कार्य करना और उन शक्तियों का प्रयोग करना जो सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के प्रधान द्वारा प्रयोक्तव्य हों;

(2) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यविधि या अनुदेशों के अनुसार ग एवं घ समूहों के पदों पर नियुक्तियां करना;

(3) समूह ग एवं घ के कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना;

(4) ऐसे निर्बन्धनों और परिसीमाओं के अध्यधीन, जो प्राधिकरण सामान्य आदेश द्वारा लगाए, स्टेशनरी की वस्तुओं, फार्मों, फर्नीचर, बिजली के सामान, उपकरण, यंत्र और कार्यालय-उपस्कर की अन्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति या खरीद के व्यय की स्वीकृति देना ;

(5) प्राधिकरण की ओर से प्राधिकरण या किसी उस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए लेन-देन के संबंध में करार, पट्टा-विलेख, विक्रय-विलेख और अन्य दस्तावेज निष्पादित करना, जिसे वे लेन-देन स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई गई हों; और

(6) वाद या विधि कार्यवाही संस्थित करना और प्राधिकरण या उसके पूर्ववर्ती निकायों द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए गए वाद या संस्थित की गई विधि कार्यवाही की प्रतिरक्षा करना और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अनुयोजित शक्ति पर उन्हें वापस लेना या उनके संबंध में समझौता करना।

4. सचिव के कर्त्तव्य :—सचिव निम्नलिखित सभी कर्त्तव्यों या किसी भी कर्त्तव्य के लिए उत्तरदायी होगा, यथा :—

(1) प्राधिकरण और सलाहकार परिषद् तथा उन समितियों की बैठकें निश्चित करना, जो प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत समय-समय पर गठित की जाएंगी, और उक्त निकायों की बैठकों की कार्यवाही की कार्यावलियों और कार्यवृत्तों को तैयार करना तथा उन्हें जारी करना;

(2) केन्द्रीय सरकार; प्राधिकरण, सलाहकार परिषद् या उप नियम (1) में उल्लिखित समितियों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा मांगे गए कागज-पत्रों या सूचना को अधिप्राप्त करना और निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, के अन्दर उन्हें भेजना;

(3) अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए निदेशों का पालन सुनिश्चित करना;

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विविध) नियम, 19[illegible] के अनुसार प्राधिकरण के कार्यकलापों पर रिपोर्ट तैयार करना और प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;

(5) उपाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए सामान्य या विशेष अनुदेशों के अध्यधीन निर्धारित विधि से और निर्धारित सीमा तक प्राधिकरण के कार्य-कलापों का प्रचार करना;

(6) प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्ताव और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सूचना देना;

(7) पदों के सृजन या उन्हें जारी रखने और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में मुख्य लेखा अधिकारी को सूचना भेजना और अन्यथा स्टॉफ की मांग पर निगरानी रखना;

(8) प्राधिकरण के कार्यालय के विभिन्न विभागों, शाखाओं और अनुभागों के साथ सम्पर्क बनाए रखना और उनके बीच समन्वय सुनिश्चित

(9) पदों के सृजन और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों पर और सामान्यतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनकी सेवा-शर्तों से संबंधित अन्य सभी मामलों के बारे में परामर्श देना ;

(10) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने से संबंधित सभी मामलों और उनके कल्याण से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना;

(11) इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उचित अनुशासन बनाए रखा जाता है और कार्य विधिवत् और कुशलतापूर्वक किया जाता है, प्राधिकरण के स्टाफ का सामान्य पर्यवेक्षण करना;

(12) अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव रखने संबंधी कार्रवाई आरम्भ करना;

(13) कार्यालय के कुशल संचालन के लिए अपेक्षित मूल्य और मात्रा में स्टेशनरी की वस्तुओं, फर्नीचर, फार्म, बिजली के सामान, उपकरण, यन्त्रों और अन्य कार्यालय उपस्कर की समय पर अधिप्राप्ति और सप्लाई की व्यवस्था करना और दैनिक कार्यालय प्रबन्ध से संबंधित सभी मामलों का प्रभावी पर्यवेक्षण करना।

5. मुख्य लेखा अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, यथा :—

(1) प्रस्तावित या निष्पादित किसी वित्तीय लेन-देन से संबंधित किसी मामले या उन मामलों के संबंध में, जिन पर वह स्वयं कुछ समय के लिए कार्रवाई कर रहा हो, प्राधिकरण के विभागों, शाखाओं या अनुभागों से आवश्यकतानुसार रिकार्ड या सूचना मंगवाना और उनकी जांच करना या किसी निरीक्षण-दल द्वारा उसकी जांच करवाना;

(2) प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी की अभिरक्षा में रखी हुई प्राधिकरण की नकदी का प्रत्यक्ष सत्यापन करना या इस मामले में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से उसका प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना,

(3) सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि जैसी भी स्थिति हो, से प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस लिए जाने वाले और वापस न किए जाने वाले अग्रिम स्वीकृत करना;

(4) लेखे रखने और उसे सौंपे गए अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त स्टाफ प्राप्त करना और लेखा विभाग या उन अन्य विभागों, शाखाओं या अनुभागों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक पदों को भरने के लिए उपाध्यक्ष के निदेशों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर उचित कार्मिक प्राप्त करना, जिन्हें रुपए-पैसे का हिसाब रखने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कार्य सौंपा गया हो; और

(5) प्राधिकरण अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की जाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

6. मुख्य लेखा अधिकारी के कर्त्तव्य वह निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, यथा :—

(1) प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्त वर्ष के संबंध में नियमों द्वारा निर्धारित विधि से और अवधि के अन्दर हर वर्ष समय पर बजट को तैयार करना सुनिश्चित करना;

(2) तुलन-पत्र सहित प्राधिकरण के लेखों और अन्य सम्बद्ध रिकार्ड तथा मासिक लेखों एवं वार्षिक लेखा विवरण का उचित रख-रखाव उस रूप में सुनिश्चित करना, जिसमें केन्द्रीय सरकार भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के परामर्श से नियमों द्वारा निर्धारित करेगी;

(3) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त या लिए गए ऋणों के रजिस्टर का रख-रखाव निश्चित करना और निक्षेप निधि, यदि चालू हो, के लिए इन ऋणों का रजिस्टर रखना;

(4) बजट अनुमान के अनुसार व्यय की प्रगति पर नजर रखना और अपेक्षित स्थिति पर नियंत्रण रखना;

(5) लेखा और बजट से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना और सामान्यतः वित्तीय नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(6) उसके पास भेजे गए व्यय के सभी प्रस्तावों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देना और प्राधिकरण की देयताओं पर नजर रखना तथा इस बात को देखना कि प्राधिकरण के वित्तीय लेन-देन के संबंध में लागू नियमों और आदेशों का पालन किया जाता है ;

(7) प्राधिकरण की अधिशेष निधि को लाभकारी ढंग से लगाने के लिए सलाह देना और लगाई गई पूंजी का लेखा रखना और निवेशों की परिपक्वता पर नजर रखना;

(8) प्राधिकरण के लेखा विभाग और प्राधिकरण की उन अन्य शाखाओं या अनुभागों के स्टाफ की मांग के बारे में सलाह देना, जिन्हें वित्तीय लेन-देन का हिसाब रखने का कार्य पूर्ण या आंशिक रूप से सौंपा गया हो;

(9) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी, पेंशन, उपदान और सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों की स्वीकार्यता पर रिपोर्ट देना; और

(10) इस बात को सुनिश्चित करना कि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार वार्षिक लेखों का संकलन किया जाता है और उन्हें उसकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

[फा. 1 (149)/70-बीए]

एम. पी. जैन, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 20th May, 1985

NOTIFICATION

S.O. 404(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 57, read with sub-section (1) of section 4 of the Delhi Development Act, the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations namely :—

1. Short Title.—These regulations may be called the Delhi Development Authority (Powers and Duties of the Secretary and the Chief Accounts Officer) Regulations, 1984.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires—

1. "Act" means the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957).

2. "Authority" means the Delhi Development Authority, constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act.

3. "Advisor Council" means the council constituted under sub-section (1) of section 5 of the Act.

4. "Chief Accounts Officer" means the Chief Accounts Officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of the section 4 of the Act.

5. "Secretary" means the Secretary appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 4 of the Act.

6. Words and expressions not defined in these regulations shall have the same meaning as in the Act or rules or regulations framed the rounder.

3. Powers of the Secretary.—The Secretary shall exercise the following powers, namely :—

1. To act as Head of the Office and to exercise such powers as are normally exercisable by the Head of Offices of the Central Government ;

2. to make appointments to posts in C&D groups in accordance with such procedure or instructions as the Authority may from time to time lay down,

3. to sanction leave to employees in groups C&D

4. Subject to such restrictions and limits as the Authority may by general order imposes, to sanction expenditure on the procurement or purchase of stationery articles, forms, furniture, electrical goods, tools, instruments and other articles of office equipment ;

5. to execute on behalf of the Authority agreements, lease deeds, sale deeds and such other documents in respect of transactions sanctioned by it or any officer to whom power to sanction such transactions may have been delegated and

6. to institute or defend suits or legal proceedings instituted by or against the Authority or its predecessor bodies and to withdraw or to compromise the same on such terms and conditions as may be approved by the Vice Chairman of the Authority.

4. Duties of the secretary.—The Secretary shall be responsible for performing all or any of the following duties, namely :—

1. To fix meetings of the Authority, and the Advisory Council and of such committees as the Authority may from time to time constitute under sub-section (1) of section 5A of the Act, and prepare and issue agenda and minutes of proceedings of meetings of the said bodies ;

2. to procure and supply within such time, if any, as may be specified, to the Central Government, the Authority, the Advisory Council or Committees mentioned in sub-rule (1) as the case may be, such papers or information as may be asked for ;

3. to ensure that such directions as the Central Government may issue under sub section (1) of section 41 of the Act are carried out;

4. to compile a report on the activities of the Authority in accordance with the Delhi Development Authority (Miscellaneous) Rules, 1959, and, after approval by the Authority, to submit it to the Central Government in accordance with the prescribed time schedule ;

5. Subject to such general or specific instruction as the Vice Chairman may issue, to publicise the activities of the Authority in such manner and to such extent as may be laid down ;

6. to intimate proposals for the creation of posts and the appointment of officers and employees in the Authority.

7. to send intimation to the Chief Accounts Officer about the creation or continuance of posts and appointment of officers and employees, and otherwise to keep a watch over the requirement of staff;

8. to maintain liaison with an ensure coordination between the various departments branches and sections of the office of the Authority ;

9. to advise on all matters concerning creation of posts, appointment of officers and employees and generally about other matters concerning officers and employees and their service conditions ;

to deal with all matters relating to the redressal of grievances of officers and employees and matters connected with their welfare;

to exercise general superintendence over the staff of the Authority, with a view to ensuring that proper discipline is maintained and work is carried on in an orderly and business like manner ;

to initiate proposals for the provision of residential housing facilitating for officers and employees; and

to arrange for the timely procurement and supply of articles of stationery, furniture, forms, electrical goods, tools, instruments and other office equipment of such value and in such quantities as may be required for the efficient functioning of the office and to keep effective supervision overall matters connected with day-to-day office management.

The Chief Accounts Officer shall exercise the following powers, namely :

1. To check and call for records or information whenever necessary, from the departments, branches or sections of the Authority in respect of any matter relating to a monetary transaction, proposed or executed or relating to the matters being dealt with by him for the time being or get it done by an inspection party;

2. to conduct or to get conducted through any person authorised by him in this behalf, physical verificatios of cash of the Authority in the custody of any officer or employee of the Authority;

3. to sanction refundable and non refundable advances to officers and employees of the Authority from the general provident fund or the costributory provident fund, as the case may be;

to have adequate staff for the maintenance of accounts and other functions assigned to him and to obtain suitable personnel on deputation under the directions of the Vice Chairman to fill posts as may be necessary for the efficient functioning of the Accounts Department or such other departments, branches or sections, as may be charged wholly or in part with the accounting of moneys; and

5. to exercise such other powers as may be delegated by the Authority or the Vice Chairman.

6. Duties of the CAO.—He shall perform the following duties, namely:—

1. to ensure timely preparation of a budget in such form and at such time every year as may be prescribed by rules, in respect of estimated receipt and expenditure of the estimated requips and expenditure of the Authority;

2. to ensure proper maintenance of accounts and other relevant record and monthly accounts and annual statement of accounts of the Authority including balance sheet in such form as the Central Govt. may in consultation with the Comptroller & Auditor General of India, by rules prescribe;

3. to ensure maintenance of a register of loans received or raised by the Authority and to maintain in respect of such loans an account of the sinking fund, if operated;

4. to watch progress of expenditure aginst budget estimates and to keep in check the ways and means position;

5. to advise in all matters relating to accounts and budget and to ensure proper operation of financial rules generally;

6. to advise on the financial aspects of all proposals for expenditure referred to him and to keep a watch over liabilities against the Authority and to see that and orders in force in respect of monetary transactions of the Authority are observed;

7. to advise on the profitable manner of investment of the surplus funds of the Authority and to maintain account of and to keep a watch over the maturity of investments;

8. to advise about the requirement of staff of the Accounts Department of the Authority and other branches or sections of the Authority as may be charged wholly or in part with the accounting of monetary transactions;

9. to report on the admissibility of leave, pension gratuity and other matters affecting the service conditions of officers and employees of the Authority; and

10. to ensure that the annual Accounts are compiled and submitted to the Central Government together with the Audit Report thereon is accordance with the prescribed time schedule.

[F. 1(148)/70-G

M. P. JAIN, Sec

Delhi Development Authori

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. पुस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

29 JUL 1985

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, मंगलवार, 28 मई, 1985/ज्येष्ठ 7, 1907
No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1985/JYAISTHA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(स्लम विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

अधिसूचना

का.आ. 421(अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण स्लम विभाग के मामले में अपने शक्तियां अपने उन सदस्यों/अधिकारियों को एतद्द्वारा प्रत्यायोजित करता है, जो अनुसूची में उल्लिखित हैं।

एम. सी. जैन, सचिव

अनुसूची

सेवा का नाम	पदों का सृजन करने वाला सक्षम प्राधिकारी	नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	दण्ड देने वाला प्राधिकारी (अनुशासनिक प्राधिकारी) और वे दण्ड, जो दिए जा सकते हैं		अपील प्राधिकारी
			प्राधिकारी	दण्ड समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 का नियम-II	
ग्रुप "सी" पद स्लम एवं जे. जे. विभाग	उपाध्यक्ष	निदेशक (स्लम)	निदेशक (स्लम)	—सभी—	उपाध्यक्ष
ग्रुप "डी" पद स्लम एवं जे. जे. विभाग	उपाध्यक्ष	निदेशक (स्लम)	निदेशक (स्लम)	—सभी—	उपाध्यक्ष

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Slum Department)

New Delhi, the 27th May, 1985

NOTIFICATION

S.O. 421 (E):— In exercise of the powers vested in it under sub-section (1) of section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby delegates such of its powers in respect of slum Department to such of its members officers as mentioned in the schedule attached.

M. P. JAIN, Sec

SCHEDULE

Title of Service	Authority competent to create posts	Authority empowered to appoint	Authority (Disciplinary Authority) empowered to impose penalties & penalties if may impose		Appellate Authority
			Authority	Penalities (Rules 11 of CCS (CCA) Rules 1965 as amended from time to time	
Group 'C' Posts Slum & JJ Deptt.	Vice Chairman	Director (s)	Director (s)	All	Vice-Chai
Group 'D' Posts Slum & JJ Deptt.	Vice Chairman	Director (s)	Director (s)	All	Vice-Chair

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-[illegible]

REGISTERED No. D. (D.N.)-[illegible]

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 360] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1985/श्रावण 4, 1907
No. 360] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1985/SRAVANA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1985

अधिसूचना

का. आ. 547(अ) : यतः यह प्रतीत होता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत जल प्रदाय एवं मल व्ययन समिति और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सदस्य क्रमशः श्री अवतार सिंह गुलाटी और श्री

559 GI/85 (1)

के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य श्री भरतसिंह और श्रीमती सुन्दरबेन नवल प्रभाकर, प्रोफेसर नारायण चन्द पराशर और श्री राम विलास पासवान जिनकी सदस्यता सातवीं लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो गयी, के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की "सलाहकार परिषद" के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए लोकसभा द्वारा निर्वाचित किये गए हैं ।

[एफ० 5(1)/79 एम सी /पार्ट]

(1)

नागरदास सिंह दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित किए गए हैं।

[सं. एफ. 5(1)/79-एम. सी. पार्ट]

एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 26th July, 1985

NOTIFICATION

S.O. 547(E).—It is hereby notified that under clause (e) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) Shri Abjit Singh Gulati and Sh. Narain Singh representatives from Water Supply and Sewage Disposal Committee and Delhi Electric Supply Undertaking respectively have been elected to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. 5(1)/79-MC]

M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-18

3 SEP 1985

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1985/श्रावण 4, 1907
No. 361] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1985/SRAVANA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1985

का. आ. 548(अ):—दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना सं० एफ. 5(1)/79 एम.सी० दिनांक 17 मार्च, 1981 का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (एच) के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य श्री भारत सिंह और श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर, प्रोफेसर नारायण चन्द पराशर और श्री राम विलास पासवान जिनकी सदस्यता सातवीं लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो गयी, के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की "सलाहकार परिषद" के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए लोकसभा द्वारा निर्वाचित किये गए हैं।

[एफ० 5(1)/79 एम.सी./पार्ट]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th July, 1985

S.O. 548(E).—In partial modification of notification No. F. 5(1)79-MC dated 17th March, 1981, of Delhi Development Authority, it is hereby notified that under clause (h) of sub-section (2) of section 5 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957). Sh. Bharat Singh and Smt. Sunderwati Naval Prabhakar both members of the House of the People (Lok Sabha) have been elected by the House of People (Lok Sabha) to serve as members of the 'Advisory Council' of the Delhi Development Authority in place of Professor Narain Chand Parasher and Sh. Ram Vilas Paswan who ceased to be members of the 7th Lok Sabha on its dissolution.

[F. 5(1)79-MC-PT]

का. आ. 549 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (एच) के अन्तर्गत श्री शमीम अहमद सिद्दिकी, संसद सदस्य, राज्यसभा के सदस्य श्री हरविन्दर सिंह हंसपाल के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 19-3-85 को राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए गए हैं।

[एफ 5(1)/79 एम. सी. पार्ट]
एम. पी. जैन, सचिव

S.O. 549(E).—It is hereby notified that under clause (h) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Sh. Shamim Ahmed Siddiqi, M.P. has been elected by the Rajya Sabha on 19-3-85 to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority in place of Sh. Harvinder Singh Hanspal member of Rajya Sabha.

[F. 5(1)79-MC[PT]]
M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1985/भाद्र 8, 1907
No. 415] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1985/BHADRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1985

का०आ० 637(अ) :—दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं के प्रबन्ध एवं निपटान) विनियमन, 1968 के विनियम 3 के अन्तर्गत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा उक्त विनियमन, 1968 के विनियम 38 से 49 तथा 51 से 58 तक के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियां, अधिसूचना सं० 1(1)79/सप्तन्वय, दिनांक 28-9-79 द्वारा निदेशक (आवास) को पहले प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, आयुक्त (आवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रदान करते हैं।

[सं० 3(20)/79/एच/एजेंसी]

एम० पी० जैन, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1985

S.O. 637(E).—In exercise of the powers vested in him under Regulation 3 of the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, the Vice Chairman, Delhi Development Authority hereby delegates all powers exerciseable by him under Regulations 38 to 49 and 51 to 58 of the said Regulations to the Commissioner (Housing), DDA, in addition to the powers already delegated to Director (Housing), vide Notification No. 1(1)|79-Coordn. dated 28-9-79

[No. 3(20)|79|HiAgency]

M. P. JAIN, Secy., DDA

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 20th May, 1985

NOTIFICATION

S.O. 404(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 57, read with sub-section (1) of section 4 of the Delhi Development Act, the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations namely :—

1. Short Title.—These regulations may be called the Delhi Development Authority (Powers and Duties of the Secretary and the Chief Accounts Officer) Regulations, 1984.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires—

1. "Act" means the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957).

2. "Authority" means the Delhi Development Authority, constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act.

3. "Advisory Council" means the council constituted under sub-section (1) of section 5 of the Act.

4. "Chief Accounts Officer" means the Chief Accounts Officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of the section 4 of the Act.

5. "Secretary" means the Secretary appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 4 of the Act.

6. Words and expressions not defined in these regulations shall have the same meaning as in the Act or rules or regulations framed the rounder.

3. Powers of the Secretary.—The Secretary shall exercise the following powers, namely :—

1. To act as Head of the Office and to exercise such powers as are normally exercisable by the Head of Offices of the Central Government ;

2. to make appointments to posts in C&D groups in accordance with such procedure or instructions as the Authority may from time to time lay down,

3. to sanction leave to employees in groups C&D

4. Subject to such restrictions and limits as the Authority may by general order impose, to sanction expenditure on the procurement or purchase of stationery articles, forms, furniture, electrical goods, tools, instruments and other articles of office equipment ;

5. to execute on behalf of the Authority agreements, lease deeds, sale deeds and such other documents in respect of transactions sanctioned by it or any officer to whom power to sanction such transactions may have been delegated and

6. to institute or defend suits or legal proceedings instituted by or against the Authority or its predecessor bodies and to withdraw or to compromise the same on such terms and conditions as may be approved by the Vice Chairman of the Authority.

4. Duties of the secretary.—The Secretary shall be responsible for performing all or any of the following duties, namely :—

1. To fix meetings of the Authority, and the Advisory Council and of such committees as the Authority may from time to time constitute under sub-section (1) of section 5A of the Act, and prepare and issue agenda and minutes of proceedings of meetings of the said bodies :

2. to procure and supply within such time, if any, as may be specified, to the Central Government, the Authority, the Advisory Council or Committees mentioned in sub-rule (1) as the case may be, such papers or information as may be asked for ;

3. to ensure that such directions as the Central Government may issue under sub section (1) of section 41 of the Act are carried out;

4. to compile a report on the activities of the Authority in accordance with the Delhi Development Authority (Miscellaneous) Rules, 1959. and, after approval by the Authority, to submit it to the Central Government in accordance with the prescribed time schedule ;

5. Subject to such general or specific instruction as the Vice Chairman may issue, to publicise the activities of the Authority in such manner and to such extent as may be laid down ;

6. to intimate proposals for the creation of posts and the appointment of officers and employees in the Authority.

7. to send intimation to the Chief Accounts Officer about the creation or continuance of posts and appointment of officers and employees, and otherwise to keep a watch over the requirement of staff;

8. to maintain liaison with an ensure coordination between the various departments branches and sections of the office of the Authority ;

9. to advise on all matters concerning creation of posts, appointment of officers and employees and generally about other matters concerning officers and employees and their service conditions ;

10. to deal with all matters relating to the redressal of grievances of officers and employees and matters connected with their welfare;

11. to exercise general superintendence over the staff of the Authority, with a view to ensuring that proper discipline is maintained and work is carried on in an orderly and business like manner;

12. to initiate proposals for the provision of residential housing facilitating for officers and employees; and

13. to arrange for the timely procurement and supply of articles of stationery, furniture, forms, electrical goods, tools, instruments and other office equipment of such value and in such quantities as may be required for the efficient functioning of the office and to keep effective supervision overall matters connected with day-to-day office management.

5. The Chief Accounts Officer shall exercise the following powers, namely :

1. To check and call for records or information whenever necessary, from the departments, branches or sections of the Authority in respect of any matter relating to a monetary transaction, proposed or executed or relating to the matters being dealt with by him for the time being or get it done by an inspection party;

2. to conduct or to get conducted through any person authorised by him in this behalf, physical verification of cash of the Authority in the custody of any officer or employee of the Authority;

3. to sanction refundable and non refundable advances to officers and employees of the Authority from the general provident fund or the contributory provident fund, as the case may be;

4. to have adequate staff for the maintenance of accounts and other functions assigned to him and to obtain suitable personnel on deputation under the directions of the Vice Chairman to fill posts as may be necessary for the efficient functioning of the Accounts Department or such other departmental branches or sections, as may be charged wholly or in part with the accounting of moneys; and

5. to exercise such other powers as may be delegated by the Authority or the Vice Chairman.

6. Duties of the CAO.—He shall perform the following duties, namely:

1. to ensure timely preparation of a budget, in such form and at such time every year as may be prescribed by rules, in respect of the next financial year showing the estimated receipt and expenditure of the Authority;

2. to ensure proper maintenance of accounts and other relevant record and monthly accounts and annual statement of accounts of the Authority including balance sheet in such form as the Central Govt. may in consultation with the Comptroller & Auditor General of India, by rules prescribe;

3. to ensure maintenance of a register of loans received or raised by the Authority and to maintain in respect of such loans an account of the sinking fund, if operated;

4. to watch progress of expenditure aginst budget estimates and to keep in check the ways and means position;

5. to advise in all matters relating to accounts and budget and to ensure proper operation of financial rules generally;

6. to advise on the financial aspects of all proposals for expenditure referred to him and to keep a watch over liabilities against the Authority and to see that and orders in force in respect of monetary transactions of the Authority are observed;

7. to advise on the profitable manner of investment of the surplus funds of the Authority and to maintain account of and to keep a watch over the maturity of investments;

8. to advise about the requirement of staff of the Accounts Department of the Authority and other branches or sections of the Authority as may be charged wholly or in part with the accounting of monetary transactions;

to report on the admissibility of leave, pension gratuity and other matters affecting the service conditions of officers and employees of the Authority; and

10. to ensure that the annual Accounts are compiled and submitted to the Central Government together with the Audit Report thereon is accordance with the prescribed time schedule.

[F. 1(148)|70-GA]
M. P. JAIN, Secy.
Delhi Development Authority.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1985/भाद्र 8, 1907
No. 416] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1985/BHADRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1985

अधिसूचना

का०आ० 6488(अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन पर उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12(3) और निम्नलिखित के अनुसार उससे सम्बन्धित मामलों के अतिक्रमण के लिए अभियोजन करने संबंधी उसकी

शक्तियों का प्रयोग उन अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा जिनका नीचे की अनुसूची में प्रत्येक के सम्मुख उल्लेख किया गया है :—

अनुसूची

क्रम सं०	शक्तियां	प्राधिकृत/प्रत्यायोजित अधिकारी
1.	दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रवेश की शक्तियां।	उन अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अपर आयुक्त (भूमि) जिन्हें पहले से शक्तियां दी हुई हैं।
2.	धारा 49 के अन्तर्गत बिजली स्वीकृति देने की शक्तियां।	उन अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अपर आयुक्त (भूमि) जिन्हें पहले से शक्तियां दी हुई हैं।
3.	धारा 29(1) के साथ पठित 12(3) के अतिक्रमण के लिए परिवाद फाइल करने और उसके लिए काउन्सेल नियुक्त करने की शक्तियां।	उन अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अपर आयुक्त (भूमि) जिन्हें पहले से शक्तियां दी हुई हैं।

[संख्या डी०ए० मिसिलोनियस(48)/84]

एम०सी० जैन, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 28 August, 1985

NOTIFICATION

S.O. 638(E).—In exercise of powers vested in it by virtue of sub-section (1) of section 52 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby directs that its powers in respect of prosecution for violation of section 12(3) ibid and matters connected therewith as mentioned below may also be excersied by such officers as are mentioned against each in the schedule below :

SCHEDULE

Sl. No.	Powers	Officers Authorised/Delegated
1	Powers of entry under section 28 of the Delhi Development Act, 1957	In addition to the Officers/ officials already empowered, the Additional Commissioner (Lands).

1	2	3
2.	Powers to grant previous sanction under section 49 of the Delhi Development Act, 1957	In addition to the officers already empowered, the Additional Commissioner (Lands).
3.	Powers to file complaint for violation of section 12(3) read with section 29(1) of the Delhi Development Act, 1957 and to engage counsel therefor.	In addition to the Officer already empowered the Additional Commissioner (Lands).

[No. DDA/Misc. (48)/84]
M.P. JAIN, Secy. (DDA)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985

कृषि और सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1985

का. आ. 5529.—सी. सी. एस. (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसार, मैं, बी. सी. दुआ, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री चरणजीत सिंह, चपरासी को सूचित करता हूं कि इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह की अवधि समाप्त होने की तिथि को उसकी सेवाएं समाप्त समझी जायेंगी।

[संख्या 7-7/83-ई.VI]

बी. सी. दुआ, अवर सचिव

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 11th October, 1985

S.O. 5529.—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule 5 of the C.C.S. (Temporary Service) Rules 1965, I, B. C. Dua Under Secretary in the Ministry of Agriculture & Rural Development, hereby give notice to Shri Charanjit Singh, Peon, that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is published in the Official Gazette.

[No. 7-7/83-E.VI]

B. C. DUA, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वे एंड सैटलमेंट यूनिट I)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985

का. आ. 5530.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे दिसी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे अन्तरण निदेशालय प्रशासन को गैस्ट हाऊस बनाने हेतु हस्तान्तरित करने के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण, और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :—

अनुसूची

0.50 एकड़ (लगभग.....) माप का भूमि खण्ड जो चाणक्यपुरी स्थित है, जिसका प्लाट नं.....स्कीम-45 है और जो अधिसूचना सं. 1810 दिनांक 20-7-74 का आंशिक भाग है :—

उपर्युक्त भूमि खण्ड की सीमाएं निम्नलिखित है :—

उत्तर में :—नई दिल्ली नगर पालिका विपणन केन्द्र
दक्षिण में :—रेलवे सीमा
पूर्व में :— विनय मार्ग
पश्चिम में :—सड़क

[सं. एम. एण्ड एस.-33(2)/85-एस. ओ. (1) 491]

एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey and Settlement Unit I)

New Delhi, the 18th November, 1985

S.O. 5530.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi, for further transfer to the Andaman and Nicobar Administration for construction of their Guest House.

SCHEDULE

Piece of land measuring 0.50 acres (about—situated in Chandayapuri bearing file No. 45 partly Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-74.

The above piece of land is bounded as follows:—

North: N.D.M.C. Shopping Centre
South: Railway Boundary
East: Vinay Marg
West: Road.

[No. S & S 33(2)/85/ASO(I)/491]

M. P. JAIN, Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985

का.आ. 5531.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 11क की उपधारा (2) के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' राजपत्रित अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपराध की दशा में कार्यवाही करने या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए परिवाद करेंगे :—

सारणी

समूह 'क' अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग
1	2
(1) भारत सरकार के सोलोखेड़ी, नासिक, फरीदाबाद, अलीगढ़, कोयाम्बटूर, कोरापुट, रिंग रोड, नई दिल्ली स्थित मुद्रणालयों के और भारत सरकार के मैसूर भुवनेश्वर और चंडीगढ़ स्थित पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों के प्रबंधक।	क्रमशः सोलोखेड़ा, नासिक, फरीदाबाद, अलीगढ़, कोयाम्बटूर, कोरापुट, रिंग रोड, नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालयों और मैसूर भुवनेश्वर और चंडीगढ़ स्थित भारत सरकार के पाठ्य-पुस्तक मुद्रणालयों के स्थान या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए या अधिगृहीत किए गए स्थान।
(2) संपदा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय (प्रस्प एकक) संतरागाछी, हावड़ा।	भारत सरकार मुद्रणालय (प्रस्प एकक), संतरागाछी हावड़ा के स्थान या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए या अधिगृहीत किए गए स्थान।

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II SEC. 3 SUB. SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 16 176
Dated 18-1-1986

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1986

का.आ. 161.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-57 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से उक्त धारा के अनुच्छेद (एफ) के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

अध्याय 1—सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : (1) इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (श्रेणीयन) विनियम, 1983 कहा जाए।

(2) ये विनियम समस्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू हो जाएंगे।

2. परिभाषाएं : (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय न हो :—

(ए) "अधिनियम" से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है ;

(बी) "प्राधिकरण" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है;

(सी) "पूंजीगत मूल्य" से अभिप्राय भूमि, संरचना एवं मशीनरी के मूल्य से है जिस पर संस्वीकृत मुख्य योजना की तिथि से ह्रास अनुदेय है।

(डी) "वाणिज्यिक" से अभिप्राय है जो वाणिज्य से संबंधित हो।

(ई) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

(एफ) "जिला केन्द्र" से अभिप्राय किसी नक्शे में दर्शाये गये जिला केन्द्र से है और जिसमें उप-जिला केन्द्र भी सम्मिलित है।

(जी) "प्रति कामगार फर्श क्षेत्र" से अभिप्राय वर्ग मीटरों में मापित उस गणफल से है कुल उपलब्ध फर्श को कुल पंजीकृत औद्योगिक श्रम संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।

(एच) "भवनों में सुधार" से अभिप्राय अनुसूची-3 में उल्लिखित सुधारों से है।

(आई) "औद्योगिक" से अभिप्राय है जो उद्योग से संबंधित है।

(जे) "खतरनाक प्रयोग" से अभिप्राय किसी भूमि या भवन का प्रयोग किसी क्षेत्र की मुख्य योजना तथा अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार न होने से है।

(के) "हानिकारक उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जिनसे जीवन को खतरा हो जो धुआं उत्पन्न करके, बाहर की ओर प्रदूषित, हानिकर स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हों या जो ज्वलनशील सामग्री उत्पन्न करें या उसका भंडार के रूप में रखी जाती हो।

(एल) "जोखिम कारक उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उद्योग से है जो बेकाबू में या दिशाहीन में, गुंजाने में या सुलगने में किसी को नुकसान, खतरा पहुंचाने या उसे परेशान कर दे अथवा विनाश या विध्वंस में व्यवधान पहुंचाये।

(एम) "पंजीकृत कारखाना" से अभिप्राय अधिनियम जिसके अधीन कोई उद्योग चल रहा है, के अनुसार पंजीकृत कारखानों की संख्या से है।

(एन) "निवासी" से अभिप्राय है कि जो निवास से संबंधित हो।

(ओ) "प्रयोग क्षेत्र" से अभिप्राय अनुसूची-1 में उल्लिखित में विभिन्न उपयोगों की पद संज्ञाओं से है।

3. कोई भी शब्द जो यहां स्पष्टतया से परिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जैसा की मुख्य योजना में परिभाषित या उल्लिखित किया गया है।

अध्याय 2

3. निर्मित क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत किये जाने वाले उपयोग : निर्मित क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी किसी प्रयोग क्षेत्र में, क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तैयार होने तक अनुमत प्रयोग की अनुमति दे सकता है।

4. स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा/अनुमत उपयोगों को क्षेत्रीय विकास योजना में समाविष्ट करना जब कभी किसी निर्मित क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाती है तो स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत उपयोगों को भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

अध्याय 3

अपुष्ट प्रयोगों को हटाना तथा कुछेक प्रयोगों का परिवर्तन :

5 औद्योगिक अपुष्ट प्रयोग ('खतरनाक उद्योग) —कोई भी स्थानीय चाहे यह योजना लागू होने के तुरन्त पहले से ही किसी भूमि या भवनों

को किसी हानिकारक उद्योग के चलाने के लिए प्रयोग कर रहा हो, उसे उस उद्योग को तीन वर्ष के भीतर किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा "हानिकारक उद्योग" हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु जितनी कि प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा;

(ए) पूंजीगत मूल्य एक लाख रुपए से अधिक होने पर अनुसूची-2 के अनुसार ,

(बी) किसी अन्य मामले में हानिकारक उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

6. हानि रहित उद्योग किन्तु शोरकारक : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोरकारक उद्योग को चलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा हो तो उसे उस उद्योग को चार वर्ष के भीतर योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा "शोरकारक" उद्योग हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अवधि हेतु जितनी कि प्राधिकरण अनुमत करें, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा :--

(1) अनुसूची-2 के अनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर दस वर्ष की अवधि तक यदि--

(ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीगत मूल्य उच्चतर है;

(बी) उद्योग का पंजीकृत श्रम अधिक है, तथा

(सी) विनियमों में उक्त उद्योग का प्रति कामगार फर्श क्षेत्र अधिक हो।

(2) किसी अन्य मामले में शोरकारक उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबंधनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु उसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

7. शोर-रहित उद्योग : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोर-रहित उद्योग को चलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसे उस उद्योग को छह वर्ष के भीतर योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बंद करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा 'शोर-रहित उद्योग' हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी कि प्राधिकरण अनुज्ञात करें, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा :--

(1) अनुसूची-2 के अनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर 20 वर्ष की अवधि तक, यदि :—

(ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीगत मूल्य उच्चतर है;

(बी) उद्योग का पंजीकृत श्रम अधिक है; तथा

(सी) किसी अन्य मामले में उद्योग की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

8. औद्योगिक क्षेत्र में रिहायशी प्रयोग : रिहायशी अपुष्ट प्रयोग तथा इसका परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी औद्योगिक प्रयोग वाले जोन में रिहायशी उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो वह उसको 10 वर्ष की अवधि तक जारी रख सकता है। परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट में स्थानान्तरित करना होगा।

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उक्त 10 वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी अपुष्ट प्रयोग जारी रखा जाना उस अवस्था में वैध माना जाएगा, यदि वह व्यक्ति ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रही सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर लेता है।

9. वाणिज्यिक क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोग : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी वाणिज्यिक जोन में रिहायशी उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा हो तो वह उस प्रयोग को 10 वर्ष की अवधि तक जारी रख सकता है परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उक्त दस वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात भी उक्त अपुष्ट प्रयोग जारी रखा जाना उस अवस्था में वैध माना जाएगा, यदि (ए) उस व्यक्ति ने ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रही सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर ली है।

(बी) प्राधिकरण लिखित रूप में दर्ज किये गये कारणों के आधार पर उस जोन में भवन की प्रथम तथा ऊपरी मंजिल को रिहायशी प्रयोग हेतु प्रयोग में लाये जाने हेतु अनुमति दे सकता है।

10. सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोग : किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्र वाले जोन में स्थित किसी भूमि या भवन का रिहायशी उद्देश्य हेतु अपुष्ट प्रयोग किया जा रहा हो तो वह उस भूमि या भवन के प्रयोग को जारी रख सकेगा बशर्ते वह भूमि या भवन किसी गांव में स्थित हो जो 1 सितम्बर, 1962 को अस्तित्व में था तथा अन्य सभी मामलों में 10 वर्ष तक या ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक जो अनुमत मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा दी जाए।

11. औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोग : औद्योगिक प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ए) 10 वर्ष की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है बशर्ते वह प्राधिकरण से ऐसी भूमि या भवन के प्रयोग को वाणिज्यिक प्रयोग को परिवर्तित कराने तथा ले-आउट प्लान और उस पर स्थित स्ट्रक्चर के संबंध में स्वीकृति प्राप्त कर लें; और

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व निबंधों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसा प्राधिकरण तय करें।

12. रिहायशी क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रयोग :—रिहायशी प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ए) 10 वर्ष की अवधि तक प्रयोग कर सकता है बशर्ते उस जोन की क्षेत्रीय विकास योजना में वह भूमि स्थानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट हो; तथा

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसा प्राधिकरण तय करें।

13. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्षेत्रों में जिसमें मनोरंजनात्मक क्षेत्र भी शामिल हैं, में वाणिज्यिक प्रयोग :—सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रयोग के जोन में जिसमें मनोरंजनात्मक जोन भी सम्मिलित है, में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :

(ए) 10 वर्ष तक की अवधि तक प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते उस जोन की क्षेत्रीय विकास योजना में वह भी स्थानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट हो; तथा

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसा प्राधिकरण तय करें।

14. अनुष्ट क्षेत्रों में सुधार एवं परिवर्तन :—किसी व्यक्ति द्वारा यदि योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन का प्रयोग उस जोन की जुरुरत या क्षेत्रीय विकास योजना के अनुरूप नहीं किया जा रहा हो और यदि वह उस भूमि या भवन पर संस्थापित भवन में सुधार या बदलाव करना चाहे तो उसे इसकी इजाजत होगी बशर्ते ऐसे सुधार या बदलाव इन विनियमों की अनुसूची-3 में उल्लिखित शर्तों के अधीन हों।

15. प्रक्रिया पद्धति :—कोई भी भूमि या भवन जाने में लाने विनियमित करने के उद्देश्य हेतु अस्थायी रूप से एक सीमित अवधि हेतु अनुमति प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में एक सीमित अवधि हेतु अनुमति प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए प्रयोग में लाने हेतु अनुमत कर सकता है जैसे किसी औद्योगिक स्टेट के निर्माण के समय मजदूरों के रहने के लिये टैन्टों हेतु अथवा यदि विकासाधीन क्षेत्र में सम्पत्ति मालिक की इच्छा पर कृषि के प्रयोग को जारी रखने हेतु या विकासाधीन क्षेत्रों में इस भूमि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रयोग से अन्यथा किसी उद्देश्य हेतु अस्थायी अवधि हेतु उपयोग में लाना।

16. अनुज्ञप्त प्रयोग :—किसी जोन में किसी भूमि या भवन के प्रयोग को वैध माना जाएगा यदि वह भूमि संलग्न अनुसूची - 4 में अपने जोन में अनुज्ञप्त प्रयोग में दर्शित प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग हेतु निर्दिष्ट की गई हो।

17. विशेष अपील पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि अनुमति दी जाए तो अनुज्ञप्त प्रयोग :—किसी जोन में किसी भूमि या भवन को यदि यहां अनुसूची-4 में उल्लिखित विशेष अपील के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के लिये स्पष्टतः अनुमति कर दिया जाए तो उसे प्रयोग में लाया जाना वैध माना जाएगा।

विनियम 1 (ओ) के अनुसार अनुसूची–1

1	2	प्रयोग क्षेत्र 3
1.	आर–25	रिहायशी
2.	आर–50	रिहायशी
3.	आर–60	रिहायशी
4.	आर–75	रिहायशी
5.	आर–100	रिहायशी
6.	आर–125	रिहायशी
7.	आर–150	रिहायशी
8.	आर–200	रिहायशी
9.	आर–250	रिहायशी
10.	ए–1	कृषि हरित पट्टी
11.	ए–2	ग्रामीण
12.	बी–1	खुदरा विपणन
13.	बी–2	मामूली बाजार एवं वाणिज्यिक (क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय स्तरीय जिले, जिला केन्द्र)
14.	बी–3	बैंक
15.	एम–1	परिवेष्टित फैक्ट्री
16.	एम–2	कार्य व औद्योगिक केन्द्र
17.	एम–3	विशेष उद्योग
18.	एम–4	हल्के उद्योग तथा सर्विस इन्डस्ट्री
19.	एम–5	व्यापक विनिर्माण
20.	एम–6	निष्कर्षणात्मक उद्योग उदाहरण ईंट-भट्टे, पत्थर-क्वैरी इत्यादि।
21.	डब्ल्यू	गोदाम, भण्डारण तथा डिपो।
22.	सी	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय।
23.	पी	मनोरंजनात्मक।
24.	एफ	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं।

विनियम 5 से 7 के अनुसार अनुसूची–2

अनुज्ञप्त प्रयोगों हेतु मापदण्डिनी

औद्योगिक प्रयोग :

विवरण का मद	हानिकारक उद्योग		औसत दर्जे के उद्योग		अधिक हानिरहित उद्योग	
	वर्ग संख्या		वर्ग संख्या		वर्ग संख्या	
1	2		3		4	
वे उद्योग जहां पंजीकृत कर्मचारी संख्या 1 से 19 है और प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र 50 वर्ग फुट या उससे कम है और पूंजीगत मूल्य एक लाख से कम है।	3		4		6	
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 20 से 99 के बीच है (अतिरिक्त वर्ग)	—		1		2	
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 100 या उससे अधिक है (अतिरिक्त वर्ग)	—		1		2	
प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र की उपलब्धता 51 से 100 वर्ग फुट है (अतिरिक्त वर्ग)	—		1		2	
प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र की उपलब्धता 100 वर्ग फुट से ऊपर है (अतिरिक्त वर्ग)	—		1		2	
पूंजीगत मूल्य यदि एक से पांच लाख के बीच है (अतिरिक्त वर्ग)	1		1		2	

1	2	3	4
पूंजीगत मूल्य यदि पांच लाख से ऊपर है (अतिरिक्त रु.)	1	1	4
अधिकतम वर्ष संख्या	5	10	20

नोट :—1. तालिका में दर्ज प्रत्येक संख्या पर समय दर्शाया गया है जो तालिका में प्रस्तुत अंश का समुच्चयबोधक है।

2. तालिका में दर्ज रोजगार उस उद्योग हेतु है जो ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। जिन उद्योगों में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती वहां रोजगार की संख्या दुगनी मानी जाएगी।

विनियम 14 के अनुसार अनुसूची-3 :

भवन तथा मशीनरी में अनुमति के अनुसार सुधार करना।

1. वर्तमान पावर प्लान्ट तथा बर्कशाप और अन्य अनुषांगिक विभाग जो माजदा उपकर की क्रियाकलापों के चलते रहने से जुड़े हैं, की उत्पादकता, दक्षता तथा मितव्ययता में वृद्धि करने हेतु किसी भी प्रकार से मरम्मत, तबदीली, आधुनिकीकरण या सुधार करना।

2. उस भवन को, किसी भी प्रकार से पुनर्गठित करना, उसमें परिवर्तन करना या उसकी मरम्मत करना, जिसमें उक्त संयंत्र एवं उपकरण स्थित है।

3. किसी भी वर्तमान कार्यालय भवन, रिहायशी, आवास, सुविधाओं क्वार्टर, टंकियों, प्लेटफार्मों, कूओं, सड़कों, नालियों तथा अन्य स्ट्रैक्चरों में वर्तमान उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं की दक्षता, उत्पादकता तथा मितव्ययता को बनाये रखने तथा उसमें सुधार करने के उद्देश्य से परिवर्तन, पुनर्गठन, बढ़ावा तथा परिवर्द्धन करना।

4. औद्योगिक भूखण्ड पर गोदाम का पुनर्निर्माण या मरम्मत, परिवर्तन करना, कच्चे माल, मशीनरी, कल-पुर्जों, परिष्कृत उत्पादों, भवन सामग्री इत्यादि को ढेर के रूप में रखना।

विनियम 16 के अनुसार अनुसूची-4

क्रम सं.	प्रयोग क्षेत्र	अनुज्ञप्त प्रयोग
1	2	3
1.	1 से 3 आर.-25 आर.-50, आर.-60	रिहायशी मकान, बाल वाड़ियां, किन्डर गार्डन तथा स्कूल क्लिनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं जिनमें पर्याप्त पार्किंग सुविधा हो; सर्विस व स्टोरेज यार्डस को छोड़कर जन सुविधाएं तथा इमारतें अवाणिज्यिक फार्मस, कृषि बागान, नर्सरियां और ग्रीन हाउसिज तथा पड़ोसवर्ती, मनोरंजनात्मक प्रयोग जिनमें क्लब्स तथा अन्य अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग सम्मिलित हैं; सह-प्रयोग जो रिहायशी प्रयोग पर स्पष्टतः अनुषांगिक है (खुदरा दुकानों व सेवा प्रयोगों को छोड़ कर) तथा वे शोर या खतरा उत्पन्न न करते हों।
2.	4 से 6 आर–75, आर–100, आर–125	आर–25 से आर–60 तक के प्रयोग क्षेत्रों में सभी उपयोगों की अनुमति है।
3.	7 से 8 आर–150, आर–200	आर–75 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं।
4.	9 : आर–250	आर–200 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं।
5.	10ए–1	कृषि, बगान, फल-वाटिका तथा सब्जी फार्म जिनके फार्म प्लाट का कम से कम आकार 1 हैक्ट. है, मुर्गी, डेरी तथा अन्य पशुधन फार्म और उनकी सह इमारतें तथा 2 हैक्ट. की न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र सीमा में आने वाले प्रयोग ; भूमि प्रयोग कार्यों में, दर्शित या वर्णित विशिष्ट प्रयोग जैसे ग्रहरी क्षेत्र, ईंट भट्टे तथा 1984 की ग्रहरी-कृत सीमा से आधा मील से बाहर 8 फुट की गहराई तक मिट्टी निकालना।
6.	11ए–2	कृषि हरित पट्टी प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुज्ञप्त है।
7.	12सी–1	खुदरा दुकानें, व्यापार एवं व्यावसायिक कार्यालय, सर्विस शॉप जैसे बारबर, टेलर, लांड्री तथा ड्राईक्लीनर्स की दुकानें इत्यादि, रेलवे तथा मनोविनोद स्थल, रिहायशी मकान, सामाजिक व कल्याण संस्था बशर्ते वे प्रथम तथा ऊपरी मंजिलों पर स्थित हों, क्लीनिक्स, मांस-मछली तथा फल बाजार, वैध खुदरा व्यापार हेतु छत वाले भण्डारगृह, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जन-सुविधाएं व इमारतें। सभी प्रयोगों हेतु अपेक्षित पार्किंग क्षेत्र अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए।
8.	13सी–2	सी–1 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं, होस्टल व बोर्डिंग हाऊस, गेस्ट हाऊस तथा होटल्स, कालेज स्कूल, अनुसंधान संस्थान, सर्विस गैरेज, गोदाम और थोक भण्डार गृह, स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारी कार्यालय भी जिसमें शामिल हैं। सभी प्रयोगों हेतु अपेक्षित पार्किंग क्षेत्र अनुमोदित अवश्य किया जाना चाहिए।
9.	14सी–3	थोक व खुदरा दुकानें, विशिष्ट प्रतिबन्ध को छोड़कर थोक व्यापार हेतु भण्डार गृह, व्यापारिक कार्यालय, रेस्तरां तथा रिहायशें बशर्ते वे प्रथम एवं

1	2	3
		आगे मंजिलों में स्थित हों, जनसुविधाएं एवं भवन पार्किंग सभी उद्देश्यों हेतु लोडिंग व अनलोडिंग आवश्यकताओं को अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए ।
10.	15एम-1	जिलेवार सूची में उल्लिखित कार्य-विधि मदों से प्रदूषण मुक्त उद्योग जो अतिशय चालक न हों या घृणित धोर, कम्पन, धूआं, गैस-धूम, गन्ध, धूल, अवशेषी रूप में या अन्य आपत्तिजनक रूप में उत्पन्न न करें और जहां ऊर्जा चालित दशा में 20 से अधिक और ऊर्जारहित संचालन की दशा में 40 व्यक्ति नियोजित हों, उद्योग हेतु भण्डार गृह हों : सभी प्रयोगों हेतु जन-सुविधाएं तथा इमारतें, पार्किंग, लोडिंग अनलोडिंग की अपेक्षाओं को अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए।
11.	16एम-2	एम-1 प्रयोग क्षेत्रानुसार
12.	17एम-3	एम-1 प्रयोग क्षेत्रानुसार
13.	18एम-4	एम-1, एम-2 तथा एम-3 प्रयोग क्षेत्रों में अनुमत सभी उद्योग तथा उद्योगों की सूची में उल्लिखित अन्य उद्योग जहां ऊर्जा चालित दशा में 50 से अधिक तथा ऊर्जा रहित दशा में 100 व्यक्ति नियोजित हैं ; सर्विस उद्योग गोदाम, भण्डार गृह, जन सुविधाएं तथा इमारतें तथा किसी वर्तमान कृषि भूमि का जब तक कि विकास कार्य हेतु उसकी आवश्यकता न हो कृषि प्रयोग करना । पार्किंग, लोडिंग तथा अनलोडिंग क्षेत्र सम्बन्धी अपेक्षाएं सभी प्रयोगों हेतु अनुमोदित अवश्य की जानी चाहिएं ।
14.	19एम-5	एम-1 प्रयोग क्षेत्र में अनुमत सभी प्रयोग ।
15.	20एम-6	कंकड़, मिट्टी, रेत इत्यादि हटाना, खनिज निकालना संक्षम प्राधिकारी द्वारा किये इस सम्बन्ध में लिये गये अन्य निर्णय, कृषि एवं कृषि के अनुषांगिक प्रयोग ।
16.	21 डब्ल्यू	अनश्वर तथा अज्वलनशील वस्तुओं का भण्डारण, भण्डार तथा गोदाम और अनुषांगिक प्रयोग पार्किंग

1	2	3
		लोडिंग व अन-लोडिंग क्षेत्र सम्बन्धी अपेक्षाओं को सभी प्रयोगों हेतु अनुमोदित किया जाना चाहिए ।
17.	22 जी	स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु प्रयोग, अनुसंधान संस्थान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान बस व रेल यात्री टर्मिनल्स, जन सुविधाएं व इमारतें, स्थानीय म्यूनिसिपल सुविधाएं, सरकारी कार्यालयों से आनुषांगिक प्रयोग तथा उनके प्रयोगार्थ पार्किंग अपेक्षाओं को अनुमोदित अवश्य किया जाना चाहिए ।
18.	23पी	समस्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जिसमें पार्क, खेल के मैदान पार्क पवेलियन तथा मुख्य पार्क विशेष मनोरंजनात्मक क्षेत्र शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक क्षेत्र, बस तथा रेल यात्री टर्मिनल्स् तथा कार पार्किंग क्षेत्र सभी मामलों में पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता को अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए।
19.	24एफ	स्थानीय तथा क्षेत्रीय म्यूनिसिपल कार्यालय ; शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, स्मारक तथा धार्मिक संस्थान ; स्थानीय म्यूनिसिपल तथा सामुदायिक सुविधाएं, जन सुविधाएं तथा इमारतें, रेडियो ट्रांसमीटर तथा वायरलैस स्टेशन्स ; शवाघर व कब्रिस्तान । सभी मामलों में पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता का अनुमोदन अवश्य होना चाहिए।

विनियम – 17 के अनुसार अनुसूची–5
विशेष अपील के अंतर्गत अनुमेय प्रयोग

क्रम	प्रयोग क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अपील के अन्तर्गत अनुमति दिये जाने पर अनुमेय प्रयोग।
1	2	3
1.	1 से 3	मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तथा पूजा के अन्य स्थान कारोबार संबंधी कार्यालय या गृह स्थित धंधे, यदि वे उसी रिहायशी इकाई में स्थित हो जिसका भाग व कारोबारी आदमी का आवास हो या वे उसी परिसर में स्थित हों, कन्वीनिएन्स शॉपिंग के प्रयोग के रूप में हों तथा पड़ोस के संदर्भ में छोटे दुकानों के रूप में यदि वे स्थानीय बाजार या अन्य जगहों में या तैयार किये गये खास क्षेत्रीय केन्द्र दर्शाये गये हों, बार्बर शॉप्स, बैरट शॉप्स, ब्यूटी तथा बीडिंग शॉप्स एंड बोटीक्स, (लिसेन्सिंग रेग्युलेशन्स, 1977 द्वारा शासित होने हैं, सराय – जो कि किसी संक्रामक रोग या मानसिक रोगियों से संबंधित न हों, मुसाफिर

1	2	3
		पटाव व सिलवाड़ा इस प्रकार का न हो कि भूगीपवर्ती रिहायशी क्षेत्रों को कोई व्यवधान होता हो, कालेज तथा अनुसंधान संस्थान जहां बिक्री की जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों का उत्पादन न होता हो तथा कोई शोर न पैदा हो और भवन का कोई भाग भूखंड रेखा से 50 फुट से कम दूरी पर स्थित न हो, म्यूनिसिपल, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, व्यावसियिक उद्देश्यों हेतु मुर्गी या पशु-फार्म बनाना ---बशर्ते वह जगह जहां कि पक्षियों या पशुओं को रखा गया है, किसी रिहायश या सम्पत्ति से 50 फुट दूर हो, स्थल के विकासार्थ कंकड़, मिट्टी रेत या पत्थर को हटाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि वहां पानी खड़ा हो जाए या किसी प्रकार का शोर उत्पन्न हो, बस डिपों, रेलवे माली स्टेशनरी एवं माल-गाड़े के अड्डे, सड़कों पर पैट्रोल प्रदायी स्टेशन या 100 फुट या इससे ऊपर का मार्गाधिकार सर्विसिंग एवं भण्डारगृह प्रांगण, टैक्सी, स्कूटर स्टेण्डस, घरेलू उद्योग (सूची परिशिष्ट "ए" पर प्रस्तुत)
2.	4 से 6	आर-25 से आर-60 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं। आर-75 आर-100 आर-125
3.	7 से 8	आर-75 से आर-125 क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं। आर-150 आर-200
4.	9	आर-250 आर 200 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं।
5.	10एम-1	पूजा आदि के स्थल, स्कूल; पुस्तकालय, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भवन, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जो लाभार्थ नहीं चलाये जा रहे हों ; भंडारगृह, फार्म उत्पादों की प्रोपर्टी पर जहां कि वे उत्पन्न किये जाते हैं, से प्रेषण एवं बिक्री; फार्म मशीनरी की सर्विसिंग तथा मरम्मत तथा कृषिजनित पदार्थों की बिक्री; जन-सुविधाएं व इमारतें।
6.	11एम-2	विपणन केन्द्रों में स्थित खुदरा दुकानें और सर्विस संबंधी प्रयोग मिल्क चिलिंग स्टेशनरी तथा पाश्चुराइजेशन प्लान्टस, कुटीर उद्योग एवं अन्य ऐसे हल्के उद्योग जो कृषिजनित हैं, ग्रामीण कालेज, बोर्डिंग हाउसिज व होस्टल्स, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं जो लघु प्रायोगिक संयंत्र द्वारा उत्पादित को छोड़कर बिक्री की जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों के उत्पाद सार्थ प्रयुक्त न किये जा रहे हों तथा उनके द्वारा शोर पैदा न होता हो और इमारत का कोई भाग किसी रिहायश या समीपवर्ती परिसर या किसी सम्पत्ति सीमा रेखा या सड़क से 100 फुट की हद में न आता हो 8 फुट को गहराई तक खुदाई सामग्री, पत्थर खुदाई बस अथवा रेल यात्री तथा माल भाड़े के अड्डे, विमानों के उतरने के लिए मैदानी क्षेत्र, तथा उनके आवश्यक सम्बद्ध कारक, सुविधाएं व इमारतें, सैन्य उद्देश्यार्थ अपेक्षित क्षेत्र, वायरलेस सम्प्रेषण एवं मौसम केन्द्र, मेटेलस।

1	2	3
7.	12-सी-1	सामाजिक एवं कल्याण संस्थाएं, पैट्रोल फिलिंग स्टेशनस कोयला, लकड़ी या टिम्बर यार्डस, सीमेंटेड ब्लाक अथवा ब्रिक्स सहित तथा इनके उत्पादन वाले उद्योग जहां उन्हें हो या न हो । वे अधिक व्यक्ति नियोजित हों तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अड्डों में ही खुदरा रूप में विक्रय किया जाता हो, टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड, बस टर्मिनस, सभी प्रयोगों हेतु पार्किंग अवश्यकता अवश्य अनुमोदित होनी चाहिए।
8	13-सी-2सी-1	जोन में विशेष अपील के अंतर्गत अनुमत समस्त प्रयोग। उपरि सीमेंटेड मिलकार पत्र और लकड़ी के। विपणन केन्द्रों को स्थानक योजनाओं या क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुमत किया जाए: इसके विनिर्माण, शोर रहित या हानि रहित मशिन इन्डस्ट्रीज जहां कार्य चालित या रहित अवस्था में 10 से अनधिक कर्मचारी नियोजित न हो; जैसे-घड़ियां, पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता-सभी उद्देश्यों हेतु अवश्य प्रदान की जाएं।
9.	14सी-3	ट्रक टर्मिनल तथा पार्किंग; स्कूल क्लिनिक्स, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, मनोरंजनात्मक उपयोग, भंडारगृह तथा मांस एवं मछली की मार्किट। सभी प्रयोगों हेतु पार्किंग, लोडिंग, व अनलोडिंग क्षेत्र संबंधी आवश्यकता का प्रावधान अवश्य किया जाए।
10.	15एम-1	बस एवं ट्रक टर्मिनल्स रेल यात्री व माल भाड़े के अड्डे, पैट्रोल फिलिंग स्टेशनस, टैक्सी तथा स्कूटर स्टेण्ड जंक यार्डस, निगरानी एवं देखरेख करने वाले कर्मचारियों हेतु रिहायश, कर्मचारियों हेतु कैन्टीन तथा मनोरंजन- सुविधाएं।
11.	16एस-2	एम-1 प्रयोग क्षेत्र के अनुरूप परन्तु एफ. ए. आर. तथा कवरेज उसके बाद में दिये अनुसार भिन्न है।
12.	17एम-3	निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित केवल उन्हीं उद्योग को अनुमत किया जाएगा जो किसी प्रकार शोर उत्पन्न नहीं करते। कर्मचारियों हेतु कैन्टीन, मनोविनोद सुविधाएं तथा आवास सुविधा का प्रावधान, परन्तु साइट पर प्रति एकड़ 25 व्यक्तियों से अधिक का घनत्व न हो।
13.	18एस-4	एम-4 जोन में उल्लिखित सभी प्रयोग अनुमत है। अनुसूची में उल्लिखित सभी उद्योग अच्छे उद्योग के संचालित होने योग्य उत्पन्न धुएं, गंध, धूप तथा शोर के संबंध में मानक निर्धारित हो।
14.	20 : एम-6	शून्य
15.	21 : डब्ल्यू	नष्ट होने लायक तथा ज्वलनशील सामग्रियां रखे जाने वाले गोदाम, सुरक्षा कर्मचारियों हेतु रिहायश पार्किंग, लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यकताओं का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।
16.	22 जी	शून्य
17.	23पी	खाद्य उत्पाद, शिक्षा-संबंधित केन्द्रों, खाद्य वस्तु बिक्री केन्द्र, वस्त्र धोबीघाट, व्यक्तिगत सर्विसेज, मनोरंजन व सम्बद्ध संबंधित प्रयोग जिनसे शोर या खतरा उत्पन्न न होता हो। विभिन्न कर्मचारियों हेतु रिहायश पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।
18.	24एफ	मुख्य प्रयोग से संबंधित रिहायश एवं अन्य आनुषंगिक प्रयोग तथा उनसे किसी भी प्रकार से कोई शोर या खतरा उत्पन्न न होता हो।

(अनुसूची 5 का परिशिष्ट "ए")

रिहायशी क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों की सूची :

श्रेणी "ए" (वे व्यवसाय जिनके लिए पावरलोड की स्वीकृति नहीं दी जाएगी) :—

1. अगरबत्ती तथा अन्य उत्पाद
2. कैलिडो तथा टैक्सटाइल प्रिंटिंग
3. बेंत-बांस उत्पाद
4. क्ले-मोडलिंग
5. नारियल एवं अन्य फाइबर उत्पाद
6. जरी, जरदोजी
7. पत्थर नक्काशी
8. तस्वीरों की फ्रेमिंग
9. पियर्क, पिथेट विनिर्माण
10. छाता जोड़ने का काम
11. मोमबत्तियां
12. बाटिक छपाई
13. दरी व कारपेट बुनाई
14. खादी व हैंडलूम
15. घड़ियों व घंटों की मरम्मत
16. खाने वाले तेलों के अलावा तेलों से साबुन उत्पादन
17. ग्रामीण पोटरी उद्योग (व्यवसाय, बिना पावर लोड के चलाया जाता हो)।
18. स्टोव पिनें तथा सेफ्टी पिनें।

श्रेणी "बी" (वे व्यवसाय जिनके लिए 1 कि. वा. की पावर लोड की स्वीकृत दी जानी अपेक्षित है) :—

19. जेवरात कार्य
20. निम्नलिखित का विनिर्माण :—
    (1) ब्लैंको केप्स
    (2) ब्रुश
    (3) क्रेओन्स
    (4) आईसक्रीम तथा मिष्ठान, जैम, जैलीज; तथा
    (5) जैम, जैलीज तथा फल परीक्षण
    (6) नैरो फेब्रिक्स तथा लाख के कार्य की सामग्री
    (7) वाद्ययंत्र तथा उनकी मरम्मत
    (8) जड़ाऊ चर्म वस्तुएं जैसे पर्स, हैंड-बैग
    (9) हल्के इलैक्ट्रोनिक्स।
21. बुक-बाइंडिंग सहित पेपर स्टेशनरी संबंधी वस्तुएं
22. टेलरिंग
23. धागा गोले व कॉटन फिलिंग्स
24. लकड़ी की नक्काशी तथा कलात्मक काठ की वस्तुएं
25. सेवई तथा मैकरानी
26. इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं को जोड़ना तथा मरम्मत करना
27. हाथी दांत नक्काशी
28. कार्ड बोर्ड बक्से
29. प्लास्टिक एवं पी. वी. सी. उत्पाद
30. खिलौने तथा गुड़ियां
31. पैपियर मशीन
32. तांबे व पीतल कला वस्तुएं
33. खाद्य के उत्पाद
34. फीता, रस्सा तथा सुतली बनाना
35. बढ़ईगिरी
36. खेलकूद सामग्री
37. चमड़े के फुटवीयर
38. इलैक्ट्रिकल गैजेट्स को जोड़ना व मरम्मत करना
39. ऊन के गोले तथा लच्छी बनाना
40. चमड़ा तथा रैक्सीन से वस्तु निर्माण
41. सुगन्धित एवं शृंगारिक वस्तुएं
42. सिलाई मशीनों को जोड़ना/मरम्मत करना
43. सर्जरी पट्टी की रोलिंग तथा कटिंग
44. फाउन्टेन पेन तथा बाल पेन
45. होजरी
46. लोहारगिरी — (बशर्ते व्यवसाय भट्टी के प्रयोग के बिना एक ड्रिल मशीन, एक ग्राइन्डर तथा एक चार फुटी लेद मशीन की सहायता से एक कि. वा. से कम ऊर्जा खपत करते हुए चलाया जा रहा हो)।
47. कन्टेक्ट लैन्सिज निर्माण कार्य
48. ब्लाक बनाने तथा फोटो एनलार्जिंग
49. एक कि. वा. से फोटो सैटिंग
50. लकड़ी/कार्ड बोर्ड/ज्यूलरी बोर्ड बशर्ते अग्नि शमन विभाग से अनापत्ती प्रमाण-पत्र लिया जाए।
51. फोटो स्टेट तथा साइक्लोस्टाईलिंग
52. कैनवास बैग तथा बिस्तर बंद
53. बड़ियां तथा पापड़ तैयार करना
54. मशीन से ऊन की बुनाई
55. कशीदाकारी।

श्रेणी "सी" :

56. ग्राम्य तेल-घानी संबंधी व्यवसाय।

[सं. एफ. 16 (134)/73- एम. पी.]

एम. पी. जैन, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 1986

S.O. 161.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby, makes the following regulations under Clause (f) of the said Section.

CHAPTER I—GENERAL

1. Short title, application and commencement.—(1) These Regulations may be called Delhi Development Authority (Zoning) Regulations, 1983.

(2) These Regulations shall apply to the whole of the Union Territory of Delhi.

(3) These Regulations shall come into force immediately on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

(b) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.

(c) "Capital Value" means the value of land, structure and machinery allowing depreciation on the date of sanctioned Master Plan.

(d) "Commercial" means that which relates to Commerce.

(e) "Competent Authority" means the Delhi Development Authority.

(f) "District Centre" means district centre as shown in any of the plans and includes a sub-district centre.

(g) "Floor Space per worker" means the resultant after dividing the total production floor space in square metres by the total registered industrial empolyment.

(h) "Improvements to buildings" means the improvements as mentioned in Schedule III.

(i) "Industrial" means that which relates to Industry.

(j) "Non-conforming use" means the use of land or building not in conformity with the Master Plan and or the Zonal Development Plan for a zone.

(k) "Noxious industry" means such industry which may be dangerous to life, or injurious to health or property caused by fumes, effluent or smoke or by producing or storing inflammable material.

(l) "Nuisance industry" means such industry which may cause injury, danger, annoyance or offence to the scene or sight, smell or hearing or disturbance to rest or sleep.

(m) "Registered employment" means the number of workers registered with the Act under which the industry is functioning.

(n) "Residential" means that which relates to residence.

(o) "Use zones" means designation of the various uses as per Schedule I.

2. The terms not defined here expressly shall have the same meaning as defined or explained in the Master Plan.

CHAPTER II

3. Uses to be allowed by sanctioning authorities in built-up areas.—In built up areas, the sanctioning authority may allow uses permitted in a use zone until Zonal Development Plans are prepared.

4. Uses allowed by the sanctioning authorities to be incorporated in the Z.D.P.—When the Zonal Development Plan to a built-up area is prepared, the uses allowed by the sanctioning authorities be incorporated in the land-use proposals.

CHAPTER III

Shifting of non-conforming uses and conversion of certain uses :—

5. Industrial Non-conforming uses (Noxious Industries).—Any person who may have, immediately before the operation of plan, been using any land or building for running noxious industry shall shift that industry within three years to any conforming area or stop non-conforming use on the expiry of the said period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the said land or the building in that zone for "noxious industry" for such additional time as the authority may allow :—

(a) in accordance with Schedule II in case the capital value exceeds one lac rupees ;

(b) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar nature of the noxious industry.

6. Industries not noxious but cause nuisance.—Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building for running a nuisance industry shall shift that industry within four years to any conforming area earmarked in the plan or shall stop the non-conforming use, on the expiry of such period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the land or building in that zone for the nuisance industry for additional time as the authority may allow :—

(1) In accordance with schedule II upto a maximum of ten years on a sliding scale if—

(a) the industry referred to in the Regulation has higher capital value ;

(b) the registered employment of industry is more ; and

(c) the industry referred to in the regulation has more floor space per worker.

(2) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar circumstances of the nuisance industry.

7. Non-nuisanee Industry.—Any person who may have, immediately before the operation of any plan, been using any land or building for running a non-nuisance industry shall shift that industry within six years to any conforming area earmarked in the plan or shall stop the non-conforming use on the expiry of the said period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the land or building in that zone for a non-nuisance industry for such additional time as the authority may allow :—

(1) in accordance with schedule II for a period upto twenty years on a sliding scale if :—

(a) the industry referred to in the regulation has higher capital value ;

(b) the registered employment of the industry is more ; and

(c) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar circumstances of the industry.

8. Residential use in industrial area.—Residential non-conformity use and its conversion.

Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building for a non-conforming use for residential purpose in an industrial use zone, may continue to use the same for a period of ten years and on expiry thereof shall shift the non-conforming use to any conforming area earmarked in the plan.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use such land or building in that zone for such non-conforming use even beyond the said period of ten years if that person has obtained approval of the authority in respect of the layout plan and the superstrucure being put to non-conforming use.

9. Residential use in commercial areas.—Any person who may have, immediately before operation of the plan, been using any land or building for non-conforming use for residential purpose in a commercial zone may continue to use the same for a period of ten years and on expiry thereof shall shift non-conforming use to any conforming area earmarked in the plan.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use such land or building in that zone for such non-conforming use even beyond the said period of ten years if—

(a) Such person has obtained approval of the Authority in respect of the layout plan and the superstructure being put up to non-conforming use ;

(b) the authority, for reasons to be recorded in writing, allow such person the residential use to continue on first and higher floors of building in that zone.

10. Residential use in public recreational areas.—Any person who may have, immediately before operation of the plan, been using any land or building for non-conforming use for residential purpose in public recreational use zone may continue to use that land or building in case such land or building is situated in any village which was in existence on 1st September, 1962 and in all other cases only upto a period of ten years or such extended period as the Authority may keeping in view the peculiar circumstances of the case allow.

11. Commercial use in Industrial areas.—Any person may continue to use any land or building in industrial use zone for commercial purposes :—

(a) for a period of ten years after obtaining approval for conversion of the uses of such land or building to commercial use and the approval of the layout plan and structure thereon from the Authority ; and

(b) in any other case on such terms and conditions as the Authority may prescribe.

12. Commercial use in residential areas.—Any person may continue to use any land or building in a residential use zone for commercial purpose—

(a) for a period of ten years provided the land is earmarked as local commercial area in the Zonal Development Plan of that zone ; and

(b) in any other case on such terms and conditions as the authority may prescribe.

13. Commercial use in Public & semi-public areas including recreational areas.—Any person may continue to use any land or building in public or semi-public use zone including recreational zone for commercial purpose—

(a) for a period of ten years provided the land has been earmarked as local commercial area under the zonal development plan of that zone ; and

(b) in any other case on such terms and conditions as the Authority may prescribe.

14. Improvements and alterations in non-conforming areas.—Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building not in conformity with the Master Plan or the Zonal Development Plan of that area intends to make improvements or alterations in the machinery that may have been installed on such land or building may be permitted to do so provided such improvements or alterations are covered by the items mentioned in schedule III to these Regulations.

15. Temporary permits.—Any land or building may be permitted on an application in written and for reasons to be recorded in writing temporary with a time limit to be used for a purpose other than the use stipulated in the plan like tents for workers to live while constructing an industrial estate or while an area is underdeveloped and the property owner wishes to continue agriculture or in underdeveloped areas to make temporary use of the land in some other way than shown in the plan.

16. Use permitted.—It shall be lawful to continue to use any land or building in a zone provided it has been earmarked for any of the uses showing as permitted in that zone in Schedule IV attached hereto.

17. Use permitted if allowed by competent Authority after special appeal.—It shall be lawful to continue to use any land or building in a zone which has been expressly permitted to be used for any purpose mentioned in Schedule IV hereto, by the Competent Authority after special appeal.

SCHEDULE I—AS PER REGULATION 1 (O)

		USE ZONE
1.	R-25	Residential
2.	R-50	Residential
3.	R-60	Residential
4.	R-75	Residential
5.	R-100	Residential
6.	R-125	Residential
7.	R-150	Residential
8.	R-200	Residential

9. R-250	Residential
10. A-1	Agricultural Green Belt
11. A-2	Rural
12. C-1	Retail Shopping.
13. C-2	General Business and Commercial (Central and sub-central business districts, business districts, distt. centres).
14. C-3	Wholesale
15. M-1	Flatted factory
16. M-2	Work-cum-Industrial Centre.
17. M-3	Special Industry
18. M-4	Light Industry and Service Industry.
19. M-5	Extensive Manufacturing
20. M-6	Extractive Industries, mining brick kilns stone crushing etc.
21. W	Warehousing, storate & depots.
22. C	Govt. & Semi-Govt. offices
23. P.	Recreation
24. F	Public & semi-public facilities.

SCHEDULE II AS PER REGULATIONS 5 TO 7 :
Time Schedule for non-conforming uses

Industrial Uses :

Conditions for Moratorium	Naxious Industries	Nuisance Industries	Non-nuisance Industries
	No. of yrs.	No. of yrs.	No. of yrs.
1	2	3	4
Industries with no. of registered employees 1 to 19 with production floor space per worker 50 sq. ft. and below and capital value less than one lakh	3	4	6
No. of registered employees between 20 to 99 (addl. years)	..	1	2
No. of registered employees 100 and above (additional years)	..	1	2
Production floor space per worker between 51 to 100 sq. ft. (Addl. years)	..	2	2
Production floor space per worker of over 100 sq. ft. (additional years)	..	1	2
Capital value between one and five lakhs (addl. years)	1	1	2
Capital Value above five lakhs (addl. years)	1	1	4
Maximum no. of years	5	10	20

Note 1. Time is given on each count listed in the table and is cumulative in the order given in table.

2. The employment noted in table is for industry using power. For industry not using power the employment is to be taken as double.

SCHEDULE III AS PER REGULATION 14 :

Improvements to building and Machinery which may be allowed :

1. Repairs, replacement, modernisation or reform in any manner to improve productivity, efficiency and economy of the existing power plant and workshops and other auxiliary departments connected with the carrying on of the activities of the existing equipment.
2. Any re-organisation, alteration, or repairs of building that house such plant and equipment.
3. Alteration, re-organisation, extension and addition to the existing office buildings, residential house, amenities, gates, tanks, plateforms, wells, roads drains and other structures in order to maintain and improve the efficiency, productivity and economy of the existing manufacturing activities.
4. Repairs, alteration, or rebuilding of godowns on a industrial plot stocking raw-materials, machinery parts and spares, finished products building materials etc.

SCHEDULE IV AS PER REGULATION 16

Sl. No.	Use Zone	Uses Permitted
1	2	3
1.	1 to 3 R-25, R-50 R-60	Residences, nurseries, kindergartens and schools, clinics, social and cultural institutions with adequate parking facilities public utilities and buildings except service and storage yards non-commercial farms, agricultural, gardens, nurseries and green houses and neighbourhood, recreational uses including clubs and other semi-public recreational uses acessory uses, clearly incidental to residential use (except retail shops and service uses) which will not create a nuisance or hazard.
2.	4 to 6 R-75, R-100 R-125	All uses permitted in R-25 to R-60 use zones.
3.	7 to 8 R-150, R-200	All uses permitted in R-75 use zones.
4.	9 : R-250	All uses permitted in R-200 use zones.
5.	10 A-1	Agricultural horticulture orchard and vegetable farms having minimum size of farm plot 1 hectare poultry, dairy and other live stock farm and their accessory buildings and uses within the plot area limitation of minimum 2 hectare plot uses specifically shown or stated in the land use plan, like urban villages. Brick kilns and removal of clay upto 8 ft. depth beyond a distance of half a mile from the urbanisable limits of 1981.

1	2	3
6.	11 A-2	All uses permitted in Agricultural Green Belt use Zones.
7.	12 C-1	Retail shops, business and professional offices service uses like barbers and tailor, laundry and dry cleaners shops etc., restaurants and entertainment places residences social and welfare institution provided they are located in first and higher floors, clinics meat fish and fruit markets roofed storage for legitimate retail business, public and semi-public recreational uses public utilities and building, Parking area requirements for all uses must be approved.
8.	13 C-2	All uses permitted in C-1 use zone also hostels and boarding houses, guest houses and hotels, colleges, schools, research institutions, service garages, warehousing and covered storage local and central government offices. Parking area requirements for all uses must be approved.
9.	14 C-3	Wholesale and retail shops, storage for whole-sale uses except when specifically prohibited. business offices restaurants and residences provided they are located in first and higher floor, public utilities and building parking, loading and unloading requirements must be approved for all uses.
10.	15 M-1	Industries conforming to performance standards as given in illustrative list which could not cause excessive injurious or obnoxious noise, viberation, smoke gas fumes, odour, dust, effluent or other objectionable conditions and employing not more than 20 workers with power or 40 without power, covered storage for industry. Public utilities and building parking, loading and unloading requirements must be approved for all uses.
11.	16 M-2	Same as in M-1 use zone.
12.	17 M-3	Same as in M-1 use zone.
13.	18 M-4	All industries permitted in M-1, M-2, and M-3 use zones and other given in the list of industries and employing not more than 50 workers with power and 100 without power, service industries, warehousing and storage; public utilities and building and agricultural use in existing agricultural land until the area is required for development. Parking, loading and unloading area requirements must be approved for all uses.
14.	19 M-5	All uses permitted in M-4 use zone.
15.	20 M-6	Removal of gravel, earth, sand etc. extraction of minerals, with any conditions imposed by competent authority; agricultural and uses incidental to agriculture.
16.	21 W	Warehousing, storage and depot for non-parishable and non-inflamable commodities and incidental use. Parking loading and unloading area requirements must be approved for uses.
17.	22 G.	Local, state and central government offices and use for defence purposes research institutions; social and cultural institutions bus and railway passenger terminals, public utility and building, local municipal facilities, uses incidental to government offices and for their use parking requirements must be approved.
18.	23. P.	All public and semi-public recreational uses including parks, playgrounds, park ways and boulevards; special recreation areas and educational and recreational areas; bus and railway passenger terminals and Car parking area. Parking area requirement must be approved in all cases.
19.	24. F.	Local and zonal municipal officers; educational and research institutions, social and cultural institutions, monument and religious institutions; local municipal and community facilities, public utilities and building; radio transmitter and wireless stations; cremation ground and cemeteries. Parking area requirements must be approved for all uses.

SCHEDULE V AS PER REGULATION 17 :

Uses permissible after special appeal.

Sl. No.	Use Zone	Use Permissible if allowed by competent authority after special appeal.
2		3
1.	1 to 3	Temples, Mosques, churches and other places of worship; professional office or home occupations; when situated in the same dwelling as the one occupied by the professional man or women or when located in local shopping centre; commercial offices service uses and retail shops of a neighbourhood character when located in local shopping centres or in concentrated locations or as shown in the zonal plan when prepared; boarding houses, guest houses, hostels, and lodging houses governed by the Hotels, Boarding Houses, Guest Houses, Hostels, Lodging houses and Motels (Building Standards) Regulations 1977, hospitals and sanitoria not treating contagious diseases or mental patients; provided the set back and coverage of plots are such as not to constitute nuisance to residential area; college and research institutions not to be operated for the production of goods or other materials or sale provided there is no nuisance created and no part of the building is located less than 50 ft. from any plot line; municipal estate, and central government offices, raising of poultry or cattle for non-commercial uses provided that no bird or animal is housed closer than 50 ft. of a dwelling or a property line; removal of gravel clay sand or stone for development of site which will not result in the stagnation of water or cause other nuisance, bus depots, railway passenger and freight stations; petrol filling stations in roads or 100 feet right of way and above; services and storage yard, taxi and scooter stands; household industries (list attached Appendix 'A').
22.	4 to 6 R-75, R-100, R-125	All uses permissible in R 25 to R-60 use zones.
3.	7 to 8 R-150, R-200	All uses permissible in R-75 to R-125 uses zones.
4.	9 R-250	All uses permissible in R-200 use zones.
5.	10 A-1	Places of worship etc. schools; Libraries and educational and cultural buildings parks and other public and semi-public recreational use not conducted for profit; storage, processing and sale of farm products on the property where produce; the servicing and repair of farm machinery and the sale of agricultural supplies; public utility and buildings.
6.	11 A-2	Retail shops and service uses to be located in shopping centres; milk chilling stations and pasturisation plants, cottage industry and such light industry which use agricultural produce.
		Colleges, Rural boarding houses and hostels scientific and industrial research laboratories not to be operated for the production of goods or other materials for sale except as may be produced by a small pilot plant provided there is no nuisance caused and no part of the structure is placed closed than 100 feet from any dwelling or an adjoining premises of from any property line or road, excavation materials up to 8 feet depth; stone quarrying bus, or railway passenger and freight stations landing fields for planes and their necessary appurtenances, utilities and buildings, area needed for Defence purposes, wireless transmitting and weather stations motels.
7.	12 C-1	Social and welfare institutions, petrol filling stations, coal, wood or timber yards, service garages; light manufcaturing without nuisance or hazard and employing not more than 4 persons with or without power provided the goods manufactured are sold on the premises in retail; taxi and scooter stand, bus terminal. Parking area requirements for all uses must be approved.

1	2	3
8.	13 C-2	All uses allowed with special appeal in C-1 zone. In addition, newspaper and printing presses, the following may also be allowed in specific areas under detailed plans or zonal plans of the shopping centre; light manufacturing and service industries without nuisance or hazard and not employing more than 10 persons with or without power junk yards parking area requirements for all uses must be provided.
9.	14 C-3	Truck terminal and parking schools, clinics and social cultural institutions recreational uses, storage markets and dealing with meat and fish. Parking loading and unloading area requirements must be provided for all uses.
10.	15 M-1	Bus and truck terminal, railway passenger and freight terminals, petrol filling stations taxi and scooter stands, junk yards, dwelling for watch and ward staff, canteen and recreation facilities for the employees.
11.	16 M-2	Same as in M-1 use zone except that FAR and coverage etc. are different as given later on.
12.	17 M-3	Only such industries as given in the illustrative list that do not create nuisance of any type will be allowed, along with canteens, recreation clubs and residence to employees provided the density is not more than 25 persons per acre on the site.
13.	18 M-4	All uses allowed with special in M-4 zone. All industries mentioned in schedule subject to standard stipulated on smoke, odour, fumes and noise produced in the working of the industry.
14.	20 M-6	Nil.
15.	21 W	Warehousing of perishable and inflammable commodities. Dwellings for watch and ward staff. Parking, loading and unloading requirements must be provided.
16.	22 G	Nil.
17.	23 P	Outdoor theatres and drive-in-cinemas restaurants and selling of eatables public utility and municipal facilities uses clearly incidental to recreational use which will not create nuisance or hazard. Dwelling for watch and ward staff parking area requirements must be provided.
18.	24 F	Residence and other uses incidental to main use and in no way causing any nuisance or hazard.

(Appendix 'A' to Schedule V)

LIST OF HOUSEHOLD INDUSTRIES IN RESIDENTIAL AREA

Category 'A'

(Trades for which no power load would be sanctioned)

1. Agarbati & other products.
2. Calido & Textile Printing.
3. Cane Bamboo Products.
4. Clay Modelling.
5. Coir & other fire products
6. Zari Zardozi.
7. Stone Engraving.
8. Framing of pictures.
9. Pithwork Mfg. of Pitch-hate
10. Umbrella Assembly.
11. Candles.
12. Batik Work.
13. Dari & Carpet weaving.
14. Khadi & Handloom.
15. Repair of watches & clocks.
16. Mfg. of soap with non-edible oil.
17. Village pottary (trade is run without using power load) industry.
18. Stove pins and safety pins.

Category 'B'

(Trades for which power load upto 1 KV be considered for sanction)

19. Jewellery work.
20. Mfg. of :—
    (i) Blanco Cakes.
    (ii) Brushes.
    (iii) Crayons.
    (iv) Ice Cream and Confectionary, Jam & Jellies.
    (v) Jam, Jellies & fruit preserves.
    (vi) Narrow Fabrics & Lac-work material.

(vii) Musical Instruments ind. repairs.

(viii) Ornamental leather-goods such as purses, hand bags.

(ix) Small Electronics.

21. Paper stationery items including book-binding.
22. Tailoring.
23. Thread balls & cotton-fillings.
24. Wood carving & Artistic-wood wares.
25. Vermicalli & Macaroni.
26. Assembly & Repairing of Electronic items.
27. Ivory carving.
28. Card Board Boxes.
29. Plastic & PVC Products.
30. Toys & Dolls.
31. Papier Machine.
32. Copper & Brass Artware.
33. Lac Products.
34. Cordage, Rope & Twine Making.
35. Carpentary.
36. Sports goods.
37. Leather Footwear.
38. Assembly & Repairs of Electrical Gadgets.
39. Wool Balling and Lachee Making.
40. Leather & Raxian Made-ups.
41. Perfumery & Cosmetics.
42. Assembly Repair of Sewing Machines.
43. Surgical Bandage rolling|cutting.
44. Fountain pens and ball pens.
45. Hosiery.
46. Blacksmith (provided the trade is run without the use of Bhatti and with the help of one drill machine, one grinder and one four ft. lathe machine altogether consuming power less than one KV).
47. Contact lenses Mfg.
48. Block making & photo enlarging.
49. Photo setting with 1 K.V.
50. Wooden|card board jewellery board subject to NOC from fire Deptt.
51. Photostat & Cyclostyling.
52. Canvas bags & holds-alls.
53. Preparation of Vadi & Papad.
54. Wool Knitting with machine.
55. Embroidery.

Category 'C'

56. Trade of village oil ghani.

[No. F. 16(134)|73-M.P.]

M. P. JAIN, Secy.
Delhi Development Authority.

MGIPRRND—VII—1 DDA/85—24-1-86—.120

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 1986/माघ 15, 1907
No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, FEB. 4, 1986/MAGHA 15, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1986

का. आ. 40(अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 52 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय सम्पदाओं के मामले में 1957 के अधिनियम सं. 61 की धारा 49 की उप धारा (1) के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति देने की शक्ति का प्रयोग इसके निदेशक (आवास) द्वारा भी किया जा सकेगा । दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 49 (1) के अंतर्गत शक्तियों का

यह प्रत्यायोजन दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 49(1) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों को पहले प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के अतिरिक्त है ।

[यू. सी. 11-ए (60)/83 पार्ट-I]

एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February 1986

S.O. 40(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority hereby directs that its power to give previous sanction under Sub-section (1) of Section 49 of the Act No. 61 of 1957 may also be exercised by its Director (Housing) in respect of Housing Estates of D.D.A. That this delegation of powers under Section 49(1) of Delhi Development Act is in addition to the Delegation of Powers already conferred under Section 49(1) of Delhi Development Act on other officers of Delhi Development Authority.

[U.C. 11-A(60)/83. Pt. I]

M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1986/भाद्र 28, 1908
No. 379] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1986/BHADRA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना

का.आ. 679(अ):—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/जोनल योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अन्दर सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन बी ब्लाक, आई एन ए नई दिल्ली को भेज दे। आपत्ति करने या सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

"जोन डी-3 के अन्तर्गत आने वाले लगभग 2648.18 वर्ग गज क्षेत्रफल का भूमि उपयोग "सरकारी और अर्द्ध सरकारी सुविधाओं" (धोबी घाट और विद्युत सब-स्टेशन स्थल) और "परिचालन" से "सरकारी उपयोग" (वकीलों का चेम्बर) में बदला जाना प्रस्तावित है, जो उत्तर की ओर शैक्षणिक संस्था (विधि संस्थान), दक्षिण और पूर्व की ओर रिहायशी (सरकारी बंगले) और पश्चिम की ओर सार्वजनिक उपयोगिता (विद्युत सब-स्टेशन) से घिरा है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के अन्दर सभी कार्यशील दिनों को उप निदेशक, मुख्य योजना, 6ठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ० 20(6)/84-एम.पी.]

एम. पी. जैन, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 19th September, 1986

PUBLIC NOTICE

S.O. 679 (E):—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, is hereby published for pulbic information. Any person having any objection or suggestion with respect to the propbsed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 2648.18 sq. yds. falling in zone D-3 and bounded by Educational Institution (Law Institute) towards its North, residential (Government Bungalows) towards South and East and Public Utility (Electric Sub-Station) towards West is proposed to be changed from 'Public and Semi-Public Facilities' (Dhobi Ghat and Electric Sub-Station site) and 'Circulation' to 'Governmental use' (Lawyers Chamber)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(6)/84-M.P.]

M. P. JAIN, Secy.
Delhi Development Authority

सुझाव इस नोटिस के जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, बी ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने या सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

"लगभग 0.44 हेक्ट. (1 एकड़) क्षेत्र का जो एफ. 3 में महरौली रोड़ के साथ लगता है और जो अनुमोदित जोनल योजना/विकास योजना में आंशिक रूप से (0.08 हेक्ट.) हरित के लिए और आंशिक रूप से (0.36 हेक्ट.) सरकारी और अर्द्ध-सरकारी (एस) के लिए निर्दिष्ट है और जो उत्तर में हरित क्षेत्र, पूर्व में शैक्षणिक उपयोग, दक्षिण में 9 मीटर चौड़ी सड़क तथा पश्चिम में 60 मीटर मार्गाधिकार की महरौली रोड़ से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "व्यावसायिक" (स्थानीय खरीददारी उपयोग) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों को उप-निदेशक, मुख्य योजना विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[एफ. 3(123)/83 एम. पी.]

एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 30th December, 1986

PUBLIC NOTICE

S.O. 5(E).—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi, within a period on thirty days from the date of issue of the notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring about 0.44 ha. (1 acre) abutting Mehrauli Road in Zone F-3, earmarked in the approved Zonal Plan|Development Plan, party (0.08 ha.) for green and party (0.36 ha.) for "Public and Semi-Public Facilities" (School) and bounded by green area in the North, educational use in the East, 9 Mt. wide road in the Souh and 60 Mt. R|W road Mehrauli Road in West is proposed to be changed to 'Commercial" (local shopping use)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Dy. Director, Master Plan, Vikas Minar, 6th Floor, I. P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred to above.

[No. F3(123)|83-MP.]

M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RNIG ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 1986/अग्रहायण 3, 1908
No. 483] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 24, 1986/AGRAHAYANA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली 20 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 857(अ) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ब.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल को उक्त सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. 18011(28)/67 यू. डी. दिनांक 14-2-69

के अनुसार प्रत्यायोजित की गयी, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल सहर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद में मुख्य वास्तुविद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थान पर मुख्य योजनाकार टी. सी. पी. ओ. को नामोनीत करते हैं।

[एफ2(6)/85 एम. सी.]
एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 20th November, 1986

NOTIFICATION

S.O. 857 (E) :—In exercise of the powers of the Central Government vested in it under Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) and delegated to him under sub-section (2) of Section 52 of the said Act by that Government vide Notification No. 18011 (28) /67-UD dated 14-2-1969, the Administrator/Lt. Governor of the Union Territory of Delhi is pleased to nominate the Chief Planner, TCPO in place of the Chief Architect, CPWD on the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F 2 (6) /85-MC.]
M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजि० सं० डी० एल०-33

REGISTERED No. DL-33

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 1987/पौष 16, 1908
No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 1987/PAUSA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 5. (1).—निम्नलिखित संशोधन सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/जोनल योजना में करने का प्रस्ताव है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आक्षेप या उसके संबंध में सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति या

रजि. सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (DN)-72

DOCUMENTATION LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 1986/अग्रहायण 3, 1908
No. 483] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 24, 1986/AGRAHAYANA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली 20 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 857(अ) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ब.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को दिई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल को उक्त सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. 18011(28)/67 यू. डी. दिनांक 14-2-69

के अनुसार प्रत्यायोजित की गई, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल सहर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद में मुख्य वास्तुविद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थान पर मुख्य योजनाकार टी. सी. पी. ओ. को मनोनीत करते हैं।

[एफ2(6)/85 एम. सी.]
एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 20th November, 1986

NOTIFICATION

S.O. 857(E) :—In exercise of the powers of the Central Government vested in it under Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) and delegated to him under sub-section (2) of Section 52 of the said Act by that Government vide Notification No. 18011 (28)/67-UD dated 14-2-1969, the Administrator/Lt. Governor of the Union Territory of Delhi is pleased to nominate the Chief Planner, TCPO in place of the Chief Architect, CPWD on the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F 2 (6)/85-MC]
M. P. JAIN, Sec

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (एन.)-127 REGISTERED NO. D (D)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 1988/पौष 15, 1909
No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 1988/PAUSA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 17(अ) :—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास [illegible] अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (अ) के [illegible] दिल्ली नगर निगम ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति [illegible] सदस्य रूप में कार्य करने के लिये, श्री मुकंद लाल बिन्द्रा (जिनकी मृत्यु हो चुकी है) के स्थान पर श्री श्री कृष्ण शर्मा को चुना है।

[एफ. 5(1)/79-एम. (पार्ट-II)]

जनक पुरी, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 29th December, 1987

NOTIFICATION

S. O. 17 (E).—It is hereby notified that under Clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Municipal Corporation of Delhi has elected Shri Sri Krishan Sharma in place of Shri Mukand Lal Bindra (since expired) to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. 5 (1) 79-M. C. P.]

JANAK JUNEJA, Secy. Delhi Development Authority

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 1988/ज्येष्ठ 20, 1910
No. 303] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 1988/JYAISTHA 20, 1910

8 APR 1989

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1988

का० आ० 561 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में बलवान सिंह मोलंकी और श्री हरीश चन्द्र को दिल्ली नगर निगम द्वारा पुनः निर्वाचित कर लिया गया है और श्री जनार्दन शर्मा को श्री आ० के० खांगी के स्थान पर दिनांक 12-10-87 से निर्वाचित किया गया है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् में निगम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

[एफ. सं. एफ. 5(1)79-एम. सी. भाग-I]

अनूप जुनेजा, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 1988

S.O. 561(E).—It is hereby notified that under clause (d) of Sub section of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) S/Sh. [illegible] Singh Solanki and Sh. Hari Chand Verma have been re-elected by the Municip Corporation of Delhi and Sh. Janardan Sharma has been elected in place Sh. R. K. Tyagi to serve as Corporation's representative on the Advis Council of Delhi Development Authority w.e.f. 12-10-87.

[F. No. F. 5(1)79-MC. Pt.

JANAK JUNEJA,

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

रजि. सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)]
नई दिल्ली, शनिवार, 13 अगस्त, 1988/श्रावण 22, 1910
[PART II—Section 3—Sub-Section (ii)]
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13, 1988/SRAVANA 22, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1988

का. आ. 2423:—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट निष्क्रान्त सम्पत्तियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन करना आवश्यक है। इस प्रयोजन का संबंध विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास से है जिनमें ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय करना है।

अतः विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट निष्क्रान्त सम्पत्तियों का अर्जन करने का विनिश्चय किया है और उक्त सम्पत्तियों का अर्जन करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सभी निष्क्रान्त सम्पत्तियां जो विभाजन में अभिरक्षक के हिस्से में आवंटित की गई हैं या जो निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64) के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकारी के न्याय-निर्णयन के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन 30 जून, 1988 तक, अभिरक्षक में निहित हो गई हैं अथवा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन वंधक के निर्वाचन पर, 30 जून, 1988 तक अभिरक्षक में अन्यथा निहित हो गई है, और जिनकी बाबत कोई अपील फाइल नहीं

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agri. & Coop.)

New Delhi, the 27th July, 1988

ORDER

S.O. 2449.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, (in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of griculture and Co-operation) number S.O. 1635 dated the 26th May, 1987, published in Part II, Section 3, sub-tion (ii) of the Gazette of India dated the 27th June, 1987, the President hereby directs that in respect of the post the Gen ral Central Services, Group B (Gazetted), specified in column 2 of the Schedule to this order, the autho- y specified in column 2 shall be the appointing authority and the authorities specified in column 3 and 5 shall be Disciplinary Authority and Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 4.

Schedule

cription of post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item No. in rule 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal), Rules, 1965		Appellate authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
inistry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-peration) Group-B (gazetted) posts in the subordinate offices under the Machinery Division.	Joint Secretary incharge of Machinery Division.	Joint Secretary incharge of Machinery. Division.	All.	Secretary (Agriculture and Cooperation).

[No.1-23/85-My (Admn.)]
A.M. SINGH, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1988

सार्वजनिक सूचना

का.आ. 2450.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को

अपना नाम और पता भी अवश्य देना चाहिए ।

संशोधन :—

"दक्षिणी दिल्ली में मैदान गढ़ी गांव के निकट 'कृषि हरित पट्टी' के लिए निर्धारित क्षेत्र में से 100 एकड़ क्षेत्र को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) में बदलने का प्रस्ताव है"।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों को उप-निदेशक (मुख्ययोजना) कार्यालय, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध होगा।

[सं. एफ. 20(11)/86-एम. पी.]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 13th August, 1988

PUBLIC NOTICE

S. O. 2450.—The following modification which the Central Govt. proposes to make to the Master Plan/Zonal Development plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION:

"An area measuring 100 acres out of the area earmarked for 'Agricultural green belt' near village Maidan Garhi in South Delhi, is proposed to be changed to Public and Semi Public facilities (Indira Gandhi National Open University)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Dy. Director (MP), Vikas Minar, 6th Floor I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[F.20(11)/86—MP]

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 2451.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, 'बी' ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :—

"जोन एफ-4 (सफदरजंग क्षेत्र) में आने वाले उत्तर में 64 मीटर चौड़े रिंग रोड से लगे हुए "सरकारी उपयोग" (कार्यालय) के लिए निर्धारित क्षेत्र में से लगभग 1571 वर्ग मीटर क्षेत्र, जिसे संख्या 2 (पुराना प्लाट संख्या-5) फैक्टरी रोड पर में जाना जाता है, का भूमि उपयोग "आवासीय" में बदला जाना प्रस्तावित है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरी के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय विकास मीनार मंजिल, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध

[सं. एफ. 20 (12)/87-

जनक जुनेजा,

PUBLIC NOTICE

S. O. 2451.—The following modifica
Central Government propose to make
Plan/Zonal Development Plan for Delhi
published for public information. Any per
any objection or suggestion with respect to
posed modification may send the objectio
tion in writing to the Secretary, Delhi Deve
Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, Ne
within a period of thirty days from the dat
of this notice. The person making the o
or suggestion should also give his name and

MODIFICATION:

"The land use of an area, measuring abo
sqm. known as plot No. 2 (old plot no.
Road, falling in zone F-4 (Safdar

रजि. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (DN)-128

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11, 1989/माघ 22, 1910
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11, 1989/MAGHA 22, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1989

आदेश

का. आ. 286.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश सं. 673/246/88-सी.शु. (VIII) दिनांक 26-4-1988 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री भूपिंदर सिंह, भारतीय पासपोर्ट धारक सं. बी. -236245, 450/2, घर सोदियन कलां, केलाचौक पुलिस थाना केला चौक पटियाला को केन्द्रीय जेल, दमदम, कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए जिससे वह तस्करी करने से रोका जा सके; और

केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश तामील नहीं हो सके;

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़ के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/246/88-सी.शु.—VIII]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st February, 1989

ORDERS

S.O. 286.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673|246|88-CUS.VIII dated 26-4-1988 under the said sub-section directing that Shri Bhupinder Singh, Holder of Indian Passport, No. B-236245, 450/2, Gher-Sodian, P. O. Kella Chawk, [illegible] S. Kela Chawk, Patiala, be detained and [illegible] the Central Jail, Dum Dum, Calcutta [illegible] enting him from smuggling goods; a[illegible]

2. Wh[illegible] rnment has reason to bel[illegible] that th[illegible] absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

का. आ. सं. 317.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. आ. सं. 3266 तारीख 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
कानपुर शहर	कानपुर शहर	कानपुर शहर	सैनपुरब पारा	1259	0-1-0

[सं. ओ.-14016/6/84—जी पी]

राकेश कक्कड़, उप सचिव

S.O. 317.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3266 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Govenment has, after considering the said report, dceided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SUPPLIMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tihil	Pargana	Village	Plot No.	
1	2	3	4	5	
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	S.npu ab para	1259	0-1

[N . O-14016/6/84-G

RAKESH KAKKAR, Dy. S

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1989

का. आ. 318.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है। जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा देना हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में इस जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर सचिव, दिल्ली प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई. एन. ए. को भेज आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और भी उल्लेख करना चाहिए ।

संशोधन :—

"उत्तर में 24 मीटर चौड़े क्षेत्रीय मार्ग, पूर्व में 18 मीटर प्रस्तावित मार्ग और दक्षिण तथा पश्चिम में जिला पार्क (मुख्य हरित क्षेत्र) से घिरे हुए लगभग 1.2 हेक्टेयर (3 एकड़) भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक उपयोग" (जिला पार्कों) से एफ. ए. आर. सहित "सांस्थानिक उपयोग" (धार्मिक) में परिवर्तन प्रस्ताव है।"

2 प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपनिदेशक, मुख्य योजना, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[सं. एफ. 20(13)/87-एम

उनक जोशी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE.

New Delhi, the 11th February, 1989

S.O. 318.—The following modification which the Government proposes to make to the Master Development Plan for Delhi, is hereby published for information. Any person having any objection or with respect to the proposed modification may send tion or suggestion in writing to the Secretary, Del ment Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A. within a period of thirty days from the date this notice. The person making the objection should also give his name and address.

...TION

...and use of an area measuring about 1.2 hect. (3 acres) bounded by 24 mtrs. wide Zonal Road on the North, 18 mtrs. wide proposed Road on the East and District Parks (Master Plan Green) on the South and West is proposed to be changed from 'Recreational use' (District Parks) to 'Institutional use' (Religious) with a FAR of 30".

...plan indicating the proposed modification will be ...for inspection at the office of the Deputy Director, ...Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I.P Estate, ...Delhi on all working days within the period referred to ...

[No. F. 20(18)/87-MP]
JANAK JUNEJA, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1989

...319—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 ...) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंटरनेशनल ...एयरपोर्ट ऑफ़ इंडिया, मद्रास एयरपोर्ट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध ...और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक ...औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, ...सरकार को 13-1-89 को प्राप्त हुआ था ।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 20th January, 1989

...—In pursuance of Section 17 of the Industrial ...Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government ...blishes the award of the Industrial Tribunal, ...shown in the Annexure, in the industrial dispute ...employers in relation to the management ...national Airport Authority of India, Madras Airport ...workmen, which was received by the Central ...on the 13-1-89.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Monday, the 17th day of October, 1988.

Industrial Dispute No. 86 of 1987.

...matter of the dispute for adjudication under Sec-10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between ...workman and the Management of International Airport ...ity of India, Madras Airport, Madras.)

BETWEEN

...umathi P. Kasturi, No. 9, Ashokan Street, Palavi-...athangal, Madras.

AND

...The General Manager, International Airport Author-...ity of India, Madras Airport, Madras.

...FERENCE

...Order No. L-11012/1/87-D. II(B), dated 31-7-1987 of ...the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

...This dispute advanced today for final hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiruvalargal ...C. Ponnashagan and B.T. Arasu, Advocates appearing for the workman and of Thiruvalargal A. N. Viswanatha ...and N. Krishnamoorthy, Advocates for the Management and the workman having filed an application to withdraw the dispute, this Tribunal passed the following:

AWARD

This dispute between the workman and the Management of International Airport Authority of India, Madras Airport, Madras arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its order No. L-11012/1/87-D. II(B), dated 31-7-1987 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

> "Whether the action of the management of international Airport Authority of India, Madras Airport, Madras in terminating the workman Smt. P. Kasturi, Sweepress, from service w.e.f. 23-8-85 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. Parties were served with summons. Both parties were represented by counsel.

3. Petitioner-worker filed her claim statement on 18-8-1987. The Respondent-Management filed their counter statement denying the allegations made in the claim statement.

4. Petitioner-worker was exmined as W.W.1 in part before this Tribunal. Exs. W.1 to W.13 were marked on behalf of the Petitioner-worker. For continuation of the evidence of W.W.1, the dispute was posted to 31-10-1988.

5. On 17-10-1988, the counsel for the Petitioner-worker filed before this Tribunal, an application (M.A. No. 253/88) praying to permit the Petitioner to withdraw the dispute and also advance the dispute from 31-10-1988 to today.

6. As per order in Misc. Appl. No. 253/1988 the dispute advanced today and this dispute is dismissed as withdrawn as per petition filed by the Claiment-Petitioner. Award is passed accordingly.

Dated, this 17th day of October, 1988.

Sd./
K. NATRAJAN, Industrial Tribunal.

WITNESS EXAMINED

For workman : W.W.1—Smt. P. Kasturi.

For Management : None

DOCUMENTS MARKED

For workman :

Ex.W-1/13-1-87—Failure of conciliation report (xerox copy).

W-2/30-4-87—Order in W.P. No. 4518/1987 (xerox copy).

W-3/27-1-85—Medical Certificate (xerox copy).

W-4/25-2-86—Fitness Certificate (xerox copy).

W-5/12-6-86—Lawyer notice by the Petitioner to the Management.

W-6/ -6-86—Acknowledgement by the Management.

W-7/30-6-86—Lawyer notice to the Management and its superiors.

W-8/ 1-7-86—Reply by the Management to Lawyer notice.

W-9/ 5-8-86—Reply by the Management to the Lawyer Notice.

W-10/17-1-87—Lawyer letter to the Management.

W-11/1-2-87—Petitioner's lawyer letter to the Secretary, Government of India.

W-12/ -2-87—Acknowledgement by the Secretary.

W-13/25-7-88—Lawyer letter by the Petitioner to the Management.

For Management : Nil

K. NATARAJAN, Industrial Tribunal

[No. L-11012/1/87-D. II(B)/II(B)]

DELHI PUBLIC LIBRARY

(एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 1989/फाल्गुन 20, 1910
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 1989/PHALGUNA 20, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1989

सूचनाएं

का.आ. 445.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एच.डी. गेरा, अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राजेन्द्र नगर तथा नई दिल्ली के अन्य क्षेत्र पर व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(4)/89-न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 24th January, 1989

NOTICES

S.O. 445.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority under rule 4 of the said Rules, by Shri H. D. Gera, Advocate for appointment as a Notary to practise in Rajender Nagar, and other area of New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(4)/89-Judl.]

का.आ. 446.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राजेन्द्र कुमार खन्ना, अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उन्हें समस्त भारत में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(4)/89-न्या.]

कृष्ण वस्त [सिंह] सचिव

S.O. 446.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority under rule 4 of the said Rules, by Shri Rajendra Kumar Khanna, Advocate for appointment as a Notary to practise in [illegible]

2. Any objection to the appointment of the said person

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1989

का. आ. 481.—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली वृहत योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1975 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 22-2-1988 के नोटिस संख्या एफ 20(2)/87-एम. पी. द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) में अपेक्षित आक्षेप/सुझाव उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यतः उक्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, तो केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली मास्टर/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन :

"एक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल लगभग 6.07 हेक्ट. है और जो महरौली—मेहरौलीपुर सड़क (सर्वाधिकार 75 मीटर) के दक्षिण में स्थित है सुलतानगढ़ी स्मारकों के पूर्व में "कृषि हरित पट्टी" में से "कृषि हरित पट्टी" से "सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सुविधाओं" में बदलने का प्रस्ताव है"।

[सं. क-13011/7/87-डी. डी.-II(ए)/वी(ए)]

अर्जुन देव, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 9th February, 1989

S.O. 481.—Whereas certain modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(2)/87-MP dated the 22-2-88 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objections and suggestions have been received with regard to the said proposed modification, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring about 6.07 hects. located at the south of the Mehrauli-Mahipalpur Road (r/w 75 mts.), out of 'Agricultural Green Belt' in the east of Sultan Garhi monuments, is changed from 'Agricultural Green Belt' to 'Public and Semi Public facilities'.

[No. K-13011/7/87-DDIIA/VA]

ARJAN DEV, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1989

का. आ. 482.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे सभी की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति का कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, (वी) ब्लाक, आई.एन.ए. को दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :

उत्तर में इन्दिरा गांधी हवाई अड्डा भूमि, दक्षिण में समालखा पूर्व में 60 मी. सर्वाधिकार की सड़क और पश्चिम में बिजवासन की कृषि हरित भूमि के बीचे स्थित .75 एकड़ क्षेत्र (खसरा 15, 16/1, 16/2, 24, 25, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 15/2, 16/1, 17/2/1, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 2, 3, 4, 5 गांव समालखा और खसरा नं. 193 मिन, 24/1 मिन, 24/2 मिन गांव बिजवासन) का भूमि उपयोग "कृषि हरित पट्टी" से "सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक" सुविधाओं में बदला जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए इस अवधि के अंदर सभी कार्य दिवसों में उपनिदेशक (मुख्य योजना), दिल्ली विकास मीनार, छठा मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध होगा।

[सं. एफ 20(16)/85-

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 11th March, 1989

S.O. 482.—The following modification which the Government proposes to make to the Master Development Plan for Delhi, is hereby published information. Any person having any objection or with respect to the proposed modification may send jection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi lopment Authority, Vikas Sadan, I.N.A., 'B' Block Delhi with in a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection should also give his name and address.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring (kh. nos. 6, 15, 16/1, 16/2, 24, 2 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 17/2/1, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 23, 1, 2, 3, 4, 5, village Samalkha Khasra nos. 193 min. 24/1 min. and Village Bijwasan) bounded by IAAI North, Samalkha Village on the South R/W Road on the East and Agricultural of Bijwasan village on the West is pro changed from "Agricultural Green Belt" & Semi Public Facilities".

indicating the proposed modification will be ...spection at the office of the Deputy Director, ...ction, Vikas Minar, 6th Floor, I. P. Estate, ... all working days within the period referred ...

[F. 20(16)/85-MP.]

...-केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय ... निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता ...तु प्रतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित ... यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव ... अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में सूचना के ... तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली ... विकास सदन, (बी) ब्लाक, आई.एन.ए. को भेज ... अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और ... चाहिए ।

...में कृषि हरित पट्टी, पश्चिम में विद्यमान फार्म ... आद्या कात्यायनी शक्ति पीठ से घिरे लगभग ... छत्तरपुर गांव के खसरा नं. 66/1, 68, 69, ... 74) के क्षेत्र को ग्रामीण उपयोग जोन से "सार्व-...जनिक सुविधाओं (धार्मिक)" में बदला जाना ...

...खण्ड को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त ... सभी कार्य दिवसों में उपनिदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, ... छठी मंजिल, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध

[सं. एफ-3(23)/85-एम.पी.]
जनक जुनेजा, सचिव

...The following modification which the Central ...proposes to make to the Master Plan/Zonal ... Plan for Delhi, is hereby published for public ... Any person having any objection or suggestion ... to the proposed modification may send the ob-...suggestion in writing to the Secretary, Delhi Deve-...Authority, Vikas Sadan, I.N.A., 'B' Block, New ... in a period of thirty days from the date of issue ...otice. The person making the objection or suggestion ...lso give his name and address.

...CATION :

...The land use of an area measuring about 5.36 acres ...(Kh. Nos. 66/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73 & 74 of ...Village Chhattarpur) bounded by Agricultural Green ...Belt towards North and South, Existing Farm Houses ...in the West and existing Adya Katyani Shakti Pith ...Temple in the East is proposed to be changed from ...'Rural use zone' to Public and Semi Public Facili-...ties' (Religious)".

...Plan indicating the proposed modification will be ...for inspection at the office of the Deputy Director, ...Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I. P. Estate, ...Delhi on all working days within the period referred ...

[F. 3(23)/85-MP.]
JANAK JUNEJA, Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1989

का. आ. 484.—भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434 (iii)(2c) की अपेक्षाओं के अनुसार भागलपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र में संशोधन से संबंधित एक सार्वजनिक सूचना भागलपुर में प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित कार्रवाई की गई थी जिसमें इस समाचार के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए थे;

और जबकि यह सूचना 5-12-1988 के "आज" और "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" तथा 6-12-1988 के "हिन्दुस्तान" समाचारपत्रों में प्रकाशित कार्रवाई की गई।

और इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात् जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः उपर्युक्त नियमावली के नियम 434(iii)(2c) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक दूरसंचार यह घोषणा करते हैं कि 1-3-1989 से भागलपुर टेलीफोन प्रणाली का संशोधित स्थानीय क्षेत्र इस प्रकार होगा।

भागलपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

भागलपुर टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत भागलपुर नगरपालिका के क्षेत्र में आने वाली सभी क्षेत्र शामिल होंगे किन्तु भागलपुर नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित वे टेलीफोन उपभोक्ता जिन्हें भागलपुर टेलीफोन प्रणाली से सेवा प्रदान की जा रही है और जब तक वे इस प्रणाली के किसी भी एक्सचेंज से 5 किलोमीटर के घेरे में रहते हैं और उससे जुड़े रहते हैं तब तक वे स्थानीय शुल्क का भुगतान करते रहेंगे।

[सं. 3-2/88-सीएचबी]
प्रदीप कुमार, निदेशक फोन (ई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Telecommunications Board)

New Delhi, the 15th February, 1989

S.O. 484.—Whereas a public notice for revising the local area of Bhagalpur Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(2c) of the Indian Telegraph Rules 1951 in the Newspaper in circulation at Bhagalpur, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 5-12-1988 in 'Aaj' and 'The Times of India' and on 6-12-1988 in 'Hindustan' newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 434 (III)(2c) of the said Rules, the Director General Telecommunications hereby declares that with effect from 1-3-89 the revised local area of Bhagalpur Telephone Sytsem shall be as under ;

Bhagalpur Telephone Exchange System :—The local area of Bhagalpur Telephone System shall cover an area under the jurisdiction of Bhagalpur Municipality; provided that the telephone subscribers located outside Bhagalpur Municipal limits but who are served from Bhagalpur Telephone System will continue to pay local tariffs as long as they are located

रजि. सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-12

DELHI PUBLIC LIBRARY

27 SEP 1989

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[भाग II—खण्ड 3] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1989/ आषाढ़ 3, 1911
[PART II—Section 3] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1989/ASADHA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1989

का. आ. 1411.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954, (1954 का अधिनियम संख्या 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन इसके द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, आयुक्त-सहसचिव, भूमि और भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा भी उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित निष्क्रांत शहरी और ग्रामीण संपत्तियों और भूमि के प्रबंध और निपटान के संबंध में प्रयोज्य होंगी ।

[संख्या-1(3) विशेष सैल-85—एस. II (ii)]

MINSITRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 17th May, 1989

S.O. 1411.—In exercise of powers conferred by Section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (Act No. 44 of 1954), the Central Government hereby directs that powers exercisable by it under Section 33 of the said Act, shall be exercisable also by the Commissioner-cum-Secretary, Land and Building Department, Delhi Administration, in addition to his/her own duties, in respect of the management and disposal of evacuee urban and rural properties and lands situated in the Union Territory of Delhi.

[No. 1(3)/Spl.

का. आ. 1412.—[illegible] (1950 का 31) की धारा [illegible] केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा दिल्ली [illegible] विशेष सचिव को विशेष सचिव उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा [illegible] स्थित निष्क्रांत शहरी और ग्रा[illegible] निपटान के संबंध में सहायक [illegible] करने के उद्देश्य से सहायक सचि[illegible]

[संख्या-1(ne[illegible]on, [illegible]e

S.O. 1412.—In exercise [illegible]SS 5 of the Administration [illegible]ee (Act No. 31 of 1950), [illegible] C point Special Secretary in [illegible] a app of Delhi Administration [illegible] the purpose of performi[illegible]

Central Board of Film Certification, Bangalore from May 13 to June 4.

[No. 801/50/87-FC]
BHASKAR CHATTERJEE, Dy. Secy.

जल भूत परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 मई, 1989

1435.— वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (44) की धारा 361 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, के भाग XII के अधीन मजिस्ट्रेट, इर्नाकुलम को "मत्तनचेरी" नामक ड्रेजर (कोचीन का एक भारतीय जहाज) के नष्ट हो जाने के बारे में या उसके आसपास विधिवत जांच करने के लिए शक्ति प्रदान करती है।

[फाइल सं एस आर-12011/5/88-एम ए]

राम सनेही, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 29th May, 1989

S.O. 1435.— In exercise of the powers conferred by section 361 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby empowers the Judicial Magistrate of Ernakulam to make a formal enquiry under Part-XII of the said Act into the casualty occurred to "Mattancherry" (an Indian ship belonging to Cochin Port Trust, Cochin) on or about 26-5-1988.

[File No. SR-12011/5/88-MA]
RAM SANEHI, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1989

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 1436—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के बारे में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन आई. एन. ए. "(बी)" ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता अवश्य देना चाहिए।

(i) जोन सी-II में आने वाले और उत्तर की ओर क्षेत्रीय पार्क से, दक्षिण की ओर विद्यमान हिन्दू राव अस्पताल से, पूर्व की ओर 60 फीट चौड़ी सड़क से और पश्चिम की ओर क्षेत्रीय पार्क से घिरे हुए लगभग 4.84 एकड़ क्षेत्र का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक" (रिज क्षेत्र) से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (अस्पताल)" में बदला जाना प्रस्तावित है बशर्ते कि इस क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य न किया जाए और भूमि को उसके प्राकृतिक रूप में हरा भरा रखा जाए।

(ii) जोन सी-II में आने वाले और उत्तर की ओर विद्यमान हिन्दू राव अस्पताल से, दक्षिण की ओर क्षेत्रीय पार्क, पूर्व की ओर 60 फीट चौड़ी सड़क से और पश्चिम की ओर क्षेत्रीय पार्क से घिरे हुए लगभग 1.49 एकड़ क्षेत्र का भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक" (रिज क्षेत्र) से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (अस्पताल)" में बदला जाना प्रस्तावित है बशर्ते कि इस क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य न किया जाए और भूमि को उसके प्राकृतिक रूप में हरा भरा रखा जाए।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध होगा।

[सं. एफ. 20.(17)82-एमपी]

जनक जुनेजा, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

New Delhi, the 24th June, 1989

PUBLIC NOTICE

S.O. 1436.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadar INA 'B' Block, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS

(i) "The land use of an area, measuring about 4.84 acres falling in zone C-11 and bounded by Regional Park towards North, existing Hindu Rao Hospital towards South, 60'R/W road towards East and Regional Park towards West is proposed to be changed from "Recreational" (Ridge Area) to "Public & Semi-Public facilities (Hospital)" subject to that no construction should come up in this area and the land will be kept green in its natural environ."

(ii) "The land use of an area meaning about 1.49 acres falling in Zone C-11 and bounded by existing Hindu Rao Hosptal towards North, Regional Park towards South, 60 R/W road towards East and Regional Park towards west, is proposed to be changed from "Recreational" (Ridge Area) to "Public and Semi-Public facilities (Hospital)" subject to that no construction should come up in this area and the land will be kept green in its natural environ."

2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Dy. Director, Master Plan Section, Vikas Minar,

6th floor, IP Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

VIKAS SADAN
B BLOCK, I.N.A.
NEW DELHI.
Dated the 24-6-89.

[F. 20(17)/87-MP]

JANAK JUNEJA, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

का. आ. 1437—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के प्रबन्ध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th May, 1989

S.O. 1437.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of National Insurance Co. Ltd. and their wrokmen, which was received by the Central Government on the

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 30 of 1986

Reference No. L-17012/22/85-D.IV (A) dated 4-2-1986

In the matter of dispute

BETWEEN

The Secretary, General Insurance Employees Association, 17/13, The Mall, Kanpur.

AND

The Sr. Divisional Manager, National Insurance Company Limited, 58/42, Kasturba Gandhi Marg, Kanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-17012/22/85-D.IV (A) dated 4-2-86, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the imposition of punishment of Censure on Shri Tulsi Ram by the management of National Insurance Company without communication imputation of misconduct and without conducting any enquiry in violation of the General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975 and consequent withdrawal of functional allowance of telex operator from him is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. In the instant case 31-5-88 was fixed for cross examination of the management witness, but parties to dispute filed a settlement which was duly verified before me. Further both the sides requested that the reference be answered in the light of the settlement.

The terms of settlement are as under :—

(1) That the applicant, Tulsi Ram, has no grievance against the management and the differences and disputes whatever were there have been mutually and amicably settled and now exists no difference or dispute whatsoever.

(2) That the applicant, Tulsi Ram, has already got promotions in quite succession from the management. Now he is working an Asstt. Administrative Officer in Meerut Divisional Office, which is deemed to be an indifferent part of main

3. As such in the light of the above referred settlement, reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presid
[No. L-17012/22/85-D.IV (A)]

का. आ. 1438—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (
14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडस्ट्रि
बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके क
बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार
अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है।

S.O. 1438.—In pursuance of Section 17 of the Ind
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Gove
hereby publishes the ward of the Central Gove
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annex
the industrial dispute between the employers in rela
the management of Industrial Development Banks o
and their workmen.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFI
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 118 of 1987

In the matter of dispute :

BETWEEN

Reference No. L-12012/616/86-D.II(A) dated 2
The Chief Secretary, Reserve Bank 'D' Class Em
Union, Kanpur

AND

The Dy. General Manager, Indu trial Developmen
of India The Mill, Kanpur. Opp

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labo
Notification No. L-12012/616/86-D.II(A) dated
has referred the following dispute for adjudicati
Tribunal :—

"Whether the action of Industrial Develop
of India Kanpur in Denying Full Tim
ment to Shri Hans Ram Part time Swee
and justified ? If not, to what relief the
employee is entitled to ?"

2. Today is date fixed for cross examination of the
ment witness. From the side of the managem
Shri Sunderaraman, Manager, I.D.B.I. who has
affidavit on behalf of the management and fo
examination and although it is 2.15 p.m., neithe
man nor his auth. representative has turned u

3. Accordingly a no claim award is given.

ARJAN DEV, Pre
[No. L-12012/616
PADMA VENKATACHALA

नई दिल्ली, 2 जून, 1989

का. आ. 1439—औद्योगिक विवाद अधिनियम,
14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

PUBLIC LIBRARY
15 JAN 1990

रजि. सं. डी. (डी. एन.)-128 REGISTERED NO. D (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 21 1989/ आश्विन 29, 1911
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 1989/ASVINA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1989

सूचनाएं

का.आ. 2618—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रबीर कुमार चौधरी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राय गंज पं. दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5/58/89-न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 19th September, 1989

NOTICES

S.O. 2618.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Prubir Kumar Choudhary, Advocate for appointment as a Notary to practise in Raiganj Sub Dist. Dinajpur, W. Bengal.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5/58/89-Judl.]

का.आ. 2619—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री पार्श्व कुमार नागोरी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे निम्बाहेरा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5/59/89 न्या.]

S.O. 2619.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Sh. Parshave Kumar Nagori, for appointment as a Notary to practise in Nimbahora Dist. Chittorgarh (Raj).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5/59/89-Judl.]

मुद्रण निदेशालय

दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1989

नासिक, कोयम्बतूर, कोरेट्टी, अलीगढ़, नीलो-खेड़ी रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद, शान्तीक मुद्रणालयों में कार्यरत अधिकारियों का सरकारी 1972 के नियम 2 (बी) के अनुसरण में और 80 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 372 मे चण्डीगढ़ स्थित भारत सरकार पट्ट्र पुस्तक तथा जिसका अभे विस्तार भारत सरकार नई दिल्ली में अधिसूचना सं. एस. ओ. 3424 किया गया के अनुसरण में मुद्रण निदेशक 1 वर्ष और 31 दिसंबर, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करते हैं।

[सं. 52(50)/87-ए. 5/ए.IV]

एस. एस. मेहरा, उप-निदेशक (प्रशा.-II)

DIRECTORATE OF PRINTING

Delhi, the 17th October, 1989

In pursuance of Rule 2(b) of the Allotment ance to officers employed in Govt. of India at Nasik Coimbatore, Koratty, Aligarh, Nilo-chi (Howrah), Ring Road, New Delhi, Farida-, Rule, 1972 and extended to Govt. of India Text es at Mysore, Bhubaneshwar and Chandigarh vide S.O. 372, dated 25-1-80 and extended further India Press, Minto Road, New Delhi under Noti-No. 3424 dated 24-11-1980, the Director of notifies the period commencing on the 1st 1990 and ending on the 31st day of December eriod of next allotment year.

[No. 52(50)/87-A.5/A.IV]

S. S. MEHRA, Dy. Director (Admn. I)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

मास्टर प्लान खंड

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1989

शुद्धिपत्र

2674—भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, खंड (ii) 89 को प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. 1 (17) 74-27-5-89 के संशोधन के पैरा 1 की तीसरी पंक्ति में के स्थान पर "कम से कम" शब्द रखा जाए।

[फा. 1 (17) 74-एम. पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

Delhi, the 21st October, 1989

CORRIGENDUM

In notification No. F. 1(17)|74-MP 89, published in the Gazette of India ction-3, Sub-Section (ii) on 27-5-89 under Amendments' in line 3rd the word "the uld be substituted by the word 'atleast'.

[F. 1(17)|74-MP.]

RANBIR SINGH, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1989

का. आ. 2675.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22 सितम्बर, 1989 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd September, 1989

S.O. 2675.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 22-9-89.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

Industrial Dispute No : 85 of 1987
In the matter of dispute between :

The General Secretary SBI Staff Association State Bank Building 11 Parliament Street New Delhi.

AND

The Regional Manager State Bank of India Region II Dehradun.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its notification No. L-12012/452/86-D.II(A), dated 16-7-89 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

Whether the action of the management of State Bank of India in not promoting Shri Samar Bahadur Kashyap Daftary, Narendra Nagar Branch to the post of Godown Keeper/Record Keeper by terming him unsuitable in the interview held on 4-6-85 is justified? If not, to what relief is the workman entitled ?

2. The industrial dispute on behalf of the workman has been raised by the General Secretary, State Bank of India Staff Association (hereinafter referred to as Union), New Delhi.

3. The case of the Union in short is that the workman joined service as a messenger in the State Bank of India on its Atrauli Branch on 26-6-67. He was transferred to Narendra Nagar Branch in 1971. In August, 1984, he was given promotion as Daftari. He passed his High School in 1972 and Intermediate in 1982. He remained the Secretary of the Union's Unit at Narendra Nagar from 1971 to 1984. In 1984 he was elected as Chairman of the Unit. Due to his active participation in the legitimate activity of the Union, the Branch Manager, Narendra Nagar Branch of the State Bank and higher authorities became annoyed with him. In 1983, he appeared in the written test conducted by the bank for promotion to the post of Record Keeper/Godown Keeper/ Cashiers etc. Although he was successful in the written test, he was dropped in the interview with malafide, reasons. Again in the test held in 1985, for said post, he was dropped in the interview malafide. The Union alleges that the system adopted by the bank in interview are against the agreed policy. The workman has been failed and promotion denied to him malafide.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एच.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

07 JUN 1990

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 1990/फाल्गुन 11, 1911
NO. 115] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 1990/PHALGUNA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1990

अधिसूचना

का.आ. 181(अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957(1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड (एच) के अन्तर्गत श्री विजय बंधु गुप्ता, सदस्य, राज्य सभा को श्री शमीम अहमद सिद्दीकी, सदस्य, राज्य सभा

के स्थान पर दिनांक [illegible] निर्वाचित कर लिया गया है, जो दिल्ली विकास की सलाहकार परिषद में राज्य सभा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या 2(1)

रणबीर सिंह, स

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1990

S.O. 181 (E).—It is hereby notified that clause (h) of sub-Section 5 of the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957), Shri V Gupta, Member, Rajya Sabha has been elected to serve as Representative on the Advisory Council of Delhi Development Authority in place of Sh. Shamim Ahmed Siddiqui, Member Rajya Sabha.

[F.

RANBIR

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New D
and Published by the Controller of Publications, Delhi-1100

रजिस्ट्री सं. डी (डी एन)-127 REGISTERED NO. D (D.N.)127

5 NOV 1990

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 1990/श्रावण 4, 1912
No. 424] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 1990/SRAVANA 4, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1990

का. आ. 599(अ) — एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) और उसकी उपधारा 5(2)(घ) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र सं. के-11011/2/89-डी डी/II/ए

2022 GI/90

दिनांक 23-5-90 के अनुसार निम्नलिखित संसद सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना है।

1. श्री जे. पी. अग्रवाल — 1998 नौघरा, किनारी बाजार, दिल्ली —110006

2. श्री कालका दास — ब्लाक–4, गली नं.–8, 5835, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली।

[मिसिल सं. एफ. 2 (1)-88/एम. (1)
रणबीर सिंह, सचि

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1990

S.O. 590(E): It is hereby notified that under Section 5(1) of th Delhi Development Act, 1957, and its Sub-Section 5(2)(h), Govt. of Indi Min. of Urban Development vide its letter No. K-11011/2/89-DD/II/I dated 23-5-90 has elected the following M.P. as member of the Advisor Council of DDA.

1. Sh. J.P. Agarwal — 1998, Naughara, Kanri Ba Delhi-110006.

2. Sh. Kalka Das — Block-4, Gali No. 8, 5835, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi.

[File No. F2(1)88/M.
RANBIR SINGH, S

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 1990/ज्येष्ठ 16, 1912
No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 1990/JYAISTHA 16, 1912

इस भाग को अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1990

का. आ. 461(अ):—प्राधिकरण के विरुद्ध या उसके द्वारा वाद या मुकदमा चलाने, प्रतिरक्षा करने या वापस लेने, किसी दावे का समझौता करने या वापस लेने और प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से सनदों पर निष्पादन करने के लिए सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने संबंधी [illegible] राजपत्र भाग-II में दिनांक 30-4-65 को प्रकाशित अधिसूचना सं. एस. [illegible] के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण

एतद्द्वारा मुख्य अभियन्ता/आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी और मुख्य लेखा अधिकारी के पद के अपने सभी अधिकारियों को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद, रिट याचिका, अपील या अन्य न्यायिक/अर्ध-न्यायिक/कानूनी कार्रवाई करने, प्रतिरक्षा करने, वापस लेने या समझौता करने दि.वि.प्रा. की तरफ से अभिवचन और शपथपत्र आदि पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने, दि.वि.प्रा. की तरफ से अधिवक्ता/सालीसीटर/अधिवक्ता/मान्यताप्राप्त एजेन्ट नियुक्त करने और दि.वि.प्रा. की तरफ से किसी भी न्यायालय में अथवा अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिकथन देने और सभी न्यायिक/अर्ध-न्यायिक/कानूनी कार्यवाहियों में दि.वि.प्रा. का प्रतिनिधित्व करने के लिए यथाअपेक्षित अन्य सभी कार्यों और मामलों अन्य सभी कृत्य करने के लिए और शक्तियां प्रदान करता है।

[सं. एफ. 2(15) 89-एम.सी/लीगल]

रणवीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1990

S.O. 461(E).—Furthermore to Notification No. S.O. 1601 dt. 30-4-65 published in the Gazette of India, Part-II, conferring the powers on the Secretary, Delhi Development Authority, to institute, defend or withdraw suits or proceedings, admit compromise or withdraw any claim made against or by the Authority, and engage counsel for or on behalf of the Authority, Delhi Development Authority hereby delegates further to all its officers of the rank of Chief Engineer Commissioner Chief Vigilance Officer and Chief Account Officer power to institute, defend, withdraw, or compromise any suit, writ petition appeal or other judicial/quasi-judicial legal proceedings by against DDA in any court, tribunal or other Authority, to sign and verify pleadings and affidavits etc. on behalf of DDA, to engage pleaders solicitors advocates recognised agents on behalf of DDA, and to make statement in any court or before any other Authority on behalf of DDA and to do all other acts and things and perform all other functions as may be required for representing DDA in all judicial quasi-judicial legal proceedings.

[No. F. 2(15)89-MC[Legal]

RANBIR SINGH, Secy.

...ted by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
...and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990

...conditions laid down in column

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th September, 1990

S.O. 2843.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for the official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of Indian Airlines under the Ministry of Civil Aviation, the staff of which have acquired the working knowledge of Hindi namely :—

1. Jaipur
2. Bhopal
3 Khajuraho

[No. E-11011/6/88-Hindi]

S. GANESAPANDIAN, Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1990

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 2844.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने के तीस दिन की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी अवश्य देना चाहिये।

संशोधन :

"700 हेक्टेयर (1729 एकड़) भूमि क्षेत्र, जो रोहिणी योजना के पश्चिम में, मौजूदा नांगलोई नाले के पार और उत्तर में गांव प्रहलादपुर बांगर की राजस्व सम्पदाओं, पश्चिम में पंसाली, बेगमपुर और मोहम्मदपुर माजरा गांवों की राजस्व सम्पदाओं, दक्षिण पश्चिम में गांव निठारी की राजस्व सम्पदाओं, दक्षिण में पुठकलां गांव की मौजूदा आबादी और उत्तर-पूर्व में मौजूदा नांगलोई नाले से घिरे हुए क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग" से

(क) आवासीय	—395 हेक्टेयर
(ख) व्यावसायिक	—35 हेक्टेयर
(ग) सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	— 63 हेक्टेयर
(घ) मनोरंजनात्मक	—105 हेक्टेयर
(ङ) परिचालन	—102 हेक्टेयर

में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अंदर सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध रहेगा।

[संख्या एफ 20(16)/89-एम.पी.]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 10th November, 1990

PUBLIC NOTICE

S.O. 2844.—The following modification which Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, 'B' Block, New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION:

"The land use of an area measuring 700 Hect. (1729 Acres), located in the west of Rohini Scheme, across the existing Nangloi drain and bounded by revenue estates of village Prahladpur Bangar in the North, revenue estate of villages Pansali, Begampur and Mohammadpur Mazra in the west, revenue estates of village Nithari in the south-west, existing village abadi Poothkalan in the south and existing Nangloi drain in the north-east is proposed to be changed from 'Rural use' to

(A) Residential	— 395 Hec.
(B) Commercial	— 35 Hec.
(C) Public & Semi Public Facilities	— 63 Hec.
(D) Recreational	— 105 Hec.
(E) Circulation	— 102 Hec.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director (MP), Vikas Minar, 6th Floor, I. P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[F. 20(16)/89-MP]

का०आ० 2845.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना क्षेत्रीयविकास योजना (जोन एफ-7) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने से तीस दिन की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लॉक, आई.एन.ए. नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :—

"जोन एफ-2 (कैलाश क्षेत्र) में विदेश संचार निगम कम्प्लेक्स कालका जी स्थित 1.17 हेक्टेयर और 3.54 हेक्टेयर के दो क्षेत्रों को मिलाकर कुल 4.71 हेक्टेयर क्षेत्र का भूमि उपयोग "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (ट्रांसमिशन वायरलैस स्टेशन) से "आवास उपयोग" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में उपनिदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, विकास मीनार, छठी मंजिल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध रहेगा।

[एफ. 3(106) 81-एम पी]

रणवीर सिंह, सचिव

S.O. 2845.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan (Zone F-7) for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may sent the objections/suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, 'B' Block, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person filling the objections/suggestions should also give his name and address.

MODIFICATION:

"The land use of an area, measuring 4.71 ha. in Zone F-2 (Kailash Area), comprising of two within Sanchar Videsh Nigam, Complex, Kalkaji measuring 1.17 HA & 3.54 HA, is proposed to be changed from 'Public and Semi Public Facilities 'Transmission Wireless Station) to' 'Residential Use'."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of Deputy Director (Master Plan), Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[F. 3(106)/81-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1990

का.आ. 2846.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कांडला से पंजाब राज्य में भटिंडा (वाया राजस्थान व हरियाणा राज्य) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड पाईप लाईन्स, बंगला नं. 66, सैक्टर नं. 4, गांधी धाम, कच्छ-370201, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर करा सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी को करेंज ।

तालुका : पाटन जिला : मेहसाना राज्य : गुजरात

गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्र फल		
		हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
वामैया	188	0	09	74
	189	0	13	44
	190	0	28	55
	193	0	04	37
	195	0	06	38
	202	0	18	81
	209	0	10	75
	210	0	13	43
	225	0	14	78
	224	0	28	21
	233	0	08	06
	234	0	09	40
	236	0	16	12
	288	0	09	07
	287	0	07	73
	286	0	16	12
	283	0	12	76
	282	0	13	44
	281	0	14	11
	280	0	16	79
	277	0	07	39
	311	0	00	67
	312	0	14	78
	313	0	06	72
वामैया	316	0	17	47
	315	0	10	75
	347	0	20	15
	346	0	25	53
	343	0	03	36
	362	0	17	47
	360	0	21	49
	364	0	01	34
	422	0	10	08
	421	0	14	78
	417	0	15	45
	416	0	21	50
	465	0	08	40
	463	0	04	70
	464	0	21	15
	467	0	01	01
	468	0	24	52
	632	0	03	36
	633	0	13	43
	634	0	22	84
	650	0	09	40
	649	0	12	09
	652	0	17	47
	646	0	16	12

रजि. सं. (डी.एन)-120/90 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

27 FEB 1991

DELHI PUBLIC LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 1990/अग्रहायन 3, 1912
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 1990/AGRAHAYANA 3, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1990

(आय-कर)

का.आ. 3121.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "रामकृष्ण वेदान्त मठ, कलकत्ता" को वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(i) निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतः उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) उक्त निर्धारिती उक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों में से किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक पद्धतियों से भिन्न इसकी निधि (जेवर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त अथवा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान के सिवाय) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा,

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा उसे ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[सं. 8727/फा.सं. 197/115/90-आयकर-नि.1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi the 3rd November, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 3121.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta" for the purposes of the said sub-clause for the assessment years [illegible] 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above, in any of the

रिंग रोड से घिरे हुए 3.76 हेक्टर क्षेत्र (9.25 एकड़) जिसे प्लाट सं. 36 के रूप में जाना जाता है, उसका भूमि उपयोग "मनोरंजनात्मक उपयोग" से "सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कार्यालय" में बदला जाता है।"

(ii) "जोन डी-9 में आने वाले और पूर्व में किंग जार्ज एवेन्यू (30.48 मीटर के मार्गाधिकार वाले) मार्ग, उत्तर में डलहौजी रोड (18.28 मीटर के मार्गाधिकार वाले) और दक्षिण-पश्चिम में त्यागराज मार्ग (30.48 मीटर के मार्गाधिकार वाले) से घिरे हुए लगभग 21.28 एकड़ क्षेत्र जिसे प्लाट सं. 30 के रूप में जाना जाता है, उसका भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय से "हरित क्षेत्र" में बदला जाता है।"

[सं. के – 13011/63/89 – डी डी वी ए/1 बी]

अर्जन देव, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 29th October, 1990

S.O. 3154.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder were published with Notice No. F. 20(12)/87-MP dated 5-8-89 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice;

And whereas no objections and suggestions with regard to the said modifications were received. The Central Government now have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

(i) "The land use of an area known as plot No. 36 measuring 3.76 hects. (9.25 acres) falling in Zone D-9 (Central Vista Zone) and bounded by 18.25 mtrs. road on the North West, 18.68 mtrs. road on the South East and 30.48 mtrs. Hasting Road on the East, is changed from "Recreational use" to "Government and Semi Government Offices".

(ii) "The land use of an area known as plot No. 30 measuring about 21.28 acres falling in Zone D-9 and bounded by King George Avenue (38.48 mtrs. R/W) on the east, Dalhousie Road (18.28 mtrs. R/W) on the North and Tyag Raj Marg (30.48 mtrs. R/W) on the South West, is changed from "Government Offices" to "Green"."

[No. K-13011/63/89-DDVA/IB]

ARJAN DEV, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1990

का.आ. 3155.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने के तीस दिन की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी आवश्यक देना चाहिए।

संशोधन :

"जोन-डी-7 (पुराना किला क्षेत्र) में आने वाली 9076 वर्गमीटर भूमि जो चिड़ियाघर के पश्चिम में उन पाकेटों में स्थित है जो दक्षिण में सुन्दर नगर पूर्व में चिड़ियाघर, पश्चिम में मथुरा रोड, और उत्तर में मौजूदा पार्किंग क्षेत्र से घिरी हुई है के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक उपयोग" से "सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है। यह परिवर्तन मुख्यतः भूमिगत ढांचे वाले "प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय" के निर्माण के लिए किया जाना है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपयुक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में उपनिदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, विकास मीनार, छठा मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ 3(99)/77-एम पी]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 24th November, 1990

S.O. 3155.—The following modification which Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, 'B' Block, New Delhi, within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 9076 sqm. falling in Zone D-7 (Purana Qila Area), located in the West of Zoological Garden withia the pocket surrounded by Sundar Nagar in the South, Zoological Garden in the East, Mathura Road in the West and existing parking area in the North, is proposed to be changed from 'Recreational use' to 'Public and Semi Public Facilities for the construction of Museum of Natural History Project, having mainly underground structures".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director (MP), Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[F. 3(99)/77-MP]

आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

"जोन जी-10 (केशोपुर) के दक्षिण पश्चिम में स्थित बाहरी रिंग रोड (45) मीटर के हरित पट्टी सहित 210 फुट (अधिकार) के दक्षिण पश्चिम में स्थित उत्तर पश्चिम में 30 मी. चौड़ी सड़क उत्तर पूर्व में विद्यमान नाले और दक्षिण पूर्व में अनधिकृत निर्माण से घिरे हुए लगभग 6.00 हेक्टेयर क्षेत्र का भूमि उपयोग थोक फल एवं सब्जी मार्किट का निर्माण करने लिए "जिला पार्कों के खेल के मैदानों और खुले स्थानों से व्यावसायिक (थोक व्यापार)" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में उपनिदेशक मुख्य योजना कार्यालय, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 20(16)87-एमपी]

रणबीर सिंह, सचिव

S.O. 3156.—The following modification which Central Government proposed to make the Master Plan for Delhi Zonal Development Plan (Zone G-10) is, hereby, published for public information. Any person having any objection suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi-23, within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and full address.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 6.00 hects. falling in Zone G-10 (Keshopur), located in the South-West of outer Ring Road (210' R/W with 45mt. green strip), bounded by 30 mt. wide road in the North-West, existing Nallah in the North-East, and unauthorised construction in the South-East is proposed to be changed from 'district parks, play grounds and open spaces' to 'Commercial' (Wholesale business) for construction of wholesale fruit and vegitable market.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days with in the period referred above.

Vikas Sadan,
INA, 'B' Block,
New Delhi.

[F. 20(16)/87-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1990

का. आ 3157 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-90 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th October, 1990

S.O. 3157.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 29-10-1990.

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 70/88

In the matter of dispute between :

Shri Diwan Singh Negi, Farash, Represented by the General Secretary, State Bank of India Staff Association, 38/214/2, Harising Nalwa Street, Bagh, New Delhi-110005.

Versus

State Bank of India, through Dy. General Manager, State Bank of India, Main Branch, 11 Parliament Street, New Delhi-110001.

APPEARANCES :

Shri P. P. Trikha—for the workman.

Shri V. K. Handa—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/528/87-D.II (A) dated 14th July, 1988 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of State Bank of India in stopping one increment of Shri Diwan Singh Negi is justified. If not to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. In the statement of claim the workman alleged that he was working as Farash at New Delhi Branch of the bank. A memo dated 4-8-80 and subsequently a letter of charge sheet dated 4-10-80 was issued to the workman by the Chief Manager which runs as follows :

"On 24th April, 1980, a sum of Rs. 25000 was left by Shri H. S. Rawat, Cashier-cum-Clerk on the counter alongwith the relevative cash scroll was found on 25-4-80. The matter was reported to the Parliament Street, New Delhi Police Station by us on 25th April, 1980. When the Police started the search of the houses of the staff concerned, apprehending that the police might come to your house, you of your own deposited Rs. 25,000, at the Police Station Parliament Street, New Delhi on 1st May, 1980 stating that you had found the money on that date i.e. 1-5-80 lying in the papers, files of Counter No. 9. This statement of yours is not believable as thorough search of the said place was carried out from 25-4-80 to 30-4-80. Moreover, it was your duty to hand over the cash to the Bank Authorities and not to the Police. It is clear from the above that the money in question was found by you in the evening of 24th/early morning of the 25th April, 1980 and you had thus kept the money with you upto 30-4-80 unauthorisedly".

3. The workman tendered his explanation in reply to memo dated 4-8-80 and also reply to the charge sheet denying the charge levelled in the same. He also alleged that the charge was based on presumptions and he had rather displayed honesty which was lauded by the police officials before the Deputy General Manager, (Planning). The disciplinary authority without considering the explanation tendered by the workman and without applying mind to the same proceeded in the matter further. No witness was ex-